अष्टम माला, खंड 12, अंक 23

गुरुवार, 19 दिसम्बर, 1985
28 अग्रहायण, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

चौथा सत्र
(आठवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT
Acc. No. 5
Date 24/

(खंड 12 में अंक 21 से 24 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा ।)

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 12, चौथा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 23, गुरुवार, 19 दिसम्बर, 1985/28 अग्रहायण, 1907 (शक)

विषय	पृष्ठ
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—20
*तारांकित प्रश्न संख्या : 449, 450, 452, 455, 456, 458, 460 और 461	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	20—166
तारांकित प्रश्न संख्या : 451, 453, 454, 457, 459 और 462 से 469	20—26
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4640 से 4852, 4852-क और 4852-ख	27—166
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	166
गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखने के बारे में अध्यक्ष का विनिर्णय	166—171
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	171—180
राज्य सभा से संदेश	180—181
प्राक्कलन समिति	182
19वां प्रतिवेदन और कार्यवाही -सारांश	
लोक लेखा समिति	182
22वां और 23वां प्रतिवेदन	
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति	182
7वां प्रतिवेदन	

किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति तीसरा प्रतिवेदन	183
"दीर्घावधि राजकोषीय नीति" के बारे में वक्तव्य	183—184
नियम 377 के अधीन मामले	184—188
(एक) मध्य प्रदेश के बस्तर जिले के प्रत्येक वार्ड में पीने के पानी के एक-एक हैंड पम्प की व्यवस्था करने की आवश्यकता श्री मानकूराम सोढी	184
(दो) काण्डला पत्तन में कार्यरत सिन्धी आप्रवासियों को आवास-सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता श्रीमती उषा ठक्कर	184
(तीन) पश्चिम रेल उपनगरीय सैक्शन में अतिरिक्त यात्री डिब्बे उपलब्ध कराकर बम्बई में दैनिक यात्रियों को राहत पहुंचाने की आवश्यकता श्री अनूप चन्द शाह	185
(चार) कोटा दूरदर्शन के रिले केन्द्र की क्षमता बढ़ाकर 10 कि० मी० करने की आवश्यकता जिससे कि आस पास के जिलों के लोग दूर-दर्शन सुविधा का लाभ उठा सकें श्री शांति धारीवाल	185
(पांच) उड़ीसा के सुकिन्दा क्षेत्र में एक निकल निस्सारण संयंत्र स्थापित करने की आवश्यकता श्रीमती जयन्ती पटनायक	186
(छः) त्रिवेन्द्रम नगर में विद्युत चालित परिक्रमा रेल की व्यवस्था करने की आवश्यकता श्री ए० चार्ल्स	186
(सात) औषधि नीति को सुव्यवस्थित बनाने और औषधियों के उत्पादन तथा विपणन को विनियमित करने की आवश्यकता श्री सनत कुमार मंडल	187
(आठ) बिहार के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा में सुधार लाने के लिए बिहार नागरिक शिक्षा परिषद् के प्रस्ताव पर विचार करने की आवश्यकता श्री विजय कुमार यादव	187
माचिका का प्रस्तुतीकरण	188

विषय	पृष्ठ
"सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985-90" के बारे में प्रस्ताव (जारी)	188—245
प्रो० मधु दंडवते	189
डा० गौरीशंकर राजहंस	198
प्रो० एन० जी० रंगा	202
श्री कादम्बर जनार्दनन्	209
डा० फूंलरेणु गुहा	212
श्रीमती कृष्णा साही	214
श्री मोहम्मद अयूब खां	215
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया	217
श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही	218
श्री आशुतोष लाहा	220
श्री मानवेन्द्र सिंह	222
श्री विजय कुमार यादव	223
कुमारी ममता बनर्जी	225
श्री राज कुमार राय	228
श्री सलाहुद्दीन	229
श्री कमला प्रसाद सिंह	231
श्री पीयूष तिरकी	233
श्री सी० के० कुप्पु स्वामी	234
प्रो० नारायण चन्द पराशर	236
श्री के० एन० प्रधान	238
श्री सी० के० जाफर शरीफ	239
डा० ए० कलानिधि	240
श्री राम प्यारे पनिका	243
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त भोपाल गैस रिसाव त्रासदी सम्बन्धी जांच आयोग की अवधि न बढ़ाये जाने के बारे में वक्तव्य	246—247
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	247—248
सभा का कार्य	248
आधे घंटे की चर्चा	249—277
तेलुगु गंगा परियोजना	
श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी	249

विषय	पृष्ठ
श्री बी० शंकरानन्द	259
श्री वी० एस० कृष्णा अय्यर	264
श्री सी० जंग रेड्डी	267
श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव	269
श्री बी० एन० रेड्डी	270
श्री एच० एन० नन्जे गौडा	270
श्री एस० जी० घोलप	274
डा० एस० जगतरक्षकन	274
श्री बी० शंकरानन्द	275
"सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985-90" के बारे में प्रस्ताव	278—280
श्री आर० जीवरत्न	278
विधेयक—पुरःस्थापित	280—282
(एक) संसद् सदस्य वेतन, भत्ते और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1985	280—281
(दो) मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों से संबंधित (संशोधन) विधेयक, 1985	281
(तीन) राष्ट्रपति की पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1985	281
(चार) संसद् अधिकारी वेतन और भत्ता (संशोधन) विधेयक, 1985	281—282
(पांच) संसद् में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता (संशोधन) विधेयक, 1985	282
संसद् सदस्य वेतन, भत्ते और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1985	282—284
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री एच० के० एल० भगत	282
खंड 1—8	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री एच० के० एल० भगत	284
मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों से सम्बन्धित (सशोधन) विधेयक	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री एस० बी० चव्हाण	284

विषय	पृष्ठ
खंड 1 से 5	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री एस० बी० चव्हाण	285
राष्ट्रपति को पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1985	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री एस० बी० चव्हाण	
खंड 1 से 5	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री एस० बी० चव्हाण	286
ससद् अधिकारी वेतन और भत्ता (सशोधन) विधेयक	286--287
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री एच० के० एल० भगत	286
खंड 1 से 5	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री एच० के० एल० भगत	287
ससद् में विपक्षी नेता वेतन और भत्ते (संशोधन), विधेयक	287—288
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री एच० के० एल० भगत	287
खंड 1 से 4	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री एच० के० एल० भगत	288
"सातवीं पंचवर्षीय योजना—1985-90" के बारे में प्रस्ताव (जारी)	288—305
श्रीमती ऊषा ठक्कर	288
श्री यू० एच० पटेल	290
श्री बी० एन० रेड्डी	292
श्री भरत सिंह	293
श्री पी० नामग्याल	295
श्री अमर राय प्रधान	300
श्री एम० एल० झिकराम	303

लोक सभा

गुरुवार, 19 दिसम्बर, 1985/28 अग्रहायण, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर)

श्री शरत कुमार देब (केन्द्रपाड़ा)

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज)

[अनुवाद]

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : महोदय, दूरदर्शन ने बहुत अधिक भेदभाव किया है। उसने दूरदर्शन पर सोमनाथ चटर्जी को इतना अधिक दिखाया है कि हमारी पार्टी के किसी भी सदस्य को नहीं दिखाया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ पुराने सदस्य हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, ऐसा लगता है कि दूरदर्शन ने यह महसूस किया था कि यह एक स्वागत योग्य परिणाम है।

(व्यवधान)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पोलियो के रोगियों में वृद्धि

*449. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक†** :
श्री सुभाष यादव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा में गत दो वर्षों के दौरान पोलियो के रोगियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त अवधि के दौरान देश के अन्य भागों में भी पोलियो के रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो में मिली रिपोर्टों के अनुसार गत दो वर्षों के दौरान हरियाणा राज्य में पोलियो के रोगियों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इसके अलावा गत दो वर्षों के दौरान सारे देश में पोलियो के रोगियों में कोई वृद्धि नहीं हुई।

(ग) राष्ट्रीय रोग-प्रतिरक्षण कार्यक्रम के माध्यम से पोलियो के प्रकोप को कम करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह सरकारी आंकड़ों पर आधारित है। पोलियो के बहुत सारे रोगी प्राइवेट डाक्टरों से अपना इलाज करा लेते हैं और सरकार के पास उनका कोई रिकार्ड नहीं होता है। मेरी जानकारी के अनुसार पोलियो रोग में काफी वृद्धि हुई है। इस समस्या पर काफी गहराई से सोचने की जरूरत है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि अपंग और विकलांग लोगों की क्या संख्या है और इनमें से कितने प्रतिशत पोलियो के कारण हैं ?

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, पोलियो अधिसूचित रोग नहीं है। इस रोग की मासिक रिपोर्ट केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो द्वारा संकलित की जाती है। हम यह जानते हैं कि इस सम्बन्ध में दी गई जानकारी अनियमित है और इसमें देश में पोलियो के सभी मामलों के आंकड़े सम्मिलित नहीं होते हैं। लेकिन जो आंकड़े उपलब्ध हैं उनसे पता चलता है कि गत तीन वर्षों में पोलियो की व्यापकता में कमी आई है। पोलियो रोग की रोकथाम प्रतिरक्षण कार्यक्रम के द्वारा की जानी चाहिए जो कि गत 19 नवम्बर को व्यापक स्तर पर शुरू किया गया था। यह बच्चे की उत्तरजीविता के लिये सबसे बड़ा प्रयास है तथा विश्व में इससे पहले कहीं भी ऐसा पोलियो-निरोधी प्रयास नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : श्रीमन्, योजना आयोग द्वारा गठित कार्यकारी दल ने पोलियो से प्रभावित मरीजों के बारे में काफी सिफारिशें की हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि योजना आयोग के कार्यकारी दल की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई और यह कार्यक्रम हरियाणा प्रदेश के किन-किन जिलों में आरंभ किया गया और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, पोलियो रोग की रोकथाम के लिए कोई केन्द्रीय योजना नहीं है। देश में नियमित अस्पतालों में तथा इस प्रयोजनार्थ व्यवस्था वाले स्थानों पर इस रोग का इलाज किया जाता है। हमारा मुख्य प्रयास टीके के द्वारा इस रोग की रोकथाम करना है। हमने

इस वर्ष सर्वसाधारण के प्रतिरक्षण के लिए हरियाणा राज्य के एक जिला कुरुक्षेत्र तथा सरकारी चिकित्सा कालेज परिधि के बाड़र के क्षेत्र को चुना है। अगले चार वर्षों अर्थात् सातवीं योजना की बाकी की अवधि में हरियाणा के सभी जिलों को शामिल करने के लिए इस कार्यक्रम का विस्तार किया जायेगा।

डा० के० जी० अदियोडी : क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि किये गये प्रतिरक्षण की प्रतिशतता और जन्मदर क्या है तथा क्षेत्र कार्य के लिये क्या-क्या आधारभूत सुविधायें उपलब्ध हैं।

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, देश में बच्चों के जन्म के पश्चात् प्रथम वर्ष में प्रतिरक्षण का लक्ष्य है। इस प्रकार देश में 60 प्रतिशत बच्चों को पोलियो का टीका लगाया जाता है। सातवीं योजना के अन्त तक इस कार्यक्रम में 100 प्रतिशत बच्चों को शामिल किया जायेगा। प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ 20 लाख बच्चे जन्म लेते हैं। हमें इस हद तक बच्चों को शामिल करना है।

देश में पोलियो का टीका चिकित्सा संस्थानों के माध्यम से अथवा इस उद्देश्य के लिए प्रशिक्षित सहायक नर्सों, दाइयों और बहुद्देशीय श्रमिकों के द्वारा लगाया जाता है।

श्रीमती बसव राजेश्वरी : अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि पोलियो से प्रभावित लोगों को बेहतर इलाज करने के लिए प्राइवेट एजेंसियां बड़े-बड़े शिविर लगा रही हैं और यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में उन्हें क्या सहायता देने जा रही है। क्या सरकार ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करेगी जो पहले ही भारी संख्या में पोलियो से प्रभावित लोगों का इलाज कर रहे हैं। अभी हाल में हमने बड़े-बड़े शिविर लगाये थे और बंगलौर में भी इन्हें लगाया जा रहा है। यदि ऐसे व्यक्तियों का पता लगाया जाता है तो क्या सरकार ऐसे व्यक्तियों की मदद करेगी क्योंकि बहुत से बच्चों को इस बीमारी से छुटकारा दिलाया गया है।

श्री एस० कृष्ण कुमार : जैसा कि मैंने पहले कहा है, प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अतिरिक्त, जिसे हमने शुरू किया है, पोलियो रोगनाशक संस्थानों की मदद के लिए कोई विशेष केन्द्रीय योजना नहीं है। हम उस प्रत्येक स्वैच्छिक संगठन की मदद करने को तैयार हैं जो हमारे प्रतिरक्षण कार्यक्रम में हाथ बटाने को तैयार है।

जब तक पोलियो के लिए सहायक उपचार सुविधाओं का संबंध है जो मुख्य रूप से भौतिक चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा से सम्बन्धित है, सरकार सीमित साधन होते हुए भी इस मामले पर विचार करने को तैयार है।

नौवहन कंपनियों के लिए निर्धारित सुरक्षा उपाय

*450. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की कुछ नौवहन कंपनियां सरकार द्वारा निर्धारित सुरक्षा उपायों का पालन नहीं कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन कंपनियों द्वारा सुरक्षा उपायों का पालन किया जाये, क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) हाल में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें नौवहन कंपनियों ने वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के तहत सुरक्षा नियमों में अपेक्षित मरम्मत का काम नहीं करवाया।

(ख) महानिदेशक (नौवहन), बम्बई को यह सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश दिए गए हैं कि वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 और उसके तहत बनाए गए नियमों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। किसी भी जहाज को, जो सुरक्षा जरूरतें पूरी नहीं करता है, महानिदेशक (नौवहन) के सर्वेक्षक रोक लेंगे। सर्वेक्षण का काम वर्गीकरण सोसाइटियों को प्रदत्त किया गया है। इन सोसाइटियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि सुरक्षा जरूरतें पूर्णतः पूरी होती हैं।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : शिपिंग कम्पनियों द्वारा इन सुरक्षापायों का उल्लंघन किया जाता है। अभी हाल में पिछले सत्र के दौरान हमने गुमशुदा नित्यानानक तथा नित्यरे नामक जहाजों के बारे में चर्चा की थी। शिपिंग कम्पनियां सुरक्षा उपायों का पालन नहीं करती हैं। वे अनुचित ढंग से इस नियम की उपेक्षा करती हैं।

शिपिंग विभाग अथवा मर्चेंट विभाग और जहाज के मालिक लोगों की जान से खेल रहे हैं। वे लोगों को धोखा दे रहे हैं। पिछले पांच महीनों से हमने इन खोये हुए जहाजों के मलवे के बारे में भी नहीं सुना है। इस संबंध में 34 निर्दोष लोगों की जानें गई थीं। क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि सुरक्षा नियमों से बचने के कितने मामले सरकार के नोटिस में लाये गये हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है। कितने जहाजों को रोके रखा गया है और क्या ये जहाज समुद्र में चलने योग्य हैं? माननीय मंत्री कृपया इन बातों का उत्तर दें।

श्री बंसी लाल : हमारे देश के चार जहाजों और एक विदेशी जहाज का मामला हमारे ध्यान में आया है। चार जहाजों को छोड़ दिया था और एक जहाज को रोक रखा है। हम इन नियमों को लागू करने के लिये भरसक प्रयास कर रहे हैं और हमने इस संबंध में कड़े निर्देश भी जारी किये हैं कि भविष्य में इन निर्देशों का पालन किया जाये।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : किसी जहाज को समुद्र में भेजने से पहले, उन्हें सम्बंधित प्राधिकारियों से चार प्रमाण पत्र प्राप्त करने होते हैं। ये चार प्रमाण पत्र हैं—सुरक्षा निर्माण प्रमाणपत्र, सुरक्षा उपकरण प्रमाणपत्र, लोड लाइन प्रमाणपत्र तथा रेडियो टेलीग्राफी प्रमाणपत्र। सभा को यह बात मालूम है कि गुमशुदा जहाजों के संबंध में पांच सप्ताह तक किसी भी प्रकार का रेडियो के साथ कोई भी सम्पर्क नहीं था।

अध्यक्ष महोदय : आप उन जहाजों के बारे में बात कर रहे हैं जिनमें से दो जहाजों के संबंध में हम सभा में पहले ही चर्चा कर चुके हैं।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : होता क्या है कि अधिकारी कठोर हृदय होते हैं। शिपिंग विभाग के विशेष अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि किसी भी जहाज को समुद्र में भेजने योग्य बनाये जाने और प्रमाण पत्र जारी करने से पहले उन्हें यह देखना चाहिए कि यह जहाज समुद्र में भेजने योग्य है। होता क्या है कि शिपिंग कम्पनियों की मिली भगत से वे प्रमाण पत्रों की अवधि बढ़ाते रहते हैं। ऐसा ही हुआ है। ऐसी बातों से बचा जाना चाहिए।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सुरक्षा नियमों को लागू करने के लिए आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं। क्या आप इस संबंध में कड़े नियम बनाने जा रहे हैं ?

श्री बंसी लाल : हमने नियमों का कड़ाई से पालन करने के लिए अनुदेश जारी किये हैं।

डा० सुधीर राय : नौवहन मन्त्री श्री जियाउर्रहमान अंसारी ने स्वयं स्वीकार किया है कि फारवर्ड सीमेन यूनियन ने नौवहन मंत्रालय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि एम० वी० नित्याराम और एम० वी० नित्या नानक में पानी भर रहा था लेकिन मंत्रालय ने इस आरोप पर कोई ध्यान नहीं दिया।

अब मुझे यूनियन से ज्ञात हुआ है कि एम० वी० रत्नकीर्ति, जो रूमानिया के निकट जल यात्रा कर रहे हैं, रहस्योद्घाटन कर रहे हैं। क्या माननीय मंत्री इस आरोप के संबंध में जांच करेंगे कि एम० वी० रत्नकीर्ति जो रूमानिया के निकट जल यात्रा कर रहा है, उसमें पानी भर रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने शिकायत भेजी है ?

श्री बंसी लाल : गायब जहाजों के संबंध में जांच की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : श्री गुलाम नबी आजाद...

[हिन्दी]

मैंने समझा था कि आप भी कुछ बोलना चाहते हैं, क्योंकि आपका हाथ उठ रहा था।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमन्, वह मेरा हाथ था।

अध्यक्ष महोदय : प्रो० मधु दंडवते।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या यह सच नहीं है कि जहां सुरक्षा प्रबन्ध असफल रहे हैं और जहाज जो डूब रहा था, द्वारा यात्रा कर रहे यात्री जो प्रभावित हुए हैं, उन्हें कुछ सहायता [illegible] गई है और उनके बीमे की व्यवस्था की गयी है ? यह सच नहीं है कि इसके अनुचित उपयोग के कुछ ठोस मामले भी हुए हैं ? यह सच नहीं है कि जैन वनस्पति प्रोपराइटर्स ने कुछ बीमा एजेंटों के साथ मिलकर जहाज पर 10,000 बौरल यह कह कर रखे थे कि यह तेल है लेकिन वास्तव में इनमें पानी भरा गया था और यह छल योजना इसलिये की गयी थी ताकि जहाज बर्मा और श्रीलंका के तटों के निकट डूब जाये और ऐसा करने के बाद क्या यह सच नहीं है कि उन्होंने बीमा कंपनी में दावा दायर किया ? क्या यह सच नहीं है कि यह मामला मैंने इस सभा में उठाया था और क्या यह सच नहीं है कि मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि वे मामले के संबंध में सख्ती से पेश आएंगी यदि आपने इस मामले को आपके पूर्वाधिकारी द्वारा मुझे दी गयी सूचना के आधार पर निपटाया है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाए गए हैं।

श्री बंसी लाल : यहां यह प्रश्न नहीं उठता ।

अध्यक्ष महोदय : आप इन्हें बाद में सूचना दे सकते हैं । यह उठाया गया है और मेरी यह राय है कि इस संबंध में ध्यान रखा जाना चाहिए । कृपया इन्हें सूचना दें ।

प्रो० मधु दण्डवते : मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया है । कृपया निदेश का पालन किया जाए ।

श्री बंसी लाल : ठीक है ।

खाद्य सामग्री पर घाट-शुल्क प्रभार के बारे में केरल सरकार का अभ्यावेदन

*452. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केंद्रीय सरकार को अभ्यावेदन दिया है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम योजना के अंतर्गत आयातित खाद्य सामग्री पर घाट-शुल्क प्रभार रियायती दर पर लगाया जाना चाहिए, जैसा कि सी० ए० आर० ई० (केअर) के अंतर्गत सप्लाई की जाने वाली सामग्री के मामले में किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, हां ।

(ख) विभिन्न द्विपक्षीय करारों के तहत आयातित मदों पर जो छूट दी जाती है, वही छूट विश्व खाद्य कार्यक्रम स्कीम के तहत आयात की गई मदों पर भी देने का निर्णय किया गया है और इस बारे में सभी महापत्तनों को अनुदेश जारी कर दिए गए हैं ।

प्रो० के० वी० थामस : मैं मंत्री महोदय का इस बारे में निर्णय लेने के लिए धन्यवाद करता हूं । लेकिन मैं नम्रता से कहूंगा कि यद्यपि निर्णय ले लिए गए हैं लेकिन कार्यान्वयन में काफी विलम्ब हुआ है । हमने इस सभा में बोनस (संशोधन) अधिनियम पारित कर दिया है लेकिन कोचीन बन्दरगाह में कामगारों को और डी० एल० बी० ने अभी तक बोनस नहीं दिया है । जांच करने पर उन्होंने बताया है कि इसकी सूचना अभी संबंधित प्राधिकरणों को नहीं दी गई है । क्या मैं माननीय मंत्री से यह ध्यान रखने का विनम्र निवेदन कर सकता हूं कि क्या वे इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोचीन बन्दरगाह प्राधिकारियों को अब लिये गये निर्णय तथा बोनस (संशोधन) अधिनियम को कार्यान्वित करने के संबंध में निदेश दिये जायें ?

श्री बंसी लाल : निदेश 13 दिसम्बर को जारी कर दिए गए हैं ।

अध्यक्ष महोदय : वह उनका कार्यान्वयन चाहते हैं ।

श्री बंसी लाल : इनका कार्यान्वयन किया जाएगा ।

ग्राम स्वास्थ्य गाइड योजना के अन्तर्गत आये राज्य

*455. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां ग्राम स्वास्थ्य गाइड योजना लागू है;

(ख) उन राज्यों के क्या नाम हैं, जिन्हें चालू वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत लाने की सम्भावना है; और

(ग) वर्ष 1983-84 में इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये उड़ीसा को कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) ग्राम स्वास्थ्य गाइड योजना एक केन्द्र प्रायोजित योजना है और इसका उद्देश्य इसे सारे देश में चलाना है। जम्मू और कश्मीर, तमिलनाडु और केन्द्र शासित क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों ने इस योजना को अपना लिया है।

(ग) वर्ष 1983-84 के दौरान उड़ीसा में इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए 284.00 लाख रुपये के आबंटन के विरुद्ध 315.00 लाख रुपये दिये गए।

श्री लक्ष्मण मलिक : क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि इन ग्राम स्वास्थ्य गाइडों की योग्यताएं, अनुभव और प्रशिक्षण क्या हैं ?

श्री एस० कृष्ण कुमार : ग्राम स्वास्थ्य गाइड समाज का एक स्वयं सेवी होता है, जिसके लिये आमतौर पर एक महिला को ही तरजीह दी जाती है। उसे छटी कक्षा पास होना चाहिए और वह समुदाय द्वारा स्वीकार्य होनी चाहिए ···

(व्यवधान)

स्वीकार्य का तात्पर्य है कि उसने पहले सामाजिक सेवा की हो। प्रशिक्षण में पी० एच० सी० स्तर पर दिया गया 200 घंटों का प्रशिक्षण होता है और स्वयंसेवक को छोटी बीमारियों के उपचार संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्हें परिवार कल्याण, आपात कालीन स्वास्थ्य देखरेख, शिक्षा, प्रतिरक्षण, पोषण आहार और संबद्ध विषयों का भी प्रशिक्षण दिया जाता है।

श्री आशुतोष लाहा : क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि वर्ष 1983-84 में इस योजना के कार्यान्वयन के पश्चिम बंगाल के लिए कितनी राशि आबंटित की गई थी।

श्री एस० कृष्ण कुमार : इस वर्ष इस योजना के कार्यान्वयन के लिए कुल 55 करोड़ रुपये रखे गए हैं। इस वर्ष राज्यवार आबंटन में पश्चिम बंगाल के लिए 419 लाख रुपये रखे गए हैं।

श्री आशुतोष लाहा : इस आबंटन में से पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि खर्च की गई है ?

श्री बसुदेव आचार्य : पहले ही समाप्त हो चुकी है।

श्री आशुतोष लाहा : हमें देखने दीजिए कि यह समाप्त हो चुकी है या नहीं।

श्री एस० कृष्ण कुमार : मेरे पास वितरण के सही आंकड़े नहीं हैं। लेकिन यह राशि हमने इस वर्ष पश्चिम बंगाल के लिए निश्चित की है।

श्री बसुदेव आचार्य : ग्राम स्वास्थ्य गाइड को दिये जाने वाला भत्ता नगण्य अर्थात्

50 रुपये प्रतिमाह है। क्या ग्राम कामगारों को भुगतान के लिए यह राशि कम से कम 50 रुपये से 100 रु० तथा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ? यह दो वर्ष पहले निश्चित किया गया है

श्री एस० कृष्ण कुमार : ग्राम स्वास्थ्य गाइड योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के भाग के रूप में ग्राम स्वास्थ्य स्वयंसेवकों को संगठित करने के लिए कार्यान्वित की गई है। उन्हें सरकारी कर्मचारी नहीं माना गया है और उन्हें दिए जाने वाला 50 रुपये का भत्ता एक तरह से जेब खर्च के लिए है। इस योजना के लिए हमारे संसाधनों की काफी बड़ी राशि पहले ही खर्च की जा रही है। इस भत्ते को बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है।

राव वीरेन्द्र सिंह : यह श्री शंकरानन्द द्वारा निश्चित की गई थी। अब आपको इसे बढ़ाना चाहिए।

श्री एस० कृष्ण कुमार : ग्राम स्वास्थ्य गाइड को दवाई और अन्य वस्तुएं वितरित करने के लिए दी जा रही हैं। हम इसे स्वयंसेवक बल के रूप में विकसित करना चाहते हैं और हम इस योजना को सरकारी सेवा का रूप नहीं देना चाहते।

श्री अतीश चन्द्र सिंह : ग्राम स्वयंसेवकों को 50 रुपये की बहुत दी जाती है। यह नियमित रूप से भी नहीं दिए जाते हैं। यह पांच या छः महीनों में एक बार दी जाती है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं जिससे ये 50 रुपये की लघु राशि नियमित रूप से मिल सके।

श्री एस० कृष्ण कुमार : हम निश्चय ही इस बात का ध्यान रखेंगे कि भुगतान नियमित रूप से हो।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगले प्रश्न को लेते हैं। प्रश्न संख्या 456.

बिना चौकीदार वाले रेल फाटक

*456. **श्री अमर सिंह राठवा†** :
श्री मोहन भाई पटेल :

क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में इस समय, जोन-वार, कितने फाटक बिना चौकीदार के हैं; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार और जोन-वार, बिना चौकीदार वाले कितने रेल फाटकों पर चौकीदार रखे गए हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : महोदय, वास्तव में इस प्रश्न का उत्तर यह होना चाहिए कि विवरण लोक सभा पटल पर रखा गया है। यदि आप चाहें, तो मैं इसे पढ़ सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपको पूरा उत्तर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कम से कम कुल संख्या तो पढ़कर सुनाई जानी चाहिए।

श्री माधवराव सिन्धिया : (क)बिना चौकीदार वाले समपारों (मवेशी समपारों को

छोड़कर) की क्षेत्रीय रेलवार संख्या नीचे दी गई है :

क्षेत्रीय रेल	बिना चौकीदार वाले समपार
मध्य	1,219
पूर्व	747
उत्तर	3,512
पूर्वोत्तर	2,756
पूर्वोत्तर सीमा	1,342
दक्षिण	2,710
दक्षिण मध्य	2,105
दक्षिण पूर्व	3,469
पश्चिम	4,700
	22,560

(ख) बिना चौकीदार वाले उन समपारों की क्षेत्रीय रेलवार संख्या नीचे दी गई है, जहां चौकीदार तैनात कर दिए गए हैं :

क्षेत्रीय रेलवे	1982-83 में	1983-84 में	1984-85 में
मध्य	35	32	17
पूर्व	11	12	3
उत्तर	5	64	30
पूर्वोत्तर	24	30	10
पूर्वोत्तर सीमा	—	17	17
दक्षिण	12	51	1
दक्षिण मध्य	93	35	103
दक्षिण पूर्व	21	43	6
पश्चिम	50	90	68
जोड़	251	374	255

[हिन्दी]

श्री अमर सिंह राठवा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का आभारी हूं, इन्होंने जो आंकड़े दिये हैं वह ज्यादा सही हैं, लेकिन जो प्रगति है, वह गलत है ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं होनी चाहिये ?

श्री भागवत झा आजाद : स्पीड कमजोर है ।

श्री अमर सिंह राठवा : क्योंकि पिछले 3 साल में 880 चौकीदार रेलवे फाटकों पर रखे गये हैं । बिना चौकीदार रेलवे फाटकों की संख्या 22,560 है और अभी 21,680 रेलवे फाटक बिना चौकीदार के रह गये हैं । इसलिए धीमी गति से जो रेलवे फाटकों पर चौकीदार रखे गए हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आपने अपने सवाल की गति भी उतनी ही धीमी कर रखी है ।

श्री भागवत झा आजाद : रेलवे किस स्पीड से चल रही है ? आजकल ट्रेन की स्पीड भी वही है ।

श्री अमर सिंह राठवा : बाकी जो रेलवे के फाटक बिना चौकीदार के रह गये हैं, उन पर चौकीदारों को पूरा करने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में क्या कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री माधवराव सिंधिया : लगभग 22 हजार अन-मैन्ड लैवल क्रासिंग हैं उनमें से लगभग 300-400 प्रतिवर्ष मैन्ड करने के लिए काम हाथ में लेते हैं ।

एक माननीय सदस्य : 22 लाख या 22 हजार ?

श्री माधवराव सिंधिया : 22 हजार । इनमें से 300-400 प्रतिवर्ष मैन्ड करने के लिए काम हाथ में लेते हैं जिन पर गेटकीपर नियुक्त करते हैं ।

मेम्बर का जो कहना है कि आंकड़ों की मात्रा के अनुसार चौकीदार रखने की गति ज्यादा धीमी है ।

अध्यक्ष महोदय : ये विश्वास रखते हैं कि स्लो एंड स्टडी विन्स दी रेस ।

श्री माधवराव सिंधिया : मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस विषय को हम बहुत महत्व दे रहे हैं । पिछले वर्षों की तुलना में गति बहुत कुछ बढ़ी है । आंकड़े-वाइज अगर आप देखें तो 1977 से 1980 तक लगभग 30-35 लैवल क्रासिंग को मैन्ड किया जाता था और इस वर्ष का टारगैट 300 है, यानी दस गुना ज्यादा है ।

श्री भागवत झा आजाद : तारीफ की बात है ।

श्री माधवराव सिंधिया : इस प्रोग्राम पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और हमारा यह प्रयास है कि इनको मैन्ड किया जाये और साथ ही साथ इस तरीके से मैन्ड किया जाये कि उस लैवल क्रासिंग पर गेट कीपर विशेष ट्रेन्ड होना चाहिए और उसके इक्विपमैंट भी लेटेस्ट हों ।

[अनुवाद]

श्री मोहन भाई पटेल : चौकीदार वाले नये रेल फाटकों तथा बिना चौकीदार वाले रेल

फाटकों की मांग निरन्तर हो रही है क्योंकि प्रत्येक वर्ष हमारे गांव तथा शहर बहुत तीव्र गति से प्रगति कर रहे हैं। महोदय, हमने मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, 1980 में एक नए चौकीदार वाले रेलवे फाटक के लिए कहा था। तब से लोक सभा की पूरी अवधि समाप्त हो गई। अब, नई लोक सभा का एक वर्ष पूरा हो चुका है। लेकिन अभी तक हमें रेलवे फाटक नहीं मिल पाया है। यह बहुत महत्वपूर्ण रेलवे फाटक है। मुझे यह कहना है कि नए रेलवे फाटक को मंजूरी देने की प्रक्रिया बहुत लम्बी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय समझते हैं कि यदि मांग वास्तविक है तो एक माह के भीतर मामले का निर्णय किया जाना चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रक्रिया क्या है तथा नए रेलवे फाटक के लिए अपनाए जाने वाले मानदण्ड क्या हैं? रेल मंत्रालय के पास नए रेल फाटकों के लिए कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन पड़े हैं?

श्री माधव राव सिंधिया : मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र में जिस रेलवे फाटक को बनाना चाहते हैं वह चौकीदार वाला है अथवा बिना चौकीदार का है।

श्री मोहनभाई पटेल : मैं चौकीदार वाला रेलवे फाटक बनवाना चाहता हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में क्या महत्वपूर्ण है। इसके लिए उनके पास कोई नमूना नहीं होगा। इस उद्देश्य के लिए उनके पास निर्धारित नियम तथा मार्गनिदेश हैं।

श्री मोहनभाई पटेल : महोदय, यह एक वास्तविक मांग है।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी मांग को उन्हें लिखित रूप में भेजिये।

श्री मोहनभाई पटेल : महोदय, मैं चाहता हूं कि इसके लिए सरल प्रक्रिया होनी चाहिए ताकि वास्तविक मांग एक विशिष्ट समय में पूरी हो जाए।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ऐसा कर देंगे।

श्री माधवराव सिंधिया : मैं अभी भी इस बारे में स्पष्ट जानना चाहता हूं कि क्या वह नए रेलवे फाटक की बात कर रहे हैं अथवा वह इस समय विद्यमान बिना चौकीदार वाले फाटक पर चौकीदार तैनात करने की बात कर रहे हैं।

श्री मोहनभाई पटेल : मैं नए चौकीदार वाले रेलवे फाटक की बात कर रहा हूं। इस उद्देश्य के लिए हम पहले ही 4 लाख रुपए जमा करवा चुके हैं।

श्री माधवराव सिन्धिया : महोदय, सामान्यत: नए रेलवे फाटक राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा प्रवर्तित किये जाते हैं। निस्सन्देह, कुछ मामलों में, जहां आवश्यक होता है, हम भी यह कार्य करते हैं। परन्तु सामान्यत: यह कार्य राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है अथवा स्थानीय प्राधिकारी इसे करते हैं। जहां तक रेलवे फाटकों पर चौकीदार तैनात करने के कार्य को प्राथमिकता देने का सम्बन्ध है। बहुत संख्या में प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं, जो मूल रूप में उस विशेष बिना चौकीदार वाले रेल फाटक से गुजरने वाली रेलों/वाहनों की संख्या के आधार पर निर्धारित की गई हैं। इन सब बातों पर विचार किया जाता है। प्रत्येक पांच वर्ष में जनगणना की जाती है तथा विशिष्ट रेल फाटक से गुजरने वाली रेलों की संख्या तथा वाहनों की संख्या को गुणा किया जाता है तथा इसके अनुसार प्राथमिकता निर्धारित की जाती है। मैं माननीय सदस्य को प्राथमिकताएं बता सकता हूं। यदि आप चाहें, तो मैं पढ़कर सुना सकता हूं।

श्री बी० के० गडवी : चौकीदार वाले रेल फाटक भी दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के रेल फाटक में हर समय चौकीदार तैनात होते हैं तथा दूसरे प्रकार के रेल फाटक पर केवल दिन के समय चौकीदार होते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वहां ऐसे कितने रेल फाटक हैं जहां केवल दिन के समय ही चौकीदार रहते हैं और रात को लोगों को रेल फाटक से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाती। इस वर्ष बिना चौकीदार वाले रेल फाटक के मामले में मरने वाले लोगों की संख्या कितनी है ?

श्री माधवराव सिन्धिया : जहां तक 24 घंटे चौकीदार रहने वाले रेल फाटकों तथा दिन के समय चौकीदार रहने वाले रेल फाटकों के आंकड़ों (संख्या) का सम्बन्ध है, मुझे सूचना प्राप्त करनी होगी तथा फिर माननीय सदस्य को भेजनी होगी। जहां तक दुर्घटनाओं की कुल संख्या का सम्बन्ध है मैं सभा को कुछ जानकारी देना चाहता हूं कि कई वर्षों के बाद पहली बार पिछले वर्षों की तुलना में अप्रैल-नवम्बर की अवधि के दौरान रेल दुर्घटनाओं की कुल संख्या में कमी आई है। हमारे लिए चिन्ता की बात यह है कि बिना चौकीदार वाले रेल फाटकों पर दुर्घटनाओं की संख्या कुछ बढ़ गई है। नवम्बर तक दुर्घटनाओं की संख्या 28 थी। परन्तु मैं केवल अपनी जानकारी के द्वारा यह बताना चाहता हूं कि जापान जैसे प्रगतिशील देशों में भी समपारों पर होने वाली दुर्घटनाओं की वार्षिक दर 783 है।

श्री बी० के० गडवी : मैं केवल यहां होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या के बारे में जानना चाहता हूं तथा विकसित देशों के साथ तुलना करना नहीं चाहता।

श्री मुरलीधर माने : मैं जानना चाहता हूं कि क्या दुर्घटनाओं से बचने के लिए तथा यातायात में होने वाले विलम्ब से बचने के लिये रेल फाटकों पर पुल बनाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए धन कहां है ? आप बहुत बड़ी मांग कर रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या मैं अपने प्रथम प्रश्न पर सभा की सहमति प्राप्त कर सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : जी हां, सब तैयार हैं।

श्री भागवत झा आजाद : परन्तु यह हमारे लिए नए नहीं हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मंत्री महोदय युवा तथा कर्मठ हैं तथा उनके अपने-अपने विचार तथा स्वप्न हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप एक और विशेषण 'सुन्दर' क्यों नहीं जोड़ देते ?

श्री माधवराव सिन्धिया : जब बच्चन यहां बैठे हैं तो अन्य सब फीके पड़ जाते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मंत्री महोदय जी बहुत प्रसन्न हैं कि चौकीदार वाले रेल फाटकों की संख्या में दस गुना वृद्धि हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि रेल फाटकों की संख्या धनराशि के आबंटन के आधार पर निश्चित की गई है अथवा उन रेल फाटकों पर चौकीदार तैनात करने की आवश्यकता के आधार पर निश्चित की गई है। दुर्घटनाओं की संख्या में कमी रेलवे के कार्य-

निष्पादन की अपेक्षा लोगों की चौकसी के कारण हुई है । अत: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपने अपनी धनराशि के आबंटन के आधार पर चौकीदार वाले रेल फाटकों की संख्या निर्धारित की गई है । तथा इसके लिए आपने धनराशि के आबंटन का निश्चय किस प्रकार किया है ?

श्री माधवराव सिन्धिया : निस्सन्देह, धनराशि के आबंटन को ध्यान में रखना पड़ता है । यह सम्पूर्ण वित्तीय आबंटन के प्रतिकूल है कि हमें अपनी प्राथमिकताएं तथा अपने आबंटन का निर्धारण करना है । परन्तु कुछ निश्चित प्राथमिकताएं तथा कुछ निश्चित प्रक्रियाएं हैं जिसके आधार पर रेल फाटकों पर चौकीदार तैनात करने के लिए दी गई आबंटित धनराशि के अन्तर्गत रेल फाटकों को प्राथमिकता दी जाती है । यहां एक विवेकपूर्ण मिश्रण है; यह दो का समिश्रण है ।

श्री शरत कुमार देब : माननीय मंत्री महोदय ने उल्लेख किया है कि रेलवे फाटकों पर चौकीदार तैनात करने का कार्य राज्य सरकारों का है । मैं यह जानना चाहता हूं कि किस अधि-सूचना इत्यादि के अन्तर्गत राज्य सरकार इस बारे में सूचना दे सकती है । जब राज्य विधान सभा में रेल फाटकों सम्बन्धी प्रश्न हमने उठाया, सम्बन्धित मंत्री ने निरपवाद रूप से यह कहा कि यह मामला केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित है । यहां आप कहते हैं कि यह मामला राज्य सरकार से सम्बन्धित है । मैं जानना चाहता हूं कि सही स्थिति क्या है ।

श्री माधवराव सिन्धिया : अध्यक्ष महोदय, क्या इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने की जिम्मे-वारी आप मुझे देते हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते : आप इन्हें इस्तीफा देकर राज्य विधान सभा में जाने की सलाह न दीजिए ।

श्री माधवराव सिन्धिया : कुछ ऐसी निश्चित प्रक्रियाएं हैं जो समय-समय पर रेलवे बोर्ड तथा रेल मंत्रालय द्वारा निश्चित की जाती है । मैं यह भी बताना चाहता हूं कि अधिकांश मामलों में रेल फाटकों पर चौकीदार तैनात करने के मामले, जबकि यह रेल वाहन यूनिटों की प्राथमिकता में न आते हों, सामान्यत: सम्बन्धित राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा प्रवर्तित किये जाते हैं । परन्तु हमारे पास रेल सुरक्षा कार्य निधि तथा दुर्घटना मुआवजा सुरक्षा तथा यात्री सुविधा निधि भी होती है, जो उस विशिष्ट तिथि को खर्च की गई कुल राशि का एक प्रतिशत तथा इसमें से विशेष रूप से पहले प्रकार की निधि रेल सुरक्षा कार्य निधि, कुल राशि का 80 प्रतिशत धनराशि विभिन्न राज्य सरकारों को दी जाती है ।

अध्यक्ष महोदय : हमेशा तीन सदस्य अनुपस्थित पाए जाते हैं तथा प्रश्न निकल जाते हैं । मैंने सोचा था कि मैं इन तीन सदस्यों को एक के बाद एक प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा । लेकिन एक-एक करके तीन सदस्य अनुपस्थित हैं ।

[हिन्दी]

दिल्ली और वाराणसी के बीच सुपरफास्ट रेल गाड़ी

*458. **श्री श्याम लाल यादव** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली और वाराणसी के बीच एक ऐसी सुपरफास्ट रेलगाड़ी चलाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जो एक रात में यह यात्रा पूरी करेगी; और

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

[अनुवाद]

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री श्याम लाल यादव : मान्यवर, मुझे बहुत आशा थी कि सिंधिया जी इस प्रश्न के ऊत्तर में "हां" कहेंगे क्योंकि उनके पूर्वजों का वाराणसी से बड़ा सम्बन्ध रहा है, जैसे कि उनके पूर्वजों ने वाराणसी में घाट बनाकर अपनी यादगार को जोड़ा है उसी तरह से क्या एक रेलगाड़ी को शुरू करके वे एक नई यादगार बनायेंगे ? मुझे बताने की जरूरत नहीं है, रेल मंत्री अच्छी तरह से जानते हैं कि लाखों देसी, विदेशी यात्री, दर्शनार्थी, पर्यटक वाराणसी में आते हैं, वह अन्तर्राष्ट्रीय आकर्षण तथा धार्मिक स्थान भी है, उद्योग के क्षेत्र में भी कालीन और साड़ियों का वहां पर बहुत बड़ा केन्द्र है। इसलिए जब सरकार की घोषणा है कि दिल्ली को महत्वपूर्ण नगरों से रेलगाड़ियों द्वारा सम्बद्ध किया जाए तो क्यों नहीं वाराणसी को भी आप मदद करते जिससे कि लोग दिल्ली आ-जा सकें, देसी-विदेशी भी आ-जा सकें ? क्या कारण है आप इस तरह की सुविधा वाराणसी को नहीं देना चाहते ?

श्री माधवराव सिन्धिया : अध्यक्ष महोदय, वाराणसी को राजधानी यानी दिल्ली से प्रति-दिन तीन ट्रेन्स जाती हैं और हफ्ते में तीन बार दो सुपर-फास्ट ट्रेन्स जाती हैं। इसके अलावा अभी और गाड़ियां देना उचित नहीं होगा क्योंकि इलाहाबाद के पश्चात् वाराणसी तक ट्रेन में भी अभी कुछ कमजोरी है, विद्युतीकरण भी नहीं हुआ है। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मुगलसराय, जो वहां से बहुत नजदीक है वहां से भी कई ट्रेन कनेक्शन्स हैं। मुगलसराय शायद 17 मील या 17 किलोमीटर वाराणसी से है और राजधानी का भी कनेक्शन मुगलसराय से मिल सकता है।

श्री श्याम लाल यादव : माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने कहा कि वाराणसी-इलाहाबाद की लाइन कमजोर है तो क्या वाराणसी को वाया मुगलसराय, यहां एक लूपलाइन बनी है जो बिना मुगलसराय को टच किये हुई आती है, जो कि डबल लाइन है, उस पर नहीं चला सकते हैं।

दूसरी बात यह है कि वाराणसी मुगलसराय के बीच में 17 किलोमीटर का फासला है लेकिन रेलवे की सेवा बहुत अपर्याप्त है। कई बार कहा गया कि आप वहां पर घंटे-घंटे पर शटल चलाइये लेकिन आप चलाने के लिए तैयार नहीं हैं, कहते हैं रोड ट्रांसपोर्ट प्रबन्ध करेगी लेकिन सड़क पर इतना ज्यादा जमाव रहता है, कभी-कभी इतना जाम हो जाता है कि इतनी दूरी पार करने में घंटों लग जाते हैं और लोगों की गाड़ियां छूट जाती हैं। अतः इन सारी बातों पर ध्यान देते हुए क्या मंत्री जी इस मांग पर पुनः विचार करेंगे ?

श्री माधवराव सिन्धिया : आपके दोनों सुझावों का परीक्षण करेंगे।

श्री उमाकांत मिश्र : जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि नयी ट्रेन नहीं चला सकेंगे तो क्या

जो तीन सुपर-फास्ट ट्रेन्स चल रही हैं उनमें से एक ट्रेन को सायंकाल यहां से चला दें डेली, तो काम बन जाएगा। यानी जो तीन सुपर-फास्ट चलती हैं उनमें से एक को आप डेली कर दें वह शाम को यहां से चले सवेरे पहुंचे और वहां से शाम को चले सवेरे यहां पहुंचे—यह सुविधा आप दे दें तो काम बन जाएगा।

श्री माधवराव सिन्धिया : तीन सुपर फास्ट नहीं चलती हैं, दो चलती हैं और हफ्ते में तीन बार चलती हैं। यह पर्याप्त मात्रा है।

[अनुवाद]

कनिष्क विमान की दुर्घटना में मारे गए यात्रियों के संबंधियों को मुआवजा

*460. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 23 जून, 1985 को एयर इंडिया के बोइंग विमान "कनिष्क" की दुर्घटना में मारे गए यात्रियों के निकटतम संबंधियों को एयर इंडिया द्वारा मुआवजा देने की पेशकश की गई है;

(ख) यदि हां, तो मुआवजा देने के क्या मानदंड हैं;

(ग) क्या मारे गए विदेशी यात्रियों के निकटतम संबंधियों को प्रति यात्री 75,000 अमरीकी डालर का मुआवजा दिया गया है, जबकि मृत भारतीय यात्रियों के निकटतम संबंधियों को दी जाने वाली मुआवजे की राशि सौदेबाजी और और बातचीत करके तय की जाएगी;

(घ) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या यह भेदभाव दूर किया जायेगा ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) एयर इंडिया ने विमान वहन अधिनियम, 1972 के अधीन मुआवजा देने के लिए "कनिष्क" दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों के परिवारों से मुआवजे के दावे आमंत्रित किये हैं।

(ख) विमान वहन अधिनियम, 1972 के अधीन देय मुआवजे को सीमा प्रति यात्री 20,000 अमरीकी डालर निर्धारित की गई है। तथापि, एयर-इंडिया सहित कुछ बड़ी एयरलाइनों ने यह सीमा बढ़ाकर 75,000 अमरीकी डालर तक कर दी है। प्रत्येक मामले में इस सीमा के अन्दर देय वास्तविक मुआवजे की राशि का निर्धारण दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति की आयु, अर्जन क्षमता, हैसियत और आश्रितों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, विमान वहन अधिनियम के अन्तर्गत परिभाषित परिवार के सदस्यों को हुई आर्थिक हानि का सामान्य नियमों और कानूनों के आधार पर अनुमान लगाकर किया जाएगा। कर्मीदल निगम की स्व-बीमा योजना के अधीन निम्नलिखित सीमा तक मुआवजे के पात्र हैं :

(i) कमांडर	2,25,000 रुपए
(ii) प्रथम अधिकारी	2,00,000 रुपए
(iii) फ्लाइट इंजीनियर	1,75,000 रुपए
(iv) कैबिन कर्मीदल	1,20,000 रुपए

ड्यूटी पर दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर कर्मीदल मूल वेतन से 60 गुना अतिरिक्त पाने का पात्र होता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है वह उनके कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित है। इस दुर्घटना में जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उनके अभिभावकों द्वारा दी गई जानकारी आधार पर मैं पूरक प्रश्न पूछ रहा हूं। मुझे अभिभावकों ने कम से कम तीन परिवारों जिनके पुत्र और पुत्रियां इस दुर्घटना में मारे गए, ने यह बताया है कि जब वे स्वयं प्रतिपूर्ति की राशि लेने के लिए अधिकारियों के पास गए तो उन्हें विदेशियों के अन्य बहुत से अभिभावकों से पता चला कि लगभग सभी मामलों में बिना अधिक छानबीन किए अधिकतम 75,000 डालर की राशि, उन सभी लोगों को दे दी गई, जो दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के वास्तविक सम्बन्धी थे। लेकिन जहां तक भारतीय नागरिकों का संबंध है, जब उन लोगों ने संपर्क किया तो उन्हें यह जवाब मिला,

> "प्रत्येक मामले में, इस सीमा में, देय प्रतिपूर्ति राशि की वास्तविक मात्रा का निर्धारण सामान्य कानून के अनुसार किया जाएगा जो विमान वहन अधिनियम आदि आदि के अनुसार परिवार को हुई आर्थिक हानि के आधार पर दिया जाएगा"

मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं क्या यह उन लोगों के मामले की निजी रूप में जांच करेंगे, जिन्होंने अधिकारियों को इस सम्बन्ध में पत्र लिखे हैं और मंत्रालय की जानकारी में यह बात लाई है कि ऐसा करना पक्षपातपूर्ण है, भारतीयों को एवं विदेशियों को प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान करते समय यह किया जा रहा है और अगर उन्हें यह पता चले कि पक्षपात बरता गया है तो क्या वह इस सभा के समक्ष अपने उत्तर में सुधार करेंगे और इस सभा को स्पष्ट रूप से यह आश्वासन देंगे कि जहां तक प्रतिपूर्ति राशि का संबंध है, भारतीय नागरिकों और विदेशियों में कोई फर्क नहीं किया जाएगा।

श्री जगदीश टाइटलर : मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि अब तक किसी भी विदेशी को किसी भी प्रकार की राशि का भुगतान नहीं किया गया क्योंकि ज्यादातर विदेशी नागरिक कृपाल आयोग के निष्कर्ष प्राप्त होने का इन्तजार कर रहे हैं। अब तक हमें 95 दावे प्राप्त हुए हैं और इनमें 36 निपटा दिए गए हैं और शेष 56 दावों पर बातचीत की जा रही है तथा जैसा कि मैंने बताया है, किसी भी विदेशी नागरिक को मुआवजा···

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आप उस आयोग का जिक्र कर रहे हैं जो इस दुर्घटना की जांच कर रहा है अथवा क्या आप दावा आयोग की बात कर रहे हैं ?

श्री जगदीश टाइटलर : दावा आयोग वाली कोई बात नहीं है। मैं इस दुर्घटना की जांच कर रहे आयोग का जिक्र कर रहा हूं। ज्यादातर विदेशी इसके निष्कर्षों का इन्तजार कर रहे हैं जिससे कि वह अपने न्यायालयों में जा सकें अथवा मुआवजे की अच्छी राशि की मांग कर सकें। इस प्रकार हमारे मंत्रालय में, आपने जिन-जिन बातों का उल्लेख किया है, उस पर आधारित एक भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। इसकी अपेक्षा, जिन लोगों की मृत्यु हुई है, हम उनके निकट

संबंधियों से संपर्क कर रहे हैं। जैसाकि मैंने बताया है, हमने 36 लोगों को भुगतान किया है तथा शेष के सम्बन्ध में कुछ समस्याएं थीं। हमें उनके निकट सम्बन्धियों से आवश्यक जानकारी नहीं मिल रही। हमें मृत व्यक्ति की सही आय का पता लगाना है। हम यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या परिवार का एक अथवा अधिक सदस्य यात्री की मृत्यु के समय, उस पर निर्भर करते थे।

अब मैं दावेदारों को बीमे से प्राप्त दावे की राशि को छोड़कर, दावों के स्वीकार होने के बारे में बताऊंगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मुझे स्वयं इस बात की बहुत चिंता है कि उन्हें अधिनियम के अन्तर्गत, कानून के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति की पूरी राशि का भुगतान किया जाए। मेरे मंत्रालय को, कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन, अगर आपको कोई शिकायत मिली है, तो आप मुझे दे दीजिए। मुझे इसमें बहुत खुशी होगी, मैं निजी रूप से उनकी जांच करूंगा और यह देखूंगा कि काम हो।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जहां तक दुर्घटना के कारणों की जांच कर रहे आयोग का संबंध है, उसका प्रतिपूर्ति राशि के दावों से कोई संबंध नहीं है। उदाहरण के लिए, जब रेल दुर्घटनाएं होती हैं अर्थात् जब दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन है, यह दूसरी बात है।

अध्यक्ष महोदय : वह यह बता रहे थे कि विदेशी नागरिक भी मुआवजे का इन्तजार कर रहे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं उनसे पूछना चाहता हूं, स्पष्टीकरण नहीं चाहता। मैं यह पूछना चाहता हूं क्या यह बात नहीं है कि जो आयोग दुर्घटना के कारणों की जांच कर रहा है, उसका मुआवजे की मात्रा से कोई सरोकार नहीं है? जहां तक मुआवजे की राशि की बात है, अगर किसी यात्री की मृत्यु हो जाती है तथा इसकी पुष्टि हो जाती है और आपको भी उसमें कोई शक नहीं है तो आयोग के कार्य के बारे में क्यों सोच रहे हैं, आयोग तो दुर्घटना के कारणों की जांच करेगा। जहां तक मुआवजे की राशि की बात है इसमें अगर कोई शर्तें हैं तो उनमें आप ढील दीजिए तथा जहां तक भारतीय नागरिकों का संबंध है, मैं उन कुछेक अभिभावकों के पत्र आपको देने को तैयार हूं। अगर आपको वह नहीं मिले हैं, जैसाकि आप कह रहे हैं, तो जिन लोगों ने यह शिकायतें की हैं, मैं उनके पत्र आपको देने को तैयार हूं अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो आप यह क्यों सोच रहे हैं कि उनकी मृत्यु के लिए कौन जिम्मेदार है।

श्री जगदीश टाइटलर : मैंने यह बिल्कुल नहीं कहा है कि आयोग के निष्कर्षों का प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान से किसी प्रकार का संबंध है। लेकिन विदेशों में कुछ वकीलों ने हमें इस बात की जानकारी दी है कि आयोग के निष्कर्ष के पश्चात् वह अधिक प्राप्त कर सकेंगे। हम तो सबके लिए तैयार हैं। हम किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं कह रहे हैं कि हम इसका इन्तजार कर रहे हैं। कनिष्क में जिन-जिन लोगों की मृत्यु हुई है, हम उन सबके संबंधियों से संपर्क कर रहे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : आप विदेशी विशेषज्ञों को यह क्यों नहीं स्पष्ट कर देते कि जहां तक मुआवजे की मात्रा की बात है, मृत्यु के कारणों से इसका कोई संबंध नहीं है। आप यह स्पष्ट क्यों नहीं कर देते? आपका विशेषज्ञ ज्ञान विदेशियों के विशेषज्ञ ज्ञात से अधिक महत्वपूर्ण होगी।

श्री जगदीश टाइटलर : मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमने यथासंभव उपाय किए

हैं। कनाड़ा में हमारे कार्यालय हैं। हमने लंदन में कक्ष स्थापित किए हैं और हमने सभी समाचार-पत्रों में एयर इंडिया द्वारा बीमा कंपनियों को भुगतान की गई राशि के विज्ञापन दिए हैं। हमने यथासंभव उपाय किए हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : केवल मुआवजे की राशि का भुगतान करने को है। बाकी सब कुछ कर दिया गया है।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : माननीय मंत्री ने दो बातों का उल्लेख किया है एक तो यह कि अब तक किसी भी विदेशी नागरिक को मुआवजे की किसी भी प्रकार की राशि का भुगतान नहीं किया गया। प्रश्न यह है कि भुगतान तो नहीं किया गया लेकिन क्या उसकी मंजूरी दे दी गई है। अतः मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या विदेशी नागरिकों को 75,000 डालर मुआवजे की राशि की मंजूरी दी गई है। दूसरे, उन्होंने 26 ऐसे भारतीय नागरिकों के आंकड़े दिए हैं जिन्हें मुआवजे की राशि मंजूर·····

श्री जगदीश टाइटलर : मैंने मंजूर शब्द का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया है·····

श्री सैयद शहाबुद्दीन : आपने कहा है कि 26 भारतीय नागरिकों को भुगतान किया अथवा मंजूर किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन 26 भारतीय नागरिकों को वास्तव में किस-किस मात्रा में मुआवजे की राशि का भुगतान किया गया है।

श्री जगदीश टाइटलर : 36 दावे निपटाए गए हैं न कि 26 और मुआवजे की कोई निर्धारित राशि नहीं दी गई। (**व्यवधान**) मैंने अभी कहा है·····

श्री सैयद शहाबुद्दीन : मैं आधार नहीं पूछ रहा। मैं वास्तविक राशि पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : यही वह कह रहे हैं। एक समान राशि नहीं है। अलग-अलग है।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : कितना दिया गया है। यह बताइए (**व्यवधान**)

श्री जगदीश टाइटलर : मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि दरों में भिन्नता संबद्ध व्यक्ति की आय अर्जन की क्षमता के कारण है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कुछ आंकड़े बताना चाहेंगे ?

श्री जगदीश टाइटलर : वह तो नहीं हैं लेकिन मैं आपको यह बता सकता हूं जब हम 75000 डालर के दावों का निपटान कर रहे थे तो इन लोगों में से तीन भारतीयों को मुआवजा दिया गया है।

चिकित्सा शिक्षा के स्तर में गिरावट

*461. **श्री डी० एन० रेड्डी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अन्धाधुन्ध प्राइवेट मेडिकल कालेज खुलने से चिकित्सा के स्तर में आई गिरावट के बारे में जानकारी है;

(ख) क्या सरकार चिकित्सा शिक्षा का उच्च और एक समान स्तर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से देश के सभी मेडिकल कालेजों को सम्बद्ध करके एक मेडिकल यूनिवर्सिटी खोलने के बारे विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, जिसे देश में चिकित्सा शिक्षा के समान न्यूनतम मानक बनाए रखने का दायित्व सांविधिक रूप से सौंपा गया है, चिकित्सा शिक्षा के निर्धारित स्तर बनाए रखने पर निगरानी रखती है और आवश्यक उपाय करती है।

(ख) और (ग) चिकित्सा शिक्षा समीक्षा समिति ने स्वास्थ्य विज्ञानों के विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की हैं ताकि आधुनिक एवं भिन्न-भिन्न भारतीय चिकित्सा पद्धतियों, नर्सों, फार्मासिस्टों आदि की शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थाओं के बीच ताल-मेल बिठाया जा सके। सरकार को इस बारे में अभी अन्तिम निर्णय लेना है।

श्री डी० एन० रेड्डी : क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि चिकित्सा के स्तर में गिरावट मुख्यत: प्रवेश के समय लिये जाने वाले प्रति व्यक्ति शुल्क के कारण है जो कि न केवल संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है बल्कि ये अमीरों और गरीबों के बीच नकारात्मक भेदभाव है ?

भारतीय चिकित्सा परिषद् के अध्यक्ष डा० सिन्हा यह कहते रहे हैं कि वे प्रवेश के समय लिए जाने वाले प्रति व्यक्ति शुल्क और बड़ी संख्या में चिकित्सा कालेजों के खोले जाने के विरुद्ध हैं; और उनकी यह बात रिकार्ड में है कि जब कभी चिकित्सा परिषद् ने इस संबंध में कोई उपाय करना चाहा है, अत्यधिक राजनीतिक दबाव के कारण वे ऐसा नहीं कर सके हैं।

श्री एस० कृष्ण कुमार : सरकार का यह दृढ़ विचार है कि प्रवेश के समय लिया जाने वाला प्रति व्यक्ति शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। सरकार राज्य सरकारों से यह कहने का भी प्रयत्न करती रही है इस व्यवस्था को समाप्त किया जाए। किन्तु अब हमने भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया है जिससे हम इस व्यवस्था को समाप्त कर सकेंगे। अभी तक हम अधिनियम में ऐसा कोई उपबंध न होने के कारण ऐसा नहीं कर सके हैं।

एक माननीय सदस्य : आप अधिनियम में संशोधन कीजिए, आपको ऐसा करने से कौन रोक रहा है ?

श्री डी० एन० रेड्डी : सरकार प्रवेश के समय लिए जाने वाले प्रति व्यक्ति शुल्क के सदा विरुद्ध रही है लेकिन केवल आंध्र प्रदेश सरकार ही ऐसी सरकार है जिसने स्वेच्छा से इस शुल्क को समाप्त किया है, जैसा कि तेलगु देशम द्वारा चुनाव के घोषणा-पत्र में वचन दिया गया था।

(व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स : पिछले एक दशक से केरल में प्रवेश के समय लिए जाने वाले प्रति व्यक्ति शुल्क के बारे में कोई व्यवस्था नहीं है···(**व्यवधान**)

श्री डी० एन० रेड्डी : आंध्र प्रदेश सरकार ही एक ऐसी सरकार है जिसने प्रवेश के समय

लिए जाने वाले प्रति व्यक्ति शुल्क प्रणाली को समाप्त कर दिया है (व्यवधान) ठीक है, मैं मानता हूं। (व्यवधान) मैं इसमें सुधार करता हूं । आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने तेलगु देशम चुनाव घोषणा-पत्र में किए गए वायदे के अनुसार इस शुल्क को समाप्त कर दिया है। क्या अब सरकार एक ऐसे चिकित्सा विश्वविद्यालय खोले जाने पर विचार करेगी जिससे सारे चिकित्सा कालेज संबद्ध होंगे और जो केवल गुणावगुणों के एक आधार पर समान स्तर और शिक्षा पाठ्यक्रम निर्धारित करेगी।

श्री एस० कृष्ण कुमार : डा० एस० जे० मेहता की अध्यक्षता में गठित चिकित्सा शिक्षा पुनरीक्षा समिति ने यह सिफारिश की है कि इस देश में पहले राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वास्थ्य सेवाओं संबंधी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए और बाद में राज्य स्तर पर चिकित्सा और स्वास्थ्य शिक्षा और प्रशिक्षण के सभी पहलुओं को एक-सा बनाया जाए। सरकार द्वारा गठित एक शक्ति प्राप्त समिति ने भी इस सिफारिश का समर्थन किया है। सरकार इस मामले की जांच करेगी और इस बारे में शीघ्र कोई निर्णय लेगी।

श्री डी० एन० रेड्डी : यह प्रति व्यक्ति शुल्क कभी-कभी 3½ लाख रुपये तक लिया जा जा रहा है। इस प्रणाली की कोई सीमा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप पूरक प्रश्न पूछिए।

श्री डी० एन० रेड्डी : क्या मंत्री महोदय को प्रति व्यक्ति शुल्क प्रणाली की जानकारी है। कभी-कभी यह 3½ लाख रुपये तक ली जाती है। (व्यवधान) यहां तक कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए भी वह केपीटेशन फीस ले रहे हैं।

श्री एस० कृष्ण कुमार : यद्यपि इस संबंध में हमारे पास कोई रिकार्ड अथवा सरकारी जानकारी नहीं है लेकिन हमें यह मालूम है कि देश में लगभ 17 कालेजों में यह शुल्क लिया जा रहा है। मैंने पहले ही बताया है कि सरकार इस प्रणाली का बिल्कुल समर्थन नहीं करती और एक संशोधित विधान द्वारा इसे समाप्त करने की कोशिश कर रही है।

कुमारी ममता बनर्जी : क्या सरकार का चिकित्सा शिक्षा के संबंध में कोटा प्रणाली समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है क्योंकि इसमें भेदभाव बरता जा रहा है। योग्य उम्मीदवारों को अवसर नहीं मिल रहा। मुझे निजी रूप से पश्चिम बंगाल में एक ऐसे मामले··· (व्यवधान) यह लोग जाधवपुर विश्वविद्यालय से इस कोटा प्रणाली को समाप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन चिकित्सा विश्वविद्यालय में कोटा प्रणाली है (व्यवधान) क्या मैं यह जान सकती हूं कि क्या सरकार इस प्रणाली को समाप्त करेगी·····

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

नेपाल और भारत द्वारा जल संसाधनों के उपयोग संबंधी स्थायी संयुक्त आयोग

*451. **श्री हरीश रावत** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल के साथ एक स्थायी संयुक्त आयोग गठित करने का कोई प्रस्ताव है जो

जल संसाधनों के उपयोग के लिए संयुक्त योजनाएं तैयार करेगा; और

(ख) यदि नहीं, तो इस प्रकार की परियोजनाओं का पता लगाने के लिए, जिनके अनुसंधान/सर्वेक्षण और निर्माण कार्य में नेपाल सरकार के सक्रिय सहयोग की जरूरत है, क्या नये कदम उठाने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जल संसाधनों के विकास सहित भारत-नेपाल सहयोग के सभी विषयों पर कार्रवाई के लिये भारत-नेपाल संयुक्त आयोग स्थापित करने के प्रस्ताव पर दोनों देशों के बीच विचार-विमर्श चल रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

कावेरी जल विवाद पर वार्ता

*453. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कावेरी जल विवाद के समझौते के लिए 23 नवम्बर, 1985 को कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच वार्ता हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई अन्तिम निर्णय किया गया है; और

(ग) विलम्ब के मुख्य कारण क्या हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) कर्नाटक तथा तमिलनाडु के मुख्य मंत्रियों के बीच कावेरी जल विवाद के संबंध में 23 नवम्बर, 1985 को बातचीत हुई थी तथा यह पता चला है कि वे पुनः मिलने के लिए सहमत हुए हैं।

पश्चिम बंगाल में रहने वाले उपक्रमों में सुरक्षा अधिकारी

*454. **श्री देवी घोषाल** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में रेलवे के कुछ प्रमुख उपक्रमों को यह कहा गया है कि वे कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 40-ख का अनुपालन करें तथा सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति करें;

(ख) यदि हां, तो ऐसे उपक्रमों के नाम क्या हैं तथा इनमें कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ग) इन उपक्रमों को किस तारीख तक सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करने थे; और

(घ) उन उपक्रमों के नाम क्या हैं, जिन्होंने अभी तक सुरक्षा अधिकारी नियुक्त नहीं किए हैं तथा इसके क्या कारण हैं; और क्या कदम उठाए गये हैं/उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) पश्चिम बंगाल कारखाना (संरक्षा अधिकारी) नियम, 1978 को 19.7.1978 को अधिसूचित किया गया था और वे तत्काल लागू हो गये थे।

(घ) इनमें से प्रत्येक कारखाने में अपेक्षित संख्या में संरक्षा अधिकारी पहले ही तैनात किये जा चुके हैं।

विवरण

(ख) पश्चिम बंगाल में स्थित उन रेलवे कारखानों के नाम जिन्हें संरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित कारखाना अधिनियम की धारा 40-ख की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए कहा गया है तथा उनमें नियोजित कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :

रेलवे	कारखाने का नाम	नियोजित कर्मचारियों की संख्या
पूर्व	लिलुआ कारखाना	11875
	कंचरापाड़ा कारखाना	13077
दक्षिण पूर्व	खड़गपुर कारखाना	9960
चि० रे० कारखाना		8459

[हिन्दी]

रेल सुविधाओं और उपकरणों के विनिमय के बारे में विदेशों के साथ करार

*457. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिनके साथ भारत सरकार ने रेल सुविधाओं और उपकरणों तथा प्रौद्योगिक जानकारी के विनिमय के बारे में करार किए हैं;

(ख) भारत की उक्त करारों के परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा की आय हो रही है;

(ग) क्या भारत सरकार विदेशों से रेल इंजनों और संचार उपकरणों का आयात कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) चल स्टाक तथा अन्य रेल उपस्करों के निर्माण के लिए सुविधाएं प्राप्त करने हेतु अधिकांश तकनीकी सहयोग करार मुख्यत: जापान, स्विटरजरलैण्ड, इंगलैण्ड, अमरीका, फ्रांस तथा पश्चिम जर्मनी के साथ किए गए थे। भारतीय रेलों ने अभी तक लगभग 45 करोड़ रुपये मूल्य के सवारी डिब्बों तथा रेल इंजनों का निर्यात भी किया है।

(ग) और (घ) रेलें रेल इंजनों का आयात नहीं कर रही हैं, लेकिन प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने के लिए हाल में अधिक अश्वशक्ति वाले 18 प्रोटोटाइप बिजली इंजनों के लिए आर्डर दिए गए हैं। कुछ देशों से कतिपय दूर-संचार उपस्करों का आयात भी किया जा रहा है।

[अनुवाद]

आम लोगों के लिए जीवन रक्षक औषधियों की अनुपलब्धता

*459. **श्री आर० एम० भोये** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ऐसे बहुत से गांव और अन्य पिछड़े क्षेत्र हैं, जहां जीवन रक्षक औषधियां आम लोगों को उपलब्ध नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस मामले में कोई ठोस कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में ये दवाइयां लाइसेंस शुदाखुदरा व्यापारियों और सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के माध्यम से उपलब्ध की जाती हैं।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों की, जिनमें पिछड़े हुए क्षेत्र भी शामिल हैं, जरूरतों को पूरा करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के आधारभूत ढांचे का तेजी से विस्तार किया जा रहा है।

दिल्ली और गोहाटी के बीच राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी

*462. **श्रीमती डी० के० भण्डारी** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और गोहाटी के बीच राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) राजधानी एक्सप्रेस जैसी गाड़ी चलाने के लिए विशेष किस्म के अधिक रफ्तार वाले अतिरिक्त सवारी डिब्बों की जरूरत होगी जो इस समय रेलों के पास नहीं हैं। अधिक रफ्तार से गाड़ी चलाने की अनुमति देने के लिए रेलपथ का उन्नयन करना भी अपेक्षित होगा।

टोरंटो हवाई अड्डे का दौरा करने के लिए एयर इण्डिया के अधिकारियों को अनुमति न दी जाना

*463. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाड़ा सरकार और एयर कनाड़ा ने एयर इण्डिया के अधिकारियों को कनिष्क दुर्घटना के मामले के संबंध में टोरंटो हवाई अड्डे के परिसर का दौरा और निरीक्षण करने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो कनाड़ा सरकार ने यह अनुमति न देने के कोई कारण बताए हैं ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) एयर

इण्डिया दल को उसके वकील सहित 5 नवम्बर, 1985 को टोरन्टो की यात्रा के दौरान कनाड़ा परिवहन द्वारा विमान क्षेत्र परिसर का निरीक्षण करने की अनुमति नहीं दी गई थी। दल को यह बताया गया था कि कानूनी सलाह के आधार पर अनुमति नहीं दी गई है। बाद में दिल्ली में 26 नवम्बर, 1985 को जांच न्यायालय की सुनवाई के दौरान, कनाडा सरकार के वकील ने एयर इण्डिया और अन्य पक्षों को टोरन्टो विमान क्षेत्र परिसर का दौरा तथा निरीक्षण करने के लिए आमंत्रित किया। एयर इंडिया ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।

मंगलौर और बम्बई के बीच सीधी रेल सेवा

*464. **श्री आई० रामा राय** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का इस समय गैर-सरकारी पर्यटक बसो का इस्तेमाल करने वाले बड़ी संख्या में यात्रियों की सुविधा के लिए मंगलौर और बम्बई के बीच, बरास्ता मंगलौर-हसन-मिएज मीटर गेज लाइन एक सीधी रेल सेवा आरम्भ करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसे आरम्भ करने के मार्ग में क्या बाधाएं आ रही हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) इस तरह की कोई गाड़ी लोकप्रिय होने की सम्भावना नहीं है क्योंकि इसमें यानान्तरण तथा घाट खंडों पर, जहां रात्रि में गाड़ी चलाने की अनुमति भी नहीं है, धीमी रफ्तार की समस्याएं आयेंगी।

[हिन्दी]

रेलवे में "डीप स्क्रीनिंग" कार्य

*465. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे पहले रेलगाड़ियों में "डीप स्क्रीनिंग" का कार्य स्वयं करती थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि अब इस कार्य का ठेका गैर- सरकारी ठेकेदारों को दे दिया गया है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ठेकेदारों द्वारा "स्क्रीनिंग" कार्य निम्न स्तर का किए जाने के परिणामस्वरूप रेल दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए इस कार्य को पुनः रेलवे द्वारा कराने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां। रेलपथों की गहन जांच विभागीय श्रमिकों से करायी जाती है।

(ख) जहां रेलों पर उपलब्ध मौजूदा श्रमिक इस कार्य भार को सम्हालने में समर्थ नहीं होते, वहां यह ठेके पर कराया जाता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) संरक्षा तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए रेल कर्मचारियों द्वारा कार्य का पर्याप्त रूप से पर्यवेक्षण किया जाता है।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश को सिंचाई के लिए छठी योजना में धनराशि का नियतन

*466. **श्री अजय मुशरान** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना के दौरान मध्य प्रदेश को सिंचाई के लिए कितनी धनराशि का नियतन किया गया है और वास्तव में कितनी धनराशि व्यय हुई;

(ख) क्या सरकार सातवीं योजना में मध्य प्रदेश के लिए किसी बड़ी सिंचाई योजना पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश की मध्यम और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक ऋण सहायता प्रदान की गई है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) छठी योजना में सिंचाई सेक्टर के लिए अनुमोदित परिव्यय 1047.75 करोड़ रुपए था जबकि सम्भावित व्यय लगभग 945 करोड़ रुपए है।

(ख) और (ग) यद्यपि सातवीं योजना में 24 निर्माणाधीन बृहद सिंचाई योजनाएं जारी रखी जानी हैं तथापि सातवीं योजना में अनुमोदित राज्य योजना परिव्यय और परिकल्पित प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों द्वारा नई परियोजनाओं पर विचार किया जाना है।

(घ) जी, हां। सातवीं योजना में दो ऋण करारों के तहत मध्य प्रदेश की बृहद तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए लगभग 265 मिलियन अमेरिकी डालर की विश्व बैंक सहायता उपलब्ध है।

भारत और बंगलादेश द्वारा गंगा जल का बंटवारा

*467. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या **जल संसाधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बंगलादेश के बीच आगामी तीन वर्षों के लिये फरक्का के गंगा जल के बंटवारे के बारे में समझौता हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) दोनों देशों के सांझे उपलब्ध जल संसाधनों का दोनों पक्षों के विशेषज्ञों द्वारा एक संयुक्त अध्ययन करने का भारत और बंगलादेश ने निर्णय किया है ताकि पारस्परिक लाभ के लिए संसाधनों के बंटवारे हेतु विकल्पों का पता लगाया जा सके जिसमें फरक्का पर गंगा के प्रवाह में वृद्धि करने के लिए दीर्घकालिक स्कीम/स्कीमें बनाना तथा 1982 के समझौता ज्ञापन के अनुसार उन्हीं शर्तों पर अगले तीन शुल्क मौसमों के लिए फरक्का पर उपलब्ध गंगा के जल का बंटवारा करना शामिल है।

परिवार नियोजन के लिए प्रोत्साहन

*468. **श्री दिग्विजय सिंह :**
श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राजवाडियर :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवार नियोजन उपायों की और अधिक प्रभावी बनाने के लिये वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान क्या-क्या नए प्रोत्साहन दिए जाने का विचार है; और

(ख) इन प्रोत्साहनों के दिये जाने पर कितनी धनराशि व्यय होगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिये प्रोत्साहनों की किसी नई योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

इंडियन एयरलाइन्स को अतिरिक्त विमानों की आवश्यकता

*469. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को कितने अतिरिक्त विमानों की आवश्यकता है;

(ख) अतिरिक्त विमान खरीदने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) किन-किन देशों से अतिरिक्त विमान खरीदने का विचार है और उनकी लागत क्या होगी ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) 10.1 प्रतिशत प्रति-वर्ष की संभावित वृद्धि दर पर, इंडियन एयरलाइन्स को 1991 तक 31 एयरबस ए-320 विमानों के समकक्ष क्षमता की आवश्यकता होगी।

(ख) सरकार के अनुमोदन से, इंडियन एयरलाइन्स ने अन्य 12 विमानों के विकल्प के साथ निश्चित आधार पर 19 एयरबस ए-320 विमान प्राप्त करने के लिए मैसर्स एयरबस इंडस्ट्रीज को एक आशय-पत्र दिया है।

(ग) एयरबस ए-320 विमान, मैसर्स एयरबस इंडस्ट्रीज से प्राप्त किये जाने का प्रस्ताव है, जो फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और स्पैन सरकारों का एक संयुक्त उद्योग है। 19 एयरबस ए-320 विमान प्राप्त करने की परियोजना लागत 1238.37 करोड़ रुपए है।

[अनुवाद]

"मर्सी किलिंग" दयाभूत प्राणान्त को मान्यता देने वाले देश

4640. **श्री बुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : **क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन देशों ने मर्सी "किलिंग" (दयाभूत प्राणान्त) को मान्यता दे दी है;

(ख) इन देशों ने दयाभूत प्राणान्त के लिए किन परिस्थितियों को उचित माना है; और

(ग) क्या हमारी सरकार ने किन्हीं परिस्थितियों में दयाभूत प्राणान्त को मान्यता देने पर विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि किन देशों ने "मर्सी किलिंग" को मान्यता दे दी है। किसी भी परिस्थिति में "मर्सी किलिंग" को मान्यता देने या न देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में एयर इंडिया के नये वायु-मार्ग

4641. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नये वायु मार्गों पर विमान चलाने के प्रस्ताव क्या हैं; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) वर्तमान में, एयर इंडिया का सातवीं योजना के दौरान, किसी नए मार्ग पर प्रचालन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

हैजे के मामलों में वृद्धि

4642. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों में हैजे के मामलों में तीव्र वृद्धि हुई है और इस रोग से अनेक व्यक्ति मर गये हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में कोई कार्यवाही की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार कुछेक राज्यों में हैजे की घटनाओं में वृद्धि हुई है। 23-11-1985 तक हैजे के रोगियों तथा इससे हुई मौतों की अनन्तिम संख्या क्रमशः 3965 और 106 सूचित की गई है।

देश में हैजे तथा दूसरे अतिसार वाले रोगों से निपटने के लिए अतिसार रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें निम्नलिखित उपाय बरते जा रहे हैं :—

1. अतिसार रोग पर नियन्त्रण पाने के लिए उप-केन्द्रों और ग्राम स्वास्थ्य गाइडों को प्रतिवर्ष क्रमशः 200 और 100 पैकेटों की दर से ओरल रिहाइड्रेशन नमक सप्लाई किया जा रहा है।

2. अतिसार की रोकथाम और ओरल रिहाइड्रेशन थेरापी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न भाषाओं में 11 लाख बुकलेट छपवाये गये हैं।

3. राज्य, जिला और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर के चिकित्सा और अर्ध-चिकित्सा कार्यकर्ताओं को ओरल रिहाइड्रेशन थेरापी में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

बल्क कैरियर पोतों के निर्माण के लिए आर्डर

4643. **श्री तम्पन थामस** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बल्क कैरियर पोतों के निर्माण के लिए एक जापानी फर्म की निविदाएं स्वीकार कर ली हैं;

(ख) यदि हां, तो यह आर्डर कितने रुपए मूल्य का है;

(ग) क्या गत दो वर्षों के दौरान कोचीन शिपयार्ड को बल्क कैरियर बनाने के कोई आर्डर दिए गए थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) तमिलनाडु सरकार के सार्वजनिक उपक्रम मूम्पुहार शिपिंग कारपोरेशन को हाल ही में 4610 मिलियन जापानी येन की कीमत पर हिताची शिपबिल्डिंग एण्ड इंजीनियरिंग लि०, जापान में निर्मित होने वाले दो बल्क कैरियर खरीदने की अनुमति दी गई है।

(ग) नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली

4644. **श्री कमल नाथ** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय (67) टूटे-फूटे मकान में और अस्वच्छ वातावरण में कार्य कर रहा है और उपलब्ध आवास आवश्यकताओं की तुलना में बहुत ही अपर्याप्त है; और

(ख) यदि हां, तो बहुत ही सुविधाजनक स्थान पर औषधालय के नये भवन के निर्माण के लिये भूमि देने के निर्माण बिहार आवास समिति के प्रस्ताव को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) लक्ष्मी नगर स्थित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय सं० 67 एक किराए के मकान में है जो विशिष्ट रूप से औषधालय के लिए नहीं बना हुआ है। इस औषधालय के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा एक प्लाट पहले ही आबंटित किया जा चुका है और शीघ्र ही भवन निर्माण का कार्य आरम्भ किया जाएगा । इस बात को देखते हुए निर्माण बिहार आवासीय सोसाइटी द्वारा की गई पेशकश को स्वीकार करना आवश्यक नहीं समझा गया ।

निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत मध्य प्रदेश की भूमि जलमग्न होना

4645. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की सीमा पर मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पड़ोसी राज्यों द्वारा निर्माणाधीन परियोजनाओं, जिनके बारे में कोई समझौता नहीं हुआ है, के कारण किन-किन बड़ी अथवा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में मध्य प्रदेश का भू-भाग जलमग्न हो गया है अथवा होने की संभावना है;

(ख) ऐसी प्रत्येक परियोजना में कितनी और किस श्रेणी की भूमि जलमग्न हो रही है; और

(ग) क्या प्रत्येक मामले में सम्बन्धित राज्यों द्वारा पर्याप्त मुआवजा दिया गया है अथवा दिये जाने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) राजस्थान द्वारा माही बजाजसागर बांध के निर्माण के कारण मध्य प्रदेश में 622 हेक्टेयर क्षेत्र के जल मग्न होने की संभावना है। जल मग्न होने वाली भूमि के वर्गीकरण का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। राजस्थान सरकार ने 84.6 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए मध्य प्रदेश सरकार को मुआवजे के रूप में 17.74 रुपए की राशि का पहले ही भुगतान कर दिया है। शेष भूमि के लिए मुआवजे के भुगतान का मामला दोनों राज्य सरकारों के बीच निपटाए जाने का प्रस्ताव है।

उड़ीसा में बहु-उद्देश्यीय सिंचाई परियोजनाएं

4646. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उड़ीसा की उन बड़ी मध्यम और बहुउद्देश्यीय सिंचाई

परियोजनाओं पर विचार किया है जिन्हें सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में निष्पादित करने हेतु योजना आयोग ने मन्जूरी दी है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजनाओं के निष्पादन हेतु निर्धारित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) सातवीं योजना के दौरान उड़ीसा में बृहद, मध्यम तथा बहुप्रयोजनी परियोजनाओं के लिए 550 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है।

उत्तर प्रदेश में अन्तर्राज्य अथवा आर्थिक महत्व के मार्ग और पुल

4647. **श्री अख्तर हसन** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने अन्तर्राज्य अथवा आर्थिक महत्व के विशेष रूप से मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और सहारनपुर जिलों में मार्ग और पुल परियोजनाओं पर शीघ्र काम शुरू करने हेतु शीघ्र धनराशि मंजूर करने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी परियोजनायें शुरू की जायेंगी और कितनी धनराशि के लिए अनुरोध किया है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त विकास कार्यों की शीघ्र क्रियान्विति के लिए आबंटित धनराशि मंजूर करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) जिन कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने धन के आबंटन का अनुरोध किया है उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इस विवरण के क्रम सं० 7 पर उल्लिखित कार्य अनुमोदित कार्यक्रम में बिल्कुल ही शामिल नहीं हैं। क्रम सं० 1 और क्रम सं० 2 पर उल्लिखित कार्यों को पहले ही संस्वीकृति कर दिया गया है और शेष कार्यों के लिए अनुमानों/तकनीकी विवरणों के बारे में राज्य सरकार के साथ पत्राचार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) इस स्कीम के तहत राज्य सरकारों को केवल संस्वीकृत कार्यों के लिए, अलग-अलग कार्यों के लिए नहीं, बल्कि एकमुश्त धन दिया जाता है। धन का प्रावधान करने के पहले राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई आवश्यकताओं और इस स्कीम के तहत धन की उपलब्धता पर विचार किया जाता है। वर्ष 1985-86 के दौरान, उत्तर प्रदेश सरकार को 65 लाख रुपये की धनराशि आबंटित की गई है। वर्ष की शेष अवधि के दौरान कुछ और धन के आबंटन की संभावना है।

विवरण

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	कार्य के नाम	अनुमानित लागत	1985-86 के लिए धन की आवश्यकता
1	2	3	4
1.	नाना मऊ में गंगा पुल	732.00	300.00

1	2	3	4
2.	बागपत के समीप यमुना पुल	387.00	150.00
3.	बलिया जिला में घाघरा नदी पर माझी घाट पुल	450.00	200.00
4.	रायबरेली जिला में खड़ौली बाबू गंज-सूची सड़क का निर्माण	39.01	19.50
5.	बांदा-फतेहपुर सड़क पर यमुना नदी के ऊपर पुल का निर्माण	351.09	175.50
6.	बिझनौर-मुज्जफर नगर (बिझनौर की ओर से पहुच मार्ग सहित) सड़क पर गंगा नदी पर दारानगर के समीप पुल का निर्माण	185.19	92.51
7.	उपरोक्त पुल के लिए मुजफ्फरनगर की ओर से पहुंच मार्ग का निर्माण	185.65	92.80
8.	रामपुर जिला में रामगंगा नदी के ऊपर पुल का निर्माण	342.00	171.00
	कुल	2671.94	1201.31

शारीरिक रूप से अपंग और विकलांगों की सेवा के लिए सेवा समिति, पश्चिम बंगाल की अपील

4648. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शारीरिक रूप से अपंग और विकलांगों की सेवा के लिये सेवा समिति, पश्चिम बंगाल ने सरकार से विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता सहित सहयोग और सहायता के बारे में अपनी परियोजना पर विचार करने हेतु पुन: अपील की है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने परियोजना को देखे बिना और इस आधार पर कि यह राष्ट्रीय कार्यक्रम के अनुरूप नहीं है, उनके अनुरोध को पहले ही अस्वीकार कर दिया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और प्रस्ताव की जांच करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ताकि समिति राष्ट्रीय उद्देश्य के अपने मिशन में आगे बढ़ सके ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन से अनुदान लेने के लिए शारीरिक रूप से अपंग और विकलांगों की सेवा के लिए

सेवा समिति, पश्चिम बंगाल से एक अनुरोध प्राप्त हुआ था। चूंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता परियोजना चलाने के लिए होती है तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन परियोजनाओं के अधीन चल रहे कार्यकलाप राष्ट्रीय कार्यक्रमों से संबंधित हैं, इसलिए सोसाइटी के अनुरोध पर सिफारिश नहीं की गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन सहयोग का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों को इस काबिल बनाना है कि वे "सबके लिए स्वास्थ्य" सम्बन्धी सामाजिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। 1986-87 के दो वर्षों में विश्व स्वास्थ्य संगठन सहयोग के अन्तर्गत मुख्य बल इन बातों पर दिया जाएगा— (I) सार्वभौमिक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के उद्देश्य को लेकर स्वास्थ्य सम्बन्धी आधारभूत ढांचे को और आगे विकसित करना, (II) स्वास्थ्य सेवाओं के विभिन्न स्तरों पर यथाप्रयोज्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास के लिए प्रबन्धकीय प्रक्रियाओं के सिद्धांत को लागू करना, (III) ऐसी स्वास्थ्य जनशक्ति विकास नीतियां तथा कार्यक्रम तैयार करना और उन्हें चलाना जो स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुकूल हों, (IV) ठोस जानपदिक रोग विज्ञान पर आधारित स्वास्थ्य स्थिति और प्रवृति विश्लेषण की प्रक्रियाओं का एकीकरण, (V) इन्टरनेशनल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एण्ड सेनिटेशन डिकेड के सहयोग से आवश्यकता आधारित कार्यक्रम चलाना, जिससे दोनों घटकों का संतुलन बना रहे, (VI) प्रमुख संचारी रोगों आदि पर काबू पाने की दिशा में लागत-सार्थक (कास्ट-इफेक्टिन) तथा उपयुक्त टेक्नालाजी लागू करना।

शारीरिक रूप से अपंग तथा विकलांगों की सेवा के लिए सेवा समिति, पश्चिम बंगाल ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता के लिए उनके प्रस्ताव पर द्वारा विचार करने के लिए इस मंत्रालय से फिर से अनुरोध किया है। इस अनुरोध पर इस मंत्रालय में फिर से विचार किया गया है और इसे स्वीकार नहीं किया गया है।

आयुर्वेदिक और एलोपैथिक औषधियों की स्थानीय खरीद के लिए नियम

4649. **श्री एस० एम० भट्टम** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुर्वेदिक और एलोपैथिक औषधियों की स्थानीय खरीद के लिए इस समय दो प्रकार के नियम हैं, एक तो फिजिशियन/शल्य चिकित्सकों द्वारा लिखी गई औषधियों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की डिस्पेंसरियों द्वारा नियुक्त एजेंन्टों से और सुपर बाजार से खरीदने की और दूसरे उनकी अनुपलब्धता पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों द्वारा सीधी खरीदकर, जिसकी बाद में प्रतिपूर्ति की जाती है;

(ख) यदि हां, तो उक्त भेदभाव के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि सी० जी० एच० एस० आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियां नुस्खों पर "अनुपलब्धता" नहीं लिखती हैं और स्थानीय खरीद के ऐसे मामलों में प्रतिपूर्ति की अनुमति नहीं होती है; और

(घ) सरकार का इस असंगत स्थिति को दूर करने और आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियों द्वारा सी० जी० एच० एस० लाभार्थियों को हो रही अनावश्यक कठिनाई से बचाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आयुर्वेदिक औषधियों की स्थानीय खरीद औषधि विशेष की "अनुपलब्धता" के आधार पर की जाती है। इसके लिए नियमों के अनुसार प्रतिपूर्ति करने की अनुमति है।

(घ) उपर्युक्त को देखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा अन्य भाषाओं में अनुदित बंगला भाषा की पुस्तकें

4650. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा बंगला भाषा की पुस्तकों का अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है; और

(ख) मूल पुस्तकों के लेखक कौन हैं और वे किन भाषाओं में प्रकाशित की गई हैं ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) श्री ए० के० मुखर्जी द्वारा संकलित एक पुस्तक, जिसमें 21 बंगाली की लघु कहानियां हैं, का राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने हिन्दी, मलयालम तथा तेलगु में अनुवाद किया है। इस पुस्तक में सम्मिलित मूल कहानियों के लेखकों के नाम निम्नलिखित हैं :

कहानी	लेखक
1	2
(1) गाच	ज्योतिन्द्र नन्दी
(2) बच्चा जन्या	प्रफुल्ल राय
(3) वोटर सावी त्रिवाले	बलाय चन्द्र मुखर्जी (बनफूल)
(4) तोशेर घरेर मोती	सैयद मुस्तफा सीराज
(5) शेष कथा	ताराशंकर बैनर्जी
(6) बन्धुर जन्या भूमिकर	बिमलकार
(7) छोटी कथा	सन्तोष कुमार घोष
(8) सीमारेखर सीमा	आशापूरना देवी
(9) खरे	सुनील गंगोपाध्याय
(10) भारतवर्ष	रामा पादा चौधरी
(11) मनोनी परीक्षक समीसासू	नारायन गंगोपाध्याय
(12) शेषभिकालीर दूती मुख	[मोती नन्दी]
(13) निरूद्देश्य	प्रमेन्द्र मित्रा
(14) एकती प्रेमर गाल्पा	नरेन्द्र नाथ मित्रा
(15) देश	भूतनाथ भादूरी (सतीनाथ भादूरी)

1	2
(16) सारंग	अचिन्तय कुमार सेनगुप्त
(17) रानी पसन्द	आनन्द शंकर राय
(18) ठगनी	सुबोध घोष
(19) प्राण पिपाशा	सरमरेश बासू
(20) अमाके देखन	सीरशेन्दू मुखर्जी
(21) पचतभूमी	देबेश राय

आयुर्वेदिक औषधियों की स्थानीय खरीद के मानदण्ड

4651. **श्री दौलत सिंह जी जदेजा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की आयुर्वेदिक शाखा में विशेषज्ञों द्वारा निर्देशित और "मेडिकल स्टोर डिपो" के पास अनुपलब्ध औषधियों की स्थानीय खरीद के लिये क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है और यह एलोपैथी शाखा के विशेषकर अनुपलब्धता के मामले में प्रतिपूर्ति के रूप में किस प्रकार भिन्न है;

(ख) क्या इस समय केवल कुछ ही एजेंटों के माध्यम से जो न केवल विलम्ब से सप्लाई करते हैं वरन कई बार घटिया और सस्ते उत्पाद की सप्लाई करते हैं, यह खरीद की जाती है;

(ग) इन सप्लायरों का चयन करने के क्या मानदण्ड हैं;

(घ) क्या यह सप्लाईकर्ता उन औषधियों की सप्लाई नहीं करते हैं जिनका उनके पास भंडार नहीं होता है क्योंकि उनमें उन्हें विशेष लाभ नहीं होता वरन केवल उन्हीं औषधियों की सप्लाई करते हैं जो बाजार में उपलब्ध होती हैं; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वर्तमान प्रक्रिया को सुधारने और इसे एलोपैथिक शाखा के ही समान करने का है ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) ऐसी औषधियां जो आयुर्वेदिक और एलोपैथिक सी० जी० एच० एस० मेडिकल स्टोरों में उपलब्ध नहीं हैं, वे योजना के अन्तर्गत प्राधिकृत केमिस्टों से खरीदी जा सकती हैं। आयुर्वेदिक औषधियों की प्रतिपूर्ति के लिए वही प्रक्रिया है जो एलोपेथिक औषधियों के लिए है।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत केवल चुने हुए प्रसिद्ध केमिस्टों को ही मान्यता दी जाती है। विलम्ब से सप्लाई किए जाने के कुछ मामले ध्यान में आए थे लेकिन घटिया औषधियों का अभी तक कोई मामला ध्यान में नहीं आया।

(ग) केमिस्टों की नियुक्ति खुले विज्ञापन के माध्यम से उनके द्वारा औषधि सप्लाई कर सकने की क्षमता से सन्तुष्ट होने के बाद ही की जाती है।

(घ) और (ङ) ऐसा कोई मामला ध्यान में नहीं आया है और इसलिए मौजूदा प्रक्रिया में परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

सिनेरेरिया मरटिमा सकसियस (होम्योपैथिक दवा) की कमी

4652. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंख की बीमारियों में प्रयोग की जाने वाली होम्योपैथिक औषधि सिनेरेरिया मरटिमा सकसियस की कमी है;

(ख) बाजार में उपलब्ध बान्डों का नाम क्या हैं और उनके तुलनात्मक मूल्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त औषधि को उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराये जाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ग) सिनेरेरिया मरटिमा सकसियस की कोई कमी नहीं है ।

(ख) बाजार में 8 रुपये प्रति 8 मि० लि० बोतल से 18 रुपये प्रति 8 मि० लि० बोतल तक की अलग-अलग कीमत के अनेक ब्रान्ड उपलब्ध हैं, बताए गए हैं।

ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग के माध्यम से फार्मेसी स्नातकों का प्रवेश

4653. **श्री जगन्नाथ प्रसाद** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फार्मेसी स्नातकों की फरवरी, 1986 में होने वाला "ग्रेजुएट एप्टीटयूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (ग्रेड-86) नामक प्रवेश परीक्षा में ऐसे विषयों की भी परीक्षा देनी पड़ेगी जिन्हें उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं;

(ख) यदि हां, तो क्या देश के विभिन्न फार्मास्यूटिकल संस्थानों ने इस सम्बन्ध में अपनी समस्या के बारे में अभ्यावेदन किया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का पुनर्विचार कर इस समस्या का समाधान करने का विचार है ताकि फार्मेसी स्नातकों की किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए प्रस्ताव

4654. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य सरकार ने उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए कुछ प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने उन प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है और यदि हां, तो उनके लिए आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) अब तक 45 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । इनमें से 20 कार्यों को पहले ही अनुमोदित किया गया है । शेष कार्यों की जांच की जा रही है, जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है । चालू वर्ष के दौरान उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों के लिए 7.70 करोड़ रुपए आबंटित किये गये हैं जिनमें ये कार्य भी शामिल हैं ।

विवरण

क्र० सं०	कार्य के नाम	रा० रा० सं०	अनुमानित लागत (लाख रुपए में)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
1.	कि० मी० 43.11 से 46.11 तक भूमि अधिग्रहण	23	6.34	**संस्वीकृत** ए० ए० 023 ओ० आर० 85009 दिनांक 18.9.85
2.	किलोमीटर 54.58 से 58.64 तक भूमि अधिग्रहण	23	8.70	**संस्वीकृत** ए० ए०/023/ओ० आर/ 85/014 दिनांक 28.10.85
3.	अन्देरी पुल पहुंच मार्गों के लिए भूमि अधिग्रहण	23	1.90	**संस्वीकृत** ए० ए०/023/ओ० आर०/ 85/006 दिनांक 29.10.85
4.	कि० मी० 168.84 से 180 और 249.0 से 253/2 तक भिन्न श्रेणी के खण्ड का आधार (1) कि० मी० 249.0 से 253/2 **मजबूत करने के साथ-साथ दो लेनों में चौड़ा करना**	42	16.50	**संस्वीकृत** 042/ओ० आर०/85/ 009 दिनांक 22.11.85
5.	कि० मी० 225 से 229	6	44.18	संवीक्षाधीन
6.	कि० मी० 432.5 से 437.0	6	22.22	वही

1	2	3	4	5
7.	कि० मी० 437 से 440	6	21.59	संस्वीकृत 006/ओ० आर०/85 010 दिनांक 11.12.85
	कमजोर दो लेन खण्डों को मजबूत करना (प्रथम चरण में मजबूत करना)			
8.	कि० मी०% से 3/5, 6/0 से 7/0, 9/0 से 11/0, 28/0 से 29/0 और 31/0 से 32/0 तक	5ए	55.40	संवीक्षाधीन
9.	कमजोर और संकड़े पुलियों को चौड़ा करना/निर्माण करना	42	4.02	संस्वीकृत ए० ए०-042-ओ०-आर०-85-017 दिनांक 30.10.85
10.	वही	42	1.11	संवीक्षाधीन
11.	वही	43	9.57	संस्वीकृत ए० ए०-043-ओ० आर०-85-020 दिनांक 29.11.85
12.	वही	43	7.84	संवीक्षाधीन
13.	वही	43	5.52	संवीक्षाधीन
14.	मेरमुंडाली बाईपास का निर्माण (पुलों का पहुंच मार्ग)	42	92.49	संवीक्षाधीन
15.	किलोमीटर 488 में पत्थरगढ़ पुल के पहुंच मार्ग	6	10.29	संस्वीकृत 006/ओ० आर०/85/ 008 दिनांक 11.12.85
16.	कि० मी० 263.9 में छोटे पुल का पहुंच मार्ग	5	15.48	संवीक्षाधीन
17.	गालागेडा पुल के पहुंच मार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण	43	0.39	संस्वीकृत ए०ए०-043-ओ० आर०/ 85-008 दिनांक 2.9.85
18.	एन्थापाली जंकशन पर रोटरी यातायात	6	9.44	संस्वीकृत ए० ए० 006/ओ० आर०/ 85/019 दिनांक 25.11.85

1	2	3	4	5
19.	उमरी नाला पर पुल के लिए भूमि अधिग्रहण	43	0.61	संवीक्षाधीन
20.	खाली कोट घाट (रीच-1) के रीएलाइमेंट के लिए भूमि अधिग्रहण	5	0.14	संस्वीकृत ए० ए०-005-ओ० आर० 85-012 दिनांक 4.9.85
21.	कि० मी० 316.8 से 329.75 तक भूमि अधिग्रहण	23	1.02	संस्वीकृत ए० ए०-003-ओ० आर०-85-010 दिनांक 23.9.85
22.	मुदेई पुल के लिए भूमि अधिग्रहण	23	0.40	संस्वीकृत ए० ए०-023-ओ० आर०-85-015 दिनांक 28.10.85
23.	संशोधित सड़क चिन्हों को खड़ा करना और उसकी फेब्रीकेशन तथा सप्लाई	रा० रा०	8.39	संवीक्षाधीन
24.	कि० मी० 547/8 से 548/4 ज्योमैट्रीकल के सुधार के लिये भूमि अधिग्रहण	6	0.65	वही
	कमजोर दो लेन पेवमेंट को मजबूत करना/ओवर लेज की व्यवस्था करना			
25.	कि० मी० 255 से 261 तक बेहरामपुर बाईपास	5	25.20	संस्वीकृत 005-ओ० आर० 85-007 दिनांक 23.9.85
26.	कि० मी० 203 से 205	5	9.31	संस्वीकृत ए० ए० 005-ओ० आर०-85-018 दिनांक 18.11.85
27.	कि० मी० 70 से 80 तक	6	43.50	संवीक्षाधीन
28.	कि० मी० 21/0 से 23/0 तक	6	10.40	वही
29.	कि० मी० 13/0 से 16/0 तक	6	16.01	वही
30.	कि० मी० 269/2 से 273/0	5	10.78	वही

1	2	3	4	5
31.	दादरा घाट से कांलडा खण्ड 1-29810 से 37500 खण्ड-11-37500 से 43110 तक भूमि कार्य पुलियां आदि	23	16.28	संवीक्षाधीन
32.	कि० मी. 429.0 से 440.0 तक के भाग के लिए भूमि अधिग्रहण	6	1.50	संस्वीकृत ए० ए०-06-ओ० आर०-85-013 दिनांक 30.9.85
	कमजोर और संकड़े पुलियों का निर्माण और ज्योमेट्रीकल का सुधार			
33.	कि० मी० 437.0 से 473.2 तक	43	9.67	संस्वीकृत ए०-043-ओ० आर०-85-006 दिनांक 22.5.85
34.	कि० मी० 437.0 से 473.2 तक	43	29.14	संस्वीकृत 043-ओ० आर० 85 006 दिनांक 25.7.85
35.	**चार लेनों में चौड़ा करना** रसुलगढ़ से पालासुनी (कि० मी० 2.49 से 3.515) तक के कटक भुवनेश्वर खण्ड	5	9.91	संस्वीकृत ए० ए०-005 ओ० आर०-85-011 दिनांक 18.9.85
36.	लिंगरा नदी पर एच० एल० पुल	42	43.558	संस्वीकृत 042-ओ० आर०-85-005 दिनांक 28.8.85
37.	कि० मी० 263.90 पर पुल	5	22.297	संवीक्षाधीन
38.	कि० मी० 317 पर पुल	5	8.3115	संवीक्षाधीन
39.	खालीकोट अस्क सड़क पर आर० ओ० बी०	5	15.915	वही
40.	गमडरिया नाला पर 21690	23	20.163	वही
41.	मिसिंग लिंकों के पुल 28490 पर	23	8.684	वही
42.	मल्लीगुड्छा 1 पर पुल	43	7.839	वही
43.	आर० ओ० बी० तगंराली	6	17.81	वही
44.	उमरी नाला पर एच० एल० उपरी पुल	43	25.626	वही
45.	अंधेरी नाला पर पुल	23	33.03	वही

होम्योपैथी में अनुसंधान के लिए केन्द्रीय परिषद में विभिन्न पदों पर नियुक्तियां करने के लिए प्रक्रिया

4655. **श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) होम्योपैथी में अनुसंधान के लिए केन्द्रीय परिषद में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्तियां करने हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई गई है;

(ख) वर्ष 1984-85 और जालू वर्ष में कितनी नियुक्तियां (विभिन्न ग्रुपों में) की गई हैं और उनमें से कितनी नियमित और कितनी तदर्थ आधार पर की गई हैं;

(ग) कितनी नियुक्तियां (ग्रुप-वार) नई स्कीमों में की गई हैं और कितनी वर्ष 1981 से चल रही स्कीमों में की गई हैं; और

(घ) क्या सरकार द्वारा वर्ष 1984 में घोषित नई नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध होम्योपैथी में अनुसंधान के लिए केन्द्रीय परिषद में नई नियुक्तियों पर लागू होता है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) परिषद में समूह "क" और "ख" पदों पर नियुक्तियां मुख्यालय द्वारा अखिल भारतीय आधार पर खुले विज्ञापनों के माध्यम से की जाती हैं जबकि समूह "ग" और "घ" पद यूनिट स्तर पर ही अनुमोदित भर्ती नियमों तथा निर्धारित पद्धति के अनुसार भरे जाते हैं।

(ख) वर्ष 1984-85 तथा चालू वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियां (समूह-वार) इस प्रकार हैं :

	समूह "क"	समूह "ख"	समूह "ग"	समूह "घ"
1984-85				
नियमित	6	16	16	20
तदर्थ	—	4	32	7
1984-85				
नियमित	—	3	7	4
तदर्थ	—	1	7	2

(ग)	नई योजना के अधीन की नियुक्तियां	1981 से चल रही मौजूदा योजनाओं के अधीन की गई नियुक्तियां
समूह "क"	4	25
समूह "ख"	14	25
समूह "ग"	30	64
समूह "घ"	9	35

(घ) जी, हां।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 की मरम्मत

4656. **श्री बनवारी लाल बैरवा** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और बम्बई के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 अनेक स्थानों पर टूट-फूट गया है और अजमेर और आबू रोड के बीच इसकी हालत बहुत खराब है; और

(ख) यदि हां, तो इस राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 8 यातायात योग्य स्थिति में है। यह राजमार्ग अन्य स्थानों के अलावा जयपुर-अजमेर-बीवर-उदयपुर-अहमदाबाद और बम्बई को जोड़ता है। बीवर-पाली-सिरोही होकर गुजरने वाली अजनेर-आबू सड़क राज्य की सड़क है। इसलिए राजस्थान सरकार इसके रख-रखाव के लिए जिम्मेदार है।

[अनुवाद]

फील्ड चैनलों और नालियों का निर्माण

4657. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का सातवीं योजना अवधि के दौरान कंगसावती दामोदर घाटी मयूराकाशी और तीस्ता सिंचाई परियोजनाओं के मुख्य कमान क्षेत्रों में फील्ड चैनलों और नालियों के निर्माण के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को सहायता देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इन कार्यों के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा छठी पंवर्षीय योजना के दौरान इन कार्यों के लिए कितनी राशि की सहायता दी गई और राज्य सरकार द्वारा वास्तव में उसमें से कितने प्रतिशत राशि का उपयोग किया गया; और

(घ) पश्चिम बंगाल में इन कार्यों के लिए छठी योजना परिव्यय क्या था और राज्य सरकार द्वारा उसमें से कितनी राशि का वास्तव में उपयोग किया गया ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) चूंकि ये परियोजनाएं सातवीं योजना के लिए केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम में शामिल की गई हैं, इसलिए अनुमोदित पैटर्न के अनुसार इन्हें फील्ड चैनलों के लिए केन्द्रीय सहायता और खेत नालियों के लिए छोटे तथा सीमान्त किसानों को आई० आर० डी० पी० पैटर्न पर राज सहायता प्राप्त होगी।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने फील्ड चैनलों के लिए परियोजना-वार लक्ष्य अभी सूचित नहीं किए हैं यद्यपि सातवीं योजना के लिए राज्य हेतु इस मद के लिए कुल मिलाकर 3 लाख हैक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है।

(ग) छठी योजना में फील्ड चैनलों के लिए राज्य सरकार को 46.945 लाख रुपए की

राशि रिलीज की गई थी। ऐसी सहायता प्रतिपूर्ति के आधार पर रिलीज की जाती है।

(घ) पश्चिम बंगाल सरकार के लिए फील्ड चैनलों सहित कमान क्षेत्र विकास सेक्टर में सभी कार्यों के लिए कुल अनुमोदित परिव्यय 822 लाख रुपए है जिसके प्रति 384.75 लाख रुपए खर्च किए गए हैं।

बाक्स "एन टाइप" वैगनों से कोयले की ढुलाई के कारण नुकसान

4658. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताप बिजली घरों को बाक्स "एन टाइप" वैगनों में कोयले की ढुलाई 15 से 18 प्रतिशत तक का नुकसान होता है ?

(ख) श्रमिकों और टिपलरों द्वारा ऐसे वैगनों से माल उतारने के लिए समय सीमा संबंधी नियम क्या हैं ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) रेलों पर ऐसी कोई हानि नहीं हुई है।

(ख) 45 या इससे अधिक बी० ओ० एक्स० "एन" माल डिब्बों का एक रेक खाली करने के लिए निःशुल्क समय श्रमिकों द्वारा उतराई के मामले में 11 घंटे और मशीन द्वारा उतराई के मामले में 10 घंटे हैं।

पान मसाला खाने में मुंह के कैंसर के रोगियों की संख्या में वृद्धि

4659. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत :**
श्री प्रभुलाल रावत :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पान मसाला खाने से मुंह के कैंसर के रोगियों की संख्या बढ़ रही है;

(ख) क्या कैंसर डाक्टर एसोसिएशन ने सिफारिश की है कि सिगरेट के पैकटों की तरह पान मसाले के डिब्बों पर भी चेतावनी लिखी जानी चाहिये; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि पान मसाला चलाने से मुंह के कैंसर की घटनायें बढ़ रही हैं।

(ख) और (ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में ऐसी कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

झुनझुनु को वायुदूत सेवा से जोड़ना

4660. **श्री मोहम्मद अयूब खां** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में झुनझुनु जिला गौरवशाली और महत्वपूर्ण स्थान है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विशेषकर जयपुर से बीकानेर और जयपुर से दिल्ली के लिए उड़ानों के दौरान झुनझुनु में विमानों के रुकने की व्यवस्था कर वायुदूत सेवा से जोड़ने का है, विशेषतया जबकि तीर्थ यात्री रानी सती खातू शामजी और सलासुर हनुमानजी के मंदिर जैसे धार्मिक स्थान को देखने वर्षवार यहां आते हैं ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

[अनुवाद]

छोटी रेल लाइन के प्रोटोटाइप डीजल इंजनों का निर्माण अथवा उनका आयात करना

4661. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का छोटी रेल लाइन के डीजल इंजनों के प्रोटोटाइप तैयार करने अथवा उनके आयात करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे इंजनों को आयात करने अथवा उनका देश में निर्माण करने का विचार है; और

(ग) भारतीय रेलवे द्वारा इस समय छोटी लाइन पर चलने वाले कितनी प्रकार के डीजल इंजनों का निर्माण किया जा रहा है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी हां। इस रेल इंजन का प्रोटोटाइप, जिसे 450 अश्वशक्ति का एन० डी० एम० 5 नाम दिया गया है और जो उन छोटी लाइन खंडों पर, जहां 6.0 टन से अधिक धुरा-भार अनुमेय नहीं है, परिचालन के लिए उपयुक्त है, उपयोग में लाये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

(ख) ये रेल इंजन चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने में बनाये जायेंगे।

(ग) इस समय, 9.25 टन धुरा भार वाले 700 अश्व शक्ति के जेड० डी० एम० 4 ए० किस्म के रेल इंजनों का निर्माण किया जा रहा है।

[हिन्दी]

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के लिए अध्यापकों की अर्हता हेतु मानदण्ड

4662. **श्री एम० एल० शिकराम** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए अध्यापकों की अर्हता के बारे में कोई मानदण्ड निर्धारित किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) भारत सरकार ने पूर्व प्राथमिक शिक्षकों की ऐसी कोई अर्हता निर्धारित नहीं की है तथापि, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए 9 राज्यों में छोटे बच्चों के लिए केन्द्रों के संचालन के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना के अन्तर्गत यह निश्चित किया गया है कि अध्यापक कम से कम मिडिल स्तर पास हों। स्वैच्छिक संगठनों को शिक्षिकों को नियुक्त करते समय यह सुनिश्चित करना होता है कि प्रार्थी को बच्चों के साथ व्यवहार करने के बारे में कुछ संस्थागत प्रशिक्षण प्राप्त हो।

[अनुवाद]

दिल्ली और कोटा के बीच और अधिक गाड़ियां चलाना

4663. **श्री जुझार सिंह** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा और दिल्ली के बीच तेज चलने वाली कोई भी गाड़ी छोटे स्टेशनों पर नहीं ठहरती है;

(ख) यात्रियों की भारी भीड़भाड़ को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार का विचार मध्यवर्ती स्टेशनों पर ठहरने की व्यवस्था सहित कोटा और दिल्ली के बीच एक और गाड़ी चलाने का है; और

(ग) यात्रियों को कुछ सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से क्या सरकार का विचार डीलक्स और जनता गाड़ियों का दिल्ली और रतलाम के बीच एक अथवा दो और स्टेशनों पर रोकने की व्यवस्था करने का है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

कालिंदी और नोएडा के बीच प्रस्तावित पुल

4664. **श्री आर० पी० सुमन** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिणी दिल्ली में कालिंदी (महारानी बाग) और नोयडा के बीच निर्माण किए जाने वाले पुल को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई संशोधित बृहद योजना में न दिखाए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या पुल का निर्माण दिल्ली प्रशासन द्वारा किया जाना था;

(ग) यदि हां, तो उक्त पुल को दिल्ली प्रशासन के सातवीं योजना परिव्यय में शामिल न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) दक्षिणी दिल्ली और नोएडा के बीच दैनिक यात्रियों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार पुल के निर्माण को प्राथमिकता देने का है; और

(ङ) यदि हां तो कब ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यमुना नदी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 24 बाई पास पर जो मौजूदा पुल है वह प्रस्तावित पुल से पहले पड़ता है और नदी की धारा के विपरीत दिशा में है जिसका पूरा उपयोग नहीं हो रहा है और प्रस्तावित पुल के आगे यमुना पर नदी की धारा की दिशा में एक पुल एवं बैराज भी है जो लगभग पूरा हो गया है, इसलिए नोएडा को दक्षिणी दिल्ली से जोड़ने के लिए यमुना नदी पर नए पुल के निर्माण का अभी कोई प्रावधान नहीं किया गया है ।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में दवाइयों की अनुपलब्धता तथा रोगियों द्वारा उनकी बाजार से खरीद

4665. **श्री राज कुमार राय** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के अधिकांश औषधालयों में दवाइयां ठीक ढंग से तथा समय पर उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं और रोगियों को बाजार से उनकी खरीद करने के लिए कहा जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या दवाइयों की कम सप्लाई हो रही है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) सी० जी० एच० एस० फार्मूलरी में शामिल की गई औषधियां दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में सामान्यतः उपलब्ध हैं । औषधियों के उपलब्ध न होने पर वे मैसर्स सुपर बाजार से खरीदी जाती हैं और रोगियों को दी जाती हैं । सुपर बाजार में औषधियों के उपलब्ध न होने की अवस्था में ही रोगियों से उस औषधि के बाजार से खरीदने के लिए कहा जाता है और उसके खर्च की बाढ़ में प्रतिपूर्ति कर दी जाती है ।

[हिन्दी]

राजस्थान में केन्द्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा किया गया सर्वेक्षण

4666. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान में केन्द्रीय भू-जल बोर्ड के माध्यम से भौगोलिक सर्वेक्षण कराया है और यदि हां, तो राजस्थान के उन जिलों के क्या नाम हैं जहां पीने का पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और यह कितनी गहराई पर उपलब्ध है तथा उन जिलों के क्या नाम हैं जहां कृषि कार्यों के लिए खारा पानी उपलब्ध है;

(ख) यदि कुछ जिलों में सर्वेक्षण नहीं किया गया है तो वहां यह कब तक कर लिया जाएगा; और

(ग) क्या सरकार भू-जल के उपयोग के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है

और यदि हां, तो उसका क्या मानदण्ड है तथा गत कुछ वर्षों के दौरान राज्य-वार कितनी धनराशि प्रदान की गई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) केन्द्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा राजस्थान में किए गए जल भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षणों के अनुसार, राज्य के अधिकतर सभी जिलों में 2 से 100 मीटर की भिन्न-भिन्न गहराईयों पर पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी पाया गया है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, चुरू, सीकर, जोधपुर, झुनझुन, जालौर, पाली तथा श्रीगंगानगर और अजमेर, जयपुर, सवाईमाधोपुर, भरतपुर तथा धौलपुर जिलों के कुछ क्षेत्रों में कृषि प्रयोग के लिए लवणीय जल उपलब्ध है। राज्य के शेष क्षेत्रों में सातवीं योजना के दौरान सर्वेक्षण पूरे किए जाने की संभावना है।

(ग) राज्य में रिगों की उपलब्धता, उसका उपयोग, निर्माण कार्यों का कार्यक्रम तथा भू-जल के विकास के स्तर संबंधी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, भू-जल संसाधनों के उपयोग में तेजी लाने के लिए ड्रिलिंग रिगों तथा अन्य उपस्कर खरीदने के वास्ते, केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत बराबर के हिस्से के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। पिछले पांच वर्षों के दौरान इस स्कीम के अन्तर्गत रिलीज की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राज्यों में भूजल तथा सतही जल लघु सिंचाई संगठनों को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत राज्यों को रिलीज की गई धनराशि

(लाख रु० में)

क्रम सं०	राज्य	80-81	81-82	82-83	83-84	84-85
		के दौरान रिलीज की गई धनराशि				
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश		6.00	20.86	37.875	44.00
2.	असम	4.433	—	—	8.470	—
3.	बिहार	—	13.85	—	13.340	—
4.	गुजरात	9.175	—	23.00	85.300	49.70
5.	हरियाणा	2.774	—	—	22.000	25.00
6.	हिमाचल प्रदेश	—	5.54	—	—	—
7.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—	39.150	—

1 2	3	4	5	6	7
8. कर्नाटक	—	—	55.60	1.000	—
9. केरल	2.600	9.66	—	68.245	43.39
10. मध्य प्रदेश	4.500	4.70	—	—	—
11. महाराष्ट्र	6.000	3.50	89.27	39.380	43.20
12. मेघालय	—	—	—	—	—
13. उड़ीसा	10.515	7.00	—	—	—
14. पंजाब	8.200	10.80	—	45.000	53.23
15. राजस्थान	6.103	9.40	2.47	23.500	17.95
16. तमिलनाडु	3.000	1.50	—	67.000	43.74
17. त्रिपुरा	5.000	2.51	—	—	19.38
18. उत्तर प्रदेश	7.800	11.30	—	—	81.46
19. पश्चिम बंगाल	3.400	14.24	—	—	—
जोड़	69.00	100.00	191.20	450.26	421.05

1231.51 लाख रुपए

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा नियम बनाना

4667. **श्री रहीम खां :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत में केन्द्रीय विद्यालय संगठन में विभिन्न पदों के लिए भर्ती नियम सरकार द्वारा पुनरीक्षित अथवा सरकार की स्वीकृति से तैयार किए जाते थे;

(ख) यदि हां, तो क्या सहायक आयुक्त (प्रशासन), सतर्कता अधिकारी वरिष्ठ विश्लेषक आदि के सर्जित नए पदों के भर्ती नियम मंत्रालय द्वारा पुनरीक्षित किए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के लिए उपायुक्त तथा ऊपर के पदों के भर्ती-नियम भारत सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। सहायक आयुक्त और नीचे के पदों के लिए भर्ती-नियम केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा

बनाए जाते हैं। भर्ती-नियमों को बनाते समय केन्द्रीय विद्यालय संगठन जब भी आवश्यक होता है, भारत सरकार से परामर्श करता है।

(ख) और (ग) इन पदों के भर्ती-नियम केन्द्रीय विद्यालय संगठन के उपाध्यक्ष को भेजे गए थे, जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा विभाग में संयुक्त सचिव भी हैं। ये नियम केन्द्रीय विद्यालय संगठन के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित कर दिए गए हैं।

सातवीं योजना के दौरान प्रौढ़ शिक्षा

4668. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के दौरान प्रौढ़ शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ख) 1985-86 के वित्तीय वर्ष में उपरोक्त प्रयोजन हेतु राज्य-वार धनराशि का आवंटन क्या है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र और राज्य क्षेत्रकों में प्रौढ़ शिक्षा के लिए 360.00 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है।

(ख) केन्द्रीय क्षेत्रक में प्रौढ़ शिक्षा के लिए कोई राज्यवार आबंटन नहीं किया गया है। अनुमोदित परियोजनाओं/योजनाओं के अनुसार राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत की गई आवश्यकताओं के आधार पर विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को अनुदान जारी किये जाते हैं। राज्य क्षेत्र में वर्ष 1985-86 में किए गए राज्यवार आबंटन संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

(लाख रुपए में)

क्रम सं०	राज्य/संघशासित प्रदेश	परिव्यय प्रौढ़ शिक्षा
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	215
2.	असम	150
3.	बिहार	400
4.	गुजरात	155
5.	हरियाणा	25

1	2	3
6.	हिमाचल प्रदेश	25
7.	जम्मू और कश्मीर	32
8.	कर्नाटक	120
9.	केरल	40
10.	मध्य प्रदेश	200
11.	महाराष्ट्र	300
12.	मणिपुर	35
13.	मेघालय	10
14.	नागालैण्ड	15
15.	उड़ीसा	110
16.	पंजाब	10
17.	राजस्थान	100
18.	सिक्किम	10
19.	तमिलनाडु	128
20.	त्रिपुरा	16
21.	उत्तर प्रदेश	150
22.	पश्चिम बंगाल	267
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीप	3
24.	अरुणाचल प्रदेश	30
25.	चण्डीगढ़	6
26.	दादरा और नागर हवेली	1
27.	दिल्ली	30
28.	गोवा, दमन और दीव	4
29.	लक्षद्वीप	1
30.	मिजोरम	13.5
31.	पाण्डिचेरी	2

केरल में पर्वतीय राजमार्ग

4669. **प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या परिवहन मंत्री** यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल के सभी पर्वतीय जिलों को आपस में जोड़ने के लिए एक पर्वतीय-राजमार्ग बनाये जाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्ताव के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है; और

(ग) उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (ग) केरल सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना में अन्तर्राज्यीय या आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों के केंद्रीय सहायता कार्यक्रम के तहत ऋण सहायता के लिए अपने प्रस्ताव में पर्वतीय राजमार्ग (एलाकोड से मैसूर) को शामिल किया। तथापि धन की कमी के कारण प्रस्तावित परियोजना को स्थान नहीं मिल पाया।

रेलवे सिगनल प्रणाली के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग

4670. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में सिगनल प्रणाली के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रौद्योगिकी की पूर्णता सुनिश्चित कर ली है क्योंकि सिगनल दिया जाना सभी रेलगाड़ियों के आने-जाने के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा संकेत है;

(ग) यदि हां, तो कितने प्रयोग किए गए हैं और उनके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यह प्रणाली कब से शुरू की जाएगी ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) जिन खंडों में सेमाफोर किस्म के सिगनलों की व्यवस्था है उनमें रात्रि के समय प्रथम पहुंच सेमाफोर सिगनलों में रोशनी की व्यवस्था करने के लिए कुछ स्टेशनों पर सौर उर्जा का इस्तेमाल किया गया है। अभी तक लगभग 100 सिगनलों में यह व्यवस्था की गयी है।

पेनल अन्तर्पाशन प्रणाली वाले 2 स्टेशनों पर सिगनलों की ऊर्जा सप्लाई की जरूरत पूरी करने के लिए भी परीक्षण के तौर पर सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया गया है।

इन प्रणालियों में यह व्यवस्था शुरू में कुछ परिक्षण तथा प्रयोगशाला/पीठ परीक्षण करने के बाद की गयी थी। इस प्रणाली से युक्त स्थापनाओं के निष्कर्षों तथा निष्पादन परिणामों तथा प्राप्त अनुभव के आधार पर सिगनलों के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल का और आगे विस्तार किया जायेगा।

सिगनलिंग के क्षेत्र में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने की योजना बनाते समय संरक्षा पहलू को ध्यान में रखा जा रहा है।

गोरखपुर में धर्मशाला मार्ग पर नये रेल-और-सड़क पुल का निर्माण

4671. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोरखपुर में धर्मशाला मार्ग पर रेल और सड़क पुल की सामान्य अवधि समाप्त हो गई है और यह खतरनाक स्थिति में है;

(ख) क्या यह पुराना पुल इस समय बढ़ रहे सड़क यातायात की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस शहर के लोगों की वर्तमान आवश्यकता को पूरा करने के लिए नए रेल और सड़क पुल का निर्माण न करने के क्या कारण हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) गोरखपुर में धर्मशाला रोड पर कोई रेल-एवं-सुड़क पुल नहीं है । तथापि, इस रोड पर एक निचला सड़क पुल है । यह पुल अच्छी हालत में है । 1975 में सिविल प्राधिकारियों, राज्य सरकार के इंजीनियरों और रेलवे के इंजीनियरों एक समिति ने इस स्थान पर ऊपरी सड़क पुल की व्यवस्था करने के लिए तकनीकी व्यवहार्यिकता की जांच की थी । समिति ने इसे व्यवहारिक नहीं पाया था और निकटस्थ गोरखनाथ मन्दिर रोड पर कि० मी० 507/7-8 पर समपार संख्या 162-क के बदले ऊपरी सड़क पुल के निर्माण की सिफारिश की थी, जिसका निर्माण कर दिया गया था और जनवरी, 1983 में इसे सड़क यातायात के लिए खोल दिया गया था ।

सरकारी अस्पतालों में प्रयोगशाला तकनीशियनों के रूप में अप्रशिक्षित चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

4672. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डा० राममनोहर लोहिया अस्पताल तथा दिल्ली के अन्य केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों की प्रयोगशालाओं में कार्य कर रहे अधिकांश प्रयोगशाला तकनीशियन इन चिकित्सालयों में काम कर रहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से पदोन्नति करके बनाए गए हैं और उनके पास कोई प्रशिक्षण अथवा तकनीकी योग्यतायें नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली के केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों की प्रयोगशालाओं में चतुर्थ श्रेणी के अप्रशिक्षित कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए पूरे तथ्य तथा औचित्य क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार सेवा के स्तर में सुधार करने के लिए सरकारी अस्पतालों में प्रयोगशाला तकनीशियनों के लिए उचित प्रशिक्षण देने तथा कुछ तकनीकी योग्यतायें निर्धारित करने का है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) जी नहीं ।

(ग) सफदरजंग अस्पताल ने चिकित्सा प्रयोगशाला टेक्नालॉजी में एक सेवा कालीन प्रशिक्षण शुरू किया है ।

सतना-रीवां से रेल सम्पर्क

4673. **श्री अजीज कुरेशी** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सतना-रीवां रेल सम्पर्क पर कितनी धनराशि खर्च की गई है, कितनी मंजूर की गई थी और बजट में 30 नवम्बर, 1985 तक कितनी धनराशि शामिल की गई;

(ख) उक्त रेल सम्पर्क पर अगले वित्तीय वर्ष में कितनी धनराशि खर्च करने का विचार है;

(ग) इस सेक्शन में काम कब तक पूरा होने की सम्भावना है; और

(घ) इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) 1985-86 में इस काम के लिए अब 25 लाख रुपये का आबंटन किया गया है। अब तक इस पर कोई खर्च नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) इस कार्य को शुरू करने की स्वीकृति के लिए योजना आयोग के साथ पत्र-व्यवहार किया जा रहा है। अगले वित्तीय वर्ष में धन का आबंटन वार्षिक योजना में नई लाइनों के लिए आबंटित संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। इसका पूरा होना आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन लखनऊ में भर्तियां

4674. **श्री नारायण चौबे** : क्या **परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले चार वर्षों के दौरान लखनऊ स्थित अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन में कितने व्यक्ति नियुक्त किए गए;

(ख) इनमें से कितने व्यक्ति सरकार द्वारा नई भर्ती पर लगाए गए प्रतिबन्ध के पश्चात् नियुक्त किए गए; और

(ग) क्या इन भर्तियों के मामले में निर्धारित प्रक्रिया अपनाई गई थी, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) 249.

(ख) 68.

(ग) जी हां। निर्धारित प्रक्रिया अपनाई गयी थी।

[हिन्दी]

उत्तर रेलवे में पति और पत्नी को एक ही स्थान पर नियुक्त किया जाना

4675. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि उत्तर रेलवे में वर्ष 1983 से अब तक पति और पत्नी को एक ही स्थान पर नियुक्त करने से संबंधित आदेश के अन्तर्गत कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने दंपतियों को एक ही स्थान पर नियुक्त किया गया है;

(ग) कितने मामलों में आदेशों के अनुसार नियुक्ति नहीं की गई है; और

(घ) उन्हें एक ही स्थान पर नियुक्त न किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) :(क) जी नहीं। 1983 से 31.10.85 तक उत्तर रेलवे में प्राप्त ऐसे आवेदनों की संख्या 38 है।

(ख) 28.

(ग) और (घ) शेष 10 आवेदनों पर भी, उसी स्टेशन पर रिक्तियां उपलब्ध होने पर, प्रशासनिक सुविधा और प्रत्येक मामले के गुण दोष को ध्यान में रखकर यथासम्भव विचार किया जायेगा।

[अनुवाद]

दिल्ली के स्कूलों में योग शिक्षा

4676. **श्री चित्त महाता** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा दिल्ली के स्कूलों में नियुक्त किए गए हजारों योग अध्यापक दो वर्ष से अधिक समय से बेकार बैठे हैं क्योंकि वहां पर कोई योग शिक्षा नहीं दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन स्कूलों में यह अध्यापक किसी की सिफारिश पर नियुक्त किए गए थे ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, नहीं। दिल्ली के सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में योग शिक्षा प्रदान की जा रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) योग शिक्षकों की नियुक्ति विधिवत गठित स्टाफ चयन बोर्ड द्वारा की गई थी।

सरकारी डिसपेंसरियों और अस्पतालों में रोगियों को घटिया दवाइयों की सप्लाई

4677. **श्रीमती कृष्णा साही :**
श्री कमला प्रसाद सिंह :
डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी डिस्पेन्सरियों और अस्पतालों को घटिया किस्म की दवाइयों की सप्लाई की जाती है; और

(ख) क्या उचित लेबल और पैकिंग के बिना खुली गोलियों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) स्थायी हिदायतें ये हैं कि इन गोलियों को खुले लिफाफों में दिया जाए और उनके इस्तेमाल के बारे में मौखिक तौर पर बतलाया जाए। हाल ही में निर्णय लिया गया है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य

योजना में सभी गोलियां/कैप्सूल पत्ते की पैकिंग में सप्लाई किये जाएं।

[हिन्दी]

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय पर जांच समिति की रिपोर्ट

4678. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से संबंधित कुछ मामलों की जांच के लिए सरकार द्वारा गठित किसी जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, यदि हां तो उसने क्या सिफारिशें की हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसकी रिपोर्ट कब तक प्राप्त हो जाने की संभावना है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए सरकार द्वारा कोई जांच समिति नियुक्त नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

उपभोक्ता शिक्षा

4679. **डा० जी विजय रामाराव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ता संगठन ने दूरदर्शन और आकाशवाणी के उपभोक्ता शिक्षा संबंधी शिक्षा कार्यक्रमों के बारे में सरकार से अनुरोध किया है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या स्कूल और कालेज स्तर पर वर्तमान पाठ्यक्रमों में उपभोक्ता शिक्षा को शामिल करने के लिए सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) क्या सरकार आई० ए० एस०, सी० एस० एस०, आई० पी० एस०, आई० एफ० एस० आई० ई० एस०, आई० ए० ए० एस० और आई० आर० एस०, आदि के लिए अपने सभी सेवा पाठ्यक्रमों में उपभोक्ता संरक्षण के सिद्धांतों को उचित रूप से शामिल करेगी ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय को किसी भी उपभोक्ता संगठन ने रेडियो तथा दूरदर्शन में उपभोक्ता शिक्षा से संबंधित शैक्षणिक कार्यक्रम प्रदान करने के लिए सम्पर्क स्थापित नहीं किया है।

(ख) जी, हां। स्कूलों तथा कालेजों में उपभोक्ता शिक्षा शुरू करने के लिए उपभोक्ता संगठनों से कुछ अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ग) उपभोक्ता संरक्षण के सिद्धान्तों को भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षार्थियों के प्रशिक्षण में उपयुक्त तरीके से शामिल किया जाता है। जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा तथा

लेखा सेवा का संबंध है, वे सामान्य तौर पर उपभोक्ताओं से सम्बन्धित नहीं हैं। अन्य सेवाओं के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

गद्दी राजपूतों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये कोटे से नियुक्ति

4680. **श्री गंगा राम : क्या परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने गद्दी (राजपूत) समुदाय को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के रूप में मान्यता दी है;

(ख) यदि नहीं, तो रेलवे के फिरोजपुर डिवीजन में विभिन्न पदों पर गद्दी (राजपूत) समुदाय के प्रत्याशियों की नियुक्त किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है गद्दी राजपूत समुदाय को न तो अनुसूचित जाति और न ही अनुसूचित जनजातियों के रूप में मान्यता दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस समुदाय के प्रत्याशियों को आरक्षण का लाभ देने के क्या कारण हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (घ) रेलों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र के प्रस्तुत किये जाने के आधार पर आरक्षित कोटे में नियुक्त किया जाता है। प्रमाण-पत्र स्वीकार करने से पहले उसमें उल्लिखित जाति/जनजाति का सत्यापन, गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर संवैधानिक आशोधन आदेशों के आधार पर जारी की गयी अनुसूचित जाति/अनुसूति जनजातियों की सूची से किया जाता है।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गयी किसी भी सूची में गद्दी (राजपूत) जाति को अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति घोषित नहीं किया गया है। तथापि, केवल हिमाचल प्रदेश में ही गद्दी जाति को अनुसूचित जन जाति के रूप में मान्यता दी गयी है।

उपयुक्त, चम्बा (हिमाचल प्रदेश) द्वारा जारी किये प्रमाण-पत्रों के आधार पर गद्दी (राजपूत) जाति के कुछ उम्मीदवारों को अनुसूचित जन जाति के सदस्य मानकर उत्तर रेलवे के फिरोजपुर मंडल में नियुक्त किया गया है। इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने के लिए उपायुक्त, चम्बा को लिखा गया है।

कीटनाशक दवाइयों के कारण फलों तथा सब्जियों के दूषित होने के सम्बन्ध में विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट

4681. **श्रीमती किशोरी सिन्हा :**
डा० बी० एल० शैलेश :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1 नवम्बर, 1985 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित समाचार को देखा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक सर्वेक्षण से पता चला है कि दिल्ली में सब्जियां तथा फल डी० डी० टी० जैसी कीटनाशक दवाइयों से दूषित है;

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली में सप्लाई किये जाने वाला आलू भी दूषित है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ग) सरकार ने यह रिपोर्ट पहली नवम्बर, 1985 के इण्डियन एक्सप्रैस में देखी है। यह रिपोर्ट दिल्ली की मार्कीटों से लिए गए सब्जी और फलों के नमूनों में पाए गए कीटनाशक दवाइयों के अवशेषों के सर्वेक्षण पर नई दिल्ली के वेंकटेश्वर कालेज द्वारा न कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किए गए अध्ययन के संदर्भ में है। कालेज प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि अभी उनका अध्ययन कार्य चल रहा है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश में भू-जल स्रोत

4682. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या जल संसाधन मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने सरकार को एक एटलस भेजा है जिसमें आन्ध्र प्रदेश में भू-जल स्रोतों के नक्शे दिये गये हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इस एटलस की जांच की है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार आन्ध्र प्रदेश में भू-जल को निकालने के लिए राज्य सरकार को पर्याप्त सहायता देने को तैयार है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, जल संसाधन मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय भू-जल बोर्ड ने आन्ध्र प्रदेश की जल-भू-वैज्ञानिक एटलस हाल ही में प्रकाशित की है।

(ग) चूंकि जल एक राज्य विषय है, अतः भू-जल संसाधनों के उपयोग की आयोजना, वित्तपोषण, तथा क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा स्वयं किया जाता है। केन्द्र सरकार, केन्द्रीय भू-जल बोर्ड के माध्यम से मेक्रो-स्तर जल-भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, भू-जल समन्वेषण तथा संसाधन क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए राज्यों की सहायता प्रदान करती है। केन्द्र सरकार, भू-जल सहित लघु सिंचाई के विकास के लिए समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पद्धति पर सबसिडी के माध्यम से लघु तथा सीमान्त कृषकों को सहायता देने और भू-जल संसाधनों के उपयोग में तेजी लाने के लिए ड्रिलिंग रिगों तथा अन्य उपस्करों की खरीद के वास्ते राज्यों को समकक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करने की स्कीमों को भी कार्यान्वित कर रही है।

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा प्रशिक्षु विमान चालकों के पदों को अनारक्षित करना

4683. **श्री अनादिचरण दास** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स ने प्रशिक्षु विमान चालकों के अनेक पदों को अनारक्षित कर दिया है और यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है;

(ख) उसके क्या कारण हैं;

(ग) इंडियन एयरलाइन्स के विमान चालकों की कुल संख्या कितनी है और उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विमान चालकों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने इन पदों को पिछले 8-9 वर्षों से अनारक्षित नहीं किया है और यदि हां, तो इस अचानक अनारक्षण करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन में वाणिज्यिक विमान चालकों के खाली पड़े आरक्षित पदों को भरने के लिए क्या विशेष प्रयास किये गए हैं ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) शिथिल मानकों के बावजूद भी, उपर्युक्त उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने के क्या कारण, इंडियन एयरलाइन्स द्वारा वर्ष 1977 से 1984 तक विमान चालकों के पदों पर भर्ती के लिए, अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 16 पाइंटों को और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 10 पाइंटों को आगे ले जाया गया। उपयुक्त उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने के कारण, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, इन पाइंटों को अनारक्षित कर दिया गया था।

(ग) इस समय इंडियन एयरलाइन्स में विमानचालकों की संख्या और उनमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की संख्या निम्न प्रकार है :—

विमानचालकों की कुल संख्या	400
अनुसूचित जातियों की श्रेणियों के विमानचालकों की संख्या	13
अनुसूचित जनजातियों की श्रेणियों के विमानचालकों की संख्या	4

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के सीमित संख्या के उम्मीदवारों को इसमें सफल होने के लिए अधिकतम अवसर प्रदान करने की दृष्टि से, पदों को अनारक्षित नहीं किया गया था। जब मात्र उनके लिए किये गए चयन के आधार पर भी अपेक्षित संख्या में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को भर्ती नहीं किया जा सका, तो इन पदों को अनारक्षित कर दिया गया।

(ङ) 1977 और 1983 में केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए चयन किया गया था। इंडियन एयरलाइन्स, सुरक्षा मानकों में बिना कोई ढील दिए शिथिल किये गये मानकों के आधार पर भी, विमानचालक ग्रेड में, आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के सुचारु प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयत्न करती रहेगी।

अनुवादकों के लिये संस्थान

4684. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :**
श्री जगन्नाथ पटनायक :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में विभिन्न प्राचीन रचनाओं का एक भाषा

से दूसरी भाषा में अनुवाद करने पर कोई जोर दिया है और अनुवादकों/भाषान्तरकारों की भूमिका को स्वीकार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में अनुवादकों के लिये कोई संस्थान स्थापित करने की बढ़ती मांग पर ध्यान दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या शीघ्र कोई ऐसा संस्थान स्थापित करने के लिये कदम उठाये जायेंगे ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) भारतीय राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा मार्च, 1985 में आयोजित एक सेमिनार में की गई सिफारिशों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है जो अन्य बातों के साथ-साथ अनुवादकों का दर्जा, भारतीय भाषाओं में पुस्तकों का अनुवाद तथा उनके प्रकाशन के बारे में चयन के लिए तन्त्र, अनुवाद तथा व्याख्या के लिए राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना के बारे में है।

(ग) जहां तक सरकार की प्रतिक्रिया का सम्बन्ध है यह केवल तभी सम्भव है जब विभिन्न संगठनों अर्थात् राष्ट्रीय पुस्तक विकास केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय तथा अन्यों से टिप्पणियां प्राप्त हो जाती हैं तथा उनकी जांच कर ली जाती है।

पश्चिम बंगाल में कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम

4685. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में कंगसाबती, दामोदर घाटी और मयूराक्षी के तीन प्रमुख सिंचाई कमानों में कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत छठी योजना में कार्य करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो छठी योजना के लक्ष्य का ब्यौरा क्या है और पश्चिम बंगाल में वर्ष 1980-85 के दौरान वास्तविक उपलब्धि कितनी रही; और

(ग) यदि उपलब्धि में कोई कमी रही हो तो उसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) छठी पंचवर्षीय योजना में पश्चिम बंगाल राज्य की बंगसाबती, दामोदर घाटी और मयूराक्षी परियोजनाओं को फील्ड चैनलों के अन्तर्गत शामिल करने के लिए 55000 हैक्टेयर का लक्ष्य रखा गया था। इस लक्ष्य के प्रति वास्तविक उपलब्धि 11,144 हैक्टेयर थी।

(ग) यह कमी फील्ड चैनलों के निर्माण के लिए अपनी जमीन से अलग होने की किसानों की अनिच्छा के कारण हुई क्योंकि अधिकांश जोतें छोटी हैं।

रेल प्राधिकारियों द्वारा विस्फोटकों को गैर-कानूनी रूप से स्वीकार करना और भेजना

4686. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का ध्यान विस्फोटक नियम, 1983 के नियम, 37 के उप-नियम

(2), जैसा कि 2 मार्च, 1983 के भारत के असाधारण राजपत्र में पृष्ठ 118 पर प्रकाशित हुआ है, और आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उत्पादकों द्वारा प्रेषितियों से विस्फोटकों को प्राप्त करने की तैयारी की पुष्टि किए बिना विस्फोटक भेजने के क्या कारण हैं तथा रेल प्राधिकारियों द्वारा नियमों के उपबन्धों का उल्लघंन करते हुए विस्फोटक पदार्थ स्वीकार करने के क्या कारण हैं;

(ग) साल के महीनों तक माल गोदामों में पड़े रहने और प्रेषितियों द्वारा न छुड़ाए जाने, जो विलम्ब शुल्क अदा करना सस्ता और सुरक्षित समझते हैं, के कारण क्या हैं; और

(घ) यदि हां, तो नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) विस्फोटक नियम, 1983 के नियम 37(2)(ग) में यह व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति परेषिती से विस्फोटकों को प्राप्त करने के लिए तैयार रहने की पुष्टि प्राप्त किये बिना परिवहन के प्रयोजन के लिए कोई विस्फोटक रेल प्रशासन को प्रेषित नहीं करेगा। इसका अनुपालन परेषक द्वारा किया जाना है न कि रेल प्रशासन द्वारा।

(ग) और (घ) विस्फोटकों के परेषणों की ढुलाई अधिकतर अनुमेय निःशुल्क समय के भीतर की जाती है। यदि परेषिती द्वारा सुपुर्दगी अनुमेय निःशुल्क समय के भीतर नहीं ली जाती है तो रेलें परेषणों का तत्काल निपटारा नहीं कर सकती हैं। रेड टेरिफ के नियम 135 के अनुसार भारतीय रेल अधिनियम की धारा 55 और 56 के अधीन नोटिस देना अपेक्षित है। नोटिस की अवधि समाप्त हो जाने के बाद ही रेलवे नीलामी द्वारा परेषण के निपटारे के लिए कार्रवाई कर सकती है। इसके अलावा, नियमों के अनुसार उस व्यक्ति को, जिसके पास विस्फोटक रखने का लाइसेंस नहीं है, विस्फोटकों का परेषण बेचा या सुपुर्द नहीं किया जा सकता है।

सुन्दरबन के साथ लगने वाले तटबंधों को मजबूत करना

4687. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के सुन्दर बन क्षेत्र में नदी तटबन्ध दूसरी ओर (बंगलादेश) की ओर "पक्का" मजबूत और ऊंचे तटबन्धों की तुलना में बहुत जर्जर हालत में हैं;

(ख) क्या भारत की सीमा में तटबंधों को और नुकसान पहुंचा है और इस वर्ष अक्तूबर में तूफान और बाढ़ के दौरान सैकड़ों स्थानों पर दरारें पड़ गई हैं; और

(ग) क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्व को देखते हुए इन सीमावर्ती तटबन्धों की मरम्मत उनके पुनर्निर्माण और उन्हें मजबूत करने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर तत्काल कदम उठाए जाएंगे ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) पश्चिम बंगाल में सुन्दरबन के नदी

तटबन्ध बंगलादेश के तटबन्धों से तुलनीय नहीं हैं। भारत की तरफ के तटबन्ध नदी तटों के निकट स्थित हैं और ज्वारीय लहरों से प्रभावित होते हैं जबकि बंगलादेश में तटबन्ध अधिकतर नदी तटों से दूर बताए जाते हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार/बाढ़ों चक्रवातों से क्षतिग्रस्त हुए तटबन्धों को फिर से उनकी मूल स्थिति में लाने के लिए कदम उठा रही है।

आन्ध्र प्रदेश में येलेरू परियोजना की प्रगति

4688. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि आन्ध्र प्रदेश में येलेरू परियोजना, जो विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की पानी उपलब्ध कराने के लिए निर्दिष्ट है, की प्रगति बहुत धीमी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इसके लिए धनराशि के आबंटन में पर्याप्त वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ताकि परियोजना का काम निर्धारित समय पर अर्थात् 1985 तक पूरा हो सके ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) केन्द्रीय जल आयोग ने इस परियोजना को अभी स्वीकृति प्रदान नहीं की है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा कुछ टिप्पणियों की अनुपालना नहीं की गई है। तथापि यह पता चला है कि राज्य सरकार ने 158.53 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की तुलना में मार्च, 1985 तक इस परियोजना पर 46.19 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अपनी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य योजना में धनराशि की व्यवस्था करने का दायित्व राज्य सरकारों का है।

यात्रियों/व्यापारियों को धन वापस करने में सहायता के लिए वापसी विभाग की स्थापना करना

4689. **श्री शान्ति धारीवाल** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने यात्रियों/व्यापारियों के लाभ के लिए एक अलग वापसी विभाग की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान व्यापारियों द्वारा यात्री गाड़ियों और माल गाड़ियों से माल भेजने के सम्बन्ध में कितने मामले प्राप्त हुए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि रेलवे विभाग वाप सी के मामलों में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार भुगतान नहीं करता है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और सरकार के सामने ऐसे कितने मामले लाए गए हैं जिनमें संबंधित अधिकारियों ने अनियमित रूप से निर्धारित सीमा से कम धनराशि का भुगतान किया;

(ङ) क्या सरकार इन अनियमितताओं को रोकने के लिए नियम बनाने का विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं। रेलों पर धन वापसी अनुभाग वाणिज्य विभाग के अभिन्न अंग हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलों को धन वापसी की स्वीकृति के लिए प्राप्त मामलों की संख्या तथा उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी नहीं। धन वापसी के मामलों में भुगतान निर्धारित नियमों के अन्तर्गत किया जाता है जो प्रत्येक मामले के गुण-दोष पर निर्भर करता है। उच्चतर प्राधिकारियों को अपने स्व-विवेक से इन निर्णयों में संशोधन करने की सदैव छूट है।

(ङ) और (च) धन वापसी के लिए नियम पहले से ही बनाये हुए हैं जिनमें समय-समय पर संशोधन किया जाता है। यात्री किराये की वापसी से सम्बन्धित नियमों को और सरल बनाया जा रहा है और उन्हें जनवरी, 1986 में लागू किये जाने की संभावना है।

विवरण

वर्ष	प्राप्त मामलों की संख्या		निपटाये गये मामलों की संख्या	
	कोचिंग (पार्सल और यात्री)	माल	कोचिंग (पार्सल और यात्री)	माल
1	2 (क)	2 (ख)	3 (क)	3 (ख)
1982	158651	208720	164076	211506
1983	152721	212364	154050	222999
1984	159247	221435	157852	234977

टिप्पणी : निपटाये गये मामलों की संख्या प्राप्त मामलों की संख्या से अधिक है क्योंकि कुछ मामले पिछले वर्ष से संबंधित थे जो उसी वर्ष नहीं निपटाये जा सके थे और वे अगले वर्ष के लिए अग्रेनीत हो गये थे।

रेलवे के विद्युतीकरण कार्य हेतु सीमेंट कंक्रीट स्लीपरों के स्थान पर "नहार वुडन स्लीपर"

4690. **श्री रामेश्वर नीखरा** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड भारतीय रेल में विद्युतीकरण कार्य के लिये विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से "नहार वुडन स्लीपर्स" की खरीद कर रही है;

(ख) अभी तक "नहार वुडन स्लीपरों" की खरीद पर कुल कितनी राशि व्यय की गई है;

(ग) इन "नहार वुडन स्लीपरों" की जांच किससे कराई जा रही है और दुर्घटना से सुरक्षा सम्बन्धी जांच रिपोर्ट क्या है; और

(घ) 130 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से चलने वाली गाड़ियों के लिये सीमेंट कंकीट स्लीपर उपयोग में न लाने के क्या कारण हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) भारतीय रेलें रेलपथों के लिए जिनमें विद्युतीकृत मार्ग भी शामिल हैं, नाहर लकड़ी के स्लीपर खरीद रही हैं।

(ख) 1984-85 और 1985-86 के दौरान खरीदे गये नाहर लकड़ी के स्लीपरों की लागत निम्नलिखित थी :—

1984-85	13.38 करोड़ रुपये
1985-86	6.46 करोड़ रुपये
(नवम्बर, 1985 तक)	

(ग) नाहर लकड़ी के स्लीपरों का उपयोग का अनुसंधान संस्थान, देहरादून द्वारा आवश्यक परीक्षण करने और स्वीकृति दी जाने के बाद शुरू किया गया था। प्रत्येक स्लीपर का राज्य वन विभाग के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है और पास किया जाता है।

(घ) सभी रेलपथों पर, जिनमें 130 कि० मी० प्रति घंटा की रफ्तार के लिए स्वीकृत रेलपथ भी शामिल हैं, कंक्रीट स्लीपरों का व्यापक उपयोग किया जाता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा धनराशि दिये जाने में विलम्ब होना

4691. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में विश्वविद्यालयों में इमारतों के निर्माण, अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों और अन्य कार्यों के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत की गई कुल धनराशि के लिये दिये जाने/उपयोग में असाधारण विलंब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है, जिनमें विश्वविद्यालयों के अधिकारियों की गलतियों के कारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत धनराशि के दिये जाने में उपयोग में छः महीने से अधिक विलम्ब हुआ है;

(ग) इतना अधिक विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत धनराशि का बिना विलम्ब के दिया जाना/उपयोग किया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निधियां जारी करने या ऐसी निधियों का पश्चिम बंगाल में विश्वविद्यालयों द्वारा उपयोग करने में अत्यधिक देरी होने के कोई मामले नहीं हैं। अनुदान की प्रथम किस्त, आयोग द्वारा पुस्तकों और उपस्करों की खरीद के लिए मूल सूचना प्राप्त होने के तुरन्त बाद, कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए वास्तव में नियुक्ति किए जाने और इसकी सूचना आयोग को दिए जाने के बाद, और भवन के लिए सक्षम प्राधिकारियों द्वारा विधिवत अनुमोदित नक्शे तथा अनुमानित लागात प्राप्त हो जाने के बाद दी जाती है। अनुवर्ती किस्तें विश्वविद्यालयों द्वारा समय-समय पर सूचित किए गए व्यय की प्रगति के आधार पर जारी की जाती हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा पोर्ट ब्लेयर, धीमापुर और लेह के लिए पुनः सीटों के आबंटन की व्यवस्था

4692. **श्री पी० नामग्याल** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्प्यूटर प्रणाली शुरू की जाने के बाद लम्बी दूरी वाले स्थानों के लिए इंडियन एयरलाइन्स के विमानों में स्थानों की बुकिंग की पुष्टि दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई जैसे क्षेत्रीय स्टेशनों से की जाती है;

(ख) क्या देश में पोर्ट ब्लेयर, धीमापुर, सिलचर और लेह जैसे अनेक दूरस्थ स्टेशनों पर ऐसी कोई संचार सुविधा नहीं है जो उन्हें क्षेत्रीय कम्प्यूटर तंत्र से जोड़ती हो;

(ग) क्या इन स्टेशनों के लिये पहले क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किए जाने वाले सीटों के आबंटन की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है जिसके परिणामस्वरूप यात्रा के इच्छुक यात्रियों को भारी असुविधा हो रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त स्टेशनों में जब तक टेलैक्स संचार सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो जातीं तब तक वहां सीटों के आबंटन की पहली जैसी व्यवस्था पुनः शुरू करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) केवल वे स्टेशन जो कम्प्यूटर प्रणाली से सीधे जुड़े हुए नहीं हैं वे लेह, इलाहाबाद, खजुराहो, काबुल, नासिक तथा गोरखपुर हैं।

(ग) जी, नहीं। इन स्टेशनों से उड़ानों का नियंत्रण प्रस्थान से सात दिन पहले उन्हें प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

बोइंग 757 के आर्डर को रद्द करना और ए-320 विमान की खरीद का प्रस्ताव

4693. **प्रो० राम कृष्ण मोरे** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1984 में किसी समय उस समय के वायु सेना अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति ने यह सिफारिश की थी कि दो इंजनों वाला 206 सीटों वाला बोइंग 757 विमान इंडियन एयरलाइन्स के लिए मध्यम क्षमता वाला बहुत ही उपयुक्त विमान है;

(ख) क्या यह भी सच है कि बोइंग कम्पनी को एक दर्जन विमानों के लिए आशय-पत्र जारी करने के बावजूद भी सरकार ने पहले निर्णय को रद्द करते हुए प्रस्ताव को वापस ले लिया है और इसके बजाए 31 ए-320 विमानों की सप्लाई के लिए फ्रांस की एक कम्पनी को आशय-पत्र जारी कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उच्चस्तरीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर लिए गए पहले निर्णय को रद्द कर सरकार द्वारा उक्त निर्णय लिये जाने के क्या कारण हैं ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) बोइंग-757 विमान के प्रस्ताव की तुलना में, एयर बस ए-320 विमान के तकनीकी-आर्थिक लाभों के अधिक होने के कारण ऐसा किया गया था ।

बाढ़ नियंत्रण के लिए ड्यूक्स एंड डाईक्स प्रौद्योगिकी

4694. **डा० चिन्ता मोहन** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार की बाढ़ से फसलों को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए आन्ध्र प्रदेश जैसे तटवर्ती क्षेत्रों में बार-बार आने वाली बाढ़ को रोकने हेतु इन क्षेत्रों में हालैण्ड की "ड्यूक्स एण्ड डाईक्स" प्रौद्योगकी का प्रयोग करने की कोई योजना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

बाढ़ नियन्त्रण के और समुद्र द्वारा भूमि कटावरोधी परियोजनाओं के लिये प्रावधान

4695. **श्री अतीश चन्द्र सिंह** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के छठी योजना के स्वीकृत परिव्यय में बाढ़ नियंत्रण और समुद्र द्वारा भूमि कटावरोधी परियोजनाओं के लिये प्रावधान किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रावधानों का ब्यौरा क्या है और वर्ष 1980-85 के दौरान उनका कितना वास्तविक उपयोग किया गया है; और

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में प्रावधानों का पूरा उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) 1980-85 के दौरान 200 करोड़ रुपए के परिव्यय का अनुमोदन किया गया था और प्रत्याशित व्यय 91.73 करोड़ रुपए होने की संभावना है।

(ग) इस कमी का कारण राज्य में संसाधनों की समग्र कमी है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जलमग्न भूमि

4696. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्लूस द्वारों की मरम्मत और निर्माण न किये जाने के कारण अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के विभिन्न भागों में भूमि का बड़ा क्षेत्र समुद्र के पानी में डूबा हुआ है;

(ख) क्या इससे ग्रामीणों की फसलों को नुकसान हुआ है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं और क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार प्रदेश में बाढ़ की कोई आशंका नहीं है। तथापि, सागर तथा नदी कटाव से सुरक्षा के लिए अण्डमान और निकोबार प्रशासन विद्यमान बंधों/दीवारों तथा जल कपाटों को सुदृढ़ करने का कार्य कर रहा है। जहां पर भी आवश्यक है वहां जल कपाटों के निर्माण के लिए 1986-87 के लिए 2 लाख रुपए के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

यौन और हिंसा पर आधारित फिल्में

4697. **डा० डी० एन० रेड्डी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि अब प्रदर्शित की जाने वाली बड़ी संख्या में फिल्में यौन और हिंसा से भरी होती हैं और देश के नवयुवकों पर बुरा प्रभाव डालती हैं; और

(ख) क्या सरकार भारतीय फिल्मों से बेहतर विदेशी फिल्मों का, जो यौन और हिंसा को चित्रित न करती हों, आयात करने का विचार कर रही है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) हिंसा जैसी समाज-विरोधी गतिविधियों को न तो बढ़ावा दिया जाए अथवा न ही उन्हें न्यायसंगत ठहराया जाए तथा अशिष्टता, अश्लीलता और भ्रष्टता द्वारा मानव भावनाओं को ठेस न पहुंचायी जाए, इनको सुनिश्चित करने की आवश्यकता की सरकार को जानकारी है। तद्नुसार, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड जो सिनेमाटोग्राफ अधिनियम, 1952 के प्रावधानों तथा इसके अन्तर्गत जारी

की गई मार्गदर्शी रूपरेखाओं के अनुसार सार्वजनिक प्रदर्शन के उद्देश्य के लिए फिल्मों की जांच करने के लिए जिम्मेदार है, द्वारा इस दिशा में प्रयास किए जाते हैं।

(ख) ऐसा कोई विशिष्ट प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

भाषाओं के प्रचार पर व्यय

4698. **डा० चिन्ता मोहन** : क्या मानव संसाधान विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन-सी हैं;

(ख) देश में अधिक बोली जाने वाली और अन्य भाषाएं कौन-कौन-सी हैं;

(ग) इन भाषाओं के प्रचार पर कितना व्यय हुआ है; और

(घ) क्या भरकार प्रत्येक भाषा-भाषी लोगों की संख्या के सम्बन्ध में व्यय सुनिश्चित करेगी ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) हिन्दी।

(ख) 1971 में भारत की जनगणना के अनुसार, संविधान की VIII वीं अनुसूची में दी गई निम्नलिखित भाषाएं व्यापक रूप से बोली जाती थीं :

(1) बंगला
(2) तेलगु
(3) मराठी
(4) तमिल
(5) उर्दू
(6) गुजराती
(7) मलयालम
(8) कन्नड़
(9) उडिया
(10) पंजाबी
(11) असमी
(12) कश्मीरी
(13) सिन्धी

इन भाषाओं को, बोले जाने वाले लोगों की संख्या के आधार पर उतरते क्रम से रखा गया है।

(ग) और (घ) भारत सरकार कई केन्द्रीय तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं और भाषाओं के अनुसंधान, विकास प्रशिक्षण तथा विस्तार के लिए स्थापित संस्थाओं द्वारा उर्दू और

सिन्धी सहित प्राचीन तथा आधुनिक सभी भारतीय भाषाओं की उन्नति और विकास के लिए प्रयत्नशील है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग द्वारा पिछली तीन वर्षों में किए गए खर्च का वर्षवार तथा भाषावार ब्यौरा इस प्रकार है :—

(रु० लाखों में)

	1982-83	1983-84	1984-85
हिन्दी	164.23	321.59	393.59
उर्दू	26.07	30.21	40.33
सिन्धी	3.10	3.20	4.00
अन्य आधुनिक भारतीय भाषाएं	131.19	143.87	170.31
संस्कृत	254.25	306.58	346.04

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग द्वारा किए गए खर्चे के अतिरिक्त राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा भी, भाषाओं के विकास और उन्नति के लिए, विशेषकर क्षेत्रीय भाषाओं जिनके विकास की उनकी मुख्य जिम्मेदारी है, खर्च किया जाता है।

नांगल-अम्बाला छावनी शटल में बम विस्फोट

4699. **श्री अनंत प्रसाद सेठी :**
श्री आर० एम० भोये :
श्री एम० रघुमा रेड्डी :
श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 नवम्बर, 1985 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "स्ट्रिक्ट सिक्यूरिटी स्टैप्स इन पंजाब ट्रेन्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि 22 नवम्बर, 1985 को पंजाब में शम्भू रेलवे स्टेशन पर नांगल अम्बाला छावनी शटल में शक्तिशाली बम विस्फोट हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) उत्तर रेलवे के सरहिन्द-अम्बाला छावनी खण्ड पर राजपुरा-शम्भू रेलवे स्टेशनों के बीच चल रही गाड़ी नं० 6 यू० एस० एन० में 22-11-1985 को केवल एक बम विस्फोट हुआ था। विस्फोट के परिणामस्वरूप, 4 यात्रियों की मृत्यु हो गयी थी तथा 19 यात्री घायल हो गये

थे। राज्य पुलिस प्राधिकारियों ने भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए रेलवे स्टेशनों, प्लेटफार्मों और रेल गाड़ियों में व्यापक प्रबन्ध किये हैं। जिले में आकस्मिक जांच करने के अलावा, पुलिस ने पंजाब में गहन जांच भी की है।

राष्ट्रीय सेवा योजना पर व्यय

4700. **प्रो० एम० आर० हाल्दर :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना (एन० एस० एस०) के लिए विश्वविद्यालयों के माध्यम से कितनी राशि व्यय की गई;

(ख) इस कार्यक्रम के लिये कलकत्ता विश्वविद्यालय को कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(ग) कलकत्ता विश्वविद्यालय को आबंटित धनराशि में से कितनी राशि का उपयोग किया गया ?

युवक कार्यक्रम और खेल तथा महिला कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान क्रमशः 289.30 लाख रुपये, 305.63 लाख रुपये और 384.77 लाख रुपये की सहायता का केन्द्रीय हिस्सा राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों को विश्वविद्यालयों को दिए जाने के लिए, मुक्त किया गया था।

(ख) और (ग) पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तपेदिक पर एक पुनश्चर्या कार्यक्रम

4701. **श्रीमती प्रभावती गुप्त :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 नवम्बर, 1985 के सर्चलाइट में प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि हाल ही में नरसिंह गंज (बिहार) में इंडियन मेडिकल एशोसिएशन, बिहार मण्डल के अध्यक्ष की अध्यक्षता में तपेदिक पर एक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें "केमओथेरापी" में हाल में हुए विकास को ध्यान में रखकर इस घातक बीमारी का मुकाबला करने के लिए तरीकों और साधनों के बारे में संक्षिप्त चर्चा की जानी थी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस खतरनाक बीमारी पर नियंत्रण करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) रिफैम्पिसिन और पायराजिनामाइड युक्त रसायन चिकित्सा औषध विधान

लघु कोर्स के लिए देश के 18 जिलों में मुख्य रूप से मार्गदर्शी अध्ययन शुरू किए गए हैं। प्राप्त किए गये अनुभव और परिणामों के आधार पर इस योजनावधि के आगामी वर्षों के दौरान और क्षयरोग केन्द्रों को शामिल करने का विचार है।

राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम को इस समय केन्द्र और राज्यों के बीच 50 : 50 हिस्से के आधार पर एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। केन्द्रीय हिस्से के अन्तर्गत क्षयरोग रोधी औषधियों, ओडेल्का कैमरे वाली एक्स-रे यूनिटें और एक्स-रे फिल्में सप्लाई की जाती हैं। इस समय देश में उपकरणों और स्टाफ से लैस 361 जिला क्षयरोग केन्द्र, 319 अन्य क्षय रोग क्लिनिक और 45500 क्षयरोग पलंग कार्यरत हैं।

भारतीय जहाजरानी निगम द्वारा कंटेनर पोतों की खरीद

4702. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे पोतों सहित आधुनिक कंटेनरों की अनुपलब्धता के कारण लगभग 90 प्रतिशत कंटेनर माल यातायात विदेशी पोतों द्वारा किया जा रहा है तथा भारतीय जहाजरानी निगम 9 प्रतिशत माल ही ढो पाती है;

(ख) क्या भारतीय जहाजरानी निगम ने देश के भीतर और देश के बाहर तटीय व्यापार करने के लिए अभी तक कोई आधुनिक कंटेनर माल पोत नहीं खरीदा है;

(ग) क्या जहाज बनाने वाले कुछ विदेशी कारखानों ने दीर्घावधि ऋण सुविधाओं पर अपने कंटेनर पोत सप्लाई करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) जहाजरानी निगम के पोत बेड़े में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) वर्ष 1984 में कंटेनर ट्रैफिक में भारतीय जहाजों का अंश लगभग 15% था और भारतीय नौवहन निगम का अंश लगभग 14% था।

(ख) हालांकि भारतीय नौवहन निगम ने अब तक सेलुलर कंटेनर जहाज नहीं खरीदा है, फिर भी मौजूदा जरूरतें ऐसे जहाजों को टाइस चार्टर पर लेकर पूरी की जाती है।

(ग) कंटेनर जहाजों के निर्माण के लिए भारतीय नौवहन निगम के टेंडर के उत्तर में विभिन्न शिपयार्डों ने डिलीवरी की तारीख तक कीमत के 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत राशि के बराबर दीर्घावधि ऋण सुविधा और शेष 90 प्रतिशत से 80 प्रतिशत कीमत के लिए आस्थगित ऋण या 8 से 15 वर्ष की अवधि के लिए ऋण देने की पेशकश की है।

(घ) भारतीय नौवहन निगम के सातवीं योजना में खरीद कार्यक्रम में मुख्यत: कंटेनर जहाजों, खाद्य तेल कैरियरों, फास्फोरिक एसिड कैरियरों, अमोनिया कैरियरों आदि जैसे विशेष प्रकार के आधुनिक जहाजों की खरीद की परिकल्पना की गई है।

तिनसुकिया मेल में सुविधाएं

4703. **श्री वांगफा लोवांग** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिनसुकिया मेल से यात्रा करने वाले यात्रियों को उचित सुविधाओं, जो एक मेल

गाड़ी में होनी चाहिए जैसे डिब्बों में फिटिंग्स स्वच्छता, बिस्तर की उपलब्धता और खान-पान सुविधा आदि के अभाव में भारी असुविधा होती है; और

(ख) यदि हां, तो तिनसुकिया मेल में कार्यकुशलता और सेवा में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) जी नहीं । तिनसुकिया मेल में उपयुक्त यांत्रिक एवं बिजली फिटिंगों सफाई, यात्रा बैगों तथा खान-पान सुविधाओं के रूप में पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था की गई है । तथापि, सेवाओं में और सुधार करने की दृष्टि से मार्गवर्ती अनुरक्षण हेतु गाड़ी के साथ जाने के लिए बिजली विभाग के पर्याप्त अनुरक्षण कर्मचारियों की व्यवस्था की गई है । गाड़ी के साथ चल सफाई वाले चलने तथा दिन के समय चलती गाड़ी में सफाई करने की व्यवस्था भी की गई है तथापि, जब कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी जांच की जाती है और उपयुक्त उपचारी उपाय किए जाते हैं ।

राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में रेल लाइन

4704. **श्री बुद्धि चन्द जैन : क्या परिवहन मंत्री** रेगिस्तानी क्षेत्रों में रेल लाइन के बारे में 17.11.83 के तारांकित प्रश्न संख्या 57 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग नई रेल लाइनें बिछाने के बारे में पर्वतीय क्षेत्रों, बिशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र, की ओर विशेष ध्यान दे रहा है;

(ख) क्या राजस्थान राज्य के रेगिस्तानी क्षेत्रों, विशेष रूप से थार रेगिस्तान, पर्वतीय क्षेत्रों की अपेक्षा कहीं अधिक अविकसित और पिछड़े हैं, की ओर सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार उपर्युक्त विषमताओं और असमानताओं को दूर करके रेगिस्तानी क्षेत्रों के साथ न्याय करेगी; और

(ङ) क्या रेल विभाग बीकानेर से कांडला, बरास्ता, जैसलमेर और बाडमेर को इसमें शामिल करेगा ताकि सातवीं पंचवर्षीय योजना में पठानकोट को कान्डला पत्तन से जोड़ा जा सके ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) उत्तर पूर्वी क्षेत्र में नयी रेल लाइनों का निर्माण राष्ट्रीय एकता के आधार पर तथा सीमावर्ती पहाड़ी राज्यों को जोड़ने के लिए अनुमोदित किया गया है ।

(ख) से (घ) जी नहीं । राजस्थान में निम्नलिखित नयी लाइनें तथा आमान परिवर्तन परियोजनाएं प्रगति पर हैं :

नई लाइनें :

1. कोटा-चित्तौड़गढ़-नीमच
2. मथुरा-अलवर

मीटर लाइनों का बड़ी लाइनों में आमान परिवर्तन :

1. सूरतगढ़-बीकानेर (लालगढ़)

2. बड़ी लाइन में बदली गयी सूरतगढ़-अनूपगढ़ लाइन को मार्च, 1985 में यातायात के लिए खोल दिया गया है। अवशिष्ट निर्माण-कार्य प्रगति पर है।

(ङ) फिलहाल इसके निर्माण को सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राजमपेट रेलवे स्टेशन (आन्ध्र प्रदेश) के पास उपरिपुल

4705. **श्री एस० पलाकोड्रायुडू** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण मध्य रेलवे का आन्ध्र प्रदेश में राजमपेट रेलवे स्टेशन के पास उपरिपुल के निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह कब से लम्बित पड़ा है; और

(ग) यदि कोई ऐसा प्रस्ताव लम्बित नहीं है, तो सरकार उपरिपल का निर्माण कार्य शुरू करने का विचार कर रही है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रेलें वर्तमान व्यस्त समपारों के बदले ऊपरी/निचले सड़क पुलों का निर्माण सम्बद्ध राज्य सरकार के साथ लागत में हिस्सेदारी के आधार पर संयुक्त रूप से करती हैं। इस संबंध में प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा इस आश्वासन के साथ प्रायोजित किये जाने अपेक्षित होते हैं कि वह लागत में अपना हिस्सा वहन करेगी। इस मामले में राज्य सरकार से अभी तक कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

लखनऊ हवाई अड्डे पर पानी जमा हो जाना

4706. **श्री सरफराज अहमद** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में हुई वर्षा के कारण लखनऊ के अमौसी हवाई अड्डे पर पानी जमा हो गया था और हवाई अड्डा कुछ दिनों तक प्रयोग नहीं किया जा सका था;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे और क्या विगत समय में भी ऐसी स्थिति पैदा हुई थी; और

(ग) सरकार ने यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही की है कि भविष्य में ऐसी स्थिति पैदा न हो ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) वर्षा का पानी (1) विमान क्षेत्र के बाहर नाली के रुक जाने और (2) एप्रन और धावनपथ के धरातल के ऊपर नीचे होने के कारण जमा हो गया था। इस प्रकार की स्थिति 1982 में भी उत्पन्न हो गई थी।

(ग) विमान क्षेत्र परिसर के अन्दर और बाहर की नालियों में सुधार करने के लिए राज्य सरकार के प्राधिकारियों के साथ समन्वय किया गया है। धावनपथ के पुनः सतह लेपन का भी विचार है जिससे यह एप्रन के बराबर ऊंचा हो जाए।

[अनुवाद]

डोनकोंडा में आपात हवाई अड्डा

4707. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में डोनकोडा में आपात हवाई अड्डा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रयोग में लाया जाता है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार बेकार पड़ी इस विशाल भूमि को भूमिहीन गरीबों में वितरित करने के बारे में विचार करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इस हवाई अड्डे का उपयोग करने के लिए अन्य क्या प्रस्ताव हैं ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) डोनकोंडा में एक हवाई पट्टी है, जिसका प्रयोग फ्लाइंग क्लब द्वारा क्षेत्रपार उड़ानों तथा आपात अवतरण के के लिए किया जाता है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

फैजाबाद (उत्तर प्रदेश) में राजकीय इन्टर कालेज के निकट रेलवे क्रासिंग पर ऊपरी पुल

4708. **श्री निर्मल खत्री** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे विभाग को उत्तर प्रदेश सरकार से फैजाबाद में शहरी क्षेत्र में स्थित राजकीय इंटर कालेज के निकट रेलवे क्रासिंग पर यातायात की सुविधा के लिए ऊपरी पुल के निर्माण के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

श्री राम सागर सिंचाई परियोजना

4709. **श्री बी० एन० रेड्डी** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संशोधित श्री राम सागर सिंचाई चरण-एक परियोजना की मंजूरी दे दी गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो उक्त परियोजना की नवीनतम स्थिति क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) केन्द्रीय जल आयोग ने परियोजना को तकनीकी दृष्टि से स्वीकृति दे दी है और यह योजना आयोग की सलाहकार समिति के विचाराधीन है ।

किराए पर विमान देने के लिए एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स की पेशकश

4710. **श्री प्रताप राव भोसले** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को, एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा खरीदे जाने वाले विमानों को किराये पर देने संबंधी कोई पेशकश प्राप्त हुई है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो किराये/उधार की शर्तें क्या हैं ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां ।

(ख) अभी तक इस मामले में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा उड़ानों में क्षमता से अधिक बुकिंग

4711. **श्री एस० जी० घोलप** : क्या **परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डियन एयरलाइन्स द्वारा बम्बई में कम्प्यूटर की खराबी के कारण क्षमता से अधिक की बुकिंग की जाती है जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या दिनांक 30 अक्तूबर, 1985 को उड़ान संख्या आई० ई० सी० 183 में 230 यात्रियों की क्षमता के विपरीत 265 यात्रियों की बुकिंग की पुष्टि कर दी गई जिसके कारण हवाई अड्डे पर कठिनाई उत्पन्न हो गई थी; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) विमान क्षमता

अधिकतम उपयोग करने और प्रतिक्षा सूची में यात्रियों की संख्या को घटा कर समय पर उड़ानों को सुनिश्चित करके, इण्डियन एयरलाइन्स की सभी जेट उड़ानों पर सुनियोजित रूप से मामूली प्रतिशत की अधिक बुकिंग की जाती है।

(ख) इण्डियन एयरलाइन्स ने जेट उड़ानों पर यात्रियों को उतारने की स्थिति से बचने के लिए अधिक संख्या में बुकिंग के स्तर को कम कर दिया है और अधिक बुक की गई सीटों की संख्या का निर्धारण, कुछ समय के दौरान बुकिंग के रुझान पर नजर रख कर दिया जाता है।

(ग) इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा 30 अक्तूबर, 1985 को उड़ान संख्या आई० सी० 183 पर बुक किए गये यात्रियों की संख्या "जे-श्रेणी" में 33 थी और "वाई-श्रेणी" में 252 थी। तथापि यात्रियों को विमान से उतारने का कारण यह था कि विदेशी एयरलाइनों और इण्डियन एयरलाइन्स के एजेंटों द्वारा बुक किए गये 28 यात्रियों के नाम हवाई अड्डे पर यात्री सूची में अंकित नहीं थे।

(घ) इस बुकिंग का मामला, जिसका कोई रिकार्ड नहीं था, विदेशी एयरलाइनों और सम्बन्धित एजेन्टों के साथ उठाया गया है।

कलकत्ता मेट्रो रेलवे की लागत में वृद्धि के कारण

4712. **श्री अमल दत्त** : क्या **परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता की मेट्रो रेलवे की कुल लागत का वर्तमान आकलन क्या है;

(ख) अब किये गये आकलन के अनुसार प्रमुख कार्यों की लागत क्या है और यह पूर्व-आकलन की तुलना में कितनी है; और

(ग) क्या लागत में वृद्धि का कोई विश्लेषण किया गया है और यदि हां, तो इस वृद्धि के मुख्य कारण क्या हैं ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) संशोधित संक्षिप्त अनुमान के, जिसकी संवीक्षा की जा रही है, अनुसार अनुमानित लागत की राशि 833 करोड़ रुपये है।

(ख) निर्माण कार्यों के प्रमुख शीर्षों के अनुसार 833 करोड़ रुपये की लागत का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

सर्वेक्षण	1.04 करोड़ रुपये
भूमि	11.89 करोड़ रुपये
भूमि आदि के लिए किराया प्रभार	6.82 करोड़ रुपये
सिविल इंजीनियरी संरचनात्मक कार्य	406.82 करोड़ रुपये
चल-स्टाक की लागत	202.92 करोड़ रुपये
चल-स्टाक को छोड़कर बिजली की लागत	99.82 करोड़ रुपये
सिगनल और दूर-संचार की लागत	62.50 करोड़ रुपये
सामान्य प्रभार	64.19 करोड़ रुपये
विनिर्मुक्त सामग्रियों के लिए जमा तथा पूंजीगत लेखों में प्राप्ति	23.00 करोड़ रुपये

इससे लागत से 140.30 करोड़ रुपये की मूल अनुमानित लागत की तुलना में लगभग 692.70 करोड़ रुपये की वृद्धि परिलक्षित होती है।

(ग) जी हां। 1972 में स्वीकृत मूल अनुमान के बाद मूल सामग्री जैसे सीमेंट, इस्पात, पत्थर-चिप्स, सिगनल और बिजली उपस्कर तथा मशीनरी के मूल्यों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। चल-स्टाक की लागत और कर्मचारियों की मंजूरी में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। सड़क यातायात को कम-से कम बाधा पहुंचे, इससे प्राप्त किए गए अनुभव के परिणामस्वरूप अपनायी गयी निर्माण प्रणाली विज्ञान में परिवर्तन के कारण भी मामूली वृद्धि हुई है। इन सभी कारणों से लागत बढ़ गयी।

अधिक राजस्व कमाने के लिए 8½ वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त यात्रा तथा अन्यों के लिए पूरी टिकट के प्रस्ताव

4713. **श्री विष्णु मोदी** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलगाड़ियों में 12 वर्ष से बड़े बच्चों की पूरी टिकट, 5 से 12 वर्ष तक के बच्चों की आधी टिकट ली जाती है तथा 5 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त यात्रा करने की अनुमति है;

(ख) क्या सरकार 8½ वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त यात्रा करने की अनुमति देने तथा अन्यों से पूरी टिकट लेने पर विचार करेगी ताकि आधी टिकटों को प्रणाली समाप्त हो सके;

(ग) यदि हां, तो क्या इस प्रणाली के अन्तर्गत यात्रियों के लिए अधिक सुविधाओं और आरक्षण की सुचारू व्यवस्थाएं की जा सकती हैं और विभाग को भी अधिक राजस्व की आय होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो रेलवे द्वारा इस प्रणाली के अन्तर्गत कुल कितना राजस्व प्राप्त तथा अतिरिक्त वार्षिक लाभ होने की संभावना है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) ऐसे प्रस्तावों की विगत में जांच की गयी है। यदि मुफ्त यात्रा के लिए बच्चों की आयु सीमा को बढ़ाकर 8½ वर्ष तक किया जाता है तो 5 वर्ष से बड़े बच्चों के साथ यात्रा करने वाले माता/पिता को असुविधा होगी क्योंकि वे अलग से सीट/शायिका पाने के पात्र नहीं होंगे।

लाइसेंसशुदा कुलियों को वेतन और अन्य सुविधायें

4714. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के लाइसेंसशुदा कुलियों की न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अनुसार वेतन दिये जाने का विचार है;

(ख) क्या उन्हें चिकित्सा सहायता सुविधा भी दी जायेगी और उनके बच्चों को रेलवे में रोजगार देने में प्राथमिकता दी जायेगी; और

(ग) क्या लाइसेंसशुदा कुलियों के परिवार के सदस्यों को अन्य रेल कर्मचारियों की तरह रेलों में यात्रा करने के लिये निःशुल्क पास दिये जायेंगे ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं। लाइसेंसधारी भारिक रेल कर्मचारी नहीं हैं। वे यात्रियों का सामान ढोने के लिए उनसे ही अपना निर्धारित शुल्क प्राप्त करते हैं। लेकिन जब रेलों की अभिरक्षा में पार्सलों तथा सामान की ढुलाई के लिए उनकी आवश्यकता होती है तो उन्हें मजदूरी का भुगतान स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अकुशल कामगारों के लिए निर्धारित की गयी न्यूनतम दर पर किया जाता है।

(ख) लाइसेंसधारी भारिक रेलवे अस्पतालों/डिस्पेंसरियों में केवल निशुल्क बाह्य उपचार के पात्र हैं। यदि लाइसेंसधारी भारिकों को स्टेशन पर यात्रियों का सामान ढोते समय चोट लग जाती है तो उनका अन्तरंग उपचार भी किया जाता है। रेल सेवाओं के लिए भर्ती रेल भर्ती बोर्डों द्वारा की जाती हैं और विभिन्न नियोजन कोटियों के लिए निर्धारित अर्हता के आधार पर होती हैं तथा नियमित रेल कर्मचारियों के आश्रितों अथवा किसी अन्य को कोई तरजीह नहीं दी जाती है।

(ग) जी नहीं, क्योंकि लाइसेंसधारी भारिक रेल कर्मचारी नहीं हैं।

कोचीन शिपयार्ड की क्षमता का उपयोग

4715. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :**

डा० वी० वेंकटेश :

क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोचीन शिपयार्ड को पर्याप्त क्रयादेश नहीं मिल रहे हैं और फलस्वरूप यार्ड में कार्य-भार कम होता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा शिपयार्ड के लिए कार्य-भार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ताकि यह अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर सके; और

(घ) क्या मंत्रालय के कोचीन शिपयार्ड में उपलब्ध क्षमता का उपयोग करने हेतु अन्य मंत्रालयों जैसे पेट्रोलियम, महासागर विकास और रक्षा तथा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के एककों के साथ उठाया है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, हां।

(ख) मेसर्स चौगले स्टीमशाप लिमिटेड ने 75,000 डी० डब्ल्यू० टी० बल्क कैरियर जहाज 006 के लिए 1980 में एक ठेका दिया था जिसे मालिकों द्वारा एकतरफा रूप से रद्द कर दिया गया है। 67,000 डी० डब्ल्यू० टी० वाले पैनामेक्स बल्क कैरियर के लिए भारतीय नौवहन निगम द्वारा 1982 में एक आशय पत्र दिया गया था जिसे 1984 में रद्द कर दिया गया था।

(ग) अब भारतीय नौवहन निगम ने 86,000 डी० डब्ल्यू० टी० वाले तीन तेल टैंकरों

के लिए आशय पत्र दिया है और भारतीय नौवहन निगम द्वारा शीघ्र ही एक करार किया जाएगा।

(घ) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड सरकार की सहायता से जहां कहीं आवश्यक हो, अन्य संगठनों जैसे तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, पत्तन न्यासों और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों से काम प्राप्त करने की सम्भावनाओं का पता लगा रहा है।

दैतारी-बांसपानी रेल लाइन

4716. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में दैतारी-बांसपानी रेल लाइन बिछाने में काफी विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) प्रस्तावित लाइन के बिछाने में कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) उपर्युक्त लाइन को पूरा करने के लिए किए गए आबंटन का ब्यौरा क्या है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (घ) जखापुरा-बांसपानी रेल लाइन का प्रथम चरण अर्थात जखापुरा से दैतारी तक का (33 कि० मी०) भाग 1981 में पूरा हो गया था और यातायात के लिए खोल दिया गया था। शेष खण्ड पर कार्य शुरू नहीं किया गया है क्योंकि जखापुरा-दैतारी लाइन पर यातायात ने मूर्तरूप नहीं लिया तथा संसाधनों की बेहद कमी है। अब तक 6.78 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं और चालू वर्ष के बजट में केवल सांकेतिक परिव्यय की व्यवस्था की गयी है।

भारतीय जहाजरानी निगम के पास नए जहाजों की डिलीवरी के लिये लंबित पड़े प्रस्ताव

4717. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** :
श्री एच० जी० रामुलु :

क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय जहाज रानी निगम के स्वामित्व में अधिकांश दक्षिणी कोरियाई मूल के जहाज अवधि तक नहीं चले;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय जहाजरानी निगम के पास पश्चिमी जर्मनी और अन्य देशों सहित यूरोपीय शिपयार्डों से 90 प्रतिशत ऋण योजना सहित कंटेनर पोतों के साथ-साथ नए जहाजों की डिलीवरी के लिए कई प्रस्ताव लंबित पड़े हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारतीय जहाजरानी निगम के जहाजी बेड़े में वृद्धि हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

(ग) विश्व व्यापी टेंडरों के उत्तर में भारत को विशेष जहाजों की आपूर्ति के लिए भारतीय नौवहन निगम को यूरोप के कुछ शिपयार्डों सहित कई शिपयार्डों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। कंटेनर जहाजों से संबंधित विशिष्ट मामले में सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) भारतीय नौवहन निगम के लिए सातवीं योजना प्रस्तावों में कंटेनर जहाजों, फास्फोरिक एसिड कैरियर्स, खाद्य तेल कैरियर्स इत्यादि खरीदने के प्रस्ताव शामिल हैं।

कन्याकुमारी में हवाई अड्डा

4718. **श्री एन० डेनिस** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में कन्याकुमारी में एक हवाई अड्डा बनाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) क्या इस संबंध में प्रारंभिक जांच करने हेतु कोई कदम उठाये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) कन्याकुमारी में हवाई अड्डा का निर्माण करने की कोई योजना नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

कोचीन-मदुरै रेल लाइन

4719. **श्री टी० बशीर** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन-मदूरै रेल लाइन का सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रस्तावित लाइन कितनी लम्बी होगी; और

(घ) उस पर कितने रेल स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है और उनके नाम क्या हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) सर्वेक्षण लगभग पूरा हो गया है और रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) कोचीन और बोदिनायक्कनूर के बीच नयी बड़ी लाइन की लम्बाई 127 कि० मी० और बोदिनायक्कनूर और मदुरै के बीच आमान परिवर्तन की लम्बाई 90 कि० मी० है।

(घ) नयी लाइन पर निम्नलिखित 13 स्टेशन खोलने का प्रस्ताव है :—

तूपूणित्रा (वर्तमान स्टेशन)

छोट्टानिक्कारा थाटडकनया रोड

कोलनचेरी	तान्नमकुपटी रोड
मुकत्तूपझा	तन्नेल स्टेशन
कोफामंगलम	कुट्टीरताल्पन
कोनूकल	थेवरम् हाल्ट
नेरियामंगलम्	बोदिनायक्कनूर

बोदिनायक्कनूर से मदुरै तक आमान परिवर्तन होने पर मीटर लाइन के मौजूदा स्टेशनों को बरकरार रखने का प्रस्ताव है।

कर्नाटक राज्य द्वारा सिंचाई योजना के लिए विश्व बैंक सहायता की मांग

4720. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या जल ससाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर कर्नाटक, घाटप्रभा और मालाप्रभा की प्रमुख सिंचाई योजनायें विश्व बैंक की मंजूरी और सहायता की प्रतीक्षा में है, क्योंकि धन राशि की नई भारी सहायता के बिना इस क्षेत्र की विशाल सिंचाई क्षमता का उपयोग नहीं हो पायेगा; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या इस संबंध में विश्व बैंक से बातचीत की गई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) अपर कृष्णा, घाटप्रभा और माल प्रभा की बृहद परियोजनाएं विश्व बैंक सहायता के लिए विचाराधीन हैं। राज्य सरकार से अभिनिर्धारण रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई हैं।

छठी योजना के दौरान नौवहन टन माल के लक्ष्य और उपलब्धियां

4721. **श्री यशवंत राव गडाख पाटिल** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना अवधि के दौरान जहाजों द्वारा कितनी नौवहन टन माल की क्षमता बढ़ायी गई और योजना में इसका लक्ष्य क्या था; और

(ख) टन माल सम्बन्धी लक्ष्य की प्राप्ति में गिरावट, यदि कोई हो, के क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) छठी योजना में 2 मिलियन जी० आर० टी० की वृद्धि के लक्ष्य की तुलना में 0.77 मिलियन जी० आर० टी० की ही वृद्धि हुई।

(ख) नौवहन उद्योग में विश्वव्यापी मंदी से खासकर 1982 के बाद भारतीय नौवहन कंपनियों के पास नए जहाज खरीदने के लिए धन का अभाव हो गया है। इसके अलावा कुछ भारतीय नौवहन कंपनियों खासकर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने मंदी के कारण अन्तर्राष्ट्रीय मंडी में जहाजों की गिरती कीमत का लाभ उठाने के लिए अपने खरीद कार्यक्रम में जान-बूझकर देरी कर दी है।

बाढ़ पूर्व-चेतावनी डिवीजन का स्थानान्तरण

4722. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में बुस्ता में कार्य कर रहे बाढ़ पूर्व-चेतावनी डिवीजन का स्थानान्तरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में इस क्षेत्र के लोगों में व्याप्त बढ़ते हुए असन्तोष को ध्यान में रखते हुये सरकार इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करेगी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) चूंकि उड़ीसा में बुस्ता में हमारा कोई बाढ़ पूर्वानुमान डिवीजन नहीं है अतः यह प्रश्न नहीं उठता ।

कुमेतपुर न्यू-कूच बिहार रेल लाइन

4723. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुमेतपुर से न्यू-कूच बिहार के बीच 90 पौंड की रेल लाइन है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसे 105 पौंड की लाइन में बदलने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी हां, कुमेदपुर से न्यूकूच बिहार तक कुल 298 कि० मी० लम्बाई में से लगभग 255 कि० मी० में 90 पौंड की पटरियां हैं ।

(ख) 129 कि० मी० की लम्बाई में 90 पौड की पटरी वाला रेल पथ गतायु हो गया है और उसका 52 किलोग्राम की पटरी से नवीकरण करने का कार्यक्रम है ।

[हिन्दी]

कैंसर के इलाज के बारे में इलैक्ट्रो होम्योपैथिक प्रैक्टिशनरों का दावा

4724. **श्री कुंवर राम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलैक्ट्रो होम्योपैथिक प्रैक्टिशनरों के कैंसर को ठीक करने के लिए दावे की जांच की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) इलैक्ट्रो होम्योपैथिक प्रणाली में कैंसर के रोगियों के इलाज में किसी दवाई को

प्रभावी पाया गया है और क्या इसके उत्पादन और वितरण के विकास की कोई योजना है; और

(घ) क्या इलैक्ट्रो होम्योपैथिक शिक्षा को बढ़ावा देने का कोई प्रस्ताव है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्णकुमार) : (क) से (घ) तथाकथित इलेक्ट्रो होम्योपैथी भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है ।

[अनुवाद]

केंद्रीय सड़क परिवहन विकास वित्त निगम

4725. **श्री अजय विश्वास : क्या परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के राज्य परिवहन उपक्रमों की सहायता के लिए एक पृथक केंद्रीय सड़क परिवहन विकास वित्त निगम की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो निगम के वर्तमान कार्यकलाप क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक स्थापित करने का विचार है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) राष्ट्रीय परिवहन विकास परिषद की बैठक में निगम के प्रस्तावित ढांचे की उपयोगिता के बारे में कुछ मत व्यक्त किए गए थे । राष्ट्रीय परिवहन विकास परिषद द्वारा इस बारे में अंतिम रूप से निर्णय लिये जाने के पहले कार्यदल द्वारा इसकी जांच की जानी है ।

जैपुर-मलकागिरी रेल लिंक

4726. **श्री नित्यानन्द मिश्र : क्या परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में जैपुर से मलकागिरी तक रेल लाइन के निर्माण का प्रस्ताव सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त परियोजना की अनुमानित लागत क्या है; और

(ग) सातवीं योजना में उपर्युक्त लाइन के निर्माण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में जैपुर से मलकानागिरि तक रेलवे लाइन का निर्माण शुरू करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

स्टीम और स्लैक कोयले के लिये गुजरात को वैगनों का आबंटन

4727. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983, 1984 और 1985 की मांग की तुलना में स्टीम कोयला और स्लैक कोयले से भरे कितने डिब्बे गुजरात भेजे गये;

(ख) वर्ष 1983-84 और 1985 के दौरान कोयला खदानों से गुजरात को वास्तव में कुल कितने माल डिब्बे भेजे गए;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात को आबंटित रेल माल डिब्बों के कोटे में 50 से 60 प्रतिशत तक की कमी रही;

(घ) क्या कमी के परिणामस्वरूप ईंट निर्माता यूनिटों और सिरेमिक फैक्ट्रियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि चालू वर्ष के दौरान गुजरात को कोयला खदानों से स्टीम और स्लैक कोयले का पूरा कोटा भेजा जाये ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) वर्ष 1983, 1984 और 1985 के दौरान भाप और स्लेक कोयले के लिए गुजरात राज्य की दैनिक औसत मांग और लदान की संख्या नीचे दी गयी है :—

(चौपहियों के हिसाब से)

वर्ष	मांग	लदान और प्रेषण
1983	1425	999
1984	1478	1106
1985 (अक्तूबर तक)	1677	1212

(ग) जी नहीं ।

(घ) रेलों के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ङ) कोयला कम्पनियों द्वारा कोयले की पर्याप्त पेशकश की जाने पर रेलवे को गुजरात के लिए कोयले की ढुलाई में और वृद्धि करने में कोई आशंका नहीं है ।

पालम हवाई अड्डे पर इलैक्ट्रानिक आटो प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज का परिचालन

4728. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलैक्ट्रानिक आटो प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज पालम हवाई अड्डा, नई दिल्ली में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के तत्वावधान में 1982 से कार्य कर रहा है;

(ख) क्या राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण विधेयक, 1985 की उद्घोषणा हो जाने के बाद, इस एक्सजेंज का प्रबन्ध जो अब तक गैर सरकारी रूप से चलाया जा रहा था, भारतीय विमान-पत्तन प्राधिकरण द्वारा चलाया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो क्या वहां पर इस समय काम करने वाले कर्मचारी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सेवा नियमों से विनियमित होंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो इन कर्मचारियों का क्या होगा ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) इस समय एक्सचेंज का प्रबन्ध ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है और इस व्यवस्था को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

नदी परिवहन का संचालन

4729. **श्री जी० एस० मिश्र** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नदी परिवहन का व जिसकी योजना बनाई जा रही है, संचालन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा "केवटों" की सहकारी समितियों द्वारा किया जाएगा जो यह कार्य काफी समय से कर रही है; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं "केवट" वर्ग को जो नदी से माल लाने-ले जाने का कार्य करती है, उसे अपने आनुवांशिक कार्यों से वंचित रखा जाए ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जलयानों की प्रचालन व्यवस्था को केवल राजकीय क्षेत्र के अधीन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । प्राइवेट आपरेटरों को जलयान चलाने की पूरी छूट होगी जो इस बात पर निर्भर है कि वे राष्ट्रीय जलमार्गों में नौचालन और सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन करें ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

त्रिचूर जिले (केरल) में मुल्लोरकराई रेलवे स्टेशन

4730. **श्री पी० ए० एन्टनी** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल के त्रिचूर जिल में मुल्लोरकराई रेलवे स्टेशन को बन्द करने सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) क्या सरकार उक्त मांग पर विचार करेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां ।

(ख) मुल्लोरकराई स्टेशन को यात्री बुकिंग तथा पार्सल यातायात की सुविधा समाप्त किये बिना फ्लैग स्टेशन में बदलने का प्रस्ताव दक्षिण रेलवे के विचाराधीन है ।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के लिए कम्प्यूटर

4731. **श्री नारायण चौबे** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर में पिछले कई वर्षों से कोई कम्प्यूटर नहीं है;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के अधिकारी पिछले कई वर्षों से एक अच्छा कम्प्यूटर उपलब्ध कराने के लिए सरकार से लगातार निवेदन करते रहे हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि अपेक्षित कम्प्यूटर के उपलब्ध न होने के कारण भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में शिक्षण कार्य पर प्रभाव पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को एक अच्छा कम्प्यूटर उपलब्ध कराने में क्या बाधाएं हैं और क्या सरकार का विचार उक्त भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को कम्प्यूटर उपलब्ध कराने का है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (घ) बड़ी संख्यामें कम्प्यूटर प्रणाली प्राप्त करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के अनुरोध पर भारत सरकार ने अब तक संस्थान को एक करोड़ एक लाख रु० का अनुदान दिया है। संस्थान ने पहले ही संयुक्त राज्य अमेरिका से एक शक्तिशाली प्रणाली का चयन कर लिया है और इसके आयात के लिए भी इलेक्ट्रानिक विभाग की अनुमति प्राप्त कर ली है। निर्माता द्वारा आवश्यक निर्यात अनुमति प्राप्त करने के बाद ही संस्थान द्वारा प्रत्यय पत्र खोला जाएगा।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में इंडियन एयरलाइन्स के नये वायु-मार्ग

4732. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या परिवहन मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नये वायु मार्गों पर विमान चलाने की क्या योजना और कार्यक्रम है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइन्स में, नये मार्ग को खोलने का निर्णय यात्रियों की संख्या और स्टेशनों के बीच संपर्क के गहन अध्ययन के आधार पर किया जाता है। यातायात के रुझान में इस प्रकार के परिवर्तनों का दीर्घावधिक आधार पर अनुमान नहीं लगाया जा सकता, इसलिए सातवीं योजना अवधि के दौरान मार्गों/सेवाओं परिवर्तन यातायात के स्थान में परिवर्तन के आधार पर किया जाएगा।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास/साहित्य अकादमी द्वारा विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित पुस्तकें

4733. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न भारतीय भाषाओं में लिखी गई ऐसी पुस्तकों की

संख्या कितनी है, जिनका अनुवाद तथा प्रकाशन राष्ट्रीय पुस्तक न्यास तथा साहित्य अकादमी द्वारा किया गया है; और

(ख) इनमें से कितनी हिन्दी भाषा की थीं और कितनी अन्य भारतीय भाषाओं की ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) विभिन्न भारतीय भाषाओं में लिखी गई पुस्तकों, जिनका पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय पुस्तक न्यास तथा साहित्य अकादमी द्वारा अनुवाद तथा प्रकाशन किया गया है, की संख्या क्रमशः 40 तथा 46 हैं।

(ख) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा प्रकाशित 40 पुस्तकों में से 26 पुस्तकें हिन्दी में थीं तथा 14 अन्य भारतीय भाषाओं में थीं। साहित्य अकादमी द्वाराप्रकाशित 46 पुस्तकों में से 3 हिन्दी में थीं तथा शेष अन्य भारतीय भाषाओं में थीं।

राष्ट्रीय शिक्षा, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रकाशित विज्ञान की पुस्तकें

4734. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा विज्ञान सम्बन्धी कितनी पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं;

(ख) इन प्रकाशनों के बारे में भारत में और विदेशों में लोगों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इन प्रकाशनों के स्वरूप में सुधार लाने और इनकी संख्या बढ़ाने के बारे में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद् ने पिछले तीन वर्षों के दौरान 97 विज्ञान पुस्तकें प्रकाशित की हैं। इसके अलावा, रा० शै० अ० प्र० परिषद् द्वारा स्कूलों के छात्रों तथा शिक्षकों के लिए तिमाही विज्ञान पत्रिका भी प्रकाशित की जाती है।

(ख) इन प्रकाशनों की भारत तथा विदेशों में प्रतिक्रिया अनुकूल है।

(ग) रा० शै० अ० प्र० परिषद् के मुख्य उद्देश्यों में से एक स्कूलों में विज्ञान शिक्षा का गुणात्मक सुधार करना है। इसके विज्ञान प्रकाशनों की कोटि में सुधार करने के लिए सतत् प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रयोजनार्थ इन पुस्तकों के बारे में अध्यापकों और छात्रों से रा० शै० अ० प्र० परिषद् में सूचना एकत्र करने के लिये प्रयास किये जाते हैं तथा इन प्रकाशनों की कोटि में सुधार करने के लिए अपेक्षित संशोधन/परिवर्तन शामिल किए जाते हैं।

चूंकि ये पुस्तकें केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (के० मा० शि० बो०) से सम्बन्धित केन्द्रीय विद्यालयों तथा स्कूलों के लिए तैयार की जाती हैं अतः इनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इनकी संख्या में वृद्धि की जाती है।

कुष्ठ रोगियों के उपचार के लिए बहु औषधि पथ्य

4735. **श्री आर० एम० भोये** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह है कि सरकार द्वारा एक ऐसे बहु औषधि पथ्यापथ्य नियम का पता लगाया

गया है जिससे कुष्ठ रोग के इलाज का दौर कम होता है; और

(ख) क्या नया इलाज कम महंगा है और देश में आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु पर्याप्त है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां ।

(ख) कुष्ठ रोगियों की रोगमुक्ति के लिए किए जाने वाले बहु औषधीय उपचार में दो वर्ष का समय लगता है जबकि डेपसन के किये जाने वाले उपचार में दस वर्ष से भी अधिक समय लगता है और उससे रोगी के पूरी तरह रोग मुक्त होने की गारन्टी नहीं होती । इस पृष्ठभूमि को देखते हुए बहु औषधीय उपचार को डेपसन उपचार के मुकाबले कम खर्चीला कहा जा सकता है हालांकि बहुऔषधीय उपचार में उपयोग में लाई जाने वाली औषधियों की वार्षिक लागत डेपसन से किये जाने वाले इलाज की अपेक्षाकृत अधिक होती है ।

बहु औषधीय उपचार के लिए औषधियां पर्याप्त रूप से उपलब्ध हैं ।

सैन्ट्रल कौंसिल फार रिसर्च इन होम्योपैथी द्वारा मानसिक रोगों में अनुसंधान

4736. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैन्ट्रल कौंसिल फार रिसर्च इन होम्योपैथी द्वारा केरल स्थित अपने अनुसन्धान केन्द्र में मानसिक रोगों के क्षेत्र में कोई अनुसन्धान किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो यह अनुसन्धान कार्य कब से चल रहा है तथा इस अनुसन्धान पर अब तक कितनी राशि व्यय की गई है और इसकी उपलब्धियां क्या हैं; और

(ग) इस अनुसन्धान के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) मानसिक रोगों में होम्योपैथिक औषधियों की प्रभावकारिता पर 1977 से केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान (होम्योपैथी), कोट्टायाम में अनुसन्धान कार्य चल रहा है । चूंकि इस संस्थान के विभिन्न अन्य क्लिनिकल समस्याओं का कार्य भी सौंपा गया है इसलिए अकेले मानसिक रोगों पर किए गए अनुसन्धान पर खर्च की गई धनराशि का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है । इन अनुसन्धान प्रयासों के आधार पर आचरण सम्बन्धी विकारों में अब तक 13 होम्योपैथी औषधियों की प्रभावकारिता का पता लगाया गया है । 1984-85 से यह अनुसन्धान कार्य यह पता लगाने के लिए किया जा रहा है कि जिन रोगों के लिए ये दवाएं लिखी जानी हैं उनके विश्वसनीय लक्षण क्या हैं और उनके लिए कितनी शक्ति की दवा दी जानी है तथा कितनी बार दी जानी है ।

केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद् द्वारा श्वसनी-दमें में अनुसन्धान

4737. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसन्धान परिषद् द्वारा श्वसनी-दमें पर अनुसन्धान किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो यह किस तारीख से किया जा रहा है, अब तक रजिस्टर किए गए रोगियों की संख्या कितनी है और कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है; और

(ग) वास्तविक उपलब्धियां क्या हैं तथा इसके कब तक पूरे होने की आशा है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) (क) जी, हां।

(ख) इस परिषद् के अधीन विभिन्न क्लिनिकल एककों में श्वसनी दमा पर जुलाई, 1972 से अनुसन्धान कार्य चल रहा है। अब तक 10551 मामलों में अध्ययन किया गया है। चूंकि एक क्लिनिकल अनुसन्धान एकक को अध्ययन करने के लिए अनेक क्लिनिकल समस्याएं सौंपी जाती जाती हैं, इसलिए किसी एक रोग के लिए खर्च की गई धनराशि का अलग से ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ग) श्वसनी दमा के उपचार में होम्योपैथी की प्रभाकारिता की पुष्टि 40 औषधियों का पता लगाकर कर ली गई है। वर्ष 1984-85 से अनुसन्धान कार्य को यह पता लगाने के लिए नया रूप दिया गया है कि जिन रोगों के लिए दवाएं लिखी जानी हैं उनके विश्वसनीय लक्षण क्या हैं और कितनी क्षमता वाली कितनी खुराकें दी जानी हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की क्षमता का उपयोग

4738. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय (जल-भूतल परिवहन) के प्रबंधाधीन सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम की क्षमता के बारे में ब्यौरा क्या है और इस समय ऐसे प्रत्येक उपक्रम में कितनी क्षमता का उपयोग किया जा रहा है;

(ख) क्या क्षमता का कम उपयोग किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे प्रत्येक उपक्रम में क्षमता का उपयोग बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

1. केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम

(क) (I) राजाबागान डॉकयार्ड

	स्थापित क्षमता	क्षमता उपयोग	प्रतिशत उपयोग
(I) जहाज निर्माण और फेब्रीकेशन समकक्ष क्षेत्र (जन शक्ति अपेक्षा के आधार पर)	1710 एम. टी.	1150 एम. टी.	67%
(II) जहाज मरम्मत उत्पादन-लागत	200 लाख रु०	168.55 लाख रु०	84%
(3) सामान्य इंजीनियरी उत्पादन लागत	100 लाख रु०	58.51 लाख रु०	59%
(II) नदी सेवा प्रभाग	3.80 लाख एम. टन	2.50 लाख एम. टन	65%

(ख) उक्त स्थापित क्षमता की तुलना में प्रतिशत उपयोग संतोषप्रद क्षमता उपयोग दर्शाता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

2. दिल्ली परिवहन निगम :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान औसत कार्य-दिन पर, दिल्ली परिवहन निगम की बसों का उपयोग 90 प्रतिशत रहा है जो निर्धारित मानदंडों के बराबर है। औसत यान उपयोग 200 कि० मी० प्रतिदिन के मानदंड की तुलना में 205 कि० मी० प्रति बस प्रतिदिन था। ये मानदंड सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए सड़क परिवहन पर कार्यकारी समूह द्वारा सुझाए गए थे।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

3. भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड और

4. मुगल लाइन लिमिटेड :

(क) जहां तक भारतीय नौवहन निगम लि० और लाइन लि० का संबंध है, क्षमता के निर्धारण के कोई विशेष मानदंड निर्धारित नहीं किए गए हैं। इसलिए भारतीय नौवहन निगम तथा मुगल लाइन लि० की क्षमता और क्षमता उपयोग का विवरण देना बहुत कठिन है। तथापि, नौवहन निगम और मुगल लाइन लि० का बेड़ा-उपयोग नीचे दिए गए अनुसार है :

	जहाजों की कुल संख्या	उपयोग में लाए जा रहे जहाजों की संख्या	प्रतिशत बेड़ा उपयोग
भारतीय नौवहन निगम	147	140	95% (लगभग)
मुगल लाइन लिमिटेड	13	11	85% (लगभग)

(ख) बेड़ा उपयोग संतोषप्रद समझा जा रहा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

5. भारतीय निकर्षण निगम :

	क्षमता 1985-86	क्षमता उपयोग अप्रैल-नवम्बर, 1985
(क) नाजुक सामग्री का निकर्षण	173.35 लाख क्यू० मीटर	72%

(ख) क्षमता उपयोग पर्याप्त समझा जाता है।

(ग) तथापि क्षमता उपयोग को अधिकतम बनाने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

6. **कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड :**

(क) परियोजना स्टेज में, निर्माण के 10 वर्ष और प्रति वर्ष दो जहाजों (150000 डी. डब्ल्यू. टी. और 11 जहाजों के निर्माण की क्षमता उपलब्ध करना शामिल है। तथापि परामर्श-दाताओं द्वारा किए गए पर्याप्त अध्ययन से संकेत मिलते हैं कि कुछ अतिरिक्त बैर्लेसिंग सुविधाएं इस क्षमता में को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं।

(ख) वर्ष 1984-85 में क्षमता सबसे अधिक उपयोग किया गया, जो 58,510 डी. डब्ल्यू. टी. था। वर्ष 1985-86 के दौरान केवल 53,700 डी. डब्ल्यू. टी. उत्पादन की योजना है। नए निर्माण के लिए आर्डरों का अभाव होने के कारण क्षमता उपयोग में आई है।

(ग) भारतीय नौवहन निगम के लिये प्रत्येक 86000 डी. डब्ल्यू. टी. क्षमता के तीन टैंकरों के निर्माण के आर्डरों को शीघ्र ही पूरा किए जाने की संभावना है। निर्माण और सामग्री प्रबंध क्षेत्रों में विभिन्न सिस्टमों और प्रणालियों को लागू करके बेहतर उत्पादकता उपलब्ध की गई है। बेहतर प्रबंधकीय नियंत्रण, पर्यवेक्षण और सामान्य अनुशासन में सुधार आने से भी उत्पादकता बेहतर हुई है।

7. **हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड :**

स्थापित क्षमता 1985-86	क्षमता उपयोग (अप्रैल-नवंबर, 85)	वर्ष का लक्ष्य (80% क्षमता)	अप्रैल-नवंबर, 85 के लिए लक्ष्य	लक्ष्य (अप्रैल-नवंबर, 1985) पर उपयोग की प्रतिशतता
4.10 जहाज (प्रत्येक 21500 डी. डब्ल्यू. टी. के प्वाइनर प्रकार के जहाज 88,150 डी. डब्ल्यू. टी. के समतुल्य)	2.16 जहाज 46440 डी. डब्ल्यू. टी. के	3.28 जहाज	2.18 जहाज	99.08%

(ख) अप्रैल-नवम्बर, 1985 के दौरान क्षमता के उहयोग में मामूली कमी आई है।

(ग) (I) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की गतिविधियों में विविधता आई है और इसने तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के लिए ड्रिल जहाज तथा ओ. पी. एस. एस. जहाजों का निर्माण कार्य शुरू किया है।

(II) तेल एवं प्राकृतिक गैम आयोग के लिए प्लेटफार्मों के निर्माण के लिए मौजूदा शिपयार्ड के निकट एक यार्ड का विकास किया गया।

8. **भारतीय सड़क निर्माण विभाग :**

(क) भारतीय सड़क निर्माण निगम लीबिया, ईराक, यमन अरब गणराज्य तथा भारत में

कार्य कर रहा है। कार्यों के नाम, प्रत्येक क्षेत्र में निर्धारित क्षमता और प्रत्येक क्षेत्र में औसत उत्पादन नीचे दिए गए अनुसार है :

परियोजना का नाम	प्रतिमाह निर्धारित उत्पादन	प्राप्त औसत उत्पादन
लीबिया		
	लाख रु०	लाख रु०
(1) अगेडाबिया-टूबर्क रोड	290.5	108.1
(2) घेरिघाट-देर्ज रोड	283.5	142.1
(3) जितेन समूह की परियोजनायें	157.5	69.0
इराक		
(4) सड़क और कंकरीट परियोजना यमन अरब गणराज्य	87.5	35.7
(5) इब-अल-उद्यान सड़क परियोजना	70.0	11.5
भारत		
(6) अंस पुल	5.4	0.75

(ख) काम कम हुआ है।

(ग) निगम की उत्पादकता और क्षमता उपयोग में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये हैं :

लीबिया परियोजना :

(1) (1) ग्राहकों से भी बीसा देने के लिए कहा गया था। हाल ही में निगम को सूचित किया गया है कि बीसा दिया जाएगा। इसलिए आशा है कि जन-शक्ति लगाने की समस्या अब हल हो जाएगी।

(2) संयंत्रों/उपकरणों की हालत सुधारने के लिए कलपुर्जों की खरीद के लिए दिसम्बर, 1985 के पहले सप्ताह में 3.5 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण दिया गया है। इस परियोजना को जल्दी से पूरा करने के लिए अतिरिक्त उपकरणों की अलग से खरीद करने संबंधी अतिरिक्त ऋण देने का मामला तैयार किया जा रहा है।

यमन अरब गणराज्य परियोजना :

(2) (1) ग्राहकों से यथाअपेक्षित बीसा देने के लिए कहा गया है। आशा है कि बीसा दे दिया जाएगा, क्योंकि लम्बी अवधि से चली आ रही मजदूरी की दरों का मामला हल हो गया है।

(2) एक्सिम बैंक द्वारा एक 1.77 करोड़ रुपए का ऋण, परियोजना की मुद्रा स्फीति ठीक करने के लिए दे दिया गया है। परियोजना के पूरा होने तक भविष्य की जरूरतें पूरा करने के लिए 1.50 मिलियन अमरीकी डालर के मूल्य के अतिरिक्त ऋण का मामला तैयार किया गया है।

इराक की परियोजनाएं :

(3) (1) मूल निर्माण कार्य पूरा हो गया है। फिर भी, ग्राहक ने कार्य-क्षेत्र बढ़ा दिया है।

(2) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा धन देने के लिए आवश्यक गारंटी प्राप्त कर ली गई है। आशा है कि शीघ्र ही बैंकर धन दे देंगे।

भारतीय परियोजनाएं :

4. मेसर्स गेमन इंडिया लि० द्वारा एक सहयोगी के रूप में यह कार्य किया जा रहा है। सभी संसाधन निर्माण स्थल पर पहुंचा दिए गए हैं। निर्माण कार्य चल रहा है।

दक्षिण-पूर्व रेलवे के पांसकुड़ा रेलवे स्टेशन पर रेलवे कार शेड

4739. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे के हावड़ा खड़गपुर सेक्शन में पांसकुड़ा रेलवे स्टेशन पर रेलवे कार शेड की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कार शेड से कुल कितने लोगों को रोजगार मिलेगा; और

(घ) अब तक कितने व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां। भविष्य में, दक्षिण पूर्व रेलवे के हावड़ा खड़गपुर खण्ड में पांसकुड़ा रेलवे स्टेशन पर एक कार शेड की स्थापना कर प्रस्ताव है।

(ख) पहले चरण में, सात स्टेब्लिंग लाइनों की व्यवस्था करने से सम्बन्धित काम की स्वीकृति दे दी गयी है।

(ग) लगभग 400, जब शेड अपनी पूरी क्षमता पर कार्य करेगा।

(घ) कोई नहीं।

पारादीप पत्तन में डूबे जहाज निकालना

4740. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने जून, 1985 में पारादीप पत्तन में डूबे डूबे जहाज ओ० टी० 3 निकालने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व व्यापी निविदाएं आमंत्रित की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो किन-किन देशों और संगठनों ने प्रत्युत्तर दिया है और किन की निविदाएं स्वीकार की गई हैं; और

(ङ) शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(च) इस कार्य के कब तक आरम्भ होने तथा पूरा होने की सम्भावना है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, हां ।

(ख) मलबा निकालने का ठेका "काम नहीं तो भुगतान नहीं" आधार पर दिए जाने का प्रस्ताव है ।

(ग) पारादीप पोर्ट ने एम० ओ० टी-III और अन्य मलबा निकालने के लिए विश्वव्यापी टेंडर आमंत्रित किए थे ।

(घ) तीन बैध टेंडर प्राप्त हुए थे, जिनके ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

क्रम सं०	संगठन	देश
1.	मैसर्स स्मिट टाक टावेज एण्ड साल्वेज (एस) प्रा० लि० (यह फर्म नीदरलैंड की एक फर्म की सहायक फर्म है)	सिंगापुर
2.	मैसर्स विज्समूलर साल्वेज बी. वी.	नीदरलैंड
3.	मैसर्स मरीन डिवेच लि०	भारत

पारादीप पोर्ट ट्रस्ट ने ऊपर क्रम संख्या 1 पर दी गई फर्म का टेंडर मंजूर किया था ।

(ङ) मुख्य शर्तें निम्नलिखित हैं :

(1) ठेका "काम तो नहीं तो भुगतान नहीं" आधार पर होगा ।

(2) एम० ओ० टी०III का मलबा 9,50,000 डालर की लागत से और अन्य मलबा (कोणार्कका) 1,550,000 डालर की लागत से निकाला जाएगा ।

(3) एम० ओ० टी०-III का पूरा मलबा और अन्य मलबा इसी अनुकूल मौसम में निकाला जाएना और ऐसा न कर पाने पर अगले अनुकूल मौसम में ठेके की उसी लागत पर निकाला जाएगा ।

(4) पोर्ट ट्रस्ट द्वारा निर्दिष्ट स्थानों से मलबे की उसकी वर्तमान स्थिति से पोर्ट सम्पत्ति तीसरी पार्टी के कार्मिकों अथवा जल-मार्गों की कोई क्षति पहुंचाए बिना निकाला जाएगा ।

(5) मलबा निकालने के काम से किसी भी हालत में किसी प्रकार का नौचालनात्मक जोखिम अथवा नौचालन अथवा रख-रखाव और/अथवा एप्रोच चैनल और सैंड ट्रेप से की जा रही कैपिटल ड्रेजिंग में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए।

(च) फर्म ने 6.12.1985 को पारादीप पोर्ट ट्रस्ट को सूचित किया कि अब उन्हें ठेके में कोई रुचि नहीं है। अत: यह बताना संभव नहीं है कि काम कब तक पूरा हो जाएगा।

रिक्त पदों पर नियुक्तियां करने का प्रतिबन्ध

4741. **श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिनांक 9 अक्तूबर, 1985 के आदेश द्वारा केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद्, होम्यापैथिक भेषज प्रयोगशाला, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान और केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद में सभी श्रेणियों के रिक्त पदों पर नियुक्तियां करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में अनुदेशों का सम्बन्धित संगठनों द्वारा पालन किया जा रहा है और किसी भी संगठन द्वारा कोई नई नियुक्तियां अथवा नियुक्तियों की पेशकश नहीं की गई है;

(ग) इनमें से किन संगठनों द्वारा प्रतिबन्ध आदेशों के प्रभावित होने के पश्चात् मंत्रालय के निदेशों की अवहेलना कर नई नियुक्तियां की गई हैं अथवा नियुक्ति की पेशकश की गई; और

(घ) सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) सरकार के 9 अक्तूबर, 1985 के आदेश के अनुसार इन संस्थाओं के रिक्त पदों को भरने के लिए जारी की गई सभी मंजूरियां आगामी आदेशों तक रोके जाने का आदेश दिया गया था। लेकिन ये हिदायतें प्रति-नियुक्ति आधार पर या पदोन्नति द्वारा रिक्तियों को भरे जाने के मामलों में लागू नहीं होंगी।

(ख) से (घ) यह सूचना एकत्र की जा रही है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालयों में महत्वपूर्ण दवाइयों की कमी

4742. **श्रीमती कृष्णा साही** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के औषधालयों और दिल्ली में सुपर बाजार में महत्वपूर्ण दवाइयों की कमी है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालयों ने औषधियों को सूची में शामिल या सूची में शामिल नहीं वर्गीकृत किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इनड्रल, एनसीडल, एल्डोमेट और डिसपरिन जैसी औषधियां सूची में शामिल हैं या सूची में शामिल नहीं हैं; और

(घ) औषधियों को "सूची में शामिल" या "सूची में शामिल नहीं" में वर्गीकृत करने का क्या आधार है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) इनड्रल, एनसीडल, एल्डोमेट और डिसप्रिन जैसी दवाइयां सूची में शामिल हैं और ये दवाइयां जातीय नामों से सप्लाई की जाती हैं।

(घ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में इस्तेमाल की जाने वाली इवाइयों का चयन एक समिति अर्थात केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना फार्मुलरी समिति द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की फार्मुलरी में शामिल की गई इवाइयां सूची में शामिल हैं। फार्मुलरी को वर्ष में एक बार संशोधित किया जाता है जिससे कि योजना की आवश्यकताओं के अनुसार दवाइयों को बढ़ाया या घटाया जा सके।

केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे

4743. **श्री मानिक रेड्डी : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान केन्द्र पुणे, सरकार द्वारा तथा विदेशों से प्राप्त समस्याओं सहित अन्यों द्वारा उसे भेजी गई 450 बड़ी समस्याओं पर कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह केवल लगभग 10 प्रौद्योगिकी मामलों का हिन्दुस्तान टाइम्स पर कार्य करने की कई सरकार की नई नीतियों/कार्यक्रमों के अनुरूप हैं; और

(ग) केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान केन्द्र द्वारा अपने 1600 कर्मचारियों के स्टाफ की सहायता से अब तक विचाराधीन समस्याओं को हल किए जाने की आशा है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधानशाला, पूणे विभिन्न राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों, केन्द्रीय विभागों और अन्यों द्वारा भेजी गई लगभग 400 से 500 विशिष्ट समस्याओं तथा एसकेप क्षेत्र के देशों द्वारा विदेश से प्राप्त हुई कुछ समस्याओं को निपटाती है। यह सरकार की किसी नीति के प्रतिकूल नहीं है। प्रत्येक मामले में निर्धारित शर्तों और समय-सारणी के अनुसार समस्याओं को हाथ में लिया जाता है।

सातवीं योजना के दौरान पश्चिम बंगाल में शिक्षा के लिये परिव्यय

4744. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने सातवीं योजना के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल में शिक्षा के लिये परिव्यय संबंधी कोई प्रस्ताव दिया था;

(ख) यदि हां, तो सातवीं योजना के अन्तर्गत शिक्षा के लिये पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तावित परिव्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) पश्चिम बंगाल के लिए सातवीं योजना परिव्यय के संबंध में शिक्षा संबंधी कार्य दल ने क्या सिफारिशें की हैं;

(घ) केन्द्रीय सरकार का इस संबंध में क्या विचार है; और

(ङ) सातवीं योजना अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में धनराशि का उपयुक्त उपयोग सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल सरकार प्रस्तावित सातवीं योजना के परिव्यय के ब्यौरे और योजना आयोग में शिक्षा संबंधी कार्यदल की सिफारिशें निम्नलिखित हैं :—

(लाख रुपए में)

सातवीं योजना परिव्यय

	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित	कार्य दल द्वारा अनुशासित
1. सामान्य शिक्षा	43728	75428
2. तकनीकी शिक्षा	4528	4528
3. खेल और युवा-कल्याण	3810	3810
4. कला और संस्कृति	1088	1088
योग	53154	84854

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा, खेल और युवाकल्याण और कला एवं संस्कृति के लिए पश्चिम बंगाल के लिए योजना आयोग ने 32,000 लाख रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया है।

(ङ) शिक्षा की योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। प्रारंभिक तथा प्रौढ़ शिक्षा के कोर क्षेत्र कार्यक्रमों के लिए निधियों का सही तरीके से उपयोग करने के लिए इन्हें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों के अन्तर्गत शामिल कर लिया गया है तथा इनके लिए विशेष रूप से निधियां निर्धारित तथा उपलब्ध कराई जाती हैं। राज्य वार्षिक योजना सम्बन्धी चर्चाओं के समय भी शिक्षा संबंधी कार्यदल उत्तरवर्ती वर्ष के लिए परिव्यय की सिफारिश करते समय निधियों के उपयोग की समीक्षा करता है।

इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों में घटिया किस्म का खाना दिया जाना

4745. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों में घटिया किस्म का नाश्ता/माध्याह्न भोजन/रात्रि भोजन दिया जा रहा है;

(ख) क्या सैंडविच तथा मीठी रोटी बहुत ही बासी होते हैं;

(ग) क्या सरकार इस बात को सुनिश्चय करेगी कि इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों में अच्छी किस्म के दक्षिण भारतीय नाश्ता/मध्याह्न भोजन/ रात्रि भोजन कभी दिये जाएं; और

(घ) यदि हां, तो खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स द्वारा परोसे जाने वाले नाश्ते की व्यंजन-सूची में इडली, बड़ा साम्बर और चटनी आदि जैसे बढ़िया किस्म के दक्षिण भारतीय व्यंजन पहले से शामिल होते हैं ।

(घ) इंडियन एयरलाइन्स बेहतर नियोजन करके, व्यंजन सूचियों में परिवर्तन करके और उत्तम श्रेणी के खान-पान प्रबन्धकों को नियुक्त करके, अपनी उड़ानों में परोसे जाने वाले भोजन की किस्म में सुधार करने के लिए लगातार प्रयत्न करती रहती है ।

पश्चिम बंगाल सरकार के शिक्षा मंत्री द्वारा आपत्तियां

4746. **श्री एस० एम० भट्टम** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, 1985 में दिल्ली में हुए शिक्षा मंत्रियों के द्वी-दिवसीय सम्मेलन में शिक्षा की एक राष्ट्रीय प्रणाली पर सहमति हुई थी; और

(ख) इस प्रणाली की, जिस पर पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री द्वारा आपत्ति की गई थी, मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ख) नई शिक्षा नीति तैयार करने से पहले राष्ट्रीय स्तर पर वाद-विवाद के एक भाग के रूप में शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित "शिक्षा की चुनौती—एक नीति परिप्रेक्ष्य" दस्तावेज पर राज्य सरकारों के साथ परामर्श आरम्भ करने के लिए 29-30 अगस्त, 1985 को राज्य शिक्षा मंत्रियों का दो दिन का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था ।

2. सम्मेलन ने एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की ओर अग्रसर होने के महत्व का समर्थन किया, जिसमें बच्चों और प्रौढ़ों को समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने के अवसर, स्तरों में सुधार, शिक्षा का व्यावसायीकरण और शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता का संवर्धन शामिल होगा । पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा सरकार के शिक्षा मंत्रियों को छोड़कर पठन-पाठन की प्रक्रिया के सम्बन्ध में पर्यावरण के साथ नए सह सम्बन्ध और विषय-वस्तु के बारे में उच्च डिग्री के लचीलेपन वाले समग्र ढांचे के अन्तर्गत एक सामान्य कोर पाठ्यचर्या तैयार तथा लागू करने के विचार का सभी मंत्रियों ने स्वागत किया । उन्होंने यह महसूस किया कि यह कुछेक राष्ट्रीय

अध्ययन मानदण्ड स्थापित करने, गतिशीलता का संवर्धन करने और राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के भाग के रूप में राष्ट्रीय दृष्टि से साझे प्रत्यक्ष ज्ञान और मूल्य प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन होगा।

3. तथापि, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के शिक्षा मंत्रियों की यह राय थी कि भाषाओं, संस्कृतियों की विभिन्नता और क्षेत्रीय विषमताओं को ध्यान में रखते हुए यह बात राज्यों पर ही छोड़ दी जानी चाहिए कि वे शिक्षा प्रणाली का विकास अपनी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप करें।

भारी मशीनरी को लाने ले जाने के कारण सड़कों और पुलों को हुई क्षति

4747. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी मशीनरी को सड़कों से लाने-ले जाने के कारण सड़कें और पुलों को क्षति हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भारी मशीनरी को यदि उसका वजन 50 टन से अधिक है, सड़क से लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध लगाने का है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) सड़क प्रणाली की क्षमता के संदर्भ में सड़क पर चल रहे वाहन का कुल भार सुरक्षित सीमाओं के अधीन है। परिवहन गाड़ियों के संबंध में महत्तम सुरक्षित एक साल भार के लिए निदेश जारी किए गए हैं जिसमें यह शर्त दी गई है कि एक साथ सभी महत्तम सुरक्षित एक्सल भारों से महत्तम सुरक्षित लदान भार किसी भी प्रकार अधिक नहीं होगा। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि राज्य परिवहन प्राधिकारियों द्वारा गाड़ियों के पंजीकरण करते समय तद्नुसार भार निश्चित किया जाना चाहिए। जहां तक सड़क द्वारा भारी मशीनरी के परिवहन का प्रश्न है, जो कारगो की अविभाज्य प्रकृति के कारण बहुत से मामलों में अति आवश्यक है, राज्य सरकारों की सिफारिशों पर विशेष प्रकार की छूट के तहत अनुमति दी जाती है और उसमें यह शर्त भी शामिल रहती है कि सड़कों, पुलियों, पुलों और अन्य निर्माणों आदि की सुरक्षा हेतु सभी प्रकार की सावधानियों का पालन करने के और राजमार्ग प्राधिकारियों के पर्यवेक्षण को सुनिश्चित करने के बाद ही इस प्रकार के कारगो का परिवहन किया जायेगा।

राजधानी में केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में नर्सों और डाक्टरों की बार-बार हड़ताल होना

4748. **श्री चित्त महाटा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में नर्सों और डाक्टरों के प्रायः हड़ताल करने के मुख्य कारण उनकी सेवा शर्तों और पारिश्रमिक की असंतोषजनक होना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों की नर्सों

और डाक्टरों को बेहतर सेवा शर्तों और पारिश्रमिक देने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो अस्पतालों में उनके द्वारा प्रायः हड़ताल करने के क्या कारण हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) जहां केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में डाक्टरों और नर्सों द्वारा प्रायः हड़ताल नहीं की जा रही है, वहां यह सच है कि उनकी सेवा शर्तों में कई सुधार करने की गुंजाइश है। चौथा वेतन आयोग इस पर ध्यान दे रहा है और इस बारे में स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय की सिफारिशें भी उसे भेज दी गई हैं।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा पुस्तकों का प्रकाशन

4749. **डा० गौरी शंकर राजहंस :**
श्री विजय कुमार यादव :
श्री चन्द्र किशोर पाठक :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा अंग्रेजी, हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में भाषा-वार प्रकाशित की गई मूल पुस्तकों की संख्या और नाम क्या हैं;

(ख) उक्त न्यास द्वारा हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं की अपेक्षा अंग्रेजी में अधिक पुस्तकें प्रकाशित किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) कितने मामलों में हिन्दी पाण्डुलिपियां तैयार कराई गई; परन्तु प्रकाशित नहीं की गई; तथा लेखकों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया गया; और

(घ) "बिहार का भूगोल" की तैयार की गई हिन्दी पाण्डुलिपि के लिए भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं में भाषावार प्रकाशित मौलिक पुस्तकों की संख्या और नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित पुस्तकों की संख्या 36 थी जबकि अंग्रेजी में 24 थी।

(ग) और (घ) न्यास द्वारा प्राप्त पाण्डुलिपियों की जांच की जाती है और लेखक और न्यास के बीच तभी करार पर हस्ताक्षर किये जाते हैं, जब पाण्डुलिपि स्वीकार योग्य पायी जाती है। पाण्डुलिपि के प्रकाशित होने के बाद ही पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है। "बिहार का भूगोल" की पाण्डुलिपि न्यास द्वारा प्रकाशित नहीं की गई थी क्योंकि जब तक पूरी पाण्डुलिपि प्राप्त हुई, यह पाया गया था कि लेखक ने इसे हिन्दी में इसी शीर्षक से बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी के माध्यम से पहले ही प्रकाशित करा लिया था।

विवरण

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान अंग्रेजी, हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में भाषावार प्रकाशित मूल पुस्तकों की संख्या तथा नाम निम्न प्रकार से हैं :—

अंग्रेजी—24

क्र० सं० विवय

1. बिहार
2. ए कैरियर इन दि बुक पब्लिशिंग
3. सम स्ट्रीट गेम्स आफ इन्डिया
4. पुल्मोनरी टयूबर क्लोसिस
5. फोरकास्टिग अर्थक्वेक्स
6. एवरी डे इन्डियन प्रोसेस्ड फुड्स
7. हाऊ मुनिआ फाउन्ड गोल्ड
8. इन्डिया-अलबिरूनी
9. बुई इन्डियन्स
10. पल्यूशन
11. एन्वायरन्मेन्टल पल्यूशन
12. हिस्ट्री आफ प्रिन्टिग एंड पब्लिशिग इन इन्डिया-वाल्युम-1
13. रिपोर्ट आफ दि एटीट्यूडिनल स्टडी एंड प्रोक्यूरिंग हैबिट ऑफ यूथ बिजिटरस'
14. रैड काइट
15. मैड मैन्गो
16. आसफ अली
17. स्टोरी ऑफ ब्लड
18. ज्यांग राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश
19. क्रिएटिव ड्रामा एंड पप्पेटरी इन एजुकेशन
20. रामलिन्गम पोयट एंड प्रोफेट
21. मेघनाद साहा
22. ए स्टोरी अबाउट टी
23. बुल्लक कार्ट एंड सेटेलाइट
24. फोकलोर आफ हिमाचल प्रदेश

हिन्दी—23

1. लैट प्ले एशियन चिल्ड्रन गेम्स
2. आल्हा अदंल
3. सांझा सकारा
4. सुर हीन
5. जय नर्मदा
6. एसुरी
7. असली गवाह-ब्राह्मण और चमार
8. रानी दुर्गावती
9. जड़ी-बूटी
10. हंरदोल
11. ईदगाह
12. हमारा नाटक
13. संत जाम्मेश्वर
14. म्हारे गीत
15. गुजरी महल
16. आओ घूमे हरियाणा
17. अनोखा स्वयंवर
18. हरियाणा के तीज-त्यौरार
19. चन्दन पानी
20. डा० राजेन्द्र प्रसाद
21. कला और सामाजिक मूल्य
22. दिवाली
23. अवर ट्री

बंगला—2

1. छोटोडेर बांगला नाटक
2. हरीनाथ डे

कन्नड़—1

1. मोक्षगुन्डम् विश्वेश्वरया

मराठी—2

1. समर्थ रामदास
2. विनोबा

तमिल—1

1. सुब्रमण्यम भारती

तेलुगु—7

1. सुची सुब्राती
2. व्यावसायामली कोहा पंकारालू
3. वेदी वैन्थुरू
4. अदावारिकी हक्कु लुन्नांगी
5. मन्डु मोक्कालु
6. तेनाली रामा लिन्गम कथालु
7. प्रकृतितो चलागट्म

[हिन्दी]

इंडियन मेडिसन फार्मास्युटिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, मोहान (अल्मोड़ा), उत्तर प्रदेश में श्रमिक असन्तोष

4750. **श्री हरीश रावत :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मोहान (अल्मोड़ा, उत्तर प्रदेश) इंडियन मेडिसिन फार्मास्युटिकल कारपोरेशन लिमिटेड में व्याप्त श्रमिक असन्तोष के कारण वहां पर उत्पादन प्रायः ठप्प पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो श्रमिक असन्तोष के क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किये जाने का विचार है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) सरकार को किसी श्रमिक असन्तोष के बारे में कोई जानकारी नहीं है जिससे इन्डियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, मोहान, उत्तर प्रदेश के उत्पादन पर बुरा असर पड़ा हो। इस फैक्टरी में उत्पादन कार्य चल रहा है।

[अनुवाद]

खतरनाक औषधियों की बिक्री तथा उपयोग में वृद्धि के समाचार

4751. **श्री बी० बी० देसाई :**
श्री एम० बी० चन्नशेखर मूर्ति :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत दो महीनों के दौरान राजधानी में हानिकारक तथा विवादा-

स्पद औषधियों की बिक्री तथा उद्योग में वृद्धि होने के समाचार प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे औषधि विक्रेताओं को गिरफ्तार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उनसे जब्त की गई औषधियों की कुल मात्रा कितनी है;

(घ) क्या ये औषधियां खतरनाक हैं तथा इनसे आदमी की जान जा सकती है;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्यों को स्वापक औषधि तथा मनप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 को गम्भीरतापूर्वक लागू करने का निदेश दिया है; और

(च) यदि हां, तो कितने राज्यों ने अब तक इस अधिनियम को कार्यान्वित किया है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (च) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) ने सूचित किया है कि स्वापक औषधि और मनप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियम सम्पूर्ण देश में 14 नवम्बर, 1985 से लागू हुए थे। इस समय इस नए अधिनियम के उपबंधों को लागू करने से संबंधित प्रभाव का मूल्यांकन करना असामयिक होगा।

भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण द्वारा लिपिकों/सहायकों के विज्ञापित पदों के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए छूट

4752. **श्री अनादिचरण दास** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा लिपिकों/सहायकों पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु जारी किए गए हाल के विज्ञापन में नियमों के किए गए प्रावधान के अनुसार अनुसूचित जातियो तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार को अनुभव में कोई छूट नहीं दी गई है;

(ख) इस विज्ञापन के उत्तर में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों से कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(ग) भर्ती के समय अनुभव में छूट न देने के क्या कारण हैं ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या इस प्रकार है :

अनुसूचित जाति	:	751
अनुसूचित जनजाति	:	58

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवार के मामले में अनुभव में छूट के प्रावधान का उल्लेख भूलवश विज्ञापन में नहीं किया जा सका। तथापि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियो के चयन पर कोई प्रभाव करने की संभावना नहीं है क्योंकि आरक्षित पदों की संख्या की तुलना में उनसे प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या अधिक है।

एम० वी० उनीलक्ष्मी को समुद्र यात्रा योग्यता

4753. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल परिवहन (मर्कान्टाइल मेरिन) विभाग ने हाल ही में यूनिवर्सल शिपिंग कारपोरेशन, बम्बई के एम० वी० उनीलक्ष्मी के मालिकों से उसे समुद्र यात्रा के योग्य घोषित करने से पहले उसकी कुछ मरम्मत करने को कहा था और जहाज की खराब हालत के कारण टूटीकोरीन पत्तन के अधिकारियों ने पहले उस जहाज को उस पत्तन में लंगर डालने की अनुमति देने से इंकार कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो उस समय इस जहाज की हाल संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जहाज को किन परिस्थितियों में समुद्र यात्रा योग्य प्रमाण-पत्र जारी किया गया था;

(घ) इस संबंध में प्राप्त चेतावनियों/रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है कि बीमा का दावा करने के लिए जहाज को छेद करके डुबाया जा सकता है;

(ङ) उक्त जहाज टूटीकोरीन पत्तन से दूर बीच समुद्र में किन परिस्थितियों में डूब गया; और

(च) ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं/उठाये जाने का विचार है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) मर्केन्टाइल मेरीन विभाग, बम्बई ने 13.8.1985 को यूनिवर्सल शिपिंग कंपनी एम० वी० उनीलक्ष्मी को खामियां दूर करने के लिए कहा। जब जहाज मर्केन्टाइल मेरीन विभाग द्वारा आगे निरीक्षण कराए बगैर ही बम्बई से प्रस्थान हुआ, तब मालिक को पहले भारतीय पत्तन पर जहाज का निरीक्षण करवाने के लिए कहा गया। जहाज 31.8.1985 को नमक लादने के लिए टूटीकोरिन पहुंचा। टूटीकोरिन पोर्ट पहले लदान के लिए बर्थ देने के लिए इस आशंका से हिचकिचा रहा था कि यह काफी लम्बे समय तक बर्थ घेरे रहेगा, इस प्रकार अन्य जहाजों को बर्थ सुविधा का उपयोग करने से वंचित रखेगा। तथापि मर्केन्टाइल मेरीन विभाग के सर्वेक्षक ने, जिसने जहाज का निरीक्षण किया, यह महसूस किया कि जहाज पर कार्गो लादते समय भी उसकी अपेक्षित मरम्मत की जा सकती है। इसलिए जहाज को कार्गो लादने की अनुमति दी गई। मालिक को यह स्पष्ट रूप से बता दिया गया कि जहाज की मरम्मत पूरी करने के बाद ही प्रस्थान की अनुमति दी जाएगी।

(ख) टूटीकोरिन में निरीक्षण से पता चला कि इस्पाती डेक की दशा काफी खराब है और हेच-कर्मिक में मरम्मत की जरूरत है और यह सिफारिश की गई कि हल की दशा का पता लगाने के लिए जहाज की ड्राई डाक की जाए।

(ग) जहाज को समुद्र में चलने योग्य होने का कोई प्रमाण-पत्र नहीं दिया गया बल्कि मालिक को यह कहा गया कि जहाज को तब तक बम्बई से प्रस्थान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक इसकी सभी खामियां दूर नहीं हो जातीं।

(घ) नौवहन महानिदेशक के अनुसार जहाज में छेद होने की कोई रिपोर्ट या चेतावनी प्राप्त नहीं हुई थी।

(ङ) जब अनुसंशित मरम्मत कार्य नहीं किया गया, तब नौवहन महानिदेशक ने 23.9.85 को कार्गो जहाज सुरक्षा निर्माण प्रमाणपत्र वापस ले लिया। फिर भी मालिक ने जहाज पर कर्मी नहीं रखा और तेल तथा जल बाहर आने लगे, तब कर्मीदल ने जहाज को छोड़ दिया। परिणामस्वरूप जहाज कबाड़ हो गया और पोर्ट ट्रस्ट ने इसके मलबे को टूटीकोरिन पोर्ट में आदाता के रूप में 7.11.85 को ले लिया। चूंकि जहाज पत्तन की जल सीमा में जोखिम पैदा कर रहा था, इसलिए पोर्ट ट्रस्ट अधिकारियों ने जहाज को नौवहन कार्य क्षेत्र से खींचकर सुरक्षित स्थान पर लंगड़ डलवा दिया। जहाज डूब गया क्योंकि इसमें 18.11.85 को सायं बजे पानी भर गया। वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम के तहत प्रारंभिक जांच चल रही है।

(च) जिस किसी जहाज को सर्वेक्षक द्वारा किए गए निरीक्षण के परिणामस्वरूप समुद्र में चलने योग्य नहीं पाया जाता, उसे वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 290 के तहत रोका जा सकता है और उस जहाज को तब तक वहां से प्रस्थान करने की अनुमति दी जाएगी, जब तक उसकी सारी खामियां दूर नहीं हो जातीं। यदि जहाज पत्तन में है और उसे मालिक और मास्टर तथा कर्मीदल द्वारा छोड़ दिया जाता है, जैसा कि उनीलक्ष्मी के मामले में हुआ है, तो जहाज को अधिनियम की व्याख्या के अनुसार कबाड़ समझ लिया जाता है। इस मामले में मलबे का आदाता टूटीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट था। उसे अधिनियम की धारा 392 के तहत मलबे को अपने कब्जे में ले लेना है और उसे जहाज, इसके कार्गो और उपकरण की सुरक्षा के लिए अपने विवेक से उचित कार्रवाई करनी है। महानिदेशक (नौवहन) को यह सुनिश्चित करने के अनुदेश दिए गए हैं कि वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के उपबंधों को सख्ती से लागू किया जाए।

मध्य प्रदेश में प्राचीन ऐतिहासिक स्मारकों का रख रखाव

4754. **श्री सुभाष यादव** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में कई प्राचीन ऐतिहासिक स्थान हैं जहां पर मौर्य, गुप्त और सम्राट अशोक के स्मारक हैं;

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर ये स्मारक हैं;

(ग) क्या यह भी सच है इनमें से अधिकांश स्मारकों की ओर अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया;

(घ) क्या सरकार का इन सभी स्मारकों को पर्यटन के लिए विकसित करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) इस प्रयोजन के लिए यदि कोई राशि आवंटित की गई है तो वह कितनी है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, नहीं।

(ख) ऐसे स्थानों की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अपनी सुरक्षा के अन्तर्गत स्मारकों का रख-रखाव और परिरक्षण करता है जो पर्यटकों के लिए लाभदायक हैं।

(ङ) 1985-86 के दौरान इस प्रयोजन के लिए 5,55,000 रु० की राशि आबंटित की गई है।

विवरण

1. गुज्जरा, जिला दतिया	मौर्य
2. पदारिया, जिला जबलपुर	मौर्य
3. पंगोरारिया, जिला सिहोर	मौर्य
4. रामगढ़ पहाड़ी, जिला सुरगुजा	मौर्य
5. सांची, जिला रायसेन	मौर्य/गुप्त
6. सोनारी, जिला रायसेन	मौर्य
7. अजयगढ़, जिला पन्ना	गुप्त
8. बछाऊं, जिला सतना	गुप्त
9. बाघ, जिला धार	गुप्त
10. भुमरा, जिला सतना	गुप्त
11. बुरगांव, जिला जबलपुर	गुप्त
12. धामनार, जिला मंडसौर	गुप्त
13. एरान, जिला सागर	गुप्त
14. ग्यारसपुर, जिला विदिशा	गुप्त
15. हकीम खेड़ी, जिला रायसेन	गुप्त
16. कुंडलपुर, जिला दमोह	गुप्त
17. मुरेल खुर्द, जिला रायसेन	गुप्त
18. नचना, जिला पन्ना	गुप्त
19. पठारी, जिला विदिशा	गुप्त
20. राजीम, जिला रायपुर	गुप्त
21. साकौर, जिला दमोह	गुप्त
22. सिरपुर, जिला रायपुर	गुप्त
23. उदयगिरि, जिला विदिशा	गुप्त
24. उंदासा, जिला उज्जैन	गुप्त

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विमान सेवाएं आरम्भ करना

4755. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने निदेश दिए हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विमान सेवाएं आरंभ की जाएं और देश के विमानन उद्योग के विकास के लिए उपलब्ध सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी प्रयोग की जाये;

(ख) यदि हां, तो देश के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विमान सेवा आरम्भ करने संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1985-86 के दौरान कितने ग्रामीण क्षेत्र इनके अन्तर्गत लाए जाएंगे; और

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन योजनाओं पर कुल कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) यद्यपि प्रधानमंत्री जी के कोई विशेष निदेश नहीं हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विमान सेवाएं आरंभ की जाएं, तथापि, उन्होंने यह मत प्रकट किया है कि संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, विमानन सहित स्वदेशी उद्योग का विकास करने के लिए सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी इस्तेमाल में लाई जाए ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

बम्बई पत्तन पर समुद्री प्रदूषण के प्रभाव के बारे में राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान द्वारा सर्वेक्षण

4756. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, नागपुर ने बम्बई पत्तन पर समुद्री प्रदूषण के प्रभाव के बारे में विस्तृत सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त संस्थान के निष्कर्षों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, हां ।

(ख) संस्थान के प्रमुख निष्कर्ष निम्नलिखित हैं :

(1) पानी की गुणवत्ता सर्वेक्षण से यह पता चला कि बन्दरगाह का पानी सेनीटरी क्वालिटी और मेरीन लाइफ के अनुरक्षण की दृष्टि से बुरी तरह से दूषित है । वेट डाक्स में प्रयुक्त पानी दूषित है क्योंकि गोदियां टाइडल हैं ।

(2) उद्योगों, म्युनिसिपल मल निकासी जैसे स्रोत पर प्रदूषण नियंत्रण के उपचारी उपाय करके प्रदूषण स्तर को वांछित स्तर तक कम किया जा सकता है । इस प्रयास की पूर्व-अपेक्षा के रूप में इस अध्ययन से पता चले आंकड़ों के आधार पर और प्रैक्टिकल व्यवहारिकता को ध्यान में रखते हुए पानी की गुणवत्ता का वांछित स्तर निर्दिष्ट करते हुए पानी की गुणवत्ता के कुछ मानदण्डों की सिफारिश की जाती है । पानी की गुणवत्ता के ये मानक प्रदूषण-कारी तत्वों के स्तर को वांछित सीमा तक कम करने को सुनिश्चित करने में उपयोगी होंगे ।

(3) ये अनुशंसित मानक कोई संशोधन सुझाने के लिए मल निकासी के मौजूदा बहाव मानकों की समीक्षा करने में सहायक होंगे ताकि इस प्रकार की निकासी से बंदरगाह के पानी की गुणवत्ता में कोई कमी न आए।

(ग) रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

महिलाओं के कल्याण संबंधी नई योजनाएं

4757. **श्री आर० एम० भोये :** क्या क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार द्वारा देश में महिलाओं के कल्याण के लिये आरम्भ की जाने वाली नयी योजनाओं से संबंधित ब्यौरा क्या है ?

युवक कार्यक्रम और खेलकूद तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : चालू वित्तीय वर्ष के दौरान महिला कल्याण विभाग द्वारा जिन नई योजनाओं को शुरू किए जाने की संभावना है वे निम्न प्रकार हैं :—

(1) राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों में महिला विकास निगमों की सहायता करना।

(2) मंत्रालय के महिला कल्याण और विकास ब्यूरो में अलग से महिला विकास योजना और प्रबोधन सैल की स्थापना करना।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान महिला कल्याण और विकास से संबंधित जिन कुछ चल रहे कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा है, वे निम्न प्रकार हैं :—

(1) श्रमजीवी महिलाओं के लिए होस्टल।

(2) महिलाओं के लिए रोजगार और आय उत्पादक प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्रों की स्थापना (नार्वे अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी) (नौराड की सहायता से)।

(3) संकटग्रस्त महिलाओं के पुनर्वास के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए सहायता।

(4) दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कालेजों में महिला विकास केन्द्र।

(5) महिलाओं के लिए केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के संक्षिप्त पाठ्यक्रम।

(6) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम।

(7) महिला संगठनों को प्रोत्साहन देना और उन्हें सुदृढ़ बनाना (जनसहयोग में ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण) जिनका कार्यान्वयन केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा किया जाता है।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों में नई रेल लाइनों की प्रगति

4758. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 10 करोड़ रुपये से अधिक लागत की उन चालू परियोजनाओं की धीमी प्रगति की ओर ध्यान दिया है जो छठी योजना में पश्चिमोत्तर राज्यों (जम्मू तथा काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश) तथा पूर्वोत्तर राज्यों (6 राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र) और पश्चिम बंगाल में नई रेल लाइनों के रूप में आरम्भ की गई थी तथा जो पर्याप्त धनराशि के अभाव में धीमी पड़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में इन नई रेल लाइनों का ब्यौरा क्या है तथा उनकी अनुमानित लागत, वर्तमान राशि आबंटन क्या है और उनकी धीमी प्रगति के क्या कारण हैं; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना में उनका काम पूरा करना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना में नयी लाइनों के लिए धनराशि का आबंटन बढ़ाने हेतु अनुरोध किया गया है।

विवरण

(आंकड़े करोड़ रुपयों में)

क्र० सं०	छठी योजना में शुरू किये गये कार्य का नाम	प्रत्याशित लागत	मार्च 1985 तक खर्च	परिव्यय 85-86	प्रगति प्रतिशत	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1.	मथुरा-अलवर (उत्तर प्रदेश और राजस्थान)	34.75	1.16	1.32	5	
2.	लक्ष्मीकांतपुर-कुल्पी सहित बज बज-नामखाना पश्चिम बंगाल	40.00	0.0003	0.0001	—	योजना आयोग द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया।

1	2	3	4	5	6	7
3.	नंगल डैम-तलवाड़ा और मुकेरियां-तलवाड़ा साइडिंग का अधिग्रहण (हिमाचल प्रदेश और पंजाब)	37.68	4.11	0.50	6	नंगल डैम-राय मेहतपुर (6.4 कि० मी०) लाइन 3/85 में पूरी हो गयी ।
4.	जम्मू तवी-उधमपुर (जम्मू और कश्मीर)	68.68	5.73	2.07	6	
5.	गढ़ी मानिकपुर के रास्ते रीवा-सुल्तानपुर (उत्तर प्रदेश)	200.00	0.0001	0.0001	—	योजना आयोग द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया ।
6.	जोगीघोपा से गुवाहाटी तक बड़ी लाइन के साथ-साथ जोगी घोपा में ब्रह्मपुत्र नदी पर रेल-एवं-सड़क पुल का निर्माण (असम)	87.73 29.61	0.37	1.00	1	
7.	इकलाखी से माल्दा टाउन तक विस्तार सहित इक-लाखी-बालूरघाट (पश्चिम बंगाल)	48.85	2.87	0.50	3	
8.	कोटा-चित्तौड़गढ़-नीमच (मध्य प्रदेश और राजस्थान)	97.87	20.33	12.00	16	

रेल विभाग की खान-पान सेवा के अनेक ठेकेदारों पर बकाया राशि

4759. **श्री सुभाष यादव** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलों में कार्य कर रहे खान-पान सेवा के अनेक ठेकेदारों की ओर लाइसेंस शुल्क, पानी और बिजली प्रभार आदि की भारी राशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन ठेकेदारों पर कितनी धनराशि बकाया है;

(ग) उक्त धनराशि कब से बकाया है;

(घ) क्या बकाया धनराशि की वसूली के लिए कोई कार्यवाही की गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

माल विभागों में अनियमितताओं के कारण राजस्व को हानि

4760. **श्री सुभाष यादव** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिस माल पर माल भाड़ा अधिक लगना चाहिए था। कम माल भाड़ा लगने वाला बताकर रेलवे को राजस्व की भारी हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान ऐसे कितने मामले सरकार की जानकारी में आए हैं; और

(ग) उन मामलों में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) रेल द्वारा बुकिंग के लिए सौंपे गये माल का गलत विवरण देने के कुछ मामले नोटिस में आये हैं। तथापि, रेलों को इसके परिणामस्वरूप राजस्व की कोई भारी हानि नहीं हुई है।

(ग) ऐसे मामलों में दण्डयुक्त भाड़ा प्रभार, जैसा कि माल दरसूची में बताया गया है, वसूल किया जाता है।

रेलवे में खान-पान प्रबन्धक/ठेकेदार

4761. **श्री सुभाष यादव** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारी संख्या में गैर-सरकारी खान-पान ठेकेदार खान-पान प्रबन्धक के रूप में गत 25 वर्षों से भी अधिक समय से लगातार कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे खान-पान प्रबन्धकों/ठेकेदारों का विवरण क्या हैं जो 25 वर्षों से भी अधिक समय से कार्य कर रहे हैं तथा वे किन स्थानों पर अपना व्यापार कर रहे हैं;

(ग) उनके 25 वर्ष से भी अधिक लगातार ठेका चलने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार उनके एकाधिकार को समाप्त करने का है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कनाडा और भारत के बीच किराये में परिवर्तन

4762. **श्री वी० एस० कृष्णा अय्यर** : क्या **परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एयरवेज कनाडा और भारत के बीच यात्रा के लिए किराया

एयर इंडिया की तुलना में कम लेती है;

(ख) यदि हां, एयर इंडिया द्वारा पूरा किराया लिए जाने के क्या कारण हैं जबकि अन्य एयरवेज कम किराया लेती हैं; और

(ग) क्या एयर इंडिया का विचार भारतीयों को छुट्टियों में आने के लिये किराये में छूट देने का है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) कनाडा-भारत सैक्टर पर लागू विमान किरायों का निर्धारण बहुपक्षीय रूप से अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संघ के स्तर पर किया जाता है और संबंधित सरकारों द्वारा इसका अनुसमर्थन किया जाता है। इसलिए एयर इंडिया सहित सभी एयरलाइनों द्वारा लिये जाने वाले अधिकारिक किराए एक समान हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) एयर इंडिया की उड़ानों पर प्रोत्साहन के रूप में कम किराये छुट्टियों पर भारत आने वाले भारतीयों के लाभ के लिए पहले ही उपलब्ध हैं।

भारतीय रेलवे प्रबन्ध संवर्ग

4763. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में भारतीय प्रशासनिक सेवा की तरह कोई संवर्ग नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सभी वर्तमान प्रशासनिक पदों का एक वर्ग बनाने और एक भारतीय रेलवे प्रबन्ध संवर्ग बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) रेलों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसा कोई सामान्य संवर्ग नहीं है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

सातवीं योजना में रेल सम्पर्क रहित जिलों में रेल लाइनें बिछाना

4764. **श्री हरीश रावत** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे कितने जिले हैं जहां रेल लाइन अभी तक नहीं बिछाई गई हैं;

(ख) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उपर्युक्त किसी जिले में रेल लाइनें बिछाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इन जिलों के क्या नाम हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) 79.

(ख) और (ग) जी हां। रेल बजट में निम्नलिखित जिलों में नयी रेल लाइनों के निर्माण-कार्य शामिल हैं और इनमें सातवीं योजना अवधि में धन की उपलब्धता के अनुसार प्रगति की जायेगी :—

क्र० सं०	जिले	राज्य/संघ शासित क्षेत्र
1.	ऊधमपुर	जम्मू और कश्मीर
2.	शिवपुरी	मध्य प्रदेश
3.	मणिपुर वेस्ट	मणिपुर
4.	ईस्ट खासी हिल्स	मेघालय
5.	मोकोकचुंग	नागालैण्ड
6.	कामेंग	अरुणाचल प्रदेश
7.	ऐजल	मिजोरम

दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवा

4765. **श्री हरीश रावत** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम की कितनी यात्री बसें प्रतिदिन उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों को जाती हैं;

(ख) क्या दिल्ली परिवहन निगम को पिथौरागढ़-बागेश्वर रानीखेत और उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों को भी यात्री बसें चलाने के लिए जनता के प्रतिनिधियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) इस समय दिल्ली परिवहन निगम की 112 बसें उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों की जाती हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) दिल्ली परिवहन निगम उत्तर प्रदेश तक आपसी आधार पर दूरी के नियत अनुपात में अन्तर्राज्यीय बस सेवाएं चलाता है। दिल्ली परिवहन निगम की उत्तर प्रदेश तक की नियत बस सेवाएं आपसी आधार पर तय की गई दूरी तक चलती हैं। संबंधित अभिवेदनकर्ताओं को यह स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

[अनुवाद]

सामान के लदान, उतारने और उठाने के लिए समय

4766. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी वस्तुओं के उतारने चढ़ाने और उठाने के लिए समय की कोई पाबन्दी न

होने के बारे में एक अधिक वास्तविक तथा व्यवहार्य नीति बनाने की दृष्टि से विलम्ब शुल्क और घाट शुल्क नियमों की पुनरीक्षा हेतु रेलवे बोर्ड ने एक समिति का गठन किया है;

(ख) क्या उत्तर रेलवे द्वारा परिचालन प्रतिबन्ध हटाने के लिए किए गए प्रभावशाली उपायों के कारण इसने अधिक माल भाड़ा अर्जित किया है; और

(ग) इस संबंध में अन्य उपायों पर विचार किया जा रहा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां ।

(ख) किये गये विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप, जिनमें परिचालन प्रतिबन्धों को कम करना भी शामिल है, उत्तर रेलवे पर माल यातायात की आमदनी में वृद्धि हुई है ।

(ग) यातायात को विकसित करने तथा इसे बनाये रखने के लिए जिन अन्य उपायों पर विचार जा रहा है, वे हैं :—

(1) स्टाक की सप्लाई तथा निकासी मानीटर करना ।

(2) व्यापार और उद्योगों के साथ संबंधों को गहन करना ।

(3) बड़े ग्राहकों को बिक्री से पहले और बाद में सेवा प्रदान करना ।

(4) सड़क/पण्य सर्वेक्षण शुरू करना ।

(5) स्टेशन से स्टेशन तक की और अधिक दरें निवेदित करना ।

रेगिस्तान में राजमार्ग बनाने के लिए "हेक्सागोनल प्रिकास्ट रिब्ड कन्क्रीट ब्लाक्स" का प्रयोग

4767. **श्री० बी० वी० देसाई** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने रेगिस्तान में राजमार्ग बनाने के लिए "हेक्सागोनल प्रिकास्ट रिब्ड कन्क्रीट ब्लाक्स" का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राजस्थान के गंगानगर में सूरतगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग के उपमार्ग पर परीक्षण के तौर पर 50 मीटर की दोहरी लेन बनाई जा रही है;

(ग) यदि हां, तो हेक्सागोनल प्रिकास्ट रिब्ड कन्क्रीट ब्लाक्स" बिछाने के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान किन अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों का कार्य प्रारम्भ करने का विचार है; और

(घ) इन राजमार्गों पर कुल कितनी राशि व्यय की जायेगी ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, हां ।

(ख) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का सीमा सड़क संगठन के सहयोग से राजस्थान में दादुसर-बिजिदियार सड़क पर प्रायोगिक आधार पर 50 मीटर लम्बे खण्ड पर प्री

कास्ट रिब्ड कन्क्रीट ब्लाक्स बिछाने का प्रस्ताव है। यह खण्ड राज्य की सड़क पर है और राजस्थान के गंगानगर जिलो में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 के सूरतगढ़ बाइपास पर नहीं है।

(ग) और (घ) विकसित की गई नई पैदल पथ डिजाइन की अभी फील्ड जांच की जानी और राजमार्गों पर ऐसे पैदल पथ बनाने के लिए आगे का काम संबंधित एजेंसियों द्वारा फील्ड जांच के निष्कर्षों के मूल्यांकन पर निर्भर करेगा।

गर्भवती महिलाओं की प्रसव के दौरान मृत्यु

4768. **श्रीमती डी० के० भंडारी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में चिकित्सा तथा जागरूकता के अभाव में प्रति 50 गर्भवती महिलाओं में से एक की प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाती है, और यदि हां, तो सातवीं योजना में क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है;

(ख) दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ विकासशील देशों तथा पश्चिम के विकसित देशों के बारे में तत्संबंधी स्थिति क्या है;

(ग) देश में किन अन्य कारणों से महिलाओं और बच्चों की प्रायः मृत्यु होती है; और इनको कम करने के लिए क्या योजनाए हैं; और

(घ) क्या स्थिति को सुधारने के लिए बड़े पैमाने पर चिकित्सा संबंधी शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जायेगा ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) सारे देश में प्रसव के दौरान कितनी महिलाओं की मृत्यु हो जाती है इसके बारे में सही अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। वैसे, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास शहरों की गंदी बस्तियों और चण्डीगढ़, हैदराबाद और वाराणसी के ग्रामीण क्षेत्रों में किये गये अध्ययन से पता चला कि एक हजार प्रसवों के पीछे क्रमशः 3.6 और 2.6 महिलाओं की प्रसव के दौरान मृत्यु हुई। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वास्थ्य सम्बन्धी आधारभूत ढांचे का विस्तार किया जा रहा है ताकि गर्भावस्था, प्रसव और बच्चे के जन्म के बाद महिलाओं को बेहतर परिचर्या उपलब्ध हो सके। गांवों की परम्परागत दाइयों को भी पूतिक प्रसव कराने में प्रशिक्षित किया जा रहा है।

(ख) दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों और पश्चिमी देशों में प्रति हजार जीवित जन्मों के पीछे मत्तृ-मृत्यु दर इस प्रकार है :—

दक्षिण-पूर्व एशिया	:	बंगलादेश	— 7.0
		बर्मा	— 1.3
		नेपाल	— 8.0
		श्रीलंका	— 0.8

(गर्भपात सहित)

पश्चिमी देश	: इंग्लैंड तथा वेल्स (गर्भपात सहित)	—	0.09
	अमेरिका	—	0.10
	कनाडा	—	0.06

(ग) गर्भावस्था और प्रसव के अलावा जिन अन्य आम कारणों से महिलाओं की मृत्यु होती है, वे इस प्रकार हैं :—

पौषणिक की कमी

चिरकालिक अरक्तता

गर्भाशयग्रीवा और वक्ष का कैंसर

क्षय रोग आदि

नवजातों और बच्चों की मृत्यु के आम कारण हैं ।

समय से पहले जन्म

श्वसन प्रणाली में विकार

अतिसार

टेटनस

कुपोषण और

बुखार

जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं और बच्चों दोनों के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं ।

(घ) चिकित्सा शिक्षा में विशेष पाठ्यक्रम शुरू किया गया है । चिकित्सा तथा अर्ध-चिकित्सा, दोनों के कार्मिकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण भी दिया जाता है ।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित कुंआ खोदने संबंधी कार्यक्रम

4769. **श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के दौरान राज्यों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित कुंआ खोदने संबंधी कार्यक्रम शुरू किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम किन-किन राज्यों में शुरू किए जाने का प्रस्ताव है तथा इस कार्यक्रम के लिए वर्ष 1985-86 के लिए कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) वर्ष 1985-86 के दौरान राज्यों में एकमात्र खुदाई कुंओं के लिए के प्रायोजित कार्यक्रम शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए छोटे तथा सीमान्त किसानों की सहायता हेतु वर्ष

1983-84 से कृषि तथा सहकारिता विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत लघु सिंचाई कार्यों के लिए, जिसमें खुदाई कुंए भी शामिल हैं, प्रति ब्लाक प्रति वर्ष 2.50 लाख रुपए निर्धारित किए गए हैं। लघु सिंचाई कार्यों के लिए सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम विकास विभाग से भी सहायता उपलब्ध होती है। कार्यक्रम के प्रत्येक घटक के लिए अलग से धनराशि आबंटित नहीं की जाती है।

उत्तर प्रदेश में सिंचाई क्षमता

4770. **श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या जल संसाधन मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 में शुरू की गई सिंचाई परियोजनाओं के पूरा होने पर उत्तर प्रदेश में सिंचाई क्षमता (हेक्टेयर) में कुल कितनी वृद्धि होने की संभावना है; और

(ख) इस राज्य में इस समय निर्माणाधीन बड़ी और मध्य श्रेणी की परियोजनाओं की संख्या कितनी है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) वर्ष 1983-84 में कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं के पूरा होने पर 5.48 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित हो जायेगी। लघु सिंचाई परियोजनाओं के बारे में सूचना केन्द्र में नहीं रखी जाती है।

(ख) सातवीं योजना में आगे लाई गई 25 बृहद और 21 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

कोडूरू रेलवे स्टेशन (आन्ध्र प्रदेश) के निकट ऊपरी पुल का निर्माण

4771. **श्री एस० पलाकोंड्रायुडू** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में कोडूरू रेलवे स्टेशन के निकट ऊपरी पुल का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव दक्षिण मध्य रेलवे के विचाराधीन है;

(ख) यदि प्रस्ताव दक्षिण-मध्य रेलवे के विचाराधीन है तो इस संबंध में कब निर्णय लिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार इस मामले में पहल कब करेगी ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) रेलें वर्तमान व्यस्त समपारों के बदले ऊपरी/निचले सड़क पुलों का निर्माण संबद्ध राज्य सरकारों के साथ लागत में हिस्सेदारी के आधार पर संयुक्त रूप से करती हैं। इस संबंध में प्रस्ताव राज्य सरकारों द्वारा इस आश्वासन के साथ प्रायोजित किये जाने अपेक्षित होते हैं कि वे लागत में अपना हिस्सा वहन करेंगी। इस मामले में राज्य सरकार से अभी तक कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वयंसेवी संगठनों को दी गई सहायता

4772. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा

करेंगे कि वर्ष 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान प्रौढ़ शिक्षा के लिये प्रत्येक राज्य में कितने स्वयंसेवी संगठनों को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी गई है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : विवरण संलग्न है ।

विवरण

क्रम० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्वैच्छिक संगठनों की संख्या	
		1983-84	1984-85
1.	आन्ध्र प्रदेश	8	12
2.	असम	15	10
3.	बिहार	12	1
4.	गुजरात	47	33
5.	हरियाणा	2	7
6.	कर्नाटक	6	35
7.	मध्य प्रदेश	—	5
8.	महाराष्ट्र	54	32
9.	मणिपुर	1	2
10.	उड़ीसा	25	11
11.	पंजाब	—	2
12.	राजस्थान	8	27
13.	तमिलनाडु	41	36
14.	उत्तर प्रदेश	27	51
15.	पश्चिम बंगाल	6	11
16.	दिल्ली	5	8
17.	गोवा, दमन और दीव	1	1
	कुल	258	284

भावनगर में जिले आलंद तक रेल लाइन बढ़ाना

4773. **श्री डी० पी० जडेजा** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने भावनगर जिले में आलंद तक रेल लाइन बिछाने का सुझाव दिया है;

(ख) उक्त सुझाव का पूरा ब्यौरा क्या है और उसकी अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) क्या उक्त कार्य की असीम क्षमता को देखते हुए इस काम को शीघ्र शुरू किया जायेगा; और यदि हां, तो कब ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) जी हां। गुजरात राज्य सरकार ने अलांग शिप ब्रेकिंग यार्ड को भावनगर-महुवा छोटी लाइन खण्ड के त्रापज स्टेशन से जोड़ने के लिए रेल लाइन के विस्तार हेतु अनुरोध किया था। राज्य सरकार को कहा गया था कि बहुयानान्तरण से बचने के लिए प्रस्तावित लाइन/साईडिंग को मीटर लाइन के निकटतम स्टेशन भावनगर अथवा सिहोर से शुरू करना आवश्यक होगा और उसके लिए राज्य सरकार की लागत पर सर्वेक्षण किया जा सकता है। राज्य सरकार से इसके बारे में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

विक्टर से पिपरवाव पत्तन तक रेल लाइन को बढ़ाया जाना

4774. **श्री डी० पी० जडेजा** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने विक्टर तक वर्तमान मीटर गेज लाइन को बढ़ाकर पीपरवाव पत्तन तक करने का निवेदन किया है;

(ख) इस मामले में गुजरात सरकार से सहयोग करने के लिये रेलवे ने क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) इस मामले में रेलवे इस समय कितनी अर्न्तग्रस्त है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) वर्तमान रेलवे लाइन विक्टर के रास्ते पीपावाव बन्दर को सेवित करती है। इस लाइन को और आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आंध्र प्रदेश में केन्द्रीय सहायता से पुलों का निर्माण

4775. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान केन्द्रीय सहायता से कितने पुलों का निर्माण का कार्य आरम्भ किया गया था; और

(ख) इन पुलों की वर्तमान स्थिति क्या है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) अंतर्राज्यीय या आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों के लिए ऋण सहायता के केंद्रीय कार्यक्रम तथा केंद्रीय सड़क कोष के तहत आंध्र प्रदेश में 1983-84 और 1984-85 में जितने पुल निर्माण कार्यों को अनुमोदित/स्वीकृत किया गया, उसकी मौजूदा प्रगति की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

अन्तर्राज्यीय या आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों के लिए ऋण सहायता के केंद्रीय कार्यक्रम और केंद्रीय सड़क कोष के तहत निर्माण कार्य

कार्य का नाम	प्रगति
1. आर्थिक और अन्तर्राज्यीय स्कीम के तहत	
1.1. पुलों के निर्माण सहित अदिलाबाद-तलीगुडा में सड़क सुधार	25%
2. केंद्रीय सड़क कोष स्कीम के तहत अनुमोदित कार्य	
2.1. कुरनूल शहर में 360/2 कि० मी० पर हुन्ड्री नदी पर पुल	30
2.2. नेल्लोर जिले में स्वर्णमुखी नदी पर कॉजवे	5%
2.3. तानुक शहर में प्रस्तावित संपर्क सड़क पर जी० एंड० बी० कनाल पर पुल	काम अभी शुरू नहीं हुआ है।
2.4. महबूब नगर जिले में अडोनी-गोडवाल सड़क पर नागलडीना के निकट तुंगभद्रा पर पुल	-वही-

नई गाड़ियां चलाना और ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस की गति बढ़ाना

4776. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयवाड़ा और हावड़ा के बीच हैदराबाद हावड़ा ईस्ट-कोस्ट एक्सप्रेस गाड़ी का यात्रा समय 22 घंटे है जबकि विजयावाड़ा और हावड़ा के बीच मद्रास-हावड़ा कोरोमंडल एक्सप्रैस गाड़ी का यात्रा समय केवल 19 घंटे और 25 मिनट है; और

(ख) क्या मंत्रालय ने लम्बी दूरी के यात्रियों की तकलीफ दूर करने के लिए नई गाड़ियां चलाने और ईस्ट-कोस्ट एक्सप्रेस गाड़ी का यात्रा समय मद्रास/हावड़ा कोरोमंडल एक्सप्रेस गाड़ी के बराबर लाने के लिए बाल्टेयर और हावड़ा के बीच गाड़ी के ठहरने के स्थानों में कमी करने का निर्णय लिया है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) विजयवाड़ा तथा हवड़ा

के बीच 46 ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस का यात्रा समय 24 घंटे 10 मिनट तथा 142 कोरोमंडल एक्सप्रेस का यात्रा समय 19 घंटे 50 मिनट है।

(ख) 45/46 ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस की रफ्तार बढ़ाने के लिए इसके ठहरावों की संख्या कम करना वांछनीय नहीं है क्योंकि मौजूदा उपयोगकर्ताओं द्वारा इसका विरोध किया जायेगा।

45/46 ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस में नये डिब्बों की व्यवस्था करने से इस गाड़ी की रफ्तार बढ़ाने में कोई सहायता नहीं मिलेगी।

बीबी नगर-नडिकेडु रेल लाइन

4777. **श्री बी० एन० रेड्डी** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में बीबीनगर और नडिकुडे के बीच रेल लाइन के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) बीबी नगर से मिरयालगुडा तक 110 कि० मी० का खण्ड माल यातायात के लिए खोल दिया गया है। संचयी प्रगति 77 प्रतिशत है।

(ख) इसका पूरा होना आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

उड़न जांच दस्ता कर्मचारियों के विशेष भत्ते में संशोधन करना

4778. **श्री रामेश्वर नीखरा** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने बिना टिकट यात्रियों का पता लगाने के लिए 1947 में उड़न जांच करने दस्ते के नाम से एक विशेष जांच दस्ते का गठन किया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि 1947 से लेकर अब तक उन्हें 25 रुपये के विशेष भत्ते का भुगतान किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तब से भत्ते की दरों में संशोधन न करने के क्या कारण हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) विगत में विशेष जांच दस्ते बनाये गये थे। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि ये दस्ते 1947 में बनाये गये थे क्योंकि वह रिकार्ड अब उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) और (ग) मुख्यालय उड़नदस्तों से संबंध टिकट जांच कर्मचारियों को अन्य लाभों के साथ-साथ प्रतिमाह 25 रु० का विशेष वेतन (विशेष भत्ता नहीं) 1 फरवरी, 1965 से मंजूर किया गया था। विशेष वेतन में संशोधन की आवश्यकता के प्रश्न पर चौथे वेतन आयोग की, जो रेल कर्मचारियों सहित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों तथा अन्य सेवा शर्तों की इस समय जांच कर रहा है, सिफारिश के आलोक में विचार किया जायेगा।

केवल सरकारी हस्पतालों, औषधालयों से उपयोग करने के लिये निर्धारित औषधियों की बिक्री

4779. **डा० गौरीशंकर राजहंस** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि देश के कई भागों में जिन औषधियों को केवल सरकारी हस्पतालों/औषधालयों में उपयोग के लिये निर्धारित किया गया है और जिन पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा/केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना लिखा रहता हैं, उन्हें खुले आम बाजार में बेचा जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जिन दवाइयों पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा/केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना लिखा रहता है उन्हें खुले बाजार में बेचे जाने से रोकने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) ऐसा कोई मामला हाल ही में देखने में नहीं आया है। इसके अलावा केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों को सप्लाई की जाने वाली दवाइयों पर सी० एच० एस० जैसी कोई मार्किंग नहीं है। मार्किंग या तो सी० जी० एस० एस० या सी० जी० एस० के नाम की है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

गोहाटी सिल्चर रेलवे लाइन में सुधार

4780. **श्री पी० नामग्याल** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों (1984-85 और 1985-86) के दौरान आज तक आसाम में गोहाटी और सिल्चर के बीच रेलवे लाइन पर यात्री तथा माल गाड़ियों दोनों की कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ख) इसमें कितने व्यक्ति मारे गये और इसके परिणाम स्वरूप अनुमानतः कितनी सम्पत्ति की क्षति हुई;

(ग) क्या यह सच है कि गोहाटी सिल्चर लाइन बहुत पुरानी है और खराब हो चुकी हैं तथा इन्हें बदलने की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो गोहाटी-सिल्चर रेलवे लाइन में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) 1984-85 और 1985-86 (नवम्बर, 85 तक) के दौरान गुवाहाटी और सिल्चर के बीच यात्री और माल गाड़ियों की 91 दुर्घटनाएं हुई थीं।

(ख) इन दुर्घटनाओं में 27 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी और लगभग 10.3 लाख रुपये मूल्य की रेल सम्पत्ति की क्षति का अनुमान लगाया गया है।

(ग) और (घ) गुवाहाटी सिलचर लाइन पर कुल 396 कि० मी० लम्बे रेलपथ में से केवल 32 किमी० रेथपथ गतायु है। रेलपथ के नवीकरण का कार्य चल रहा है।

मैट्रो रेलवे कलकत्ता के निर्माण कार्य के लिए भुगतान की गई या स्वीकार की गई राशि

4781. **श्री अमल दत्त** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैट्रो परिवहन परियोजना/मैट्रो रेलवे के उन निर्माण कार्यों की अनुमानित लागत क्या है जो अब तक लगभग पूर्ण हो चुके हैं और कितनी लागत पर टेंडर दिए गए थे;

(ख) ऐसे ठेके, यदि कोई हों, के संबंध में कितनी राशि का भुगतान किया गया है या मूल्य वृद्धि के रूप में देनी स्वीकार की गई है;

(ग) ऐसी और कितनी राशि है जिसका ऐसे कार्य के लिए भुगतान का अनुमान लगाया गया है; और

(घ) ऐसे अनुमानों के लिए ठेकेदारों का दावा कितना है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना डिस्पेंसरियों में डाक्टरों के रिक्त पद

4782. **श्री जगन्नाथ प्रसाद** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की डिस्पेंसरियों में डाक्टरों की संख्या पूरी नहीं है और काफी पद रिक्त पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन डिस्पेंसरियों में डाक्टरों की संख्या कब तक पूरी कर दी जाएगी ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली में डाक्टरों के रिक्त पदों को संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशें मिलने पर नियमित आधार पर भरे जाने की संभावना है। वैसे, एक "अंतरिम व्यवस्था" के रूप में हाल ही में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के चिकित्सा अधिकारियों के 100 पद अल्पकालिक (अनुबंध) आधार पर भरने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालयों में दवाइयों की कमी

4783. **श्री जगन्नाथ प्रसाद** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के औषधालयों में दवाइयों की सप्लाई पर्याप्त नहीं है जिसके कारण रोगियों को बड़ी असुविधा होती है; और

(ख) यदि हां, तो इन औषधियों में दवाइयों की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई की व्यवस्था करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की फार्मूलरी में जो औषधियां शामिल हैं उनकी सप्लाई केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य औषधालय में कुल मिलाकर पर्याप्त है।

(ख) औषधालय में औषधियों की कमी की स्थिति में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को सुपर बाजार से औषधियां खरीदने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

रेल कर्मचारियों के बच्चों को विशेष सुविधा/स्कूल पास और पी० टी० ओ० दिया जाना

4784. **श्री विष्णु मोदी** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल प्रशासन रेल कर्मचारियों के 21 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को एम०/टैक० डिग्री के लिए विशेष सुविधाएं/स्कूल पासों और पी० टी० ओ० की सुविधा प्रदान करता है किन्तु एम० एस०/एम० डी० पाठ्यक्रमों में अपनी पढ़ाई जारी रखने वालों को यह सुविधायें नहीं देता;

(ख) यदि, तो क्या यह भी सच है कि शिक्षा संस्थान/कालेज/विश्वविद्यालय एम०/टैक० तथा एम०एस०/एम० डी० पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को वजीफा देते हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार रेल कर्मचारियों के उन बच्चों को भी विशेष सुविधायें/स्कूल पास/पी० टी० ओ० मंजूर करने का है, जो एम० बी० बी० एस० के पश्चात् हाउस सर्जनशिप/रजिस्ट्रारशिप की डिगरियों के लिये अपना अध्ययन जारी रखते हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं एम०/टैक० पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों तथा एम० एस०/एम० डी० पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को दी गई शर्त बन्द सुविधाओं में भेद-भाव नहीं बरता जाता है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

माल डिब्बों के आबंटन के लिए एच० पी० वाई० ट्रैफिक बुकिंग खोलना

4785. **श्री विष्णु मोदी** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापारियों द्वारा अपने माल के एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के लिए माल डिब्बों की बुकिंग के संबंध में रेलवे बोर्ड ने डिवीजन रेलवे मैनेजरों को यह निदेश दिए हैं कि अधिकारी माल डिब्बों के आबंटन के लिए केवल "एच० पी० वाई० ट्रैफिक बुकिंग" को ही खुला रखें;

(ख) यदि हां, तो "एच० पी० वाई० ट्रैफिक" में किन वस्तुओं को शामिल किया गया है;

(ग) क्या एच० पी० वाई० ट्रैफिक में केवल कम भाड़े वाली वस्तुएं सम्मिलित की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को अन्य सभी मदों की बुकिंग को बन्द किए जाने और केवल "एच० पी० वाई० ट्रैफिक" को ही खुला रखने और व्यापारियों को रेल द्वारा वस्तुओं के परिवहन की अनुमति न दिए जाने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने अब तक क्या उपचारात्मक कार्यवाही की और यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं। तथापि, कतिपय महत्वपूर्ण माल गोदामों से माल डिब्बा भार में बुकिंग के लिए प्राप्त अधिक लाभ देने वाली चुनींदा वस्तुएं सामान्य परिचालन प्रतिबन्धों में मुक्त हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

(ख) कतिपय महत्वपूर्ण मालगोदामों से माल डिब्बा भार में बुकिंग के लिए प्राप्त होने पर परिचालन प्रतिबन्धों से मुक्त अधिक लाभ देने वाली चुनींदा वस्तुओं की सूची :

क्रम सं०	वस्तु का नाम
1	2
1.	रबड़
2.	स्नेहक तेल
3.	लोहा और इस्पात (इस्पात संयंत्रों से इतर)
4.	चाय
5.	रसायन, गैर-विस्फोट
6.	चमड़ा
7.	पटसन
8.	डामर/कोल तार
9.	अलौह धातुएं
10.	मशीनरी (बिजली मशीनरी को छोड़कर)
11.	हैम्प

1	2
12.	स्टेपल रेशा
13.	सोडा
14.	कपास
15.	चीनी
16.	कपड़े
17.	बिजली उपकरण
18.	मंधराल
19.	साबुन
20.	नक्काशी लकड़ी
21.	तम्बाकू
22.	रोगन
23.	संगमरमर
24.	रंग तथा रंग-सामग्री
25.	कागज
26.	हार्ड बोर्ड

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइन्स की एयरबस पर बम होने की गलत सूचना

4786. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 नवम्बर, 1985 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में 24 नवंबर, 1985 की सुबह इंडियन एयरलाइन्स की एयरबस उड़ान (आ० सी० आई० 05) के दौरान बम होने की गलत सूचना संबंधी समाचार की ओर आकर्षित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप हवाई अड्डा अधिकारियों द्वारा देश-व्यापी रेड अलर्ट किया गया था; और

(ख) यदि हां तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) जी, हां। 24.11.1985 को 0600 बजे इण्डियन एलरलाइन्स बम्बई को एक गुमनाम काल मिली कि उड़ान संख्या आई० सी०-105 पर बंगलौर जाने वाली इण्डियन एयरलाइन्स की एयरबस में एक बम रखा है। विमान उस समय टैक्सीइंग प्वाइंट पर था। विमान को तत्काल टैक्सीइंग प्वाइंट से वापस बुला लिया गया और उसे अलग "पार्किंग बे" पर ले जाया गया जहां यात्रियों और

कर्मीदल तथा सामान/डाक को उतार लिया गया। बम की धमकी के बारे में की जाने वाली निर्धारित कार्यवाही के अनुसार की गई संपूर्ण जांच-पड़ताल के आधार पर इस धमकी को झूठा पाया गया।

यद्यपि विमान को उड़ान की अनुमति दे दी गयी थी, लेकिन डाक और माल को यह देखने के लिए कि इसमें कोई विस्फोटक वस्तु तो नहीं है, एक अलग स्थान पर रख दिया गया था। इस कारण से उड़ान में 3 घंटे 10 मिनट की देरी हो गई।

केन्द्रीय आयुर्वेद तथा सिद्ध अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक और गैर-वैज्ञानिक कर्मचारियों के बीच भेदभाव

4787. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय आयुर्वेद तथा सिद्ध अनुसंधान परिषद में कार्यरत नैदानिक तथा गैर नैदानिक कर्मचारियों के बीच हो रहे भेदभाव के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) चौथे वेतन आयोग की सिफारिशें मिल जाने के बाद इस मामले पर विचार किया जाएगा।

आयुर्वेद तथा सिद्ध में कार्यरत चिकित्सक को प्रैक्टिस न करने का भत्ता

4788. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय आयुर्वेद तथा सिद्ध अनुसंधान परिषद की चिकित्सीय पौधे संबंधी साहित्यिक अनुसंधान और औषध मानकीकरण यूनिट में कार्यरत चिकित्सकों को प्रैक्टिस न करने का भत्ता देती है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी नहीं।

(ख) केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद के वाङ्मय अनुसंधान औषध पादम सर्वेक्षण तथा औषध मानकीकरण यूनिट के पदों को क्लीनिक पद नहीं माना जाता है जिनके लिए प्रेक्टिस बन्दी भत्ता देय हो।

देश में चिकित्सा-स्नातकोत्तर शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता

4789. **डा० चिन्ता मोहन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है चिकित्सा सेवा में नये विकासों और जटिलताओं के वर्तमान संदर्भ में

देश में चिकित्सा शिक्षा (स्नातकोत्तर) के क्षेत्र में सुधार/उन्नति और उसके विस्तार की तुरन्त आवश्यकता है;

(ख) क्या अवरस्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा का कोई अनुपात निर्धारित किया गया है और यदि हां, तो देश के सभी मेडिकल कालेजों के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या असंतुलन यदि कोई हो तो ठीक किया जाएगा ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) चिकित्सा सेवाओं में आज जितना विकास हो गया है और जो पेचीदगियां पैदा हो गई हैं उन्हें देखते हुए भारत में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में इतनी विविधता ला दी गई है कि वह देश की आवश्यकताओं को पूरी कर सके।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

परिसर्प यौन रोग का इलाज

4790. **डा० चिन्ता मोहन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिसर्प यौन रोग देश के शहरी क्षेत्रों में आम होता जा रहा है;

(ख) क्या इस भयानक रोग का कोई इलाज नहीं है;

(ग) क्या वैक्सीनेशन या औषधियों द्वारा इस रोग का इलाज ढूंढने के लिए अनुसंधन और विकास कार्य चल रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1984 के दौरान देश में हर्पीज के 3231 रोगियों की रिपोर्ट मिली थी। हालांकि यह रोग असाध्य है फिर भी डाक्टरों और चिकित्सा अधिकारियों को इस रोग के चिह्नों और लक्षणों की पूरी जानकारी है तथा जब भी रोगी उपचार के लिए उनके पास आते हैं तो वे रोगियों को रोग का लाक्षणिक उपचार प्रदान करते हैं।

जननांग हर्पीज के उपचार के लिए दो औषधियां--वाइडेरैबिल (एरा-ए) और एसिक्लोविर उपलब्ध हैं। वाइडेरेबिन का उपयोग स्थल विशेष (टॉपीकल) या अन्तःशिरा इंजेक्शन द्वारा किया जा सकता है। एसिक्लोविर का उपयोग स्थल विशेष (टापीकली), अंतःशिरा इंजेक्शन द्वारा तथा मुंह से खिलाकर किया जा सकता है। बाद वाली औषधि में कम विशाक्तता होती है चूंकि इसे मुंह के रास्ते भी दिया जा सकता है अतः बाइडेरेबिन के मुकाबले इसे प्राथमिकता दी जा सकती है।

इस रोग के लिए कई वैक्सीन विकसित की गयी हैं और ये अभी पक्षणारीधीन हैं।

सहार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हवाई सुरक्षा विनियमों की उपेक्षा

4791. **डा० चिन्ता मोहन** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में सहार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट मंत्रालय द्वारा निर्धारित उड़ान सुरक्षा आवश्यकताओं का उल्लंघन करते हुए एक पंचतारा होटल स्थापित किया गया है और यदि हां, तो हवाई सुरक्षा विनियमों की उपेक्षा किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार वायु परिवहन की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अन्यत्र स्थानांतरित करने का है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) एक निजी उपक्रम द्वारा बम्बई पर सहार अन्तर्राष्ट्रीय विमान-क्षेत्र के निकट लीलाबाग पर एक पांच तारा होटल का निर्माण किया जा रहा है। तथापि, निर्माण-कर्त्ता ने "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" का इन्तजार किये बिना अनुज्ञेय ऊंचाई से अधिक ऊंचाई तक निर्माण कर दिया था। उसे होटल के अधिक ऊंचे भाग को गिराने के लिए कहा गया है।

(ख) जी, नहीं।

विशाखापत्तनम, हल्दिया और पारादीप पत्तनों द्वारा कोकिंग कोल का आयात

4792. **श्री हरिहर सोरन :**
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विशाखात्तपनम, हल्दिया और पारादीप पत्तनों के द्वारा कोकिंग कोल की अतिरिक्त मात्रा का आयात करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस समय इन पत्तनों से आयातित कोकिंग कोयले के जमा स्टॉक को हटाने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या आयात की अतिरिक्त मात्रा देश में अन्य पत्तनों के मार्ग से लायी जाएगी; और

(घ) इस सम्बन्ध में प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, हां।

(ख) इन पत्तनों से आयातित कोकिंग कोल को हटाने के प्रश्न पर पत्तनों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, भारतीय स्टील प्राधिकरण लिमिटेड और रेलवे के साथ चर्चा की गई है। यह निर्णय किया गया था कि सभी सम्बन्धित एजेन्सी आयातित कोकिंग कोल पत्तन से हटाने के लिए सभी संभव प्रयत्न करेंगे और इसकी तेजी से हैंडलिंग और मूवमेंट को सुनिश्चित करेंगे।

(ग) मद्रास पत्तन के द्वारा कुछ मात्रा में इसका आयात करने का प्रस्ताव है।

(घ) यह निर्णय किया गया है कि इस समय निम्नलिखित पत्तनों में प्रतिमास आयातित कोकिंग कोल की निम्नलिखित मात्रा हैंडिल की जायगी—

1.	विशाखापत्तनम	1,30,000 टन
2.	हल्दिया	60,000 टन
3.	मद्रास	10,000 टन (30,000 टन तक की हैंडलिंग के साथ)
4.	पारादीप	50,000 टन
	कुल	2,50,000 टन

आदर्श विश्वविद्यालय अधिनियम

4793. **श्री एस० एम० भट्टम** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक आदर्श विश्वविद्यालय अधिनियम लाने का है जैसा कि गजेन्द्रगडकर समिति ने सिफारिश की थी;

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की इस सम्बन्ध में क्या सिफारिशें हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार विश्वविद्यालय के चुने हुए निकायों में अध्यापकों का बहुमत सुनिश्चित करने का है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) गजेन्द्रगडकर समिति ने उन विस्तृत सिद्धान्तों के बारे में अनेक सिफारिशें की थीं, जिनका विश्वविद्यालयों के ढांचे, उनके संगठन की पद्धति, विभिन्न निकायों के गठन और नियुक्ति के तरीके तथा विभिन्न अधिकारियों के अधिकारों और कार्यों के सम्बन्ध में अनुपालन किया जाना चाहिए । जो रिपोट 1971 में प्रस्तुत की गई थी, उसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था । विश्वविद्यालय विधानों को तैयार करते समय इन सिफारिशों को ध्यान में रखने के लिए इसे राज्य सरकारों को भी भेज दिया गया था । केन्द्रीय सरकार के पास फिलहाल इन सिफारिशों के आधार पर एक माडल अधिनियम तैयार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिरोक नदी पर पुल का निर्माण

4794. **श्री वांगफा लोवांग** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असम-अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली मारघे-रीता-देवमाली सड़क का निर्माण छः वर्ष पूर्व पूर्वोत्तर परिषद की योजना के अन्तर्गत किया गया था, परन्तु दिरोक नदी पर एक छोटे पुल का निर्माण अब तक न किये जाने के कारण वर्षा काल के दौरान यह सड़क टूट जाती है;

(ख) यदि हां, तो इतने वर्षों से इस पुल के निर्माण को स्थगित रखने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस पुल का निर्माण कब आरम्भ करने का प्रस्ताव है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) राज्य की सड़क होने के कारण सड़क और उपरोक्त पुल के निर्माण की जवाबदेही राज्य सरकार की है । तथापि यह सूचित किया गया है कि वर्ष 1983-84 के दौरान एन० ई० सी० स्कीम के तहत असम-अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली मरघेरीता दिओमाली सड़क का निर्माण किया गया था और असम-अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली दिरोक नदी के ऊपर प्रस्तावित पुल का निर्माण कार्य स्थगित कर दिया गया था क्योंकि विस्तृत उप-मिट्टी जांच आदि कार्य नहीं किये गये थे ।

(ग) दिरोक नदी पर प्रस्तावित पुल के निर्माण के लिए अब उप-मिट्टी जांच कार्य को संस्वीकृत किया गया है। जैसे ही उप-मिट्टी जांच कार्य पूरा हो पाता है और अनुमान तैयार किया जाता है, असम सरकार द्वारा पुल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जायगा।

दिसम्बर, 1985 में भारतीय फार्मास्युटिकल का 37वां सम्मेलन

4795. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय फार्मास्युटिकल के 37वें सम्मेलन का आयोजन दिसम्बर, 1985 में नई दिल्ली में किया जायेगा

(ख) क्या इस सम्मेलन से संबद्ध सरकारी अधिकारियों ने सरकार से आवश्यक अनुमति प्राप्त कर ली है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां, 26 से 28 दिसम्बर तक।

(ख) और (ग) सरकारी अधिकारियों को साधारणतया अपने विशेषज्ञता से सम्बन्धित विषयों के राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। अनुपस्थिति की अवधि इस सम्बन्ध में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार विनियमित की जाती है।

दक्षिण राज्यों में बाढ़ के कारण रेलवे को हुई हानि

4796. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1985 के दौरान दक्षिणी राज्यों में हाल ही में आई अभूतपूर्व बाढ़ के कारण रेलवे को भारी हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो रेलवे को कितनी हानि होने का अनुमान है; और

(ग) उत्तर से दक्षिण को जाने वाली रेल गाड़ियों के ठीक प्रकार से आने जाने पर कितना प्रभाव पड़ा है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी हां।

(ख) रेलवे को रेलपथ, पुलों, बिजली उपस्कर, सिगनल गियर और अन्य संरचनाओं के क्षतिग्रस्त होने के कारण लगभग 8.62 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। गाड़ी सेवाओं के अस्त-व्यस्त हो जाने के परिणामस्वरूप आमदनी में 3.09 करोड़ रुपये की हानि हुई।

(ग) नवम्बर, 85 में इस कारण से उत्तर दक्षिण (दिल्ली-मद्रास) मार्ग पर 17/18 मद्रास-अम्मूतवी जनता एक्सप्रेस आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से रद्द की गयी थी।

केरल में हाल ही में रेल रोको आन्दोलन के दौरान रेलवे को हुआ नुकसान

4797. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक :** क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में हाल ही में रेल रोको आन्दोलन के दौरान भारतीय रेलवेज को कितनी अनुमानित हानि हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि इस प्रकार की हानि को रोकने के लिए उचित सुरक्षा बल नहीं था; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार की हानि को रोकने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) 18-11-1985 को केरल राज्य में रेल रोको आन्दोलन के कारण रेलवे को 1500 रुपये से कम की प्रत्यय हानि हुई।

(ख) जी नहीं।

(ग) कानून और व्यवस्था बनाये रखने तथा रेलवे सम्पत्ति को हानि/क्षति से बचाने के लिए राज्य पुलिस और रेल सुरक्षा बल दोनों द्वारा पर्याप्त प्रबन्ध किये गए थे। संवेदनशील खंडों और महत्वपूर्ण रेल संस्थापनाओं पर उपयुक्त निगरानी रखी गई थी तथा यात्रियों की सुरक्षा और और चलती गाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी यात्री गाड़ियों में पुलिस/रे० सु० ब० के मार्गरक्षियों की व्यवस्था की गई थी। रेलपथ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलपथ पर गश्त लगाने का भी प्रबन्ध किया गया था।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय का पुनर्गठन

4798. **श्री राजकुमार राय :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा नियुक्ति केन्द्रीय विद्यालय संगठन संचालन समिति ने इसके विस्तार को देखते हुए इसके मुख्यालय के नये संगठनात्मक ढांचे की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या मुख्यालय को हाल में पुनर्गठित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह संचालक समिति की सिफारिशों के अनुसार किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार संचालन समिति की सिफारिशों के अनुसार संगठन ढांचे को पुनर्गठित करने का है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) संचालन समिति ने एक परामर्श संस्था के रूप में एक ढांचे का सुझाव दिया था जिसे तत्कालीन शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने अन्तिम रूप

दिया। उच्चाधिकार प्राप्त समिति के निर्मय के आधार पर, जो कि संचालन समिति की सिफारिशों के अनुरूप है, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के संगठनात्मक ढांचे को पुनर्गठित किया गया है।

समेकित वाटरशेड प्रबंध योजनाएं

4799. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवी योजना अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में कुछ केन्द्रों द्वारा प्रायोजित समेकित वाटर शेड प्रबंध योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी योजनाओं के लिए वास्तविक लक्ष्य क्या है और सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए परिव्यय क्या है; और

(घ) इस मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) पश्चिम बंगाल के अन्दर अजय तथा रूपनारायण नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में गंगा बेसिन की बाढ़-प्रवण नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में समेकित वाटरशेड प्रबंध की केन्द्र प्रायोजित स्कीम छठी पंचवर्षीय योजना से संचालनाधीन है और उसे सातवीं योजना के दौरान जारी रखा जा रहा है।

(ख) फसल उत्पादन में वृद्धि करने के लिए बंधों, टीलों तथा समतलन के द्वारा कृषि भूमि के प्रतिपादन हेतु भू-संरक्षण उपाय किए जाते हैं तथा वनरोपण और चरागाह भूमि के विकास, जल-भण्डारण के लिए इन्जीनियरी संरचनाओं के निर्माण तथा गाद अवरोधन आदि कार्यों से अन्य भूमि का प्रतिपादन किया जाता है।

(ग) इस स्कीम के लिए भौतिक लक्ष्यों तथा सातवीं योजना के परिव्ययों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(घ) छठी योजना के दौरान अजय नदी के जलग्रहण क्षेत्र में 1423 हैक्टेयर का प्रतिपादन तथा 2 इंजीनियरी संरचनाओं का निर्माण किया गया था और रूपनारायण नदी के जलग्रहण क्षेत्र क्षेत्र में 4630 हैक्टेयर का प्रतिपादन तथा 20 इंजीनियरी संरचनाओं का निर्माण किया गया था।

पश्चिम बंगाल के विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सहायता

4800. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :**
श्री भोला नाथ सेन :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व विद्यालय अनुदान आयोग छठी योजना अवधि के दौरान उनके अनुमोदन

से सृजित/भरे गए पदों के लिए पश्चिम बंगाल में विश्वविद्यालयों की 1987-88 तक सहायता देने के लिए सहमत हो गया था;

(ख) यदि हां, तो छठी योजना अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में विश्वविद्यालयों के लिए अनुमोदित ऐसे पदों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे पदों का ब्यौरा क्या है, जिन्हें छठी योजना की निर्धारित अवधि में पश्चिम बंगाल के विश्वविद्यालयों द्वारा वास्तविक रूप से सृजित/भरा गया था;

(घ) 1980-85 के दौरान विश्वविद्यालयों द्वारा कुछ पद न भरे जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) उपरोक्त भाग (ख) और (ग) और (घ) के वित्तीय पहलू क्या है?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां। आयोग ने छठी योजना अवधि के दौरान आयोग के अनुमोदन से सृजित/भरे गए पदों के लिए 31-3-1988 तक सहायता देना स्वीकार किया है। यह इस शर्त पर होगा कि उसके उपरान्त आवर्ती खर्चे की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय/राज्य सरकारें उठाएंगी और इन पदों पर 31-3-85 के बाद का खर्च विश्वविद्यालयों के सातवीं योजना के प्रावधानों से किया जाएगा।

(ख) पश्चिम बंगाल के विश्वविद्यालयों के लिए आयोग ने निम्नलिखित पदों की स्वीकृति दी है :—

विश्वविद्यालय का नाम	अनुमोदित पद			
	प्रोफेसर	रीडर	लेक्चरर	अन्य
1. वर्दवान विश्वविद्यालय	7	9	6	7
2. कलकत्ता विश्वविद्यालय	13	27	71	12
3. जादवपुर विश्वविद्यालय	4	1	11	4
4. कल्याणी विश्वविद्यालय	2	10	16	11
5. उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय	7	9	16	14

(ग) इन पदों को भरने के संबंध में कलकत्ता तथा जादवपुर विश्वविद्यालय से आयोग को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अन्य विश्वविद्यालयों में भरे गए पद इस प्रकार है :

31-3-85 तक भरे गए पदों की संख्या

विश्वविद्यालय का नाम	प्रोफेसर	रीडर	लेक्चरर	अन्य
1. बर्दवान	4	4	2	—
2. कल्याणी	1	8	12	6
3. उत्तरी बंगाल	1	2	12	5

(घ) विश्वविद्यालयों को राज्य सरकारों से यह आश्वासन प्राप्त करना होता है कि वे आयोग द्वारा सहायता समाप्त करने के बाद भी इन पदों को जारी रखेंगे। 1980-85 के दौरान इन पदों का न भरे जाने का मुख्य कारण इस तरह के आश्वासन का न प्राप्त होना तथा इन पदों को भरने के बारे में प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताओं का पूरा न होना हो सकता है।

(ङ) आयोग द्वारा अनुमोदित शैक्षणिक पदों के बारे में कुल वित्तीय भार 63.01 लाख है।

केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 की मरम्मत

4801. श्री टी० बशीर : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में हाल ही की बाढ़ों के प्रश्चात् राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 की मरम्मत के लिए कितनी राशि मंजूर की गई है;

(ख) इसमें से अब तक कितनी राशि खर्च की गई;

(ग) क्या यह सच है कि एर्नाकुलम एडापल्ली और आरुर-एर्नाकुलम के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति बिल्कुल खराब हालत में है;

(घ) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्ग के इन मार्गों का स्तर ऊंचा करने और उचित और पर्याप्त नालियां बिछाने का है ताकि बाढ़ के दौरान यह सड़कें आसानी से डूबें नहीं;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(च) क्या एर्नाकुलम बाई पास का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ज) आवंटित राशि में से अब तक कितनी राशि व्यय हो चुकी है; और

(झ) यह यातायात के लिए कब तक तैयार हो जाएगा ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) केरल में हाल की बाढ़ के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 47 और 17 की मरम्मत के लिए राज्य सरकार को तदर्थ आधार पर 25 लाख रुपए दिए गए हैं। ब्यौरेवार अनुमानों की जांच करने के आधार पर ही और धन दिया जाएगा।

(ख) आवंटित धन का उपयोग किया जा रहा है किन्तु लेखा को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ही वास्तविक खर्च की जानकारी मिलेगी।

(ग) इडापल्ली और अरूर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति हाल की बरसात में खराब हो गई थी, किंतु तत्काल मरम्मत कर देने के बाद सड़क को यातायात योग्य बना दिया गया था।

(घ) और (ङ) ऐसे किसी सुधार का प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इन खंडों के विकल्प के रूप में कोचीन बाईपास बन रहा है जो काफी हद तक पूरा हो गया है।

(च) से (झ) जी, नहीं। एर्नाकुलम (कोचीन) बाईपास का पूरा होना कुम्बालम-अरूर पर बड़े पुल और पोन्नुरूनी पर रेलवे ओवरब्रिज के पहुंचमार्गों के पूरा होने से जुड़ा हुआ है। इन पर काम चल रहा है। इस बाईपास के निर्माण पर अब तक 14.72 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इस बाईपास के दिसम्बर, 1987 तक पूरा होने का लक्ष्य है।

तेल्ली चेरी-मैसूर रेल लाइन

4802. श्री टी० बशीर : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल्लीचेरी को मैसूर से बड़ी रेल लाइन द्वारा जोड़े जाने के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस संबंध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) पन्नानेर जिला रेलवे यात्री एसोसिएशन के सचिव ने एक ज्ञापन भेजकर इस लाइन के सर्वेक्षण तथा निर्माण का अनुरोध किया है। संसाधनों की अत्यधिक तंगी और पहले से की गयी भारी वचनबद्धताओं को देखते हुए, इस लाइन के सर्वेक्षण पर व्यय करना वांछनीय नहीं समझा गया है।

सातवीं योजना के दौरान कोचीन शिपयार्ड का विस्तार

4803. श्री टी० बशीर : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन शिपयार्ड की स्थापना से लेकर आज तक इसमें कितने पोतों का निर्माण हुआ है;

(ख) क्या सातवीं योजना के दौरान इस शिपयार्ड के विस्तार का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) तीन ।

(ख) और (ग) जी, हां। विस्तार करने के प्रस्तावों में सुविधाओं और आवासीय योजना, टैंकरों के लिए तकनीकी जानकारी हेतु सहयोग, प्रशिक्षण सुविधाओं में वृद्धि, अतिरिक्त की, अतिरिक्त ड्राई डाक, तटीय सुविधाओं का विविधीकरण और नवीकरण एव रिप्लेसमेंट सहित नए डिजाइन अपनाने जैसे अतिरिक्त निवेश शामिल हैं। इन योजनाओं के लिए सातवीं योजना के दौरान आवंटित की गई कुल राशि 45 करोड़ रु० है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्राथमिक कक्षाओं में दृश्य-श्रव्य शिक्षा

4804. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार पाठ्य पुस्तकें पढ़ाने के परम्परागत तरीके के स्थान पर प्राथमिक कक्षाओं में दृश्य श्रव्य" शिक्षा प्रणाली अपनाने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए तैयार है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) शैक्षणिक दृष्टि से न तो यह सम्भव है और न ही उपयुक्त है, कि स्कूल शिक्षण को "दृश्य श्रव्य" शिक्षण सहित किसी अन्य माध्यम द्वारा बदला जाए। तथापि, स्कूल प्रणाली की अपर्याप्तता को देखते हुए सरकार गैर-औपचारिक शिक्षा प्रणाली जैसी स्कूली शिक्षा के वैकल्पिक तथा सहायक प्रणालियों अनापैचारिक शिक्षा प्रणाली का विकास कर रही है। स्कूल तथा अनापैचारिक शिक्षण के सहायक तथा पूरक के रूप में ही रेडियो और टी-वी का शैक्षणिक उद्देश्य के लिए प्रयोग वांछनीय है।

अधिकतर प्राथमिक आयु के बच्चों के लिए रेडियो और टी० वी० द्वारा शैक्षणिक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे है और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार का इस प्रणाली को और मजबूत तथा इसको विस्तार करने का विचार है।

खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए पश्चिम बंगाल को अनुदान की स्वीकृति

4805. **डा० फूल रेणु गुहा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार के माध्यम से निम्नलिखित कार्यों के लिए अनुदान स्वीकृत किए थे;

(1) वार्षिक प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन;

(2) ग्रामीण खेल केन्द्रों की स्थापना;

(3) यूटिलिटी स्टेडियम/स्वीमिंग पूल, इन्डोर हाल, खेल मैदान और खेल काम्प्लेक्सों का निर्माण;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन अनुदानों का कहां तक वास्तविक रूप में उपयोग किया गया ?

युवक कार्यक्रम और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर VI पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित अनुदान स्वीकृत किये गये थे :—

क्र० सं०	प्रयोजन	अनुदान की राशि
(I)	मिदनापुर में एक तरणताल का निर्माण	50,000
(II)	राज्य स्तर पर वार्षिक प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन	25,000
(III)	गैर-खर्चीले प्रकार के खेल उपस्करों की खरीद	50,000
(IV)	9 खेल मैदानों का विकास और एक वास्केटबाल कोर्ट की फ्लड लाइटिंग	86,212

उपर्युक्त क्रम० सं० (I) पर पूरे अनुदान का प्रयोग किया गया है। अन्यों के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी तक देय नहीं है।

परिवार कल्याण योजना के अन्तर्गत "ग्रीन कार्ड" के साथ मिलने वाले लाभ

4806. **श्री वल्लभ पाणिग्रही** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवार कल्याण योजना के अन्तर्गत "ग्रीन कार्ड" के साथ कौन-कौन से लाभ मिलते हैं;

(ख) एक निश्चित तारीख से पहले स्वयं परिवार नियोजन आपरेशन कराने वाले लोगों को ग्रीन कार्ड न दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार आपरेशन की तारीख का ध्यान दिये बिना ऐसे सभी लोगों को ग्रीन कार्ड दिये जाने पर विचार करेगी ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) ग्रीन कार्ड योजना के अन्तर्गत दो जीवित बच्चों के बाद गर्भ के अवसानक तरीके अपनाने वालों को मान्यता के तौर पर ग्रीन कार्ड दिये जाते हैं। इस कार्ड से स्वीकारकर्ता उन सभी क्षेत्रों में जहां व्यवहार्य हो,

प्राथमिकता प्राप्त करने के पात्र हैं; जैसे ऋण सहायता तथा अनुदान की मंजूरी, मकान आवंटन, चिकित्सा लाभ और स्वास्थ्य सुविधाएं आदि। केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से इस योजना को लागू करने का अनुरोध किया है। केन्द्रीय सरकार द्वारा 3.12.1983 को जारी किए गए दिशा-निर्देशों के परिणामस्वरूप बहुत से राज्यों/संघशासित क्षेत्रों ने यह योजना शुरू कर दी है। यह योजना पहले से परिवार नियोजन अपनाने वालों को पुरस्कार के बजाय भविष्य में छोटे परिवार के सिद्धान्त को अपनाने के लिए प्रोत्साहन के रूप में शुरू की गई है।

कराटे को अन्तर्राष्ट्रीय खेल के रूप में मान्यता देना

4807. **श्री तम्पन थामस** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारत कराटे-जूडो संघ, बम्बई ने सरकार को सुझाव दिया है कि कराटे खेल को भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा खेलों की स्वीकृत सूची में रखा जाए और अन्तर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी से इसे मंजूरी देने की सिफारिश की जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी से कोई पत्र प्राप्त हुआ है ?

युवक कार्यक्रम और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) से (ग) अखिल भारतीय कराटे-जूडो संघ, बम्बई ने भारत सरकार को अपनी मान्यता के लिए अभ्यावेदन दिया है। मान्यता पर विचार करने के लिए भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन द्वारा खेल की स्वीकृति एक महत्वपूर्ण पहलू है। भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार वे केवल ऐसे खेलों को स्वीकृत करते हैं, जो अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति द्वारा ओलम्पिक खेलों के लिए मान्यता प्राप्त है या राष्ट्रमण्डलीय अथवा एशियाई खेलों में शामिल हैं। भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन ने बताया है कि उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति को लिखा है कि यह सुनिश्चित करें कि क्या कराटे खेल मान्यता प्राप्त है अथवा उस समिति से सम्बद्ध हैं। एसोसिएशन ने आगे बताया है कि ओलम्पिक खेलों में शामिल करने के लिए कराटे खेल अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति द्वारा अभी तक स्वीकृत नहीं किया गया है।

सरकार सामान्यतः अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति के साथ सीधे तौर पर पत्र-व्यवहार नहीं करती अपितु भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन से अपेक्षित सूचना प्राप्त करती है।

मालदा-कूच बिहार रेल लाइन को दोहरा बनाना

4808. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में मालदा से न्यू कूच बिहार तक की रेल लाइन को दोहरा बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर अब तक क्या निर्णय किया गया है तथा यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) माल्दा-रानीनगर न्यू बोगाईगांव खंड की लाइन क्षमता बढ़ाने हेतु यातायात की अपेक्षाओं के अनुरूप कहीं-कहीं दोहरीकरण/अन्य यातायात सुविधा सम्बन्धी कार्य चरणबद्ध ढंग से किए जा रहे हैं, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध होते रहें। इकलाखी-बलूरघाट नई लाइन निर्माण के भाग के रूप में माल्दा इकलाखी खंड को दोहरीकरण, इकलाखी-कुमेदपुर खंड का दोहरीकरण और कुमेदपुर-न्यूजलपाईगुड़ी खंड का कहीं-कहीं दोहरीकरण अनुमोदित कार्य हैं। इन कार्यों तथा अन्य यातायात सुविधा सम्बन्धी कार्यों की प्रगति संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार की जा रही है।

मेडिकल बिलों की प्रतिपूर्ति के लिए प्रमाणपत्र की आवश्यकता

4809. **श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा मेडिकल बिलों के निपटान के समय बाजार से खरीदे गए रक्त के लिए दिये जाने वाले प्रमाण पत्र, जिसमें लिखा हो कि उस समय अस्पताल में रक्त उपलब्ध नहीं था, इसलिए बाजार से खरीदा गया, की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जबकि अस्पताल के रक्त बैंक में हमेशा रक्त उपलब्ध रहता है;

(ख) यद्यपि जरूरतमन्द रोगियों को अस्पताल के रक्त बैंक से दान में रक्त दिया जाता है, फिर भी जब किसी रोगी को उसके सम्बन्धियों और मित्रों द्वारा दान किए गए रक्त के यूनिटों की तुलना में अधिक रक्त की आवश्यकता होती है, तो रोगी की जीवन रक्षा के लिए बैंक द्वारा रक्त न दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) यदि रोगी की जान बचाने के लिए बाजार से रक्त खरीदा जाता है तो सी० जी० एच० एस० के अधिकारियों द्वारा उपर्युक्त प्रमाण पत्र मांगने के क्या कारण हैं?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) कभी-कभार वांछित गुप/मात्रा का रक्त ब्लड बैंक में उपलब्ध नहीं होता है चूंकि लाभार्थियों को ब्लड बैंक अथवा बाजार से खरीदे गए रक्त पर आए पूरे खर्च की प्रतिपूर्ति की जाती है, इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि लाभार्थी खरीद में किफायत करे। इस प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए ही प्रमाण-पत्र मांगा जाता है।

स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशालय के अधिकारियों, चिकित्सा प्रभारी अधिकारियों तथा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों का साक्षात्कार

4810. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशालय के एक वरिष्ठ चिकित्सक का 22 नवम्बर, 1985 को दूरदर्शन पर साक्षात्कार हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उसमें केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों तथा चिकित्सा प्रभारी अधिकारियों द्वारा क्या-क्या कठिनाइयां बताई गईं;

(ग) क्या विशेषज्ञों द्वारा लिखी गई दवाइयों की सप्लाई में सुपर बाजार को विलम्ब का मुख्य कारण बताया गया था और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) विशेषज्ञों द्वारा लिखी गई दवाइयां सुपर बाजार को उपलब्ध कराने का कार्य सौंपने के क्या मुख्य कारण हैं; और

(ङ) क्या लाभार्थियों को दवाइयों की शीघ्र सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान प्रणाली के स्थान पर कोई बेहतर प्रणाली प्रारम्भ करने का है और यदि हां तो नई प्रणाली क्या होगी ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां ।

(ख) डाक्टर का कहना है कि लाभार्थियों द्वारा बतलाई गई कठिनाइयां उसे सूचित नहीं की गयी थीं ।

(ग) विशेषज्ञ द्वारा लिखी गई ऐसी औषधियां जो फार्मूलरी में शामिल नहीं होती हैं वे मैसर्स सुपर बाजार के माध्यम से खरीदी जाती हैं ओर उन्हें प्राय: दो दिनों के अन्दर-अन्दर सप्लाई कर दिया जाता है ।

(घ) मैसर्स सुपर बाजार को यह कार्य सरकार की नीति के अनुसार सौंपा गया है ।

(ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

[हिन्दी]

बिहार में विश्वविद्यालयों में रोजगारोन्मुख स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

4811. **श्री कुंवर राम** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में किन-किन विश्वविद्यालयों में रोजगारोन्मुख स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार भागलपुर विश्वविद्यालय और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा निम्न-लिखित उत्तर स्नातक पाठ्यक्रम प्रदान किए जा रहे हैं जो कि रोजगारोन्मुख हैं :

1. भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर	शिल्पकला में डिप्लोमा
2. बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची	वन-वनस्पति विज्ञान, वन-जीव विज्ञान, वन-कीट विज्ञान, वन-समाज विज्ञान, वन अर्थशास्त्र, वन कवक विज्ञान और रोग विज्ञान, वन उद्यान विज्ञान, वन इन्जीनियरी, वन एगोनोमी, वन भू-विज्ञान, संवर्धनिक और वन प्रबन्ध और उत्पादन में डिप्लोमा ।

बिहार की अपर संकरी और तिल्लैया थाथर परियोजना

4812. **श्री कुंवर राम** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के दौरान बिहार की अपर संकरी और तिल्लैया थाथर परियोजना पर कुल कितनी राशि व्यय किए जाने की संभावना है;

(ख) इसके परिणामस्वरूप अगले पांच वर्षों के दौरान इस योजना के कितने भागों के पूरा होने की संभावना है; और

(ग) सिंचाई के अन्तर्गत कितना क्षेत्र लाए जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) बिहार राज्य के लिए सातवीं योजना के सिंचाई परिव्यय के लिए परियोजना-वार आबंटन उपलब्ध नहीं है । तथापि, योजना आयोग के कार्यकारी दल ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तिलैया थाथर व्यपर्तन परियोजना के लिए 10 करोड़ रुपए की सिफारिश की थी तथा अपर संकरी परियोजना के लिए किसी भी परिव्यय की सिफारिश नहीं की थी ।

(ख) सातवीं योजना में इन दोनों परियोजनाओं पर पूरा किया जाने वाला कार्य बिहार सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले परिव्यय पर निर्भर करेगा ।

(ग) अपर संकरी परियोजना तथा तिलैया व्यपर्वतन परियोजना से सृजित की जाने वाली अन्ततः सिंचाई क्षमता क्रमशः 52,000 हेक्टेयर तथा 48,600 हेक्टेयर है ।

वर्ष 2000 तक "सभी के लिए स्वास्थ्य" सम्बन्धी लक्ष्य प्राप्त करने हेतु बिहार में आरम्भ की गई योजनायें/परियोजनाएं

4813. **श्री कुंवर राम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2000 तक "सभी के लिए स्वास्थ्य" सम्बन्धी लक्ष्य को पूरा करने हेतु बिहार में क्या योजनाएं/परियोजनायें आरम्भ की जा रही हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) सन् 2000 ईसवी तक "सबके लिए स्वास्थ्य" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो कार्यनीति छठी योजना में अपनाई गई थी वही कार्यनीति सातवीं योजना में अपनाई गई है ।

इस सम्बन्ध में जो योजनाएं हैं तथा उनमें जो प्रगति हुई है वह इस प्रकार हैं :

I. 31.7.85 की स्थिति के अनुसार उप-केन्द्र	7699
II. 31.7.85 की स्थिति के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	665
III. 31.3.85 की स्थिति के अनुसार सहायक स्वास्थ्य केन्द्र	109
IV. 31.3.85 की स्थिति के अनुसार दर्जा बढ़ाए गये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	50

31.3.85 की स्थिति के अनुसार स्वास्थ्य गाइड योजना के अन्तर्गत कवर दिए गये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या	100
31.3.85 की स्थिति के अनुसार प्रशिक्षित स्वास्थ्य गाइडों की संख्या	11,180
31.3.85 की स्थिति के अनुसार प्रशिक्षित दाइयों की संख्या	56,029
31.3.85 की स्थिति के अनुसार कार्य कर रही सहायक नर्स मिडवाइफों की संख्या	7,541
31 3.85 की स्थिति के अनुसार कार्य कर रही लेडी हैल्थ विजिटरों की संख्या	1,248

बहु-उद्देशीय कार्यकर्त्ता योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित किए गए 31.3.85 की स्थिति के अनुसार)

चिकित्सा अधिकारी (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र)	1630
खण्ड विस्तार शिक्षक	572
स्वास्थ्य सहायक (पुरुष)	1640
स्वास्थ्य सहायक (महिला)	681
बहु-उद्देशीय कार्यकर्ता (पुरुष)	5183
बहु-उद्देशीय कार्यकर्ता (महिला)	2933

[अनुवाद]

तितलागढ़ और सम्भलपुर तथा भुवनेश्वर के बीच रेलगाड़ी चलाना

4814. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में तितलागढ़, सम्भलपुर और भुवनेश्वर के बीच रेल गाड़ी चलाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव कब तक लागू किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) सवारी डिब्बों, रेल इन्जनों जैसे संसाधनों तथा इन स्टेशनों पर अनुरक्षण सुविधाओं की कमी के कारण यह व्यवहार्य नहीं है ।

केन्द्रीय विद्यालयों के अध्यापकों के लिए प्रोत्साहन योजनाएं

4815. **श्री अनादि चरण दास** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन अपने विभिन्न श्रेणियों के अध्यापकों को सैलेक्शन

ग्रेड देने के लिए कोई प्रोत्साहन योजना अपना रहा है;

(ख) यदि हां, तो चालू योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्ष के दौरान दिल्ली में विभिन्न केन्द्रीय विद्यालयों में विभिन्न श्रेणियों के कितने अध्यापकों को सैलेक्शन ग्रेड दिया गया है; और

(घ) उनमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कितने अध्यापक हैं ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालयों के शिक्षकों के लिए प्रवरण ग्रेड की एक योजना है । वर्तमान योजना के अन्तर्गत शिक्षण पदों की सभी श्रेणियों की संस्वीकृत संख्या का 20% प्रवरण ग्रेड पदों में परिवर्तित किया जाता है । प्रवरण ग्रेण के पदों पर नियुक्ति वरीयता एवं योग्यता के आधार पर की जाती है ।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली के केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवरण ग्रेड दिए गए शिक्षकों की संख्या निम्नलिखित है :

वर्ष	श्रेणी	संख्या
1982-83	पी० आर० टी०	13
	टी० जी० टी०	11
	पी० जी० टी०	1
1983-84	पी० आर० टी०	2
	पी० ई० टी०	2
	डब्ल्यू० ई० टी०	5
	टी० जी० टी०	1
1984-85	डब्ल्यू० ई० टी०	2
	पी० आर० टी०	1
	पी० जी० टी०	12

(घ) कोई नहीं ।

[हिन्दी]

नौवहन उद्योग में वित्तीय संकट

4816. **श्री जी० एस० मिश्र** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में नौवहन उद्योग वित्तीय संकट से गुजर रहे हैं और उन्हें घाटा हो रहा है;

(ख) मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में किराये के कितने जहाज चल रहे हैं; और

(ग) उन पर प्रतिदिन औसतन पृथक् पृथक् कितनी भारतीय मुद्रा और विदेशी मुद्रा खर्च की जा रही है; और

(घ) उन पर दलाली की कितनी धनराशि का भुगतान किया जा रहा है और इसका किसको भुगतान किया जा रहा है तथा किस मुद्रा में ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय नौवहन निगम के पास इस समय किराए पर 17 जहाज हैं।

(ग) चूंकि भारतीय नौवहन निगम द्वारा किराये पर लिए गये सभी जहाज विदेशी जहाज हैं, अतः इन्हें विदेशी मुद्रा में लगभग औसत 4095 अमेरिका डालर प्रतिदिन की दर से भाड़े का भुगतान किया जाता है।

(घ) विदेशी दलालों को विदेशी मुद्रा में और भारतीय दलालों को भारतीय मुद्रा में दलाली दी जाती है। दलाली की दरें अलग-अलग होती हैं और इसका भुगतान जहाज मालिकों द्वारा किया जाता है। भाड़े के साथ दलाली की वास्तविक धनराशि का उल्लेख नहीं किया जाता है अतः यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महिलाओं के कल्याण के लिए प्रावधान

4817. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिलाओं के कल्याण के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कोई प्रावधान किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

युवक कार्यक्रम और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) महिला कल्याण विभाग की निम्नलिखित योजनाएं हैं जिसके लिए सातवीं योजना में प्रावधान किया गया है :

वर्तमान योजनाएं :

(1) श्रमजीवी महिलाओं के लिए होस्टल;

(2) महिलाओं के लिए रोजगार और आय उत्पादक, प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्रों की स्थापना;

(3) संकटग्रस्त महिलाओं के पुनर्वास के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए सहायता;

(4) सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम;

(5) महिलाओं के लिए शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के संक्षिप्त पाठ्यक्रम;

(6) महिलाओं के संगठनों को प्रोत्साहन देना और उन्हें सुदृढ़ बनाना जन सहयोग में ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण ।

नई योजनाएं :

(1) राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों में महिला विकास निगमों की सहायता करना;

(2) मंत्रालय के महिला कल्याण और विकास ब्यूरो में अलग से महिला विकास योजना और प्रबोधन सेल की स्थापना करना ।

केरल में विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत विभिन्न कालेजों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सहायता

4818. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि छठी योजना के दौरान त्रिवेन्द्रम में केरल विश्वविद्यालय, कोलायाम में गांधी विश्वविद्यालय, कोचीन में कोचिल विश्वविद्यालय और कालीकट में कालीकट विश्वविद्यालय के अन्तर्गत क्रमशः विभिन्न कालेजों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिए गए अनुदान की कुल राशि कितनी है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : वि० अ० आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, छठी योजना के दौरान कालीकट विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजों को क्रमश 131.58 करोड़ रुपए तथा केरल विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजों को 175.59 करोड़ रुपए के अनुदान संस्वीकृत किए गए थे । केरल विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजों में कुछ ऐसे कालेज भी शामिल हैं जो अब गांधी जी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं । कोचीन विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कोई कालेज नहीं है ।

डाबला से सिंघाना तक चलने वाली माल गाड़ी में यात्री डिब्बे जोड़ने का प्रस्ताव

4819. **श्री मोहम्मद अयूब खां** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार डाबला से सिंघाना तक प्रतिदिन चलने वाली माल गाड़ी जो खेतड़ी तांबा परियोजना के लिये माल ले जाती है, में उस क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए, यात्री डिब्बे जोड़ने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सवारी डिब्बों की कमी के अलावा, इन गाड़ियों में सवारी डिब्बे चलाना वांछनीय नहीं है क्योंकि ये माल गाड़ियां नियमित रूप से नहीं चलती हैं । माल यातायात की निकासी के लिए जरूरी होने पर ही ये माल गाडियां चलती हैं ।

कर्नाटक में मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

4820. **श्री श्रीकांतदत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्नाटक सरकार से मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के बारे में अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक में ऐसी रेल लाइन की कुल लम्बाई कितनी है तथा कितनी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने का अनुरोध किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त रेल लाइनों को बदलने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में कब तक निर्णय किए जाने की संभावना है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां ।

(ख) से (ङ) कर्नाटक राज्य में मीटर आमान की 2220 कि० मी० लाइनें हैं । मैसूर-बैंगलूरू मी० ला० को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य प्रगति पर है । बैंगलूरू मिरज मीटर लाइन और सम्बद्ध मीटर शाखा लाइनों को बड़ी लाइन में बदलने के लिए किये गये सर्वेक्षण से पता चला है कि यह परियोजना वित्तीय दृष्टि से अलाभप्रद होगी । संसाधनों की बेहद तंगी को देखते हुए, इस समय कर्नाटक में आमान परिवर्तन की नयी परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए विचार नहीं किया जा सकता ।

खाद्य परिरक्षकों के संचयी प्रभाव से उत्पन्न खतरा

4821. **श्री मानिक रेड्डी** :
डा० जी० विजय रामाराव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान खाद्य परिरक्षकों के संचयी प्रभाव, विशेषकर सल्फाइटों से उत्पन्न खतरे की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अब तक कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार खाद्य पदार्थों में सल्फाइटों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने का है; और

(ङ) क्या सी० ई० आर० सी०, अहमदाबाद ने खाद्य संयोजी पदार्थ के प्रयोग के खतरे की ओर ध्यान दिलाया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) खाद्य कृषि संगठन/विश्व स्वास्थ्य संगठन की विशेषज्ञ समिति द्वारा संयुक्त रूप से सल्फाइट्स के सुरक्षित इस्तेमाल के बारे में अध्ययन किया गया है जिसने खाद्य पदार्थों में सल्फाइट्स के इस्तेमाल करने के बारे में अनुमति दे दी है ।

(ङ) सी० ई० आर० सी०, अहमदाबाद सब्जियों और फलों में सल्फाइट्स का परिरक्षकों के रूप में इस्तमाल करने के बारे में एक अध्ययन करने की योजना बना रहा है। इस प्रयोजन के लिए उन्होंने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय से अनुरोध किया है कि वे उन्हें सल्फाइट्स को परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल करने के बारे में विशेष रूप से किए गये नवीनतम अध्ययनों से संबंधित उपलब्ध सूचना सप्लाई करें।

उपभोक्ता शिक्षा अनुसंधान केन्द्र अहमदाबाद के पास एनालजेसिक औषधियों के खतरों के बारे में सूचना

4822. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ता शिक्षा अनुसंधान केन्द्र, अहमदाबाद ने ओ० टी० सी० एनाल्जेसिक औषधियों का इस्तेमाल करने वाले रोगियों को इससे होने वाले खतरे से बचाव के लिए पर्याप्त जानकारी दिये जाने की मांग की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन औषधियों से होने वाली हानियों के बारे में कोई अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) क्या नियमों आदि में परिवर्तन करके लेवल लगाने आदि की कमियां दूर की जायेगी ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) कंज्यूमर एजुकेशन अनुसंधान सेंटर, अहमदाबाद ने ओ० टी० सी० एनलजेसिक्स संबंधी पर्याप्त सूचना उपलब्ध करने के लिए औषध और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 में कुछ संशोधन करने का सुझाव दिया है ताकि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को नुकसान न हो।

(ख) इस मंत्रालय को भारत में एनलजेसिक दवाओं के खतरों के बारे में किये गये किसी अध्ययन की जानकारी नहीं है।

(ग) औषध और प्रसाधन सामग्री नियमावली में ऐसी कोई विशेष व्यवस्था नहीं है कि निर्माता दवाइओं के पैकेटों में कुछ ऐसी पर्चियां डालें जिन पर प्रभाव, विपरीत प्रभाव चेतावनियां आदि लिखी हों। इवाइयों की कीमत आदि सहित ऐसे अनेक पहलू हैं जिनके बारे में ऐसी व्यवस्था करने से पूर्व सावधानीपूर्वक ध्यान देना अपेक्षित है।

[हिन्दी]

नल कूपों के छिद्रण के लिये मशीन

4823. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु सिंचाई के प्रयोजनावधि कुओं को खुदाई की आवश्यकता पड़ती है और अधिकांश राज्य सरकारें नलकूप लगाने की छिद्रण मशीनों को पर्याप्त संख्या में खरीदने की स्थिति में नहीं है तथा जनजातीय किसान नलकूप लगाने की लागत को वहन करने की स्थिति में भी नहीं हैं, और यदि हां, तो क्या भारत सरकार कोई वित्तीय सहायता देगी, और यदि हां तो कब तक तथा कितनी व किन आधारों पर दी जायेगी;

(ख) क्या सरकार का विचार नल कूप लगाने के लिए निर्धन जनजातीय किसानों को अतिरिक्त सहायता/अनुदान देने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय किया जाएगा ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में भू-जल और सतही जल (लघु सिंचाई) संगठनों को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना को, जो छठी योजना में कार्यान्वित की जा रही थी, सातवीं योजना में जारी रखे जाने का प्रस्ताव है। सामयिक वित्त वर्षों के भीतर प्रभावी इस योजना के अन्तर्गत रिग्स की उपलब्धता, सातवीं योजना में उनके उपयोग का कार्यक्रम तथा राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में भू-जल के विकास के स्तर के बारे में स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को वेधन मशीनों की खरीद के लिए 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।

(ख) और (ग) कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए छोटे तथा सीमान्त किसानों की सहायता के लिए कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही एक केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत 5,000 रुपए की उच्चतम सीमा तक जनजातीय किसानों की भूमि में निःशुल्क छेदन (बोरिंग) करने का कार्य शुरू करने के लिए राज्य सरकारों को प्राधिकृत किया गया है। इस सीमा से ऊपर होने वाली अतिरिक्त लागत लाभार्थियों द्वारा स्वयं वहन की जानी है।

[अनुवाद]

रेलवे स्टेशनों पर मैसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी का एकाधिकार

4824. **श्री डी० पी० जडेजा** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी से परामर्श किए बिना महत्वपूर्ण स्टेशनों पर एक भी प्लेटफार्म से पुस्तकों की बिक्री की सुविधा वापस लेने की शक्ति नहीं है;

(ख) क्या ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी को दिए गए एकमात्र बिक्री अधिकारी, एकाधिकार के रूप में साबित हुए हैं और इस कारण बेरोजगार युवा स्नातक इन स्टेशनों पर पुस्तकों की बिक्री का धंधा नहीं अपना सके हैं; और

(ग) क्या ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी को दिये गये एकाधिकार स्वामित्व की नौ वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले इस स्थिति में सुधार किया जाएगा ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) मैसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी के साथ हुआ वर्तमान करार 1-1-1985 से नौ वर्ष के लिए लागू है। ठेके को शिकमी देने अथवा करार के उपबन्धों का उल्लंघन करने पर ठेका समय से पहले रद्द किया जा सकता है, जैसा कि करार में व्यवस्था की गयी है। रेलवे उन स्टेशनों पर भी जहां मैसर्स ए० एच० व्हीलर का एकाधिकार है, 1-1-1976 को अथवा इसके बाद निर्मित नये प्लेटफार्मों पर (आमान परिवर्तन के कारण निर्मित प्लेटफार्मों को छोड़कर) अन्य पात्र व्यक्तियों को बुक-स्टाल चलाने की अनुमति दे सकती है। रेलवे इन स्टेशनों पर लाभ न कमाने वाली संस्थाओं और

लोकोपकारी संस्थाओं द्वारा प्रकाशित पुस्तकों आदि तथा सरकारी प्रकाशनों की बिक्री करने की अनुमति भी दे सकती है।

रेलवे स्टेशनों पर ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी को पुस्तकों की बुकानों इत्यादि का आबंटन

4825. **श्री डी० पी० जडेजा :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार क्षेत्रीय रेलवे को वर्ष 1960 से ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी को ही नियमित रूप से बुकस्टाल/काउन्टर ट्रैवल्स ट्राली का आबंटन करने हेतु प्रोत्साहित कर रही है;

(ख) क्या यह सच है कि उस कम्पनी के वर्ष 1961 में 260 ऐसे स्टाल थे जो कि वर्ष 1984 तक बढ़ाकर 394 स्टाल हो गये और असंख्य छोटे स्टाल और ट्राक्रियां हो गईं; और

(ग) क्या सरकार की नीति के अनुसार नए प्लेटफार्मों के अतिरिक्त जिन स्टेशनों पर बुकस्टालों पर ए० एच० व्हीलर एंड कम्पनी का अधिकार है वहां बेराजगार स्नातकों को बुकस्टाल आबंटित करने का कोई विचार है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) 1960 से पहले किसी समूची रेलवे अथवा किसी रेलवे के बहुत बड़े भाग पर बुकस्टाल चलाने का एक मात्र अधिकार मैसर्स ए० एच० व्हीलर एंड कम्पनी का था। इसके परिणामस्वरूप पूरी रेलवे अथवा उसके किसी भाग पर बुकस्टाल खोलने तथा पुस्तकें, पत्रिकाएं आदि बेचने का एकाधिकार इस कम्पनी का हो गया था। अतः ऐसे स्टेशनों पर भी जहां मैसर्स ए० एच० व्हीलर एंड कम्पनी के बुक स्थाल नहीं थे, अन्य ठेकेदारों को बुक स्टालों का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता था। 1960 में इस मामले की जांच की गयी और समूची रेलवे अथवा उसके एक बड़े भाग पर उनके एक मात्र अधिकारों को घटाकर केवल उस स्टेशन पर जहां तक स्टालों के लिए उनका ठेका था "एकाधिकार" कर दिया गया। अन्य बुकस्टाल ठेकेदारों विशेषकर बेरोजगार स्नातकों को अवसर प्रदान करने के लिए इन "एकमात्र बिक्री अधिकारों" में समय-समय पर आगे और आशोधन किये गये हैं। इस समय मैसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड को स्टेशनों के उन प्लेटफार्मों पर बिक्री के एक मात्र अधिकार प्राप्त हैं, जहां उसके बुकस्टाल हैं। इनमें आमान परिवर्तन के कारण बदले गये प्लेटफार्म शामिल हैं। 1-1-1976 को अथवा उसके बाद बने सभी अतिरिक्त प्लेटफार्म (आमान परिवर्तन के कारण मौजूदा प्लेटफार्मों के बदले में बनाये गये प्लेटफार्मों को छोड़कर) बेरोजगार स्नातकों सहित पात्र कोटियों को आबंटन के लिए उपलब्ध हैं। 30-6-1962 को मैसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी के पास 330 बुकस्टाल थे और इस समय उनके पास 391 बुक स्टाल हैं।

महानगरीय परिवहन परियोजना रिपोर्ट

4826. **श्री यू० एच० पटेल :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगरीय परिवहन परियोजना (रेलवे) को अहमदाबाद शहर और इसके

उपनगरीय क्षेत्र अहमदाबाद नगर निगम (गुजरात) और होन्डा के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में कम्प्यूटर रेलवे लाइन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सर्वेक्षण करने का कार्य सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त परिवहन परियोजना ने अपनी प्रारम्भिक रिपोर्ट तैयार कर ली है और इसे अहमदाबाद नगर निगम को भेज दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) महानगर परिवहन परियोजना (रेलवे), बम्बई ने अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण तथा अहमदाबाद नगर निगम के अनुरोध और लागत पर अहमदाबाद नगर के अंतर्गत उपनगरीय रेलवे लाइन के लिए तकनीकी-आर्थिक-व्यावहारिकता अध्ययन किया है। क्षेत्र सर्वेक्षण करने के पश्चात् विभिन्न वैकल्पिक संरेखणों की पहचान की गयी है। भारतीय प्रबंध संस्थान, बैंगलूर द्वारा यातायात अध्ययन किये गये हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रारम्भिक रिपोर्ट, जिसमें विभिन्न संरेखणों के ब्यौरे और तकनीकी ब्यौरे शामिल हैं, संबंधित एजेंसियों के विचार जानने के लिए अहमदाबाद विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत कर दी गयी है।

(ङ) प्रारम्भिक रिपोर्ट पर अहमदाबाद विकास प्राधिकरण की टिप्पणी और विचार प्राप्त करने के बाद जब तक अंतिम रिपोर्ट तैयार नही कर ली जाती, प्रश्न ही नहीं उठता।

ललित कला अकादमी द्वारा कलाकृतियों की बिक्री के संबंध में जांच

4827. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ललित कला अकादमी द्वारा कलाकृतियों की अवैध बिक्री के संबंध में कौन-कौन सी एजेंसियां जांच कर रही है और कब से;

(ख) यह जांच कब तक पूरी हो जायेगी;

(ग) अवैध रूप से कितने अनुमानित मूल्य की कलाकृतियां बेची गई; और

(घ) भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) काफी समय से अकादमी में दावा न की गई एकत्रित कलाकृतियों के निपटान जो एक स्वायत्त निकाय, ललित कला अकादमी के प्रबन्ध के निर्णय के अनुसरण में किया गया था, के सम्बध में

कोई जांच नहीं की जा रही है। दावा न की गई कलाकृतियों के निपटान से 32,900 रु० की राशि प्राप्त हुई।

(घ) अकादमी ने यह निर्णय लिया है कि भविष्य में यदि कलाकारों द्वारा तीन वर्ष तक कलाकृतियों का दावा नहीं किया जाता है तो इन्हें विभिन्न कला संगठनों में वितरित कर दिया जायेगा।

सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो, मद्रास द्वारा कैप्स्युल का निर्माण

4828. **श्री एम० महालिंगम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो मद्रास में उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उसे कैप्स्युल तैयार करने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रारम्भिक अवस्था में उनका विचार किस कैप्स्युल का निर्माण करने का है;

(ग) कैप्स्युलों को भरने और उन्हें सीलवन्द करने के लिये किन मशीनों की आवश्यकता होती है जिसके लिये मंत्रालय ने स्वीकृति दी है; और

(घ) कैप्स्युल सेक्शन आरम्भ किये जाने पर उसकी निर्माण क्षमता कितनी होगी और क्या इससे सभी डिपुओं की समूची मांग पूरी हो जायेगी ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

विश्व कप क्रिकेट फाइनल के स्थान में परिवर्तन करना

4829. **कुमारी ममता बनर्जी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1987 में कलकत्ता में होने वाले विश्व कप क्रिकेट फाइनल को अन्यत्र कराया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

युवक कार्यक्रम और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नहरों के माध्यम से नदियों को जोड़ना

4830. **श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नहरों के माध्यम से नदियों को जोड़कर जल संसाधनों का

इष्टतम उपयोग पर निगरानी रखने हेतु एक बोर्ड की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) जल के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ प्रायद्वीपीय नदियों को सम्बद्ध करके जल संसाधनों के विकास के सम्बन्ध में अध्ययन तथा अन्वेषण करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की स्थापना की है। ये अध्ययन प्रगति पर हैं।

नर्मदा बांध परियोजना में पता लगाए गए भू-वैज्ञानिक दोष

4831. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4500 करोड़ रुपए की नर्मदा बांध परियोजना में बड़े भू-वैज्ञानिक दोष का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है क्योंकि यह स्थायी खतरा रहेगा; और

(ग) क्या इस बांध और बांध के अन्य सुरक्षा कार्य का हल ढूंढने के लिए केन्द्रीय जल विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे के वैज्ञानिकों को शामिल किया गया है और यदि हां, तो गत दशक के दौरान उनके अनुसंधान और विकास प्रयत्नों के क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) गुजरात में नर्मदा बांध (सरदार सरोवर परियोजना) के अक्ष के आर-पार भू-वैज्ञानिक दोष का पता लगा है। बांध की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए दोष निवारक उपाय के रूप में बांध के आधार के नीचे दोष की विस्तीर्णता के आर-पार उपयुक्तता संरचनात्मक डाटें लगाने का प्रस्ताव किया गया है।

(ग) केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधानशाला के वैज्ञानिक इस कार्य में लगे हुए हैं तथा पिछले एक दशक के दौरान उन्होंने जो अनुसंधान और विकास कार्य किया है उससे ऐसी समस्याओं को हल करने में अपना योगदान देने में वे समर्थ हो सके हैं।

पेरिस के एक न्यायाधिकरण द्वारा एयर इंडिया के विरुद्ध निर्णय

4832. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया के भारत में कार्यरत कर्मचारियों के परिलब्धियां और अनुलब्धियां विदेशों में विभिन्न स्थानों पर एयर इंडिया द्वारा नियुक्त किये गये विदेशी राष्ट्रिकों को दिये जाने वाले परिलब्धियों और अनुलब्धियों से किस प्रकार भिन्न हैं;

(ख) पेरिस में न्यायधिकरण द्वारा जिस मामले में एयर इंडिया के विरुद्ध निर्णय किया गया है उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में इस निर्णय का क्या प्रभाव पड़ेगा ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) विदेश में विभिन्न

स्थानों पर एयर इंडिया के स्थानीय रूप से भर्ती किए गये कर्मचारियों की परिलब्धियां और अनुलब्धियां, वेतन के स्तर, एयरलाइन वेतन करार की शर्तों, सांविधिक अपेक्षाओं के अनुपालन, स्थानीय सरकार द्वारा घोषित वेतन अवार्डों और संबंधित राष्ट्रीय वाहकों में प्रचलित वेतनों के स्तर के अधीन नियंत्रित होती है।

विदेश में तैनात भारतीय बेस के अधिकारियों की परिलब्धियां और अनुलब्धियां, भारतीय वेतन के अनुसार नियंत्रित होती हैं जोकि भारतीय विनियम/यूनियनों/एसोसिएशनों के साथ समझौते के अनुसार विनियमित होते हैं तथा इसमें तैनाती के स्थान का विदेश भत्ता और अधिकार शामिल होता है। विदेशी भत्ते पर अधिभार का निर्धारण और उसमें संशोधन सम्बन्धित स्टेशन पर भारतीय मिशन के कर्मचारियों को स्वीकार्य विदेशी भत्ते के आधार पर किया जाता है।

तथापि अमेरिका में डालर ग्रेड निर्धारित किए गए हैं जो कि अमेरिका में तैनात भारतीय बेस के कर्मचारियों और वहां स्थानीय रूप से भर्ती किए गये कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

एयर इंडिया के विदेश में तैनात भारतीय बेस के कर्मचारियों को बाल शिक्षण भत्ता, साज-सज्जित रिहायशी आवास, यातायात सुविधा आदि जैसे लाभ प्राप्त होते हैं।

(ख) और (ग) एयर इंडिया को, देश निकाला दिये गए अधिकारियों की परिलब्धियों के संबंध में फ्रेंच कलेक्टिव कंवेंशन का उल्लंघन करने के लिए पेरिस में निम्नलिखित के संबंध में स्थानीय ट्रिब्यूनल के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया था, अर्थात्

(1) कि पेरिस में तैनात भारतीय बेस के कर्मचारियों को वर्ष के अन्त का बोनस दिया जा रहा है (कलेक्टिव कंवेंशन में 15 दिन अर्थात् आधे महीने का वेतन न्यूनतम बोनस के रूप में दिए जाने की व्यवस्था है);

(2) जैसे कि कलेक्टिव कंवेशन में व्यवस्था है, भारतीय बेस के कर्मचारियों को वरीयता प्रीमियम नहीं दिया जा रहा है (कलेक्टिव कवेंशन में प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 1% के अनुपात की व्यवस्था है जो कि अधिकतम 15% तक हो सकती है)।

एयर इंडिया द्वारा की गई आपत्ति/दलीलों के बावजूद ट्रिब्यूनल ने उपर्युक्त उल्लंघनों के लिए 2000 फ्रेंच फैंक का जुर्माना किया। एयर इंडिया अपीलीय न्यायालय के पास गया जिसने ट्रिब्यूनल के निर्णय को मान्य रखा। एयर इंडिया ने ट्रिब्यूनल और अपीलीय न्यायालय के निर्णयों के खिलाफ 27 जून, 1985 को फ्रांस के सर्वोच्च न्यायालय में एक अपील दायर की। मामला अभी न्यायालय के विचाराधीन है, इसलिए भविष्य में इस निर्णय के प्रभाव के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है।

एयर इंडिया के यातायात अधिकारियों (ट्रैफिक आफीसर्स) की विदेशों में तैनात करना

4833. डा० जी० विजय रामाराव : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया के यातायात अधिकारियों को विदेशों में विशेषकर सिंगापुर, खाड़ी

के देशों और सउदी अरब जैसे पूर्वी देशों में एयर इंडिया के कार्यालयों में प्रबन्धकों के रूप में तैनात करने के संबंध में कोई मार्गनिर्देश निर्धारित किये गये हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या निर्धारित मार्ग निर्देशों का निरपवाद रूप से पालन किया जाता है अथवा कुछ अपवाद भी हो सकते हैं और यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) विदेशी स्टेशनों में स्थानांतरण के सम्बन्ध में एयर इंडिया द्वारा अपनाए गए मानदण्ड निम्न प्रकार है :—

(1) सेवा का एक अच्छा रिकार्ड ।

(2) एक प्रभावशाली व्यक्तित्व ।

(3) कार्य की अपेक्षाओं के अनुरूप अभिव्यक्ति की शक्ति और योग्यता ।

(4) पहल करने, संचालन करने और निर्णय लेने की शक्ति ।

(5) विद्यमान परिस्थितियों के अनुरूप अपने को ढालना ।

(6) लोगों के साथ मिल जुल कर चलने की योग्यता ।

अपवाद के मामलों के लिए कोई मानदंड नहीं हो सकता है और आमतौर पर निरपवाद सलूक नहीं किया जा सकता है ।

[हिन्दी]

बीकानेर को सूरतगढ़ से बड़ी लाइन से जोड़ने का प्रस्ताव

4834. **श्री मोहम्मद अयूब खां** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीकानेर शहर के बीच पांच रेलवे फाटक शहर को दो भागों में बांट देते हैं;

(ख) 24 घंटों में इन फाटकों को कितनी बार बन्द किया और खोला जाता है;

(ग) क्या बीकानेर शहर में रेल फाटकों की समस्या को हल करने के लिए बीकानेर को जल्द ही सूरतगढ़ से बड़ी लाइन द्वारा जोड़ा जाएगा;

(घ) यदि हां, तो बड़ी लाइन का नया स्टेशन कहां स्थित होगा; और

(ङ) क्या रेल विभाग का विचार इस नए स्टेशन की मास्टर प्लान के अनुसार इसका धारसीसर या किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर निर्माण करने का है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां ।

(ख) समपार फाटक सं० 138, 139, 140 और 141 प्रत्येक औसतन 32 बार बन्द किये जाते हैं तथा पुन: खोले जाते हैं जबकि गेट नं० 5/264 24 घंटे में औसतन 33 बार खोला और बन्द किया जाता है ।

(ग) रेल यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्तमान सूरतगढ़-लालगढ़ मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदला जा रहा है।

(घ) लालगढ़ को बड़ी लाइन का टर्मिनल बनाये जाने का प्रस्ताव है।

(ङ) जी, नहीं।

[अनुवाद]

स्वीकृत औषध सूची से प्रविष्टियां हटाना

4835. **डा० जी० विजय रामा राव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ता शिक्षा अनुसंधान केन्द्र, अहमदाबाद ने संयुक्त राष्ट्र संघ की "समेकित सूची के" के 1986 के संस्करण की ओर ध्यान दिलाया है और यदि हां, तो इन में से कुछ औषधियों की सुरक्षा/कार्यकुशलता को ध्यान में रखते हुए स्वीकृत औषध सूची से कुछ प्रविष्टियों को हटाने पर कोइ कार्यवाही की गई है; और

(ख) क्या सरकार विभिन्न कीटनाशी दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, औद्योगिक रसायनों और उपभोक्ता उत्पादों संबंधी व्यापार आंकड़ों के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय निगमों संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघ केन्द्र को सूचित करती है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां। उपभोक्ता शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र, अहमदाबाद ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की "समेकित सूची" के 1986 के संस्करण की ओर इस मंत्रालय का ध्यान दिलाया है।

समेकित सूची भेजते हुए, महानिदेशक, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सदस्य देशों से अनुरोध किया है कि वे अपनी टिप्पणियां और अन्य अतिरिक्त सुझाव, जो भी वे 1986 की "समेकित सूची" के लिए देना चाहते हैं, भेज दें।

विश्व स्वास्थ्य संगठन को किसी भी अतिरिक्त सुझाव की सूचना देने से पहले इस सूची में दर्शाए गए फार्मास्युटिकल उत्पादों के बारे में समेकित सूची की जांच विशेषज्ञों से परामर्श लेकर की जा रही है।

(ख) जी, नहीं।

सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो, मद्रास अनिर्णीत पड़े प्रस्ताव

4836. **श्री एम० महालिंगम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के पशु चिकित्सा संस्थानों तथा अन्य सहयोगी डिपुओं से निर्मित मदों की भारी मांग प्राप्त होने को ध्यान में रखते हुए सरकारी मेडिकल डिपो, मद्रास के डिपो, कारखाने का आधुनिकीकरण करने का कोई प्रस्ताव उनके मंत्रालय में अनिर्णीत पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसमें ईजेक्शनों/ट्रांसफ्यूजन फ्लड्स के उत्पादन पर भी विचार किया गया है;

(ग) उसमें किन अन्य मदों के उत्पादन का सुझाव दिया गया है; और

(घ) इसके विस्तार कार्यक्रम के प्रथम चरण में कौन-कौन-सी नई मशीनें खरीदने का प्रस्ताव है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते ।

सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो, मद्रास के लिए केडमैच डबल नोटरी मशीन और कोललाखंड मिल

4837. श्री एम० महालिंगम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कार्निश वायलर की स्थापना के बारे में 2.5.1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4900 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो, मद्रास के लिए एक कैडमैच डबल नोटरी मशीन और कोललाखंड मिल प्राप्त कर ली गई है;

(ख) यदि नहीं, तो ऐसी मशीनो को प्राप्त करने में क्या बाधाएं हैं; और

(ग) आइन्टवेन्ट, स्टीक और टेबलट सेक्शनों में उत्पादन बढ़ाने के लिए उक्त स्टोर के लिए मशीनरी की अन्य कौन-सी मदें प्राप्त करने का प्रस्ताव है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) (क) जी, नहीं ।

(ख) धन की कमी के कारण इन मशीनों को प्राप्त करना सम्भव नहीं हो रहा है ।

(ग) कोई अन्य मशीनरी की मदें प्राप्त करने के लिए गवर्नमैंट मेडिकल स्टोर डिपो, मद्रास से अब तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो, मद्रास के लिए थैली भरने की स्वचालित मशीन

4838. श्री एम० महालिंगम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "यूनिसफ सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो में" ओरल रिहाइड्रेसन साल्ट्स, का का निर्माण बढ़ाने के लिए थैली भरने की स्वचालित मशीन भेजने पर फिर एक बार सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मशीन के डिपो में कब तक पहुंचने की संभावना है; और

(ग) ऐसी कितनी मशीनें इस प्रकार "यूनिसेफ" से प्राप्त की गई हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां ।

(ख) वैसे, यूनिसेफ से मशीन प्राप्त करने संबंधी प्रस्ताव को अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका।

(ग) किसी भी डिपो के लिए यूनिसेफ से कोई ऐसी मशीन प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

टोंक जिले में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का औषधालय खोलना

4839. **श्री बनवारी लाल बेरवा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान के टोंक जिले में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का एक औषधालय खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) राजस्थान के टोंक जिले में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का औषधालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

कन्याकुमारी और एर्णाकुलम के बीच अन्तर्देशीय जल परिवहन व्यवस्था

4840. **श्री एन० डेनिस :**
श्री टी० बशीर :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कन्याकुमारी और एर्णाकुलम के बीच अन्तर्देशीय जल परिवहन व्यवस्था का विकास करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) यह खण्ड एक राज्य जलमार्ग है। इसका उत्तरदायित्व राज्य सरकार पर है।

(ख) और (ग) तथापि, राज्य सरकार से एर्णाकुलम (कोचीन) से क्विलन तक के खंड का जो एर्णाकुलम (कोचीन) और कन्याकुमारी के बीच के जलमार्ग का एक भाग है, जलीय सर्वेक्षण और तकनीकी व आर्थिक अध्ययन पूरा करने के लिए अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

कुछ राज्यों द्वारा राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद की पुस्तकों पर प्रतिबन्ध लगाना

4841. **श्री सरफराज अहमद :**
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में राष्ट्रीय शैक्षणिक अनु-

संधान तथा प्रशिक्षण परिषद की कुछ पुस्तकों पर प्रतिबन्ध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्य सरकारों के नाम क्या हैं जिन्होंने इन पुस्तकों पर प्रतिबन्ध लगाया है और जिन पुस्तकों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है उनके नाम क्या हैं और उसका आधार क्या है; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) स्कूल शिक्षा का प्रबन्ध मुख्यत: राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। राज्य सरकारें तथा उनके शिक्षा बोर्ड स्कूल स्तर पर पाठ्यचर्या, अध्ययन, पाठ्य विवरण, पाठ्य पुस्तकों आदि की योजनाएं तैयार करते हैं तथा निर्धारित करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद (रा० शै० अ० प्र० प०) ने माडल पाठ्यचर्या, पाठ्य पुस्तकें तथा पाठ्यचर्या तैयार की हैं जिसे राज्य सरकारें अपनाने/अनुकूल बनाने के लिए स्वतन्त्र हैं।

सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि रा० शै० अ० प्र० परिषद की किसी भी पुस्तक पर किसी भी राज्य सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लगाया गया है।

[अनुवाद]

विचाराधीन प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं

4842. **श्री बी० एन० रेड्डी** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन-सी प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं केन्द्रीय सरकार के पास मंजूरी के लिए विचारार्थ हैं; और

(ख) प्रत्येक परियोजना को मंजूरी देने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) निम्नलिखित परियोजनाओं को, जिनके सम्बन्ध में राज्य सरकारों से पूरी सूचना प्राप्त हो गयी है, अभी केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्रदान किया जाना है :

1. सिंगर परियोजना—आंध्र प्रदेश
2. वातरक जलाशय परियोजना—गुजरात
3. कानपुर परियोजना—उड़ीसा
4. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना—राजस्थान
5. ज्ञानपुर पम्प नहर—उत्तर प्रदेश
6. मेजा बांध को ऊंचा करना—उत्तर प्रदेश

(ख) राज्य सरकारों से प्राप्त परियोजना रिपोर्टों की स्वीकृति, उचित रूप से रिपोर्टों के तैयार करने तथा केन्द्रीय एजेंसियों की टिप्पणियों की राज्य प्राधिकारियों द्वारा तत्परता से अनुपालना किये जाने पर निर्भर करती है। तथापि, परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने का हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है।

यात्री डिब्बों की अन्तस्थ अप्रयुक्त अवधि

4843. **डा० ए० के० पटेल :**
श्री सी० जंगा रेड्डी :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के 1980-81 के अग्रिम प्रतिवेदन(रेले) (5 अप्रैल, 1982 को संसद में प्रस्तुत की गई) के अध्याय 1, माल डिब्बा सेवाएं v(छः) में यात्री डिब्बों के बड़ी संख्या में निरर्थक रुके रहने को कम से कम करने हेतु उनकी किस्मों को कम करके यात्री गाड़ियों के डिब्बों को परस्पर बदलने की व्यवस्था करके यात्री डिब्बों की अन्तस्थ अप्रयुक्त अवधि कम करने के मामले में, जो 1977-78 से रेलवे बोर्ड के विचाराधीन है, उसके द्वारा कोई निर्णय न किए जाने पर चिंता व्यक्त की गई थी;

(ख) 1977-78, 1982-83 में प्रत्येक जोन में यात्री डिब्बों (मेल/एक्सप्रेस/पैसेंजर) की जोन-वार संख्या क्या थी और इस समय क्या है; और

(ग) अन्तस्थ स्थानों पर यात्री डिब्बों के निरर्थक रोके जाने की अवधि को कम से कम करने हेतु 1985-86 के लिए क्या लक्ष्य है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी हां।

(ख) रेलों के पास शाखा लाइन के दो डिब्बों के छोटे-छोटे रेक से लेकर दो डीजल इंजनों द्वारा खींचे जाने वाले 21 डिब्बों तक के रेक हैं और ऐसे रेकों की कुल संख्या सामान्यतः हर छठे महीने समय सारणी में परिवर्तन होने के साथ-साथ बदलती रहती है।

(ग) टर्मिनलों पर सवारी डिब्बों की रुकौनी को न्यूनतम रखने का लक्ष्य रेलों को दिया गया है, तथापि 1985-86 के लिए प्रत्येक टर्मिनल तथा प्रत्येक रेक के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है क्योंकि गाड़ियों को यात्रियों के लिए अति उपयुक्त समय पर छूटना होता है।

[हिन्दी]

राजस्थान के प्रत्येक जिले में महिलाओं के लिए पालीटैकनीक कालेज

4844. **श्री शांति धारीवाल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान के प्रत्येक जिले में कम से कम एक बालिका/महिला पालीटैकनीक कालेज खोलने के लिए अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने राजस्थान के प्रत्येक जिले में कम से कम एक महिला पालीटैकनीक कालेज खोलने के लिए कोई कार्यवाही की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । तथापि, विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा बालिका/महिला पोलिटैकनिकों की स्थापना को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा एक नीति मामले के रूप में प्रोत्साहित किया जाता है ।

अजमेर में रेलवे का क्षेत्रीय कार्यालय

4845. **श्री विष्णु मोदी** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अजमेर में रेलवे का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने के बारे में लगातार अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक सरकार ने क्या कार्रवाई की है;

(ग) क्या सरकार का विचार अजमेर में एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) संसाधनों की भारी तंगी को देखते हुए, सरकार इस समय किसी अतिरिक्त रेलवे जोन के सृजन पर विचार नहीं कर रही है ।

डिवीजनल मैनेजर, अजमेर के विरुद्ध शिकायतें

4846. **श्री विष्णु मोदी** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा डिवीजनल रेलवे मैनेजरों को कतिपय मार्गों पर एक स्थान से दूसरे स्थान को माल ले जा रही मालगाड़ियों के संचालन को अपने निदेशानुसार रोककर उन्हें बरास्ता अन्य स्थानों को भेजने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत पिछले कई महीनों से रेलवे बोर्ड को बरास्ता स्थान विशेष मार्गों के बारे में डिवीजनल रेलवे मैनेजर, अजमेर द्वारा इन अनुदेशों के उल्लंघन की शिकायतें लगातार मिल रही हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन पर कोई कार्रवाई की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां ।

(ख) आपात स्थिति में यदि जरूरी हो, तो मंडल रेल प्रबन्धकों को वैकल्पिक मार्गों से यातायात मोड़ने की अनुमति है ।

(ग) जब आगरा/ईस्ट बैंक होकर सामान्य मार्ग पर प्रतिबन्ध था तब ब्यावर से दिल्ली सराय रोहिल्ला होकर और जब अकोला होकर सामान्य मार्ग पर प्रतिबन्ध था तब साबरमती होकर यातायात की बुकिंग की अनुमति न देने के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं ।

(घ) जी हां, जब व्यावहारिक होता है वैकल्पिक मार्गों द्वारा माल के बुकिंग की अनुमति प्रदान कर दी जाती थी।

(ङ) इन मामलों में यातायात को दिल्ली सराय-रोहिल्ला होकर और साबरमती होकर बुक कराने की अनुमति दे दी गयी थी।

[अनुवाद]

राज्यों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की पुस्तकें लगाया जाना

4847. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किन्हीं राज्यों ने राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा तैयार की गई इतिहास की पुस्तकें न लगाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार का राज्य सरकारों पर यह दबाव डालने का विचार है कि वह अपने स्कूलों के केवल एन० सी० ई० आर० टी० द्वारा तैयार की गई इतिहास आदि की पुस्तकें ही लगाएं ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) पाठ्यचर्या निर्धारित करने तथा पाठ्य-पुस्तकों को मान्यता देने/तैयार करने/निर्धारित करने सहित स्कूल शिक्षा का प्रबन्ध मुख्यत: राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। रा० शै० अ० प्र० प० ने राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न विषयों पर पाठ्यचर्या तथा पाठ्य-पुस्तकें तैयार की हैं जो राज्य सरकारों के पास अपनाने/अनुकूल बनाने के लिए उपलब्ध हैं। जबकि रा० शै० अ० प्र० परिषद की पाठ्य पुस्तकें प्रयोग न करने के बारे में कोई विशेष निर्णय नहीं लिया गया है फिर भी कुछ राज्य सरकारें ये पुस्तकें प्रयोग करती हैं और जबकि कुछ अन्य पुस्तकें प्रयोग करती हैं। यद्यपि भारत सरकार ने राज्यों से रा० शै० अ० प्र० प० की पुस्तकें प्रयोग करने के लिए विशेष रूप से नहीं कहा है फिर भी भारत सरकार खुश होगी कि यदि अधिक से अधिक राज्य रा० शै० अ० प्र० परिषद की पुस्तकें प्रयोग करें।

[हिन्दी]

बिहार में पाली प्रतिष्ठान तथा प्राकृत प्रतिष्ठान को विश्वविद्यालय का दर्जा देना

4848. **श्री कुंवर राम** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में पाली प्रतिष्ठान तथा प्राकृत प्रतिष्ठान को विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए कार्यवाही की जा रही है; और

(ख) बिहार सरकार की इस बारे में क्या सिफारिशें हैं ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) बिहार में पाली प्रतिष्ठान तथा प्राकृत प्रतिष्ठान को विश्वविद्यालय समझा जाने वाला दर्जा दिए

जाने के सम्बन्ध में सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

चिकित्सा की भारतीय पद्धति के प्रेक्टिशनरों के लिए आचार संहिता

4849. **श्री अजय विश्वास** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा चिकित्सा की भारतीय पद्धति प्रेक्टिशनरों के लिए व्यावसायिक आचरण और शिष्टाचार तथा आचार संहिता के बारे में विनियमों को मंजूरी देने के बाद व्यावसायिक दुराचार और शिष्टाचार के कितने मामलों की शिकायतें आयी हैं; और

(ख) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली को इस किस्म की कोई शिकायतें नहीं मिली हैं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक के बीच हुए समझौतों का कार्यान्वयन

4850. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, दिल्ली विश्वविद्यालय तथा दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के बीच वर्ष 1983 में हुए समझौते और पदोन्नति अवसरों की व्यवस्था, गतिरोध को दूर करने, तथा चरणबद्ध रूप से दिल्ली के कालेजों के शिक्षकों को आवास सुविधाओं की व्यवस्था किए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त समझौते की वास्तविक शर्तें क्या हैं और क्या इन्हें कार्यान्वित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो किस तारीख से तथा किस हद तक इन्हें कार्यान्वित किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो कार्यान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं और कब तक इन्हें कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (घ) 28 जनवरी, 1983 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय तथा इसके कालेजों के बारे में योग्यता पदोन्नति योजना के कार्यान्वयन में कुछ ढिलाई बरतने के लिए सहमति प्रगट की थी। योजना इस आधार पर 1.1.83 से कार्यान्वित की जा रही है। चूंकि योग्यता पदोन्नति योजना वि० अ० आर० द्वारा छठी योजनागत योजना के रूप में तैयार की गई थी, अत: आयोग ने विश्वविद्यालयों को सूचित किया कि यह योजना छठी योजना के अन्त में समाप्त समझी

जाए । इसी दौरान, आयोग ने शिक्षकों की शैक्षणिक प्रगति के लिए अवसरों के प्रावधान सहित विश्वविद्यालय तथा कालेजों के शिक्षकों की वर्तमान परिलब्धियों तथा सेवा शर्तों की जांच करने तथा उन पर अपनी सिफारिशें देने के लिए प्रो० आर० सी० मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की । क्योंकि समिति की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है, अत: आयोग ने यह सलाह दी है कि यह योजना उस समय तक जारी रहेगी जब तक वि० अ० आयोग द्वारा वेतनमानों में संशोधन तथा उससे सम्बन्धित मामलों में निर्णय नहीं लिया जाता ।

जनवरी, 1983 में दिल्ली विश्वविद्यालय को यह सलाह दी गई थी कि वे विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए 3.0 करोड़ रु० की लागत के तथा कालेज के कर्मचारियों के लिए 6.0 करोड़ रु० की लागत के स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण की एक योजना तैयार कर ले । विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए योजना संस्वीकृत कर दी गई है तथा निर्माण कार्य प्रगति पर है । कालेज कर्मचारियों की योजना को अन्तिम रूप देने तथा अनुमोदन का कार्य चल रहा है ।

विश्वविद्यालय ने दिल्ली वि० शि० संघ को 28 जनवरी, 1983 को सूचित किया है कि निश्चलता हटाने तथा कालेजों में प्रोफेसरों के ग्रेड लागू करने के लिए उनकी मांगों को विश्वविद्यालय के उपयुक्त प्राधिकारियों के समक्ष रखा जाएगा तथा उनकी सिफारिशें कार्यान्वयन के लिए वि० अ० आयोग के साथ उठाई जाएंगी ।

उन प्रवरण ग्रेड शिक्षकों, जो अपने वेतनमान का अधिकतम 1900 रु० पर है, की निश्चलता हटाने तथा उन्हें वेतन वृद्धि देने का प्रस्ताव विश्वविद्यालय द्वारा वि० अ० आयोग को नवम्बर, 1983 में भेजा गया था । वि० अ० आ० के अनुरोध पर निश्चलता हटाने के प्रस्ताव पर सरकार द्वारा जांच की गई थी । सरकारी सेवा में निश्चलता हटाने के लिए वेतन वृद्धि देने का विचार केवल उन्हीं कर्मचारियों के मामले में किया गया है जो ऐसे वेतनमान में है जिनका अधिकतम 1200 रु० प्रतिमाह से अधिक नहीं है ।

विश्वविद्यालय द्वारा अप्रैल, 1985 में, कालेजों में प्रोफेसर ग्रेड लागू करने के बारे में प्रस्ताव वि० अ० आयोग द्वारा संशोधन समिति को भेजा गया था जो शिक्षकों की शैक्षणिक प्रगति के लिए अवसर प्रदान करने के लिए प्रावधानों की भी जांच कर रही है ।

त्रिवेन्द्रम से खाड़ी के देशों के लिए नियमित उड़ानें

4851. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे से खाड़ी के किन-किन देशों के लिए नियमित उड़ानें हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन उड़ानों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) एयर इन्डिया निम्नलिखित मार्गों पर दुबई, आबू-धाबी, शारजाह, रास-अल-खैमाह, कुवैत और देहरान नामक खाड़ी के छः देशों को त्रिवेन्द्रम से प्रति सप्ताह आठ उड़ानों का परिचालन करती है :

त्रिवेन्द्रम-दुबई-कुवैत

त्रिवेन्द्रम-देहरान

त्रिवेन्द्रम-आबूधाबी-दुबई

त्रिवेन्द्रम-शारजाह-आबू धाबी

त्रिवेन्द्रम-दुबई

त्रिवेन्द्रम-आबूधाबी-रास-अल-खैमाह

त्रिवेन्द्रम-दुबई-आबूधाबी

त्रिवेन्द्रम-आबूधाबी-दुबई ।

सतना हवाई अड्डे का विकास

4852. **श्री अजीत कुरेशी** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें यह जानकारी है कि मध्य प्रदेश में सतना शहर में एक हवाई क्षेत्र है, जिसका नागर विमानन के उद्देश्य से उपयोग किया जा सकता है;

(ख) क्या इस हवाई अड्डे का निर्माण भारत सरकार द्वारा दी गई राशि से किया गया था और इसका अनुरक्षण भी केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस हवाई क्षेत्र की सम्पत्ति में सैकड़ों एकड़ भी शामिल है और यदि इसका उचित रूप से विकास किया जाए तो सतना को शेष भारत के साथ जोड़ने के लिए नियमित वायु सेवा आरम्भ की जा सकती है; और

(घ) यदि हां, तो क्या वे सतना के विकास के लिये इसे वायुदूत सेवा से जोड़ने के बारे में विचार करेंगे ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां, । इस समय विमान-क्षेत्र में परिचालन नहीं किये जा रहे हैं और इसलिए इसे पूर्ण रूप से सेवा-योग्य बनाने के लिए इसका रख-रखाव नहीं किया जा रहा है ।

(ग) और (घ) विकास के लिए वहां पर्याप्त भूमि उपलब्ध है और परिचालनों के आर्थिक रूप से व्यावहारिक होने तथा विमान क्षमता और आवश्यक आधारभूत सुविधाओं के उपलब्ध होने पर वायुदूत की 1987-88 में सतना विमान सेवा शुरू करने की योजना है ।

काली सूची में रखी फर्मों को तरल ग्लूकोज की सप्लाई का ठेका

4853-(क). **श्री गदाधर साहा :**
श्री अजित कुमार साहा :
श्री जायनल अबेदिन :
श्री धर्मपाल सिंह मलिक :
श्री एम० रघुमा रेड्डी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पंजाब को तरल

ग्लूकोज सप्लाई करने के लिए मध्य प्रदेश की घातक ग्लूकोज बनाने वाली एक ऐसी फर्म को ठेका दिया गया है जिसे दो बार काली सूची में रखा जा चुका है और जिसके द्वारा सप्लाई किये गये ग्लूकोज से 48 रोगियों की मृत्यु हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) निरीह रोगियों को घातक तरल ग्लूकोज से मृत्यु से बचाने के लिए सरकार का क्या एहतियाती उपाय करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ङ) 21.9.1985 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "किल्लर ग्लूकोज फर्म गेट्स न्यू कन्टेक्ट्स" शीर्षक के अन्तर्गत एक रिपोर्ट छपी थी ।

पंजाब के राज्य स्वास्थ्य विभाग ने पुष्टि की है कि उन्होंने मध्य प्रदेश की किसी फर्म से ग्लूकोज घोल नहीं खरीदा था । मध्य प्रदेश सरकार ने भी सूचित किया है कि उन्हें ऐसी किसी फर्म की कोई जानकारी नहीं है जो पंजाब को ग्लूकोज घोल सप्लाई कर रही हो ।

गरुड़ मन्दिर से मूर्ति की चोरी

4852-(ख). **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भगवान गरुड़ की मूर्ति, जो गरुड़ मन्दिर के एक स्तम्भ में प्रतिस्थापित थी, गुम पाई गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारी की गई है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हमारे मन्दिरों से मूर्तियों की चोरी की जा रही है और इन्हें दूसरे देशों को भेजा जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो ऐसी कितनी चोरियों की सूचना सरकार को दी गई है और कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(ङ) मूर्तियों की सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार गुंडिचा मन्दिर, पुरी जो केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारक नहीं है, से एक गरुड़ की मूर्ति चोरी हो गई है।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है ।

(ङ) केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों में चोरियों को रोकने और मूर्तियों की सुरक्षा के लिए अनेक उपाय किए गये हैं जैसा कि संलग्न विवरण में दर्शाया गया है ।

विवरण

1. अन्य स्मारकों/स्थलों में पहरा और निगरानी को सुदृढ़ करने के अतिरिक्त भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संचालित केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों और संग्रहालयों में से कुछ में सशस्त्र प्रहरी नियुक्त किए गये हैं।

2. अबद्ध और उपेक्षित मूर्तियों को रखने के लिए महत्वपूर्ण स्थलों पर मूर्ति शेडों का निर्माण, उनका प्रलेखन और पुरातत्वीय स्थल संग्रहालयों की स्थापना।

3. पुरावशेषों और बहुमूल्य कलाकृतियों के निर्यात व्यापार को विनयमित करने, पुरावशेषों की तस्करी और कपटपूर्ण कार्य को रोकने की व्यवस्था करने, सार्वजनिक स्थानों पर परिरक्षण के लिए पुरावशेषों और बहुमूल्य कलाकृतियों के आवश्यक अधिग्रहण की व्यवस्था करने हेतु पुरावशेष और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 की घोषणा।

4. पुरावशेषों की चोरी से सम्बन्धित मामलों की जांच करने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो एक जांच एकक (पुरावशेष) का सर्जन।

5. निश्चित महत्वपूर्ण सांस्कृतिक सम्पदा (प्रतिमाओं, मूर्तियों और चित्रों) की चोरी और बरामदगी के मामलों के कम्प्यूटरीकृत सामग्री बैंक का अनुरक्षण जिसमें केन्द्रीय जांच ब्यूरो में अपराधों, अपराधियों और सांस्कृतिक सम्पदा के सम्बन्ध में सूचना दी गई हो।

6. केन्द्रीय जांच ब्यूरो, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राज्य पुलिस, सीमाशुल्क विभाग और पड़ताल-चौकियों के बीच समन्वय ताकि कलाकृतियों की तस्करी और सांस्कृतिक सम्पदा संबंधी अपराधों, अपराधियों, चोरियों की तत्काल रिपोर्ट की जा सके।

7. इस प्रकार के मामलों की जांच करने के लिए जहां आवश्यक होता है वहां इन्टरपोल की भी सहायता मांगी जाती है।

12.00 मध्याह्न

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री नरेन्द्र बुदानिया (चुरू)

गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखने के बारे में अध्यक्ष का विनिर्णय

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : 4 दिसम्बर, 1985 को मैंने अविकनगर (राजस्थान) स्थित केन्द्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान में मृत्यु की अधिक दर के सम्बन्ध में ज्योतिर्मय बसु समिति की रिपोर्ट

सभापटल पर रखने के बारे में प्रो० मधु दण्डवते की मांग पर अनुमति न देने का निर्णय दिया था। प्रो० दण्डवते ने 1985-86 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर वाद-विवाद का वित्त राज्य मंत्री द्वारा उत्तर दिए जाने के दौरान उनसे कुछ स्पष्टीकरण मांगते हुए अपनी मांग को दोहराया था। प्रो० दण्डवते ने इस मामले को मुझे लिखे एक पत्र द्वारा फिर उठाया है। मुझे 5 दिसम्बर, 1985 को एक अन्य पत्र श्री बासुदेव आचार्य से प्राप्त हुआ था जिसमें मांग की गई है कि कथित रिपोर्ट सभापटल पर रखी जानी चाहिए। उसी दिन मैंने रिपोर्ट कृषि मंत्री को उनकी टिप्पणी के लिए विशेषत: दस्तावेजों की अधिप्रमाणिकता के बारे में भेजी थी। मुझे 17 दिसम्बर, 1985 को विस्तृत उत्तर प्राप्त हो गया है।

2. मुझे बताया गया है कि समिति को अपनी रिपोर्ट दो महीने में प्रस्तुत करनी थी लेकिन पहले भाग में ही एक वर्ष से अधिक का विलम्ब किया गया। रिपोर्ट का दिनांक 9 अक्तूबर, 1980 का हस्ताक्षर रहित पहला भाग भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद को स्वर्गीय श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा 10 अक्तूबर, 1980 को हुई आम सभा की विशेष बैठक में प्रस्तुत किया गया था। हस्ताक्षर रहित रिपोर्ट का दूसरा भाग भा० कृ० अनु० परि० सोसाइटी को 21 फरवरी, 1981 को हुई आम सभा की बैठक में प्रस्तुत किया गया था। रिपोर्ट का तीसरा भाग भी हस्ताक्षर रहित था, जिसे श्री ज्योतिर्मय बसु की मृत्यु के बाद, 20 फरवरी, 1982 को स्वर्गीय श्री बसु के पुत्र श्री इन्द्रजीत बसु द्वारा भा० कृ० अनु० परिषद सोसाइटी के अध्यक्ष को सौंपा गया था। आगे मुझे बताया गया है कि न तो कार्यवाही-सारांश की पुष्टि के लिए और न रिपोर्ट की ही पुष्टि के लिए लिखित दस्तावेज साथ लगाए गए हैं। समिति की बैठकों का कोई कार्यवाही-सारांश उपलब्ध नहीं है। इन परिस्थितियों में यह सिद्ध नहीं होता कि रिपोर्ट का समिति के सदस्यों ने अनुमोदन किया था।

3. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि रिपोर्ट किसी सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित अथवा अधिप्रमाणित नहीं की गई, मैं 4 दिसम्बर, 1985 को दिए अपने विनिर्णय की पुनरीक्षा करने का कोई कारण नहीं समझता। अत: मेरी विनिर्णय है कि अब मामले को समाप्त माना जाए।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : एक मिनट श्रीमान्। मैं आपके निर्णय को चुनौती नहीं देना चाहता। मैं ऐसा नहीं कर सकता। कृपया क्या आप···(**व्यवधान**)। जब सभा का कोई सदस्य वास्तव में कुछ पत्र प्रस्तुत करता है और उन्हें अधिप्रमाणित करता है···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आएं।

प्रो० मधु दंडवते : वे अध्यक्ष ही थे जिन्होंने·····

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं पुन: आपसे कहूंगा कि आप मेरे पास आयें।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है।

(**व्यवधान**)**

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दूंगा। मेरे निर्णय पर कोई चर्चा नहीं होगी।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आ सकते हैं। मैंने कभी भी कार्यपालिका को अपने पर प्रभुत्व जमाने नहीं दिया। मेरा पद इन सबसे ऊपर है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आ सकते हैं। जब मैं असहमत होता हूं, तो होता ही हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : सदस्य की सत्यनिष्ठा के बारे में·····(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल नहीं। महोदय, आपकी निंदा नहीं की जा सकती।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरे निर्णय पर कोई चर्चा नहीं की जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : चर्चा की अनुमति नहीं है। आप मेरे पास आ सकते हैं और बात कर सकते हैं। आपका मेरे कार्यालय में हर समय स्वागत है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपका मेरे पास आने, सुझाव देने के लिए स्वागत है अथवा आप कुछ अन्य बातें भी मेरे नोटिस में ला सकते हैं।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप पर कोई आक्षेप नहीं है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपका मेरे कक्ष में किसी भी समय स्वागत है।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैंने मध्य प्रदेश सरकार के बारे में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है·····

अध्यक्ष महोदय : उस पर कोई चर्चा नहीं की जा सकती ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : मध्य प्रदेश के मंत्री ने कहा है कि उसे केन्द्रीय सरकार ने सलाह दी है । उन्होंने यह मध्य प्रदेश विधान सभा में बताया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मंत्री को सभा में वक्तव्य देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात नहीं सुन रहे, मैं क्या कर सकता हूं ? मैं यही कह रहा हूं । मैंने स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी थी। लेकिन उसी समय, मैंने सूचना के लिए कहा था। मंत्री महोदय आज या कल वक्तव्य देंगे ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कल सत्र का अन्तिम दिन है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि इन्होंने मुझे सूचित किया है कि वे वक्तव्य देंगे ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि वक्तव्य कल तक नहीं दिया गया तो इसके बाद काफी कठिनाई हो जाएगी ।

श्री अमिताभ बच्चन (इलाहाबाद) : नित्य राम और नित्य नानक नामक दो जहाज डूब गए मालूम देते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि मैं इनके सम्बन्धियों से मिला हूं·····

अध्यक्ष महोदय : मैं भी उनके बारे में चिंतित हूं । लेकिन आपको कुछ लिखित रूप में भी देना चाहिए था ।

श्री अमिताभ बच्चन : ठीक है, यह बहुत गंभीर मामला है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सहमत हूं । कृपया इसे मुझे दें ।

श्री अमिताभ बच्चन : उन सम्बन्धियों को सरकार से कोई सूचना नहीं मिली है·····

अध्यक्ष महोदय : आप इसे मुझे दे दीजिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको मुझे कुछ लिखित रूप में देना चाहिए ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री वी० तुलसीराम (नगरकुरनूल) : अध्यक्ष जी, आप दूसरों की ओर ही देखते हैं, हमारी तरफ नहीं देखते हैं और जो कुछ हम पूछना चाहते हैं, वह तब तक भूल जाते हैं ।·····(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका प्वाइंट आफ आर्डर क्या है ।

(व्यवधान)

श्री वी० तुलसीराम : गुजरात में तेल के कुएं में इतवार से आग लगी हुई है···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : देख लेंगे, कोई बात नहीं। आग भी लगती है और एक्सीडेंट भी होता है। उसका पता भी लगता है।

(**व्यवधान**)

श्री वी० तुलसीराम : अगर जमीन फट गई तो लाखों लोग·····(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा करने से क्या फायदा है। मैं इसीलिए नाराज होता हूं कि अन्डर दी रूल्स आपको ऐसा नहीं करना चाहिए।

[**अनुवाद**]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर जाने वाले प्रतिनिधिमण्डल के बारे में सरकार की अनुमति देने के सम्बन्ध में·····

अध्यक्ष महोदय : मैंने सदस्य महोदया को उत्तर भेज दिया है।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : आपके उत्तर में, जो आपने हमें दिया है, मंत्रालय ने कहा है कि वह धार्मिक उद्देश्य के लिए जा रहे हैं·····

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता। मैंने आपको उत्तर भेज दिया है। यदि आप सन्तुष्ट नहीं तो यह अलग बात है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : दक्षिण अफ्रीका के लोगों पर क्या प्रतिक्रिया होगी ? दक्षिण अफ्रीका के लोग बहुत चिंतित हैं·····(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : 1978 से ऐसा चल रहा है। आप मेरे पास आ सकते हैं और इस पर चर्चा कर सकते हैं।

श्री कादम्बुर जनार्दनन (तिरूनेलवली) : सत्र के दौरान, एक सचिव श्री पी० आर० लाठे ने तमिलनाडु के लिए नैफ्था क्रेकिंग यूनिट की असमान्यता की घोषणा की है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें ऐसा कुछ नही हुआ है।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : दक्षिण अफ्रीका में प्रतिनिधिमंडल के दौरे के सम्बन्ध में मंत्री महोदय को सभा में वक्तव्य देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं।

(**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री वी० तुलसीराम : हरियाणा और पंजाब का जो मसला है, वह हल करवा लीजिए·····(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आपने एक क्वेश्चन उठा लिया, बहुत है। अगर आप सारा ठेका कर लेंगे

तो कैसे काम चलेगा। मैं आपके भले के लिए बता रहा हूं कि ऐसे गाड़ी नहीं चलती है। आप ठीक तरीके से काम कीजिए।

(व्यवधान)

श्री वी० तुलसीराम : सदन में एक स्टेटमेंट दिलवा दीजिए।.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : दिलवा देंगे। (व्यवधान)

12.07 म० प०

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

जल तथा विद्युत परामर्शी सेवा (भारत) सीमित के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभापटल पर रखता हूं :—

(एक) जल तथा विद्युत परामर्शी सेवा (भारत) सीमित के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जल तथा विद्युत परामर्शी सेवा (भारत) सीमित के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन लेखा-परीक्षित लेखे तथा उनपर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1709/85]

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम और नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966 के अधीन अधिसूचनाएं

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

(1) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) वाणिज्य पोत परिवहन (तेल प्रदूषित क्षति हेतु दीवानी दायित्व संबंधी बीमा प्रमाण-पत्र फार्म) नियम, 1985, जो 17 जुलाई, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 588(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) वाणिज्य पोत परिवहन (मास्टरों तथा मेटों की परीक्षा) नियम, 1985, जो 3 सितम्बर, 1985 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 712 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त मद (1) की उपमद (एक) में उल्लिखित अधिसूचना को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1710/85]

(3) नाविक भविष्य-निधि अधिनियम, 1966 की धारा 24 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) नाविक भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 1985, जो 25 मई, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 504 में प्रकाशित हुई थी।

(दो) नाविक भविष्य-निधि योजना, 1985, जो 9 नवम्बर, 1985 क भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1057 में प्रकाशित हुई थी।

(4) उपर्युक्त मद (3) की उपमद (एक) में उल्लिखित अधिसूचना को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1711/85]

(5) (एक) मद्रास गोदी श्रमिक बोर्ड के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मद्रास गोदी श्रमिक बोर्ड के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1712/85]

(6) (एक) कोचीन गोदी श्रमिक बोर्ड के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कोचीन गोदी श्रमिक बोर्ड के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1713/85]

(7) (एक) कांडला गोदी श्रमिक बोर्ड वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कांडला गोदी श्रमिक बोर्ड के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1714/85]

इंडियन मैडिसंज फार्माप्युटिकल्स कारपोरेशन लि० तथा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर इत्यादि के कार्यकरण सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) इंडियन मैडिसंज फार्मास्युटिकल कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) इंडियन मैडिसंज फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड का वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 1715/85]

(2) (एक) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर, के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर, के वर्ष 1984-85 के वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1716/85]

(3) एक) केन्द्रीय होम्योपेथी परिषद् के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) केन्द्रीय होम्योपेथी परिषद् के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1717/85]

(4) (एक) केन्द्रीय आयुर्वेद तथा सिद्ध अनुसन्धान परिषद के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) केन्द्रीय आयुर्वेद तथा सिद्ध अनुसंधान परिषद् के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) केन्द्रीय आयुर्वेद तथा सिद्ध अनुसंधान परिषद् के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों

को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1718/85]

(6) (एक) भारतीय नर्सिंग परिषद् के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय नर्सिंग परिषद् के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1719/85]

(7) स्नातकोत्तर शिक्षण तथा अनुसन्धान संस्थान, गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1720/85]

(8) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कलकत्ता, के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1721/85]

(9) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, नई दिल्ली, के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1722/85]

(10) केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसन्धान परिषद्, नई दिल्ली, के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1723/85]

विभिन्न आश्वासनों, वचनों और की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों और की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) विवरण संख्या 17, ग्यारहवां सत्र, 1983 [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1724/85]

(2) विवरण संख्या 13, बारहवां सत्र, 198? [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1725/85]

(3) विवरण संख्या 12, चौदहवां सत्र, 1984 [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1726/85]

(4) विवरण संख्या 8, पन्द्रहवां सत्र, 1984 [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1727/85]

(5) विवरण संख्या 5, दूसरा सत्र, 1985 [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1728/85]

(6) विवरण संख्या 2, तीसरा सत्र, 1985 [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1729/85]

(7) विवरण संख्या 1, चौथा सत्र, 1985 [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1730/85]

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1971 की धारा 24 की उपधारा (4) और धारा 25 की उपधारा (2) के अन्तर्गत, भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1731/85]

वस्तुगत नियंत्रण की बजाए वित्तीय नियंत्रण लागू करने की संभाव्यता के सिद्धान्तों की जांच करने वाली समिति का प्रतिवेदन

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैं जनार्दन पुजारी की ओर से वस्तुगत नियंत्रण की बजाए वित्तीय नियंत्रण लागू करने की संभाव्यता के सिद्धांतों की जांच करने वाली समिति के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1732/85]

रेल (दुर्घटनाओं की सूचनाएं और जांच) (दूसरा संशोधन) नियम, 1985 की प्रति, भारतीय रेल निर्माण कम्पनी समिति 1984-85, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों पर उन्हें लगाने के कार्य में हुई प्रति के संबंध में प्रतिवेदन

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 84 के अन्तर्गत जारी किये गये रेल (दुर्घटनाओं की सूचनाएं और जांच) (दूसरा संशोधन) नियम, 1985 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो 30 नवम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1124 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1733/85**]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय रेल निर्माण कम्पनी सीमित के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय रेल निर्माण कम्पनी सीमित का वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक, महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [**ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1734/85**]

(3) 30 सितम्बर, 1982 को समाप्त हुई छमाही के लिए रेलवे की भर्ती तथा पदोन्नति श्रेणियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों पर उन्हें लगाने के कार्य में हुई प्रगति सम्बन्धी प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(4) 31 मार्च, 1983 को समाप्त हुई छमाही के लिए रेलों की भर्ती तथा पदोन्नति श्रेणियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों पर उन्हें लगाने के कार्य में हुई प्रगति सम्बन्धी प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्क रण) की एक प्रति।

(5) 30 सितम्बर, 1983 को समाप्त हुई छमाही के लिए रेलों की भर्ती तथा पदोन्नति श्रेणियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों पर उन्हें लगाने के कार्य में हुई प्रगति सम्बन्धी प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[**ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1735/85**]

हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड का 1984-85 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : मैं कंपनी

अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड का वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गई। देखिए संख्या एल० टी० 1736/85]

केन्द्रीय विद्यालय संगठन तथा सांस्कृतिक स्रोत एवं शिक्षण केन्द्र का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं सुशीला रोहतगी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली, के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1737/85]

(2) (एक) सांस्कृतिक स्रोत एवं शिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली, के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1738/85]

(3) (एक) तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान (पूर्वी क्षेत्र), कलकत्ता, के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान (पूर्वी क्षेत्र), कलकत्ता, के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान (पूर्वी क्षेत्र), कलकत्ता, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1739/85]

(4) (एक) मोती लाल नेहरू क्षेत्रीय एंजिनियरिंग कालेज, इलाहाबाद, के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) मोती लाल नेहरू क्षेत्रीय एंजिनियरिंग कालेज, इलाहाबाद, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1740/85]

(5) (एक) नेशनल इंस्टीच्यूट आफ फाउंडरी एण्ड फोर्ज टैक्नालोजी, रांची, के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) नेशनल इंस्टीच्यूट आफ फाउंडरी एण्ड फोर्ज टैक्नालोजी, रांची, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1741/85]

(6) (एक) क्षेत्रीय एंजिनियरिंग कालेज, दुर्गापुर, के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) क्षेत्रीय एंजिनियरिंग कालेज, दुर्गापुर, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1742/85]

(7) क्षेत्रीय एंजिनियरिंग कालेज, वारंगल, के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। [ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1743/85]

(8) (एक) क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी के संस्थान, जमशेदपुर, के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1744/85]

(9) (एक) कर्नाटक क्षेत्रीय एंजिनियरिंग कालेज, सूरतकल, के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) कर्नाटक क्षेत्रीय एंजिनियरिंग कालेज, सूरतकल, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1745/85]

(10) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1746/85]

(12) (एक) मालवीय क्षेत्रीय एंजिनियरिंग कालेज, जयपुर, के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) मालवीय क्षेत्रीय एंजिनियरिंग कालेज, जयपुर, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1747/85]

(13) (एक) क्षेत्रीय एंजिनियरिंग कालेज, कालीकट, के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) क्षेत्रीय एंजिनियरिंग कालेज, कालीकट, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1748/85]

(14) (एक) क्षेत्रीय एंजिनियरिंग कालेज, कुरुक्षेत्र, के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) क्षेत्रीय एंजिनियरिंग कालेज, कुरुक्षेत्र, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1749/85]

(15) विश्वेश्वरैया क्षेत्रीय एंजिनियरिंग कालेज, नागपुर, के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन। [ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1750/85]

(16) (एक) राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय, परिषद्, कलकत्ता, के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय, परिषद्, कलकत्ता, के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय, परिषद्, कलकत्ता, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1751/85]

(17) (एक) केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन, नई दिल्ली, के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन, नई दिल्ली, के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(तीन) केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन, नई दिल्ली, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1752/85]

हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड की 1984-85 की वार्षिक रिपोर्ट और कार्यकरण की समीक्षा तथा जनसंख्या विज्ञान सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय समीक्षा संस्थान, बम्बई की 1984-85 की वार्षिक रिपोर्ट और कार्यकरण की समीक्षा

परिवार कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड का वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । [ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1753/85]

(2) (एक) जनसंख्या विज्ञान सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान, बम्बई, के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) जनसंख्या विज्ञान सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान, बम्बई, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1754/85]

12.09 म० प०

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है ।

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम संख्या 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 18 दिसम्बर, 1985 को हुई अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 13 दिसम्बर, 1985 को पारित फतुआ इस्लामपुर लाइट रेल लाइन (राष्ट्रीयकरण) विधेयक, 1985 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है ।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम, (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे विनियोग (रेल) संख्यांक 5 विधेयक, 1985 को, जिसे लोक सभा अपनी 13 दिसम्बर, 1985 की बैठक में पारित किया गया था, वापिस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं ।"

(तीन) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ विधेयक, 1985 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 16 दिसम्बर, 1985 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापिस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(चार) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (टैक्सटाइल और टैक्सटाइल वस्तु) संशोधन विधेयक, 1985 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 16 दिसम्बर, 1985 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उस की सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापिस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(पांच) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्त्व का माल) संशोधन विधेयक, 1985 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 16 दिसम्बर, 1985 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापिस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(छः) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम संख्या 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 18 दिसम्बर, 1985 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 17 दिसम्बर, 1985 को पारित किए गए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, विधेयक, 1985 के बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।"

(सात) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात उपकर विधेयक, 1985 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 17 दिसम्बर, 1985 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापिस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(आठ) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम संख्या 127 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 18 दिसम्बर, 1985 को हुई अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 25 नवम्बर, 1985 को पारित किए गए भारतीय अन्तर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण विधेयक, 1985 से बिना संशोधन के सहमत हुई है।"

प्राक्कलन समिति

उन्नीसवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

[अनुवाद]

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मैं परिवहन मंत्रालय (धरातल परिवहन विभाग) सीमा सड़कों—के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति का 19वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा इस समिति की तत्सम्बन्धी बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

लोक लेखा समिति

22वां और 23वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी (कुरनूल) : महोदय, मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (अंग्रेजी और हिन्दी सस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(1) डाक तथा तार विभाग सम्बन्धी छठी पंचवर्षीय योजना की समग्र समीक्षा से सम्बन्धित 22वां प्रतिवेदन।

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क से सम्बन्धित 23वां प्रतिवेदन।

12.11 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

सातवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : महोदय मैं इस्पात और खान मंत्रालय (इस्पात विभाग) राउरकेला इस्पात संयंत्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए आरक्षण तथा रोजगार के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति (सातवीं लोक सभा) के 50वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में इस समिति का सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

तीसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री बी० के० गढवी (बनासकांठा) : महोदय, मैं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.12 म० प०

"दीर्घावधि राजकोषीय नीति" के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : इस वर्ष मैंने अपने बजट भाषण में पहले यह सूचित किया था कि सरकार योजना के साथ समाप्त होने वाली दीर्घावधिक राजकोषीय नीति तैयार करने की दिशा में कार्य करेगी। कुछ दिन पूर्व सातवीं योजना सदन में प्रस्तुत की गई थी। आज मुझे सदन के समक्ष दीर्घावधिक राजकोषीय नीति के सम्बन्ध में सरकारी दस्तावेज रखने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1760/85**]

इस दस्तावेज का मूल उद्देश्य यह है कि बजट तैयार करने में प्रति वर्ष किए जाने वाले कार्य के लिए परिप्रेक्ष्य प्रदान किया जाए। इस विषय पर सरकार के विचार अब आपके सामने हैं। मैं इस विषय पर संसद में और देश में पूर्ण और जोरदार चर्चा किए जाने की आशा करता हूं।

निस्संदेह माननीय सदस्य, इस दस्तावेज का स्वयं अध्ययन करना चाहेंगे इसलिए मैं इसकी विषय-वस्तु पढ़कर उनका बहुमूल्य समय नहीं लूंगा। तथापि, इस अवसर पर मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने इस विषय पर सलाहकार समिति की बैठकों व अन्य मंचों पर हुई चर्चाओं में अपने विचारों से हमें लाभान्वित कराने का कष्ट उठाया है। मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि अर्थशास्त्रियों, श्रमिक नेताओं, उद्योगपतियों और कृषकों के प्रतिनिधियों की मेरे साथ इस विषय पर हुई चर्चाओं से मुझे काफी लाभ हुआ है!

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, चूंकि इस दस्तावेज का दूरगामी प्रभाव होगा, अतः मैं मांग करता हूं कि नियम 193 के अन्तर्गत इस पर चर्चा की जानी चाहिए। कल अन्तिम दिन है।

उपाध्यक्ष महोदय : किस सम्बन्ध में चर्चा?

प्रो० मधु दण्डवते : राजस्व नीति के सम्बन्ध में इस वक्तव्य पर।

उपाध्यक्ष महोदय : वक्तव्य पर हम चर्चा नहीं कर सकते हैं। श्री सोडी।

प्रो० मधु दण्डवते : यह क्या बात हुई, श्रीमान? आप इस सम्बन्ध में कोई टिप्पणी नहीं करें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस वक्तव्य पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दे सकता।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं केवल यह कह रहा हूं कि नियम 193 के अन्तर्गत आप इस पर विचार करें···(**व्यवधान**)।

उपाध्यक्ष महोदय : आप लिख कर दीजिए । मैं इसे देख लूंगा ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने लिखकर दे दिया है । इसके पश्चात् ही मैं कह रहा हूं श्रीमान ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे देख लूंगा ।

12.14 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

[हिन्दी]

(एक) मध्य प्रदेश के बस्तर जिले के प्रत्येक वार्ड में पीने के पानी के एक-एक हैंडपम्प की व्यवस्था करने की आवश्यकता

श्री मानकूराम सोढी (बस्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत अपना निम्न विषय इस सदन में उठाना चाहता हूं ।

मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था अब तक पूर्ण रूप से नहीं हो पाई है । बस्तर जिले में कुल 3388 गांव हैं उनमें से अधिकांश गांव में एक ही कुंआ अथवा हैंडपम्प दिया गया है और कुछ ऐसे भी गांव हैं जहां एक भी कुंआ अथवा हैंडपम्प नहीं है । गांव की बस्ती वार्ड के रूप में दूर-दूर तक फैली हुई है । बहुत से गांव आज भी दो से तीन किलोमीटर दूरी पर पीने के पानी के लिए जाते हैं, वह भी कुंआ या हैंडपम्प का नहीं बल्कि नदी या नाले का गंदा पानी पी रहे हैं । गंदा पानी पीने से कई प्रकार की बीमारी अचानक फैल जाती है । पिछले दो वर्ष से लगातार देख रहे हैं कि ज्यों ही बारिश आरम्भ हुई कि बीमारी फैल जाती है और सैकड़ों आदिवासी पुरुष-स्त्री और बच्चे दस्त, उल्टी, टट्टी आदि की शिकायतों से बीमार होकर मर जाते हैं । ये शिकायतें दक्षिण बस्तर में ज्यादा हैं क्योंकि गत वर्ष और चालू वर्ष में बीजापुर और कोन्टा तहसील में काफी आदमी मर गए हैं ।

इस गम्भीर समस्या को देखते हुए मेरा केन्द्र शासन से अनुरोध है कि बस्तर जिले के प्रत्येक मौहल्ले (वार्ड) में एक हैंडपम्प की व्यवस्था हो । इसके लिए गांव की जनसंख्या को आधार न मानकर अलग-अलग बसे वार्ड में हैंडपम्प दिए जाएं । केन्द्र शासन द्वारा जनसंख्या पर विशेष छूट की अनुमति राज्य शासन को दी जाए, साथ ही लोक-यांत्रिक विभाग को प्रत्येक वार्ड के अनुसार हैंडपम्प हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाए । धन्यवाद !

(दो) कांडला पत्तन में कार्यरत हिन्दी आप्रवासियों को आवास सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता

श्रीमती ऊषा ठक्कर (कच्छ) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान नियम 377 के अधीन, इस सदन के द्वारा ऐसे विषय की ओर दिलाना चाहती हूं जो कि एक महत्वपूर्ण विषय है । सन् 1948 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय पाकिस्तान से भारी संख्या में हमारे सिंधी भाई-बहन भारत आए जिनके लिए एक शहर गांधी धाम बसाया गया और ये लोग तब से रह रहे हैं । इनमें से

अधिकतर लोग कांडला पोर्ट पर कार्यरत हैं। ये लोग यहां पर छोटी-छोटी झुग्गी-झोंपड़ियों में रहते हैं। यहां पर जगह की कमी से गन्दगी फैलती है और कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं।

ये लोग करीब 25 साल से कांडला पोर्ट पर कार्यरत हैं। लेकिन इन लोगों को अभी तक कोई आवास की सुविधा नहीं दी गई है। यहां पर जमीन और मकान देने का काम सिंधी री-सैटलमेंट कारपोरेशन के नाम से है, लेकिन इन्होंने भी अभी तक कोई मकान या जमीन नहीं दी।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसके लिए कोई लोक प्रतिनिधि की नियुक्ति करें जो इनकी समस्याओं का समाधान करे।

इस सम्बन्ध में मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह सस्ते दामों पर जमीन प्रदान करे और एस० आर० सी० एवं कांडला पोर्ट को इस बारे में निर्देश दे। धन्यवाद।

[अनुवाद]

(तीन) पश्चिम रेल उपनगरीय सेक्शन में अतिरिक्त यात्री डिब्बे उपलब्ध कराकर बम्बई में दैनिक यात्रियों को राहत पहुंचाने की आवश्यकता

श्री अनूप चन्द शाह (बम्बई उत्तर) : मैं परिवहन मंत्री (रेलवे) का ध्यान बम्बई के पश्चिम रेल उपनगरीय सैक्शन के बारे में निम्नलिखित अविलम्बनीय और महत्वपूर्ण मामलों को आकर्षित करना चाहता हूं।

इस समय हम बम्बई के उपनगरीय सेक्शन में नौ डिब्बों वाली रेल चला रहे हैं। चूंकि हमारे साधन सीमित हैं इसलिए हम और गाड़ियां नहीं चला सकते। लेकिन सरकार 12 डिब्बों वाली रेक व्यवस्था करके दैनिक यात्रियों को राहत दे सकती है जिससे कुछ हद तक इस समस्या का समाधान हो सकता है। रेल प्राधिकारियों को गाड़ियों की गति बढ़ाने के लिए और बिजली पर खर्च कम करने के लिए फ्लाई ओवर पुलों का निर्माण कार्य शुरू करना चाहिए। इससे बम्बई के यातायात की समस्या कम हो जाएगी। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय प्राथमिकता के आधार पर इस पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

(चार) कोटा दूरदर्शन के रिले केन्द्र की क्षमता बढ़ाकर 10 कि० मी० करने की आवश्यकता जिससे कि आसपास के जिलों के लोग दूरदर्शन सुविधा का लाभ उठा सकें

श्री शांति धारीवाल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत निम्न मामला जो कि जन महत्व का है, उठाना चाहता हूं :—

"राजस्थान में दूरदर्शन के बहुत कम स्टेशन्स हैं जिनके कारण करोड़ों लोग दूरदर्शन देखने से वंचित रहते हैं। कोटा-बूंदी व झालावाड़ जिले के करीब 30 लाख व्यक्ति कोटा में दूरदर्शन रिले केन्द्र होने के बावजूद भी दूरदर्शन से वंचित हैं, क्योंकि कोटा के रिले स्टेशन की मशीनरी बहुत कम किलोवाट की है। शिक्षा व सामान्य ज्ञान के लिए आज दूरदर्शन का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है और इस कारण इसकी मांग भी बहुत बढ़ गई है।

अतः मैं केन्द्रीय सरकार से मांग करता हूं कि कोटा के रिले स्टेशन की मशीन को बढ़ाकर 10 किलोवाट की रिले मशीन लगाई जावे ताकि कोटा, बूंदी, झालावाड़ एवं सवाई-माधोपुर तथा मध्य प्रदेश के मुरैना व मन्दसौर जिले के निवासियों को भी दूरदर्शन देखने को मिल सके।"

[अनुवाद]

(पांच) उड़ीसा के सुकिन्दा क्षेत्र में एक निकल निस्सारण संयंत्र स्थापित करने की आवश्यकता

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : सरकार ने 1974 में उड़ीसा में कटक के सुकिन्दा क्षेत्र में निकल निस्सारण संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव को भारत सरकार ने स्वीकृति दी थी। लेकिन कतिपय कठिनाईयों के कारण परियोजना शुरू नहीं की गई है। देश में केवल सुकिन्दा क्षेत्र में ही निकल अयस्क के भंडार हैं। जैसाकि भारत निकल धातु के आयात के लिए काफी बड़ा भाग विदेशी मुद्रा में खर्च करता है इसलिए सभी दृष्टियों से देश में उपलब्ध अयस्क से निकल का उत्पादन करना जरूरी है।

पता चला है कि धातु तथा खान मंत्रालय ने कनाडा सरकार से उड़ीसा में निकल निस्सारण संयंत्र की स्थापना के लिए उपयुक्त तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। इस परियोजना को यथाशीघ्र कार्यान्वित किया जाना चाहिए अन्यथा लागत जो पहले ही बढ़ चुकी उसमें और अधिक वृद्धि हो जाएगी। इस परियोजना को भारत सरकार की स्वीकृति मिले 9 वर्ष हो चुके हैं। इस परियोजना में और देरी होने से स्थानीय लोगों में असन्तोष फैलेगा। अतः मैं मांग करती हूं कि उड़ीसा के सुकिन्दा क्षेत्र में निकल निस्सारण संयंत्र की तत्काल स्थापना की जानी चाहिए।

(छः) त्रिवेन्द्रम नगर में विद्युत चालित परिक्रमा रेल की व्यवस्था करने की आवश्यकता

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : केरल की राजधानी त्रिवेन्द्रम तीव्र गति से विकास कर रहा नगर है। दुर्भाग्यवश, इस नगर की सड़कें बहुत कम चौड़ी हैं तथा इन सड़कों को बड़ा करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इस शहर में सड़क यातायात बहुत अधिक है तथा व्यस्त अवधि के दौरान इस शहर से गुजरने में बहुत समय लग जाता है। बढ़ती हुई मांग की पूरा करने के लिए राज्य परिवहन व्यवस्था भी बहुत अपर्याप्त है। इस कठिनाई से मुक्ति पाने का एकमात्र साधन विद्युत रेलों की व्यवस्था द्वारा शहरों को उपनगरीय क्षेत्रों से जोड़ना है। विद्युत इस नगर में प्रचुर मात्रा में तथा अन्य नगरों की तुलना में कम मूल्य पर उपलब्ध है तथा राज्य सरकार ने विद्युत रेलों की व्यवस्था करने के मामले में आधे मूल्य पर बिजली प्रदान करने के लिए सहमति दी है। यहां बहुत से केन्द्रीय सरकार के कार्यालय जैसे विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, दक्षिणी वायु सेना कमांड तथा दक्षिणी सेना कमांड कार्यालय भी हैं। यह पर्यटकों के लिए भी आकर्षक स्थल है, क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रसिद्ध कोक्लम समुद्र तट इस नगर से केवल 12 कि० मी० की दूरी पर है। जितना शीघ्र सम्भव हो सके इस उपेक्षित नगर में विद्युत द्वारा चलने वाली रेल व्यवस्था प्रदान करना यहां के लाखों यात्रियों के लिए यह वरदान साबित होगा।

अतः मैं माननीय रेल मंत्री महोदय जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस नगर की वास्तविक

आवश्यकता की जाच करें तथा वर्ष 1986 के दौरान ही इस रेलवे व्यवस्था को शुरू करने के लिए आवश्यक सर्वेक्षण करने के लिए शीघ्र कदम उठाए और रेलवे परियोजना सातवीं योजना में पूरी हो जाए तथा निम्नलिखित स्थानों को रेल व्यवस्था द्वारा जोड़ा जाए—त्रिवेन्द्रम—चिकित्सा महाविद्यालय—कज्जाकुटम—मन्नथाला—नेदुमनगड—कट्टकडा—नेयातिनकवा—कांजरमकुलम—कोवलम—त्रिवेन्द्रम।

(सात) औषधि नीति को सुव्यवस्थित बनाने और औषधियों के उत्पादन तथा विपणन को विनियमित करने की आवश्यकता

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर) : यह बहुत ही चिन्ता की बात है कि भारतीय स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ (वोलन्टरा हैल्थ एसोसिएसन आफ इंडिया) द्वारा किए गए अध्ययन से यह पता चलता है भारत में बनाई जाने वाली 15,000 मूल औषधियों में से 10,000 से अधिक औषधियां 'बेकार' होती हैं तथा उनमें से 40% औषधियां मनुष्यों के लिए "हानिकर हैं अथवा हानिकर हो सकती" हैं।

यद्यपि हाथी समिति ने 1975 में सिफारिश की थी कि केवल 1।7 औषधियों से सम्पूर्ण देश की आवश्यकता पूरी हो सकती है, परन्तु भारत में 8,000 से अधिक कम्पनियां कम से कम 45,000 मिश्रित औषधियों को बनाने तथा उन्हें बेचने का कार्य कर रही हैं। इनमें से अधिकतर औषधियां या तो टॉनिक, विटामिन, खांसी के लिए सिरप, पीड़ानाशक औषधियां हैं अथवा मरहम के रूप में हैं।

ऐसा दिखाई देता है कि भारत में ऐसी बहुत सी कम्पनियां हैं, जो घटिया विटामिन, खांसी के सिरप तथा स्वास्थ्यवर्धक टॉनिक बनाती हैं तथा उनका अत्यधिक विज्ञापन कर बहुत अधिक लाभ पर उन्हें बेचती हैं। डाक्टरों को इन औषधियों के नमूने मुफ्त तथा उपहार के रूप में दिए जाते हैं तथा वह इन घटिया औषधियों के प्रयोग के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं।

यहां तक कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना में भी अभी हाल ही में इन सस्ती औषधियों को देना शुरू किया गया है जिसके परिणामस्वरूप यह औषधियां कई बार न केवल अप्रभावी सिद्ध होती हैं अपितु खुली दी जाती हैं तथा किसी को यह पता नहीं चल सकता कि यह औषधि क्या है। खुली दवाइयों के मूल्य से होने वाली धन की कुछ बचत की उपेक्षा करके सरकार इस सम्बन्ध में नियम बनाना चाहिए कि कोई भी औषधि खुली न बेची जाए तथा उन पर उपयुक्त रूप से लेबल लगा होना चाहिए तथा उस पर औषधि बनाने वाली कम्पनी का नाम लिखा होना चाहिए। लघु उद्योगी को बढ़ावा दिए जाने के नाम पर उचित अनुसन्धान तथा परीक्षण उपकरणों के अभाव वाले किसी भी यूनिट को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। सरकार को अपनी औषधि नीति को सुव्यवस्थित बनाने और औषधियों के उत्पादन तथा विपणन को विनयमित करने के लिए शीघ्र कदम उठाने चाहिए तथा यह देखना चाहिए कि इनमें से किसी भी औषधि का कोई और कुप्रभाव न हो।

(आठ) बिहार के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा में सुधार लाने के लिए बिहार नागरिक शिक्षा परिषद के प्रस्ताव पर विचार करने की आवश्यकता

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : बिहार में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति बहुत ही दयनीय है।

बिहार नागरिक शिक्षा परिषद् के महासचिव प्रो० हरिशंकर प्रसाद सिन्हा, जो पटना विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र के प्रवक्ता हैं, द्वारा इस वर्ष किए गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि पटना के लगभग 70 प्रतिशत स्कूलों में कक्षाओं की संख्या की अपेक्षा अध्यापक कम हैं। 24% स्कूलों में चार अथवा पांच कक्षाओं के लिए केवल एक कमरा अथवा बरामदा होता है, 50% स्कूल उपयुक्त मरम्मत के अभाव में बहुत ही खराब स्थिति में हैं तथा 48% स्कूलों में शौचालयों और यहां तक कि पेशाबघरों की व्यवस्था भी नहीं है।

इसके अतिरिक्त, पटना में शायद ही कोई ऐसा स्कूल हो जहां शिक्षा के लिए सहायक उपकरण हो, विद्यार्थियों की डाक्टरी जांच कराने की बात तो की ही नहीं है।

बिहार नागरिक शिक्षा परिषद् समय-समय पर पटना में विशेष रूप से, तथा सामान्य रूप से बिहार में प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं की ओर राज्य सरकार का ध्यान दिलाती रही है। परिषद् द्वारा तैयार किए गए नोट में कहा गया है जबकि उच्च वर्ग के लोगों के बच्चे प्राइवेट अथवा मिशनरी स्कूलों जैसे सेन्ट माइकल, सेन्ट जेवियर नोट्स डेम, सेन्ट जोसफ कान्वेंट इत्यादि स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करते हैं और शेष बच्चे राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे निष्कृष्ट स्तर के, भीड़-भाड़ तथा अपर्याप्त सुविधाओं वाले स्कूलों में पढ़ते हैं।

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि केन्द्र सरकार पटना तथा बिहार में प्राथमिक शिक्षा के सुधार के लिए नागरिक शिक्षा परिषद् द्वारा दिए गए कुछ रचनात्मक प्रस्तावों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे तथा कोठारी आयोग द्वारा दिए गए सुझावों का भी क्रियान्वयन करे।

———

12.25 म० प०

याचिका का प्रस्तुतीकरण

[हिन्दी]

श्री कमोदी लाल जाटव (मुरैना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चम्बल नदी पर पक्के पुल के निर्माण के सम्बन्ध में श्री साधु सिंह तोमर, उपसभापति, जिला कांग्रेस (इ) मुरैना, मध्य प्रदेश तथा अन्य लोगों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

———

12.26 म० प०

"सातवीं पंचवर्षीय योजना, 1985-90" के बारे में प्रस्ताव—(जारी)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 19 पर विचार करेंगे। प्रो० मधु दण्डवते।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय किस विषय पर? मैं समझता हूं कि आपने मेरे प्रस्ताव को अनुमति दे दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : मद संख्या 19 के अन्तर्गत जो भी विषय आते हैं, आप उसके बारे में बोल सकते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : उपाध्यक्ष महोदय, हम सातवीं पंचवर्षीय योजना पर विचार-विमर्श कर रहे हैं, जिसे राष्ट्रीय विकास परिषद् ने अन्तिम रूप दे दिया है। सबसे पहले मुझे यह देखकर बहुत दुख हुआ कि धीरे-धीरे इस सभा का अवमूल्यन किया जा रहा है तथा इसका महत्व कम किया जा रहा है। प्रो० रंगा, क्योंकि आप इस सदन के बहुत पुराने सांसद हैं, मैंने "धीरे-धीरे" शब्द कहा है। जहां तक योजना प्रक्रियाओं का सम्बन्ध है, इस सभा का महत्व कम हुआ है।

महोदय, स्वर्गीय प्रधानमन्त्री श्री जवाहर लाल नेहरू का वह समय अब नहीं है जबकि योजना को बनाने की अवस्था, यहां तक कि दस्तावेज तैयार करने की अवस्था में ही इस सभा में काफी चर्चा हुआ करती थी तथा डा० डिल्लों सहित इस सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष यह साबित कर सकते हैं कि योजना तैयार करने की स्थिति में ही काफी वाद-विवाद तथा चर्चा होती थी, ताकि योजना को अन्तिम रूप दिए जाने सम्बन्धी संसद सदस्यों के सुझावों पर विचार किया जा सके। परन्तु आजकल मैं देखता हूं इस प्रक्रिया को तिलांजलि दे दी गई है। अतः जहां तक योजना तैयार करने तथा उसे अन्तिम रूप दिए जाने में हमारे योगदान का सम्बन्ध है, वाद-विवाद एक बेमानी हो गया है।

दूसरा पहलू जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं यह योजना का आधार है। महोदय, मैं इस बात का बुरा नहीं मानता कि उन्होंने दिए गए कुछ आश्वासनों का उल्लंघन किया है, परन्तु सभा में योजना प्रस्ताव करते समय उन्होंने अपनी स्वयं की घोषणाओं को भी पूरी तरह से बदल दिया है। इस योजना के लिए वर्ष 1984-85 को आधार वर्ष मानने के स्थान पर, अब वर्ष 1985-86 को आधार वर्ष माना गया है। विशेष रूप से इस तथ्य पर विचार करते हुए कि इस योजना का कुल पूंजी-निवेश, सरकारी क्षेत्र के 180 हजार करोड़ रु० सहित 320 हजार करोड़ रु० होगा। ऐसी योजना को शुरू करते हुए दृष्टिकोण दस्तावेज के समय किए गए वादे के अनुसार आधार वर्ष 1984-85 को ही माना जाना चाहिए था और उसी निर्णय को बरकरार रखना चाहिए था। परन्तु उन्होंने आधार वर्ष को बदलकर 1985-86 कर दिया। यह मात्र बौद्धिकता नहीं है कि हम योजना के आधार वर्ष को बदलने पर आपत्ति कर रहे हैं। ऐसे कुछ वित्तीय तथा आर्थिक महत्व के विषय हैं जो योजना के आधार वर्ष में परिवर्तन करने से सम्बन्धित हैं। आधार वर्ष में परिवर्तन करने से योजना के वास्तविक परिव्यय में एकदम 6% से 8% की कमी हो गई। वास्तविक परिव्यय में 6% से 8% की कमी से योजना के पूंजीनिवेश में कमी हुई है, अतः मैं समझता हूं कि योजना के आधार वर्ष में परिवर्तन निश्चय ही बहुत आपत्तिजनक है। सम्पूर्ण योजना ही कुछ गलत सिद्धान्तों पर आधारित है। मैं जानता हूं कि अब इस योजना के मूल सिद्धान्तों पर विचार-विमर्श करना व्यर्थ है। जब योजना को पहले से ही अन्तिम रूप दिए जाने के बाद, हमें योजना की प्रशंसा करनी है तो योजना के मूल सिद्धान्तों पर विचार करना तथा आपत्ति उठाना खाली लकीर को पीटना है। परन्तु भविष्य में आने वाले इतिहासकारों के लिए, यह अच्छा होगा कि हमारी उठाई गई मूल आपत्तियों का रिकार्ड रहे। वह गलत सिद्धांत कौन से हैं जिनका मैं उल्लेख करना चाहता हूं? उदाहरण के लिए घाटे के बजट के प्रश्न को लें। इस योजना में यह स्वीकार किया गया है कि इन पांच वर्षों के दौरान 4000 करोड़ रु० का कुल घाटा होने की आशा है। मैं समझता हूं कि यह बहुत कम अनुमान है।

मैं उसे पुन: दोहराना नहीं चाहता, जो मैंने वर्तमान बजट, वर्ष के बजट का, अर्थव्यवस्था पर मुद्रा-स्फीति के दबाव तथा मूल्यों पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा शुरू की थी। मैंने सभा के समक्ष पिछले 10 वर्षों के बजट के, संशोधित बजट के तथा वित्तीय वर्ष पूरा होने के बाद के वास्तविक आंकड़े प्रस्तुत किए हैं तथा वास्तविक स्थिति की सभा को जानकारी है। मैंने यह पहले बताया है कि पिछले 10 वर्षों से सभा का यह अनुभव रहा है कि बजट में जो भी घाटा दिखाया जाता है, वह हर बार बहुत अधिक बढ़ जाता है। (व्यवधान) मैं दस वर्ष के इन आकड़ों को दोहराना नहीं चाहता हूं।

श्री राम प्यारे पनिका : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

[हिन्दी]

मैं पिछले पेपर्स देख रहा था, उससे पता लगा है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल की स्वीकृति के बिना विचार किया गया हो।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप इस बात को क्यों उठा रहे हैं ? मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में पहले ही बोल चुके हैं। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। प्रोफेसर आप बोल सकते हैं ?

श्री राम प्यारे पनिका : मैं प्रोफेसर महोदय से एक जानकारी चाहता हूं। वास्तव में मैं पिछले पेपर देख रहा था और उससे मुझे पता लगा कि·····

उपाध्यक्ष महोदय : जब मैं आपको बोलने का मौका दूंगा तब आप अपनी बात कहिए, अभी नहीं। प्रो० आप अपना भाषण जारी रखिए।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने इस सम्बन्ध में पांचवीं लोक सभा में भी कहा था। भूतपूर्व अध्यक्ष, प्रो० डिल्लों भी कुछ क्षण पहले यहां थे। वह आपको बताते कि उस समय क्या बहस हुई थी। चूंकि आप इस समय मेरी बात सुन रहे हैं, वह खड़े हो गए हैं और वह उन बातों पर स्पष्टीकरण मांग रहे हैं जिनको उन्होंने सुना नहीं है। ठीक है। बिना सुने स्पष्टीकरण मांगना भी एक कुशाग्र बुद्धि की बात है। मैं आपकी समझ की सराहना देता हूं।

मैं सिर्फ आपको यह बता रहा हूं कि मैं सभा की जानकारी के लिए गत दस वर्षों के घाटे के आंकड़ों को दोहराना नहीं चाहता हूं लेकिन संक्षिप्त रूप में मैं पिछले बजट भी वर्तमान बजट के अनुभव के बारे में बता रहा हूं। पिछली बार जब अनुमानित बजट 17,000 करोड़ रु० था तो पिछली बार अनुमानित घाटे की प्रगति भी ऐसी ही थी। और इस बार भी जब अनुमानित घाटा 3,949 करोड़ रु० का है तो आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि क्या यह घाटा वित्तीय वर्ष के अन्त में 7,000 करोड़ अथवा 8,000 करोड़ रु० नहीं हो जाएगा। यदि यह इन दो वर्षों का अनुभव है, और गत अनुभव से यदि आप आने वाले 5 वर्षों का अनुमान लगा सकते हैं तो इसमें मुझे कतई सन्देह नहीं होगा कि बतायी गई घाटे की विशेष मात्रा अर्थात् 4,000 करोड़ रु० से बड़े मार्जिन से बढ़ा दिया जाएगा और इनके परिणामस्वरूप यह एक शैक्षणिक समस्या नहीं होगी कि क्या घाटा कम होना चाहिए अथवा अधिक। हम घाटे के प्रति चिंतित हैं क्योंकि अधिक घाटे के कारण स्फीतिकारी दबाव उत्पन्न हो गया है और हम इस स्थिति में नहीं हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था इस घाटे के सदमे को पूरी तरह से बर्दाश्त कर ले क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था एक विकसित अर्थव्यवस्था है। दुर्भाग्य से हमारी

व्यवस्था घाटे के झटके को सह नहीं सकती है और यह घाटा तो हमेशा ही मिलेगा। इस घाटे के कुछ भाग को अच्छी फसल होने से पूरा किया जा सकता है। इसलिए मैं सरकार को मानसून पर निर्भर करने वाली सरकार कह कर पुकारता हूं। इस घाटे को पूरा करने का एक ही रास्ता है कि भगवान अच्छी वर्षा करे और उनका कहना है कि यदि भगवान अच्छी वर्षा करता है तो हम आपको बेहतर अर्थव्यवस्था देंगे और हम बेहतर अर्थव्यवस्था देते हैं तो कीमतों में स्थिरता आएगी, मुद्रास्फीतिकारी दबाव भी कम होगा। वे गलत पूर्व धारणाओं पर आगे बढ़ते हैं। इस बार भी कुछ हद तक वे मानसून के जुए पर निर्भर कर रहे हैं लेकिन इसमें उन्हें पूर्णतया सफलता नहीं मिली है, अतः अर्थव्यवस्था के एक बार फिर से छिन्न-भिन्न हो जाने की सम्भावना है, मुद्रास्फीति दबाव पड़ना लाजिमी है और यदि इन सभी बातों को अगले चार अथवा पांच वर्ष तक दोहराया जाता है तो यह सब बातें पिछली बातों से भिन्न नहीं होगी। आप देखेंगे कि अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीतिकारी दबाव पड़ने से हमारे सारे अनुमान गड़बड़ा गए हैं। अतः जो भी अनुमान लगाया गया है, कुल निवेश, सार्वजनिक क्षेत्र में भी किया गया निवेश आदि, जब आप इनको वास्तविक निवेश के रूप में लेते हैं तो इसके आर्थिक और वित्तीय परिणाम सामने आएंगे और आप देखेंगे कि इससे स्थिति अधिक जटिल हो जाएगी। यह एक पहलू है।

इसके पश्चात् आता है व्यय, आप देखें कि किस प्रकार व्यय बढ़ रहा है। इस विशेष दस्तावेज में, जिसे राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अन्तिम रूप दिया गया है, उन्होंने अनुमान लगाया है कि केन्द्रीय तथा राज्यों के स्तर पर व्यय में वृद्धि की दर 5 प्रतिशत वार्षिक होगी। मैं समझता हूं कि यह अनुमान पूर्णतया गलत है। यदि आप विभिन्न आसन्न परियोजनाओं और अर्थव्यवस्था की तिजोरी पर बढ़ने वाले विभिन्न दबावों को ध्यान में रखें, और इन सब बातों को केन्द्रीय और राज्य स्तर पर लें तो आप देखेंगे कि देश में व्यय में वृद्धि की वार्षिक दर, निस्सन्देह गैर योजना व्यय, जो पांच प्रतिशत होगा, को वास्तविकता से कम आंका गया है।

तीसरी बात गरीबी की रेखा के बारे में है। इस बात का गलत अनुमान लगाया गया है कि इस शताब्दी के अन्त तक गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे लोगों की संख्या में 5 प्रतिशत की कमी आएगी। इसका अर्थ यह हुआ कि जब हमारे प्रधानमंत्री 21वीं सदी में प्रवेश करेंगे, जिसके लिए वह बहुत महत्वाकांक्षी है, तो वह देखेंगे कि यद्यपि यह अनुमान लगाया गया था कि इस सदी के अन्त तक गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे लोगों की जनसंख्या में ७ प्रतिशत की कमी आएगी, वास्तव में इस संख्या से सन्तुष्टि नहीं होगी और वह महसूस करेंगे कि 5 प्रतिशत की बिल्कुल भी कमी नहीं हुई है। इस तथ्य से एक बात और उठेगी कि गरीबी की रेखा से सम्बन्धित कुछ मानदण्ड, गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे लोगों के लिए अनुमान लगाने सम्बन्धी मानदण्ड भ्रम में डालने वाले हैं। मैं अन्य दिन भी प्रश्नकाल के दौरान यही प्रश्न प्रधानमंत्री जी से किया था, "क्या आप गरीबी को आंकने के लिए उन्हीं मानदण्डों पर चल रहे हैं ? उदाहरण के तौर पर 1970 में दो प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों श्री दण्डेकर और श्री रथ ने कहा था किम नव जीवन के लिए कम से कम 2,250 कैलोरी की आवश्यकता है और यदि हम इसको मुद्रा में लें तो यह 14.20 रु० प्रति व्यक्ति प्रतिमाह आती है। 1970 में यह मानदण्ड प्रस्तुत किया गया था। अब लोगों के उपभोक्ता पैटर्न में परिवर्तन आ गया है। स्वास्थ्य स्थिति में परिवर्तन आ गया है। इन सब बातों के परिणाम स्वरूप जहां तक गरीबी को आंकने के लिए वर्तमान स्थिति का सम्बन्ध है, 1970 में प्रस्तावित पुराने मापदण्ड प्रचलित हो जाएंगे। अतः मैंने यह मजाक में कहा है कि : प्रधानमंत्री महोदय, लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के दो रास्ते हैं एक तो रास्ता यह है कि उनकी स्थिति में सुधार करने के प्रयास किए जाएं, उनके रहने के स्तर में

सुधार किया जाए, उनके वेतन में सुधार किया जाए, बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जाए, इन सब बातों के परिणामस्वरूप लोग स्वयं ही गरीबी की रेखा से ऊपर उठ जाएंगे। दूसरा सैद्धान्तिक रास्ता यह है कि गरीबी की रेखा की दुबारा से इस प्रकार परिभाषा की जानी चाहिए कि उसका स्तर और नीचे आ जाए तथा सरकार के बिना किसी प्रयास के लोग स्वयं ही गरीबी की रेखा से ऊपर उठ जाएं। मैंने यह बात मजाक में कही है। जार्ज बर्नाडशा ने सही कहा है कि "कई बार मजाक में अर्द्ध सत्य प्रकट हो जाता है।"

यद्यपि मैंने यह बात मजाक में कही है···

श्री राम प्यारे पनिका : केवल अर्द्ध सत्य, पूर्ण सत्य नहीं।

प्रो० मधु दण्डवते : पूर्ण सत्य नहीं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। अतः मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें भी कुछ सच्चाई है। अतः समय आ गया है कि हमें अपनी पूर्ण कार्य प्रणाली में परिवर्तन करने की जरूरत है। उदाहरण के तौर पर स्वयं मूल्य सूचकांक की भी जांच की जाने की आवश्यकता है। एक समिति ने सूचकांकों के ढांचे को युक्तिसंगत बनाने का प्रयत्न किया था। इस देश में जिस ढंग से हम मूल्यों में वृद्धि का हिसाब लगाते वह अपने में मनमाना तरीका है। जब हम इस बात का निर्णय करने हैं कि वर्तमान थोक तथा उपभोक्ता सूचकांक क्या हो तो हमें यह देखना होता है कि इसमें किन वस्तुओं को शामिल किया जाए, आवश्यक वस्तुएं कौन-सी हैं जिन पर विचार किया जाए। इस सन्दर्भ में इस तरीके में संशोधन करने की आवश्यकता है। दुर्भाग्यवश, मूल्य सूचकांक का निर्धारण करने तथा देश में गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए प्रणाली को संशोधित न करने से हमें सम्भवतः आंकड़ों की हेराफेरी से यह कहते हैं कि इस शताब्दी के अन्त तक गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या में 5% की कमी होगी। लेकिन नई उपभोक्ता नीति, नई मानव आवश्यकताओं, देश में नवीन परिस्थिति की सन्तुलन के सम्बन्ध में जो अनुमान लगाए गए हैं, वे अधिक संगत नहीं होंगे।

मैं मूल लक्ष्यों के सम्बन्ध में एक अन्य मुद्दे पर ध्यान दिलाना चाहूंगा जो हमने स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान निर्धारित किए हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि सत्ता और विपक्ष में जो भी दल हैं, उसने हमारी भारतीय योजना के मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के रूप में योजना के कुछ लक्ष्य स्वीकार किए थे।

आत्म-निर्भरता इनमें से एक था। गांधी जी से इस देश में आर्थिक असमानताओं को कम करने तथा विकेन्द्रीकरण के मुख्य लक्ष्य स्वीकार किए गए थे। हमने केवल विकास के लिए प्रयास नहीं किया। हमने कभी भी अमरीका की आर्थिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। हमने सामाजिक न्याय की चिन्ता किए बिना निरन्तर अधिक से अधिक विकास समृद्ध वर्ग के लिए रहन-सहन का स्तर और बढ़ाने तथा विकास की दर बढ़ाने के प्रयास किए हैं। विकास के साथ-साथ हम चाहते हैं कि यदि आय और अर्जित सम्पत्ति बराबर नहीं भी है तो कम से कम वितरण समान होना चाहिए और इस प्रकार सामाजिक न्याय हो पाएगा।

योजना निर्माताओं की यही संकल्पना रहती है और यही संकल्पना हमने स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान व्यक्त की थी। यद्यपि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद के वर्षों में भी, सत्तारूढ़ और विपक्ष के बीच जो भी राजनैतिक मतभेद रहे हों इस संकल्पना को मोटे रूप से स्वीकार किया गया था। उदाहरणार्थ गुट-निरपेक्षता को राष्ट्रीय मतैक्य है। इसी प्रकार आत्म-निर्भरता, विकेन्द्रीयकरण, न्याय के

साथ विकास और भारत के विकसित क्षेत्रों और अल्प विकसित क्षेत्रों के बीच विषमताओं तथा आर्थिक और वित्तीय असमानताओं को दूर करना हमारे देश के राष्ट्रीय लक्ष्यों के रूप में स्वीकार किया गया था।

महोदय, मुझे यह बताते हुए खेद है कि प्राथमिकता योजना, नियतनों और योजना प्राथमिकताओं न कि अलंकारिक नारों और रुपए के गिरते हुए मूल्य को देखते हुए जिससे निवेश की मात्रा अप्रत्यक्ष रूप से कम हो रही है, देखते हुए सम्भवत: इन योजनाओं में लोगों के बीच और क्षेत्रों के बीच व्यय करने, आत्म निर्भरता, आर्थिक विकेन्द्रीकरण, आर्थिक शक्ति और आर्थिक विषमताओं को कम करने के लक्ष्य नष्ट होने की आशंका है।

मैं ठोस उदाहरण दूंगा। हमने आयात और निर्यात के सम्बन्ध में वर्तमान सरकार की नीति के बारे में काफी सुना है। यह एक विशेष क्षेत्र है जिसमें हमें अवश्य यह देखने का प्रयत्न करना चाहिए कि आत्म-निर्भरता के सम्बन्ध में राष्ट्रीय लक्ष्य का क्या होगा जिसके सम्बन्ध में योजना आयोग के चेयरमैन और देश के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जनता के सामने मंचों पर कह रहे हैं। निस्सन्देह कभी-कभी वह पहले कह जाते हैं और बाद में समस्या के बारे में सोचते हैं। मैं चाहूंगा कि पहले उन्हें विचार करना चाहिए और तब बोलना चाहिए। दुर्भाग्यवश, सम्भवत: सम्पूर्ण व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है।

उन्होंने आयात और निर्यात नीति के बारे में क्या कहा ? मैं नहीं जानता कि उनके वित्तीय विशेषज्ञ कौन हैं जो उन्हें सलाह दे रहे हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी एक संगोष्ठी में उन्होंने कहा कि यदि हम देखते हैं कि हमारे देश में आयात और आयात वस्तुओं के स्थान पर प्रतिस्थापित वस्तुएं बहुत मंहगी हों तो अच्छा होगा कि आयात में ढील दी जाए। जब मैंने यह प्रश्न उठाया है तो वित्त मंत्री जी को भी प्रधानमंत्री के विचार समझाने में कठिनाई का अनुभव करते हुए पाया गया है। क्योंकि प्रधानमंत्री अवसर के अनुसार राजनैतिक वक्तव्य दे देते हैं। वित्त मंत्री वित्तीय और आर्थिक वास्तविकताओं के प्रति जागरूक हैं और इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री के वक्तव्य में कमी को यह कहते हुए स्पष्ट किया है कि प्रधान मंत्री ने कहा है कि यदि आयातित वस्तुओं के स्थान पर देश में उत्पादित वस्तुएं ऐसी हो हैं तो भी आयात की जाने वस्तुओं के स्थान पर उत्पादित वस्तुओं को बनाने के लिए, वस्तुत: कच्चा माल और आदान बाहर से आयात करने होंगे। सच तो यह है कि आयात वस्तु के स्थान पर पूर्णत: देश में उत्पादित वस्तु कोई नहीं होगी।

यह केवल प्रधान मंत्री के वक्तव्य में परस्पर विरोध पर लीपापोती करने के लिए कहा गया है। मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री के वक्तव्य में परस्पर विरोध से असंगति केवल उनके मास्तष्क में ही नहीं है बल्कि ये असंगतियां सरकार की नीति में हैं। इसलिए मैं सावधान करना चाहूंगा कि हम नहीं चाहते कि देश में पुरानी प्रौद्योगिकी हो, हम चाहते हैं कि हमें अधिक युक्तिसंगत प्रौद्योगिकी के लिए समर्थ होना चाहिए, हमें देश में अच्छी किस्म का उत्पादन करने में समर्थ होना चाहिए। यदि हम देखते हैं कि कुछ आवश्यक वस्तुओं को निर्यात किया जा सकता है, तो ऐसे मामलों में अच्छे उत्पादन के लिए उत्पादन प्रक्रिया में आधुनिकतम प्रौद्योगिकी सहायक होगी। यह उत्पादन विदेशो मे निर्यात किए जाएंगे और हमें विदेशी मुद्रा संसाधनों को बढ़ाने में समर्थ होना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस समय इस देश में जहां अधिकांश लोग बेरोजगार हैं, जहां हमारे पास अपर्याप्त पूंजी है और पुरानी प्रौद्योगिकी है जिसे युक्तिसंगत बनाने के लिए अत्यधिक पूंजी अपेक्षित होगी, हम उस प्रणाली को नहीं अपना सकते जो कि पश्चिमी देशों, मार्क्सवादी देशों अथवा अन्य देशों में विद्यमान है। गांधी जी को

इस भूमि में उधार ली गई प्रणाली, में गांधी का उल्लेख कर रहा हूं, बिल्कुल कार्य नहीं करेगी। इसलिए, मैं समझता हूं कि इस देश में प्रौद्योगिकी और व्यक्ति के बीच सन्तुलन किया जाना है। हम अपनी मशीनरी आधुनिक बनाना चाहते हैं। हम अपने उद्योग आधुनिक बनाना चाहते हैं लेकिन आधुनिक बनाने के लिए हमारी खोजें अत्यधिक आधुनिक नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसी स्थिति में श्रमिकों को काफी अधिक मात्रा में हटाना पड़ेगा जैसा कि कपड़ा मिलों के मामले में होने वाला है। मैं आपको बताऊंगा कि यदि किसी कपड़ा मिल के बुनाई विभाग में स्यूजलर करघे प्रवेश कराए जाते हैं, तो जो काम बुनाई विभाग में 800 व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है वह 20 व्यक्तियों द्वारा किया जा सकेगा और प्रत्येक 500 में से चार सौ अस्सी को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। हम ऐसी मशीन नहीं चाहते जिनसे व्यक्ति बेकार हो जाते हैं। हम मशीनों से सम्पन्न होना चाहते हैं लेकिन हम श्रमिकों को बेकार कर और उनकी गरिमा को मिटाकर मशीनों से सम्पन्न होना नहीं चाहते। महात्मा गांधी जी की इस भूमि पर यह गम्भीरता से विचार करने का विषय है। यह देश की अर्थव्यवस्था पर विचार करने के लिए एक मार्ग है। और आपमें से कुछ हमें रूढ़िवादी कहेंगे, आप हमें पुरानी पीढ़ी का कह सकते हैं लेकिन इन विशेष पहलू के लिए बाध्य है जो इस देश की मिट्टी में जड़ जमाए है। इसलिए इस विशेष मार्ग को अपनाया जाना चाहिए लेकिन आज इसे अस्वीकार किया जा रहा है। इस निर्यात और आयात नीति से अन्ततः बहुत-सी समस्याएं खड़ी होंगी। इसके परिणामस्वरूप क्या हो रहा है। पहले ही अप्रैल से जुलाई के बीच व्यापार का अन्तर 3000 करोड़ रु० हो गया है और मुझे आशंका है कि अगर यही प्रक्रिया चलती रही तो व्यापार के घाटे में और भी वृद्धि होगी तथा हम और भी संकट में पड़ जाएंगे।

अब मैं गरीबी हटाने के लिए किए जा रहे उपायों पर आता हूं। हम यह चाहते हैं कि हमारे देश में लोगों की कुछ न्यूनतम जरूरतें पूरी हों। यह हमारी प्राथमिकता है। रंगीन टेलीविजन हमारी प्राथमिकता नहीं है। मेरी प्राथमिकता यह है कि ऐसे गांव, जो समस्या ग्रस्त हैं—जिनमें पीने का पानी मुहैया नहीं है, उन्हें पीने का पानी अनिवार्य रूप से मिले। किसान को लाभकारी मूल्य अवश्य प्राप्त हो। उन्हें उर्वरक और बीज सस्ते दामों पर मिलें। देश में लघु और कुटीर उद्योग विकेन्द्रित रूप से हों जिनमें गांव के लोगों को बेहतर रोजगार मिल सकें और इसीलिए मैंने कपड़ा नीति की निन्दा की है। हथकरघों और बिजली के करघों के लिए अलाभप्रद होगा—विकेन्द्रित क्षेत्र अगर गरीबी हटाने के उपायों को लाभकारी रूप में देखना है तो यह करना होगा। वर्तमान दस्तावेज में कुल आबंटन क्या किया गया है। परिव्यय 11,500 करोड़ रु० का है। यह बहुत ही कम है और इसलिए इसमें वृद्धि करनी होगी तथा आधारभूत सुविधाएं जैसे रेलवे, नौवहन और कुछ अन्य वस्तुएं उपलब्ध करानी होंगी जिससे कि हमारे देश के पिछड़े क्षेत्रों का विकास किया जा सके। एक तो हमें व्यक्ति और व्यक्ति के बीच विद्यमान आर्थिक असमानताओं को दूर करना होगा इसी प्रकार हमें क्षेत्र-क्षेत्र में व्याप्त आर्थिक असमानताओं को कम करना होगा। बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद, दिल्ली आदि महानगरों में बढ़ती हुई आबादी, प्रदूषण और स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएं बढ़ रही हैं। आप इस तरह की कोई रोक नहीं लगा सकते कि अमुक तारीख से कोई भी व्यक्ति बम्बई अथवा दिल्ली में आकर नहीं बस सकता। अगर इन महानगरों के पार्श्व क्षेत्रों का विकास करना है, तो रेलवे की बुनियादी सुविधा उपलब्ध करानी होगी जिससे कि आन्तरिक भागों का बेहतर विकास हो सके। शहरों में बढ़ती आबादी और प्रदूषण कम किया जा सकता है। मैं जानता हूं कि इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। पिछड़े क्षेत्रों के विकास के सम्बन्ध में सरसरी तौर पर ध्यान दिया गया है। मेरे ख्याल में इस समस्या को प्रभावी रूप से नहीं लिया गया है।

महोदय, एक शब्द में मैं यह कहूंगा कि इस 'गांधी' का विकास का तरीका क्या है। मैंने पहले भी एक बार कहा था। यह नए 'गांधी' पुराने गांधी से आगे निकल गए हैं। पुराने गांधी कहते थे कि विकास परियोजनाएं छोटे तबके से शुरू हों नीचे से इनका उठना शुरू हो। लेकिन राजीव गांधी सरकार का विकास का नया तरीका रेगन सरकार जैसा जान पड़ता है। अब सामाजिक न्याय के पहलू की सोचने की जरूरत क्या है। क्योंकि हम समाज के ऊंचे तबके को उठाने की सोचें पर छोटे लोगों को इससे क्या मिलेगा। वे बेचारे दूसरों के मोहताज बने रहे। यही उनका भाग्य है। ऊपर से जो कुछ भी आएगा उससे नीचे के लोगों का विकास होगा। हम नहीं चाहते कि गरीब और भी गरीब हो जाएं। इसलिए विकास की समस्त नीति इस प्रकार की नीति होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ऊपर विकास हो और उसका लाभ नीचे आए। मैं इसे नहीं मानता। इसके लिए कुछ संरचनात्मक परिवर्तन जरूरी हैं।

महोदय, संसाधनों के बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में मुझे खुशी है कि बड़े औद्योगिक घरानों पर छापे पड़ रहे हैं। जिन लोगों ने अनियमितताएं की हैं उनको तो दण्ड मिलना ही चाहिए। आपको इन सभी छापों को और कड़े वित्तीय उपायों का उपयोग रचनात्मक और लाभकारी कार्यों में करना चाहिए। (व्यवधान) मेरा यह सुझाव बिल्कुल सही है कि जब तक आप कठोर कदम नहीं उठाते, जब तक मुद्रा का विमुद्रीकरण 100 रु० और उससे बड़ी मुद्रा आदि आप इस काले धन की समस्या का समाधान नहीं कर सकते। बेल्जियम जैसे देशों में '500' फ्रैंक से विमुद्रीकरण किया गया था। उन्होंने उस मुद्रा का विमुद्रीकरण कर दिया और थोड़े ही महीनों में वे काले धन को कम करके आधा करने में सफल हो गए। यह हुआ था वहां पर जो कि यहां नहीं हो रहा। मैं यह चाहता हूं कि ये छापे तस्करों अथवा काला धनर खने वालों, सभी के यहां पड़ें। परन्तु इसका चन्दा (दान) प्राप्त करने के रूप में प्रयोग नहीं करें। यदि आपके पास सेनिटनरी है और आप कुछ औद्योगिक संस्थानों को बताते हैं कि यदि आप सेनिटनरी कोष के लिए योगदान नहीं देते, तो उस मामले में आप मुसीबत में पड़ जाते हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : महोदय, यह ऐसी बात नहीं कह सकते। मुझे इस पर आपत्ति है। इसका निष्कासन किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : आप रिकार्ड देख सकते हैं। मैंने किसी राजनैतिक दल का उल्लेख नहीं किया है। आप रिकार्ड की जांच कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं रिकार्ड देख लूंगा। यदि उसमें कुछ भी निकालने वाला होगा तो मैं उसे निकाल दूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : मैंने किसी राजनीतिक दल के नाम का उल्लेख नहीं किया है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यदि कुछ आपत्तिजनक होगा, तो मैं उसे निकाल दूंगा।

(व्यवधान)

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : महोदय, इन्होंने जो कहा है, वह आपत्तिजनक है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमान् पनिका, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री राम प्यारे पनिका : जनता शासन के दौरान क्या हुआ था ? उन्होंने कोई नई योजना नहीं बनाई थी। उन्होंने पहली योजनाओं को ही चलाया है। (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते : मैंने किसी राजनैतिक दल का उल्लेख नहीं किया है। आप यह क्यों समझते हैं कि यह आपको कहा गया है ? आप रिकार्ड देख सकते हैं। (**व्यवधान**)

प्रो० एन० जी० रंगा : प्रत्येक सदस्य को यह आशा है कि प्रो० मधु दंडवते को सभा के शिष्टाचार तथा औचित्य की जानकारी है। जब आप 'शताब्दी' शब्द कहते हैं तो अवश्य ही आपको कांग्रेस शताब्दी का ध्यान होगा। यहां कोई और शताब्दी नहीं है। अतः आपके लिए यह उचित नहीं है कि आप इस प्रकार का उल्लेख करें।

(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते : आपने सौ वर्ष पूरे नहीं किए हैं। 17 वर्षीय युवा लड़की यह दावा नहीं कर सकती कि उसकी आयु 100 वर्ष है। मैं आपके दल का उल्लेख नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपका दल केवल 17 वर्ष पुराना है। (**व्यवधान**) मैं उनकी शताब्दी का कैसे उल्लेख कर सकता हूं ?

प्रो० एन० जी० रंगा : 17 वर्ष से आपका क्या मतलब है ?

प्रो० मधु दण्डवते : जी हां, कांग्रेस-ई 17 वर्ष पुरानी है।

प्रो० एन० जी० रंगा : आप इतिहास की बात कर रहे हैं। आप भी इतिहास के विद्यार्थी हैं। अपने दल के नेता के रूप में अपनी स्थिति पर विचार करते हुए, अपनी वरिष्ठता को देखते हुए, क्या ऐसा कहना आपके लिए उचित है ? यह अनुपयुक्त है। (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते : इसमें वापिस लेने का कोई प्रश्न नहीं है। मैं संसद से अपना नाम वापिस ले लूंगा। परन्तु अपने शब्द वापिस नहीं लूंगा। मैंने किसी राजनैतिक दल का उल्लेख नहीं किया है। (**व्यवधान**) आप अध्यक्ष महोदय को इसका उल्लेख कर सकते हैं। यदि आप हाउस आफ कामन्स के वाद-विवाद को पढ़ें तो आप देखेंगे कि विरोधी श्रमिक दल ने कटु भाषा द्वारा अनुदार दल पर आक्षेप लगाए, जिसके वह आदी नहीं थे, ऐसा ही अनुदार दल के संसद सदस्यों ने श्रमिक दल पर आक्षेप लगाते समय किया था।

जब हम आक्षेप लगाते हैं तो हमें सुनने भी पड़ते हैं। हमने कभी आपत्ति नहीं की कि आप आलोचना नहीं कर सकते। अत्यधिक कटु भाषा का प्रयोग करके उन्होंने जनता सरकार पर आक्षेप लगाए। मैंने कभी भी उस पर आपत्ति नहीं उठाई···(**व्यवधान**)। मैं संसदीय वाद-विवाद में कड़ी आलोचना द्वारा आक्षेप लगाए जाने के अनेक पूर्वोदाहरण दे सकता हूं। यह जनता दल के विरुद्ध लगाए गए; कांग्रेस दल के विरुद्ध लगाए गए; यह साम्यवादी दल के विरुद्ध लगाए गए। किसी ने भी उस पर आपत्ति नहीं की···(**व्यवधान**)।

एक माननीय सदस्य : इन्हें अपना कथन वापिस लेना चाहिए।

प्रो० मधु दंडवते : मैंने असंसदीय भाषा (अपशब्दों) का प्रयोग नहीं किया है। इसलिए अपने कथन को वापिस लेने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता···(**व्यवधान**)।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं रिकार्ड की जांच करूंगा। यदि उसमें कुछ आपत्तिजनक होगा तो मैं उसे काट दूंगा। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए। प्रो० मधु दंडवते अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

प्रो० मधु दंडवते : मैं आपको ठोस उदाहरण देता हूं। जबकि मैं स्वयं यह चाहता हूं कि देश में विद्यमान काले धन को निकालने के लिए छापे मारे जाने चाहिए, छापे मारे जाएं, विमुद्रीकरण किया जाए, कड़े उपाय किए जाएं, परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सब कार्य करते समय यह देखा जाए कि सम्बन्धित अधिकारी अथवा सम्बन्धित विभाग अपनी सीमाएं पार नहीं करें।

मेरी बात को रिकार्ड किया जाए। मैं आपको एक ठोस उदाहरण दे रहा हूं। मुझे शक है कि मन्त्री महोदय स्पष्ट वक्तव्य देने के लिए आगे आएंगे। मैं उदाहरण देने से पहले पुनः दोहराऊंगा कि मैं चाहता हूं कि सम्पूर्ण काले धन को प्राप्त किया जाना चाहिए···(**व्यवधान**) मैं आपको किरलोसकर परिवार के कारबार पर छापे का ठोस उदाहरण दे रहा हूं। राजस्व सतर्कता महानिदेशालय का एक अधिकारी वहां गया और उसने कहा : "कुछ कारें आपकी कम्पनी से कुछ फाइलें ले जा रही हैं।" उन्होंने बताया कि वे कारें उनकी नहीं हैं। उसने अधिकारी को बुलाया और अधिकारी ने उन्हें बताया कि वे कारें वहां नहीं हैं, उन्होंने इन लोगों को रोकने और धमकी देने के लिए झूठें कार नम्बर दिए थे। इस घटना ने उद्योगपतियों को मौका दिया है। यदि आप उद्योगपतियों के घरों पर छापे मारना चाहते हैं तो इसे उचित तथा वैधानिक रूप से करिए और छलपूर्ण ढंग से नहीं। मैं आपको केवल एक उदाहरण दे रहा हूं कि अधिकारी कैसे व्यवहार कर रहे हैं।

श्री राम प्यारे पनिका : कांग्रेस पार्टी के बारे में उनकी टिप्पणी हटाई जानी चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने कांग्रेस पार्टी का उल्लेख नहीं किया है।

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : अब स्थिति स्पष्ट हो गई है। माननीय सदस्य किरलोसकर और उनके काले धन का समर्थन करना चाहते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : बिल्कुल नहीं। मैं चाहता हूं कि सभी काला धन रखने वालों पर छापे मारे जाने चाहिए, लेकिन ऐसा करते समय अपनी सीमाओं का उल्लंघन न करें। मैंने आपको केवल ठोस उदाहरण दिया है कि कैसे कुछ कारें कम्पनी से उनकी कुछ फाइलें ले जा रही थीं और बाद में अधिकारी ने बताया कि उसे गलत कार नम्बर दिए गए थे।

एक माननीय सदस्य : जनता पार्टी को किरलोसकर परिवार ने कितना पैसा दिया है?··· ···(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : ऐसी राजनीति का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वे जनता पार्टी को दिल भर कर गालियां दे सकते हैं···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए। आपने पहले ही 35 मिनट ले लिए हैं····· (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : यदि सदन में एक सदस्य भी होता है तो उसे अपनी बात कहने का अधिकार होता है। आचार्य कृपलानी सदन में अकेले स्वतन्त्र सदस्य थे। किसी ने उन्हें यह नहीं कहा

कि वे सदन में अकेले स्वतन्त्र सदस्य ने और उनके साथ कोई नहीं था। उन्होंने कहा : "मैं अपनी बात कह रहा हूं और मुझे कोई नहीं रोक सकता।" वह इस सदन के वरिष्ठ सदस्य थे। लोकतन्त्र में सदस्यों की संख्या महत्त्वपूर्ण नहीं है, तर्क महत्त्वपूर्ण है।

1.00 म० प०

इसलिए अन्त में मुझे एक ठोस सुझाव देना है। योजना के हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य पूरे हो सकें, इसके लिए कुछ मूलभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और मैं उनमें से एक हूं जो मानते हैं कि इस देश में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विकसित पूंजीवादी देशों में भी कोई समानता नहीं है। कुछ मार्क्सवादी देशों में भी मित्रताएं हैं। लेकिन स्कैनडैवियन देशों में जहां सामूहिक आन्दोलन को काफी हद तक सफलता मिली है, कोई मित्रता नहीं है। गांधी जी हमेशा सुदृढ़ और लाभप्रद सामूहिक परम्पराओं पर चले। जब कोई लाभप्रद सहकारी आन्दोलन चलाया जाता है, तब उससे केवल उत्पादन को ही प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, बल्कि अधिक समान वितरण होगा और इस तरह इस देश की आर्थिक विषमता काफी हद तक कम की जा सकती है। यह एक ऐसा पहलू है जिसके सम्बन्ध में सम्पूर्ण योजना में काफी हद तक असावधानी बरती जाती है। इसकी पुनरीक्षा की जानी चाहिए और इसे सुधारा जाना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया है सब कुछ किया जा चुका है। मैंने अपना वक्तव्य इससे आरम्भ किया था कि विधि के अनुसार अन्तिम कार्य योजना राष्ट्रीय विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत कराना होता है वह भी किया जा चुका है। हमने जो कहा है, वह रिकार्ड के एक भाग के रूप में भविष्य में केवल यह पता बताएगा कि आपकी नीति कैसे गलत है।

1.01 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2 बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई।

2.04 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी लंच से पहले हमारे माननीय विपक्ष के नेता बहुत परेशान हो गए थे। उनके चेहरे पर पसीना आ गया था। मेरा निवेदन यह है कि वे अपने को इतना परेशान न करें। मुझे लगता है कि शायद वह बीमार हैं नहीं तो इस तरह से एजीटेट नहीं होते। अब मैं विषय पर आ रहा हूं।.....(व्यवधान)

सातवीं पंचवर्षीय योजना में जो बातें कही गई हैं, मेरी समझ में 3 बातें उसमें मुख्य हैं। एक गरीबी दूर करना, दूसरी बेकारी दूर करना और तीसरी रीजनल इम्बैलेंस खत्म करना। मेरी समझ में सबसे ज्यादा जोर बेरोजगारी दूर करने पर देना चाहिए। पता नहीं आम लोगों का क्या अनुभव

है ? मेरे पास तकरीबन 100, 150 आदमी मेरे क्षेत्र से रोज आते हैं और कहते हैं कि हमें रोजगार दिलाओ। मुझे लगता है कि मैं कहां फंस गया हूं, इतने सारे लोगों को कहां से नौकरी दिला पाऊंगा ? यह सारी समस्या बड़ी भयावह होने जा रही है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में आपने जितने लोगों को रोजगार दिलाने का प्रावधान किया है, बेकार लोगों की संख्या उससे कई गुना ज्यादा हो जायेगी। इसलिए इस समस्या पर बहुत गंभीरता से विचार करना है। मेरा निवेदन यही होगा कि सबसे अधिक जोर आप बेरोजगारी दूर करने पर ही दीजिये। यदि इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो नवयुवकों में ऐसी भयावह आग लग जायेगी कि उसे आप, हम और कोई भी रोक नहीं पायेगा और प्रजातन्त्र का भविष्य खतरे में पड़ जायेगा।

मैं बड़ी सिन्सियैरिटी से, दर्द से कह रहा हूं कि बेकारी और बेरोजगारी की समस्या बहुत भयावह हो रही है, इसको जल्द से जल्द हल करना चाहिए। अगर यह समस्या हल हो जायेगी तो आपकी गरीबी की समस्या अपने आप हल हो जायेगी। एक आदमी को अगर रोजगार मिलेगा तो 10 आदमियों का परिवार उससे पलेगा और गरीबी अपने आप दूर हो जायेगी।

हमारे माननीय सदस्य बहुत परेशान हो गये थे, कुछ लोगों पर रेड किया गया। मैंने इस सदन में पहले भी कहा कि खर्च सरकार ने बहुत किया है, लेकिन वह लोगों तक नहीं पहुंच पाता है।

मैंने जो बैल-बोन थ्योरी यहां बताई थी एल 14 योजना पर खर्च है या और जो खर्चा है वह लूट है, 4 लोगों में बंट जाता है—इंजीनियर, कांट्रेक्टर, पोलिटीशियन और ब्यूरोक्रेट्स।

श्री डी० पी० यादव : पोलिटीशियन्स के लिए मैं एग्री नहीं करता हूं।

डा० गौरी शंकर राजहंस : मैं सारे पोलिटीशियन्स की बात नहीं करता हूं।

मैं यही कहता हूं कि यदि वह रेड होता है तो क्यों न सभी पर रेड हो। जहां-जहां, जिस-जिस पर सरकार को शक हो, सब पर रेड हो, किसी को उससे बरी न करें। मैं कहता हूं मुझ पर भी रेड करो। एक कहावत है—

कबिरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाथ।
जो घर फूंके आपना, चले हमारे साथ॥

जो डैवलपमेंट पर खर्चा हो रहा है, वह लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। आप इतना ही उपाय कर दीजिये कि यह डैवलपमेंट का खर्चा लोगों तक पहुंच जाये।

इसी सिलसिले में मैं एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूं। मेरी शिक्षा-दीक्षा अमेरिका में हुई, लेकिन अभी मैं रूस गया था। मैंने वहां देखा कि कम्यून्स को मैचिंग ग्रान्ट्स मिलता है सरकार से। मेरी आंखें खुल गईं। हमारे देश में नेहरू जी कहा करते थे, अभी राजीव जी भी कहते हैं कि जो कुछ भी प्लानिंग और इकनामिक डैवलपमेंट हम कर रहे हैं वह इंडियन है, भारतीय वातावरण का है। अपने देश में भी कुछ ऐसा हो।

मैं देख रहा हूं कि प्लानिंग होता है, जनता समझती है कि मुझे इससे क्या काम है ? यह

बी० डी० ओ० का काम है पैसे बांटने का, और वह बंट जायेगा। प्लानिंग में यदि जनता का इन्वाल्वमेंट हो तो सक्सेस होगी, अगर इन्वाल्वमेंट नहीं होगा तो आप लाख सिर पटकिये, यहां स्केडेमिक डिस्कशन्स कर लीजिए, इससे कुछ नहीं होने वाला है।

अभी राजीव जी ने गंगा प्लान के बारे में कहा कि मैं गंगा को साफ कराऊंगा, उस क्षेत्र के लोग श्रमदान करें। इससे अच्छी बात और नहीं हो सकती है। प्लानिंग में भी आप डेवलपमेंट कराइये, उस क्षेत्र के आदमी वहां श्रमदान करें। हमने यह एक्सपीरिएंस किया है, बिहार में कोसी प्रोजेक्ट में श्रमदान करके। इससे लोगों को पता चलेगा कि इस प्रोजेक्ट में हमारा भी एक हिस्सा है, हम भी इसके एक अंग हैं। लोगों में दिलचस्पी होगी तो वह एल/4 नहीं होने देंगे। लोगों में हमें यह भावना फैलानी चाहिए कि प्लैनिंग जो बनायी गई है वह सबों के लिए है। यह केवल सरकार का काम नहीं है, इसके लिए पब्लिक पार्टिसिपेशन पर जोर देना चाहिए।

आज हम देखते हैं कि नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन की कई मिलें बन्द हो गई हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, आप उन बीमार मिलों को जिन्दा नहीं कर सकेंगे। हम पब्लिक सेक्टर के समर्थक हैं, लेकिन उस पब्लिक सेक्टर को जिन्दा रखने के लिए कई हजार आदमियों को रोजगार भी दिलाना चाहते हैं। इसका पब्लिक सेक्टर जोकि घाटे में चल रहा है उसको आप देखें। आपको एक दिलचस्प बात सुनाऊं। बिहार में कुछ शुगर फैक्ट्रियां घाटे में चल रही थीं। जब उनको शुगर कारपोरेशन ने ले लिया तो उसका घाटा बढ़ गया। मैं कहता हूं कि ऐसी शुगर फैक्ट्रियों को रखने से कोई फायदा नहीं होगा। ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन में एक राज्य में बस ही सक्रेप्ट करके बेच दी गई। पब्लिक सेक्टर जो कि बहुत अच्छा सेक्टर है, लेकिन पब्लिक सेक्टर को जो चलाते हैं, उनको आप देखें। उन्होंने करोड़ों रुपया अपने घर में कर लिया है।

श्रीमती कृष्णा साही : राज्य ट्रांसपोर्ट को घाटा लगता है।

श्री गौरी शंकर राजहंस : राज्य ट्रांसपोर्ट को तो घाटा लगता है, लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर मोटा होता जाता है। पब्लिक सेक्टर को ध्यान में रखते हुए राज्य ट्रांसपोर्ट चलता रहना चाहिए क्योंकि पब्लिक सेक्टर में हमारा अपना पैसा लगता है।

अब मैं रीजनल इम्बैलेंस के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इस प्लान में इस पर काफी जोर दिया गया है। मैं जब उत्तरी बिहार के बारे में सोचता हूं तो बहुत दुखी हो जाता हूं। वहां भयावह गरीबी है। वह बेचारे कहां जाएंगे? वहां से लोग एग्रीकल्चर लेबर बनकर पंजाब हरियाणा आते हैं। यहां पर भी अब सुनते हैं कि नई तकनीक अपनायी जाने वाली है जिससे वह बेकार हो जायेंगे। आखिर यह बेचारे कहां जायेंगे? इस पर आप बहुत गम्भीरता से सोचिए। हमारा यह पिछड़ा क्षेत्र साल में आधा समय पानी से ही घिरा रहता है। बाकी बचे हुए समय में वह खेती-बाड़ी करते हैं। रोजगार के लिए देश के दूसरे भागों में जाते हैं। अब तो दूसरे भागों में भी मशीनी औजार से काम होने वाला है जिससे उनका रोजगार भी बन्द होने वाला है। अतः इस पर आप गम्भीरता से विचार करें।

बिहार में सम्पदा होने के बाद भी बहुत पिछड़ापन है। आखिर इसका क्या कारण है? इस पर आप गम्भीरता से विचार करें। कहीं जरूर कुछ बात है जिससे हमारी हालत नहीं सुधर रही है। उस बात को हम खोजें और बिहार के डेवलपमेंट के लिए कुछ कार्य करें। बिहार का उत्तरी भाग तो बहुत अधिक पिछड़ा हुआ है। वहां सड़कें बहुत खराब हैं। आप कहते हैं कि हमने एग्रीकल्चरल

डेवलपमेंट किया है। क्या एग्रीकल्चरलिस्ट को रिम्यूनरेटिव प्राइज मिलता है। वह गरीब बीज, खाद और सिंचाई का इन्तजाम करता है, लेकिन उसको चीजों का दाम मिट्टी के भाव के बराबर मिलता है जिससे उसकी हालत बहुत बुरी हो गई है। आज बिहार, बंगाल तथा असम में जूट की बहुत बुरी हालत हो गयी है। उसको पैदा करने के लिए उसने बहुत अधिक पैसा लगाया, लेकिन उसके बाद वह बरबाद हो गया। क्या इसी प्रकार से देश चलेगा। आप कभी इस पर शान्ति से सोचिए। आप कहते हो कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़ाओ, लेकिन एग्रीकल्चरिस्ट को रिम्यूनरेटिव प्राइज देने के लिए तैयार नहीं हो।

आज जो बात जूट के लिए है, वही बात शुगर केन और पैड़ी के लिए भी है। वह गरीब कहां जायेंगे ? लगता है आप हमको ब्रह्मपुत्र में फेंक देना चाहते हैं। इन पर हमें गम्भीरता से सोचना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री बालकवि बैरागी (मन्दसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह राजहंस जी हैं, इनको गंगा में नहीं फैंकेंगे, इनको मानसरोवर ले जाएंगे।·····(व्यवधान)

डा० गौरी शंकर राजहंस : मैं यह कह रहा हूं कि हमारी योजना प्रैक्टिकल होनी चाहिए। बिहार में यूरेनियम पैदा होता है। वहां ऐटामिक एनर्जी का पावर जेनरेट कीजिए नार्थ बिहार में। वहां पर दुनिया भर की इंडस्ट्री चलेगी। लोगों को रोजगार मिल जाएगा। वहां दुनिया भर का आम होता है, पानी के भाव आम मिलता है। ऐग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगाइए। एक्सपोर्ट कीजिए। कुछ कीजिए, जिससे लोगों को पता चले कि आप कर रहे हैं, नहीं तो यह कहते रहेंगे लोग कि आप बैकवर्ड स्टेट्स पर कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं, रीजनल इम्बैलेंस हो रहा है।

एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि लोग गरीबी में पिस रहे हैं। मैं डाटा की बात मानता हूं। मैं भी थोड़ा बहुत अर्थशास्त्र जानता हूं। आप कहिए तो डाटा से सब प्रूव कर दूंगा। हमारे यहां यह कहा जाता है कि लाइज, विगर लाइज एण्ड स्टेटिस्टिक्स। स्टेटिस्टिक्स से आप जो चाहें तो वह साबित कर दीजिए। लेकिन चलिए, आप मेरे साथ बाजार में, आप देखिए कि कितनी महंगाई बढ़ गई है। रोज आप टी० वी० और रेडियो पर कहते हैं कि मिठाई के साथ जो डिब्बा तोलेगा उसको जेल भेज देंगे। कितने आदमियों को आपने जेल भेजा। दीवाली पर मिठाई का दाम पचास रुपये किलो तक चला गया। मैंने खुद खरीदी है।···(व्यवधान)···नहीं, काजू की बरफी नहीं थी। किसकी हिम्मत है कि उन पर ऐक्शन ले सके ?

तो मैं आपको कहूंगा कि देश की हालत को सही अर्थ में सुधरने दीजिए। जैसे आपकी नान-एलाइनमेंट की पालिसी थी, वैसे ही एकोनामिक पालिसी भी नान-एलाइमेंट की है। न तो हम अमीरों के साथ हैं, न गरीबों के साथ हैं। हम हाथियों के साथ हैं।

हमें एफिश्येंसी बढ़ानी चाहिए, एकोनामी करनी चाहिए, स्केल आफ प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, देश में खुशहाली लानी चाहिए। मैं प्रधान मन्त्री जी को और वित्त मन्त्री जी को बधाई देता हूं कि मोटे-मोटे मगरमच्छों को उन्होंने पकड़ा है। और पकड़िए। सारे देश की जनता की सद्भावना आपके साथ है। मैं कहता हूं कि देश बड़ा है, कोई एक व्यक्ति बड़ा नहीं है। इस देश को हमें आगे ले जाना है क्योंकि पहली बार देश में एक ऐसा वातावरण आया है कि लोग सोच रहे

हैं कि एक स्वच्छ सरकार आई है। हम देश के लोगों को यह न समझने दें कि हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इस पंचवर्षीय योजना में बहुत बड़ा दायित्व है।

दूसरी बात मैं कहूंगा—जैसे कि योजना मन्त्री जी ने कहा कि हमारे कुछ सुझाव उसमें इनकारपोरेट किए जाएंगे, तो मैं कहूंगा कि हर साल पंचवर्षीय योजना की प्रोग्रेस पर एक डिबेट हो जिससे पता चले कि क्या-क्या उसमें प्रोग्रेस हुई है और किस राज्य ने कितनी तरक्की की है, अन्यथा इस पंचवर्षीय योजना का कोई अर्थ नहीं है। धन्यवाद।

[अनुवाद]

प्रो० एन० जी० रंगा (गंटूर) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से हमारे प्रधान मंत्री जी ने इस पंचवर्षीय योजना के लिए सरकार की दलील प्रस्तुत की है, वह सराहनीय है। मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूं, परन्तु इतना ही पर्याप्त नहीं है। योजनाकारों और उसके बाद सरकार और उसके बाद राज्य सरकारों द्वारा योजना के अन्य अतिरिक्त पहलुओं को अपने सामने रखा जाना चाहिए।

"गैर-सरकारी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र" की ओर बहुत अधिक ध्यान दिया जा रहा है। परन्तु हमारे देश में हमारी अर्थव्यवस्था के मात्र ये दो पहलू नहीं हैं। अब यह उचित समय है कि हमारी सरकार तथा राष्ट्र द्वारा स्व-नियोजित क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र के महत्व की आवश्यकता को समझा जाएगा। आज ही दिल्ली कोपरेटिव कांग्रेस की बैठक हो रही है। उसके अध्यक्ष ने हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया है कि सम्पूर्ण भारत में सहकारी समितियों के 1200 लाख सदस्य हैं। यदि हम यह मान लें कि केवल 600 लाख सदस्य ही सक्रिय सदस्य हैं तो भी हमारी जनसंख्या का काफी बड़ा भाग है। वे उत्पादन तथा वितरण कार्य में लगे हुए हैं। योजना आयोग द्वारा उनके लिए अब तक जो कुछ किया गया है, उससे भी अधिक किया जाना चाहिए। इसके बाद हमारे देश में स्व-नियोजित लोग हैं जिनमें सहकारी समितियों के सदस्य तथा अन्य लोग शामिल हैं। आप जानते हैं कि कुछ किसानों, जिनके पास 10 एकड़ से अधिक भूमि है, को छोड़कर बाकी सभी किसान स्व:-नियोजित हैं। वे कभी-कभी ही किराए पर मजदूर लगाते हैं और वे भी बहुत कम संख्या में। उनका क्षेत्र शोषण करने वाला क्षेत्र नहीं है। उनको भी एक अलग क्षेत्र के अन्तर्गत माना जाना चाहिए। किसान तथा दस्तकार स्व:-नियोजित क्षेत्र में लगे लोगों का बहुत बड़ा भाग है। यदि हम इन दोनों क्षेत्रों को तथाकथित गैर सरकारी क्षेत्र, अर्थात् बड़े तथा मझौले उद्योगों जो कि निगमित क्षेत्र हैं और सरकारी क्षेत्र जहां सरकार द्वारा सभी औद्योगिक कम्पनियों की प्रबन्ध व्यवस्था देखी जा रही है, और जिनका स्वामित्व तथा देखरेख हर तरह से सरकार के हाथ में है, के समान महत्व दिया जाए तो व्यय तथा आय सम्बन्धी हमारे राष्ट्रीय साधनों का वितरण करने में योजना आयोग तथा सरकार का सम्पूर्ण दृष्टिकोण ही बदल जाएगा और फिर ये स्व-नियोजित लोग शोषण करने वाले लोग नहीं हैं। जब हम एक लोकतांत्रिक समाज में पूर्ण समाजवाद लाना चाहते हैं और सभी श्रमिकों को शोषण से बचाने का प्रयास करते हैं तो वे स्व-नियोजित स्तर प्राप्त कर लेंगे। जैसा कि युगोस्लाविया में है वे स्वयं को तीन भागीदारों—श्रमिक, सरकार तथा स्थानीय सरकारी यूनिट, के साथ काम करेंगे। पश्चिमी देशों में मार्क्स लेनिन तथा अन्य समाजवादियों के समय में ऐसी सामाजिक-आर्थिक स्थिति नहीं थी। कुछ लोग अपने आप को समाजवादी कहते थे, अन्य लोग स्वयं को साम्यवादी आदि कहते थे। उन्होंने सभी श्रमिक वर्ग के लिए उसी तरह का स्तर प्राप्त करने की आशा की थी। परन्तु इसी दौरान उन्होंने इन पूंजीपतियों को पश्चिमी देशों के समग्र औद्योगिक नियंत्रण में पाया। इसलिए, वे इससे छुटकारा पाना चाहते थे। उससे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने बहुत से तरीके निकाले और उनमें से एक रूसी

तरीका था कि श्रमजीवी के लिए सत्ता हथिया ली और श्रमजीवी के नाम तानाशाही शुरू कर दो और उसके बाद उनकी प्राथमिकता के अनुसार श्रमिकों के लिए ये सभी स्वतन्त्रता प्राप्त करो। यदि हमें उसी प्रकार की योजना बनानी है तो हमें अपनी जनसंख्या को अपेक्षाकृत अधिक कारगर ढंग से और आसानी से सीमित करना होगा जैसा कि वे अब चीन में कर रहे हैं। यदि हमें उसी प्रकार कार्य करना है, तो हमें हर चीज की व्यवस्था अपने नियंत्रण में लेनी होगी। लेकिन रूसियों ने भी इसे इतना विकासोन्मुखी नहीं पाया। इसलिए, वे इसे लचीला बनाने की सोच रहे है।

इसलिए तानाशाही के प्रयोग में काफी ढील दे रहे हैं। हमारे प्रजातन्त्र में हमने आपस में शक्तियां बांट ली हैं। हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि भूतपूर्व जनसंघ के लोग भी समाजवाद को खुल्लम-खुल्ला स्वीकार करें। साम्प्रदायिक विचारधारा वाले भी यह कहेंगे कि वे समाजवादी हैं। इस प्रकार हम सभी समाजवादी बन गए। इसका अभिप्राय क्या है। जब हम वास्तविकता पर आते हैं तो जहां तक लोगों का सम्बन्ध है इसका क्या अर्थ होगा? इसीलिए 20 सूत्री कार्यक्रम बनाया गया। इस प्रकार श्रीमती इन्दिरा गांधी ने आर्थिक तथा राजनैतिक तरीके से समाजवादी दृष्टिकोण हमारे सामने रखा। लेकिन यह दृष्टिकोण दरिद्र नारायण की सेवा जिसे महात्मा गांधी जी ने समस्त देश के सामने रखा, का छोटा-सा रूप है। दो पीढ़ियों तक हम सभी ने इसे स्वीकार किया है। हमारे आपस में कोई मतभेद नहीं हैं। हमारे देश के विभिन्न राज्यों में विरोधी दल सत्ता में हैं। वे इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में लगे हुए हैं। इसके कार्यान्वयन में, उनके विचार एक-दूसरे से अलग हैं परन्तु वे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते आ रहे हैं। ऐसी प्रतिस्पर्धा का हम स्वागत करते हैं। एक राज्य में वे इसका क्रियान्वयन एक दिशा में करते हैं वो अन्य राज्य में वे इसका क्रियान्वयन किसी अन्य दिशा में करते हैं फिर भी वे सभी इस तरह के कार्यक्रम का क्रियान्वयन करने के लिए बाध्य हैं, यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके लिए योजना आयोग ने अपनी योजना तैयार की है। यह योजना समय-बद्ध होनी चाहिए थी। इसलिए योजना आयोग ने इसे पांच वर्ष के लिए बनाया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमें इस योजना को उत्तरोत्तर प्रगति की ओर ले जाना है, लेकिन हम कम कठिनाई से अधिक प्रगति कर सकते थे यदि हमने प्रारम्भ से ही इसे स्वीकार कर दिया होता अथवा हम अब भी यह स्वीकार कर लें कि इन दोनों वर्गों के लोग अलग-अलग वर्गों के हैं और अलग-अलग क्षेत्रों के हैं और उसके बाद हम इन क्षेत्रों को पूंजी तथा साधन उपलब्ध करने की सोचें जो राज्यों के पास सुलभ हैं। अतः, योजना आयोग के लिए यह उपयुक्त समय है कि वह सरकारी क्षेत्र, निजी अथवा निगमित क्षेत्र, स्व-नियोजित क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र सम्बन्धी प्राथमिकताओं का निर्धारण क्रमशः इसी तरह से करे। ऐसा समय भी था, यह काफी समय पहले की बात नहीं है जब अवादी कांग्रेस ने अपनी समाजवादी लोकतांत्रिक देश के पक्ष का समर्थन करने की घोषणा की थी। उस समय पंडित जवाहर लाल नेहरू तथा हम सभी ने जो समाजवादी हैं, यह कहा था कि हम एक सहकारी राष्ट्र मण्डल स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए हम एक ऐसे सहकारी समाजवादी देश, जो कि एक लोकतन्त्र हो, के बारे में विचार करें।

और एक बार यह लोकतन्त्र बन जाता है तो उसकी भी कुछ सीमाएं हैं। हमें सभी लोगों को अपने साथ ले कर चलना है। अलग-अलग राजनीतिक दलों के लिए एक दूसरे के साथ होड़ करना और एक दूसरे के साथ उस तरीके पर बहस करना जिससे लक्ष्य प्राप्त होना है, ठीक नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य गरीबी को समाप्त करना है और इस योजना का लक्ष्य 75% जनसंख्या की गरीबी समाप्त करना है। इस योजना के अन्त में 25% लोग ऐसे होंगे जो गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे होंगे। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेदार है। इसके

लिए किसकी प्रशंसा की जाए और किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? यदि विरोधी दल जब वे सत्ता में आते हैं इस विशेष योजना को इतने कारगर ढंग से लागू करते हैं कि वे इस कार्यक्रम को इन 25% गरीब लोगों तक ले जाते हैं और उनको गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने में अधिक से अधिक मदद करते हैं तो इस पर किस को आपत्ति हो सकती है। इसी प्रकार हमारा दल भी ऐसे ही प्रयास करेगा। और इन प्रयासों के लिए सहकारिता दृष्टिकोण सबसे बेहतर है और इसकी हर सम्भव प्रकार से सहायता की जानी चाहिए। वस्तुतः योजना आयोग ने स्वः रोजगार के महत्व को समझ लिया है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उसने इसे गलत सिरे से शुरू किया है, अर्थात् उसने शिक्षित लोगों—इन्जीनियरों डाक्टरों और उद्योग में प्रशिक्षण प्राप्त लोगों को स्वः नियोजित लोगों के रूप में लेना शुरू किया है। वह छोटे औद्योगिक एकक स्थापित करने में उनकी मदद करना चाहता है। यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। हमारे देश में पहले से ही स्व.नियोजित लोग हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में जहां उनकी संख्या केवल कुछ लाख है, को छोड़कर प्रत्येक राज्य में ऐसे लाखों लोग हैं। अतः हमारे योजनाकारों तथा हमारी सरकार को इस बात को पूरी तरह से ध्यान में रखना चाहिए।

अब मैं अन्य मुद्दे पर आता हूं। हमें इन सभी स्वःनियोजित लोगों के लिए कैसे कार्य करना है? उन पर अपेक्षाकृत कम नियन्त्रण होने चाहिए। सरकार को लाइसेन्स और नियन्त्रण तथा परमिट और इसी प्रकार के अन्य नियन्त्रण समाप्त करने चाहिए। इसी के लिए मैं लड़ता आ रहा हूं। जहां तक नियन्त्रण लाइसेन्स का प्रश्न है, इसे बहुत पहले, पूज्य राजा जी ने 'परमिट राज' कहा था जितना कम नियन्त्रण होगा, उतना ही अधिक उत्पादन तथा अधिक कार्य किया जाएगा। क्या कारण है कि हम नियन्त्रण नहीं चाहते? इन नियन्त्रणों को कौन लागू करेगा? मेरे विचार में बहुत से संसद सदस्य अथवा विधान-मण्डलों में विधायक अथवा मंत्री ऐसा नहीं करेंगे। अब सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों की बात है। प्रशासनिक अधिकारी भी अधिकारी नहीं है, लिपिक और अधीक्षक और एक-दो उच्च वर्ग के अधिकारी इसे करेंगे। हम जानते हैं कि वे सभी ईमानदार नहीं हैं। उनमें से बहुत से लोगों में जन-भावना नहीं है तथा उनमें से बहुत से समाज और सरकार के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में लापरवाही बरतते हैं तथा न तो मंत्री लोग और न ही उच्च पदों पर आसीन ये अधिकारी लोग उन पर पर्याप्त रूप से नियन्त्रण रख सके हैं। तो कौन उन पर नियन्त्रण रख सकता है? आम आदमी ऐसा कर सकता है, लेकिन उनकी मदद स्वैच्छिक संगठनों द्वारा की जानी होगी और यहां मैं अपने प्रधानमंत्री की सराहना अवश्य करूंगा कि किस प्रकार अभी हाल ही में वह वेज्ञिानिक उनके सम्मेलन में गए जिससे कि गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठन इस दिशा में प्रोत्साहित होकर आगे आएं तथा हमारे प्रशासन और हमारी सरकार के लिए कुल मिला कर सहायक हों।

मैं बिहार से अपने माननीय मित्र से जिन्होंने, अभी अपना भाषण दिया है, सहमत हूं। जब तक हम लोगों का सहयोग नहीं प्राप्त करते और यह सहयोग प्राप्त करके उन्हें यह नहीं सिखाते कि ठीक से कैसे व्यवहार करें कुछ भी नहीं किया जा सकता। उन्हें अपनी गांव पंचायतों, सहकारी संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों में अपने आप में ईमानदार होना चाहिए और फिर लोगों को प्रशासन से निपटने में सहायता करनी चाहिए। हमारे प्रशासन के सभी लिपिक और अन्य सम्बद्ध नीचे के लोगों को देखना होगा। जब तक हम ऐसा नहीं करते, हम अपने योजना निर्माताओं और सरकार की अपेक्षाओं के अनुरूप परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए मैं इस पर अत्यधिक जोर दे रहा हूं कि हमें अपने पहले के अपने भारत सेवक समाज के उत्साह को फिर से जगाना चाहिए। कितने दुख की बात है कि

गांधी शान्ति प्रतिष्ठान को भी राजनीतिक चर्चा का विषय बनाया गया है। इस प्रकार के अन्य संगठन जैसे कि 'रायल सीमा सेवा संघ' (आर० एस० एस०) और इस प्रकार के अन्य संगठनों की संख्या हमारे देश में बढ़ानी होगी। जो इस काम को करेंगे उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित करना होगा। दुर्भाग्य से, हमारे राजनीतिक विवादों के कारण उनमें से बहुत को कठिनाइयां हो रही हैं।

इस संगठनों से मजबूत होकर हमें प्राथमिक शिक्षा की ओर बढ़ना होगा। जहां तक प्राथमिक शिक्षा की बात है मैं इस योजना से सन्तुष्ट नहीं हूं। प्राथमिक शिक्षा के दो पहलू हैं : एक औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। अनौपचारिक शिक्षा का विकास बहुत ही जल्द, रेडियो और दूरदर्शन प्रसारण से किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए उन्हें रेडियो और टेलीविजन गांव पंचायतों और सहकारी समितियों को, जो हम अपने गांवों में बना रहे हैं, तथा उचित मूल्य दुकानों पर उपलब्ध कराने होंगे। फिर लोग वहां जाएंगे और सुन कर ज्ञान प्राप्त करेंगे और "श्रुत पण्डित" होंगे। रेडियो पर प्रसारित होने वाले इन शैक्षिक कार्यक्रमों से उन्हें ज्ञान प्राप्त होगा। इसी प्रकार दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से वह 'दृश्य पंडित' कहलाएंगे। इस प्रकार परम्परागत ज्ञान हम बहुत समय से सीखते आ रहे हैं। हमें नई मशीनों आदि से इन्हें आधुनिक करना होगा तथा हमें उस पहलू पर विशेष जोर देना होगा।

बहुत से लोग यह शिकायत करते हैं कि ऐसे स्कूल भी हैं जहां केवल एक ही अध्यापक है। मेरे विचार में एक अध्यापक का स्कूल फिर भी स्कूल बिल्कुल न होने से कहीं अच्छा है। हममें से बहुत ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई छोटी अवस्था में एक अध्यापक वाले स्थान से ही शुरू की होगी। इसलिए हमें इस दृष्टिकोण की निन्दा नहीं करनी चाहिए। फिर बड़ी इमारत होने की बात भी वह करते हैं। सभी स्थानों पर बड़ी-बड़ी इमारत बनाने की तो जरूरत भी नहीं है। लड़ाई के बाद के पहले पांच वर्षों में यहां तक कि यूरोप में भी विश्वविद्यालय स्तर तक उतने आवश्यक उपकरण उपलब्ध नहीं थे जितने कि उन्हें जरूरत थी। इस प्रकार यहां पर हमें इसके लिए तैयार होना होगा, अपने लोगों को प्रोत्साहित करना होगा कि वह स्कूल जाएं चाहे बड़ के पेड़ या पयाण के नीचे ही क्यों न बैठना पड़े। जहां कहीं भी कुछ खुली या सार्वजनिक जगह उपलब्ध हो, वहीं स्कूल बना ली जाए लेकिन स्कूल हो अवश्य। फिर अगर ज्यादा अध्यापकों का खर्च उठाया न जा सके फिर भी स्कूल अवश्य होना चाहिए चाहे केवल एक ही अध्यापक क्यों न हो। ऐसे बहुत से शिक्षित बेरोजगार लोग हैं। हम प्रधानमंत्री और मुख्य मंत्री की ओर से इन सभी शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को यह अपील कर सकते हैं कि वह इसके लिए आगे आएं तथा प्राथमिक स्कूल अध्यापक के लिए अपनी सेवाएं उपलब्ध कराएं, लेकिन हम उन्हें यह आश्वासन दें कि जब भी हम इस स्थिति में होंगे कि हमारे पास पर्याप्त निधि होगी, हम उन्हें नियमित अध्यापक बना देंगे, तो मुझे विश्वास है कि लाखों इसके लिए तैयार हो जाएंगे तथा उनकी सहायता से, प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में हम इस बारे में योजना निर्माताओं के अनुभव से कहीं अधिक गति से प्रगति कर सकते हैं।

यही बात आवास पर लागू होती है। हमें महंगे घर नहीं चाहिएं। ठीक है हमें शहरों में सीमेंट की पक्की इमारतें चाहिए वरना अगर वह गिरेंगी तो बहुत अधिक लोगों की जानें जा सकती हैं। लेकिन गांवों में हम घाटी की झोंपड़ियों में, जिन्हें मिट्टी से लेप कर मजबूत किया जाए, स्कूल चला सकते हैं। मिट्टी को गीला कर, महीन गारा बनायी जा सकता है, जैसा कि पहले जानवरों से कराया जाता था, तथा उस मिट्टी से हम दीवार बना सकते हैं तथा कच्ची ईंटों से भी हम दीवार बना सकते हैं और जहां सम्भव हो वहां पक्की ईंटों से, तथा सीमेंट के छत से हम काम चला सकते हैं।

सीमेंट पर इतना ज्यादा निर्भर होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आजकल, हर कोई सीमेंट ही चाहता है। अब क्योंकि सीमेंट पर्याप्त रूप में नहीं है अतः योजना निर्माता कह देते हैं कि वे योजना अवधि के भीतर अपनी जनता को आवास नहीं उपलब्ध करा सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० रंगा, अब जबकि हम इस समय सीमेंट का प्रयोग भी कर रहे हैं फिर भी आजकल की इमारतें गिर रही हैं। इसलिए, इस तरह की मिट्टी आदि से क्या होगा आप समझ सकते हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : मुझे मालूम है। 'धाटी' झोंपड़ियां भी गिरती हैं। फिर भी मद्रास शहर में भी लोग इनमें रहते ही हैं। वस्तुतः समूचे तमिलनाडु तथा आन्ध्र प्रदेश में गरीबी के लिए अधिकतर झोंपड़ियां तथा/अथवा मिट्टी की दीवारों से बने घर हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, यह लोगों पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार के घर बनाते हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : लोग इतने बेवकूफ नहीं हैं जब वह देखते हैं कि बरसात का मौसम आ रहा है, तो वह अपने उन घास-फूस के घरों से निकलकर कहीं और आश्रय स्थल देखते हैं, परन्तु हमें पहले ही शुरू करना चाहिए। आखिरकार, जब हमारे पास इस तरह के बड़े हाल हैं, तो इतनी प्रतीक्षा करने का क्या लाभ है? और इसके साथ ही हम बेरोजगार श्रमिकों के लिए कुछ नहीं करते।

हम मानव प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं। मेरे मित्र, श्री मधु दण्डवते ने इसका उल्लेख किया है तथा प्रधानमन्त्री जी भी इसी बारे में बात कर रहे हैं तथा इन्दिरा गांधी जी अक्सर जीवन के स्वरूप की बात करती थीं। लोगों के मन में जीवन का स्वरूप तभी ऊपर उठाया जा सकता है जब उनके आत्म-सम्मान तथा प्रतिष्ठा की भावना को ऊंचा किया जाए। यह लोग तभी ऊपर उठ पाएंगे जब यह लोग शिक्षित होंगे। मान लीजिए, आपके पिता अथवा मेरे पिता शिक्षित व्यक्ति होंगे, तो वह हमें अधिक प्रेरित कर सकेंगे जब हम छोटे बच्चे थे। परन्तु जब पिता अशिक्षित है, वह कमजोर हो जाता है, बौद्धिक दृष्टि से अविकसित हो जाता है, वह अपने बच्चों को उतनी प्रेरणा उतना प्रोत्साहन नहीं दे पाता। हमारे देश में आज आत्म-सम्मान की इस भावना की आवश्यकता है। अयः साक्षरता को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। साक्षरता को हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? सोवियत रूस को इसमें सफलता प्राप्त हो गई है, चीन को 10 वर्षों में सफलता प्राप्त हो गई है और यही कारण है कि हम लोग, जो संविधान सभा में काम करते हैं, को आशा है कि हम देश के लोगों को उत्साहित करने, उनका सहयोग प्राप्त करके अपने देश से 10 वर्षों में निरक्षरता को समाप्त करने में समर्थ होंगे। परन्तु एक बार सत्ता प्राप्त होने के बाद, हम सत्ता के लिए पागल हो गए, हम इनमें से बहुत सी बातें भूल गए तथा लोगों की भी इसमें रुचि नहीं रही, जिस रूप से समाज की प्रगति के लिए मिल कर कार्य करने की हम उन्हें सलाह दे रहे थे, क्योंकि लोग कहते थे: "सरकार यहां है जिसे लोगों के लिए सब कार्य करने हैं। अतः हम चिन्ता क्यों करें? दुर्भाग्यवश, सम्भवतः महात्मा गांधी की मृत्यु गलत समय पर हो गई। यदि आज महात्मा गांधी जिन्दा होते, तो आज स्थिति कुछ और होती। परन्तु अब इसका क्या फायदा? उसके पश्चात् श्रीमती इन्दिरा गांधी की मृत्यु हो गई और वह कमी कभी पूरी नहीं हो पाई। अब हमें अपने कार्य स्वयं करने हैं। इसलिए मैं आयोजकों तथा सरकार तथा राज्य सरकारों तथा लोगों से यह अपील करता हूं कि वह लोगों के लाभ (हित) की दृष्टि से इन

बातों की ओर देखें। यह क्या कार्य है जो हम कर सकते हैं ? इसलिए, महोदय मैं प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी को हमारे देश में नागरिक कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में हमारे संविधान में विशेष अध्याय जोड़ने के लिए विशेष श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहुत से लोग मूल अधिकारों पर बल देते हैं। निदेशात्मक सिद्धान्तों के सम्बन्ध में बहुत से लोग उन पर अत्यधिक जोर देते हैं। परन्तु यह लोग नागरिकों के कर्त्तव्यों सम्बन्धी अध्याय पर बात नहीं करते। हम नागरिकों के इन कर्त्तव्यों का प्रचार करते हैं तथा लोगों का सहयोग प्राप्त करते हैं। इसके लिए मैं सभी राजनैतिक दलों का पूर्ण सहयोग चाहता हूं न केवल इस प्रकार से जिस रूप में लोगों ने उन्हें संसद में भेजने के लिए उपयुक्त समझा अपितु उस शक्ति के रूप में जिसके द्वारा लोगों ने इन्हें वोट दिए। यह सदस्यों की वह संख्या नहीं है कि इन लोगों ने इन्हें प्रतिनिधि बनाया। यह उन लोगों के नाम से उन सभी लोगों की संख्या है, जिनका वह प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यही मामला हमारा भी है। हमें सारी जनता का सहयोग प्राप्त करना है। हम उनका सहयोग किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं ? हम एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। कांग्रेस दल को लोगों का सहयोग प्राप्त करने, इन कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए सभा में तथा सभा के बाहर भी सभी विरोधी दलों के साथ मुकाबला करने दीजिए। इन कार्यक्रमों में आवास तथा प्रारम्भिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम शामिल किए जाने चाहिए।

इसके बाद पीने के पानी का प्रश्न है। किसी सदस्य ने कहा था कि यहां बहुत से गांव ऐसे हैं जहां पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। अब स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। ऐसे कुछ राज्य हैं जहां लगभग सभी गांवों में पीने का पानी उपलब्ध है। कुछ राज्यों में, ऐसे गांव, जिनमें पीने का पानी उपलब्ध है, की प्रतिशतता बढ़ गई है। यह ग्रामीण वासी भी स्वच्छ पेय जल के बिना रहते हैं। उन्हें ऐसे रहना पड़ता है। हमें उनका सहयोग करना होगा तथा छेद करके कुएं बनाने तथा फिर साधारण कुएं बनाने के लिए उन्हें सभी प्रकार की सहायता देनी होगी। तथापि, हम उन्हें कुछ समय तक शुद्ध जल देने में समर्थ नहीं हो सकते।

हम प्रदूषण की बात करते हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि हमें प्रदूषण विरोधी आन्दोलन अवश्य चलाने चाहिए। इसके साथ ही, इन वर्षों में इस जल को पीकर जीवित है। बनारस में गन्गा नदी का जल प्रदूषित है। जो लोग इस पानी को पीते हैं, वह मरे नहीं हैं। यह जीने का एक 'उपाय' साधन है। हमें इस प्रकार की चीजों के साथ जीना सीखना होगा। अतः पीने के पानी को उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

इसके पश्चात् मैं संचार व्यवस्था के बारे में चर्चा करता हूं। उत्तर पूर्वी राज्यों को लीजिए। मैंने एक दिन हमारे योजना मंत्री, वित्त मंत्री तथा रेलवे मंत्री को भी एक नोट दिया था। यहां ऐसी राज्यों की राजधानियां तथा नगर हैं जिनका रेल द्वारा सम्पर्क स्थापित नहीं है, हमारे यहां के गांवों की बात तो की ही नहीं जा सकती। क्या हम इस प्रकार की स्थिति में सन्तुष्ट हो सकते हैं ? और अब हमारा असन्तोष कुछ रचनात्मक अवश्य होना चाहिए। अतः मैं रेल मंत्री जी से अपील करता हूं कि इसे भी उच्च प्राथमिकता दी जाए।

इसी के साथ ही हम अब सड़कों की बात करते हैं। बहुत से क्षेत्रों में सड़कें कहां हैं ? हमें हर सम्भव तरीके से नदियों, नालों तथा बड़े-बड़े नालों पर पुल अवश्य बनाने चाहिए। प्राइवेट लोगों को आने दीजिए, ठेकेदारों को पुल बनाने के लिए आगे आने दो और इसके बाद 5 अथवा 10 वर्षों तक उस पुल से गुजरने वाली सभी मोटर गाड़ियों से कर की वसूली करो। अमरीका में यह प्रयोग किया गया है। केनेडा में भी यह प्रयोग किया गया तथा बहुत अच्छे परिणाम निकले। हम इस प्रकार के

प्रयास क्यों नहीं करते ? इस प्रकार के रचनात्मक तथा सर्जनात्मक तरीकों से हम यह कार्य कर सकते हैं। वरन् तीव्र गति से प्रगति करना बहुत मुश्किल होगा।

अब पंचायती राज चर्चा करता हूं। मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि हमें इससे ऊपर उठना चाहिए। हां, हमें इससे ऊपर उठना चाहिए। इस बारे में हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। हम केवल राजनीति के लिए असहमत होते हैं।

इसे अब तक सफलता क्यों नहीं मिली ? क्योंकि अधिकांश लोग जातिवाद से ग्रस्त हो रहे हैं कुछ ऊंची जाति बोध से और दलित वर्ग अपने आप में ग्लानि से ग्रस्त हैं। यहां सामाजिक न्याय उन्हें अपनी पहचान कराने में सहायक होना है। इस सम्बन्ध में जयप्रकाश जी और मैं एकमत हैं। पंचायती राज में बहुमत अथवा अल्पमत नहीं होने चाहिए। हमें पंचायती राज के नेता का चुनाव निर्वाचन प्रक्रिया द्वारा योग्य उम्मीदवारों के पैनल का चुन करके करना चाहिए और तत्पश्चात् उनमें से आधे और 2/3 पर्चियां डाल कर चुनने चाहिए। इन 25 योग्य उम्मीदवारों में से आप 15 व्यक्ति चुन सकते हैं। इन 15 में से आप 5 स्थान पिछड़े वर्गों, हरिजन अथवा जन जाति के लोगों के लिए अलग रख सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : प्रो० रंगा, यह एक अच्छी प्रणाली है। इस प्रकार मतदान केन्द्र पर कब्जा करने की बात समाप्त हो जाएगी।

प्रो० एन० जी० रंगा : फिर भी मतदान केन्द्र पर कब्जा इसके कारण होता रहेगा कि हमारे लोग हमेशा सज्जन नहीं होते। कभी कभी वे वह शरारत कर ही लेते हैं। जो भी है, हमें इसे रोकने के लिए भी आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए। लेकिन इसी के साथ हमें हमारी बहुमत सरकार द्वारा अपनायी गई प्रक्रियाओं इसे होने वाले अनिष्टकारी कृत्यों को कम करना चाहिए। मतों का आधिक्य निरंकुश शासन होता है। इसका सुझाव यहां मैं विधानसभाओं और संसदों के लिए नहीं दे रहा हूं। लेकिन सहकारिता और गांव पंचायतों के लिए निश्चय ही हमें ऐसी प्रणाली अपनानी चाहिए।

हमारी जनता को शिक्षित करने के लिए हम संसद सदस्यों और अन्य विधायकों को कुछ सामाजिक कार्य भी करने चाहिए। हमें हरिजनों, जनजातीय लोगों और पिछड़े वर्गों के लोगों के साथ एक मानव की तरह व्यवहार करना भी सीखना चाहिए। हम उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। ऐसा करने के लिए योजना आयोग को कोई उपाय निकालना चाहिए जिसके द्वारा वे सम्भवत: वर्तमान और साथ ही साथ भविष्य में स्वयंसेवी संगठनों को प्रोत्साहम दे सकें।

अन्त में, मानव प्रतिष्ठा के प्रश्न को लेते हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस जीवन स्तर की हम बात कर रहे हैं। वह क्या हैं जो द्रविड़ मुनेत्र कडिगम (डी० एम० के०) ने संसद में प्रस्तुत किया है ? श्री ई० वी० रामास्वामी नाएकर किसलिए लड़ रहे हैं ? श्री वीरसलिगहम और अन्य सामाजिक सुधारकों ने किसलिए आवाज उठाई थी ? यद्यपि हमारा सारा समाज, हमारी सारी जनता हमारी जातियों, धर्मों और अन्य ऐसी बातों से बंटी हुई है, तथापि हमें एक-दूसरे के प्रति मानवता और समानता का व्यवहार करना सीखना चाहिए। हम ऐसा नहीं करते। हम अपनी संस्कृति, अतीत और शेष सभी प्रकार की बातें करते हैं। निश्चय ही इसमें बुराईयां हैं। हमें इन्हें समाप्त करना है। हमारी पुरानी संस्कृति में अनेक अच्छाइयां हैं। हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। एक बार इन्हें ढूंढने

के बाद हमें इन्हें कायम रखना चाहिए। यही हमारे दार्शनिकों ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अब मैं योजना आयोग पर आता हूं। उसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और सभी 120 विश्वविद्यालयों, जो हमारे यहां हैं, की सहायता से एक दूसरे के प्रति मानवता का व्यवहार करने में हमारी जनता की सहायता करने का प्रयास करना चाहिए और प्रत्येक मानव के साथ यदि संभव हो तो किसी अत्यधिक प्रिय व्यक्ति जैसा ईश्वर और इससे भी अधिक प्रिय जैसा व्यवहार करना चाहिए।

श्री कादम्बुर जनार्दनन (तिरुनेलवलि) : उपाध्यक्ष महोदय, सातवीं पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी चर्चा में भाग लेने का मुझे अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हम छठी पंचवर्षीय योजना में वृद्धि दर में अत्यधिक सफलता के अच्छे आधार के साथ, 2000 ई० सदी में नया भारत बनाने के लिए सातवीं योजना में प्रवेश कर रहे हैं।

छठी पंचवर्षीय योजना में प्राप्त 5.02% वृद्धि दर, हमारे ससाधनों की गतिशीलता और लक्ष्य को प्राप्त करने तथा उपलब्ध संसाधनों को उचित प्रयोग करने में मशीनों की क्षमता को दर्शाती है।

इस अवसर पर हमारे विद्वान प्रो० रंगा जी ने हमारे सामने आज के और पहले के भारत की चर्चा की है। इसी समय, हम प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर सातवीं पंचवर्षीय योजना तक दृष्टि डाल सकते हैं। हमारी योजनाओं में सबसे अधिक सफलता परिवार-नियोजन को मिली है।

प्रो० मधु दण्डवते : यह पंचवर्षीय योजना नहीं है।

श्री कादम्बुर जनार्दनन : यह नहीं है। लेकिन क्योंकि परिवार नियोजन के क्षेत्र में तमिलनाडु का स्थान प्रथम रहा है, इसलिए मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है।

हमें आशा करनी चाहिए कि हम सातवीं पंचवर्षीय योजना में भी 5% वृद्धि दर का अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। कहावत के अनुसार अच्छी प्रकार से शुरू किया गया कार्य आधा समाप्त हो जाता है। हमेशा अच्छे की आशा करनी चाहिए।

योजना का विकास केवल फैक्टरियों, बांधों और सड़कों पर ही नहीं होता बल्कि मूलत: विकास मनुष्य पर आधारित है। यही गांधी जी ने भी कहा था।

छह योजनाओं के समाप्त होने पर भी पहले दो उद्देश्य अभी प्राप्त करने शेष हैं, आयोजना के लाभ जनता तक पहुंचने चाहिए। कम से कम सातवीं योजना में हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यह जनता तक अवश्य पहुंचे।

सातवीं योजना की एक स्वागत योग्य महत्त्वपूर्ण बात यह है कि सरकारी क्षेत्र में ऊर्जा के लिए कुल परिव्यय का 30 प्रतिशत आबंटित किया गया है। ऊर्जा का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होने पर ही सातवीं योजना को सफल होने का एक आधार मिल सकेगा। इस प्रकार, सातवीं योजना में कुल परिव्यय का 30 प्रतिशत ऊर्जा के लिए आबंटित करना एक बहुत ही सुनियोजित उद्देश्य है। इसके पश्चात्, सातवीं योजना में प्रति व्यक्ति रखे गए लक्ष्य की भी सराहना करनी होगी। प्रति व्यक्ति आय जो इस समय 2616 रु० है 1989-90 तक बढ़ा कर 3207 रु० की जाएगी, खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति खपत जो इस समय 178 कि० ग्रा० है बढ़ाकर 19? कि० ग्रा० की जाएगी, इसके अलावा कपड़े की प्रति व्यक्ति खपत जो इस समय 16.6 मीटर है बढ़ाकर 17.85

मीटर की जाएगी, बिजली की प्रति व्यक्ति खपत, जो इस समय 226 किलोवाट है, बढ़ाकर 362 किलोवाट की जाएगी तथा गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों का प्रतिशत जो इस समय 37% है, कम करके 26 प्रतिशत किया जाएगा। अगर प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति खपत के दोनों लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाते हैं तो सातवीं योजना जन-समृद्धि की योजना होगी।

अगर हम पीछे के दशकों पर नजर डालें तो हम इसमें गर्व अनुभव करेंगे कि हमारे किसानों ने अपना कार्य बहुत ही सहनशीलता से और सहयोग देकर किया है। यह हमारे किसान भाई ही हैं जिन्होंने अनाज का उत्पादन, जो 1950-51 में 5 करोड़ 8 लाख टन होता था, अब बढ़ाकर 1984-85 में 15 करोड़ टन तक पहुंचा दिया है। लेकिन अब भी हमारे बहुत से किसान खाने और रहने की समस्या से जूझ रहे हैं। जैसा कि प्रो० रंगा ने बताया है, उन्होंने खून-पसीना बहाकर हमारे अनाज उत्पादन को आजादी के समय के उत्पादन से तिगुना कर दिया है जिसके लिए उन्होंने केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई गई योजनाओं का उपयोग किया और आज हमारी खाद्यान्न की स्थिति काफी सन्तोषजनक है। यहां तक कि बड़े-कम्यूनिस्ट देश भी अमरीका से अनाज खरीद रहे हैं और हम खाद्यान्न के मामले में आत्म-निर्भर हैं और इसका श्रेय हमारे देश के किसानों को ही मिलता है। श्री लाल बहादुर शास्त्री ने हमें 'जय जवान जय किसान' का नारा दिया था। सच में हमारे किसानों ने सराहनीय कार्य किया है और इस देश के लिए उन्होंने जो कुछ किया है, उसे हम नहीं भुला सकते। लेकिन हमने उन गरीब किसानों के लिए क्या किया है? सातवीं योजना में कृषि के लिए कितना परिव्यय रखा गया है? यह राशि केवल 10,573.62 करोड़ रु० की है जबकि छठी योजना में खर्च के लिए ही 7318 करोड़ रु० रखे गए थे। छठी योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 97,500 करोड़ रु० रखे गए थे। लेकिन सातवीं योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 1,80,000 करोड़ रु० का परिव्यय रखा गया है। सातवीं योजना में इसी अनुपात में कृषि के लिए परिव्यय 15,000 करोड़ रु० से कम नहीं होना चाहिए था। अगर सरकार इतना पैसा नहीं देती तो यह किसानों के प्रति, जिन्होंने देश में कृषि उत्पादन बढ़ाया है, अन्याय होगा। इसी समय मैं यह भी कहूंगा कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के लाभ अफसरशाही प्रशासन के कारण गरीब किसानों तक नहीं पहुंचे हैं। संसद में हम जो भी योजनाएं बनाते हैं इनको लागू करने की जिम्मेदारी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की है। अंग्रेजी शब्द में 'आई० सी० एफ० आफिसर' होते थे लेकिन अब भारतीय प्रशासनिक सेवा है। लेकिन यह अधिकारी सोचते हैं कि भारतीय प्रशासन के सर्वेसर्वा वही हैं। यह रवैया नहीं होना चाहिए। राजनीतिज्ञ योजनाएं और कार्यक्रम बनाते हैं लेकिन अगर अफसर लोग अपना रवैया बदलेंगे तभी योजनाएं सफल हो सकेंगी।

मैं कृषि परिव्यय की बात कर रहा था। हमारे किसानों को, खेती बाड़ी के लिए उचित राशि नहीं आबंटित की गई। सातवीं योजना में कृषि के लिए रखा गया परिव्यय बहुत कम है। इसे 15,000 करोड़ रु० से कम नहीं होना चाहिए।

अब फसल बीमे की बात आती है। वर्ष 1984 तक 6,92,000 हेक्टेयर भूमि फसल बीमे के अन्तर्गत लाई गई थी। भारत में 14 करोड़ 30 लाख हेक्टेयर भूमि पर खेती-बाड़ी होती है। यह फसल बीमा योजना हमारे किसानों के लिए बिल्कुल भी प्रोत्साहनकारी नहीं है। जैसे कि कहावत है, भारतीय बजट बरसात की स्थिति पर आधारित होता है। प्रो० मधु दण्डवते जी ने ठीक ही कहा है। कल भी हमारे माननीय प्रधान मन्त्री ने मानसून से होने वाले विनाश का जिक्र किया था। किसानों की भलाई के लिए फसल बीमा योजना चलाई जानी

चाहिए। सारे भारत में कम से कम 50% फसल को फसल बीमा योजना के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए। फसल बीमा योजना न केवल खाद्यान्नों पर लागू की जाए अपितु अनाज, कपास और अन्य फसल पर भी इसे लागू करना चाहिए। ऐसा करने पर ही किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा और सातवीं पंचवर्षीय योजना अपने आपमें सफल हो सकेगी और 2000 ई० सं० तक महान भारत के निर्माण में हम सफल हो सकेंगे।

कृषि उत्पादों की फसलों को अप्रत्याशित नुकसान से बचाने के लिए फसल बीमा का क्षेत्र काफी मात्रा में बढ़ाया जाना चाहिए। कृषि की जा रही भूमि का कम से कम 25% क्षेत्र इसके अन्तर्गत लाया जाना चाहिए।

मानसून से उत्पन्न पर्यावरण की स्थिति के अनुसार शुष्क भूमि पर खेती किए जाने एवं पहाड़ी भूमि पर खेती किए जाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

कपास के उत्पादन को प्रोत्साहन देना चाहिए क्योंकि कृषि पर आधारित यही एक ऐसा उत्पाद है जिसका कपड़ा उद्योग में पूरी तरह प्रयोग किया जाता है। अन्य कोई भी कृषि पर आधारित उत्पाद पूरी तरह उद्योग में काम में नहीं लाया जाता। इस प्रकार कपास के उत्पादन को अनाज के उत्पादन के समान प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कपास ही एक ऐसा कृषि पर आधारित उत्पाद है जिसका इस उद्योग में पूरी तरह उपयोग किया जाता है।

औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में हम यह चाहते हैं कि हम योजना के 8% के लक्ष्य को हासिल करें।

मुझे यह कहते हुए खेद है कि तमिलनाडु में सलेम इस्पात संयंत्र के लिए जितनी राशि आवंटित की गई है वह भिलाई, राउरकेला और बोकारो इस्पात संयंत्रों के लिए आवंटित राशि के अनुपात में नहीं है। मैं माननीय मन्त्री से यह अनुरोध करता हूं कि वह इस इस्पात संयंत्र के लिए और अधिक राशि आवंटित करें।

अभी भी हमारे पास उर्वरकों की कमी है। लेकिन 7वीं योजना में निर्माण की जाने वाली सभी 6 यूनिटें उत्तरी राज्यों में होंगी। दक्षिणी राज्यों में एक भी यूनिट नहीं खोली जा रही। दक्षिण के किसानों के लिए सन्तुलन की दृष्टि से यह ठीक नहीं है।

वर्ष 1967 से तमिलनाडु में केन्द्र सरकार द्वारा कोई भी भारी उद्योग नहीं लगाया गया। मैं अपने योग्य प्रधान मन्त्री से यह अनुरोध करूंगा कि वह सेतुसमुद्रम परियोजना को तमिलनाडु के लिए मंजूर करें। स्वतन्त्रता के बाद से ही तमिलनाडु के लोग इसके लिए कहते आए हैं। सेतुसमुद्रम परियोजना एक व्यावसायिक परियोजना है। इससे हमें अन्तर्देशीय परिवहन में काफी अधिक बचत होगी और तमिलनाडु में लाखों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

चूंकि समय कम है इसलिए, तमिलनाडु के माननीय सदस्यों द्वारा कई बार जो कुछ दोहराया गया है उसके विस्तार में जाए बिना मैं यह कहना चाहूंगा कि पूरे भारत में, परिवार नियोजन में हमारे द्वारा सबसे अधिक सफलता प्राप्त करने के पुरस्कार स्वरूप हमें सेतुसमुद्रम परियोजना की स्वीकृति दी जाए। इसे इस योजना में शामिल किया जाए। यह मेरा नम्र निवेदन है। इससे 2000 ई० सं० तक कलकत्ता और मद्रास बन्दरगाहों पर भीड़ भाड़ में कमी आएगी तथा तूतीकोरन बन्दरगाह अन्तर्राष्ट्रीय बन्दरगाहों में स्थान पा सकेगा।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर हमारे देश को विश्व में उद्योग के क्षेत्र में अगुवा होना है तो 2000 ई० सं० तक उद्योगों को बिजली की सप्लाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। हमारे किसानों को कृषि कार्यों के लिए एक दिन में कम से कम छः घण्टे तक लगातार बिजली की सप्लाई की जानी चाहिए। किसानों को बिजली की सप्लाई नियमित रूप से तथा लगातार की जानी चाहिए। अगर बिजली का उत्पादन प्रचुर मात्रा में किया जाए तो 2000 ई० सं० तक हम नए भारत का निर्माण करने में सक्षम हो सकेंगे।

अन्त में, समाप्त करने से पूर्व मैं पंचायत स्तर पर जाति प्रथा के बारे में प्रो० रंगा जी के मत के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा। अन्ना के समय में, पोरर निर्वाचन क्षेत्र में श्री श्रीनिवासन, एक हिन्दू मछुआरे उम्मीदवार थे। उनके परिवार के पांच सदस्य उनकी जाति के थे। अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवार के होते हुए हम उस चुनाव में विजयी हुए थे। अन्ना और पेरियार जैसे महान व्यक्तियों ने हमें मजबूत राजनीतिज्ञ होना सिखाया और अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवार को चुनाव में खड़ा होना सिखाया। अगर हम सभी यह रवैया अपनाएं तो भारत में जाति प्रथा दूर हो सकेगी।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद

3.01 म० प०

[श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए]

डा० फूलरेणु गुहा (कन्टई) : महोदय, मैं सातवीं पंचवर्षीय योजना का समर्थन करता हूं। मुझे इसकी जानकारी है कि हमारे यहां निधियों की कमी है और इस प्रकार हम अपनी इच्छानुसार योजनाएं तैयार नहीं कर सकते। इसी प्रकार, सभा का समय भी इतना सीमित है कि हम इस दस्तावेज में अपने को पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर पाते।

योजना दस्तावेज के द्वारा हमारी आर्थिक प्रगति और सामाजिक दायित्वों की तस्वीर स्पष्ट होती है। योजना देश के विकास के लिए होती है। मैं जानता हूं कि हमारे यहां संसाधनों की कमी है। दुर्भाग्य से हमें रक्षा पर काफी अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है। अगर ऐसी परिस्थितियां न होतीं जैसी कि इस समय हैं तो मुझे विश्वास है कि हम यह पैसा विकास कार्यों में लगा सकते थे और हम गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या और कम कर सकते थे। लेकिन दुर्भाग्य से आज देश में ऐसी स्थिति नहीं है।

इन सब सीमाओं के बावजूद भी मैं कुछ क्षेत्रों का उल्लेख करूंगा जिन पर विचार किए जाने की जरूरत है। इस दस्तावेज में बाल श्रमिक और बन्धुवा मजदूरी को समाप्त किए जाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया। हम सभी इस बात से परेशान हैं कि अब भी बन्धुवा मजदूरी विद्यमान हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि बन्धुवा मजदूर विधेयक पर संसद में संशोधन लाया जा रहा है और इसे समाप्त करने अथवा इसमें कमी लाने सम्बन्धी विधान अनिवार्य रूप से लाया जा रहा है, लेकिन साथ ही हम यह जानते हैं कि जब तक एक सुनियोजित कार्यक्रम नहीं बनाया जाएगा, इस दिशा में कुछ भी नहीं किया जा सकता।

बन्धुआ मजदूरी को समाप्त करने के लिए कार्यक्रम बनाए जाने चाहिएं। मेरा यह दृढ़ सुझाव है कि देश में एक निश्चित अवधि में बाल श्रम को समाप्त करने के लिए विस्तृत योजना

अवश्य बनाई जानी चाहिए। जब तक कि एक निश्चित समय सीमा नहीं निर्धारित की जाती, तब तक बाल श्रम को समाप्त करना आसान नहीं है। हमें अवश्य ही यह योजना बनानी चाहिए तथा हम सबको मिलकर कार्य करना चाहिए कि कुछ वर्षों में बाल श्रम समाप्त हो जाए। मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि इस कार्य के लिए देश के सभी स्वैच्छिक संगठनों की सहायता भी ली जानी चाहिए।

अब, मैं सूखे के बारे में कुछ शब्द कहता हूं। जहां तक मैं समझता हूं कि इसके लिए एक योजना है तथा बाढ़ नियन्त्रण के लिए धनराशि आबंटित की गई है परन्तु सूखे के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। हमारे देश के कुछ भाग प्रतिवर्ष सूखे से प्रभावित होते हैं। अतः सूखाग्रस्त क्षेत्रों को सामान्य क्षेत्रों में परिवर्तित करने के लिए योजना होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि पश्चिमी बंगाल का कुछ भाग सूखे से प्रभावित है।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

डा० फूलरेणु गुहा : मैं यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यद्यपि हमारे यहां पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होता है फिर भी हमारी वितरण प्रणाली दोषपूर्ण है। हमारे सम्पूर्ण देश में पर्याप्त मात्रा में कृषि उत्पादन होता है, परन्तु हम देखते हैं कि हमारे यहां के बहुत से लोगों को दो वक्त का भोजन भी प्राप्त नहीं होता। क्योंकि समय नहीं है इसलिए मैं विस्तार से नहीं बता सकती। परन्तु मेरा सुझाव है कि एक योजना बनाई जानी चाहिए ताकि प्रत्येक भारतवासी को दिन में दो बार भोजन प्राप्त हो सके। ऐसा किया जा सकता है और हमें यह योजना बनाने के लिए कुछ समय लगाना होगा।

पश्चिम बंगाल में, मिदनापुर क्षेत्र में उपजाऊ भूमि है। यदि इस क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था हो तो हमारे देश के इस भाग में देश के लिए पर्याप्त मात्रा में अन्न उपजाया जा सकता है तथा इस क्षेत्र के लोग भी आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न हो सकते हैं।

जब कोई विशिष्ट योजना बनाई जाती है अथवा स्वीकृत की जाती है, मेरा विश्वास है कि उस योजना पर केवल इस दृष्टि से विचार नहीं किया जाता है कि क्या यह योजना व्यवहार्य है अथवा नहीं, कुछ मानवीय दृष्टिकोण से भी विचार किया जाना होता है। पश्चिमी बंगाल में 'कन्टेई' नामक स्थान है जहां विभिन्न स्थानों से बसें आती हैं और आपको यह देखकर हैरानी होगी कि बस के अन्दर बैठे लोगों की अपेक्षा कहीं अधिक लोग बस की छत पर बैठकर यात्रा करते हैं। वह अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रा करते हैं। पिछले वर्ष कन्टेई-डिग रेलवे लाइन का उद्घाटन किया गया, भूमि का अधिग्रहण किया गया तथा कार्यालय भी खोला गया। हम समझते हैं कि इस वर्ष, योजना आयोग द्वारा योजना को स्वीकृत नहीं किया गया क्योंकि वह कुछ मामलों के बारे में आश्वस्त नहीं थे। उस क्षेत्र के लोग अपने उत्पाद अन्य क्षेत्रों में आसानी से नहीं भेज सकते। बसों के किराये रेलवे के किराये की अपेक्षा कहीं अधिक हैं। 'डिग' एक पर्यटक स्थल है तथा 'डिग' में एक मत्स्य संग्रहालय बनाया जा रहा है। यदि रेलवे द्वारा इसका सम्पर्क स्थापित नहीं किया जाता, तो लोग वहां कैसे पहुंच पाएंगे? 'डिग' समुद्र के किनारे है। पश्चिम बंगाल, असम तथा पूर्वी भारत के लोगों को समुद्र तट पर आनन्द प्राप्त करने का अधिकार है। इस मामले में मानवीय महत्व की दृष्टि से भी विचार करना आवश्यक है। मेरा अनुरोध है कि आप योजना आयोग से इस परियोजना को स्वीकृति देने के लिए कहें।

अन्त में, केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी भी राज्य को जो भी धनराशि आबंटित की जाए, केन्द्र सरकार यह अवश्य देखे कि राज्य सरकार द्वारा उस धनराशि को खर्च किया जाए तथा वर्ष के अन्त में उस धनराशि को वापिस नहीं किया जाए।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही (बेगुसराय) : सभापति महोदय, पंचवर्षीय योजनाएं हमारे राष्ट्रीय विकास का मुख्य अंग है इसलिए अगले पांच वर्षों में जो आने वाला है, उसमें हमारे क्या लक्ष्य होंगे, क्या हमारी प्राथमिकताएं होंगी—यह सब इस माध्यम से हम जनता को बताते हैं। उनको इसकी जानकारी इस माध्यम से दी जाती है। हमारी सरकार ने जो सप्तम पंचवर्षीय योजना बनाई है उसके परिश्रम के लिए मैं उसको बहुत धन्यवाद देती हूं। हमारे राज्य मन्त्री ने काफी मेहनत करके इसको बनाया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है—गरीबी को कम करना और जीवन-स्तर को ऊपर उठाना। यदि यह मंशा नहीं रहती, यदि यह उद्देश्य नहीं रहता तो हमारे प्रधान मन्त्री मध्य प्रदेश, राजस्थान के गांवों में दूर-दूर तक जाकर उनकी तकलीफों को, उनकी हकीकतों को, वास्तविकता को जानने का प्रयास नहीं करते कि कहां हमारी त्रुटियां रही हैं जिनको हम दूर करके आगे भविष्य सुन्दर बना सकते हैं। माननीय सदस्य, प्रो० मधु दण्डवते जी, हमारे बहुत अनुभवी सदस्य हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आंकड़ों का जाल ही बिछाया गया है—उनकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। मैं उनसे ही जानना चाहती हूं कि क्या ये आंकड़ों के जाल हैं या वास्तविकता है कि 1950-51 में हमारी प्रति व्यक्ति आय 466 रु० थी, जो 1970-71 में बढ़ कर 632 रु० 80 पै० हो गई और 1983-84 में 748 रु० से भी अधिक हो गई है। इसी प्रकार हम इस बात से भी इन्कार नहीं कर सकते हैं कि हमारी उपलब्धियां विश्व को चकाचौंध कर रही हैं और वे लोग भी हमारी तरफ निगाह उठाकर देख रहे हैं। इसी प्रकार 1951-52 में हमारे खाद्यान्न का उत्पादन 52.8 मिलियन मिट्रिक टन था, जो कि 1983-84 में बढ़कर 149 से लेकर 154 मिलियन मिट्रिक टन तक पहुंच गया है। अन्न के मामले में हम आत्म-निर्भर हो गए हैं। फिर भी मैं यह नहीं कह सकती कि मैंने बहुत कुछ पा लिया है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैंने कुछ नहीं पाया है। इसी प्रकार आप देखें, विश्व में चाय के कुल उत्पादन का 30 प्रतिशत उत्पादन हमारे यहां होता है। तम्बाकू और कपास के मामले में भी विश्व के उत्पादन का दस प्रतिशत हमारे भारतवर्ष में होता है। सीमेंट, आयरन और मैंगनीज इत्यादि का उत्पादन भी सन्तोषजनक है। विश्व के नक्शे पर औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में भारतवर्ष का नाम लिस्ट में ऊपर की ओर आता है। सबसे ज्यादा उपलब्धि हमारी पेट्रोलियम के क्षेत्र में हुई है। 1980-81 में पेट्रोलियम की खपत का 66 प्रतिशत हमें आयात करना पड़ता था, लेकिन 1983-84 में हम सिर्फ 27 प्रतिशत ही आयात कर रहे हैं। इसी प्रकार गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वालों की संख्या में भी गिरावट आई है। हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कुछ भी नहीं किया है। इस पर दण्डवते जी द्वारा कहना कि सातवीं पंचवर्षीय योजना को नीति पत्र के आधार पर बदल दिया गया है, यह उनका कहना उचित नहीं है। बुनियाद तो वही है, सिद्धान्त हमारे वही हैं, आदर्श हमारे वही हैं, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है लेकिन हमारे प्रधान मन्त्री जी ने एक नई दिशा दी है, एक नया दृष्टिकोण दिया है, एक मानवीय दृष्टिकोण दिया है। उन्होंने कहा है कि विकास का अर्थ केवल कारखाने, बांध और सड़क नहीं होता है, विकास इंसान और समाज का उत्थान है। इसके लक्ष्य जनता के भौतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परिपूर्णता है। कहने का

अर्थ यह है कि विकास का अर्थ हम बहुधा आर्थिक क्षेत्र में प्रगति को ही ले लेते हैं। विकास का अर्थ व्यापक क्षेत्र में होता है। इसके अन्तर्गत चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो—सभी क्षेत्रों में दृष्टि डालेंगे तभी वास्तविक रूप से हमारे विकास का आधार बन सकता है। आज जब हम योजना पर बोल रहे हैं, तो मैं मन्त्री जी से कहना चाहूंगी कि हम मुख्य उद्देश्यों को परिपूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, हम क्षेत्रीय विषमताओं को दूर नहीं कर पा रहे हैं। इसको करने के लिए हमें प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन करने की जरूरत है। नीतियां हमारी बहुत सुन्दर हैं। पंचवर्षीय योजना के हमारे जो लक्ष्य हैं, जो आदर्श हैं, और क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के लिए आपको प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन करना होगा। विरासत में हम लोगों को जो अंग्रेजों से मिला है, वह बिल्कुल गलत है। आप जो योजनाएं बनाते हैं, वहां जो प्रशासक हैं, उनको व्यावहारिक ज्ञान नहीं होता है, वे गावों में नहीं जाते हैं, वहां की कठिनाई से वाकिफ नहीं होते हैं, तो विकास कैसे होगा। किसी भी विकास कार्य के लिए संचिका को एक टेबल से दूसरी टेबिल पर जाने में बहुत समय लगता है। इसलिए मैं यह कहना चाहती हूं कि बहुत सारे हमारे जो विकास के कार्य अधूरे पड़े हुए हैं, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमारी जो अधूरी योजनाएं हैं, उनको पूरा किया जाए। अभी-अभी हमारे दूसरे साथी ने कहा है कि बिहार में हमारी स्थिति बहुत खराब है। इसलिए मैं आपके सामने यह सुझाव रखूंगी कि शासकीय व्यवस्था में सुधार किया जाए और अधिक संसाधन जुटाने के लिए जो गरीब राज्य हैं, उनको तरीके बताए जाएं कि कैसे अधिक साधन जुटाए जाएं। दूसरे इन्फ्रास्ट्रक्चर पर जोर देना है और एक टाइप-बाउन्ड प्रोग्राम को करना है और तभी हमारी योजनाएं सफल हो सकती हैं। सबसे पहले हमें प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री मोहम्मद अयूब खां (झुन्झुनू) : सभापति महोदय, मैं सातवीं पंचवर्षीय योजना का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और मैं इस प्लान का तहेदिल से समर्थन करता हूं।

किसी भी आबजेक्ट को हासिल करने के लिए, किसी भी आपरेशन को कामयाब बनाने के लिए उसका दारोमदार प्लानिंग पर होता है और जब प्लानिंग बेहतरीन तरीके से बनती है, तो उसमें कामयाबी भी बेहतरीन तरीके से होती है। इसकी तारीफ जितनी की जाए, उतनी थोड़ी है लेकिन मैं अपने क्षेत्र और अपने प्रदेश राजस्थान के बारे में कुछ सुझाव देने के लिए गुजारिश करूंगा। राजस्थान में झुन्झुनू निर्वाचन क्षेत्र से मैं आता हूं। यहां के लोगों की एक खसूसियत यह है कि जब आजादी की जंग लड़ी जा रही थी, तो यहीं के लोगों ने 'इन्कलाब जिन्दाबाद', 'करो या मरो' और 'बन्देमातरम' के नारों से अंग्रेजों के दिलों को हिलाया था। यहीं के लोगों ने अपने मादरे-वतन की सरहदों की हिफाजत के लिए सबसे ज्यादा सैनिक भेजे। इसी झुन्झुनू क्षेत्र से हमारे मुल्क के जितने धनिष्ठ लोग हैं, उनका 40 परसेन्ट इसी क्षेत्र से आता है लेकिन इस सबके बावजूद वहां के लोग दो बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। इतने दिन बीत जाने के बावजूद भी वहां खून सस्ता है और पानी महंगा। यह वहां की खास बात है। तो मेरा कहना यह है कि वहां के लोगों के लिए पीने के पानी का जरूर बन्दोबस्त किया जाए। इन्दिरा नहर हमारे यहां तारा नगर तक पहुंच चुकी है। उसको झुन्झुनू तक पाइप के जरिये ले जाया जा सकता है। उससे सबको पानी मिल सकता है। चुरू का इलाका भी पानी के लिए तरस रहा है और उसी के साथ झुन्झुनू का इलाका है। मेरी गुजारिश होगी कि उस इलाके को मद्देनजर रखते हुए, वहां के सैनिकों को मद्देनजर रखते हुए, उन आजादी

के मतवालों को मद्देनजर रखते हुए, उस इलाके के लोगों की पानी की प्यास जो सदियों से बुझी नहीं है और वे पानी के लिए तड़प रहे हैं, उस प्यास को बुझाने के लिए पानी का बन्दोबस्त किया जाए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि झुन्झुनू क्षेत्र में, जो फौजियों का इलाका है, कम से कम एक टी० वी० टावर का बन्दोबस्त किया जाए, ताकि वे लोग भी देख सकें कि मुल्क के दूसरे हिस्सों में कितनी तरक्की हो रही है और साइंस और टैक्नोलाजी की तरक्की भी वे लोग देख सकें और यह देख सकें कि हमारा मुल्क कहां जा रहा है। इसलिए मैं यह दरखवास्त करूंगा कि झुन्झुनू के लिए टी० वी० टावर का बन्दोबस्त हो।

तीसरी बात यह कहना चाहता हूं कि वहां पर एक स्टेडियम का बन्दोबस्त हो। वहां के लोग फुटबाल के बेहतरीन स्पोर्ट्समैन हैं। वहां के लिए एक स्टेडियम के लिए प्रावधान किया जाए।

चौथी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी जमाने में जो रेल बनी थीं, उसके अलावा आज तक उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। मेरे झुन्झुनू क्षेत्र में खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र है। वहां पर एक मालगाड़ी रोजाना डाबरा से सिंघाना तक आती है। मेरी गुजारिश है कि अगर पूरी ट्रेन न लगाई जाए, तो सवारी गाड़ी के 5, 6 डिब्बे लगाए जाएं ताकि लोग रेल की सुविधा प्राप्त कर सकें और उस क्षेत्र के लोगों को फायदा पहुंच सके। दूसरे मेरा कहना यह है कि हमारे यहां उदयपुर वाटी है, जो आज तक रेलों से वंचित है। अगर नीम का थाना, उदयपुर वाटी, सीकर और झुन्झुनू से उदयपुर वाटी को मिला दिया जाए, तो वहां के लोगों ने जो आज तक ट्रेन नहीं देखी है, वे कम से कम ट्रेन देख लेंगे और उनको सवारी गाड़ी की सुविधा भी मिल जाएगी।

उस इलाके के लोगों के लिए आप एक सैनिक स्कूल का भी बन्दोबस्त कीजिए ताकि वहां के लोग भी अच्छी तालीम हासिल कर सकें। उस पूरे इलाके में कोई गवर्नमेंट कालिज नहीं है। वहां पर गवर्नमेंट कालिज के साथ-साथ एक एग्रीकल्चरल कालिज भी खोला जाए। वहां एक सैनिक स्कूल की भी व्यवस्था हो।

वहां के लिए यातायात की भी अच्छी व्यवस्था हो ताकि वहां के लोगों को आने-जाने की सहुलियत हो। उस इलाके को वायुदूत की सर्विस से जोड़ा जाए।

वहां के किसानों को बिजली बहुत कम मिलती है। जो बिजली मिलती भी है उस पर टैक्स बहुत लगता है। वहां के किसानों की हालत बहुत खराब है। वहां पीने का पानी नहीं है, खाने को नहीं है। वहां बिजली के ऊपर इतना कर लगता है कि वहां के किसान की कमर टूट गई है। इसलिए मेरी दरखवास्त है कि इस अकाल की स्थिति में राजस्थान के उन इलाकों को बिजली दें और बिना कर के दें ताकि जो इस वक्त उन पर बोझ पड़ा हुआ है उससे उनको मुक्ति मिल सके। इससे वहां के किसान चैन की सांस ले सकेंगे। बिजली पर इतना कर है कि उसका बोझ वे बर्दाश्त नहीं कर सकते।

वहां कुओं में पानी की सतह बहुत नीचे है। यह वहां बारिश न होने की वजह से है। इसलिए आप वहां के किसानों को बिजली पूरे टाईम दें और बिना कर के दें जिससे इस भयंकर अकाल की स्थिति में उन्हें राहत मिल सके। वहां के किसानों को खाद्य और बीज जो मिलता है, वह भी फ्री मिलना चाहिए।

जिस तरह से आपने बैंकों के अकाऊंट की पास बुक बना रखी है उसी तरह से आप किसानों के लिए उनकी जमीन की भी पास बुक बनाएं जिससे कि वे पास बुक को ले जाकर के बैंकों से लोन ले सकें और बैंकों के करप्शन और बिचौलियों से वे बच सकें। किसान जो लोन बैंक से लें, उसकी जो किस्त जमा कराये वह उस पास बुक में लिखी जाए। यह मेरा सुझाव है।

बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर का इलाका बार्डर का इलाका है। वहां एक हिस्से से दुसरे हिस्से तक पानी की तलाश में लोगों के काफिले के काफिले निकल पड़ते हैं। उन्हें पानी के लिए 20 से 25 किलोमीटर तक जाना पड़ता है। वहां के लिए पानी का इन्तजाम होना चाहिए ताकि लोगों को नजदीक में ही पानी मिल जाए।

वहां की गाय बेहतर किस्म की गाय होती है और उसको लोग पवित्र मानते हैं। उन गायों को खाने के लिए चारा नहीं मुनहस्सर हो रहा है। आप वहां पर पानी के लिए और फोडर के लिए जगह-जगह प्वाएंट बनाइये, जिससे वहां की गाय और पशुओं की हिफाजत हो सके। वहां आप जगह जगह राशन के डिपो खोलिए। वह एक सेन्सिटिव इलाका है और बार्डर पर पड़ता है इसलिए यह सब वहां के लिए बहुत जरूरी है। वहां इन सब चीजों क बन्दोबस्त कीजिए, ये मेरे सुझाव हैं।

इर लफ्जों के साथ मैं इस प्लान का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : सातवीं पंचवर्षीय योजना में पूर्ण पाठ का अध्ययन करते समय केवल मेरे मन में ही नहीं अपितु करोड़ों भारतीयों के मन में निराशा उत्पन्न हुई है क्योंकि इस योजना को सरकार द्वारा पूर्ण रूप से स्वीकार करने के बाद ही इसे संसद के समक्ष लाया गया है। इसमें एक निश्चित समय लग गया है। इस योजना को सर्वप्रथम संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए था और तत्पश्चात इसे स्वीकृति दी जानी चाहिए थी।

क्या मैं मन्त्री महोदय से पूछ सकता हूं कि वह योजना की मध्यावधि पुनरीक्षा करने के लिए इन मामलों पर चर्चा करने जा रहे हैं। यदि नहीं, तो इससे केवल हमारे विचार दर्ज ही हो पायेंगे और इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैं बहुत हतोत्साहित हुआ था और मैंने महसूस किया कि योजना प्रस्तावों को अन्तिम रूप देते समय, कुछ और ध्यान दिया जाना चाहिए था।

गत चार वर्षों में पंजाब को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। इस सारी अवधि में पंजाब ने एक अशांत स्थिति का सामना किया है। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि पंजाब समस्याओं की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि उन्हें सारे प्रस्ताव पर एक मध्यावधि पुनरीक्षा करनी चाहिए और पंजाब के सम्बन्ध में निम्नलिखित कदम तुरन्त उठाये जाने चाहिए। पंजाब को एक विशेष मामले के रूप में लिया जाना चाहिए क्योंकि अध्ययन करते समय मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आयोजना प्रस्तावों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं को अधिक महत्त्व दिया गया है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं को वापिस ले लें और सरकार को राज्यों को सीधे सहायता देनी चाहिए ताकि वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार आगे योजना बना सकें।

कृषि क्षेत्र के सम्बन्ध में पारस्परिक दृष्टिकोण को अपनाया गया है। उदाहरण के तौर पर अधिक पैदावार वाले क्षेत्रों की, जो देश के खाद्यान्न भंडार में योगदान दे रहे हैं, उपेक्षा

की गई है और राज्यों में खाद्यान्नों की मात्रा बढ़ाने के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है । इस समय पंजाब में लगभग 93 लाख टन खाद्यान्न जमा है । यह देश के खाद्यान्न के बफर स्टाक का लगभग 1/3 भाग है । इसमें से लगभग 40 लाख टन खाद्यान्न को खुले में पालीथीन से कवर करके रखा गया है और 15 लाख टन खाद्यान्न दो से तीन वर्ष पुराना है । आप स्थिति की गम्भीरता पर ध्यान दीजिये । पंजाब में 93 लाख टन खाद्यान्न खुले में पड़ा है । ऐसी स्थिति में, अधिक उत्पादन क्षमता, जिस पर योजना दस्तावेजों में बार-बार जोर दिया जा रहा है, अपना महत्व खो देती है । अत: मैं सुझाव दूंगा कि इस क्षेत्र की योजना की पूर्ण रूप से पुन: जांच हड़ताल की जानी चाहिए और उन राज्यों की समस्याओं को, जो देश के खाद्यान्न के स्टाक के लिए अधिक से अधिक योगदान दे रहे हैं, स्थानीय समस्याओं के रूप में नहीं मानना चाहिए । यह एक राष्ट्रीय समस्या है ।

ग्रामीण नवयुवकों के रोजगार के बारे के कुछ भी नहीं कहा गया है । ग्रामीण नवयुवकों की बेरोजगारी भी समस्या है । सरकार को ग्रामीण युवकों के लिए 80 प्रतिशत नौकरियां आरक्षित करनी चाहिए क्योंकि असमान परिस्थितियों में समान अवसर की बात करना एक बहुत बड़ा चकमा देना है । मैं दुबारा इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि पंजाब के मामले में अतिरिक्त संसधान जुटाये जाने हैं । देश में इस समयअतिरिक्त संसाधन 3.1 प्रतिशत है जबकि पंजाब के लिए 6.1 संसाधन जुटाने को कहा गया है । अर्थात जो राष्ट्रीय स्तर से दुगुना है । एक और बात यह है कि गरीबी की रेखा से नीचे वाले राज्यों को बजट का 20 प्रतिशत आवंटित किया गया है । यदि ऐसा है तो पंजाब को कुल बजट के इस 20 प्रतिशत में से कुछ नहीं मिलेगा ।

मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि विद्युत उत्पन्न करने में पंजाब की सहायता हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने चाहिए । पंजाब का राष्ट्रीय पूल में 65 प्रतिशत का योगदान है । पंजाब की बिजली किसानों को मिलती है लेकिन पंजाब को इस बिजली के बदले कुछ नहीं मिलता है । भारत सरकार को इस सम्बन्ध में कुछ करना चाहिए । पंजाब में पन-बिजली की संभावनाओं के विकास के लिए कारगर और अविलम्ब कदम उठाये जाने चाहिए ताकि 2,55,000 डीजल से चलने वाले ट्यूबवैलों को बिजली के अन्तर्गत लाया जा सके । इसके पश्चात पंजाब में एक नंगल उर्वरक फैक्टरी है जो विद्युत पैदा करने का एक मुख्य भाग है । नंगल उर्वरक संयंत्र का विद्युत पर आधारित भाग तथा भारी जल प्लांट हमारी उपलब्ध सीमित शक्ति काफी व्यय हो जाती है । इसके अतिरिक्त नंगल उर्वरक प्लांट इस बिजली के लिए 8.23 पैसे प्रति यूनिट की दर से भुगतान करता है जो कि बहुत कम है । अत: आपसे अनुरोध है कि या तो इस संयंत्र को अपना एक धारक विद्युत क्षमता वाला प्लांट संयंत्र लगाना चाहिए जैसा कि आन्ध्र प्रदेश के मामले में हुआ है अथवा नंगल संयंत्र द्वारा प्राप्त की गई बिजली के बराबर अतिरिक्त क्षमता का संयंत्र प्लांट लगाने के लिए पंजाब को अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई जानी चाहिए ।

सभापति महोदय : कृपया आप अपना भाषण समाप्त कीजिये ।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : अन्त में मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि पंजाब एक संवेदनशील सीमा है । अत: पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों की समस्याओं की तरफ ध्यान देने के लिए पर्याप्त मात्रा में धनराशि आवंटित की जानी चाहिए ।

श्री बल्लभ पाण्डेय (देवगढ़) : अध्यक्ष महोदय, सातवीं पंचवर्षीय योजना के इस दस्ता-

वेज के संबंध में महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए अवसर देने पर मैं आपका आभारी हूं जो कि योजना मंत्रालय के प्रभारी मन्त्री द्वारा इस सभा में प्रस्तुत किया गया है । कुछ कहने से पहले मैं आधुनिक भारत के निर्माता स्वर्गीय प्रधान मन्त्री, पंडित जवाहर लाल नेहरू की पुण्य स्मृति में श्रद्धांजलि देना चाहूंगा जिन्होंने इस योजना की प्रक्रिया को शुरू किया था और 1951-52 से लेकर अभी तक हमने 6 योजनाएं पूरी की हैं और अब हम 7वीं योजना शुरू करने जा रहे हैं । अतः पिछले 35 वर्षों के दौरान हमने इस योजना में काफी प्रगति की है अर्थात पिछली छः पंचवर्षीय योजनाओं में हमने वास्तव में काफी प्रगति की है । मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि हमारे विरोधी माननीय सदस्य इस बात की आलोचना कैसे कर रहे हैं और यह कर रहे हैं कि भारत में योजना तथा नीतियों में सफलता प्राप्त नहीं हुई है ।

यहां पर दिये गये आंकड़ों के संबंध में मेरे पास कुछ उदाहरण हैं । मैं उनका यहां पर उल्लेख करना चाहूंगा कि किस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में हमारी शानदार प्रगति हुई है । कृषि के क्षेत्र में 1951-52 में हमारा उत्पादन केवल 55 मिलियन टन था और अब यह उत्पादन बढ़कर 153 मिलियन टन हो गया है । उर्वरक के क्षेत्र में भी वर्ष 1951-52 के 1.8 मिलियन टन के मुकाबले आज उत्पादन 5.8 मिलियन टन है । इस्पात के मामले में इस समय 61 लाख टन उत्पादन हो रहा है जबकि पहली पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में यह उत्पादन 10 लाख 40 हजार टन था । सीमेंट का उत्पादन 2.7 मिलियन टन की अपेक्षा 271 लाख टन एवं कोयले का उत्पादन जो एक समय 325 लाख टन था अब 1449 लाख टन हो रहा है । आयातित तेल पर हमारी निर्भरता जो उस समय 56 प्रतिशत थी 1984 में कम होकर 31 प्रतिशत रह गई है । विशेषतया पिछली योजना में की गई प्रगति अत्यधिक प्रशंसनीय और उल्लेखनीय रही है ।

गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या में भी इस पांच वर्ष की अवधि में कमी आई है । इसका प्रतिशत 52 से घट कर 38 रह गया है । हमारी विकास की दर रिकार्ड रही है; अपने आप में एक रिकार्ड अर्थात्—52% जबकि 1951-52 से 1979-80 तक विकास की औसत दर 3.5% थी । इस प्रकार 3.5% की यह औसत दर पिछले पांच वर्षों में बढ़ कर 5.2% हो गई । यह बहुत ही अच्छी स्थिति है और इसके लिए सरकार और कांग्रेस (इ) सरकार को बधाई देनी होगी ।

जैसे कि आप जानते ही हैं हमारी आयोजनाओं का उद्देश्य क्या है ? हमारी योजनाएं गरीबी दूर करने एवं एक मजबूत भारत के निर्माण को ध्यान में रख कर बनाई गई हैं । प्रत्येक योजना से हम अपने समाजवाद के अभीष्ट लक्ष्य के नजदीक पहुंच रहे हैं । देश यह चाहता है कि हमारी अर्थव्यवस्था का विकास हो न केवल विकास बल्कि ऐसा विकास लोगों को सामाजिक न्याय भी दे । सातवीं पंचवर्षीय योजना, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, इसकी प्रमुख प्राथमिकताएं हैं अनाज, काम और उत्पादकता ।

विपक्ष की ओर से यह अलोचना की गयी है कि आज इस सभा में इस चर्चा का क्या लाभ होगा । वास्तव में तो यही उपयुक्त समय है जब इस दस्तावेज पर किसी न किसी रूप में चर्चा हो चुकी है । राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा योजना प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिए जाने और स्वीकृति दिए जाने के पश्चात ही यह योजना जिस पर हम इस समय चर्चा कर रहे हैं, योजना बन पाएगी । राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा पिछले नवम्बर में ही इस प्रारूप योजना को स्वीकृति दी गई थी ।

कृषि के संबंध में, मैं यह कहना चाहूंगा कि इस शताब्दी के अंत तक हमारी आबादी 100 करोड़ हो जाएगी और हमें 225 लाख टन खाद्यान्न की जरूरत होगी। इस आबादी को रोकने के लिए सर्वसंभव उपाय करने होंगे। लेकिन साथ ही साथ बढ़ती हुई आबादी की जरूरतें पूरी करना भी हमारा प्रयास रहेगा। इस प्रकार, सातवीं योजना में, पूर्वी भारत में हरित क्रांति का विकास एक बहुत ही अच्छी बात है। कृषि के क्षेत्र में प्रति हेक्टर उपज पूर्वी भारत में बहुत कम है—पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा और बिहार में अन्य क्षेत्रों के मुकाबले जबकि वहां प्रति क्विंटल खेती पर अधिक खर्च आता है। मैं प्रधान-मंत्री को यह कहने के लिये बधाई देता हूं कि कृषि के क्षेत्र में नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा जिससे कि खेती की लागत अधिक न आए, वरना यह किसानों के लिए लाभाकारी नहीं होगा। सत्तर के दशक में खरीद बंदूक की नोक पर की गई चूंकि बाजार भाव अधिक थे तथा किसान वसूली मूल्य पर अपना फालतू अनाज बेचने को तैयार नहीं थे। लेकिन अब स्थिति उलट गई है।

इस योजना की एक अन्य प्रमुख बात यह है कि इसमें मानव संसाधन विकास पर जोर दिया गया है।

ऊर्जा पर भी काफी जोर दिया गयाहै जो कि सही है सोवियत संघ जो कि देश के उन्नत देशों में से एक है, वह भी अर्जा और जनशक्ति के बल पर समाजवाद ला सका। भारत में बहुत से स्थानों पर कोयला मौजूद है। उड़ीसा में कोयले के अद्वितीय भंडार हैं। नीति संबंधी उद्देश्य काफी प्रशंसनीय हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। उन्हें पूरी गंभीरता और उत्साह के साथ सही रूप से लागू करना चाहिए। विभिन्न परियोजनाओं के आवंटन और योजनाओं को तैयार करते समय कार्यान्वयन तंत्र को राजनीतिक उद्देश्यों और अकुशलता का परिचय नहीं देना चाहिए।

सातवीं योजना में ही, तालचर और आई० बी० घाटी में, कोयला खानों के मुहानों पर उच्च ताप बिजली केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। क्षेत्रीय असमानताओं को प्राथमिकता के आधार पर देखना होगा। उड़ीसा में प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है। लेकिन यह भाग्य की ही बात है कि जो राज्य प्राकृतिक संसाधनों का आगार है, अभी भी पिछड़ा हुआ है। यह एक ऐसा राज्य है जहां सब कुछ होते हुए भी गरीबी है। राष्ट्र के सन्तुलित विकास में यह जरूरी है कि इस राज्य में बहुत सी केन्द्रीय परियोजनाएं लगा कर इसके विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाए।

हम आयोजन के लिए वचनबद्ध हैं। हमारे समाज को बदलने के लिए यह एक प्रभावी तरीका है, इससे समाजवादी समाज की स्थापना हो सकती है—एक ऐसे समाज जिसमें किसी क शोषण न हो, भूख न हो, निरक्षरता न हो।

श्री आशुतोष लाहा (दमदम) : सबसे पहले, मैं योजना मंत्री को सातवीं योजना के दस्तावेज को सभा पटल पर रखने के लिये बधायी देता हूं। यह ऐसी योजना है जिससे हमारे देश के और अधिक विकास को बल मिल सकेगा। इससे भारत, 20वीं सदी में सभी क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ सकेगा। किसी भी देश की योजना अथवा भविष्य दो बातों पर निर्भर करता है, कृषि और उद्योग। मैंने यह देखा है कि पहली पंचवर्षीय योजना से अब तक कृषि के विकास पर निरन्तर बल दिया जाता रहा है। मेरे ख्याल में योजना को सही रूप से लागू करना जरूरी है।

कृषि योग्य 80 लाख हेक्टर भूमि में से लगभग 40 लाख हक्टर अपेक्षित स्तर की नहीं है। अपने अनाज उत्पादन और पेड़ पौधे लगाने के क्षेत्रों में वृद्धि करने के लिए, इस योजना अवधि में इस बेकार अथवा खराब भूमि में सुधार लाने पर अधिक ध्यान देना होगा ताकि भविष्य में तथा सातवीं योजना में ही भारत अधिक अनाज उपजा सके। भारत की जनता मूलतः कृषि पर निर्भर करती है। अतः, कृषि सम्बन्धी योजना पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए तथा सातवीं योजना में ऐसा किया गया है।

दूसरी बात उद्योग की है जो देश की बुनियादी जरूरत है। कृषि के साथ-साथ हम यह भी चाहेंगे कि भारत उद्योग में भी आगे बढ़े अथवा हमारे देश में जल्दी से जल्दी औद्योगिक क्रांति आए सातवीं योजना में उद्योग के लिए जो योजना बनाई गई है, मैं उसका पूरी तरह समर्थन करता हूं लेकिन एक कमी रह गई है जो कि मैं देखना चाहता था और वह यह है कि यद्यपि सातवीं योजना में उद्योग पर अधिक जोर दिया जाएगा लेकिन रुग्ण उद्योगों केलिए कुछ नहीं किया गया। केवल नए उद्योगों की स्थापना से ही उद्योगीकरण नहीं किया जा सकता। इस प्रक्रिया द्वारा देश स्थिर नहीं बना रह सकता। हम इस बात की उपेक्षा नहीं कर सकते कि यहां बहुत से ऐसे उद्योग हैं जो कि रूग्ण हैं। यहां तक कि ऐसे कुछ सरकारी उपक्रम भी हैं जो या तो रुग्ण हैं अथवा इस सभा की परिभाषा के अनुसार जिनके रुग्ण होने की सम्भावना है। यदि ऐसी स्थिति हैं, तो उन औद्योगिक एककों को फिर से चालू करने के लिए अधिक बल दिया जाना चाहिए, विशेष रूप से पूर्वी राज्यों जैसे आसाम, बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में जहां हम देखते है कि अधिकार उद्योग, जो कि पारम्परिक उद्योग हैं जैसे जूट, कपास तथा भारी इंजीनियरी उद्योग, या तो रुग्ण हैं अथवा शीघ्र ही उनके रुग्ण होने की सम्भावना है। अतः माननीय योजना मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि इस पर अधिक बल दिया जाए और इसके लिए अधिक धनराशि आबंटित की जाए अथवा इसे अधिक महत्त्व दिया जाए ताकि नए उद्योगों के साथ साथ, रुग्ण उद्योग भी चलते रह सकें। हमें एक बात याद रखनी होगी। हमारे देश के लगभग 2.18 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। इस योजना अवधि में हम निश्चय ही इन बेरोजगार लोगों की संख्या कम कर सकेंगे, परन्तु यदि इन रुग्ण उद्योगों को फिर से चलाने पर अधिक बल नहीं दिया जाता, तो स्पष्ट रूप से 2.18 करोड़ के आंकड़े, जो कि अब सरकार द्वारा दिए गए आंकड़े हैं, यह संख्या और भी बढ़ जाएगी। एक ओर तो यदि हम नई फैक्ट्रियां लगाते हैं तो नए लोगों को रोजगार मिलेगा, दूसरी ओर वह लोग जो उन उद्योगों में कार्य करते हैं जो रुग्ण उद्योग हैं अथवा रुग्ण हो रहे हैं, उनका रोजगार समाप्त हो जाएगा। अतः इस पहलू पर भी ध्यान देना होगा।

गरीबी की रेखा के सम्बन्ध में, सरकारी रूप से स्वतन्त्रता प्राप्ति के 38 वर्षों के बाद भी, देश की कुल जनसंख्या का 38 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। जाहिर है, हम यह आशा करेंगे कि इस योजना अवधि में, यह आंकड़े कम किए जाएंगे ताकि भविष्य में हमारे देश के कम संख्या में लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहें।

सातवीं योजना में सफलता प्राप्त करने के लिए, मैं अनुभव करता हूं कि खाद्यान्न तथा उद्योगीकरण के अतिरिक्त, बेरोजगारी को समाप्त करने तथा गरीबी को समाप्त करने के लिए भी अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। सातवीं योजना में शिक्षा के लिए आबंटित की गई धन-राशि काफी पर्याप्त है परन्तु इस योजना में आबंटित धन राशि का अधिक से अधिक प्रयोग पूर्वी

क्षेत्र में किया जाना चाहिए जहां निरक्षरता अत्यधिक है। इसके अतिरिक्त, शैक्षणिक संस्थानों के विकास अथवा नए विश्वविद्यालयों को खोलने के लिए आवंटित धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में उपयुक्त जांच की जानी चाहिए। जब तक यह नहीं किया जाता, तब तक हम सातवीं योजना में अपने लक्ष्यों का प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे।

इन शब्दों के साथ, मैं सातवीं पंचवर्षीय योजना का हृदय से समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : सभापति महोदय, मैं सातवीं पंचवर्षीय योजना का हृदय से स्वागत करता हूं तथा अपने युवा प्रधान मन्त्री एवं माननीय मन्त्री को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस योजना को बहुत सुन्दर ढंग से रखा है। इसके अन्तर्गत हर क्षेत्र की प्रगति को ध्यान में रखा गया है तथा उसी के अनुरूप धन का आवंटन किया गया है।

जहां तक प्रश्न कांग्रेस पार्टी और सरकार का है, कांग्रेस अपनी सातवीं वर्षगांठ मनाने जा रही है। हमेशा से कांग्रेस पार्टी और सरकार का यह उद्देश्य रहा है कि देश के प्रत्येक क्षेत्र को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। महात्मा गांधी जी ने जो स्वतन्त्रता अभियान चलाया था वह भी उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र को प्राथमिकता देकर प्रारम्भ किया था। पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत चाहे उद्योग-धंधे हों, पेट्रोलियम से सम्बन्धित उद्योग-धंधे हों, चाहे खनिज से सम्बन्धित हों, डेफेन्स, स्वास्थ्य, शिक्षा, पिछड़े वर्ग, कृषि सभी को इसमें लिया गया है। ग्रामीण विकास एवं कृषि को तो विशेष प्राथमिकता दी गई है क्योंकि भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है अतः इसके लिए अधिक से अधिक धन भी आवंटित किया जाए—इस पर मैं जोर देता हूं।

यदि हम ग्रामीण अंचलों की ओर देखेंतो हम 38 वर्ष आजादी के पूरे कर चुके हैं लेकिन आज भी बहुत से गांवों में सड़कें नहीं हैं, बिजली नहीं है, पेय-जल की व्यवस्था नहीं है, छोटे उद्योग-धंधे नहीं हैं, जिनसे विकास रुका हुआ है। मैं स्वास्थ्य सेवाओं की ओर भी मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करूंगा। देश का कोई भी प्रान्त हो, मैदानी या पहाड़ी क्षेत्र हो, वहां पर स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

जहां तक कृषि का सम्बन्ध है, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि कृषि के लिए इस प्रकार की योजनाएं होनी चाहिए जिनसे जहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है या जहां खारा पानी है वहां पर गहरी नहरों के द्वारा कृषि क्षेत्र को अधिक से अधिक पानी उपलब्ध कराने का प्रयत्न किया जाए। इसके साथ-साथ नदियों पर डेम बनाकर पानी को रोका जाए, जिससे सिंचाई के लिए अधिक से अधिक साधन उपलब्ध हो सके। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि ग्रामीण अंचलों में छोटे उद्योग धंधों की इकाइयों को स्थापित किया जाए। अभी पिछले दिनों कोल्ड स्टोरेज के बारे में चर्चा हो रही थी, तो मैंने फूड प्रिजरवेशन के बारे में जिक्र किया था और निवेदन किया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी स्थापना की जाए। यदि आप इनका विकास ग्रामीण अंचलों में करेंगे, तो वहां रोजगार मिलेगा, इन्डस्ट्री मिलेगी और ग्रामीण अंचल का विकास हो सकेगा। इसके साथ-साथ शुगर फैक्ट्री को भी बढ़ावा दिया जाए। पिछले दिनों शुगर की बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए, मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था कि ग्रामीण अंचल में शुगर फैक्ट्री को लगाया जाए, इससे किसानों को अधिक से अधिक फायदा होगा। वहां पर उनको नौकरी मिलेगी और वहां पर फैक्ट्री भी स्थापित हो जायेंगी।

इसके साथ-साथ मैं मंत्री जी का ध्यान शिक्षा की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं। कृषि शिक्षा के क्षेत्र में वहां पर कृषि विद्यालयों को भी अधिक खोला जाना चाहिए। मैं मथुरा जनपद का प्रतिनिधित्व करता हूं, वहां अभी तक भी कोई कृषि विद्यालय उपलब्ध नहीं हो सका है, इस ओर भी मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिए। विद्युत व्यवस्था के बारे में भी सदन में मैंने कई बार जिक्र किया है। मथुरा में आयल रिफाइनरीज हैं और जहां जहां भी रिफाइनरीज हैं, वहां पर उत्पन्न गैस को जलाकर समाप्त कर दिया जाता है। आप क्यों नहीं इस गैस के माध्यम से ताप बिजली घरों का निर्माण करें जिससे विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में अधिक क्षमता हासिल कर सकें और समस्या का समाधान हो सके।

हमारे प्रधान मन्त्री जी ने कहा है कि गंगा प्रदूषण की योजना प्रारम्भ होने जा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि मथुरा जो भगवान कृष्ण की जन्म भूमि है, वहां पर लाखों यात्री, देशी और विदेशी, दर्शनों के लिए जाते हैं, तो क्यों न यमुना नदी के प्रदूषण को भी दूर किया जाए। मथुरा नदी पर पुल और बैराज बनाने की योजना के लिए भी मन्त्री जी से आग्रह करना चाहता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं सातवीं पंचवर्षीय योजना का समर्थन करता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामीण अंचलों के विकास में आप अधिक से अधिक योगदान प्रदान करें। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : समापति महोदय, कल प्रधान मन्त्री जी ने बड़े बड़े वायदे करके वाद-विवाद में हस्तक्षेप किया था, जो वायदे मैं समझता हूं कि पूरे नहीं किए जाएंगे।

इस योजना में एक लघु गरीबी विरोधी संघटक योजना है। इसका अर्थ यह है कि सम्पूर्ण योजना गरीबी विरोधी नहीं पर इसका कुछ भाग ही गरीबी विरोधी है। ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर सरकार द्वारा किया जाने वाला परिव्यय, सातवीं पंचवर्षीय योजना के कुल परिव्यय का केवल 5 प्रतिशत है। यदि हम इसमें आवास तथा शहरी विकास, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता, समाज और महिलाओं के कल्याण, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों और पिछड़े वर्गों के कार्यक्रम, पोषण, श्रम और श्रमिकों के कल्याण कार्यक्रम (जिनमें गरीब लोगों के साथ-साथ अन्य लोगों को भी लाभ होता है) भी जोड़े तो यह परिव्यय, कुल सार्वजनिक क्षेत्र के परिव्यय का, लगभग 14.1 प्रतिशत होगा। शेष के लिए गरीब जनता को जो कुछ बचा खुचा मिलेगा, उसी पर निर्भर करना पड़ेगा।

गरीबों को मिलने वाले भाग की अपेक्षा, वह लोग, जिनका उद्योग, व्यापार और सेवाओं पर पूर्ण नियन्त्रण है, उद्योग और उसके लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं पर किया गया सरकारी तथा निजी परिव्यय का अधिक भाग प्राप्त करते हैं। योजना परिव्यय का 2/3 भाग के लगभग आबंटन करने से उन लोगों को और अधिक देने की प्रक्रिया दृढ़ होगी, जिनके पास पहले ही अधिक है। भू-सम्पति पर नियन्त्रण रखने के लिए कृषि विकास के लाभों को सन्तुलित अनुपात में रखना होगा। सार्वजनिक क्षेत्र के परिव्यय का 17 प्रतिशत के लगभग जो प्रत्यक्ष रूप से कृषि के विकास के लिए रखा गया है, इससे प्रमुखतया बड़े, धनी तथा मध्यम वर्ग के किसानों, को ही लाभ होगा जिनकी संख्या गांवों में काफी कम है।

यह माना गया है कि इस योजना में सार्वजनिक तथा निजी पूंजी निवेश दोनों शामिल हैं। निजी पूंजी निवेश केवल एक अनुमान है तथा इसका पता लगाने के लिए कोई विशिष्ट नीति नहीं बनाई गई। परन्तु यह स्पष्ट है कि सरकार की दृष्टि से गरीबी की रेखा से ऊपर तथा नीचे रहने वाले, बहुसंख्यक गरीब लोग इस पूंजीनिवेश में साझेदार नहीं हो सकते। केवल वही लोग, जिनकी अपनी सम्पति है, अर्थात् कुल जनसंख्या का 10 प्रतिशत लोग को प्रत्यक्ष रूप से इससे लाभ प्राप्त होगा। कुल पूंजीनिवेश (सार्वजनिक तथा निजी) का केवल 2 प्रतिशत परिव्यय गरीबी को समाप्त करने के लिए किया गया है। यह स्पष्ट है कि गरीबी विरोधी कार्यक्रम मात्र एक प्रदर्शन है जिससे गरीब लोग सत्तारूढ़ दल के लिए गरीब मतदाताओं के रूप में जीवित रह सकने योग्य रहें।

भारत में सही रूप में लोगों के लिए बनाई गई योजना को चर्चा और विचार विमर्श के बाद बनाई जाती है, को तैयार करने में उनके शामिल होने का तब तक कोई अर्थ नहीं है यदि यह पूरी तरह एक सूत्री योजना नहीं होती—अर्थात यह पूर्ण रूप से गरीबी विरोधी योजना होनी चाहिए। विकास, आधुनिकीकरण, उच्च प्रौद्योगिकी, आत्म निर्भरता का अर्थ तथा औचित्य तभी है यदि यह गरीबी को दूर करने में सहायक हों जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सामाजिक और योजना के सिद्धान्तों तथा प्रथाओं द्वारा सम्भव हो पाया है। यहां तक कि योजना निर्माताओं ने 21वीं सदी के बारे में जो दीर्घ अवधि (जो अब कम हो गई है) रूप प्रस्तुत किया है वह 90 मिलियन बेरोजगार दिखाता है (जनसंख्या का लगभग 10 प्रतिशत—यह अन्याय भी सहन करने की आशा की जाती है कि जनसंख्या का 10 प्रतिशत और बल का 22 प्रतिशत बेरोजगार होने पर थी, केवल 5 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे रहेगी) और 1984-85 में अनुमानतः मूल्य प्रति व्यक्ति खर्च केवल 8 रु० 56 पैसे दिखाते हैं।

वास्तव में, यह योजनाओं में अत्यधिक आडम्बर को स्पष्टतः प्रस्तुत करती है, योजनाओं की बहुत खराब तस्वीर प्रकट की गई है। सामाजिक न्याय, अन्तरक्षेत्रीय अन्तर कार्मिक और अन्तरवर्गीय असमानताओं में कमी को हमेशा की तरह उद्देश्यों में दोहराया गया है। लेकिन यह कभी भी योजना में लागू नहीं किया गया। न तो लक्ष्य निश्चित किए जाते हैं और न ही कोई नीति साधन जुटाए जाते हैं। वास्तव में, बड़े उद्योगपतियों, व्यापारियों, व्यावसायिकों, धनी कृषकों और जमींदारों के जरिए योजना में भारी पक्षपात हुआ है जिसका केवल अन्दाजा ही नहीं लगाया गया है। इसे कम करने के लिए न कोई कदम उठाए गए हैं और न ही नीतियां बनाई गई हैं। योजना में उसके तकनीकी तौर से आधुनिक होने का जो दावा किया गया है वह धनी के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार की ओर से असफल प्रयास है। यह कहना कि न्यूनतम कैलोरी प्राप्त करने के लिए केवल तीन रुपए उपलब्ध कराना सामाजिक न्याय है, सामाजिक न्याय के नाम पर बेकार शोर मचाना है। चूंकि यह मामूली राशि न्यूनतम अखाद्य वस्तुओं को भी उपलब्ध नहीं कराती और चूंकि कोई केवल रोटी द्वारा ही जीवित नहीं रह सकता, यह खर्च न्यूनतम कैलोरी उपलब्ध कराने में भी असफल है।

योजना निर्माता बताएं कि विपणन प्रक्रिया, योजना कार्य क्रमों और वितीय उपायों, उद्योग व्यापार, शैक्षिक और अन्य नीतियों के जरिए योजना के अन्त में कितनी आय, सम्पत्ति और आर्थिक शक्ति और बढ़ेगी। क्या कोई अर्थशास्त्री कह सकता है कि इस योजना के द्वारा प्रतिकूल परिणामों में और वृद्धि नहीं होगी।

इस प्रकार सामाजिक न्याय, समानता आदि का उल्लेख योजना में सावधानीपूर्वक छुपाई गई गन्दी वास्तविकता और असावधानीपूर्वक दिखाए गए आंकड़ों को छुपाने के लिए केवल धोखा है

योजना के लिए संसाधनों की प्रक्रिया धोखा है । योजना के बनकर तैयार होने तक 1984-85 के मूल्यों पर निर्धारित आंकड़े मुद्रास्फीति के कारण पहले ही कुछ महत्व खो देंगे ।

4.00 म० प०

सातवीं योजना में बचत की दर 26 प्रतिशत स्वीकार की गई है और कहा गया है "यह पहले ही प्राप्त की जा चुकी है ।"·····

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समस्त कीजिए । मैं अगले सदस्य को बुला रहा हूं ।

श्री विजय कुमार यादव : वही योजना आयोग अब चाहता है कि हमारी बचत की दर 23.1 प्रतिशत है जो योजना के अंत तक बढ़कर 24.3 प्रतिशत हो जाएगी····· ।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करिए । कुमारी ममता बनर्जी ।

श्री विजय कुमार यादव : यहां तक कि पहले अनुमान लगाई गई बचत की दर से कम बचत दर होने पर भी राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर वही रही, योजना निर्माताओं ने उन्हीं वित्तीय साधनों की कल्पना की जो योजना में कल्पित किए गए थे । फिर ऐसा किस चमत्कार से होने वाला है । सब आश्चर्यचकित है ।

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री विजय कुमार यादव : ऐसे में यह आशा करना कि लोक उपक्रमों से 35,000 करोड़ रु० से अधिक आय होगी जबकि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इन साधनों से एक चौथाई से भी कम आय हुई, इसे समझ पाना कठिन है ।·····

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । कुमारी ममता बनर्जी ।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : महोदय, मैं सातवीं पंचवर्षीय योजना का स्वागत करती हूं और मुझे विश्वास है कि हमारे प्रधानमन्त्री जी के गतिशील नेतृत्व में यह एक नया युग कायम करेगी और सभी वर्गों के लोगों के विकास में सहायक होगी । हम 21वीं सदी की ओर बढ़ रहे हैं, और हमारे प्रधानमन्त्री जी ने विशेष रूप से कहा है कि हमारी योजनाएं और कार्यक्रम आने वाली सदी का सामना करने में समर्थ होने के लिए आधुनिक तौर तरीकों से युक्त होने चाहिए ।

योजना के दो प्रमुख पहलू हैं । एक उद्योग और दूसरा कृषि । कृषि के क्षेत्र में विशेषतः अनाज उत्पादन में, हमारा प्रदर्शन अत्यधिक प्रभावोत्पादक रहा है । कृषि के क्षेत्र में लगातार वृद्धि हुई है जिसे कमजोर वर्गों की सहायता के लिए विशेष योजनाएं बनाकर और मजबूत किया गया है । सातवीं पंचवर्षीय योजना एक मजबूत नींव रखेगी । यह गरीबी को समाप्त करने के लिए हमारे प्रयासों को दोहराते समय अर्थव्यवस्था में वृद्धि की गति को बनाये रखने में प्रयत्नशील है ।

उद्योग के संबंध में, मेरे विचार माननीय सदस्य श्री आशुतोष झा द्वारा व्यक्त विचारों से

मिलते हैं कि पूर्वी क्षेत्र में अनेक रुग्ण उद्योग हैं। मैं जानती हूं कि एक उद्योगों को हाथ में लेना सरकार की नीति नहीं हैं। लेकिन सरकार को गरीब कामगारों को खपाने के लिए नए उद्योग स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। वास्तव में इस समय अनेक उद्योग कुप्रबंध के कारण बंद पड़े हैं। गरीब कामगार वस्तुतः बिल्कुल बेरोजगार हो गये हैं। वे भोजन के लिए तरस रहे हैं। मैं जानती हूं, मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में दो बड़ी फैक्टरियां, 'स्टील एण्ड ब्लाइड प्रोडक्ट्स लि०' और 'ए स्टाक एण्ड कं०', पिछले पांच वर्षों से बंद पड़ी हुई हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री श्री ज्योति बसु के नेतृत्व में यह उद्योग बंद पड़े हुए हैं। (व्यवधान) आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मुख्य मन्त्री फैक्टरियों के बन्द होने के लिए मुझे दोषी ठहरा रहे हैं। मैं यहां केवल एक वर्ष से हूं लेकिन वह आठ वर्षों से हैं। लेकिन वह हमें दोषी ठहरा रहे हैं। वह स्वयं फैक्टरियों को पुनः क्यों नहीं खुलवा लेते? (व्यवधान) मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह निवेदन करूंगी कि यदि इन रुग्ण एककों को हाथ में लेना संभव नहीं है, तो आपको नए उद्योग स्थापित करने चाहिएं जहां आप इन गरीब मजदूरों को खपा सकते हैं। हम यहां राजनैतिक दृष्टि से नहीं बोल रहे हैं। हम जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री ने सातवीं पंचवर्षीय योजना का स्पष्ट रूप से विरोध किया है। क्यों? (व्यवधान) पिछले वर्ष, उन्होंने 1200 करोड़ रु० की धनराशि लौटाई थी। क्यों? क्या वहां विधियों की आवश्यकता नहीं है? पश्चिम बंगाल के लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, उनके यहां अच्छी सड़कें नहीं हैं, वहा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा यह राशि क्यों लौटाई गई है? आज पश्चिम बंगाल की स्थिति क्या है? मैं यहां राजनैतिक दृष्टि से नहीं बोल रही हूं। मैं वास्तव में पश्चिम बंगाल का विकास चाहती हूं। मैं वास्तव में पश्चिम बंगाल की गरीब जनता को ऊपर उठाने में इच्छुक हूं। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि क्या सरकार यह पता लगाने के लिए कोई कदम उठा रही है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने 1200 करोड़ रु० की राशि खर्च क्यों नहीं की, पश्चिम बंगाल सरकार ने इसे क्यों लौटाया। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये लोग रचनात्मक कार्य करने के आदी नहीं हैं, वे गैर-रचनात्मक कार्य करने के आदी हैं। मैं पश्चिम बंगाल के लोगों के हित के लिए बोल रही हूं।

मेरे माननीय साथी प्रो० राजहंस ने कहा है कि बेरोजगारी मुख्य समस्या है।

(व्यवधान)

बेरोजगार युवकों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मेरा सरकार से यह सुझाव है कि क्योंकि यह वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष है। इसलिए केन्द्रीय सरकार की सेवाओं की भर्ती पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिए। इस पर कई वर्षों से प्रतिबन्ध लगा हुआ है। हमारे राज्य में केवल मार्क्सवादी समर्थित लोगों को ही नौकरियों में प्राथमिकता दी जाती है। तो फिर सही लोग क्या करेंगे? मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि युवकों के लिए आयु-सीमा बढ़ाकर 28 33 साल तक की जानी चाहिए। ताकि अधिक से अधिक युवक वरीयता प्राप्त कर सकें।

मेरा यह भी अनुरोध है कि पोस्टल आर्डर शुल्क की भी छूट दी जानी चाहिए क्योंकि गरीब युवकों के पास पोस्टल आर्डर के लिए पैसे नहीं होते। वे बाहर भी परेशान हैं तथा प्रशासन से भी परेशान हैं।

मैं यहां यह भी उल्लेख करना चाहूंगी कि हमारी योजना में शरणार्थी समस्या का उल्लेख

नहीं किया गया है। यह बहुत ही भावुक मामला है। इसका संबंध केवल पश्चिम बंगाल से नहीं है बल्कि असम, त्रिपुरा और उड़ीसा से भी है। आपने अपनी औद्योगिक नीति में परिवर्तन किया है तो फिर आप पुनर्वास नीति में परिवर्तन क्यों नहीं करते ? आप शहरी इलाकों में पूर्ण स्वामित्व अधिकार क्यों नहीं देते ?

जो लोग पूर्वी पाकिस्तान से तीस या चालीस वर्ष पहले आए थे उनके खिलाफ गलत भावनायें व्यक्त की गई थीं। पश्चिम बंगाल में मैं विशेष रूप से जानती हूं कि सरकार दो तरह की लीज डीड दे रही हैं एक 99 वर्ष की लीस डीड है और दूसरी 999 वर्ष की लीस डीड है। इस तरह का भेदभाव क्यों है। मुख्य मन्त्री इस समस्या के संबंध में दोहरी चाल चल रहे हैं। वह कहते हैं कि केन्द्र सरकार शरणार्थियों के लिए भूमि नहीं दे रही है इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते।

मैं समझती हूं कि इस सभा में मैं ही एक ऐसी सदस्या हूं जो शरणार्थी समस्या के बारे में बोल रही हूं। प्रतिपक्ष से कोई भी सदस्य इस समस्या के बारे में बोलना नहीं चाहता। आप इस सम्बन्ध में भी कुछ कीजिए।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : असम का क्या रहा ?

कुमारी ममता बनर्जी : हम असमियों के भी पक्ष में हैं। हमने नागरिक·····

(व्यवधान)

मैं यह कहना चाहूंगी कि अधिक से अधिक लघु उद्योग लगाये जायें। तभी ग्रामीण लोगों को अधिक से अधिक लोगों को वरीयता मिलेगी। हमारी भाषा में ही लघु शब्द सुन्दर लगता है लेकिन मार्क्सवादियों की भाषा में लघु शब्द खतरनाक है। यही कारण है कि वे लघु उद्योगों को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। यदि आप कुछ लघु उद्योग लगाएंगे तो ग्रामीणों को अधिक से अधिक अवसर मिलेंगे और उनका मनोबल ऊंचा होगा। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि पीने के पानी की कमी के संबंध में मेरी भी वही राय है जो मेरे राजस्थानी साथियों की है। राजस्थान में पीने का पानी सुलभ नहीं है। लेकिन वहां खून सुलभ है। हम आधुनिक युग में रह रहे हैं। हमारा दृष्टिकोण उदार होना चाहिए। हमारा दृष्टिकोण गरीबों के उत्थान के लिए भी आधुनिक होना चाहिए। पश्चिम बंगाल के भी बहुत से इलाकों में पीने का पानी सुलभ नहीं है। गांव के गरीब लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता वहां कोई प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र नहीं हैं। गरीब लोगों को दवाई नहीं मिलती यहां तक कि गर्भवती महिला समय पर अस्पताल नहीं पहुंच सकती। वहां ऐसी भयावह स्थिति है। मैं माननीय मन्त्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगी क्योंकि सातवीं पंचवर्षीय योजना में इन सब समस्याओं की ओर ध्यान दिया गया है और इससे नये युग की शुरूआत होगी। यह कांग्रेस पार्टी ही है जो लोगों की सेवा कर सकती है, जो श्रमिकों की बेहतर सेवा कर सकती है।

(व्यवधान)

हमारे प्रधानमन्त्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह योजना गरीब लोगों के उत्थान के लिए नये युग का सूत्रपात करेगी। केवल श्री ज्योति बसु ने ही सातवीं पंचवर्षीय योजना का

विरोध किया है। उन्होंने ऐसा क्यों किया ? क्योंकि यह मुख्य मन्त्री संरचनात्मक कार्य के अभ्यस्त नहीं हैं। प्रतिपक्ष विरोध कर सकता है लेकिन यह विरोध रचनात्मक होना चाहिए। वह यह समझते हैं कि वह प्रधानमंत्री से भी बड़े हैं। मैं मुख्य मंत्री, श्री ज्योति बसु के इस रवैये का विरोध करती हूं और इस योजना का हार्दिक समर्थन करती हूं। धन्यवाद।

(व्यवधान)

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : श्री ज्योति बसु ने ऐसी साफ-साफ बातें कही हैं जिन्हें कोई नहीं कह सकता।

[हिन्दी]

श्री राज कुमार राय (घोसी) : अधिष्ठाता महोदय, कोई भी विकासशील सरकार अपने देश के विकास के लिए और क्षेत्रीय असन्तुलन दूर करने के लिए यह जरूरी समझती है कि उसका विकास योजनाबद्ध ढंग से हो और इसीलिए हमारे राष्ट्र नेताओं ने आजादी मिलने के बाद इस देश के सर्वांगीण विकास के लिए पंचसाला योजनाओं का शुभारम्भ किया। छह पंचवर्षीय योजनाएं चलाकर हमारी सरकार ने इस देश के विकास की गाड़ी को बहुत तेज किया और हमने कृषि, उद्योग, शिक्षा जैसे तमाम मामलों में आशातीत उन्नति की। आज यह शुभ दिन है जब हम सातवीं पंचसाला योजना के विषय में इस महान सदन में चर्चा कर रहे हैं। यह हमारे विकास के मील का सातवां पत्थर है। हमने खाद्यान्न के मामले में अब तक बहुत कुछ उन्नति की है। जो हमारी दशा भिखारी की थी वहां आज हम दूसरे देशों को अनाज दे रहे हैं। इसी प्रकार उद्योग धंधों में हमने काफी उन्नति की है। शिक्षा को हमने बहुत कुछ बढ़ाया। बीमारियों पर काबू पाया, अपने रहन-सहन का दर्जा बहुत कुछ ऊंचा किया। सिंचाई के साधनों को बढ़ाकर के दुनिया के इतिहास में एक ऐसी मिसाल कायम की है जिसे आज दुनिया के लोग देखते हैं। ये सारी चीजें हैं। आपके माध्यम से मैं यही निवेदन करूंगा कि इन तमाम चीजों के बावजूद जिन मूल उद्देश्यों को लेकर के इन योजनाओं का सूत्रपात हुआ था और जिसके सूत्रधार पण्डित जवाहरलाल जी थे और आने वाले पचास सालों के भविष्य को देखते थे, उसमें बहुत कुछ कमियां आई हैं। आज भी क्षेत्रीय असन्तुलन बना हुआ है। हमें उम्मीद थी कि इस सातवीं योजना के जरिए से माननीय मन्त्री जी ने जो एक महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार किया है, उसमें बहुत कुछ कमियां दूर करने का उपाय करेंगे और बहुत कुछ इन्होंने किया भी है, सबसे पहले मेरा एक चार्ज है। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से आता हूं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार की लगभग तीन-चार करोड़ की आबादी ऐसा है जहां बहुत ज्यादा लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। हमारे यहां एक कहावत है कि कोई खाते-खाते मरे और कोई खाने के बगैर मरे। बहुत से लोग ऐसे होंगे। आप गांव में जाएं तो देखेंगे कि शिक्षा का स्तर एकदम नीचे है। दिल्ली में बैठकर हम योजनाएं बनाएं और कितने ही दस्तावेज तैयार करें, लेकिन मैं गिना सकता हूं माननीय मन्त्री जी को कि सैकड़ों गांव ऐसे होंगे जहां प्राइमरी स्कूल की कोई बिल्डिंग ठीक नहीं है। इस सदन में हम चाहे कितनी भी शिक्षा नीति पर बहस कर लें और बहुत लम्बी-चौड़ी चीजें तैयार कर लें लेकिन जो बुनियादी बात है, जहां क, ख, ग या अलीफ, बे, पे पढ़ते हैं वहां मुश्किल से किसी स्कूल में छत होगी। अगर ऊपर से पानी गिरे तो पीछे विद्यार्थी या शिक्षक के सिर पर ही आता है, बीच में कोई छत नहीं है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में हम उम्मीद करते थे कि बुनियादी चीजों को दूर किया जायेगा।

आज सिंचाई के साधनों की बड़ी कमी है। साथ ही हमारे क्षेत्र में पावर की भी बहुत

कमी है । इसके बारे में मैं बराबर इस सदन में मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित कराता रहा हूं । लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस संबंध में कुछ खास काम नहीं हुआ है ।

आपने क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने की भी बात कही है । जिस राज्य को कुछ नहीं मिला है, उसे कुछ और देने की बात आपने कही है । हम उम्मीद करते हैं कि इस पर सही ढंग से सोचा और विचार किया जायेगा । हमारा पूर्वांचल क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है । इसके बारे में अलग से यूनिट और इकाई बनाकर विकास के लिये सोचेंगे तो जरूर कुछ कार्य हो सकेगा ।

आज हम देखते हैं कि नहरों की हालत पहले जैसी है । सरकार की तरफ से पैसा जाता है, लेकिन वह सारा वेस्ट हो जाता है । 1978 में दोहरीघाट में थर्मल पावर स्टेशन लगाने की बात चली थी, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ । इसी सदन में 3 तारीख को मैंने इस संबंध में निवेदन भी किया था कि आप उस थर्मल पावर स्टेशन को लीजिए, लेकिन चूंकि वह पूर्वी उत्तर प्रदेश में है और पश्चिमी बिहार से उसका संबंध है, इस कारण से शायद विचार नहीं किया गया । मेरे कहने पर माननीय मन्त्री जी कह रहे थे कि हमने उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा है कि वह इस बात पर विचार कर लें । केन्द्र ठीक स्थिति में नहीं आ रहा है, हम देखेंगे क्या हो सकता है । अब उसको ले लिया जाये तो अच्छा होगा । इस सम्बन्ध में हमारे वसन्त साठे जी ने भी वचन दिया है कि हम चैक-अप करेंगे । इस पावर स्टेशन के लग जाने से बिजली बढ़ेगी और उद्योग धंधे खुलेंगे । गाजीपुर, आजमगढ़ और बलिया ऐसे जिले हैं जहां उद्योग नाम की कोई चीज नहीं है । अगर थोड़ी बहुत मिलें हैं भी तो वह सफेद हाथी की तरह खड़ी हैं । कोई मिल 10 दिन चलती है, कोई 20 दिन चलती है । मैं चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में जो गरीब और कमजोर वर्ग के लोग रहते हैं, आप उनकी तरफ ज्यादा ध्यान दें ।

20 सूत्री कार्यक्रम के अन्दर बहुत-सी योजनायें ली गई हैं । इसके साथ ही सातवीं योजना में भी बहुत-सी योजनाएं ली गई हैं । एन० आर० ई० पी० और आर० एल० ई० जी० पी० योजनायें देश के लिये शुभ लक्षण हैं । लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि जहां इतना सारा करोड़ों और अरबों रुपया भारत सरकार की तरफ से शहरों में, गांवों में जाने के लिये और जन-जीवन सुधारने के लिए रखा जाता है, उसका ठीक उपयोग नहीं हो रहा है । आज जितनी लूट-खसोट एन० आर० ई० पी० के पैसे को हो रही है और जितनी गड़बड़ी उसके इम्पलीमेंटेशन में है, उतनी और कहीं नहीं है । मैं चाहूंगा कि जहां इतना पैसा सातवीं पंचवर्षीय योजना में दिया जा रहा है, वहां उसकी मानिटरिंग प्रापर करने के लिये अलग से सेल बनाया जायेगा ।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्री सलाहुद्दीन (गोंडा) : सभापति महोदय, यह जो दस्तावेज सातवें प्लान का है, वह देखने से स्पष्ट हो जाता है कि इस दस्तावेज के माध्यम से हमने समाजवाद और पूंजीवाद के बीच में एक नया रास्ता बनाने की कोशिश की है । इस योजना के अंदर सबसे मुख्य बात यह देखी है कि यह तमाम योजना केवल प्रोडेक्शन प्लानिंग के ऊपर है लेकिन कंजम्शन प्लानिगों के ऊपर कोई विशेष बात नहीं है । इस वजह से इन दोनों का आपस में को-अर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है । हमने प्रोडेक्शन पर कन्ट्रोल कर लिया, लेकिन कंजम्शन पर कैसे कंट्रोल होगा, इसको देखना होगा ।

दूसरी बात है कि यह दस्तावेज जो कि सातवें प्लान का है, यह कह रहा है ।

[अनुवाद]

वर्ष 1989-90 तक कोयले की कुल अनुमानित मांग 23 करोड़, 60 लाख, 70 हजार टन हो जायेगी। कोयले की मांग तथा उत्पादन के अन्तर को कोयले का भंडार करके तथा कोकिंग कोयले का 'आयात' करके पूरा किया जायेगा।

[हिन्दी]

यह डाक्यूमेंट आपका यह कह रहा है कि हम डिमांड और प्रोडक्शन के बीच में जो गैप होग उसको इम्पोर्ट करके पूरा करेंगे। दूसरे देश से मंगा करके पूरा उस की को पूरा करेंगे। आप देखें कि 1973 में हमने कोल माइंस का राष्ट्रीयकरण किया और अपने देश की कोल माइन्स का एक्सप्लायटेशन किया। लेकिन उसके बाद भी बहुत-सी कोल माइन्स को हम खोल नहीं सके। एक तरफ तो वह कोल माइन्स क्लोज्ड हैं और दूफरी तरफ हम यह कहते हैं कि डिमांड और प्रोडक्शन के बीच जो गैप है उसकी इम्पोर्ट के द्वारा पूरा करेंगे।

इसी तरह से टैक्सटाइल के बारे में कहा है—

[अनुवाद]

"सबसे अधिक उत्पादन हाथ करघे से होगा जो उत्पादन का 40 प्रतिशत भाग होगा।"

[हिन्दी]

40 परसेंट आउटपुट की बात इस दस्तावेज में की गई है। लेकिन कैसे इसका एनालिसिस होगा, इसका कुल सिनाप्सिस क्या होगा यह नहीं बताया। हमारी टैक्सटाइल पालिसी तो कुछ और कह रही है। वहां 40 परसेंट की बात हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन ड्राफ्ट प्लान में कह रहे हैं कि हम हैंडलूम से 40 परसेंट प्रोडक्शन करेंगे:

[अनुवाद]

कपड़ा नीति तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के बीच विवाद है।

[हिन्दी[

मैं दन दोनों में बहुत ज्यादा कंट्राजिक्शन देख रहा हूं।

[अनुवाद]

अब मैं रेलवे की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं? "भाड़ा यातायात के संबंध में रेलवे पर वर्ष 1984-85 में 26 करोड़ 30 लाख टन के मुकाबले वर्ष 1989-90 में 340 34 करोड़ टन बोझ पड़ने की संभावना है"। योजना में इस बात पर ध्यान रखा गया है कि यात्री यातायात में प्रतिवर्ष दो प्रतिशत से अधिक वृद्धि न हो और लम्बी दूरी वाले यात्री यातायात तथा अधिक आबादी वाले उपनगरीय यातायात को प्राथमिकता दी जायेगी।

[हिन्दी]

एक तरफ हमारे देश के अन्दर पैसेजर गाड़ियां जो है उनकी हालत बहुत ही दयनीय है,

दूसरी तरफ 2 हजार साल के बीच की योजना जो हम बना रहे हैं उसमें दो परसेंट से ज्यादा आप बढ़ोत्तरी नहीं करने जा रहे हैं। उसके अन्दर भी आप कह रहे हैं कि लोग डिस्टेंस ट्रेन्स में ही बढ़ोत्तरी करेंगे। यह बहुत ही जटिल समस्या है। एक तरफ जो हमारी लोकल ट्रेन्स की हालत है उसके बारे में आपने कहीं कुछ नहीं लिखा है। दो परसेंट जो आप बढ़ा रहे हैं वह लांग डिस्टेंस ट्रेन्स में कर रहे हैं।

एक और बिन्दु की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा :

[अनुवाद]

वर्ष 1977-78 तथा 1983-84 के बीच 3 करोड़ साठ लाख लोगों ने गरीबी की रेखा को पार किया है। वास्तव में यह आशा की जाती है कि गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे लोगों की संख्या जो वर्ष 1984-85 में 2730 लाख है वह घटकर वर्ष 1989-90 में 2110 लाख रह जायेगी।

[हिन्दी]

यह जो हमारे सामने फिगर्स हैं, हमारे यहां सबसे बड़ी डिस्क्रिपेंसी इनके अन्दर है। भारत बेसिकली एक कृषि प्रधान देश है। 80 प्रतिशत लोग गावों में रहते हैं। लेकिन प्लानिंग और गांवों के बीच में रहने वाले लोगों के बीच कोई कोआर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है। योजना जो हम बना रहे हैं इस योजना का फूट उनको नहीं मिल पा रहा है। अब तक की 'योजना में पार्शियल सफलता ही मिली है, बाकी सबकी सब योजनाएं आपकी फेल हुई है। सम्पूर्ण रूप से कोई योजना सफल नही हुई है। तो आज इसका प्रैक्टिकल अप्रोच हो और इस बात को ध्यान में रखा जाय कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, गांवों में रहने वाले लोगों को उसका समुचित लाभ मिले, इस योजना में इसका पूरी तरह से समायोजन होना चाहिए।

श्री कमला प्रसाद सिंह (जौनपुर) : सभापति महोदय, मैं सातवीं पंचवर्षीय योजना का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सातवीं योजना के माध्यम से निश्चित रूप से गरीबी की रेखा के नीचे अपना जीवन व्यतीत करने वालों को लाभ पहुंचेगा। इसके साथ साथ इस योजना में जो जनकल्याणकारी कार्य रखे गए हैं उनके द्वारा निश्चित रूप से गरीब तथा निर्बल वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचेगा। मैं माननीय प्रधान मन्त्री तथा माननीय योजना राज्य मन्त्री को बधाई देना चाहता हूं कि बहुत ही अच्छे कार्यक्रम इस योजना में सम्मिलित किए गए हैं। निश्चित रूप से हर व्यक्ति को इनसे लाभ मिलेगा।

अब मैं अपने क्षेत्र और प्रदेश के सम्बन्ध में कुछ बातें कहना चाहूंगा। जैसा कि अभी हमारे भाई राजकुमार जी ने भी कहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश बहुत ही पिछड़ा हुआ है। 1962 में पं० जवाहरलाल नेहरू ने योजना आयोग के उस समय के उपाध्यक्ष श्री पटेल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था वहां के चार जनपदों की गरीबी का पता लगाने के लिए, वह वह समिति बनाई गई थी। जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, गाजीपुर जनपदों में वह समिति गई थी और वहां से वापिस आने के बाद हमारी गरीबी और पिछड़ेपन को देखकर उनको बड़ी चिन्ता हुई और उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें उन्होंने कहा कि कि इन जनपदों में भारी उद्योग लगाए जायें ताकि बेरोजगारी दूर हो सके तथा बेरोजगार लोगों की रोजी-रोटी का सहारा बन सके। आज तक जौनपुर जनपद में एक भी भारी उद्योग नहीं लगाया गया है। मैं आपके

माध्यम से माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जौनपुर जनपद में एक भारी उद्योग लगाने की योजना इस सातवीं पंचवर्षीय योजना में अवश्य सम्मिलित करने का कष्ट करें।

उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग हमेशा से ही बाढ़ की चपेट में रहा है। वहां पर हर वर्ष करोड़ों का नुकसान होता है, जन-धन की हानि होती है। हमारे जौनपुर में अभी बहुत दिनों तक बल्कि महीनों बाढ़ का पानी टिका रहा। वहां पर हमेशा ही शहर तथा गांवों में बाढ़ का पानी भरा रहता है जिससे करोड़ों की फसलों एवं मकानों की हानि होती है। लाखों रुपए का गल्ला सरकार को वहां पर वितरित करना पड़ता है। जब मैं विधान सभा का सदस्य था तो वहां भी मैं कहता था और आज भी आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि वहां पर कोई स्थायी हल का उपाय होना चाहिए। मैंने इस सम्बन्ध में एक प्रश्न किया था, जल साधन मन्त्री जी ने उत्तर में कहा है कि जौनपुर संरक्षण योजना पर आयोग विचार कर रहा है। मुझे, आशा है कि जौनपुर जनपद जोकि बराबर हर साल बाढ़ की चपेट में आता है, उसके स्थायी हल के लिए किसी योजना को इस सातवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया जायेगा। हमारे जनपद में बहुत से विद्यालय भवनहीन हैं, इस वजह से लड़कों को पेड़ के नीचे बैठ कर पढ़ना पड़ता है, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो या बरसात का मौसम हो। हमेशा उनको कष्ट होता है और इन परेशानियों की वजह से उनकी छुट्ठी हो जाया करती है। ठण्डी के दिनों में भी यही हालत होती है, बाढ़ और लू के दिनों में भी इस तरस की बात होती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जहां-जहां भवन-विहीन विद्यालय हैं, वहां-वहां भवन बनाने की योजना आपको निश्चित रूप से बनानी चाहिए।

हमारे जनपद में गडियाल तहसील है, जहां पेयजल का बहुत भयकर संकट रहता है। यहां तक कि गर्मियों के दिनों में यदि कोई बारात आती है तो उनको स्वागत करने के लिए वे पानी भी नहीं दे पाते हैं। मीठा खिलाने के बाद वे वैसे ही वापिस चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वहां टैंक बनाने बन्द हो गए हैं। जो हैंड पाइप लगाई जा रही है वे 1972 के सर्वेक्षण के आधार पर लगाई जा रही है, न कि आज जनसंख्या के आधार पर लगाई जा रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि हैंड पाइप जनसंख्या के आधार पर और अभावग्रस्त क्षेत्रों में लगाई जानी चाहिए। 1972 के सर्वेक्षण को समाप्त किया जाना चाहिए और आज की जनसंख्या के आधार पर हैंडपाइप लगाने की व्यवस्था करनी चाहिए।

हमारे क्षेत्र में दो-दो, नगरपालिकायें और नोटिफाइड एरिया तथा टाउन जोन एरियाज हैं, वहां पर सड़कों की बहुत खराब स्थिति है। वहां ट्यूबवैल लगाकर पानी को व्यवस्था करनी चाहिए। जहां ट्यूबवैल लगे हुए हैं वहां बिजली की व्यवस्था न होने के कारण किसानों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। निश्चित रूप से डिस्ट्रिक प्लान के अन्तर्गत हमारे उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट योजना लागू है और हमारे जनपद में भी है, वहां विकास हो रहा है चाहे सड़क की बात हो नहरों की बात यां ट्यूबवैलों की बात हो। लेकिन जब बाढ़ नियंत्रण की बात आती है, तो इस तरह की चीजें हल नहीं हो पाती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस तरह की कठिनाइयों को दूर करने के लिए, जनकल्याणी कार्य करने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना को तैयार किया गया है। इस दस्तावेज को इस प्रकार बनाया गया है, कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, जो इससे लाभान्वित नहीं होगा। मै चाहता हूं कि इस तरह की बातों को यदि योजना में जोड़ा जाएगा तो काफी लाभ इससे हमें मिल सकेगा।

आप धन तो पानी की तरह दे रहे हैं, लेकिन बीस सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से जिला स्तर

पर जो समितियां बनी हैं उसके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी भी आपको समितियों को देनी चाहिए। निश्चित रूप से आप सड़क बनाने के लिए या विद्यालय बनाने के लिए या किसी भी कार्य के लिए धन देते हैं, वह पैसा उस काम में पूरी तरह से खर्च नहीं होता है। इसका नतीजा यह होता है कि एक ही काम के लिए, जैसे एक किलोमीटर सड़क पर जिला परिषद् मिट्टी डालने के लिए, 18-19 हजार रुपए लेती है, विकास खण्ड 12-13 हजार रुपए लेता है और ग्रामीण अभियन्तरण उसी काम के लिए 30-35 हजार रुपए लेता है। इस तरह की विसंगतियां नहीं होनी चाहिए। बीस सूत्री कार्यक्रम से निश्चित रूप से हर व्यक्ति को लाभ मिल रहा है। एक सूत्र से लेकर बीस सूत्र तक, आप किसी भी सूत्र को देख लीजिए, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो इस कार्यक्रम अछूता रहा होगा। आप इसके कार्यान्वयन में यदि निश्चित रूप से सहयोग देंगे तो उससे लाभ होगा।

इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना का जो दस्तावेज बना हुआ है, उसके लिए मैं प्रधान मंत्री जी और माननीय मंत्री जी को बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) हमारी छठी पंचवर्षीय योजना समाप्त हो चुकी है और अब हम सातवीं पंचवर्षीय योजना शुरू करने जा रहे हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना आरम्भ करने से पूर्व सरकार तथा योजना आयोग को पिछली योजनाओं की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना चाहिए। सरकार को यह याद दिलाने के लिए कि लगातार पंचवर्षीय शोजनाओं में हमने कितनी प्रगति की है, मेरे पास कुछ रिकार्ड है।

यद्यपि कृषि उत्पादन तथा अद्योगिक उत्पादन में हमने कुछ प्रगति की है फिर भी राष्ट्रीय आय बहुत धीमी गति से बढ़ने के कारण कुछ भ्रम उत्पन्न हुआ है छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त में कृषि उत्पादन लगभग 154 मिलियन टन हुआ जो 4.5 प्रतिशत अधिक था और औद्योगिक उत्पादन लगभग 7 प्रतिशत रहा लेकिन राष्ट्रीय आय केवल 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ी। इस समय भारत में कुल जनसंख्या का 70 प्रतिशत भाग 7 से 8 प्रतिशत एक राष्ट्र की व्यक्तिगत आय की 7 से 8 प्रतिशत भाग का भागीदार है। इसके अतिरिक्त 20 प्रतिशत भाग कुल व्यक्तिगत आय के 45 से 48 प्रतिशत भाग का भागीदार है। दूसरी तरफ 1981 में बड़े घराने की सम्पत्ति 8,987.2 करोड़ रु० थी। इससे सम्पत्ति में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 1972 में इसे 2,883.69 आंका गया था। अतः सरकार को इस बात की जानकारी रखनी चाहिए कि हमारी औसत वृद्धि कहां पर टिकी हुई है और स्वतन्त्रता का कौन फायदा उठा रहा है तथा सरकार को यह देखना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को ये सुविधायें समान रूप से मिलें।

केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को मुख्य मदों जैसे इस्पात, कोयला तथा कपड़े के संबंध में वर्ष 1983-84 में 872 करोड़ रुपये के मुकाबले गत वर्ष में 192 करोड़ रुपये के भारी नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। एक वर्ष में हानि बढ़कर 35 प्रतिशत हो गई।

हम सहयोग, वित्तीय सहयोग, निवेश तथा विदेशी मुद्रा के बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं। आप कृपा करके विदेशी अथवा विदेशी कम्पनियों से हमारी विकास परियोजनाओं के संबंध में

मिलने वाले सहयोग के आंकड़े देखिये जिन्हें मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। हम अन्य देशों की तरफ बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं ताकि वे हमारी सहायता कर सकें। समय की कमी के कारण, मैं आपको केवल वर्ष 1984 के आंकड़े दूंगा। सरकार सहयोग करने वाली 755 कम्पनियों को पहले ही स्वीकृति दे चुकी है। इस समय विदेशी सहयोग में 11,300 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है। यह एक नुकसान है। अत: आओ हम देखें कि छठी पंचवर्षीय योजना में हमने क्या किया है ?

उद्योग में लघु, मध्यम तथा बड़े रुग्ण एककों की संख्या 80,000 से अधिक थी। सही-सही संख्या 83,597 थी। इसके परिणामस्वरूप 3,274 करोड़ रुपये की हानि हुई है। यह रिकार्ड अच्छा नहीं है। यह सरकार के लिए उत्साहजनक नहीं है।

बन्द एककों की संख्या 187 है और इससे 71,370 श्रमिक प्रभावित हुए हैं। हम बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से सम्बन्धित विदेशी सहायता एवं सहयोग पर निर्भर कर रहे हैं। हमारे रिकार्ड से पता चलता है कि विदेशी सहयोग में 11,322 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है। पंचवर्षीय योजना के बाद जैसा कि हम सोच रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों की प्रतिशतता में बहुत थोड़ी मात्रा में वृद्धि होगी। हम पूर्ण रूप से साक्षरता चाहते हैं अथवा यह कहा जाये कि 2000 ई० सब के अन्त तक सात से चौदह वर्ष की आयु सीमा के प्रत्येक बच्चे को शिक्षित किया जायेगा।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिये।

श्री पीयूष तिरकी : गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे लोगों की संख्या दुगुनी हो जायेगी और 2000 ईसवीं सन में इस संख्या में 5 प्रतिशत की कमी आयेगी। यह भी हो सकता है कि गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोग बिल्कुल समाप्त हो जायें। यह आशा की जाती है कि खाद्यान्न में प्रति व्यक्ति खपत वर्ष 1984-85 में 178 कि० ग्राम से बढ़कर 1999-2000 ईसवीं सन में 275 कि० ग्राम हो जायेगी।

मुझको आश्चर्य है कि सरकार इन समस्याओं का कैसे सामना करेगी। यह स्वाभाविक है कि लोगों में रोष उत्पन्न हो रहा है।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिये। अब कुछ भी रिकार्ड नहीं होगा। आगे कुछ मत कहिये।

श्री पीयूष तिरकी : सरकार को इन सब बातों को ध्यान पूर्वक देखना चाहिए।

सभापति महोदय : आप अपना समय बेकार मत कीजिये, अब आगे रिकार्ड नहीं होगा।

अब श्री कुप्पुस्वामी।

***श्री सी० के० कुप्पुस्वामी** (कोयम्बटूर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सातवीं पंचवर्षीय योजना के समर्थन में कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

आरम्भ में, मैं तमिलनाडु की जनता की ओर से भारत के भारत के प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी को सातवीं पंचवर्षीय योजना में तमिलनाडु के लिए 5,750 करोड़ रु० के परिव्यय की स्वीकृति देने के लिए अपना आभार प्रकट करना चाहूंगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप बिना तमिलनाडु में छठी पंचवर्षीय योजना में लगायी गई पूंजी में 60% की वृद्धि संभव न होती।

सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हमारे माननीय प्रधानमंत्री के गतिशील नेतृत्व में की जाएगी। योजना प्रलेख में लक्ष्यों का उद्देश्य गरीबी समाप्त करना, करीब पूर्ण रोजगार की स्थितियां उत्पन्न करना, खाद्यान्न कपड़े, आवास के संबंध में जनता की मूल आवश्यकताओं की व्यवस्था करना और प्राथमिकता स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाना है।

मैं इस अवसर पर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि तमिलनाडु में ग्रामीण क्षेत्रों की मुख्य समस्या पेयजल की कमी है। मै चाहता हूं कि तमिलनाडु के सभी गांवों में पेयजल की सप्लाई के लिए विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इस लक्ष्य की प्राप्ति 7वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हो जानी चाहिए।

दूसरे, तमिलनाडु में कृषि उत्पादन बिजली की निरन्तर और नियमित सप्लाई पर निर्भर है। दुर्भाग्यवश वहां बिजली की अत्यधिक कमी है और ग्रीष्म ऋतु के दौरान बिजली की कटौती 60% तक की जाती है। इस बिजली की कटौती में प्रमुख उद्योग भी शामिल किए जाते हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि किसानों को उनकी आवश्यकता के समय बिजली नहीं मिल रही है। इसलिए मेरा सुझाव है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में तमिलनाडु राज्य में विद्युत क्षमता का सृजन करने के लिए पूर्ण ध्यान दिया जाना चाहिए।

तीसरे, तमिलनाडु मीटर-गेज रेलवे लाईन होने के कारण महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रगति करने में समर्थ नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 38 वर्षों के बाद भी कोई प्रमुख बरोड़गेज रेलवे परियोजना पूरी नहीं की गई है वर्ष 1981 में करूर-दिंदीगुल और टूटीकोरिन के बीच बरोड़गेज-परियोजना को स्वीकृति की गई थी। और यह निधियों की कमी के कारण कछुए की चाल से आगे बढ़ रही है। मैं चाहता हूं कि यह महत्वपूर्ण बरोड़गेज-परियोजना 7वीं पंचवर्षीय योजना में अन्त तक पूरी हो जानी चाहिए क्योंकि केवल यह परियोजना ही तमिलनाडु राज्य में पिछड़ेपन को समाप्त कर पाएगी। मैं चाहता हूं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना पूरी होने से पहले करूर-दिंदीगुल-टूटीकोरिन बरोड़गेज परियोजना पूरा करने के लिए पर्याप्त वित्तीय आबंटन किया जाना चाहिए।

चौथे, दीर्घ अवधि से लम्बित पुनामप्पूजा-अलीमर परियोजना को तेजी से पूरा किया जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इस परियोजना के लिए पर्याप्त आबंटन किया जाना चाहिए।

पांचवे, मेरा माननीय योजना मंत्री से अनुरोध है कि सम्पूर्ण देश में गरीबी उपशमन कार्यक्रम प्रचुर मात्रा में कार्यान्वित किए जाने चाहिए। मैं चाहता हूं कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि योजना कार्यक्रमों द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे की जनता को अधिकांश प्रतिशत को ऊपर उठाया जा सकता है। सभी राज्यों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण श्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम की नियमित निगरानी रखी जानी चाहिए। ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र पर सातवीं पंचवर्षीय योजना प्रलेख में निर्दिष्ट अन्य क्षेत्रों से

अधिक बल दिया जाना चाहिए । इसी प्रकार, परिवार कल्याण कार्यक्रम के सफलतापूर्वक कार्यान्वियन के लिए अत्यधिक ध्यान दिया जाना चाहिए । देश में, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरक प्रणाली को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ।

मैं अपनी बात समाप्त करने पहले, से सुझाव दूंगा कि जहां तक तमिलनाडु का संबंध है, इस्पात, कोयला आदि जैसे जरूरी कच्चे माल की सप्लाई सुनिश्चित की जानी चाहिए । कभी-कभी तमिलनाडु ताप परियोजनाओं के लिए कोयले की सप्लाई कम होती है। ऐसी अड़चनें संयुक्त रूप समाप्त की जानी चाहिए ।

मैं इस अवसर पर यह सुझाव देना चाहूंगा कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सेतुसमुद्रम परियोजना शुरू की जानी चाहिए । क्योंकि यह सभी दृष्टियों से देश के लिए सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है ।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

प्रो० नारायण चन्द्र पराशर (हमीरपुर) : मैं सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए सभा पटल पर रखे गए दस्तावेज का समर्थन करता हूं । पहली बार ऐसा किया गया है कि समाचार ने इस योजना को आगामी 15 वर्षों के परिप्रेक्ष्य में तैयार करना उचित समझा है । इस प्रकार यह अन्य दो पंचवर्षीय योजनाओं के लिए भी अग्रगामी है । वे इस योजना से मार्गनिर्देश भी प्राप्त करेगी ।

योजना आयोग वर्ष 1938 में में भारतीय नेशनल कांग्रेस द्वारा उसकी योजना संबंधी नेशनल समिति स्थापित किए जाने के बाद से विद्यमान है । उस समय भारतीय नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, जवाहरलाल नेहरू को योजना संबंधी नेशनल समिति का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया गया था । तब से योजना आयोग को देश के आर्थिक विकास के लिए प्रणाली के रूप में समझा जाता है ।

कल माननीय प्रधान मंत्री ने, जो योजना आयोग के अध्यक्ष भी हैं । सातवीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य पर प्रकाश डाला था । योजना में मुख्य बात गरीबी, बेरोजगारी हटाने और अर्थ- व्यवस्था की वृद्धि दर बढ़ाने पर बल दिया गया है ।

वास्तव में आबंटन के मामले में बहुत से क्षेत्रों को उनका उचित भाग नहीं दिया गया है । मैं विशेष रूप से योजना मंत्री का ध्यान परिवहन के बुनियादी ढांचे के लिए आबंटन की ओर दिलाना चाहता हूं । आई० बी० आर० डी० ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ठीक ढंग से चल रही है, लेकिन इसमें कुछ अड़चनें हैं और मुख्य कठिनाई परिवहन के बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में है ।

4.47 म० प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

जब तक परिवहन नेटवर्क और बुनियादी ढांचे की अन्य मदों को उचित महत्व नहीं दिया जाता है देश पूर्ण रूप से प्रगति नहीं कर सकता क्यों कि इस समय हम केवल बंबई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली जैसे सभी प्रमुख महानगरों को जोड़ने के लिए खर्च कर रहे हैं । इसे स्वर्ण चतुष्कोण कहा जाता है । दूर संचार के लिए स्वर्ण त्रिकोण अर्थात् दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता हैं ।

प्रत्येक क्षेत्र में स्वर्ण त्रिकोण हैं । पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों के इलाकों को अछूता छोड़ दिया गया है। इस संबंध में, मैं योजना मंत्री का ध्यान नई रेलवे लाइनों के लिए किए गए बहुत कम आबंटन की ओर दिलाऊंगा। यह पृष्ठ 215 अध्याय 8 पर है, जिसमें 350 रुपये आबंटित किए गए हैं। यदि आप केवल उन सभी चालू कार्यों को पूरा करना चाहते हैं जो छठी पंचवर्षीय योजना में शुरू किए गए थे, यह राशि उन लाइनों के लिए भी पर्याप्त नहीं होगी । मुझे नंगल-पलवाड़ा लाइन का मामला याद है। 11 वर्ष पहले स्वर्गीय एल० एन० मिश्रा ने 22 दिसम्बर, 1979 को इस लाइन की नींव रखी थी। राज्य सरकार इस लाइन की भूमि और भूमि कार्य के लिए अपने बजट में 1 करोड़ रु० उपलब्ध करा रही है और केन्द्रीय सरकार चालू रेलवे बजट में 50 लाख रु० दे रही है। यह भाग्य की विडम्बना है कि पहाड़ी और सीमा प्रान्त क्षेत्रों के विकास के लिए केन्द्र द्वारा अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की जा रही है और छोड़ी जा रही है। मैंने इस प्रलेख के सोलहवें अध्याय की सावधानीपूर्वक जांच की है जो पहाड़ी क्षेत्रो के विकास के लिए सरकार के निश्चय पर प्रकाश डालता है। लेकिन यह केवल पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम और राज्य सूची में दिए गए विषयों पर बल देता है। जहां तक केन्द्रीय सूची का संबंध है अब, पहाड़ी क्षेत्रों का विकास कौन कर रहा है ? राज्य सरकारों का रेलवे से कोई संबंध नहीं है, डाक और दूरसंचार राज्य सरकारों से संबंधित नहीं है, आकाशवाणी का राज्य सरकारों से संबंध नहीं है, बैंकिंग राज्य सरकारों का क्षेत्र नहीं है। इस प्रकार, इन सभी प्रमुख क्षेत्रों को उनको महत्व दिया जाना चाहिए और मैं योजना मंत्री से अनुरोध करूंगा कि उन्हें वह दिन, मुख्यतः 12 मार्च, 1965 का दिन याद करना चाहिए जब नेशनल विकास परिषद ने कुछ क्षेत्रों को पहाड़ी क्षेत्रों के रूप में स्वीकार किया था और योजना आयोग द्वारा 9 सितम्बर, 1996 को एक अधिसूचना जारी की गई थी कि निम्नलिखित क्षेत्रों को विशेष विकास के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र अथवा विशेष क्षेत्र के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए लेकिन जहां तक केन्द्रीय परियोजनाओं का संबंध है विधियों के आबंटन में कोई केन्द्रीय छूट नहीं दी गई है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि विभिन्न योजनाएं बनाई जाएं। उदाहरण के लिए दूरसंचार विभाग ने सम्पूर्ण देश को केन्द्र से पांच किलोमीटर परिधि के 29,000 षड़भुजों में विभाजित किया है ताकि प्रत्येक गांव के लिए पांच किलोमीटर के बीच टेलीफोन उपलब्ध कराया जा सके। लेकिन क्या हुआ है ? अब इस योजना के आरम्भ में लक्ष्य 1990 से बढ़ाकर 2000 कर दिया गया। इनमें से केवल एक-तिहाई षड़कोणों को योजना के अन्तर्गत लाया जाना है। अतः मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जिन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक नहीं है किंतु जो सीमा क्षेत्र अथवा सामरिक महत्व के क्षेत्र हैं,उनके लिए इन उद्देश्यों को पुनः निधारित किया जाना चाहिए और सातवीं पंचवर्षीय योजना में इन सभी क्षेत्रों में काम कर लिया जाना चाहिए। इसी प्रकार मैं ये भी अनुरोध करता हूं कि कम से कम पहाड़ी इलाकों में चल रही सभी परियोजनाओं को जैसा कि लगभग 20 वर्ष पहले 1966 में आपने वादा किया था, कि उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, सातवीं पंचवर्षीय योजना में पूरा कर लिया जाना चाहिए यह पहाड़ी इलाकों के विकास के पक्ष में एक मजबूत तर्क होगा यदि आपसे द्वारा पहले से शुरू की गई स्वीकृति की गई, और आपके द्वारा वित्त पोषित की गई तथा छठी योजना के पहले दूसरे, तीसरे अथवा चौथे वर्ष में शुरू की गई परियोजनाओं को सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के भीतर पूरा कर लिया जाये।

दूसरे मैं रेल-व्यवस्था के विस्तार के लिए निधि में वृद्धि का अनुरोध करूंगा। केवल पुरानी परिसम्पत्तिओं को बदलना ही काफी नहीं होगा। जब तक आप अधिक ग्रामीण क्षेत्रों तथा जिला

मुख्यालयों को नहीं जोडेंगे देश के औद्योगिक विकास की तीव्र नहीं होगी। इसलिए रेलवे तथा राष्ट्रीय परिवहन की बुनियादी सुविधायें दो महत्वपूर्ण चीजें हैं।

इसी प्रकार मैं दूरसंचार विभाग के लिए अधिक आबंटन का अनुरोध करता हूं। उन्होंने 1100 करोड़ रुपए की योजना का प्रस्ताव किया किंतु आपने उन्हें 4000 करोड़ रुपये दिये हैं। इसलिए मैं यह सुझाव दूंगा कि देश को दूरभाष, रेलवे लाइनों राष्ट्रीय राज मार्गों अथवा पुलों के माध्यम से जोड़ने वाले कुछ महत्वपूर्ण इलाकों को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार वायुमार्ग से जोड़ने वाले इलाकों जैसे शिमला एयरपोर्ट तथा अन्य स्थानों, जिन्हें प्राथमिकता नहीं दी जा रही, को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इन सीमाओं के भीतर, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि चल रही परियोजनाओं के लिए क्षेत्रीय आबटन में वृद्धि की जाए। इन्हें पूरा किया जाए तथा पहाड़ी इलाकों को प्राथमिकता दी जाए। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

श्री के० एन० प्रधान (भोपाल) : सभापति जी, चूंकि समय बहुत कम है इसलिए सीधे ही अपने सुझावों पर आना चाहता हूं। प्लैन अच्छा है उद्देश्य अच्छे हैं और लक्ष्य बहुत शानदार हैं। जब तक लक्ष्यों की प्राप्ति न हो तब तक वह शानदार नहीं हो पाता। इस लक्ष्य की प्राप्ति में जो सबसे बड़ा रोड़ा पहली पंचवर्षीय योजना से आज तक आता रहा है, वह है आबादी की वृद्धि दर। इक्कीसवीं सदी में हम प्रवेश करने वाले हैं इसलिए हमने यह कल्पना की है कि इसको 1.53 प्रतिशत तक ले आयेंगे। इस देश में खुशहाली की कल्पना तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हम अपनी आबादी की वृद्धि की दर को जीरो तक नहीं ले आते हैं। अगर इक्कीसवीं सदी में भी नही लाएंगे तो निश्चित रूप से जो खुशहाली का लक्ष्य है, उसे प्राप्त नहीं कर सकते। मेरा निवेदन यही है कि जिस तरह से बीमारी को दूर करने के लिए हमें कुछ तरीके अपनाने पड़ते हैं, कड़वी दवाई या इंजैक्शन देना पड़ता है या आपरेशन करना पडता है, उसी तरीके से कुछ डेटेरेंट मेजर्स क्योरेटिव मेजर्स भी इस आबादी की दर को कम करने के लिए अपनाने पडेंगे तभी हम सफल हो सकेंगे सबसे बड़ी कमी साधनों की है। अगर हमारे पास साधन नहीं हैं तो हमारे निश्चित ही कितने अच्छे लक्ष्य हों, हम उनकी प्राप्ति नहीं कर सकते।

हमने 1968 में एक स्वर्ण नियंत्रण कानून बनाया था। इस देश में आज भी लोग कहते हैं कि यह देश पहले सोने की चिड़िया था, लेकिन मैं कहूंगा कि आज भी इस देश में बहुत जबर्दस्त सोने की मात्रा मौजूद है। सरकारी अनुमान के अनुसार यह 5 हजार टन है, लेकिन वास्तविकता है कि देश में 5 हजार टन से कहीं ज्यादा सोना है जो कि साधनों के रूप में काम में लाया जा सकता है। भविष्य में यदि हम हिम्मर से काम लें और उस पर पूरा नियंत्रण करें तो हमें उससे बहुत बड़े साधन मिल सकते हैं। खुशी की बात है कि कभी-कभी बुराइयों में अच्छी बातें भी निकलती हैं। सोने से ही इस देश में चोरी डकैती, छीना छपटी की घटनाएं बढ़ी हैं इस कारण से महिलाओं ने सोना पहनना छोड़ दिया। आज अधिकांश महिलाएं चांदी की तरफ जा रही हैं जिससे चांदी की चांदी हो गई है। आज महिलायें चांदी और रोल्ड-गोल्ड पहनती मानसिकता है। भी यह है कि आज हमारा पुरुष वर्ग यह देखता है कि महिलाओं को सोना नहीं पहनना तो उससे क्यों लगाव रखा जाये। हम सोने पर पूरा नियंत्रण करें। सोना रखना, सोने की बिक्री

करना, खरीद करना, अपराध और कारावास से दंडनीय अपराध बना दें तो निश्चित ही सोने का बहुत भण्डार आ सकता है। उसके बदले में छोटी मात्रा में सोना देने वालों को आप तत्काल मुआवजा दें और बड़ी मात्रा में सोना देने वालों को किश्तों से पैसा देकर अच्छा सूद दें और यह कहें कि 21वीं शदाब्दी में सोना पहनना शुरू कर सकते हैं। इससे निश्चित ही हमारे पास बड़े साधन होंगे। इसका एक लाभ यह होगा कि आज तस्करी जो कि सीने की सबसे अधिक होती है वह भी खत्म हो जायेगी, काला-धन भी खत्म हो जायेगा। चोरियां डकैतियां कम हो जायेंगी। अपराध बहुत कम हो जायेंगे। इस कारण सोने पर पूरी तरह से नियंत्रण करें।

मेरे 2-3 और सुझाव हैं। गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए जो सहायता केन्द्र सरकार राज्यों को देती है, उसमें अभी असंतुलन है। अगर हम इसे खत्म करना चाहते हैं तो हमें आबादी के अनुपात में मदद देने के बजाय, जिस राज्य में जितने लोग गरीबी की रेखा से नीचे की आबादी में है, उसके अनुपात में पैसा दें तो अच्छा होगा। बराबरी से गरीबी दूर हो सकेगी।

हमने छठी पंचवर्षीय योजना में 600 परिवारों को प्रति विकास खंड में मदद देने का लक्ष्य रखा था। मध्य प्रदेश में 56 लाख परिवार थे। उससे 14 लाख परिवार लाभान्वित हुए और शेष निश्चित ही सन् दो हजार तक लाभान्वित हो सकते हैं। लेकिन अभी जो नये निर्देश दिए हैं कि विकास खंडों में प्रति विकास खंड केवल 200 परिवारों को मदद दें इससे निश्चित ही गरीबी की रेखा से लोगों को ऊपर उठाने में 45 वर्ष लगने वाले हैं। अत: आप इसे भी देखें।

आज पानी की बहुत आवश्यकता है। इसके साथ सिंचाई की भी आवश्यकता है। आज जो नये पुल-पुलिया बनते हैं उसके साथ-साथ स्टाप डैम की व्यवस्था भी करें और समुद्र में जाने वाले पानी को सरफेज में रखने के साथ-साथ नई टेक्नालजी अपनाकर अं3र-ग्राउंड वाटर की मात्रा भी बढ़ाएं। अगर हम इस तरीके से सोचेंगे तो निश्चित ही हम सफल होंगे। इससे पीने के के पानी की समस्या भी हल हो जाएगी और सिंचाई में भी सारी मदद मिल सकेगी। सिंचाई योजना बनाते वक्त यह देखें कि आसपास के क्षेत्र को पीने के पानी की योजना में हम शामिल कर सकते हैं या नहीं।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री सी० के० जाफर शरीफ (बंगलौर उत्तर) : आज हम सातवीं पंचवर्षीय योजना पर विचार करेंगे। व्यक्तिगत रूप से मेरा यह विचार है कि यह हमारे लिए इस पूरी योजना पर विचार करने के लिए सुअवसर है।

प्रो० मधु दण्डवते का कहना है कि इसे जल्दी में लाया गया है तथा लोगों का विश्वास नहीं प्राप्त किया गया।

5.00 म० प०

महोदय उन्होंने एक बात कहनी है। मुझे यकीन है कि मेरे माननीय मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त भी मेरे साथ सहमत होंगे। कुछ समय पहले देश में यह चर्चा थी कि हमारे देश में लोकतांत्रिक पद्धति

हो अथवा राष्ट्रपति प्रणाली। मैं इसका जिक्र किसी और बात के लिए नहीं कर रहा। हम वाद-विवाद के लोकतांत्रिक युग से गुजर रहे हैं। इसमें सभी भाग लेना चाहते हैं, अपने क्षेत्र, अपने निर्वाचन क्षेत्र तथा अपने लोगों के बारे में कुछ कहना चाहते है। महोदय, अब समय आ गया है जब हमें नए सिरे से विचार करना होगा और हमें निश्चित ही अपने अनुभव से सोचना होगा कि क्या हमें वाद-विवाद वाले लोकतंत्र को ही चलाना चाहिए अथवा कार्यात्मक लोकतंत्र होना चाहिए। हमें कार्यात्मक लोकतंत्र से योजना बनाने तथा इसके कार्यान्वियन में अधिक योगदान देने का अवसर मिलेगा। मैं पूरे सदन से अपील करता हूं कि जब हम बात करते हैं, अपने बारे में, अपने लोगों तथा क्षेत्र के बारे में बात करते हैं हमें अपने आपसे यह भी पूछना चाहिए कि क्या हमें सब कुछ, कुछ लोगों द्वारा कार्यान्वियन के लिए छोड़ देना चाहिए अथवा लोगों के एक सच्चे प्रतिनिधि के रूप से वर्तमान व्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए और क्या हमें वर्तमान व्यवस्था को वाद-विवाद वाले समाज की अपेक्षा कार्यात्मक लोकतंत्र में बदलना चाहिए।

हमारा उद्देश्य क्या है? हमें अपने पूर्वजों तथा संस्थापकों पर गर्व होना चाहिए जिन्होंने हमें योजनागत विकास दिया है जिसके कारण हमारा देश आत्म-निर्भर हुआ है। विकासशील विश्व में हमारा देश महत्वपूर्ण देशों में से एक है। जो कुछ उपलब्धि हुई है उसका श्रेय हमें जाता है, चाहे उसकी कितनी भी आलोचना हो—आलोचना करने वाला चाहे कोई हो—चाहे सदन के सत्तारूढ़ दल का हो या विपक्ष का—मुझे यकीन है कि सभी इस बात से सहमत होंगे कि भारत ने अपनी एक पहचान बनाई है। भारत ने कुछ ऐसी उपलब्धियां प्राप्त की हैं जो कि न केवल विकासशील देशों अपितु विकसित देशों द्वारा भी महसूस की गई हैं। यह सबसे बड़ा योगदान है, न केवल व्यवस्था के कारण बल्कि लोगों के कारण भी।

योजना क्या है? योजना का लक्ष्य क्या है? मेरा विचार है कि योजना व्यक्तियों तथा क्षेत्रों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने की है। हम कहते हैं कि हम ऐसे युग से गुजर रहे हैं जिसमें कि क्षेत्रवार भी सिर उठा रहा है। क्षेत्रवार बीच में आता ही क्यों है? ऐसा असंतुलित विकास, लोगों अथवा क्षेत्र के पिछड़ेपन के कारण होता है। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। जब हम अपनी बात करते हैं तो हमें अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की भी बात करनी चाहिए। मैं स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने हमें 20 सूत्री कार्यक्रम दिया। गरीबी हटाओ कार्यक्रम के रूप में 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाना है। उन्होंने कहा था "लोगों को देश के सम्मानित नागरिक के रूप में रहना चाहिए।" मैं विपक्षी दल से अपील करना चाहता हूं कि कांग्रेस ने परिवार नियोजन कार्यक्रम का कार्यान्वयन करके सबक सीखा है। आज कोई भी राजनैतिक दल परिवार नियोजन की बात नहीं करना चाहता। जब तक हम जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं करते·····

डा० ए० कलानिधि (मद्रास मध्य) : हमने तमिलनाडु में ऐसा किया है इसलिए कष्ट उठा रहे हैं।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : मैं उनकी बात कर रहा हूं जो यहां पर बैठे हैं और इसका कार्यान्वयन नहीं कर रहे हैं। हम यहां पर बैठते हैं और बातें करते हैं फिर भी 10 बच्चे पैदा करते हैं। इस प्रकार कुछ नहीं होने वाला। जब तक हम जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण नहीं करते कोई भी योजना सफल नहीं होगी। आप कितना भी पूंजी निवेश कर लें जनसंख्या का विस्फोट

सारी पूंजी को हड़प कर जाएगा और हमें योजनागत विकास का लाभ नहीं मिल सकेगा। मैं व्यक्तिगत रूप से यह महसूस करता हूं कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण आधारभूत मानदण्ड होना चाहिए। इसके बाद लोगों तथा क्षेत्रों की आधारभूत आवश्यकताओं की ओर देखें। मैं केवल एक बात का हवाला दूंगा क्योंकि मैं रेलवे से सम्बन्धित था। योजना पर चर्चा के दौरान मैंने देखा कि मेरे मित्र प्रो० नारायण चन्द पराशर जो कि हिमाचल प्रदेश से हैं, ने रेलवे के लिए कम आबंटन की बात की। मैं योजना मंत्री तथा वित्त मंत्री जी से अपील करूंगा कि आप जब तक पर्याप्त धन नहीं देंगे बुनियादी सुविधाओं का विकास नहीं हो सकता। आप हमेशा यह कहकर माल-भाड़ा अथवा किराया नहीं बढ़ा सकते कि यह अति आवश्यक है और आपको ऐसा करना पड़ा। ऐसा न करने का केवल एक ही रास्ता है कि अधिक विद्युतीकरण किया जाए जो कि राष्ट्रीय लक्ष्य है। कुल कितने किलोमीटर हैं। ये लगभग 53596 है। यह रूट की लम्बाई है। किन्तु विद्युतीकरण कितना हुआ है ? यह 6440 किलोमीटर अर्थात् 8.6% है। आप ये उपलब्धि कब प्राप्त करेंगे ? आप कब नियंत्रण करेंगे ? नई लाइनों के बारे में भी प्रो० नारायण चन्द पराशर ने कुछ कहा है। मैं उनसे सहमत हूं। ये एक ही तस्वीर के दो रुख हैं। जब तक बुनियादी विकास नहीं होता, औद्योगिक विकास भी नहीं हो सकता। यदि आप औद्योगिक विकास की मांग करें तो वे कहते हैं कि बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। हमारी ऐसी धारणा बन जाती है क्योंकि पहले ऐसा होता रहा है।

कर्नाटक, जो मेरा अपना क्षेत्र, स्वतन्त्रता-प्राप्ति से पूर्व ऐसा राज्य था जहां आवश्यकता से अधिक विद्युत होती है। इसकी जलवायु तथा सामरिक महत्व के कारण यहां सभी सामरिक उद्योग अवस्थित थे। आज जबकि हमने देश की राष्ट्रीय परियोजनाओं में बहुत योगदान दिया है, कर्नाटक विद्युत की कमी के दौर से गुजर रहा है। हम किसी उद्योग के बारे में सोच भी नहीं सकते। जैसा कि कई वक्ताओं ने सही ही कहा है कि हमारा देश मुख्यतः कृषि पर आधारित है। यहां ऐसे क्षेत्र हैं जहां लोग गरीब हैं। सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है। हम स्रोतों के अभाव के कारण सिंचाई की सुविधा को विकसित नहीं कर सके। आप चाहते हैं कि राज्य अपने स्रोतों को गतिशील बनाए। वे कितना गतिशील बनाएंगे ? जब तक राज्य के अन्दर आर्थिक विकास नहीं होगा वे इस बारे में अधिक कुछ नहीं सकते। यहां पर केन्द्रीय सहायता की अधिक आवश्यकता है।

मैं योजना आयोग तथा भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि वे कर्नाटक राज्य की आवश्यकताओं, सिंचाई तथा विद्युत दोनों की ओर ध्यान दें और जब हम लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने की सोचते हैं तो शहरी क्षेत्रों का और विकास नहीं किया जाना चाहिए। इससे समस्या उत्पन्न हो सकती है।

अतः मैं प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी, जो कि काफी सक्रिय हैं, से अपील करता हूं कि ग्रामीण विकास की ओर अधिक ध्यान दें ताकि शहरी क्षेत्रों में भीड़भाड़ न हो।

मुझे विश्वास है कि नई पीढ़ी पूरी बात पर नए सिरे से गौर करेगी तथा इस बात पर गम्भीरता से विचार करेगी कि वाद-विवाद लोकतन्त्र अथवा राष्ट्रीय लोकतन्त्र में से किसे चुनना चाहिए।

डा० ए० कलानिधि (मद्रास मध्य) : मैं सातवीं पंचवर्षीय योजना पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं जिसे कि अन्तिम रूप देने के बाद इस सदन को प्रस्तुत किया गया है। यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी पूरे हो चुके कार्य के लिए आमन्त्रण देना। सातवीं पंचवर्षीय योजना में लगभग वही प्राथमिकता आबंटन तथा सम्पूर्ण मूल्य में क्षेत्रीय योगदान है, जैसा कि छठी योजना में है।

योजनाएं बनाने के बीच आए सभी चार दशकों में सरकार अथवा योजना आयोग ने प्राथमिकताओं में परिवर्तन करने का प्रयत्न नहीं किया ताकि भारत में रहने वाले सामान्य व्यक्ति, जो कि भूमिहीन बेरोजगार तथा आच्छादित रूप से बेरोजगार है, के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सके। ये योजना पूंजीगत किस्म की विकास योजना है। ये समाजवादी पद्धति की नहीं है, इसमें समाजवाद की ओर झुकाव नहीं है तथा इसका ढांचा भी समाजवादी नहीं है। ये वही पुरानी किस्म की योजना है जिसे बड़ी सफाई से दोहराया गया है। दूसरे शब्दों में यह वही घिसीपिटी बात है।

180,000 करोड़ में से समाज सेवा के लिए केवल 16.31 प्रतिशत ही आबंटित किया गया है जिसके लिए केन्द्र एक-तिहाई तथा राज्य दो-तिहाई देते हैं। कृषि, उद्योग तथा ग्रामीण विकास, जो कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं, के लिए आबंटन छठी योजना के अनुरूप ही है।

अत्यन्त गरीबी वाले देश में योजना में क्षेत्रों को 21वीं शताब्दी से कम से कम एक दशक या इससे पूर्व ही इसे हटाने में लगाने चाहिए। इस योजना तथा इससे अगली योजना के अन्त तक, जैसा कि पूर्वाभास हो रहा है, 21वीं शताब्दी में देश में काफी बेरोजगारी तथा गरीबी होगी।

इस योजना की एक अच्छी बात यह है कि इसमें ऊर्जा में अच्छा पूंजी-निवेश किया गया है। ये 54821 करोड़ अर्थात् योजनागत व्यय का लगभग 30% है। इसके लिए राज्यों का भाग लगभग समान ही है। सम्भवतः ऊर्जा विकास गतिविधियों का केन्द्र बिन्दु है। योजना में इस बात पर ठीक ही जोर दिया गया है तथा मुझे इसकी खुशी है। यदि हमारे पास 1995 अथवा 2000 ए० डी० अतिरिक्त ऊर्जा होगी तो हम समृद्धि की ओर अग्रसर हो सकेंगे। इस सम्बन्ध में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि तमिलनाडु को आबंटित राशि 5750 करोड़ रुपए महाराष्ट्र की तुलना में अपर्याप्त है क्योंकि यद्यपि इसका क्षेत्रफल कम है तो भी विकास की प्रवृति की तुलना महाराष्ट्र से की जा सकती है। तमिलनाडु के लिए अपर्याप्त आबंटन के कारण वहां विकास की प्रक्रिया धीमी तथा अमहत्वपूर्ण हो जाएगी।

सेतुसमुद्रम परियोजना के बारे में काफी कुछ कहा जा चुका है। मैंने पिछली लोक सभा में भी यह प्रश्न उठाया था और अब भी उठाया है। 40 वर्षों से हम इसको परियोजना के कार्यान्वयन के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं। अब समय आ गया है कि तत्काल इसका कार्यान्वयन किया जाए ताकि इसे न केवल अन्तर्देशीय यातायात के लिए उपयोग में लाया जा सके अपितु इसे सुरक्षा के लिए नौसेना अड्डा भी बनाया जा सके क्योंकि हमें पड़ौसी देश, श्रीलंका से धमकी मिल रही है। इस प्रकार हम अपने तमिल लोगों को श्रीलंका के मिलिटरी शासन के नरसंहार से बचा सकते हैं।

तूतीकोरीनकरूर बड़ी रेलवे लाइन, मद्रास के लिए तीव्र मार्गस्थ व्यवस्था तथा तेलगु-गंगा योजना के शीघ्र कार्यान्वयन से आय में बढ़ोतरी होगी।

मैं स्लेम स्टील परियोजना के बारे में अधिक नहीं कहना चाहता। जब डा० कालायंगर करुणानिधि तमिलनाडु के मुख्य मंत्री थे, स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी ने स्लेम स्टील परियोजना की आधारशिला रखी थी। दुर्भाग्यवश अब इसे स्टील रोलिंग संयंत्र बना दिया गया है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इसे स्टील संयंत्र बनाने के लिए शीघ्र उपाय किए जायें।

जब दक्षिणी राज्यों का प्रश्न आता है, मैं नहीं जानता कि सरकार को क्या हो जाता है; वे बड़े आराम से हमें भूल जाते हैं। दक्षिणी भारत, भारत के नक्शे में भी है, उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए।

परियोजनाओं को या तो बिल्कुल छोड़ दिया गया है या उन पर अधूरा काम किया गया है। उन्होंने इस योजना अथवा भविष्य में विकास के महत्वपूर्ण स्तर की उपलब्धि के रास्ते में रुकावटें डाल दी हैं। इसलिए हमारे स्वर्गीय संस्थापक नेता अन्ना ने कहा था, "उत्तर में समृद्धि हो रही है, दक्षिण में गिरावट आ रही है।"

भूतपूर्व रेल मंत्री तथा वर्तमान लोक सभा सदस्य श्री जाफर शरीफ ने परिवार नियोजन के कार्यान्वयन का उल्लेख किया। मैं आपको याद दिला सकता हूं कि जब डा० करुणानिधि तमिलनाडु के मुख्य मंत्री थे, परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रभावपूर्ण ढंग से कार्यान्वयन किया गया था और वर्तमान सरकार द्वारा भी ऐसा किया है जिसके लिए आपने हमें 1 करोड़ रुपए का ईनाम भी दिया है। लेकिन दुर्भाग्यवश लोक सभा में सीटों की संख्या 40 से 39 रह गई है। आप हमें शाबाशी देने की अपेक्षा हमारी पीठ में छुरा भोंक रहे हैं। मैं एक बार फिर कहता हूं कि परिवार नियोजन कार्यक्रम सभी धर्मों द्वारा अपनाया जाना चाहिए। धर्म या जाति बन्ध्यीकरण के रास्ते में रुकावट नहीं होने चाहिए। एक डा० होने के नाते ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मेरे दल की राय नहीं। बन्ध्यीकरण को अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। जब तक परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रभावपूर्ण ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जाता, हम जो भी योजना बनायेंगे उसका लाभ आम आदमी तक नहीं पहुंच सकता।

जैसे कि प्रो० मधु दण्डवते द्वारा पहले ही ठीक कहा गया है, कि इस योजना से अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी, इससे मुद्रास्फीति होगी; गरीब व्यक्ति और गरीब हो जायेंगे तथा अमीर व्यक्ति और अमीर हो जायेंगे। इस प्रकार यह योजना पूंजीवादी किस्म की है। यह समाजवादी पद्धति अथवा ढांचे की नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : सभापति महोदय, कल हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री ने ठीक ही कहा कि अब तक की जितनी पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं, उनमें यह छटी पंचवर्षीय योजना सबसे ज्यादा सफल रही है। मैं यह बताना चाहता हूं कि सन् 1980 में जो हमने छटी पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ की थी, तो उसके पहले जर्जरित अर्थ-व्यवस्था हमको जनता रिजीम ने दी थी। उस समय एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन 17 प्रतिशत नीचे आ गया था और इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन माइन्स 1.4 परसेन्ट था। उस बिगड़ी हुई अर्थ-व्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास छटी पंचवर्षीय योजना में किया गया है और आपको यह जान कर खुशी होगी कि इस पंचवर्षीय योजना में 1982 और 1983 में भयंकर अप्रत्याशित सूखा, बाढ़ और ओले के बावजूद हमने जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में 3.8 प्रतिशत का लक्ष्य रखा था, वह 4.3 प्रतिशत प्राप्त कर लिया। इसलिए हमारी जो सरकार है, जो प्लानिंग कमीशन है, प्रधानमंत्री जी हैं और मंत्री जी हैं, मैं इन सभी को बधाई देना चाहता हूं इस बात के लिए कि उन्होंने तथ्यों को छिपाया नहीं है। जहां उन्होंने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के बढ़ने की बात कही है, वहां माइनिंग और इन्डस्ट्रियल सेक्टर में उन्होंने कहा है कि जबकि हमने 6.9 प्रतिशत बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा था, वहां 3.7 प्रतिशत ही प्राप्त किया है। तो जो तथ्य प्रकाशित किए हैं, वे सही हैं और मैं सरकार को और प्लानिंग कमीशन को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे जो सेक्टर ऐसे थे, जिनमें उपलब्धि नहीं हुई है, उसके बारे में बताया है और उसी चीज को लेकर विरोधी दल के लोग यह कह रहे हैं कि हमारा प्लान असफल हो गया है। तेलगु देशम के हमारे साथी ने कहा कि इसकी कुछ दिशा ही नहीं है। फूड, वर्क और प्रोडक्टिविटी, यह दिशा-निर्देश है, जिस पर

सातवीं पंचवर्षीय योजना का दस्तावेज निर्भर करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह जो सातवीं पंचवर्षीय योजना का दस्तावेज हमारे सामने आया है, उससे निश्चित तौर पर देश में जो गरीबी उन्मोलन का कार्यक्रम है, उसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए और इन्डस्ट्रियल वातावरण बनाने में मदद मिलेगी। यही नहीं, हमारा जो यह दस्तावेज है, इसमें साफ कहा गया है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने उपलब्धियां की हैं, उनको इसमें दिखा दिया है और यह साफ-साफ लिखा है कि देश के केवल 15वें हिस्से में ही हमने 56 प्रतिशत उत्पादन किया है और 70 प्रतिशत जो देश का एरिया है, जो ड्राई लैंड है, वहां पर खेती की व्यवस्था करने की जरूरत है और उसके सुधार की बात कही गई है।

5.17 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

यही नहीं, इसमें उन बातों की ओर संकेत किया गया है, जिनकी आवश्यकता है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि खासकर हमारा जो पब्लिक सेक्टर है, उसमें हमारा 85 हजार करोड़ से अधिक रुपया लगा हुआ है चाहे स्टेट का हो या सेन्ट्रल सेक्टर का हो, आज उसमें सुधार की जरूरत है और उसमें एफीशियेन्सी लाने की जरूरत है। आज हो क्या रहा है। एकोनामी के नाम पर जो पब्लिक सेक्टर के उद्योग हैं, वे अपनी मनमानी कर रहे हैं। उनकी बेलेंस शीट को हमारे प्लानिंग कमीशन को देखना पड़ेगा। जो ठेके वे एवार्ड करते हैं, उनको देखना पड़ेगा, जो भर्ती वे करते हैं, उसको देखना पड़ेगा क्योंकि उसमें नैपोटिज्म वे चलाते हैं। एकोनामी के नाम पर वे जो गड़बड़ियां पैदा कर रहे हैं, उनको सुधारना होगा। यहां तक होता है कि बिना टैन्डर के ठेके दे दिए जाते हैं और जिसको चाहते हैं ठेके दे देते हैं। पब्लिक सेक्टर में जो कमियां हैं, उनको देखना पड़ेगा। अभी जब हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा कि पब्लिक सेक्टर को रिजल्ट दिखाना होगा, तो उन्होंने गलत बेलेंस शीट देना शुरू कर दिया। मैं चाहता हूं कि पब्लिक सेक्टर के जो उद्योग लाभ में भी हैं, उनकी बेलेंस शीट की भी जांच प्लानिंग कमीशन करे ताकि उन पर कन्ट्रोल हो सके।

इसके अलावा आज देश में जो रिजर्व्ड बेलेंस हैं, उन पर बड़े विस्तार से चर्चा की गई। मैं उत्तर प्रदेश की चर्चा करना चाहता हूं। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने बड़े अच्छे ढंग से नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल में अपने तथ्यों को रखा था। मैं बताना चाहता हूं कि 1952 में जब प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, तो उत्तर प्रदेश की पर-कैपीटा इन्कम 16 प्रतिशत थी और आज उत्तर प्रदेश बिहार को छोड़ कर सबसे नीचे जा रहा है। हम तीन पंचवर्षीय योजनाओं में इसलिए पिछड़ गए हैं कि हमें जो सेन्ट्रल असिसटेंस मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिल सकी। इसके फलस्वरूप हम इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिकेट नहीं कर सके। यही नहीं फाइनेंशयल इंस्टीच्युशंस से हमें जो मदद मिलनी चाहिए थी वह भी नहीं मिली। दूसरी विशेष योजनाओं के लिए जो आप प्रदेशों की सहायता कर रहे हैं उसकी भी कोई सहायता उत्तर प्रदेश को नहीं मिली। इसलिए इस बार उन्होंने सुझाव दिया था कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग इन सब कारणों और कमियों को दूर करने का प्रयास करे।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के 15 जिले, बुन्देलखण्ड के 5 जिले और 12 जिले उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जो डफ्रैत प्रोन जिले हैं जिनके लिए विशेष सहायता की आवश्यकता है क्योंकि ये जिले बहुत पिछड़े हुए जिले हैं। इनके लिए 398 करोड़ रुपए की योजना प्रदेश सरकार ने भेजी है। इन जिलों के लिए केन्द्रीय सरकार पूरी धनराशि उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर का जो ट्राइबल एरिया है उसके विकास के लिए भी सातवीं योजना में विकास के विशेष कार्यक्रम पूरी मुस्तैदी से चलाए जाएं। आपने 6 प्रकार के एरियाज को, पहाड़ी क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र, ट्राइबल क्षेत्र, सूखाग्रस्त क्षेत्र, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र और साइक्लोनिक क्षेत्र रिजवर्ड एरियाज मानकर उनके विकास की विशेष योजनाएं बनाई हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में जो ट्राइबल एरियाज हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं उनके लिए भी आपको उन्हीं के अनुरूप धन आबंटित करना होगा।

हमारा जो यह प्लान है यह जोब ओरियेन्टेड है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां जो बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या है, वह इस योजना से दूर होने वाली है। यही नहीं इस प्लान में पिछड़ेपन के निराकरण की भी बात कही है। यह एक स्वागत योग्य कदम है।

आपने संसाधनों की बात कही है और कहा है कि 4, 5 परसेंट पब्लिक सैक्टर से आना है। अगर आपको पब्लिक सैक्टर से संसाधन प्राप्त करने हैं तो आप उस पर कन्ट्रोल कीजिए। आपने उसे एक आटोनोमस बाडी के तौर पर छोड़ा हुआ है।

दूसरे जो आप अपने यहां साधन पैदा कर सकते हैं वे भी आपको करने होंगे। आप कृषि पर आधारित उद्योग स्थापित करने जा रहे हैं। इन पर आपको अधिक ध्यान देना होगा। आपको अपने यहां तेल की खपत को बचाना होगा। आप जो चीजें बाहर से मंगाते हैं उनमें भी आपको कमी लानी होगी।

अगर मुद्रास्फीति को देखा जाए तो हमारे देश में मुद्रास्फीति का प्रतिशत बहुत कम है। इन्टरनेशनल जगत् में इतनी इकोनोमी बिगड़ी हुई है कि कहीं-कहीं दूसरे देशों में मुद्रास्फीति 21% तक बढ़ गई है। हमने अपने यहां मुद्रास्फीति पर पूरा कन्ट्रोल किया है और हम इसे सात परसेंट पर ले आएं हैं। क्या यह सफलता नहीं है ? यह बात हमारे विरोधी दल वाले भाइयों को दिखाई ही नहीं देती है।

श्री मधु दंडवते जी बोल रहे थे और कह रहे थे कि सातवीं योजना का दस्तावेज अभी प्लानिंग कमीशन ने मन्जूर नहीं किया है और इसको सदन में डिस्कशन के लिए रख दिया गया है, यह गलत परम्परा है। उनका यह कहना बिलकुल गलत है। यह कोई ऐसी परम्परा नहीं है जिसको अनुचित कहा जा सके। मान्यवर विरोधी दल वाले सरकार पर उन आधारों पर छींटाकशी करते हैं जिनका कि कोई आधार नहीं है।

हमारे प्लानिंग कमीशन ने इस दस्तावेज में स्पष्ट किया है कि किस-किस सैक्टर में हमारे यहां कमजोरियां रही हैं, और किस-किस सैक्टर में हम पिछड़ गए हैं। उनके बारे में सुझाव भी दिए गए हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे गम्भीरता से इस बात को लें और इस योजना को सफल बनाने में पूरा सहयोग करें और जो हम 21वीं सदी में प्रवेश करने की बात करते हैं, वह निश्चित तौर पर तैयार होकर प्रवेश करें। तभी देश का और आगे आने वाली जेनरेशन का कल्याण होगा।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त गैस रिसाव त्रासदी सम्बन्धी जांच आयोग की अवधि न बढ़ाए जाने के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : कुछ माननीय सदस्यों ने 2, 3 दिसम्बर, 1984 की मध्यरात्रि में हुई भोपाल गैस रिसाव दुर्घटना की जांच के लिए नियुक्त किए गए जांच आयोग की अवधि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा न बढ़ाए जाने के बारे में प्रश्न उठाया है। सदन इस बात से अवगत है कि राज्य सरकार द्वारा यह आयोग 6 दिसम्बर, 1984 को नियुक्त किया गया था। इस आयोग की अवधि मूलत: 15 मार्च, 1985 तक थी, किन्तु बाद में इसे 15 दिसम्बर, 1985 तक बढ़ा दिया गया था। आयोग की अवधि अब समाप्त हो गई है और मध्य प्रदेश सरकार ने अवधि और नहीं बढ़ाई है।

ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार ने निम्नलिखित कारणों से जांच आयोग की अवधि न बढ़ाने का निर्णय लिया है :—

1. केन्द्र सरकार के कहने पर डा० एस० वरद राजन, सचिव, विज्ञान और औद्योगिक अनुसन्धान विभाग, भारत सरकार ने डा० वरदराजन सहित 15 सदस्यों का एक विशेषज्ञ दल के साथ भोपाल गैस रिसाव दुर्घटना के कारणों और उससे सम्बन्धित अन्य परिस्थितियों की जांच आरम्भ की थी। डा० वरदराजन और उनके विशेषज्ञ दल ने भोपाल गैस रिसाव दुर्घटना के कारणों और परिस्थितियों तथा उससे संबंधित अन्य मामलों पर अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को प्रस्तुत कर दी है। यह रिपोर्ट केन्द्र सरकार ने स्वीकार कर ली है और उसे 20 दिसम्बर, 1985 को सभापटल पर प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार का यह भी प्रस्ताव है कि इस मामले को न्यूयार्क की जिला अदालत में दायर किया जाए जहां यूनियन कार्बाइड, यू० एस० ए० के खिलाफ भारत सरकार द्वारा दायर किया गया मामला लम्बित पड़ा है।

2. चूंकि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त किए गए जांच आयोग द्वारा जांच किए जाने वाले मामले पर्याप्त रूप से डा० वरदराजन की अध्यक्षता वाले दल की रिपोर्ट में शामिल है और केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही जांच पड़ताल और डा० सी० आर० कृष्णामूर्ति, भूतपूर्व निदेशक, इण्डियन टैक्नोलोजिकल रिसर्च सेण्टर द्वारा किए जा रहे अध्ययनों में भी शामिल है, अत: यह उचित और आवश्यक नहीं होगा कि उन्हीं मामलों की जांच किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा की जाए।

3. इन्हीं मामलों की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही है और यह जांच प्रगति पर है। यदि जांच पड़ताल से यह पाया जाए कि कुछ व्यक्ति दोषी हैं तो उनके खिलाफ अभियोग चलाया जाएगा।

4. भोपाल में जीवन प्रणाली पर जहरीली गैस रिसाव के प्रभावों का अध्ययन करने हेतु इण्डियन टेक्सोलोजिकल रिसर्च सेन्टर, लखनऊ के भूतपूर्व निदेशक डा० सी० आर० कृष्णामूर्ति की अध्यक्षता में केन्द्र सरकार ने भी एक आयोग नियुक्त किया है। यह अध्ययन डा० वरदराजन की अध्यक्षता वाले दल द्वारा की जा रही जांच के अतिरिक्त है।

इन परिस्थितियों में मध्य प्रदेश सरकार ने यह उचित नहीं समझा कि भोपाल गैस रिसाव दुर्घटना की जांच के लिए नियुक्त किए गए जांच आयोग की अवधि और बढ़ाई जाए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वक्तव्य पर कोई चर्चा नहीं होगी।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यूनियन कार्बाइड कारखाने के चेयरमैन वारन एंड्रसन ने भारत सरकार को धमकी दी है कि यदि ये जांच-पड़ताल बन्द नहीं की गई तो भारत को दी जाने वाली अमेरिकी सहायता बन्द कर दी जाएगी। लोग यूनियन कार्बाइड के दबाव के आगे झुक गए हैं। केवल इसी जांच के आदेश दिए गए थे·····(व्यवधान)·····आप कम से कम कल इस पर चर्चा की अनुमति दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यही काफी है। आप मुझे लिखकर दे दें। इस विवरण पर और चर्चा नहीं होगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे कुछ स्पष्टीकरण चाहिए·····(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस विवरण के बारे में चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)*

श्री वासुदेव आचार्य : : लेकिन क्यों ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है। हम इस प्रणाली का पालन कर रहे हैं। यदि आप इस पर आगे चर्चा चाहते हैं तो लिखकर दे दें। कृपया ऐसा न करें।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : शांति बनाए रखें। कृपया बैठ जाइए।

श्री वसुदेव आचार्य : हम इसका विरोध करते हैं। हम सदन से बाहर जा रहे हैं।

(तत्पश्चात् श्री वसुदेव आचार्य तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सदन से बाहर चले गए।)

5.31 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 359/85 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो 19 दिसम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 24 मई, 1985 की अधिसूचना संख्या 153/85 सीमा-शुल्क में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि अखबारी कागजी को उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उपसंगी सीमा-शुल्क से छूट दी जा सके। [**ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1759/85**]

5.32 म० प०

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आधे घण्टे की चर्चा के बाद हम सातवीं योजना पर आगे विचार करेंगे। हमने माननीय सदस्यों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या हम दो घंटे का समय बढ़ा दें।

श्री गुलाम नबी आजाद : जी हां, शुरू में हम दो घंटे का समय बढ़ा देते हैं।

डा० ए० कलानिधि : महोदय, चूंकि हमारी ओर से अन्य कोई सदस्य उपस्थित नहीं है, आप कृपया मुझे अनुमति दें·····(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाएं। मैं आपको बुला लूंगा।

श्री जी० एस० वसवराजू : आप कृपया प्रत्येक राजा से अनुमति दें।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं। आप प्रश्न पूछ सकते हैं, भाषण नहीं दे सकते। मैं आपको बुला लूंगा।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखरमूर्ति : महोदय, पिछले सप्ताह मुझे बोलने की अनुमति दी गई थी। माननीय अध्यक्ष महोदय ने मुझे बुलाया था। इस बार के लिए स्थगित कर दिया गया था··· (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उस राज्य से दो व्यक्तियों को बोलने की अनुमति दूंगा। यदि सूचना में एक व्यक्ति का नाम है तो एक अन्य व्यक्ति को भी अनुमति दी जाएगी। मान लीजिए श्री कृष्ण अय्यर का नाम सूची में है तो कर्नाटक से एक अन्य व्यक्ति को भी अनुमति दी जाएगी। अब हम आधे घंटे की चर्चा करेंगे। श्री अय्यप्पु रेड्डी।

आधे घंटे की चर्चा

तेलगु गंडप परियोजना

[अनुवाद]

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी (कुरनूल) : उपाध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री द्वारा 25 मई, 1983 को एक ऐतिहासिक दिन बताया गया था। उस दिन हमारी स्वर्गीय प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने मद्रास के नेहरू स्टेडियम में तेलगू-गंगा परियोजना का उद्घाटन किया था। उनके इर्द-गिर्द चार मुख्य मन्त्री खड़े थे जिनमें तमिलनाडु के मुख्यमन्त्री श्री एम० जी० रामचन्द्रन, आंध्र प्रदेश के मुख्यमन्त्री श्री एन० टी० रामाराव, कर्नाटक के मुख्यमन्त्री श्री रामकृष्ण हेगड़े तथा महाराष्ट्र के मुख्यमन्त्री श्री वसन्तराव दादा पाटिल थे।

महोदय, उस समारोह में उन्होंने तेलगू गंगा परियोजना का उद्घाटन एक बटन दबाकर किया जिससे एक मेज का अनावरण हुआ जिस पर तेलगू गंगा परियोजना का माडल रखा हुआ था। उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमन्त्री श्री एन० टी० रामाराव को इस परियोजना की लागत के लिए तमिलनाडु के भाग की पहली किस्त के रूप में 30 करोड़ रु० का एक चैक भी दिया।

महोदय, मेरे पास 26 मई का 'दि हिन्दू' है जिसमें पहले पेज पर प्रधानमन्त्री के साथ डायस पर सभी मुख्य-मन्त्रियों की फोटो छापी गई हैं। जैसा कि माननीय सदस्य द्वारा मांग की गई है मैं इसे सभापटल पर रख रहा हूं। मैं इसका सत्यापन भी करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : अब मैं असली बात पर आता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अखबार पहले ही उपलब्ध है। ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : इस घटना को ऐतिहासिक घटना बताया गया था और वास्तव में ये प्रधानमंत्री ने कहा था :

> "इस परियोजना में कृष्णा जल आपूर्ति योजना के कार्य का उद्घाटन करते हुए श्रीमती गांधी ने लोगों से अपील की कि वे इस परियोजना को एक या दूसरे राज्य की न समझकर देश को आत्म-निर्भर बनाने के लिए इसे भारत के नागरिकों के लिए बनाई गई परियोजना समझें।"

प्रधानमन्त्री तथा समारोह में भाग लेने वाले अन्य मंत्रियों ने इसे दो राज्यों के बीच आपसी समझ तथा सहयोग की निशानी माना था और यह आशा की कि ये भावना राज्य की समस्याओं—कावेरी जल समस्या सहित, को सुलझाने में मदद देगी। तमिलनाडु की सरकार ने इस अवसर पर एक स्मारिका प्रकाशित की जो कि सभी मुख्य मन्त्रियों तथा विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि में निःशुल्क वितरित की गई। इस परियोजना की रिपोर्ट में तेलगु-गंगा परियोजना का नक्शा और योजना या ब्यौरा दिया गया है। आंध्र प्रदेश राज्य में तेलगु-गंगा परियोजना के अन्तर्गत सिंचाई किए जाने वाले क्षेत्रों को स्पष्ट रंगों में भी दर्शाया गया है। जैसे कि मैंने कहा था, कि समारोह के समय·····

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : पहले ही पत्र यहां रखे हुए हैं।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : मैं यह पत्र सभापटल पर रख रहा हूं। यह स्मारिका भी मैं सभापटल पर रखता हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : यह महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसे सभापटल पर रखा जाना चाहिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप उद्धृत कर सकते हैं। मैं उद्धरण देने की अनुमति देता हूं।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : मैं इसमें से उद्धृत कर रहा हूं। मैंने पहले ही यह नोटिस दे दिया है कि मैं यह दस्तावेज सभापटल पर रख रहा हूं। महोदय, यह परियोजना·····

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : यदि इसे सभापटल पर रख दिया गया तो क्या आसमान नीचे आ गिरेगा·····?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने इन्हें इसे उद्धृत करने की अनुमति दे दी है। इसे सभापटल पर रखना आवश्यक नहीं है, क्योंकि पहले ही समय नहीं है·····

(व्यवधान)

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही नोटिस दे चुका हूं ताकि मुझे उद्धरण देने की अनुमति दी जाए। मैं केवल सम्बन्धित अंशों को उद्धृत कर रहा हूं। योजना से यह स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जो बटन दबाया है, उससे सिंचित किए जाने वाले क्षेत्रों का स्पष्ट रूप से पता चलता है। यह परियोजना आन्ध्र प्रदेश राज्य में रायलसीमा सूखा ग्रस्त क्षेत्र की सिंचाई करने के उद्देश्य से 29 टी० एम० सी० पानी तथा इसके अतिरिक्त मद्रास राज्य के लोगों को पीने के पानी की सप्लाई करने के लिए 15 टी० एम० सी० पानी पहुंचाने के लिए बनाई गई है, यह स्पष्ट किया गया है तथा स्पष्ट रूप से बताया गया है तथा इसमें किसी प्रकार की आशंका की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि योजना की सिंचाई का भाग योजना का एक अभिन्न अंग है तथा तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्रियों के बीच हुए करार में इस शर्त पर पहले निर्णय किया गया है। केवल इतना ही नहीं, तमिलनाडु तथा आन्ध्र प्रदेश सरकार इसकी लागत पर आने वाले व्यय को भी सिंचाई के लिए प्राप्त पानी के आधार पर विभाजित करेंगे जो आन्ध्र प्रदेश राज्य को इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त होगा। लागत अनुपात से यह स्पष्ट है कि आन्ध्र प्रदेश राज्य को सिंचाई के लिए 29 टी० एम० सी० पानी प्राप्त होगा। आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित स्मारिका में तत्कालीन सिंचाई मंत्री श्री राम निवास मिर्धा द्वारा लिखे गए पत्र को भी स्पष्ट रूप से दिखाया गया है और उन्होंने स्पष्ट रूप से इस प्रकार कहा है :

"मद्रास शहर को पानी देने तथा रायलसीमा और नैलोर जिलों के सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों को सिंचाई के लिए पानी देने के अतिरिक्त·····

इस अवसर के लिए हार्दिक शुभ कामनाएं।"

सिंचाई मन्त्री श्री राम निवास मिर्धा ने अपने पत्र में यह कहा था। यह पत्र उस समय आंध्र-प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित स्मारिका में भी प्रकाशित किया गया। मुझे इसे भी सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जाए। (व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : इसे सभा पटल पर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : आप उन दस्तावेजों से क्यों डरते हैं, जो प्रकाशित हो चुके हैं? (व्यवधान) इतिहास को मत भूलिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कहता हूं, कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। (व्यवधान) मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वह कार्यवाही के संचालन में सहयोग दें। आप सब लोग शोर क्यों मचा रहे हैं?

एक माननीय सदस्य : यह सदस्य इसे सभा पटल पर रखने में आपत्ति क्यों उठा रहे हैं? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पीठासीन अधिकारी हूं। मैं सभा को नियन्त्रित कर सकता हूं, आप सभा को नियन्त्रित क्यों कर रहे हैं?

एक माननीय सदस्य : वे अपने विचार बाद में व्यक्त कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सब चुप रहिए। यदि आवश्यक हो तो मैं श्री रेड्डी को उत्तर दे दूंगा। मैं नहीं चाहता कि अन्य लोग हस्तक्षेप करें। अपना स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) कृपया··· शांति।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : मेरा यह कहना पर्याप्त होगा कि श्री रामकृष्ण हेगड़े उस अवसर पर वहां उपस्थित थे, यह अन्तर-राज्य सहयोग का एक ज्वलन्त उदाहरण कहा जा सकता है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति हस्तक्षेप करे।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : सब लोग जानते हैं कि यह दोनों राज्यों के लाभ के लिए है। योजना का सिंचाई वाला भाग प्रकाशित कर दिया गया है। यह भाग प्रेस में प्रकाशित किया गया है तथा 25 मई, 1983 को "हिन्दु" समाचार पत्र में इस योजना को, उसके सन्यन्त्र तथा उस योजना के अन्तर्गत सिंचाई किए जाने वाले भाग को सुस्पष्ट रूप से प्रकाशित किया गया। अतः ऐसा किया गया है।

नवम्बर, 1985 तक क्या स्थिति थी? इस परियोजना पर 80.2 करोड़ रु० पहले ही खर्च किए जा चुके हैं, जिसमें से 4 करोड़ रु० तमिलनाडु सरकार से लिए गए; 33 करोड़ रु० आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा खर्च किए गए। इस परियोजना के लिए 40,000 श्रमिक कार्य कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश, इस अवस्था में, कुछ अनुचित विवाद उत्पन्न हो गए हैं। हम यह आशा नहीं करते थे कि न्यायाधिकरण, बचावत न्यायाधिकरण द्वारा निपटाए गए मामलों के सम्बन्ध में किसी प्रकार के विवाद की कोई

गुंजाइश रहे, जिसके अन्तर्गत किसी आशंका की गुंजाइश न रखते हुए तीनों राज्यों के बीच पानी के बंटवारे सम्बन्धी सभी मुद्दों को बहुत स्पष्ट रूप से सुलझाया गया। हमने आशा की थी कि केन्द्रीय सरकार स्पष्ट और दृढ़ कदम उठाएगी ताकि इन मामलों पर जो न्यायाधिकरण द्वारा निपटाए गए हैं, पुनः जांच करने की अनुमति प्रदान न की जाए तथा जो अन्तिम निर्णय लिया गया है उसे व्यर्थ न समझा जाए। परन्तु दुर्भाग्यवश, चर्चा के दौरान इस प्रश्न के उत्तर से न्यायाधिकरण द्वारा पहले से निपटाए गए मामलों के सम्बन्ध में सन्देह की गुंजाइश उत्पन्न हो गयी है।

मैं केवल न्यायाधिकरण निर्णय से उद्धृत करूंगा, जिसमें से मंत्री महोदय ने भी उद्धृत किया है अर्थात् न्यायाधिकरण निर्णय की धारा 5 की उपधारा (5):

> "(ग) आन्ध्र प्रदेश राज्य को किसी भी जल वर्ष में कृष्णा नदी में बहने वाले शेष जल का प्रयोग करने की स्वतन्त्रता होगी परन्तु इसके द्वारा आन्ध्र प्रदेश राज्य को उसके लिए यहां निर्धारित मात्रा से अतिरिक्त कृष्णा नदी से और शेष जल का उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा।"

न्यायाधिकरण द्वारा धारा (क) और (ख) के अन्तर्गत महाराष्ट्र सरकार तथा कर्नाटक सरकार द्वारा किए जाने वाले पानी के उपयोग के अधिकार के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है। धारा (ग) के अन्तर्गत कहा गया है:

> "शेष जल का प्रयोग करने के अधिकार धारा क तथा ख के अधीन तथा आन्ध्र प्रदेश को आबंटित किए गए 800 टी० एम० सी० पानी के अधीन आन्ध्र प्रदेश राज्य को दिया गया है।"

न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय के पृष्ठ 167 पर इसका कारण बताया गया है, ये कारण हैं:

> "हमने महाराष्ट्र तथा मैसूर राज्य को आबंटित पानी से अधिक पानी का प्रयोग करने के लिए मना किया है। हमने आन्ध्र प्रदेश को शेष बचे हुए पानी का प्रयोग करने की अनुमति दी है परन्तु हमने यह निर्धारित किया है इस जल का प्रयोग करने से आन्ध्र प्रदेश राज्य को कृष्णा नदी में से दिए गए पानी के अतिरिक्त और पानी का प्रयोग करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। 'क' योजना के अन्तर्गत इस प्रकार तीनों राज्यों को पानी का बंटवारा करते समय हमने जान-बूझकर कम हिस्सा नहीं दिया है। परन्तु हमने उल्लेख किया है कि हमने इस तथ्य को ध्यान में रखा है कि 100 वर्षों में से, 25 वर्ष पानी की कमी हो सकती है और इन 25 वर्षों में आन्ध्र प्रदेश राज्य को महाराष्ट्र तथा मैसूर राज्य की अपेक्षा अधिक नुकसान होने की सम्भावना है। इस सम्बन्ध में हमने नागार्जुनसागर बांध तथा श्रीसेलम बांध की अवशेष (विशिष्ट) क्षमताओं के बारे में विचार किया है तथा आन्ध्र प्रदेश राज्य को इन दोनों बांधों से उपलब्ध अवशेष क्षमताओं का उपयोग करने की अनुमति दी है।"

आन्ध्र प्रदेश राज्य को शेष अतिरिक्त पानी का उपयोग करने की अनुमति देने के कारण न्यायाधिकरण द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया है, जबकि कर्नाटक तथा महाराष्ट्र राज्यों को आबंटित किए गए पानी के अतिरिक्त और शेष पानी का उपयोग करने के लिए जान-बूझकर मना किया गया है, कि 100 वर्षों की अवधि में से, 25 वर्ष ऐसे हैं जिनमें सूखा पड़ सकता है, तथा इसका नुकसान महाराष्ट्र तथा कर्नाटक को न होकर आन्ध्र प्रदेश राज्य को होगा। इसी कारण उन्होंने इस धारा की व्यवस्था की है। अब, कर्नाटक सरकार ने आन्ध्र प्रदेश राज्य को आबंटित किए गए जल के अतिरिक्त शेष बचे हुए

जल का प्रयोग का अधिकार देने वाली धारा (ग) पर आपत्ति उठाई है, कर्नाटक राज्य ने अन्तर-राज्य जल विवाद अधिनियम की धारा 5ख के अन्तर्गत यह आपत्ति उठाई है। यह आपत्ति न्यायाधिकरण के समक्ष अन्तिम सुनवाई के समय उठाई गई तथा न्यायाधिकरण ने स्पष्ट रूप से यह बताया :

"कर्नाटक सरकार का अनुरोध है कि इस न्यायाधिकरण द्वारा यह स्पष्ट व्याख्या की जाए :

(एक) कि धारा (पांच) (ग) के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश राज्य को आबंटित किए गए पानी के अतिरिक्त शेष बचे हुए पानी का प्रयोग करने की स्वतन्त्रता विद्यमान अवशेष क्षमता तक ही सीमित है जैसा कि न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय दिया गया है। कि पानी की कमी वाले वर्षों में पानी की कमी को पूरा करने के लिए यह अधिकार दिया गया है;

(दो) कि आन्ध्र प्रदेश राज्य को यह स्वतन्त्रता केवल उसी नदी में से शेष पानी का उपयोग करने तक ही सीमित है; तथा

(तीन) कि आन्ध्र प्रदेश राज्य को शेष जल का उपयोग करने की स्वतन्त्रता देने से आन्ध्र प्रदेश को यह अधिकार प्रदान नहीं किया जाना कि वह राज्य या तो उस नदी से उसे आबंटित किए जल के अतिरिक्त पानी को दूसरी दिशा में ले जाकर अथवा नदी के बाहर जल के उपयोग के लिए कोई नया निर्माण कार्य करे जब तक कि आन्ध्र प्रदेश राज्य को ऊपरी राज्यों की पूर्व सहमति प्राप्त न हो जाए।

आन्ध्र प्रदेश राज्य द्वारा उसकी वर्तमान अवशेष क्षमता के अतिरिक्त शेष बचे हुए जल का प्रयोग करने को सीमित करने का कोई कारण नहीं है। यदि शेष जल का आन्ध्र प्रदेश द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता, तो यह जल समुद्र में बहकर व्यर्थ हो जाएगा।

रिपोर्ट के खण्ड 2 के पृष्ठ 409, 411 में हमने कृष्णा नदी में से बाहर दूसरी ओर जल को मोड़ने के सम्बन्ध में आन्ध्र प्रदेश पर प्रतिबन्ध न लगाए जाने के सभी कारण बताए हैं। हम इस मामले को और अधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं समझते।"

अतः न्यायाधिकरण द्वारा यह निर्णय दिए जाने के पश्चात्, कर्नाटक सरकार की आपत्तियों को स्वीकार न करने और इन आपत्तियों को अस्वीकृत करने के पश्चात् न्यायाधिकरण द्वारा इस मामले में यह अन्तिम निर्णय लिया गया कि आन्ध्र प्रदेश राज्य न केवल इस परियोजना के अन्तर्गत अपितु अन्य किसी योजना द्वारा कृष्णा नदी से अपितु अन्य किसी भी नदी से अत्यधिक मात्रा में पानी लेने की पूर्ण स्वतन्त्रता है। अब, महाराष्ट्र सरकार ने यह आपत्ति नहीं उठाई। कर्नाटक सरकार ने ही यह आपत्ति उठाई है। इन आपत्तियों को अस्वीकार किया गया तथा न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया।

इस मामले के बारे में पुनः छानबीन करने की आवश्यकता है, जिस पर न्यायाधिकरण द्वारा अन्तिम निर्णय दे दिया गया है। अब इस प्रकार मामले की पुनः छानबीन द्वारा राष्ट्र में विवाद उत्पन्न करता है—यह किसके लाभ के लिए किया जा रहा है ? यह नवगठित जल संसाधन परिषद् सम्मेलन में प्रधान मन्त्री द्वारा दिए गए नीति वक्तव्य के अनुरूप है। मैं केवल प्रधान मंत्री द्वारा 30 अक्तूबर, 1985 को दिए वक्तव्य का उल्लेख करता हूं :

"प्रधान मन्त्री, श्री राजीव गांधी ने आज देश के जल संसाधनों का, इस बात का विचार किए बिना कि कितना जल किस राज्य के लिए है, अधिक उत्पादक उपयोग करने के लिए कहा। उन्होंने परिषद् को बताया कि "अधिक अच्छे उपयोग द्वारा", वास्तव में ऐसे राज्य बहुत कम रह जाएंगे जहां पानी की कमी हो। मूल बात पानी को व्यर्थ न करना है। उन्होंने यह भी बताया—श्री राजीव गांधी—"कि उनका यह सुझाव नहीं है कि कुछ राज्यों की न्यूनतम आवश्यकताओं को कम किया जाना चाहिए परन्तु यह बेतुकी बात है कि कुछ राज्यों में समुद्र में बहकर पानी व्यर्थ हो जबकि अन्य राज्यों तथा अन्य क्षेत्रों में सूखा हो।"

इस समय समुद्र में 300 टी० एम० सी० पानी व्यर्थ ही बहकर जा रहा है।

डा० वी० वेंकटेश (कोलार) : यह उत्तरी भारत के सम्बन्ध में है।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : कृष्णा नदी में आजकल लगभग 300 टी० एम० सी० पानी व्यर्थ हो रहा है। यह सच है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। न तो केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग अथवा केन्द्रीय सरकार और न ही कर्नाटक तथा महाराष्ट्र सरकार इसे इनकार सकती है। क्या वह इस तथ्य का खण्डन कर सकते हैं कि 300 टी० एम० सी० पानी समुद्र में व्यर्थ हो रहा है? वह इसे इनकार नहीं सकते। उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं है यदि यह जल समुद्र में बह जाता है।

एक माननीय सदस्य : ऐसा नहीं है।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : आपको कोई आपत्ति नहीं होती तो यदि यह जल समुद्र में चला जाता जाता है, परन्तु आपको आपत्ति होती है यदि 29 टी० एम० सी० जल—जो व्यर्थ बह जाने वाले जल का केवल 10 प्रतिशत है—सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा के लिए दे दिया जाता है।

डा० वी० वेंकटेश : कर्नाटक में भी सूखे की समस्या है।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : अब, दुर्भाग्यवश, एक आपत्ति जिसे समझने में हम असमर्थ हैं, वह यह है कि यदि हम बांध बनाते हैं और समुद्र में पानी जाने से रोकते हैं, तो कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकार पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? कर्नाटक से आन्ध्र प्रदेश की ओर पानी बहता है। महाराष्ट्र से कर्नाटक की ओर पानी बहता है। आन्ध्र प्रदेश से कर्नाटक तथा इसके विपरीत दिशा में पानी नहीं बहता। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि निचले तटवर्ती राज्य स्वामी होते हैं तथा यह निचले तटवर्ती राज्य ऊपरी तटवर्ती राज्यों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सकते।

इस मामले में मुझे एक कहानी याद आती है। एक भेड़िया ऊपर की ओर से आने वाली पानी की धारा से पानी पी रहा था और मेमना नीचे जाने वाली धारा से पानी पी रहा था। भेड़िए ने मेमने से कहा कि "तुम पानी गन्दा कर रहे हो।" मेमने ने उत्तर दिया, "महोदय, नहीं, पानी तुम गन्दा कर रहे हो। गन्दा पानी नीचे आ रहा है।" हमारे क्षेत्र में पानी ऊपर से नीचे आता है हम निचले क्षेत्र के हैं। यदि हम 10, 15 अथवा 20 बांध भी बना दें तो हम केवल पानी को समुद्र में जाने से रोक सकते हैं। हम कर्नाटक राज्य में स्वाभाविक रूप से बहकर जाने वाले पानी को नहीं रोक सकते। कर्नाटक सरकार आंध्र प्रदेश राज्य में बहकर जाने वाले पानी को रोक सकती है परन्तु आंध्र प्रदेश राज्य के लिए कर्नाटक राज्य में बहकर जाने वाले पानी को रोकना सम्भव नहीं है।

सूखाग्रस्त वर्ष में, यदि पानी की कमी हो तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य पानी प्राप्त कर

सकेंगे। केवल आन्ध्र प्रदेश राज्य ही पानी की अपनी शेष आवश्यकता की पूर्ति के लिए इसका प्रयोग कर सकेगा।

मूल बात यह है कि कोई भी इस मूल भौतिक तथ्य की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। मैंने 25 मई, 1983 को श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा दिए गए तथ्य का भी उल्लेख किया है। परन्तु इस इस मूल भौतिक तथ्य को, कि हमारा राज्य आंध्र प्रदेश निचला तटवर्ती राज्य हैं, और हम किसी भी प्रकार कर्नाटक राज्य के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सकते, स्वीकार नहीं किया गया।

कृपया इन्हें कहने दीजिए कि यहां बांध बनाकर किस प्रकार कर्नाटक राज्य पर प्रभाव पड़ेगा। यह गलत धारणा है। (व्यवधान)

मेमने को कुत्ता कहने से मेमना कुत्ता नहीं बन सकता। यह बुनियादी तथ्य है। इसके बाद, यह कहते हुए·····(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी, आप प्रश्न पूछिए।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : फिर, भौतिक लक्षणों तथा तथ्यों के सम्बन्ध में यह बताते हुए कि हम महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के अधिकारों को प्रभावित करने में समर्थ नहीं होंगे तथा न्यायालय के निर्णय को भी बताते हुए, मुझे आश्चर्य है कि इस प्रश्न के उत्तर में यह क्यों कहा गया कि "परियोजना के तकनीकी आर्थिक पहलूओं पर विचार किया जाएगा।" और फिर अन्तर-राज्य पहलूओं का समाधान करना है। न्यायालय द्वारा अन्तर-राज्य पहलूओं का समाधान किया गया। न्यायालय द्वारा यह निर्णय लिया गया कि कार्यान्वयन प्राधिकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। न्यायाधिकरण ने दृढ़तापूर्वक कहा कि कार्यान्वयन प्राधिकरण की कोई आवश्यकता नहीं है और सब बातें स्पष्ट हैं तथा विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है। इसी कारण, न्यायालय ने बहुत खुशी से तथा विवेकपूर्ण दृष्टि से किसी कार्यान्वयन तन्त्र के बारे में विचार नहीं किया। अब सब कार्य ठीक प्रकार से हो रहे हैं और सब लोग समझते हैं कि विवाद समाप्त हो गया है तथा पार्टियों के अधिकारों के बारे में भी निश्चय हो गया है तथा उन्हें इस समझौते के अनुरूप चलने की स्वतन्त्रता है।

अब अन्तिम प्रश्न मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि अधिक पानी का प्रयोग जो भी परियोजना शुरू की जाए, इस मामले की 31 मई, 2000 ई० के बाद पुनरीक्षा की जा सकती है। ऐसे मामले पर 31 मई, 2000 ई० के बाद ही पुनरीक्षा की जाएगी। अब विभिन्न राज्यों—कर्नाटक और महाराष्ट्र की क्षमता बदल सकती है। यदि आंध्र प्रदेश अपने पानी के उपयोग की क्षमता को बढ़ाता है, तो उससे पुनरीक्षा के लिए उसके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। वह चाहते हैं, यद्यपि अब वह अपनी क्षमता बढ़ाने में समर्थ नहीं हैं, वह नहीं चाहते कि आंध्र प्रदेश किसी भी समय अपने पानी के उपयोग की क्षमता को बढ़ाए ताकि वह दोनों राज्य एक ही साधन पर खड़े रह सकें। अन्य राज्यों को उन्नत होने, विकसित होने तथा अपने स्तर को बढ़ाने से रोकने की यह नीति निश्चित रूप से राष्ट्र के हित में नहीं हैं।

अन्त में मेरा यह अनुरोध है : जैसा कि प्रधानमन्त्री जी ने बताया है, पानी के अधिक अच्छे प्रयोग को ध्यान में रखना होगा।

मैं कर्नाटक तथा इसके साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकता

हूं कि यदि आंध्र प्रदेश की सिंचाई क्षमताओं को पूर्ण रूप से विकसित तथा उनका पूर्ण उपयोग किया जाए तो इससे न केवल आंध्र प्रदेश राज्य को सहायता मिलेगी अपितु इससे सम्पूर्ण देश को मदद मिलेगी। कर्नाटक और महाराष्ट्र की ओर पानी के स्थान पर अनाज आंध्र प्रदेश से कर्नाटक और महाराष्ट्र की ओर जाएगा। आज पंजाब से देश के सब भागों में अनाज भेजा जाता हैं। आप नहीं चाहते कि आंध्र प्रदेश से देश के दूसरे भागों में अनाज भेजा जाए यदि यह सम्भव हो, सस्ता हो और शीघ्र भेजा जा सके। यदि आंध्र प्रदेश राज्य अपनी क्षमताओं का विकास कर सके तो हमारा राष्ट्र समृद्ध होगा। आखिरकार, प्रधानमन्त्री जी ने उस दिन कहा था कि केवल 40% जल का उपयोग किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश राज्य इस जल का शीघ्र उपयोग करने तथा सिंचाई सुविधाओं को विकसित में समर्थ है जैसा कि सातवीं योजना में दर्शाया गया है। आंध्र प्रदेश से अन्य राज्यों में अनाज भेजने की अनुमति दी जाए। यह राष्ट्र की परिसम्पत्ति बन सकेगी। दुर्भाग्यवश, माननीय मन्त्री महोदय ने

6.00 म० प०

उत्तर देते समय इस पहलू पर विचार नहीं किया।

मेरा अन्तिम प्रश्न यह है कि वह दोनों राज्यों के बीच में 1977 में हुए समझौते की धारा 4 पर निर्भर रहने का प्रयास कर रहे हैं। धारा 4 में कहा गया है कि तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश सरकारों के बीच हुए समझौते के अनुसार, निकासी की दृष्टि से उस नहर से सिंचाई नहीं की जाएगी जिससे मद्रास को पानी आता है। ऐसा कहने का उद्देश्य यह है कि किसी भी प्रकार सिंचाई नहीं की जाएगी·····(व्यवधान)।

एक माननीय सदस्य : अतः आप 1977 के समझौते से सहमत हैं। आप इस करार के पक्ष में हैं।

श्री ई०अय्यप्पु रेड्डी : कृपया मुझे कहने की अनुमति दें। हम हर बात से सहमत हैं परन्तु आप किसी भी बात के लिए सहमत नहीं हैं। यह तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश सरकार के बीच हुआ करार है तथा इसमें कहा गया है कि इन दो सरकारों के बीच हुए समझौते के अनुसार निकासी की दृष्टि से, इस नदी के पानी का उपयोग सिंचाई के लिए नहीं किया जाएगा, अर्थात् टी० एम० सी० पानी, जो मद्रास राज्य जो दिया जा रहा है, उस पानी का उपयोग सिंचाई के लिए नहीं किया जाना चाहिए। धारा 4 का यह उद्देश्य है। परन्तु दुर्भाग्यवश, इस धारा की गलत व्याख्या दिए जाने से बचावत न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए पूरे निर्णय की पुनः जांच की जाने की आवश्यकता है। अतः मेरा यह अनुरोध है कि आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा, इन राज्यों के लोगों द्वारा तथा केन्द्रीय जल आयोग तथा योजना आयोग द्वारा उठाए गए प्रत्येक सन्देहास्पद प्रश्न की सन्तुष्टि के लिए, हर सम्भव प्रयत्न किया गया है। अनेक अभ्यावेदन दिए गए हैं तथा स्वर्गीय प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा पहले ही 25 मई, 1983 को इस कार्य का शुभारम्भ कर दिया गया था। 2 वर्ष तथा छः माह बीत गए हैं। 637 करोड़ रु० आबंटित कर दिए गए हैं। क्या आपके कहने का तात्पर्य यह है कि आंध्र प्रदेश सरकार केवल मद्रास राज्य को पानी की सप्लाई के उद्देश्य के लिए भूमि देने के लिए सहमत हो गई है? आप एक सामान्य अशिक्षित व्यक्ति को भी यह विश्वास नहीं दिला सकते कि आंध्र प्रदेश सरकार 637 करोड़ रु० देने के लिए तथा केवल पानी देने के उद्देश्य के लिए भूमि देने के लिए भी सहमत हो गई है। प्रत्येक व्यक्ति की विश्वसनीयता का पता लगाने के लिए इतनी अधिक प्रवीणता (पटुता) का उपयोग करने का प्रयास मत कीजिए। इसलिए मेरा प्रस्ताव यह है कि केन्द्रीय जल

आयोग द्वारा इस योजना को स्वीकृत कराया जाना चाहिए।

अन्त में, मैं बहुत खेद के साथ एक बात कहता हूं और समाप्त करता हूं। श्री शंकरानंद कर्नाटक के रहने वाले हैं। यह उनका दोष नहीं है। मुझे उनकी विषयनिष्ठता तथा तर्कपूर्ण बुद्धि (तर्कसंगति) पर पूर्ण विश्वास है (व्यवधान)·····केवल इससे न्याय नहीं किया जाना चाहिए। (व्यवधान)।

एक माननीय सदस्य : महोदय, यह बहुत गलत बात है। महोदय, व्यवस्था के प्रश्न पर··· (व्यवधान)।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी :·····केवल न्याय नहीं किया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : मैं समाप्त कर रहा हूं·····(व्यवधान) कृपया बैठ जाइए। मैंने उनके विरुद्ध कुछ नहीं कहा है·····(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको आगे चर्चा के लिए अनुमति नहीं दी जा रही है·····

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री वहां हैं। यह मन्त्री महोदय द्वारा पूछा जाना चाहिए। आपको इस बारे में चिन्ता क्यों हो रही है?·····

(व्यवधान)

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : जो मैंने कहा है वह क्या है और जिस पर उन्हें आपत्ति है वह क्या है?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप सब अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रेड्डी, आप भी अपना स्थान ग्रहण कीजिए। कृपया आप सब बैठ जाइए।

श्री विजय कुमार राजू (नरसापुर) : इसे माननीय सदस्य द्वारा वापिस लिया जाना चाहिए। यह एक आरोप है।

श्री एम० सी० चन्द्रशेखर मूर्ति (कनकपुरा) : यह सरकार तथा मन्त्री महोदय की निष्फलता पर एक आरोप है। इसे वापिस लिया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप सब क्यों चिल्ला रहे हैं? कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : वह क्या है जिसे मुझे वापिस लेना चाहिए ? वह क्या है जो मैंने कहा है ? कृपया बैठ जाइए । हमें धोखा देने की कोशिश मत कीजिए ।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, यह आरोप लगा रहे हैं ।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभी सदस्यों से बहुत मैत्रीपूर्ण ढंग से बात करने के लिए कहूंगा । हम इस पर बड़े सहज ढंग से चर्चा कर रहे हैं । इसमें कुछ भावुकता हो सकती है, क्योंकि उनके हितों·····

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : पहले मेरी बात सुनिए । तब आप बोलिए ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि किसी सदस्य द्वारा कोई आपत्तिजनक बात कही जाती है तो उसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा । निश्चय ही उसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा । यदि कोई गलत बात कही जाए तो मैं उसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दूंगा । अतः मैं आप सबसे सहयोग के लिए अनुरोध करता हूं । उसके मन्त्री महोदय उत्तर दे सकते हैं और सदस्य अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं । जब एक सदस्य बोल रहा है तो उसे टोकने और बोलने के लिए रोकने का प्रयत्न मत कीजिए । यह कोई तरीका नहीं है । मैं आप सबसे सहयोग के लिए अनुरोध करता हूं ।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : मूल सिद्धांत है कि न केवल न्याय किया ही जाना चाहिए, बल्कि ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि न्याय हो गया है । मैं अय्यप्पु रेड्डी एक व्यक्ति के रूप में, श्री शंकरानन्द के उद्देश्यों में पूर्ण विश्वास रखता हूं लेकिन आंध्र प्रदेश के सभी छः करोड़ लोगों की यह भावना नहीं हो सकती । वे हमेशा समझते हैं कि श्री शंकरानन्द अपने वक्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : अतः यह उनके अपने ही हित में है कि वे तेलगु-गंगा परियोजना सम्बन्धी कार्य करें । यह उनके अपने हित में है । जहां तक तेलगू-गंगा परियोजना का सम्बन्ध है यह आवश्यक है कि इन राज्यों में से किसी एक राज्य द्वारा उठाई गई आपत्ति पर सीधे प्रधानमन्त्री अथवा किसी दूसरे मन्त्री द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए जो इन विवादास्पद राज्यों में से किसी से सम्बन्धित नहीं होता है ।

(व्यवधान)

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : इससे तो आपका पर्दाफाश होता है ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : चिल्लाइए नहीं । यदि सदस्य सहयोग देंगे तो यह चर्चा चलेगी, अन्यथा मुझे इसे समाप्त करना पड़ेगा ।

(व्यवधान)

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : ये मन्त्री महोदय की ईमानदारी पर सन्देह कर रहे हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस पक्ष के माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि सदस्य को उत्तर देते समय टोकिए नही। उन्हें अपनी बात समाप्त करने दीजिए। यदि आप टोकते रहेंगे और शोर मचाते रहेंगे, तब अन्य सदस्य निश्चय ही अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते। मैं यह सबसे कह रहा हूं। यदि कोई सदस्य इस तरह करता है तो मैं आगे चर्चा के लिए अनुमति नहीं दूंगा। यह स्पष्ट है।

श्री सी० माधव रेड्डी : चर्चा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। केवल प्रश्न पूछने चाहिए।

कुछ माननीय सदस्य : हमें इस पर आपत्ति है।

(व्यवधान)

श्री वी० कृष्ण राव : हम बाहर चले जाएंगे अथवा धरना देंगे।

(व्यवधान)

श्री एस० एम० गुरड्डी (बीजापुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जब आपने अन्य राज्य के सदस्य को अवसर दिया हो तो आपने कर्नाटक के सदस्य को बोलने का अवसर क्यों नहीं दिया है?

उपाध्यक्ष महोदय : आप उस निष्कर्ष पर क्यों पहुंचे हैं? व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। कृपया बैठ जाइए। मैंने इस प्रकार के कोई आदेश नहीं दिए हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करिए। मंत्री महोदय उत्तर देने के लिए तैयार हैं।

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : सदन को ज्ञात है कि तेलगु-गंगा परियोजना पर सदन के बाहर और अन्दर बहुत चर्चा चल रही है। विशेष तौर से सम्बन्धित राज्य अपने अधिकारों और आशंकाओं, चाहे उचित हों अथवा अनुचित हों को लेकर बहुत उत्तेजित हैं और हम यहां राष्ट्र के रूप में समस्याओं को सुलझाने के लिए बैठे हैं, विशेष तौर से जटिल समस्याओं के हल ढूंढने के लिए, और मैं तेलगू पार्टी के सदस्यों की उत्तेजना को अच्छी तरह समझता हूं।

श्री सी० गंगा रेड्डी : तेलगु पार्टी नहीं, बल्कि आन्ध्र प्रदेश संसद सदस्य।

एक माननीय सदस्य : तमिलनाडु जी।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सभी सम्बन्धित हैं, कर्नाटक भी सम्बन्धित है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। इन्हें बोलने दीजिए।

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, मुझे याद है यदि मुझे यह बताने के लिए कार्यवाही सारांश मिलें कि माननीय सदस्य ने क्या कहा था, न्यायालय में एक मामले पर बहस की जा रही थी और

एक पक्ष के वकील ने अपना मामला बहुत युक्तियुक्त और बड़े शान्तिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया था। तत्पश्चात् दूसरा वकील खड़ा हुआ और उसने चिल्लाना, बैंच पीटना, पीठासीन अधिकारी और विपक्ष पर चिल्लाना शुरू कर दिया और शोर ही शोर होने लगा और कोई चर्चा नहीं हुई। बात ही समाप्त हो गई। इसलिए, दूसरे वकील को उत्तर देने के लिए बुलाया गया। तत्पश्चात् अन्य वकील खड़ा हुआ और वह मुंह बिना खोले और बोले अपनी मेज पर अंगूठे लगाता रहा और हवा में अपने हाथ घुमाता रहा। न्यायाधीश ने पूछा : "आप क्या कर रहे हैं ?" तब उसने उत्तर दिया, "मैं दूसरे वकील के तर्क के पहले भाग का उत्तर दे रहा हूं।" यही कारण है कि मैं वह नहीं करने जा रहा हूं।

माननीय सदस्य ने बहुत-सी बातें कही हैं, लेकिन वह मुख्य बात बताना भूल गए हैं। क्या मैं सदस्य के हित में कह सकता हू ? आपको कहना चाहिए कि तेलगु गंगा परियोजना शीघ्र पूरी की जानी चाहिए। आपने यह नहीं कहा।

श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव : हमने यह सभा में अनेक बार कहा है।

(व्यवधान)

श्री बी० शंकरानन्द : मैं यहां किसी एक राज्य के विरुद्ध किसी राज्य के अधिकार बताने के लिए नहीं आया हूं। मैं एक पार्टी का सदस्य हूं जो अखिल भारतीय पार्टी है, मैं उस पार्टी का सदस्य हूं जिसका 100 वर्ष पुराना इतिहास है।

(व्यवधान)

श्री वासुदेव आचार्य : पार्टी कांग्रेस (आई०) का केवल 17 वर्ष पुराना इतिहास है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रकार की चर्चा होना नहीं चाहता हूं। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री बी० शंकरानन्द : मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरा व्यक्तिगत रूप से उल्लेख किया गया है कि मैं कर्नाटक से हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मैं माननीय सदस्य से शांत रहने के लिए अनुरोध कर सकता हूं ? कृपया सुनिए कि मंत्री क्या कह रहे हैं। यहां तक कि जब मंत्री बोल रहे हैं सब टोक रहे हैं। यह क्या है ?

श्री बी० शंकरानन्द : मैं केवल कुछ टिप्पणियों को स्पष्ट कर रहा हूं जो मेरे विरुद्ध स्वतन्त्र रूप से यह कह कर कही गई है कि मैं कर्नाटक का हूं। माननीय सदस्य ने यह कहा है, अन्यों में यह भावना नहीं हो सकती, लेकिन क्या मुझे सभा में कहना चाहिए कि मुझे गर्व है कि मैं कर्नाटक का हूं, मुझे गर्व है मैं कन्नड़ हूं, हममें वह संस्कार हैं जिसकी एक अन्य दिन प्रधान मंत्री ने प्रशंसा की थी।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कोई वाद-विवाद नहीं चाहता हूं। श्री अय्प्पु रेड्डी, वह ऐसा कुछ नही कह रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री बी० शंकरानन्द : मैं उस राज्य का हूं लेकिन मैं उस दल का भी हूं जिसकी नेता श्रीमती गांधी थीं और जिनकी आपने प्रशंसा की है। मैं उस पार्टी का भी हूं जिसके नवयुवक नेता राजीव गांधी इस देश के प्रधानमन्त्री हैं। वह इस देश के प्रधानमन्त्री हैं और देश ने उन्हें देश के भाग्य और इस देश की नीति को सुआकार देने के लिए प्रधानमन्त्री चुना है। मैं उस पार्टी और उस सरकार की ओर से बोल रहा हू, किसी राज्य की ओर से नहीं। **(व्यवधान)**

श्री आनन्द गजपति राजू (बोबबिली) : महोदय, आप इन्हें काम की बात कहने दीजिये। आप बेकार की बात क्यों कर रहे हैं ?

श्री बी० शंकरानन्द : संसद सदस्य और उस पार्टी के मन्त्री के रूप में यह हमारी राष्ट्र के प्रति प्रतिज्ञा है। मैं राष्ट्र के हितों को नहीं भुला सकता। मैं हमेशा राष्ट्र के हितों को क्षेत्रीय हितों से अधिक महत्व दूंगा। यह मेरी नीति है

श्री आनन्द गजपति राजू : महोदय, हम क्षेत्रीय हिनों की बात नहीं कर रहे हैं। मामले को निश्चित करने दीजिए। हमें बदनाम मत करिए कि हम क्षेत्रीय हितों के लिए कह रहे हैं।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : आप सुनते क्यों नहीं हैं ?

श्री बी० शंकरानन्द : तीनों तरफ से वाद-विवाद के विषय पर अनाप-शनाप कहने से पहले क्या मैं एक बात कह सकता हूं ? मामले के विवादास्पद पहलुओं अर्थात अन्तर-राजकीय पहलुओं में पड़ने से पहले क्या मैं सभा के ध्यान में यह ला सकता हूं कि आंध्र प्रदेश सरकार को परियोजना पूरा करने से पहले केन्द्रीय जल आयोग की अनेक टिप्पणियों के उत्तर अभी देने हैं ? क्या मैं सभा के लाभ के लिए और आंध्र प्रदेश से सदस्यों के लाभ के लिए उन मुद्दों को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित कर सकता हूं जो आंध्र प्रदेश सरकार से स्पष्टीकरण की आवश्यकता रखते हैं। यह आंध्र प्रदेश से माननीय सदस्यों सहित सभा की जानकारी के लिए है। निम्नलिखित मुद्दों पर आंध्र प्रदेश सरकार से उत्तरों की प्रतीक्षा है :

(i) जून, 1985 में राज्य को भेजे गये राष्ट्रीय जल योजना के परिप्रेक्ष्य में आगे टिप्पणी।

(ii) केन्द्रीय जल आयोग के सुझावों को ध्यान में रखते हुए अनुरूपण अध्ययन।

(iii) 3 बांधों—वेलुगोड् रिजर्ववायर, सर पंथुलूरी वीराब्रह्मेन्द्रा स्वामी वारी मत्थम रिजर्ववायर, केडलिरू रिजर्ववायर-दी बेलसिंग रिजर्ववायर के उत्प्लव मार्ग के डिजाइनों और नक्शों के विवरण।

(iv) दिसम्बर, 1985 में सिंचाई पहल सम्बन्धी और टिप्पणियों का पालन। इस समय महत्वपूर्ण पहलू जिन्हें अभी छांटने की आवश्यकता है, वे हैं :

(क) परिकल्पित सिंचाई मार्ग के लिए कृष्णा और पिनार से जल की उपलब्धता (अनुरूपण अध्ययन की प्रतीक्षा)।

(ख) फसल के लिए जल की आवश्यकता को निर्धारित करने सहित सिंचाई योजना।

(ग) तीन बेलसिंग रिजर्ववायर बांधों के उत्प्लव मार्गों के डिजाइन।

(घ) लागत अनुमान निर्धारित करना और वास्तविक लाभ लागत का अनुपात निकालना।

(ङ) 1980 के वन संरक्षण अधिनियम/पर्यावरणीय दृष्टि से परियोजना को स्वीकृत्ति।

(च) अंतर-राज्य पहलुओं को हल करना।

क्या मैं आंध्र प्रदेश के माननीय सदस्यों से अनुरोध कर सकता हूं·····

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : आप 100 अन्य प्रश्न पूछ सकते हैं और दीर्घकाल के लिए प्रार्थना कर सकते हैं।

डा० ए० कलानिधि : यदि यह बात है, तब श्रीमती गांधी ने मद्रास आकर कैसे यह घोषणा की थी कि कृष्णा नदी का जल मद्रास को दिया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं। व्यवधान न डालें।

डा० ए० कलानिधि : वह अपनी इच्छा से एक घोषणा करने आई थीं। वह क्यों आईं और उन्होंने इस प्रकार की घोषणा क्यों की ?

श्री बी० शंकरानन्द : श्रीमती गांधी मद्रास आपको पानी दिलाने आई थीं।

डा० ए० कलानिधि : यदि केन्द्रीय जल आयोग ने अनेक प्रश्न चिन्ह लगाए थे, तब उन्होंने ऐसा क्यों कहा ?

उपाध्यक्ष महोदय : डा० कलानिधि, कृपया बैठ जाइए। उन्हें अपनी बात कहने दीजिए। तब अब प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं आपको अनुमति दूंगा। जब मैं आपको बोलने का अवसर दूं तो आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। मैं इस तरह बोलने की अनुमति नहीं दे सकता। यदि प्रत्येक सदस्य बोलने लगता है, तब आप कुछ नहीं सुन सकते।

(व्यवधान)

मैं कह सकता हूं कि यदि हम उससे अधिक नहीं जितना माननीय सदस्य स्वयं मद्रास नगर के लिए जल आपूर्ति से संबंधित हैं, तो हम समान रूप से अवश्य संबंधित हैं क्योंकि हम यहां आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने के लिए हैं। वह वहां आरोप लगाने के लिए हैं।

डा० ए० कलानिधि : मैं कोई आरोप नहीं उठाऊंगा। मुझे पानी की आवश्यकता है।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : आप इस बारे में जानकारी दीजिए कि वहां कितनी स्त्रियां हैं और कितने जल भरने के स्थल हैं।

डा० ए० कलानिधि : हमारे यहां स्त्रियां पानी लेने के लिए प्रात: 2 बजे उठती हैं।

श्री बी० शंकरानन्द : मुझे खुशी है कि सभी सदस्य तात्कालिक प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के सहयोग का उल्लेख कर रहे हैं जिन्होंने इस देश की आशाओं और आकांक्षाओं

के साथ विशेष तौर से दलित और जनता के कमजोर वर्ग को जो निरुद्ध और उत्पीड़ित है जिन्हें सहायता चाहिए, के साथ अपने को जोड़ते हुए अपना परिचय दिया और यही कारण है कि वह उद्घाटन भाषण समारोह में उपस्थित हुई थीं। (**व्यवधान**)

हम उन लोगों के लिए हैं जो वास्तव में जल के लिए, चाहे वह पीने के लिए हो अथवा सिंचाई के लिए, तरस रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों को स्पष्ट कर दूं कि हमें उन क्षेत्रों में पर्याप्त सिंचाई की व्यवस्था करनी है जो कि विशेष तौर से इस देश के सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं चाहे वह आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है अथवा देश का कोई भाग है। हमें देखना है कि उन्हें सिंचाई और पीने के लिए जल की आपूर्ति द्वारा उनकी शिकायतें दूर की जाएं। मैं सभा की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि 30 अक्तूबर, 1985 को हमारी पहली राष्ट्रीय संसाधन परिषद की बैठक हुई थी जिसके अध्यक्ष स्वयं प्रधानमन्त्री हैं और उन्होंने इस देश के सूखा-प्रवृत्त और इस देश के सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों का उल्लेख किया था। यह ठीक है कि रायलसीमा और अन्य भागों पर अवश्य ही सरकार द्वारा तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए। (**व्यवधान**) बीजापुर, गुलबर्ग और कोलर पुराने सूखा-ग्रस्त क्षेत्र हैं। यह सभी हमारी सहायता की अपेक्षा रखते हैं लेकिन हम राष्ट्रीय जल नीति का प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया मे लगे हैं। इस राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु सहित सभी राज्यों के मुख्य मन्त्री अंतर्विष्ट हैं। हमने नीति के प्रारूप संबंधी कागजात तैयार करने के लिए एक उप-दल नियुक्त किया है और सभा को बता दूं कि आंध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री श्री एन० टी० रामा राव, तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री श्री एम०जी० रामाचन्द्रन और कर्नाटक के मुख्य मन्त्री श्री हेगडे इस दल के सदस्य हैं जिन्हें राष्ट्रीय जल नीति का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और जिन्होंने सर्वसम्मति से पेय जल को अत्य-धिक प्राथमिकता देने के सिद्धान्त को स्वीकार किया है। मद्रास को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है और यही कारण है कि श्रीमती गांधी जल आपूर्ति योजना के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए गई थीं।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : हमने इसे गंभीरतापूर्वक लिया है क्योंकि सम्पूर्ण योजना एक अवयव थी···

श्री बी० शंकरानन्द : मैं आपकी सहायता के लिए आगे बढ़ रहा हूं। कृपया एक अच्छे मामले को बेकार के विवादों में न उलझाएं।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : हमें मालूम है कि अपनी बात को कैसे कहना है।

श्री बी० शंकरानन्द : मैं आपके अपने हित के लिए कह रहा हूं। आन्ध्र प्रदेश के बारे में मैं जानता हूं। मेरी उन लोगों के साथ पूरी सहानभूति है जो पेय जल के लिए तरस रहे हैं। रायलसीमा, मैं जानता हूं कि वह सूखा-प्रवृत्त क्षेत्र है। व्यक्ति के जीवित रहने के लिए, जीवन पोषण के लिए पेय जल अति आवश्यक है। मेरी इस माननीय सभा के प्रत्येक सदस्य से हल ढूंढने में सहायता करने के लिए विनम्र प्रार्थना है ताकि इस प्रक्रिया में मद्रास को सर्वप्रथम जल प्राप्त हो, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की समस्याओं को भी हल किया जाना है। मैं इस बारे में निराशावादी नहीं है। मैं स्वयं हैदराबाद गया था—मैं समझता हूं कि आन्ध्र प्रदेश के माननीय सदस्य मुझसे सहमत होंगे—और मैं स्वयं विभिन्न मामलों पर मुख्य मंत्री द्वारा चर्चा करने के बाद हल ढूंढने की आशा से उनके घर भी गया था। मैंने हाल ही में अधिकारियों सहित सिंचाई मंत्री

से भी विचार-विमर्श किया है। हमने महाराष्ट्र सरकार से भी बातचीत की है। मैं कर्नाटक सरकार से भी बातचीत करने जा रहा हूं; मैंने कर्नाटक के मुख्य मंत्री से कहा है कि मैं उनसे उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। मैं यह सब केवल सबके विचार जानने के लिए कर रहा हूं। मैं यह सबकी सर्वसम्मत्ति प्राप्त करने, हल ढूंढने के लिए कर रहा हूं ताकि इस देश में प्रत्येक को लाभ हो सके। क्या एक राज्य से दूसरे राज्य को अनाज भेजा जा सकता है अथवा क्या एक राज्य से दूसरे राज्य को पानी भेजा जा सकता है, हम सब यह चाहते हैं; इसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन, ऐसा हम तभी कर सकते हैं यदि हम मिलजुलकर कार्य करें, यदि हम एक दूसरे से मिलकर और ईमानदारी से हल ढूंढने का प्रयत्न करें। हमें समस्याओं को समझना चाहिए; समस्याओं को जाने बिना, हलों को नहीं ढूंढा जा सकता। यही कारण है कि पिछली बार मैंने इस सभा में एक अपील की थी। सभी मुख्य मंत्री एक साथ मिलकर मेरी सहायता करें। आखिरकार हम पहले भारतीय हैं। मैं नहीं समझता कि कोई मुख्य मंत्री अन्य राज्यों की उपेक्षा कर केवल अपने राज्य के लिए कुछ करने का इच्छुक होता है। मैं नहीं समझता कि श्री एन० टी० रामाराव अथवा श्री एम० जी० रामाचन्द्रन अथवा श्री हेगडे केवल अपने राज्यों के लिए ही चिन्तित हैं। वे सभी अपनी पार्टियों के नेता हैं और मैं नहीं समझता कि वे केवल अ पने राज्यों के लिए सोचेंगे और किसी पर ध्यान नहीं देंगे। मुझे उनकी उदारता, उनके हृदय की विशालता, उनकी व्यापक दृष्टि पर विश्वास है, मुझे विश्वास है कि उनकी अभिरुचि उनके अपने राज्यों की चार दीवारी तक ही सीमित नहीं है। गरीब जनता उनके अपने राज्यों की सीमाओं से परे हैं। सूखा ग्रस्त क्षेत्र उनके अपने राज्यों की सीमाओं से परे हैं। पानी की आवश्यकता इन तीन राज्यों के किसानों को ही नहीं है बल्कि अन्य राज्यो में भी है। मैं कह सकता हूं कि समस्याएं ऐसी नहीं है सुलझाला नहीं जा सकता, समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। हम हल ढूंढ सकते हैं। लेकिन हमें निष्कपटता की भावना से आगे बढ़ना है। विभिन्न विवादों में न पड़ें। मैं विवादों में पड़ना नहीं चाहता क्योंकि मैं सभा को बता सकता हूं कि से बिवाद किसी भी तरह से किसी पक्ष की सहायता नहीं कर रहे है। स्वयं एक वकील होने के नाते, मैं जानता हूं कि कौन से वैधानिक पहलू शामिल हैं। लेकिन अब वह मामला नहीं है। मैं किसी विवाद में दोष अथवा गलतियां ढूंढना नहीं चाहता। हम यहां सभा, माननीय सदस्यों की सहायता से समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं। मुख्य मंत्री एक साथ मिलकर आगे आएं और हल ढूंढने के लिए भारत सरकार की सहायता करे। भारत सरकार, प्रधान मंत्री और मैं यहां उपस्थित हैं; हमें इन समस्याओं के लिए शीघ्र हल ढूंढना है।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (दक्षिण बंगलोर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अभी बहुत काबिल वकील के विचारों को सुना, श्री अय्यप्पु रेड्डी···

उपाध्यक्ष महोदय : आप केवल मंत्री महोदय से प्रश्न पूछ सकते हैं। मंत्री महोदय ने माननीय सदस्य को उत्तर दे दिया है। यदि आप कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : श्री रेड्डी ने मद्रास शहर के लिए जल योजना के उद्घाटन समारोह का उल्लेख किया। वह केवल मद्रास शहर में जल की आपूर्ति से संबंधित था। आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकारें मानवीय आधार पर इस बात के लिए तुरन्त सहमत हो

गई कि प्रत्येक राज्य 5 टी० एम० सी० पानी देगा। इस बारे में कोई विवाद नहीं है। वह समारोह उसी के लिए था।

यदि यह सिंचाई के लिए होता तो समारोह आन्ध्र में किसी स्थान पर होता। यह बात निश्चित है। मुझे इस आमंत्रण पत्र का ध्यान है लेकिन मैं इसे इसलिए लाना भूल गया क्योंकि मेरे ख्याल में इसे सभा पटल पर रखना ठीक नहीं था।

श्री अय्यप्पु रेड्डी ने भी तत्कालीन सिंचाई मंत्री द्वारा दिए संदेश का जिक्र किया। लेकिन यह सरकारी आदेश नहीं हो सकता। यह केन्द्र की स्वीकृति नहीं है। श्री रेड्डी ने जो कुछ कहा, मैं उस बात से सहमत हूं कि संबद्ध राज्य को न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय का पालन करना चाहिए। कर्नाटक सरकार का भी यही कहना है। हम यह चाहते हैं कि सभी संबद्ध सरकारें न्यायाधिकरण के निर्णय का पालन करें। यह हमारी मांग है। अगर वह इसे मान लें तो मुझे यहां बोलने की जरूरत नहीं है।

न्यायाधिकरण के निर्णय में क्या कहा गया है? बचावत न्यायाधिकरण ने एक निर्णय दिया था। उस निर्णय के अनुसार—मुझे मजबूरन आंकड़े देने पड़ रहे हैं क्योंकि श्री रेड्डी ने आंकड़े नहीं दिए, प्रतिशत के अनुसार न्यायाधिकरण ने यह निर्णय दिया था कि पानी का उपलब्ध कोटा 2060 टी० एम० सी० है तथा तीन बेसिन राज्यों में आबंटित मात्रा इस प्रकार है :

महाराष्ट्र—560 टी० एम० सी०, कर्नाटक 700 टी० एम० सी० और आन्ध्र प्रदेश 800 टी० एम० सी०। यह सच्चाई है। आन्ध्र प्रदेश राज्य को यह छूट दी गई है कि वह 2060 टी० एम० सी० से अधिक जितना भी पानी कृष्णा नदी में हो, उसे उपयोग में ला सकता है। लेकिन इसे यह अधिकार नहीं···

(व्यवधान)

श्री रेड्डी इसे पढ़ चुके हैं। न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय का यह एक भाग है। लेकिन, श्री रेड्डी ने अन्य भाग अर्थात् योजना 'ख' का उल्लेख नहीं किया। इसमें आगे यह बताया गया है कि जब कृष्णा घाटी प्राधिकरण का गठन किया गया था तो या तो तीनों राज्यों में समझौता करके अथवा संसद् द्वारा कानून बना कर, यह फालतू पानी, अगर यह 2060 तक है, का इस्तेमाल करेगा। 2060 टी० एम० सी० से 2130 टी० एम० सी० तक यह इस प्रकार आबंटित किया जाएगा :

महाराष्ट्र 35%, कर्नाटक 50%, आन्ध्र प्रदेश 15%

लेकिन अगर यह 2130 टी० एम० सी० से अधिक होगा तो—

महाराष्ट्र—25%, कर्नाटक—50%, आन्ध्र प्रदेश—25%

यह निर्णय दिया गया है। हम यह मांग कर रहे हैं कि केन्द्र सरकार का यह कर्तव्य है कि वह इसे लागू करे। मैं केन्द्र सरकार पर यह आरोप भी लगा रहा हूं कि वह इसमें इतना विलंब क्यों कर रही है। उन्हें पहले ही इसे लागू कर देना चाहिए था। श्री रेड्डी ने भी यही मांग की है। हम भी यह मांग कर रहे हैं। तीनों बेसिन राज्य भी इसकी मांग कर रहे हैं। जब कभी भी

राज्यों की सहमति से अथवा जल विवाद अधिनियम, 1950 के अनुसार कोई न्यायाधिकरण नियुक्त किया जाता है, तो महाराष्ट्र कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश सरकारें उनका पालन करने के लिए बद्ध हैं।

कर्नाटक बहुत उदार राज्य है। बहुत ही उदार हम में काफी दया भाव है। कर्नाटक को सच में कोई आपत्ति नहीं है। हम ऐसा कभी नहीं चाहते कि पानी बेकार हो। पानी की हर बून्द का उपयोग, इस्तेमाल देश के हित में किया जाए। हम हमेशा राष्ट्रीय हित की बात करते हैं।

एक माननीय सदस्य : जैसे कि अन्य राज्य न करते हों।

श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर : मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि श्री रेड्डी ने अपने भाषण में यह कहा है कि कर्नाटक बिना बात आपत्ति कर कर रहा है। यह सही नहीं है।

अब मैं तथ्यों पर आता हूं। सात सौ टी० एम० सी० के संबंध में जिसके लिए हमें कानूनन हक है। हमारी परियोजनाएं चल रही है। केवल अपर कृष्ण परियोजना में 400 टी० एम० सी० पानी चाहिए। शेष आबंटित जल अपर भद्रा और अपर तुंग परियोजनाओं के लिए चाहिए। अपर कृष्णा परियोजना से 300 मिलियन हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई होगी तथा इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 'बेसिन' का 60 प्रतिशत क्षेत्र कर्नाटक में और 40 प्रतिशत आन्ध्र में हैं।

(व्यवधान)

महोदय, यद्यपि कर्नाटक काफी उदार है, परन्तु हम एक भी बूंद पानी बेकार नहीं कर सकते। हमें इसकी जरूरत है। मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि हम कर्नाटक में आबंटित भाग से एक बूंद भी अधिक नहीं चाहते।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : हम आबंटित भाग से एक बूंद से अधिक नहीं लेंगे।

(व्यवधान)

श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर : अब मैं कर्नाटक को हो रही आशंका पर आता हूं। वर्ष 1976 और 1977 के समझौते की प्रमुख बात यह है कि प्रत्येक राज्य मद्रास को पीने के पानी के लिए 5 टी० एम० सी० पानी देगा। आगे यह भी विशेष रूप से बताया गया है कि आन्ध्र प्रदेश से आ रहे पानी को सिंचाई कार्यों के लिए इस्तेमाल में नहीं लाया जाएगा। यह दिया गया है निर्णय में। आन्ध्र को 800 टी० एम० सी० पानी मिला है। इसमें, वह पहले ही 740 टी० एम० सी० के लिए कार्य कर रहे हैं एवं श्री सलेम परियोजना के लिए 33 टी० एम० सी० और जुलारा परियोजना के लिए 18 टी० एम० सी० पानी की जरूरत होगी इस प्रकार, उनका आबंटित कोटा तो पूरा हो गया। अब आन्ध्र प्रदेश यह कह रहा है कि हम केवल फालतू जल का ही उपयोग करेंगे। लेकिन फालतू जल तो है ही नहीं। कहां है फालतू पानी। वह इतनी बड़ी नहर बना रहे हैं कि इसमें 300 टी० एम० सी० पानी आ जाए लेकिन पानी है कहां?

अगर पानी हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। वह हमारे भाई ही हैं। अगर फालतू पानी होगा तो कर्नाटक को कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या तेलुगू गंगा परियोजना बचापत निर्णय के अनुसार है? क्या यह 1976 और 1977 में तीनों बेसिन राज्यों द्वारा किए गए समझौते के अनुसार है? अगर यह उस निर्णय अथवा समझौते के अनुरूप नहीं है, तो क्या कारण है कि माननीय मंत्री ने आन्ध्र प्रदेश सरकार से यह कहा है कि वह इस संबंध में विस्तार से ब्योरा दें।

आपने उनसे बहुत से स्पष्टीकरण मांगे हैं? लेकिन जब फालतू पानी ही नहीं है तो उसकी क्या जरूरत है? जब फालतू पानी है ही नहीं तो उन्हें परेशन क्यों करना। जब फालतू पानी नहीं है तो स्वीकृति दिए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। महोदय, इस परियोजना पर वह करोड़ों रु० खर्च कर रहे हैं। लेकिन जब पानी ही नहीं है तो इतनी बड़ी राशि खर्च करने की क्या जरूरत है?

महोदय, जहां तक मद्रास शहर को पानी दिए जाने की बात है, हम इसके लिए वचन बद्ध हैं। हम किसी भी परिस्थिति में इससे पीछे नहीं हटेंगे। अतः, यह मामला मुख्य मंत्रियों को मिल कर हल करना चाहिए। मैं एक बार फिर मंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि किसी भी परिस्थिति में उन्हें स्वीकृति न दी जाए तथा इस योजना को स्वीकृति न दिए जाने का कोई उचित कारण नहीं जान पड़ता?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि इस विषय पर चर्चा करते पहले ही एक घन्टा और दस मिनट हो चुके हैं। अतः मैं अन्य माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करता हूं कि वह केवल प्रश्न पूछें। अब श्री जंगा रेड्डी प्रश्न पूछेंगे।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से चार प्रश्न पूछना चाहता हूं। पिछले छः महीनों से राज्य सरकारों के बीच जो झगड़ा चल रहा है, उसको निपटाने के लिए आपने उन लोगों को क्यों नहीं बुलाया। तीनों मुख्य मंत्रियों को बुलाने में आपको क्या आपत्ति है? आप उन को एक दिन भोजन पर बुलाइए और एक जगह बैठकर मामला तय कर दीजिए। तीनों मुख्य मंत्री अपने-अपने हक के लिए झगड़ रहे हैं। भारत सरकार मां को अपने बेटों को बुलाना चाहिए, मगर बेटे एक जगह नहीं बैठते हैं। उनको बुलाने का आपका कर्तव्य है। हम बैठने के लिए तैयार हैं। मुझे 1983 की एक कहानी याद आती है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप कहानी मत सुनाइए।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : मैं बगैर सुनाए नहीं रह सकता हूं। एक आदमी ने अपने बेटी की शादी एक साहूकार से किया। उसके दो बच्चे पैदा हो गए और तीसरे साल उन्होंने एम्पलीकेशन दिया कि वे मेरी बेटी को उठाकर शादी कर लिए।···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछिए। आप प्रश्न पूछिए वह रिकार्ड होंगे, अन्य कुछ रिकार्ड नहीं होगा।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : श्री रामकृष्ण हेगड़े, श्री एन० टी० रामाराव, श्री एम० जी० रामचन्द्रन और श्रीमती इंदिरा गांधी—इतने लोगों के रहने के बाद यह मामला क्यों केन्द्रीय सरकार के पास इतने दिनों तक रुका रहा। दिल्ली की सरकार उसको क्यों हल करने में हिचकिचा रही है। उसको क्लीयरेंस क्यों नहीं देती है। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, फारेस्ट की क्लीयरेंस कौन देगा, इन्वायर्नमेंट की क्लीयरेंस कौन देगा—क्या इनको क्लीयरेंस देना केन्द्रीय सरकार के हाथ में नहीं है ? मगर केन्द्रीय सरकार विरोधी गैर कांग्रेसी सरकार और तेलगू गैर कांग्रेसी सरकार दोनों को बिल्लियों की तरह लड़ाकर बन्दर की तरह देखना चाहती है। यह आपकी नीति है···(**व्यवधान**)···मैं कहना चाहता हूं, आप इस्तेमाल नहीं करते और दूसरों को इस्तेमाल करने नहीं देना चाहते। खुद पीने नहीं दूसरे को पीने नहीं देते। क्या यह संभव है ? ···(**व्यवधान**)···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड नहीं होगा।

(**व्यवधान**)**

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : आप मेरे प्रति अन्याय कर रहे हैं। मेरे प्रति ही नहीं आन्ध्र प्रदेश की छः करोड़ जनता के प्रति अन्याय कर रहे हैं। मैं जानता हूं, बीदर में अकाल है, गुलबर्गा में अकाल है। भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने के कारण ही यह समस्या हुई है। मैं केन्द्रीय सरकार से यह पूछना चाहता हूं···(**व्यवधान**)···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए, अगर आप बोलना जारी रखेंगे तो मुझे रिकार्ड न करने को कहना पड़ेगा।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : मद्रास को पानी पिलाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। यह अन्याय मेरे प्रति नहीं है, वहां की सारी जनता के प्रति है और साथ ही साथ तमिलनाडू के प्रति भी घोर अन्याय कर रहे हैं।···(**व्यवधान**)···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिए। आप तेलुगू गंगा परियोजना पर न बोल कर कुछ और कह रहे हैं। कृपया समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : देखिये, मद्रास पानी ले जाने के लिए खेतों में से पाइप डालना

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पड़ता है और सिंचाई के लिए किसान को जानी चाहिए। उस पाइप में पानी देखकर किसान खाली नहीं बैठता और अपने खेतों में पानी देने के लिए और पीने के पानी के लिए, जिस वक्त वह तड़फ रहा है, उस वक्त उसको तोड़ कर इस्तेमाल करेगा। इस तरह से मद्रास को पानी मिलना असंभव हो जाएगा। इसलिए हमारी सरकार ने ओपन चेनल के रूप में पीने का पानी मद्रास के लिए और खेतों में सिंचाई के लिए योजना बनाई है। इसलिए मैं यह कहता हूं कि मुख्य मंत्रियों को बुला कर, बिठा कर और उनको दावत देकर केन्द्रीय सरकार को फैसला करना चाहिए। फोरेस्ट क्लियरेंस की रेस्पोंसीबिलिटी केन्द्रीय सरकार की है। इसके बारे में स्टेट्स से पूछने की क्या जरूरत है। माननीय मंत्री जी मेरे प्रश्नों को उत्तर दें।

[अनुवाद]

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सहयोगी श्री अय्यप्पु रेड्डी ने विस्तार से बताया है कि किस प्रकार यह परियोजना शुरू हुई तथा बचावत एवार्ड के विभिन्न पहलुओं जिनका पालन करने के लिए तीनों राज्य बाध्य हैं और इस निर्णय को अक्षरशः लागू करने की भारत सरकार की जिम्मेदारी का उल्लेख भी उन्होंने किया है। दुर्भाग्य से मन्त्री महोदय ने उठाए गए विशिष्ट प्रश्नों एवं अय्यप्पु रेड्डी ने निर्णय के जो उद्धरण दिये हैं उनके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। इसकी अपेक्षा वह इसे टाल रहे थे।

मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार कितनी बार राज्य सरकार से नये-नये मुद्दों पर स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहेगी। दुर्भाग्य से भारत सरकार किसी न किसी मुद्दे को उठाकर स्पष्टीकरण प्राप्त करने की चाल चल रही है। क्यों नहीं वह एक बार में सारे स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेती। जब राज्य सरकार स्पष्टीकरण दे देती है तो केन्द्र सरकार नये मुद्दे स्पष्टीकरण के लिए भेज देती है। इस तरह यह मामला लटकाया जा रह है। मैं माननीय मन्त्री को साफ-साफ एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। चूंकि कर्नाटक सरकार ने आपत्ति उठाई है—यह फिर दोहराया जाएगा—उन्होंने स्पष्टतया इस बारे में आपत्ति की है,बचावत न्यायाधिकरण ने स्पष्टीकरण संख्या 7 में स्पष्टतः यह बताया है, जिसे मेरे सहयोगियों ने उद्धृत किया है, तो कर्नाटक से मेरे सहयोगी ने जो कुछ कहा है, वह सही नहीं है। यह बात नहीं है।मैं इसका विरोध नहीं कर रहा। मैं माननीय मन्त्री से इस प्रश्न का सीधा उत्तर चाहता हूं। हम माननीय मन्त्री से इसलिए अनुरोध कर रहे हैं क्यों कर्नाटक फायदे की स्थिति में है। जब वह पानी का अपना भाग इस्तेमाल कर लेते हैं तो बाकी पानी आंध्र प्रदेश में पहुंचता है और अगर पानी पर्याप्त मात्रा में न हो उन्हें नुकसान होता है। वास्तव में मेरे सहयोगी यह बता रहे थे कि वास्तव में एक भी बूंद पानी नहीं है—बचा हुआ फालतू पानी, कृष्णा नदी में, जिसमें कि परियोजना बनाई जा सके। इसलिए, जब आपको अच्छी तरह मालूम है कि पानी नहीं है तो आप आपत्ति क्यों करते हैं। लेकिन, हम अपना पैसा इस आशा से लगा रहे हैं कि हम रायलसीमा के उन सभी जिलों, जहां हमेशा सूखा रहता है, में पीने का पानी एवं सिंचाई के लिए, पानी उपलब्ध करा सकेंगे। हम चाहते हैं कि मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करें। मैं मन्त्री जी से स्पष्टतया एक उत्तर चाहता हूं। मान लो आप यह कहते हैं कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के मुख्य मन्त्री एक साथ बैठकर इस मामले को क्यों नहीं निपटाते और मुझे कोई समाधान क्यों नहीं बताते तो आप तो दोनों मुख्य मंत्रियों को केवल एक साथ बिठा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह प्रयास कर रहे हैं।

श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव : वह इन दोनों राज्यों के लोगों को भिड़वाना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करना चाहते। जब दोनों राज्य सहमत नहीं हैं तो क्या यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप बाचावत न्यायाधिकरण के निर्णय को लागू करें। यह मेरा स्पष्ट प्रश्न है। माननीय मन्त्री उत्तर दें।

श्री बी० एन० रेड्डी : मैं आंध्र प्रदेश से हूं। कम से कम एक·····

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं। बी० एन० रेड्डी कौन हैं।

श्री बी० एन० रेड्डी (मिरयालगुडा) : महोदय, मैं यहां हूं। मैं यहां खड़ा हूं। आप मुझे सुन रहे हैं। इसका उद्घाटन प्रधानमन्त्री ने किया था। इस परियोजना पर दो वर्ष में लगभग 80 करोड़ रु० खर्च करने के पश्चात, इस समस्या को उठाना गलत है। इसे दूर किया जाना चाहिए। कम से कम आंध्र की जनता को पानी—फालतू पानी और वह पानी जो समुद्र में गिर रहा है, इस्तेमाल करने का हक होना चाहिए। अब, यह समस्या खड़ी नहीं करनी चाहिए और साथ ही लोगों को स्वयं निर्णय नहीं लेना चासिए। यह मैं कहना चाहता था।

श्री एच० एन० नन्जे गौंडा (हसन) : मुझे खुशी है कि श्री अय्यप्पु रेड्डी द्वारा तीन-चार बहुत ही प्रासंगिक मुद्दे उठाए गए हैं अर्थात विकास क्षमता, परियोजना के लिए स्वीकृति और 2000 ई० सं० तक फालतू पानी का बंटवारा। यह कुछ ऐसी बातें हैं जो श्री अय्यप्पु रेड्डी ने उठाई हैं। उन्होंने 1976 और 1977 के समझौते को भी उद्धृत किया है।

महोदय, सिंचाई के लिए क्षमता बढ़ाए जाने के संबंध में मैं श्री अय्यप्पु रेड्डी को सीधे यह बताना चाहूंगा कि हमारे लिए क्षमता बनाना उनका कर्त्तव्य था। समस्त सभा इस बात पर हैरान होगी कि मैं इस तरह क्यों बात कर रहा हूं। महोदय, आज कर्नाटक क्या है। इस समय कर्नाटक में 19 जिले हैं। लेकिन पहले केवल 9 जिले थे। कर्नाटक को अन्य 10 जिले, भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन के समय प्राप्त हुये थे। वर्ष 1956 से पूर्व यह जिले कहां थे ? यह जिले उस समय के हैदराबाद, उस समय के मद्रास और उस समय के बम्बई स्टेट में थे। सदियों से वह दोस्त रहे हैं। राज्यों के 1959 में पुनर्गठन के पश्चात वह हमें प्राप्त हुये। इन समेकित क्षेत्रों में रह रहे कन्नड़ भाषियों की कहानी दुखद है। वह उस समय की सरकारों को करों का भुगतान तो करते थे और उनके पैसे से आपने केवल अपनी भाषा के क्षेत्रों को विकसित किया, निर्माण किया। आपने कभी भी कन्नड़ भाषी क्षेत्रों में कोई परियोजना नहीं लगाई। न तो तत्कालीन हैदराबाद सरकार ने न भूतपूर्व बम्बई सरकार ने और न ही उस समय की मद्रास सरकार ने कन्नड़ भाषी क्षेत्रों में कोई परियोजना लगाई। हमें कर्नाटक के भाग के रूप में दस जिले और दिये गये। क्या उनका यह अपराध है कि वह कन्नड़ बोलते हैं। आपने कभी भी उनके क्षेत्र में कोई परियोजनायें नहीं लगाईं। कृष्णा बेसिन में कन्नड़ भाषी क्षेत्रों में 1956 में सिंचाई की स्थिति क्या थी और कितने पानी का उपयोग किया गया। केवल बीस टी० एम० सी०। यह किसकी गलती थी। वह क्षमता नहीं बनाई गई। आपने कन्नड़ियों का शोषण किया है; आपने वहां कभी भी उनके लिए क्षमता नहीं बनाई। आपने उन्हें सूखे इलाकों में रहने के लिए छोड़ दिया और

अपना विकास किया क्योंकि आप सत्ता के नजदीक थे और उन्हें आपने कभी सत्ता के पास आने नहीं दिया।

यह है उनकी करुण कहानी। सभा सोच सकती है कि यह कन्नड़ लोग किस कारण से न तो खुद पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं और न ही किन्हीं दूसरों को करने दे रहे हैं। लेकिन, बात इतनी आसान नहीं है। इसके ऐतिहासिक कारण हैं कि कृष्णा बेसिन के इन कन्नड़ भाषी क्षेत्रों में किस कारण से सिंचाई की संभावनाएं पैदा नहीं की जा सकीं। यह सब उन्हीं लोगों के साथ थे—उन्हीं लोगों के साथ (व्यवधान) मैं उन्हें जानकारी देने के लिए ऐसा कह रहा हूं। वर्ष 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना में जब वह पानी आबंटित करना चाहते थे तो क्या हुआ था ? उन्होंने परियोजनाओं के आबंटन को आधार मान तदनुसार परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की थी। यह परियोजनाएं केवल उनके ही क्षेत्रों में थीं। वास्तव में तो भूतपूर्व मद्रास राज्य में जब कृष्णा-पेन्नार परियोजना को स्वीकृति दी जानी थी तो तमिल और तेलुगु भाषी जनता में झगड़ा होने लगा। उस समय तेलुगु भाषी लोगों ने कहा कि कृष्णा का पानी केवल कृष्णा बेसिन में ही उपयोग में लाया जाये, इससे बाहर नहीं। वह कभी भी कृष्णा नदी का पानी, बेसिन से बाहर, तमिल भाषी लोगों के लिए जाने नहीं देना चाहते थे। जब पोट्टी श्रीरामुलु ने सत्याग्रह किया था तो उसका एक कारण यह भी था। अब वह आंध्र के हो गये हैं तो उन्हें परवाह नहीं है। अब वह कृष्णा नदी का पानी इसलिए बाहर ले जा सकते हैं कि इससे केवल उन्हें ही मदद मिलेगी। अगर तमिलों की सहायता हो रही थी तो बेसिन से बाहर की बात की जा रही थी, अब वह बात नही है। अब तो इससे केवल आंध्र की जनता को ही मदद मिल रही है। इसी लिए अब वह यह पानी बेसिन से बाहर ले जा सकते हैं। यह कहानी बनाई है उन्होंने।

(व्यवधान)

स्वीकृति दिये जाने के बारे में मैं भारत सरकार से यह कहना चाहता हूं : अब हमें यह बात अच्छी तरह समझ आ गई है कि स्वतन्त्रता के बाद से ही, किसी न किसी कारण से कन्नड़ भाषी लोगों के साथ, सिंचाई के मामले में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और मैं आपको इसका कारण बताऊंगा।

(व्यवधान)

श्री सी० जंगा रेड्डी : किस सरकार के द्वारा ?

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : कोई भी सरकार क्यों न रही हो। डा० के० एल० राव एक ऐसे मन्त्री थे जो कांग्रेस के थे। लेकिन, हमें मालूम है कि उन्होंने आन्ध्र की जनता की सहायता की जिसके लिये आन्ध्र वालों को उनका आभारी होना चाहिए। अच्छी बात है, वह उनकी सहायता करें। हमें क्यों बुरा लगेगा। लेकिन हमें यह तो ध्यान ही रहेगा कि वह कांग्रेस के थे, लेकिन वास्तव में आन्ध्र के।

श्री सी० जंगा रेड्डी : महोदय, यह केन्द्र द्वारा नहीं दिया गया था। राज्य को राज्य योजना के अंतर्गत जो आबंटन किया गया था, राज्य सरकार ने उसी का उपयोग किया था।

श्री एन० एच० नन्जे गौडा : हम अपनी आशंका व्यक्त कर रहे हैं। दिनांक 23 मार्च,

1963 को तत्कालीन सिंचाई मन्त्री द्वारा इस सभा के पटल पर क्या कहा गया था ? उन्होंने इस सभा को आश्वासन दिया था और एक घोषणा की थी । उस समय यह कहा गया था कि नागार्जुन सागर परियोजना के दूसरे चरण को स्वीकृति गोदावरी को कृष्णा की तरफ मोड़े जाने के पश्चात ही की जाएगी । इस सभा में, उस समय के मन्त्री, दिवंगत श्री हफीज मोहम्मद इब्राहीम, द्वारा इस सभा को यह आश्वासन दिया गया था । लेकिन, बाद में क्या हुआ ?

उसके पश्चात डा० राव मन्त्री बने । लेकिन वह इस आश्वासन को भूल गये और उन्होंने दूसरे चरण को भी स्वीकृति दे दी । उसके पश्चात 1969 में जब बचावत आयोग नियुक्त किया गया तो सारा काम सम्पन्न हो चुका था ।

7.00 म० प०

महोदय, अब मैं मन्त्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि कितने सालों से 'अपर कृष्णा परियोजना' का दूसरा चरण भारत सरकार के पास विचाराधीन पड़ा है ? दस साल से । श्री अय्यप्पु रेड्डी आपने कितने साल पहले अपनी परियोजना प्रस्तुत की थी ? दो साल पहले ही तो । मैं श्री अय्यप्पु रेड्डी से यह अनुरोध करता हूं कि वह हमारी ओर से सिंचाई मन्त्री से यह कहें कि वह हमारी परियोजना को, जो कि 10 साल से विचाराधीन पड़ी है, स्वीकृति प्रदान करायें । कितने वर्षों से अपर भद्रा परियोजना विचाराधीन पड़ी है ? किस कारण से आपने इसे स्वीकृति नहीं दी ? उन्होंने 'अपर कृष्णा' दूसरे चरण को स्वीकृति नहीं दी है । किसलिए ? इसीलिए कि क्योंकि यह बचावत एवार्ड की योजना 'क' में नहीं आती । अगर श्री अय्यप्पु रेड्डी ने उसे देखा होता तो जरूर समझा होता । तेलुगु-गंगा परियोजना को वह स्वीकृति क्यों नहीं दे रहे ? इसीलिए चूंकि यह बचावत न्यायाधिकरण द्वारा दिये गये निर्णय की योजना 'क' अथवा योजना 'ख' में शामिल नहीं है । फिर किस प्रकार, भारत सरकार, चाहे वह स्पष्टीकरण मांग रहे हैं अथवा कुछ और, इसे स्वीकृति प्रदान कर सकती है ? अगर वह इस परियोजना को स्वीकृति देते हैं, मैं मन्त्री जी से यह पूछता हूं कि क्या वह इस तेलुगु-गंगा परियोजना को स्वीकृति देंगे जो बचावट न्यायाधिकरण द्वारा दिए गये निर्णय की योजना 'क' में शामिल नहीं है । भारत सरकार ऐसा करने के लिए बद्ध है और नैतिक रूप से भी उसका यह दायित्व है कि वह कर्नाटक की जितनी भी योजनायें विचाराधीन हैं, उन्हें स्वीकृति प्रदान करे । क्या आपको मालूम है, उन्होंने क्या किया है ? सिंचित क्षेत्र कितना है ? **(व्यवधान)**

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : क्या हमने कभी आपकी परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने में कोई आपत्ति उठाई है ?

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : 'अपर कृष्णा' दूसरे चरण द्वारा कितने क्षेत्र की सिंचाई की जा रही है ? दस लाख एकड़ की । लेकिन कहां, गुलबर्गा और रायचूर जिले में । इससे किसको लाभ होगा ? हमें इसका लाभ नहीं होगा । अपितु उन्हीं के बन्धुओं, जो उनके साथ शताब्दियों तक रहे हैं, को इससे लाभ होगा । **(व्यवधान)**

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने कभी किसी समय आपकी परियोजनाओं को स्वीकृति दिये जाने में आपत्ति उठाई है ? **(व्यवधान)**

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : मुझे खुशी है कि श्री अय्यप्पु रेड्डी ने अक्तूबर, 1977 के

समझौते का उल्लेख किया है। महोदय, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उसमें यह नहीं कहा गया :

"तमिलनाडु को एक साल में 15 टी एम सी फीट से अधिक लिए जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

पानी लिए जाने की अवधि उस साल में 1 जुलाई से 31 अक्तूबर होगी।

पन्नार पर, श्री सेलम से सोमासीला चेनल पर केवल 1200 क्यूसेक क्षमता छोड़ी जायेगी।"

लेकिन अब चैनल क्षमता क्या है? यह 11150 क्यूसेक है। हम तमिलनाडु को पीने का पानी दिये जाने का विरोध नहीं करते। यह अमानवीय भी होगा। लेकिन वह दुनिया को तो यह न बताएं कि कर्नाटक पीने का पानी दिये जाने में आपत्ति कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। पीने के पानी को बहाने से वह दूसरों को बेवकूफ तो न बनाएं। इसमें आगे यह कहा गया है :

"इस चैनल का उपयोग सिंचाई और अन्य प्रकार के इस्तेमाल के लिए नहीं करना चाहिए। भारत सरकार इसकी निगरानी का प्रबन्ध करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि श्रीसेलम से एक साल में 15 टी एम सी फीट से अधिक पानी न लिया जाए।"

वह इस समझौते का उल्लंघन कर रहे हैं, अगर यह योजना 'क' के अन्तर्गत नहीं आती, जिसकी कि अधिसूचना भारत सरकार ने दी थी, तो कौन इस परियोजना को स्वीकृति देगा? अगर आप इस परियोजना को स्वीकृति देना चाहते हैं तो हमारी परियोजनाएं भी मंजूर कीजिए, वह दस वर्षों से विचाराधीन हैं।

कर्नाटक में सिंचाई का प्रतिशत क्या है? केवल 20 प्रतिशत। तमिलनाडु में क्या है? 44 से 46 प्रतिशत। आन्ध्र प्रदेश में क्या है? 42 प्रतिशत। आप यह चाहते हैं कि भारत सरकार इस देश में क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ावा दे। (व्यवधान)

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : क्या आप चाहते हैं कि कुछ राज्यों की पिसाई हो? यह सब क्या है? व्यवधान)

श्री एच० एन० नन्जे गौडा (हसन) : कर्नाटक को हानि पहुंचा कर नहीं किया जायेगा। (व्यवधान)

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : उनका खेती का क्षेत्र 90 प्रतिशत है।

(व्यवधान)

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : पंचाट की 'ख' योजना क्या है और ऐसा क्यों है? क्योंकि प्राधिकरण ने स्पष्ट रूप में यह माना है कि पूर्व दशक के दौरान कर्नाटक के साथ अन्याय किया गया है। ऐतिहासिक कारणों तथा भारत सरकार में अधिकारियों द्वारा धोखेबाजी के कारण परियोजनाओं के अभाव में कन्नड़ी क्षेत्र में सिंचाई के लिए पर्याप्त क्षमता नहीं उत्पन्न हो सकी। इसीलिए न्यायाधिकरण को कर्नाटक की आवश्यकता का पता चला और उसने 'ख' योजना के अन्तर्गत

उसको 50 प्रतिशत पानी आबंटित किया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार भारत सरकार को इस बात का आश्वासन देगी कि वह 2000 ई० स० के बाद इस चैनल पानी के लिए दावा नहीं करेगी। हमें इसकी जानकारी दी जाए। इस सम्बन्ध में उनको, भारत सरकार को आश्वासन देने दीजिये और भारत सरकार इस मामले की जांच करे। तत्पश्चात उन्हें अन्य मुख्य मन्त्रियों को बुलाने और उनके साथ परामर्श करने दीजिये। ऐसा इसलिए नहीं है कि परियोजना न तो 'क' योजना के अन्तर्गत है और न ही 'ख' योजना के। पीने के पानी के लिए हम आपत्ति नहीं उठा रहे। तब कन्नाडी लोग क्यों आपत्ति उठा रहे हैं? पानी बेकार क्यों जाये? अतिरिक्त पानी को इस्तेमाल करने का क्या तरीका है? क्या इस पानी का वर्तमान चैनलों में इस्तेमाल नहीं हो सकता है? इस कार्य के लिए नये चैनल की स्थापना करने की क्या जरूरत है? क्या तमिल और आन्ध्र के लोग कावेरी नदी के जल से तीन फसलें प्राप्त नहीं कर रहे हैं? वे हमारे हिस्से का भी इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हमने ऐतिहासिक कारणों से कावेरी नदी की क्षमता का विकास नहीं किया है। पेय जल के बहाने वे अपना अधिकार जमाना चाहते हैं जिसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मैं भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि वह पानी के हमारे भाग का इस्तेमाल करने की अनुमति न दे। यह योजना न तो 'क' योजना अथवा 'ख' योजना के अंतर्गत आती है, अतः उनको इस बात का अधिकार नहीं है कि वे इस पानी का इस्तेमाल कर सकें। मैं आपको सावधान करना चाहता हूं कि आप इस परियोजना को तब तक अनुमति न दें जब तक आप कर्नाटक की परियोजनाओं को अनुमति नहीं देते जो 'क' योजना के अन्तर्गत न आकर 'ख' योजना के अंतर्गत आती हैं।

श्री एस० जी० घोलप (थाणे) : यह सच है कि तेलुगु देशम इस पानी को सिंचाई के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती। यह नहर मद्रास तक केवल पीने के पानी के लिए बनाई गई है, इसी-लिए सभी राज्य अपने हिस्से का 5 टी० एम० सी० पानी देने के लिए सहमत हो गये। इस परियोजना पर वे करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं। क्या भारत सरकार तेलुगु-देशम सरकार को निदेश जारी करेगी कि वह इस संबंध में अन्तिम निर्णय होने तक इस परियोजना पर अपनी कोई धनराशि खर्च न करे।

***डा एम० जगतरक्षकन** (चिंगलपट्टु) : माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, जहां तक तेलुगु गंगा योजना का सम्बन्ध है लगभग 60 वर्ष से इस योजना की अफवाह सुनते आ रहे हैं। 1983 में भूतपूर्व प्रधानमन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी की उपस्थिति में लम्बे समय से इंतजार की जा रही तेलुगु-गंगा योजना को चार राज्य के मुख्यमंत्रियों—आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु ने स्वीकृति प्रदान की। इन सभी चारों मुख्य मंत्रियों ने इस योजना को स्वीकार करनेके लिए सर्व-सम्मति से निर्णय लिया और इस योजना के लिए 633 करोड़ रुपये निर्धारित किये जिससे मद्रास के 50 लाख लोगों के लिए पेय जल की व्यवस्था होगी। इस करार के पीछे हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की प्रेरणा थी। हमारे मुख्यमंत्री डा० एम० जी० रामचन्द्रन ने इस योजना के लिये 100 करोड़ रुपये आबंटित किये हैं। योजना आयोग ने भी सातवीं पंचवर्षीय योजना में पीने के पानी के लिये 7000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। लेकिन तमिलनाडु की पेयजल की समस्या को सुलझाने के लिए कोई विशेष धनराशि निर्धारित नहीं की गई है। मैं चाहता हूं कि तेलुगु-गंगा योजना के लिए 100 करोड़ रुपये की विशेष धनराशि निर्धारित की जानी चाहिए। इस

*तमिल भाषा में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

योजना को केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में लिया जाना चाहिये ताकि यह सातवीं योजना के समाप्त होने से पूर्व यथाशीघ्र कार्यान्वित हो सके। तमिलनाडु के लोग, विशेषकर मद्रास के लोग इस योजना के स्वीकार करने और इसके कार्यान्वयन के लिए आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के आभारी हैं। हम कर्नाटक के मुख्यमंत्री के भी समान रूप से आभारी हैं जिन्होंने मद्रास शहर की पीने के पानी की समस्या के समाधान में अत्यधिक रुचि दिखाई है। हम इस मामले में अपने प्रधान मंत्री के भी ऋणी रहेंगे। यह कार्य तेजी से हो रहा है। केन्द्रीय सरकार को तेलुगु-गंगा परियोजना का यथाशीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। मैं मांग करता हूं कि सातवीं योजना के पूरा होने से पहले तेलुगु-गंगा परियोजना को पूरा करने के लिए सभी वित्तीय तथा वास्तविक उपाय किए जाने चाहिये।

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, अपने जबाव में मैंने जानबूझकर आंकड़े नहीं बताए हैं। मैं तेलुगु-गंगा परियोजना के पक्ष में और विरोध में माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये विवादास्पद क्षेत्र में भी नहीं पड़ा। मेरा मुख्य इरादा था कि सभा से कोई भी तथ्य न छिपाया जाये। मेरा मुख्य रूप से यही प्रयास रहा है कि इस समस्या को सुलझाने में और किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो। अगर मेरे पास थोड़ा और समय होता तो मैं इस संबंध में अधिक विस्तार से बताता। मैंने सोचा था कि इस परियोजना के पक्ष में और विरोध में तर्क वितर्क होने के पश्चात् दोनों पक्ष प्रश्न करने का प्रयास करेंगे और जानकारी देते हुए तथा प्राप्त करते हुए एक दूसरे के प्रश्नों का उत्तर देंगे। मैंने यह उचित नही समझा कि इस सम्बन्ध में अधिक विस्तार से बताया जाये।

दिसम्बर, 1983 में परियोजना रिपोर्ट के मिलने पर यह सब बातें शुरू होती हैं। क्योंकि दूसरे पक्ष की ओर से किसी ने कहा था कि इन मुद्दों को सामने लाने में हमने देरी की है इसलिए आन्ध्र प्रदेश सरकार से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए—परियोजना रिपोर्ट के मिलने के तुरन्त पश्चात ही 1984 में हमने आन्ध्र प्रदेश सरकार से पूछताछ की अथवा स्पष्टीकरण मांगा और जैसा कि मैंने कहा है कि अभी ये उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

संक्षेप में मैं उन सब बातों में नहीं जाना चाहता जिनके बारे में माननीय महोदय बोल चुके हैं। मैं जानता हूं कि कुछ राज्यों विशेष रूप से कर्नाटक के साथ किये गये अन्याय के प्रति माननीय सदस्य बहुत नाराज हैं। क्या मैं संक्षेप में उन कुछ आपत्तियों के बारे में बता सकता हूं जो हमें प्राप्त हुई हैं?

महोदय, सभा जानती है कि इस परियोजना को मंजूर देने के विरोध में कर्नाटक तथा महाराष्ट्र ने क्या-क्या आपत्तियां उठाई हैं। ये आपत्तियां इस प्रकार है :—

1. परियोजना रिपोर्ट के अनुसार नहर की क्षमता 1977 के करार के अनुसार 1,500 क्यूसेक के मुकाबले 11,150 क्यूसेक है।
2. परियोजना के अनुसार पानी लेने की अवधि सारा साल होगी जबकि स्वीकृत अवधि केवल चार माह है अर्थात जुलाई से अक्तूबर।
3. अक्तूबर, 1977 के करार में विशेष रूप से यह कहा गया है कि यहां एक पर परम्परा है, यह परियोजना केवल मद्रास शहर को जलपूर्ति के लिए बनाई गई है।

1977 के करार में कुछ शर्तें रखी गई हैं। यह सच है कि पानी का इस्तेमाल केवल पेय जल के उद्देश्य से किया जाना है और किसी अन्य मकसद से नहीं। करार में इस बात की शर्त रखी गई है। मैं भी इससे सहमत हूं। लेकिन माननीय सदस्य श्रीमान् नन्जे गौडा ने इस प्रश्न पर क्या कहा है।

महाराष्ट्र ने भी इस सम्बन्ध में आपत्ति उठाई है। संक्षेप में वे इस प्रकार हैं :—

(I) पानी के प्राप्त करने और उसके इस्तेमाल करने के बारे में परियोजना रिपोर्ट अस्पष्ट है।

तेलुगु-गंगा परियोजना के लिए पानी की उपलब्धता को ही वे चुनौती दे रहे हैं।

(II) यह परियोजना कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण के निर्णयों तथा मद्रास शहर जल पूर्ति के सम्बन्ध में अन्तर्राज्य करार का पूरी तरह उल्लंघन है।

(III) चूंकि आन्ध्र प्रदेश राज्य ने 1977 के करार को सशर्त अनुसमर्थन दिया, यह करार अपने आप रद्द हो गया है।
उन्होने जो आपत्ति उठाई है वह बहुत गम्भीर है क्योंकि आन्ध्र प्रदेश ने सशर्त समर्थन किया है।

(IV) आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच 1983 का करार 1977 के करार के अनुरूप नहीं है।

इन समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रधान मंत्री ने कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के मुख्य मंत्रियों को लिखा है। उन्होंने आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री को भी सूचित किया है। जैसा कि मैंने पहले कहा है मैं स्वयं भी आंध्र प्रदेश गया था। मैं वहां आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री से मिला और सचिव स्तर पर बैठकें की गई थीं। विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं और मैं अभी भी प्रयास कर रहा हूं। सभा इस बात को समझ सकती है कि एक तरफ तो दोनों राज्यों ने कहा है कि यह बचावत पंचाट के एकदम प्रतिकूल है। अतः इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए—ऐसा यह दोनों राज्य कहते हैं—जबकि दूसरी तरफ आन्ध्र प्रदेश का कहना है कि समुद्र में पानी बेकार जा रहा है जबकि भूमि शुष्क पड़ी है और लोगों को कृषि उद्देश्यों के लिए सिंचाई के लिए पानी की अविलम्ब आवश्यकता है। कोई भी यह नहीं कहता है कि बचावत पंचाट का कोई भी प्रावधान गैर कानूनी है। किसी ने भी बचावत पंचाट के किसी प्रावधान को चुनौती नहीं दी है। हर कोई बचावत पंचाट का ठीक-ठीक पता लगा रहा है यद्यपि वास्तव में तेलुगु-गंगा परियोजना बचावत पंचाट के अन्तर्गत नहीं आती है। यह एक अनोखी स्थिति है जो हमारे समक्ष है···

(व्यवधान)

श्री सी० जंगा रेड्डी : पंचाट में तेलुगु-गंगा परियोजना का नाम न हो, लेकिन अतिरिक्त पानी तो दिया जा सकता है।

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, मैं क्षमा चाहता हूं। मैं माननीय सदस्य को इस स्थिति के बारे में जानकारी देने में असमर्थ हूं। इस बारे में मैं और ज्यादा स्पष्ट नहीं कर पाऊंगा। यह

सच है कि यदि 'ख' योजना को कार्यान्वित किया जाये तो—कुछ सदस्यों द्वारा की गई टिप्पणी के अनुसार 'ख' योजना के कार्यान्वित न होने के कारण कर्नाटक के साथ अन्याय हो रहा है—इसके लिए नदी घाटी प्रशासनिक प्राधिकरण की नियुक्ति की आवश्यकता होगी और यह केवल संसद् के अधिनियम के द्वारा ही किया जा सकता है और इसके लिए सम्बन्धित राज्यों में सामान्य करार की आवश्यकता होगी। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए हम बहुत उत्सुक हैं।

कर्नाटक की अपर कृष्णा स्टेज-दो, अपर भद्रा तथा अन्य परियोजनाओं को मंजूरी देने के बारे में उल्लेख किया गया है। मैं कह सकता हूं कि इन सभी परियोजनाओं पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाना चाहिए क्योंकि मैं जानता हूं कि देश के इस भाग के लोगों का, विशेषरूप से कर्नाटक के लोगों का नुकसान हो रहा है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि मुझे इन विवादों में नहीं पड़ना। मैं और अधिक विवाद उत्पन्न करने की अपेक्षा इसके समाधान ढूंढने का इच्छुक हूं। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि मुझे इस सम्बन्ध में रात्रि-भोजन अथवा मध्याह्न भोजन के लिए मुख्यमंत्रियों को बुलाना चाहिए। क्या मैं भारत सरकार तथा सभा की ओर से तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इस बारे में अनुरोध···(**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : रात्रि भोजन के लिए ?

श्री बी० शंकरानन्द : नहीं। एक साथ मिलकर, एक दूसरे की मदद करने और समस्याओं का समाधान करके इस देश की सहायता करने के वास्ते। यह केवल तमिलनाडु के लोगों के लिए ही जरूरी नहीं है अपितु यह इन सभी तीनों राज्यों के लोगों के लिए भी जरूरी है चूंकि वे नुकसान उठा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : हम सातवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में चर्चा कर रहे हैं··· (**व्यवधान**)

श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव : कृपया आप मेरे अधिकार को सुरक्षित रखिये। मंत्री महोदय ने मेरे विशिष्ट प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। कृपया मेरा बचाव कीजिये। हमने बचावत न्यायाधिकरण पंचाट का उल्लेख किया है। इस संबंध में मंत्री महोदय का क्या उत्तर है ?

उपाध्यक्ष महोदय : हर कोई इस पर सहमत है। इस संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है।

श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव : मैं इस बारे में एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। 1977 के करार के दौरान भी आन्ध्र प्रदेश सरकार ने यह कह कर हस्ताक्षर किये थे कि वे किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार सिंचाई के उद्देश्य से कृष्णा नदी के पानी के इस्तेमाल करने पर आन्ध्र प्रदेश राज्य के अधिकारों के आड़े नहीं आयेंगे। मंत्री महोदय ने इस संबंध में उत्तर नहीं दिया है।

श्री बी० शंकरानन्द : इस सभा में पिछली बार अपने उत्तर में मैंने इस प्रश्न का जवाब दे दिया था। आप कृपा करके उसे देखिये।

———

7.21 म० प०

"सातवीं पंचवर्षीय योजना, 1985-90" के बारे में प्रस्ताव

[—जारी]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम सातवीं पंचवर्षीय योजना पर पुनः चर्चा आरम्भ करते हैं। मैं सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे अपना भाषण संक्षेप में दें ताकि प्रत्येक सदस्य को बोलने का अवसर मिल सके।

***श्री आर० जीवरत्न** (आर्कोनम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सातवीं पंचवर्षीय योजना की चर्चा में भाग लेने के लिए मुझे बोलने के लिए अवसर देने पर मैं आपका आभारी हूं। मैं स्मरण कराना चाहता हूं कि तमिलनाडु के देशभक्त कवि श्री सुब्रामणियम भारती ने अपनी कविता में क्या कहा है। 'उलैया भारदाथिनई बाबा उरधि-कोंडा नेंजीनई बावा' उन्होंने युवा और निर्भीक लोगों को आगे आने का आह्वान किया। हमारे युवा तथा गतिशील प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी, जो निर्भीक भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, वास्तव में सुब्रामणियम भारती के गाने का प्रतीक बन गये हैं। मुझे विश्वास है कि वह सातवीं पंचवर्षीय योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे जो गरीबी तथा बेरोजगारी को दूर करने के लिए एक नये भारत की शुरुआत करेगी।

मुख्य रूप से माननीय प्रधान मंत्री के हस्तक्षेप के कारण ही, सातवीं पंचवर्षीय योजना में तमिलनाडु के लिए 5750 करोड़ रुपये के, योजना परिव्यय का प्रावधान किया गया है जो कि छठी पंचवर्षीय योजना में तमिलनाडु के लिए निर्धारित परिव्यय के मुकाबले 60 प्रतिशत अधिक है। तमिलनाडु के हमारे मुख्य मन्त्री डा० एम० जी० रामचन्द्रन ने इस परिव्यय में बढ़ोतरी होने का खुल्लमखुल्ला स्वागत किया है। तमिलनाडु के लोगों की ओर से मैं माननीय प्रधान मंत्री का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने सातवीं पंचवर्षीय योजना में तमिलनाडु के परिव्यय को बढ़ाकर 5750 करोड़ रुपये कर दिया है। मुझे विश्वास है कि तमिलनाडु के लोग इस बढ़े हुए परिव्यय का लाभ उठायेंगे।

महोदय, यह जानकर प्रसन्नता हुई कि विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों ने हर तरह से भारत की आर्थिक प्रगति की प्रशंसा की है, जो छठी पंचवर्षीय योजना के प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप हुई है। हम छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में गरीबी तथा बेरोजगारी की समस्या को पूर्ण रूप से दूर कर सकते थे लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या ने हमारी इन दोनों समस्याओं के हल करने में बाधा डाली। हमें सातवीं योजना के दौरान परिवार कल्याण उपायों को कार्यान्वित करने के लिए कड़े प्रयास करने चाहिए ताकि सातवीं योजना के अन्त तक गरीबी तथा बेरोजगारी को दूर करने के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके।

यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि संशोधित गाडगिल सूत्र के अन्तर्गत 20 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता उन राज्यों के लिए निर्धारित की गई है जो अपनी प्रति व्यक्ति आय के कारण पिछड़े

*तमिल में किये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

रूप में गिने जाते हैं और यहां की प्रतिव्यक्ति आय सभी राज्यों के औसत आय से कम है। यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि परिवार कल्याण योजनाओं को अधूरे मन से लागू करने के कारण ही ऐसे राज्यों में प्रतिव्यक्ति आय में कमी आई है। जिन राज्यों ने परिवार कल्याण योजनाओं को पूरे उत्साह से कार्यान्वित किया है, वे बिना किसी कसूर के इसका शिकार बने हैं क्योंकि इन राज्यों में प्रतिव्यक्ति आय तथा कथित पिछड़े राज्यों की अपेक्षा अधिक है। इसके लिए दूसरा रास्ता होना चाहिए। परिवार कल्याण कार्यक्रमों के प्रभावी तथा सक्रीय रूप से कार्यान्वयन के कारण जिन राज्यों में प्रति व्यक्ति आय अधिक है, उनको प्रोत्साहन के रूप में केन्द्र से 20 प्रतिशत अतिरिक्त सहायता दी जानी चाहिए। केवल तभी, सम्पूर्ण देश की भलाई के लिए सारे देश में परिवार कल्याण उपायों को समान रूप से कार्यान्वित किया जायेगा। मैं चाहता हूं कि माननीय योजना मंत्री मेरे द्वारा दिये गये सुझाव पर विचार करें और कुछ करें ताकि परिवार कल्याण उपायों के प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन के लिए कुछ प्रोत्साहन दिया जाये।

इस सभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में हमारे पूर्व रक्षा मन्त्री और भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति श्री आर० वेंकटरमन ने सेतुसमुद्रम परियोजना के सामरिक महत्व को स्वीकार किया था। हमारे भूतपूर्व नौसेनाध्यक्ष ने भी परिवहन मंत्रालय द्वारा गठित लक्ष्मीनारायण समिति के समक्ष साक्ष्य देते हुए इस दावे को स्वीकार किया था कि सेतुसमुद्रम परियोजना की व्यावहार्यता की जांच की जानी चाहिए। अभी हाल ही में तारांकित प्रश्न के उत्तर में हमारे परिवहन मंत्री श्री बंसी लाल ने बताया था कि यह मामला सरकार के विचाराधीन है। यह परियोजना पंडित जवाहर लाल नेहरू के अनुदेशों के अनुसार तीसरी पंचवर्षीय योजना की पूर्व संवीक्षा में शामिल की गई थी। लेकिन जैसे तैसे इसे तीसरी योजना में शामिल नहीं किया गया था। सन् 1901 में ब्रिटिश विशेषज्ञों द्वारा इस सेतुसमुद्रम परियोजना की सिफारिश की गई थी और स्वतन्त्रता मिलने के बाद, सर सी० पी० रामास्वामी अय्यर ने इसकी सिफारिश की थी। सर ए० रामास्वामी मुदलियार समिति ने इस बात की सिफारिश की थी कि सेतु समुद्रम परियोजना का निर्माण राष्ट्रीय हित में है। डा० नगेन्द्र सिंह जो नौवहन मंत्रालय में सचिव थे और जो इस समय हेग में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज हैं, ने भी इस परियोजना के महत्व पर जोर दिया था। तमिलनाडु सरकार ने भी इस योजना के लिए केन्द्र सरकार की मंजूरी बार-बार मांगी है। 8 तथा 9 नवंबर को हुई राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में तमिलनाडु में मुख्य मन्त्री श्री रामचन्द्रन ने अपने भाषण में इस परियोजना का उल्लेख किया था। मैं मांग करता हूं कि सातवीं योजना में इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए लिया जाना चाहिए। यदि यह सम्भव नहीं है तो देश की रक्षा के हित में सेतुसमुद्रम परियोजना को रक्षा परियोजना के रूप में और बिना किसी देरी के कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

मैं यह मांग करता हूं कि मद्रास में एक पेट्रो कैमिकल काम्पलेम्स स्थापित किया जाना चाहिये। इसी प्रकार मद्रास उर्वरक की विस्तार परियोजना को सातवीं योजना में सम्मिलित किया जाना चाहिए। उद्यगमंडलम स्थित हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स की विस्तार परियोजना को भी सातवीं योजना में सम्मिलित किया जाना चाहिए। अभी हाल ही में 16 तारीख को हमारे मनानीय प्रधानमन्त्री ने तमिलनाडु में कलपक्कम परमाणु एकक राष्ट्र को समर्पित किया। परमाणु ऊर्जा आयोग के एक पैनल ने तमिलनाडु में दूसरा परमाणु बिजली घर लगाने के लिए तिरुनेलवेली जिले में कूडानकुलम को चुना। कूडानकुलम के पास ही तूतीकोरिन भारी जल संयंत्र यहां तैयार

किये गये भारी जल को कूडानकुलम परमाणु संयंत्र के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है । मेरा सुझाव है कि कूडानकुलम में दूसरे परमाणु संयंत्र को लगाने के प्रस्ताव को 7वीं योजना में सम्मिलित किया जाये । नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है जो उत्तरी राज्यों की चिकित्सा अनुसंधान आवश्यकताओं को पूरा करता है। दक्षिण राज्यों के लिए इस प्रकार का कोई चिकित्सा अनुसंधान संस्थान हमारे यहां नहीं है । मैं मांग करता हूं कि ऐसा ही एक बड़ा चिकित्सा अनुसंधान संस्थान वल्लोर में भी स्थापित किया जाना चाहिए जहां पर विश्व का जाना-माना एक क्रिश्चियन मैडिकल अस्पताल पहले से है । वल्लोर की जलवायु भी इस प्रकार के चिकित्सा अनुसंधान के लिए उपयुक्त है । वल्लोर एक ऐसे अच्छे स्थान पर बसा हुआ है जो पड़ौसी राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा केरल से अच्छी प्रकार से जुड़ा हुआ है । मेरा सुझाव है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की भांति 7वीं योजना के दौरान वल्लौर में भी एक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थापित किया जाना चाहिए ।

हमने तेलुगु गंगा परियोजना के बारे में दो घंटे से अधिक चर्चा की है । इस परियोजना के बारे में भिन्न-भिन्न विचार हैं । मैं सुझाव दूंगा कि एक विवादास्पद परियोजना के लिए योजना बनाने की अपेक्षा दीर्घकालीन गंगा-कावेरी को जोड़ने की योजना चरणों में शुरू की जानी चाहिए । पूर्व सिंचाई मंत्री, डा० के० एल० राव ने सबसे पहले यमुना तथा नर्मदा को जोड़ने, तत्पश्चात नर्मदा तथा गोदावरी, फिर गोदावरी तथा कृष्णा और अन्तिम रूप में कृष्णा तथा कावेरी को जोड़ने के लिए इस परियोजना के कार्यान्वयन की सिफारिश की थी । हम इस परियोजना के लिए विश्व बैंक से ऋण प्राप्त कर सकते हैं । इससे तकनीकी रूप से योग्य, बेरोजगार युवा इंजीनियरों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा । यह राष्ट्रीय एकता का भी सर्वोत्तम साधन बन सकेगा । इस परियोजना के क्रियान्वयन के प्रति हम ईमानदार हैं, यह बात सातवीं योजना के दौरान कम से कम इस विशाल परियोजना के प्रारम्भिक सर्वेक्षण कार्य को शुरू करके लक्षित करनी चाहिए ।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को यह सूचित करना है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 117 के अन्तर्गत पांच विधेयक, जिन्हें अब लिया जाना है, को पुरःस्थापित करने और उन पर विचार करने हेतु अपेक्षित राष्ट्रपति की सिफारिशें अब प्राप्त हो गई हैं ।

7.30 म० प०

विधेयक

(एक) संसद सदस्य वेतन, भत्ते और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1985

[अनुवाद]

संसदीय कार्य तथा पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संसद सदस्य वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संसद सदस्य वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृति हुआ।

श्री एच० के० एल० भगत : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

(दो) मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों से संबंधित (संशोधन) विधेयक, 1985

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चवन) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों से सम्बन्धित (संशोधन) अधिनियम, 1952 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों से संबंधित (संशोधन) अधिनियम, 1952 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

(तीन) राष्ट्रपति की पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1985

[अनुवाद]

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रपति की पेंशन अधिनियम, 1951 में संशोधत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति की जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रपति की पेंशन अधिनियम, 1951 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

(चार) संसद अधिकारी वेतन और भत्ता (संशोधन) विधेयक, 1985

[अनुवाद]

संसदीय कार्य तथा पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं प्रस्ताव करना हूं कि संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

(पांच) संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक, 1985

[अनुवाद]

संसदीय कार्य तथा पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं विधेयक पुरा: स्थापित करता हूं।

7.34 म० प०

संसद सदस्य वेतन, भत्ते और पेंशन (संशोधन) विधेयक

[जारी]

[अनुवाद]

संसदीय कार्य तथा पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संसद सदस्य वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

महोदय, गत पांच वर्षों के दौरान संसद सदस्य वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954 में चार बार संशोधन किया गया है। सदस्यों को याद होगा कि इस अधिनियम में अन्तिम संशोधन 1983 में किया गया था। उसके बाद सदस्यों के वेतन तथा भत्तों संबंधी संयुक्त समिति ने संसद सदस्यों को कतिपय सुविधाएं देने हेतु सिफारिशें की थीं। इन सिफारिशों पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। समिति की सिफारिशों तथा अन्य संगत बातों को ध्यान में रखते हुये यह सुझाव दिया गया कि संसद सदस्य वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954 के उपबन्धों में संशोधन किया जाये।

1. यह प्रस्ताव किया गया कि वेतन को 750 रु० से बढ़ाकर 1000 रु० प्रतिमास कर दिया जाये।
2. केवल सत्र के दौरान हवाई जहाज से आने जाने की बीच की यात्राओं के स्थान पर, अब यह उपबन्ध किया गया है कि प्रत्येक सदस्य को वर्ष के दौरान 16 एक तरफा हवाई यात्रा की सुविधा होगी।

3. यह निर्णय लिया गया कि भूतपूर्व संसद सदस्यों की पेंशन की राशि 300 रु० से बढ़ाकर 500 रु० कर दी जाये और वे एक वर्ष तक संसद सदस्य रहने पर 50 रु० प्राप्त करने के हकदार होंगे। संसद सदस्यों द्वारा की गई लम्बी अवधि की सेवा को सम्मान देने के लिए यह सुझाव दिया गया कि भूतपूर्व सदस्यों को देय पेंशन की अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया जाये।

4. विभिन्न समुदायों की यह मांग चिरकालिक थी कि संविधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों जिन्हें संविधान के निर्माता कहा जा सकता है, उन्हें कुछ पेंशन देकर उचित सम्मान दिया जाये। इस उद्देश्य से, यह सुझाव दिया गया कि संबिधान सभा के उन सभी भूतपूर्व सदस्यों को 500 रु० की पेंशन दी जाये जो पेंशन के हकदार नहीं हैं।

5. यह भी निर्णय किया गया है कि संसद सदस्य को गाड़ी खरीदने के लिये 2000 रु० दिये जाएंगे और यह राशि 5 वर्ष की अवधि के भीतर प्रतिदेय होगी।

6. प्रत्येक संसद सदस्य को चुनाव क्षेत्र भत्ते के रूप रु० में प्रतिमाह 250 रु० की दर से समेकित भत्ता देने का भी प्रस्ताव है।

उपर्युक्त प्रस्तावों के लिये अधिनियम में संशोधन करना जरूरी होगा।

तथापि, इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये संगत नियमों में आवश्यक संशोधन करके कुछ अन्य सुविधाएं भी संसद सदस्यों को देने का प्रस्ताव है। इस समय संसद सदस्य जितनी स्थानीय टेलीफोन कालों के लिये हकदार हैं उसकी अधिकतम सीमा वर्ष में 15,000 है अब इस अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 30000 मुफ्त स्थानीय कालें प्रतिवर्ष करने का निर्णय लिया गया है। यह भी प्रस्ताव किया गया है कि सदस्यों के ट्रंक-हाल बिलों का समायोजन 30,00 स्थानीय कालें प्रतिवर्ष के बराबर धनराशि में से ही किया जायेगा।

यह प्रस्ताव किया गया है कि संसद सदस्यों को मुफ्त फ्लैट आवास दिया जाये परन्तु जिन सदस्यों के पास बंगले हैं उन्हें पूरा किराया देना होगा। परन्तु यदि किसी ऐसे सदस्य जिसे उसकी पात्रता से अधिक स्तर के आवास का आबंटन किया गया है और उस आवास में वह रह रहा है तो उसे अपने कुल मिलाकर सामान्य किराये के अतिरिक्त 500 रु० गैर-पात्रता प्रभार के रूप में देने होंगे। यह एक प्रस्ताव किया गया है कि संसद सदस्यों को 300 रु० प्रतिमाह तक मुफ्त पानी तथा बिजली प्रदान की जाये।

चूंकि इस विधेयक के उपबन्ध विवादास्पद नहीं हैं, इसलिये मैं सभा द्वारा इस विधेयक को स्वीकार करने की सिफारिश करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भगत, आप तीन विधेयकों के बारे में कह रहे हैं या एक विधेयक के बारे में।

श्री एच० के० एल० भगत : पहले गृह मंत्री द्वारा पुरःस्थापित विधेयक को लिया जायेगा और उसके बाद मेरे द्वारा पुरःस्थापित दो विधेयकों को लिया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपका संसद सदस्य वेतन, भत्ते और पेंशन संबंधी विधेयक ले रहा हूं।

इस पर क्या कोई सदस्य कुछ बोलना चाहता है? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संसद सदस्य वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्ड-वार चर्चा आरम्भ करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 8 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 8 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों से सम्बन्धित (संशोधन) विधेयक, 1985

[जारी]

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों से सम्बन्धित अधिनियम, 1952 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

यदि माननीय सदस्य कथनों और कारणों का विवरण देखें तो यह बात पूर्णतः स्पष्ट हो जायेगी कि वे कौन से उपबंध हैं जो इस विधेयक में किये गये हैं। आखिरकार सभी मंत्रीगण संसद सदस्य हैं तथा संसद सदस्यों को जो सुविधाएं दी गई हैं, वे सुविधाएं मंत्री परिषद को भी प्राप्त हैं।

(क) यह उपबंध करने हेतु कि मंत्रीगण उसी दर से वेतन, दैनिक भत्ते तथा निर्वाचन क्षेत्र भत्ते को हकदार होंगे जो संसद सदस्य को प्राप्त है;

(ख) मंत्रियों को व्यय भत्ते के रूप में देय राशि बढ़ाने तथा किसी मंत्री को दिये गये सरकारी आवास के मूल्य को आयकर से छूट देने हेतु; और

(ग) मंत्री महोदय के साथ यात्राओं पर जाने वाले उनके परिवार के एक सदस्य को भारत के भीतर प्रतिवर्ष छः वापसी यात्राओं की मुफ्त यात्रा सुविधा देने हेतु ।

मैं नहीं समझता कि इसे विधेयक के सम्बन्ध में और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है । विधेयक के साथ वित्त ज्ञापन संलग्न है । मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि विधेयक स्वीकार किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों से संबंधित अधिनियम, 1952 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरम्भ करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरम्भ करेगी ।

प्रश्न यह है :

"खण्ड 2 से 5 तक विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2 से 5 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

राष्ट्रपति की पेंशन (संशोधन) विधेयक,

—जारी

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि राष्ट्रपति की पेंशन अधिनियम, 1951 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, राष्ट्रपति की परिलब्धियां 10,000 रुपये प्रति माह

से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रतिमाह की जा रही है और निवर्तमान राष्ट्रपति की पेंशन 1250 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रतिमाह की जा रही है। इस विधेयक द्वारा हम केवल इन्हीं बातों को करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे विचार से इस संबंध में और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। विधेयक के साथ वित्त ज्ञापन संलग्न है। मैं सिफारिश करता हूं कि सभा इस विधेयक पर विचार करे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रपति की पेंशन अधिनियम, 1951 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरम्भ करेगी। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 5 विधेयक का अंग बनें

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 5 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री एम० वी० चव्हाण : मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संसद अधिकारी वेतन और भत्ता (संशोधन) विधेयक

[—जारी]

[अनुवाद]

संसदीय कार्य तथा पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संसद् अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों से संबंधित अधिनियम, 1953 में संशोधन के परिणाम-स्वरूप यह प्रस्ताव किया गया है कि संसद् अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम में संशोधन किया जाये। चूंकि लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्य सभा के उपसभापति को क्रमशः केबनेट मंत्रियों तथा राज्य मंत्रियों का स्तर दिया गया है, इसलिये यह प्रस्ताव किया गया कि इन

अधिकारियों को देय वेतन और भत्तों को उसी प्रकार संशोधन किया जाये।

तथापि राज्य सभा के सभापति के मामले में कुछ अंतर रखा गया है जो संसद् सदस्य नहीं है। अतः, यह प्रस्ताव किया गया कि उन्हें 7,500 रु० प्रतिमाह का वेतन दिया जाये अध्यक्ष तथा राज्य सभा के सभापति दोनों 1000 रुपये प्रतिमाह व्यय भत्ता दिया जायेगा जबकि उप-सभापति तथा उपाध्यक्ष 500 रुपये प्रतिमाह के व्यय भत्ते के हकदार होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय :

"कि संसद् अधिकारी वेतन और भत्ते अधिनियम, 1953 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरम्भ करेगी। प्रश्न यह है।

"कि खण्ड 2 से 5 तक विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 5 विधेयक में जोड़ दिये गये

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता (संशोधन) विधेयक

[—जारी]

[अनुवाद]

संसदीय कार्य तथा पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संसद् में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

यह विधेयक संसद सदस्य तथा मंत्रियों के बारे में पारित किये गये पिछले विधेयकों के क्रम में है। यह परिणामी विधेयक भी है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संसद् में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब विधेयक पर खण्ड वार विचार आरम्भ करेगी। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 4 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7.45 म० प०

"सातवीं पंचवर्षीय योजना, 1985-90" के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हम अब सातवीं पंचवर्षीय योजना पर चर्चा शुरू कर रहे हैं। श्रीमती ऊषा ठक्कर बोलें।

[हिन्दी]

***श्रीमती ऊषा ठक्कर** (कच्छ) : माननीय उपाध्यक्ष जी, सातवीं पंचवर्षीय योजना पर हो रही चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आपने मुझे जो अवसर दिया, उसके लिए मैं आपकी आभारी हूं।

योजनाएं हमारे राष्ट्रीय विकास और राज्य व्यवस्था का अभिन्न अंग है।

हमारा देश कृषि प्रधान देश है, अतः सातवीं पंचवर्षीय योजना में सिंचाई व विद्युत के लिए विशेष जोर दिया गया है। मैं इसलिए सम्माननीय प्रधान मंत्री जी एवं योजना मंत्री जी को धन्यवाद करती हूं। अब मैं खेती की बात करती हूं और छोटे किसानों के बारे में अपना विचार रखूंगी। कानून में प्रति व्यक्ति भूमि की सीमा 17 एकड़ रखी गई है। लेकिन इससे कहीं-कहीं

*गुजराती में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

छोटे किसानों के साथ अन्याय होता है। जैसे कि मेरा क्षेत्र कच्छ पथरीली भूमि वाला क्षेत्र है। यहां का प्रति एकड़ उत्पादन भारत की अन्य भूमि की तुलना में काफी कम है। अतः ऐसी कम उपजाऊ भूमि तथा इन क्षेत्रों के लिए मेरा सुझाव है कि ऐसे क्षेत्रों में भूमि सीमा 30 एकड़ निर्धारित की जाए।

श्रीमन्, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की सुविधा उपलब्ध कराने के बारे में भी अपने विचार रखूंगी। वैसे तो ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की सुविधा उपलब्ध कराने का सरकार का कार्यक्रम सराहनीय है, लेकिन फिर भी वह पर्याप्त नहीं है। आज भी मेरे चुनाव क्षेत्र कच्छ में कई गांव ऐस हैं, जहां करीब 20 कि० मी० के क्षेत्र में भी कोई बैंक नहीं है। मैं यह जरूर समझती हूं कि प्रत्येक क्षेत्र में बैंकों का खोलना आसान और सम्भव भी नहीं है, लेकिन बीस किलोमीटर के अन्दर ही सभी को बैंक की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए अथवा किसी नजदीक वाले बैंक से उन ग्रामीणों को लाभ पहुंचाना चाहिए।

मान्यवर, कच्छ—पान धो—में लिग्नाइट पर आधारित विद्युत केन्द्र को स्थापित करने का काम इस समय चालू है। सरकार के इस काम के लिए मैं सरकार के प्रति धन्यवाद व्यक्त करती हूं। लेकिन साथ-साथ अनुरोध भी करती हूं कि जैसे कई योजनाओं को धन की कमी के कारण रोक दिया जाता है जिससे योजना पूरी होने में विलंब होता है वैसे ही धन की कमी के कारण इस योजना को रोका न जाये। क्योंकि इस क्षेत्र में कृषि तथा अन्य उद्योगों के विकास के लिए विद्युत का होना अत्यन्त आवश्यक है।

श्रीमन् हमारे क्षेत्र में पानी प्राप्त करने के लिए नलकूप लगाये जाते हैं लेकिन वे पर्याप्त नहीं हैं। समग्र कच्छ की पानी की आपूर्ति के लिए कुछ और करना जरूरी है। आज नदियों का बहुत-सा पानी बिना उपयोग किये समुद्र में बह जाता है। नदियों पर बांध बांधकर पानी जरूरत मन्द क्षेत्रों के पहुंचाना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि इस काम के लिए यथा सम्भव अधिक से अधिक धन खर्च किया जाए तथा ऐसी योजनाओं को यथाशीघ्र पूरा किया जाए। सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस काम को युद्ध के स्तर पर पूरा किया जाएगा, तो हम समग्र भारत-वर्ष को हरा-भरा बना सकेंगे। देश के कोने-कोने में पर्याप्त पानी को पहुंचा सकेंगे तो आठवीं लोक सभा और वर्तमान मंत्री परिषद् का नाम देश के इतिहास में अमर हो जाएगा। ऐसा करने से दुष्काल पीड़ितों को रोजगार भी मिलेगा तथा पानी उपलब्ध होने के कारण हम कृषि का उत्पादन दुगुना कर सकेंगे।

श्रीमन्, सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मच्छु बांध का पानी मेरे चुनाव क्षेत्र कच्छ तक पहुंचाने के लिए मैं माननीय योजना मंत्री को साग्रह अनुरोध करती हूं। पानी की समस्या अगर हल हो जाएगी तो सीमान्त क्षेत्र में आबादी बढ़ेगी। जिससे सीमा पार से आये दिन हो रही विदेशियों की घुसपैठ अपने आप कम हो जाएगी। माननीय सदस्य श्री राजहंस जी ने अपने भाषण में कहा था कि पिछड़े क्षेत्रों के विकास की ओर हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। मैं भी इनके इस कथन से पूर्ण रूप से सहमत हूं तथा माननीय मंत्री जी एवं सदन के सभी सदस्यों से निवेदन करती हूं कि वे भी इस पर गौर करें। मैं पंजाब तथा हरियाणा जैसे समृद्ध राज्यों से भी अनुरोध करती हूं कि अगर दूसरे पिछड़े हुए राज्यों की उन्नति के लिए सरकार अधिक धन लगायें और उनको कुछ कम धन मिले, तो वे कोई आपत्ति न उठायें अपने बड़प्पन के अनुरूप

अपना दिल भी बड़ा बनायें, क्योंकि कमजोर और जरूरतमन्द बच्चों के प्रति विशेष ध्यान देना बड़ों का कर्तव्य है।

श्रीमन्, बेरोजगारी आज हमारी ज्वलंत और विकट समस्या है। इस पर भी मैं अपना विचार सदन के सामने रखना चाहती हूं। आज सरकार ने अपनी नौकरियों के लिए युवक-युवतियों की 28 साल की आयु सीमा निर्धारित की है। 28 वर्ष बीतने के बाद किसी को नौकरी नहीं मिल सकती। लेकिन आज कई युवक-युवतियां ऐसे हैं जिन्हें 28 साल की आयु समाप्त होने तक कहीं से भी इन्टरव्यू-कॉल भी नहीं मिलता है, फलतः वे हमेशा के लिए बेरोजगार ही रह जाते हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि जिन युवक-युवतियों को 28 साल की आयु तक इन्टरव्यू कॉल ही प्राप्त न हुआ हो, उन्हें 33 साल पूरी होने तक मौका दिया जाए ताकि वे तब तक रोजगार प्राप्त कर सकें।

मान्यवर, मैं अपना भाषण समाप्त करने से पहले आपका धन्यवाद व्यक्त करती हूं तथा आशा करती हूं कि माननीय योजना मंत्री जी मेरी बातों की ओर गौर करेंगे तथा हमारे क्षेत्र की पानी की समस्या दूर करने के लिए ठोस योजना तैयार करेंगे।

***श्री यू० एच० पटेल** (बलसार) : माननीय उपाध्यक्ष जी, सातवीं पंचवर्षीय योजना के मसविदे पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। श्रीमान, भारत देश युगों से अपनी सभ्यता व विकसित संस्कृति के लिए विख्यात है। इसे देखते हुए मैं सरकार को अपना सुझाव देना चाहूंगा। यदि हम अपनी सभ्यता को भूल कर केवल भौतिक विकास के पीछे ही दौड़ेंगे तो समय ऐसा आयेगा जब हमें पछताना पड़ेगा। भौतिक विकास के साथ-साथ आध्यात्मिक विकास करना भी आवश्यक है। भारत में आज भी कई संत महात्मा हैं। इस काम के लिए हम उनका लाभ ले सकते हैं। राज्य सरकार व केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वे इन महापुरुषों की शक्ति का लाभ जनकल्याण के लिए लें। योजना बनाते समय हमें यह भी सोचना होगा कि देश के विकास के लिए अधिक से अधिक मानव शक्ति का प्रयोग कैसा किया जाए? बेरोजगार तथा कार्यक्षम नवयुवकों की पूरी-पूरी शक्ति का लाभ अगर हम ले सकेंगे तो देश का विकास तीव्र गति से हो सकेगा। हमारे लिए यह बड़ी चिन्ताजनक बात है कि जिन डाक्टरों व इन्जीनियरों को तैयार करने के लिए सरकार लाखों रुपये खर्च करती है, वे अपनी पढ़ाई समाप्त होने के बाद अपने ज्ञान का लाभ अपने देशवासियों को देने के बजाय विदेश जाने की सोचने लगते हैं। एक बार अगर वे विदेश चले जाते है, तो फिर स्वदेश लोटने की सोचते तक नहीं हैं। केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वह कोई ऐसी योजना बनाएं ताकि हमारे डाक्टरों को तथा इंजीनियरों को इस देश के विकास के लिए रोका जा सके। आज हमारे यहां ग्रामीण क्षेत्रों तथा आदिवासी क्षेत्रों में हैल्थ सेन्टर तो बनाए गए हैं, लेकिन उनमें मरीजों को देखने वाले डाक्टर ही नहीं होते। सरकार को चाहिए कि वह ऐसे सख्त नियम बनायें ताकि वे अपनी शिक्षा समाप्त करने के पश्चात् ऐसे पिछड़े हुए इलाकों में अनिवार्य रूप से अपनी सेवायें दें। जिससे डाक्टरों की शक्ति का पर्याप्त लाभ लिया जा सके।

श्रीमन्, मैं अपने राज्य से संबंधित एक समस्या के बारे में सदन में बात करना चाहूंगा। हमारे यहां नर्मदा परियोजना के बारे में वर्षों पहले सोचा गया था। कई साल पहले हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने उसकी आधारशिला रखी थी। कई साल पहले परियोजना को

*गुजराती में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

सम्पन्न होना था, लेकिन समय बीतने के साथ परियोजना का काम आगे बढ़ने के बजाय एक समस्या बनकर और उलझता गया। मैं आपके जरिए सरकार से अनुरोध करूंगा कि यह सातवीं योजना के दौरान उसको पूरा करे। अगर जरूरत हो तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी हस्तक्षेप कर के इस प्रश्न को लेकर राज्यों के बीच हो रहे झगड़े को निपटाएं जिससे कच्छ और सौराष्ट्र की सूखी भूमि को हम पानी दे सकें।

मान्यवर, गुजरात के पास बहुत बड़ा समुद्रतट है, जहां पर रहने वाले मल्लाहों की एक बड़ी ताकत है, वे समुद्र से सम्पत्ति जुटाने के लिए अपने जान की भी बाजी लगा सकते हैं। हमें चाहिए कि देश के विकास के लिए ऐसे लोगों की शक्ति का उपयोग किया जाए। आवश्यक हो तो उन लोगों को उचित प्रशिक्षण भी दिया जाये।

मान्यवर, समुद्रतट के लिए एक और भी समस्या है, बरसात के दिनों में बरसात के पानी से समुद्रतट का कटाव हो रहा है। किनारे के मकान एवं भूमि कट कर समुद्र में विलीन हो रहे हैं। उसे रोकने का एक कार्यक्रम जरूर है, लेकिन बड़ी सुस्ती से धीमी गति से चल रहा है। मैं चाहूंगा कि इस काम में और तेजी लाई जाए तथा बरबाद होने वाली भूमि व मकानों को बचाया जाये। इस सातवीं योजना के दौरान ही समुद्र तट पर जहां आवश्यकता हो वहां दीवारें बनाई जायें।

मान्यवर, मैं जिस क्षेत्र से आ रहा हूं वहां की दो-तीन समस्याओं की ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरा क्षेत्र बलसार है, जो एक वन्य तथा पहाड़ी क्षेत्र है। वहां पर रेल की सुविधा नहीं के बराबर है। इसलिए जनता की मांग को देखते हुए नासिक से बलसार के बीच रेल लाइन बिछाने के लिए सरकार द्वारा सर्वे किया गया था। लेकिन बाद में कुछ काम नहीं हुआ है। इस क्षेत्र के विकास के लिए वहां पर रेल सुविधा को उपलब्ध कराना अत्यन्त आवश्यक है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह सातवीं योजना समाप्त होने तक वहां पर रेल सेवा उपलब्ध करा दें।

श्रीमन्, ग्रामीण क्षेत्रों में जागृति व विकास के लिए वहां की जनता को दूरदर्शन का लाभ पहुंचाना अत्यन्त आवश्यक है। मैं चाहूंगा कि इस योजना की अवधि के दौरान अधिक से अधिक ग्रामीण जनता को दूरदर्शन का लाभ प्रदान किया जाये।

मान्यवर, हमारी सरकार का प्रमुख लक्ष्य गरीबी को दूर करना है। इसके लिए काफी कोशिश की गई है। परिणामस्वरूप आज केवल 37 प्रतिशत जनता ही गरीबी की रेखा के नीचे रह गई है। लेकिन फिर भी यह संख्या बहुत बड़ी, है प्रत्येक व्यक्ति की गरीबी दूर करने के लिए हमें और अधिक दक्षता से प्रयास करना होगा। मैं चाहूंगा कि ऐसे कार्यक्रम लागू किए जाएं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने पर 25 प्रतिशत से भी कम जनता गरीबी की रेखा के नीचे रह जाए।

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि हमारी प्रत्येक योजना का लाभ समाज के सबसे पिछड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हमारे प्रशासन को चुस्त बनाया जाए। इस काम के लिए सरकारी कर्मचारियों तथा अधिकारियों में राष्ट्रभावना और जनता की समस्याओं के प्रति भावनात्मक संबंध बढ़ाने के लिए कोशिश करनी होगी। अगर आवश्यकता हो तो किसी तरीके से उन्हें प्रशिक्षित भी करना होगा।

श्रीमन्, आज हमारे आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए ट्राइबल-सब-प्लान नाम की योजना चलाई जा रही है। यह योजना जहां पर लागू की जाती है वहां पर सबसे पहले सब दफ्तरों व कर्मचारियों के रहने के लिए मकान बनाने में तथा अफसरों के लिए जीपें खरीदने में किया जाता है। यह खर्च इतना बड़ा होता है कि फिर जिस उद्देश्य के लिए योजना बनाई जाती है, उसको पूरा करने के लिए थोड़े ही पैसे बचते हैं। इस प्रकार खर्च अन्य मदों पर होता है और कहा जाता है कि आदिवासी जनता के विकास के लिए ही खर्च किया गया।

मान्यवर, मैं चाहूंगा कि हमारी सेवा में भी एक आदिवासी रेजीमैंट का गठन किया जाए, ताकि देश की सुरक्षा के लिए भी इन आदिवासी नौजवानों की शक्ति का लाभ भी लिया जा सके।

मान्यवर, आपने सातवीं पंचवर्षीय योजना पर अपने विचार व्यक्त करने का जो अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं तथा अपना भाषण समाप्त करता हू। [अनुवाद]

***श्री बी० एम० रेड्डी** (मिरयालगुडा) : उपाध्यक्ष महोदय, सातवीं योजना में विकास दर 5% रखी गई है। यह लक्ष्य छठी पंचवर्षीय योजना के 5.2% के लक्ष्य से कम है। जब लक्ष्य ही हमारी पिछली योजनाओं से कम रखा गया है, तो मैं यह नहीं समझ पाया कि इसका इतना गुणगान क्यों किया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सातवीं योजना में भी सरकारी क्षेत्र को गौरवपूर्ण स्थान मिलेगा परन्तु वस्तुतः ऐसा नहीं है। इस योजना में सरकारी क्षेत्र के लिए नियतन में भी कमी की गई है। निजी क्षेत्र में निवेश बढ़ गया है। इस योजना में निजी क्षेत्र में अनुमानित निवेश 3,50,000 करोड़ रुपए है। इसका अर्थ यह है कि निजी क्षेत्र का हिस्सा योजना के कुल निवेश का कुल 53% होगा। इसी प्रकार 25 सरकारी क्षेत्र एककों के लाइसेंस रद्द किए जा रहे हैं। यद्यपि इतना पर्याप्त नहीं है तो भी निजी क्षेत्र पर बहुत से वर्तमान नियंत्रण उठाए जा रहे हैं। अब सरकारी क्षेत्र की भूमिका आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने तथा चालू परियोजनाओं को जारी रखने में सहायता करने तक सीमित कर दी गई है। आने वाली योजना में सरकारी क्षेत्र में कोई नया उद्योग नहीं लगाया जाएगा सभी नये उद्योग निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिये गए हैं। यह खतरनाक प्रकृति है और इससे बहु राष्ट्रीय निगमों के लिए द्वार खुल जाएंगे। लाइसेंस देने संबंधी नीति को उदार बनाया जा रहा है ताकि देश में निजी उद्योग की मदद की जा सके। इन सभी उपायों का यह प्रभाव यह पड़ा है कि देश धीरे-धीरे पूंजीपतियों के हाथ में जा रहा है।

देश में जनता का पूंजीपतियों द्वारा निर्दयतापूर्वक शोषण किया जाएगा।

वे इन पूंजीपतियों की दया पर जीएंगे। देश में और अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां चलाने को अनुमति देने से अन्य देशों पर हमारी निर्भरता बढ़ेगी। अन्य देशों पर हमारी निर्भरता 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बढ़ रही है। इसके बाद हम आर्थिक दृष्टि से और अन्य देशों पर निर्भर होने वाले हैं।

महोदय, यह कहा जा रहा है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना रोजगार प्रधान योजना है।

*तेलगु में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

लेकिन वास्तव में यह रोजगार के अवसर प्रदान करने से अधिक रोजगार समाप्त करने वाली योजना है। यही मैं कहना चाहता हूं। जिस प्रकार सरकार मशीनों के स्वचलन और कम्प्यूटरीकरण आदि की ओर बढ़ रही है, उससे रोजगार के अवसर काफी कम होंगे। इन कार्यक्रमों से रोजगार के अवसर उत्पन्न होने की अपेक्षा राजगार के अवसर कम होंगे। भूमि सुधार को लागू न करने से बेरोजगारी की समस्या अधिक गम्भीर बन जाएगी। इस प्रकार इस योजना अवधि के दौरान ऐसा कुछ नहीं है जिससे रोजगार के अवसर उत्पन्न हो सकें। इसके अतिरिक्त, देश में आज अनेक उद्योग रुग्णावस्था में हैं। हमारे उद्योगों में अनेक जगह तालाबंदी चल रही है। इन कारणों से बेरोजगारी और बढ़ रही है।

आगामी वर्षों में, कर निर्धारित नीति भी जनता को प्रभावित करने जा रही है। 14,000 करोड़ रु० के घाटे को पूरा करने के लिए, आम जनता पर और अधिक कर लगाना आवश्यक हो जाएगा। करों का बोझ पहले ही असह्य बन गया है। अब लोगों को और कर देने के लिए कहा जा रहा है जो उन्हें बिल्कुल तोड़ देगा।

बैंक रिपोर्टों के अनुसार, यदि हम 5 प्रतिशत वृद्धि दर का लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें 18 अरब डालर उधार लेने पड़ेंगे। इससे हमारी ऋण की स्थिति अधिक खराब हो जाएगी। ऋण 20 प्रतिशत से बढ़कर 40 प्रतिशत हो जाएंगे। और आम व्यक्ति ही अन्ततः प्रभावित होगा।

संक्षेप में, शोषण में वृद्धि, करों में वृद्धि, गरीबी में वृद्धि और रोजगार के अवसरों की समाप्ति, सातवीं योजना की कुल उपलब्धि होगी। सरकारी क्षेत्रों से गैर सरकारी क्षेत्रों पर अधिक बल दिया जाएगा। देश आर्थिक दृष्टि से अन्य देशों पर अधिक निर्भर हो जाएगा।

महोदय, अन्त में मैं अपने राज्य आन्ध्र प्रदेश के साथ किए गए व्यवहार के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। निधियों के आबंटन में मेरे राज्य के साथ अत्यधिक अन्याय किया गया है। योजना की राशि को भी निर्दयता से कम करके 7500 करोड़ रु० से 5000 करोड़ रु० कर दिया गया है। इस प्रकार सरकार ने एक बार पुनः तेलगु भाषी जनता के आत्म सम्मान से खेलने का प्रयत्न किया है और यह राज्य की आर्थिकी को बिगाड़ने के लिए केन्द्र की अब एक अन्य चाल है। निष्कर्षतः 7वीं योजना पूंजीवाद को बढ़ावा देती है। यह इस सरकार द्वारा घोषित किए गए समाज के समाजवादी ढांचे के विरुद्ध है। यह समाज के संजोए गए समाजवादी लक्ष्य पर कुठाराघात है।

महोदय, यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

8.00 म० प०

[हिन्दी]

श्री भरत सिंह (बाह्य दिल्ली) : उपाध्यक्ष जी, सातवीं पंचवर्षीय योजना पर आज चर्चा चल रही है। यह सब जानते हैं कि आजादी से पहले भारत में न तो साधन थे, न स्कूल थे, न सड़कें थीं, न अस्पताल थे और खेती भी कम होती थी, लेकिन आजादी के बाद, दिन ब दिन जिस तरह से सरकार ने साधन किए, तो स्कूल भी बने, डिस्पेंसरीज भी हुईं, और खेती के काम को भी पूरा बढ़ावा मिला। बैंक नेशनलाइजेशन के बाद इस क्षेत्र से तब्दीली ज्यादा आई है। अच्छे बीज

मिले, खाद मिली और खेती की पैदावार बढ़ाई गई। अगर इस क्षेत्र में और ध्यान दिया जाएगा, तो खेती की पैदावार और बढ़ेगी। परन्तु इसमें मैं यह जरूर कहूंगा जिस तरह इसी सैशन में कपास के ऊपर शोर हुआ और कीमत बढ़ाने की कोशिश भी हुई, लेकिन उनको उनकी मेहनत की कीमत पूरी नहीं मिलती है। उनके लिए मार्केट भी बननी चाहिए ताकि उनकी मेहनत के अनुसार उनको अपने माल की कीमत मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां से किसान अनाज पैदा करके ले जाता है वहां तक पक्की सड़कें अभी तक पूरी तरह से नहीं बनी हैं, इसलिए मेरा अनुरोध है कि गांवों तक पक्की सड़कें बननी चाहिएं। अगर ऐसा होगा तो ज्यादा तरक्की होगी।

उपाध्यक्ष जी, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि छोटे-छोटे उद्योगों को पावर मिलनी चाहिए इसलिए बिजली उत्पादन के लिए बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आज किसानों के लिए ट्यूबवैल के लिए बिजली नहीं मिल पा रही है। अभी आज ही मेरे पास सुबह एक आदमी आया था उसने तीन महीने से एप्लीकेशन दे रखी है, लेकिन उसको ट्यूबवैल के लिए बिजली नहीं मिल पा रही है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि बिजली के उत्पादन पर जोर दिया जाना चाहिए ताकि छोटे-छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सके। यदि छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना है, तो बिजली का उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। जब छोटी-छोटी फैक्ट्रियां बड़े पैमाने पर लगेंगी तो जो आज देश में बेरोजगारी की समस्या है, उसमें भी कमी आ सकेगी क्योंकि इन छोटी-छोटी फैक्ट्रियों में बेरोजगारों को काम मिल सकेगा। लेकिन ये सारे काम बिजली पर ही निर्भर करते हैं। अगर बिजली नहीं होगी तो कोई भी काम नहीं चल सकता है और बिजली के बिना तरक्की नहीं होसकती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से हाउस से निवेदन करना चाहता हूं कि देश की तरक्की के लिए बिजली का उत्पादन बढ़ाना जरूरी है।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार शिक्षा नीति भी बना रही है। मेरा निवेदन है कि ऐसी शिक्षा नीति होनी चाहिए जिससे स्कूल से निकलते ही उनका कोई प्रोजैक्ट लग जाए जिसके लिए गवर्नमेंट से लोन मिल जाए और उनको काम मिल जाए। स्कूलों में आजकल लड़कियों के लिए काफी अच्छी पढ़ाई चली हुई है, लेकिन फिर भी जो दूर जाने वाली लड़कियां हैं, उनके लिए बसों का इंतजाम होना चाहिए, जिससे वह बसों में बैठकर ठीक तरह से आ जा सकें और अपनी पढ़ाई कर सकें।

भारत की तरक्की के लिए हमारे युवा प्राइम मिनिस्टर ने पीछे बताया था कि खेती पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। इसलिए मैं कहूंगा कि गांव की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाए। अगर गांव की तरक्की होगी तो सबकी तरक्की होगी, भुखमरी खत्म होगी और गांव, कस्बे और शहर सभी तरक्की करेंगे।

दिल्ली में जब जमीन एक्वायर होती है तो किसानों की अच्छी फसल की जमीन एक्वायर कर ली जाती है। मैं कहूंगा कि जो नाकारा जमीन हो, उसे एक्वायर करना चाहिए। इसके अलावा जो मुआवजा मिलता है, वह भी किसान के घरों तक जाकर चैक देना चाहिए। आजकल लोगों को कोर्ट में जाकर धक्के खाने पड़ते हैं और उन्हें पूरा मुआवजा नहीं मिलता है। जो नई नीति पार्लियामेंट ने पीछे बनाई है, उसी के मुताबिक उनको मुआवजा मिलना चाहिए। परिवार में एक को रोजगार भी मिलना चाहिए। हम चाहते हैं कि जो नीति आपने बनाई है, उस पर पूरी तरह चलना चाहिए।

मेरे इलाके में जे० जे० कालोनी, पुनर्वास कालोनी काफी बस गई हैं, उनमें मकान भी बन गए हैं, लेकिन सीवर, पानी और फैक्टरी का इंतजाम अभी तक नहीं हुआ है। गरीब लोग तभी तरक्की कर सकते हैं जब वह अपनी फैक्टरी लगा लें। मकान तो लोगों को एलाट कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें पानी के कनेक्शन नहीं मिले हैं। डी० डी० ए० की तरफ से तो काम पूरा हो गया है, लेकिन कार्पोरेशन की तरफ से भी काम पूरा होना चाहिए ताकि गरीब लोग भी यमुना का पानी पी सकें। मैंने आपका समय लिया, धन्यवाद।

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : उपाध्यक्ष महोदय, सातवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे पर पिछले दो दिनों से यहां डिस्कशन चल रहा है। मैं कुछ औज़ूअ पर अपने ख्याल आपके सामने रखना चाहता हूं। इस पेपर में आपने ज्यादा तरजीह फूड की तरफ दी है। वर्क और प्रोडक्टिविटी पर आपने 180 करोड़ रुपए पब्लिक सैक्टर आउट-ले प्रपोज किया है और उसमें से 80,618 करोड़ स्टेट्स के लिए रखा है। उसमें से भी 1400 करोड़ जम्मू-काश्मीर के लिए है।

जिस-जिस स्टेट को आप एलोकेशन देते हैं, उन पर कई स्टेट्स में ठीक ढंग से अमल नहीं किया जाता है। पैसा देने से ही खाली काम नहीं चलेगा जब तक कि उस पर अमल न हो।

मैं अपनी स्टेट की मिसाल देना चाहता हूं। जम्मू-काश्मीर को गाडगिल फार्मूले के बेसिस पर फंड एलोकेशन नहीं होता है। वहां गाडगिल फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है। उनके लिए कोई स्पेशल रूल्स हैं जिसके तहत डिफिकल्ट एरिया, बैकवर्डनैस वगैरह कई चीजों को कंसीडरेशन में रखते हुए पैसा एलाट किया जाता है। लेकिन स्टेट में पैसा पहुंचने के बाद फिर गाडगिल फार्मूला एप्लाई किया जाता है। तो यह डबल स्टैंडर्ड जो वहां पर होता है उससे वहां के जो लोकल डिफरेंट रीजन्स हैं उनमें इम्बलेंसेज पैदा हो गए हैं। यहां से तो ठीक है कि गाडगिल फारमूला नहीं लागू करते हैं लेकिन वहां जाकर कहते हैं कि गाडगिल फारमूले में तो 60 परसेंट वेटेज दिया गया है पापुलेशन को। वहां जाकर फिर वह पापुलेशन की बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नतीजा यह होता है कि जो डेन्सली पापुलेटेड एरिया हैं जैसे काश्मीर वैली है उनको ज्यादा पैसा मिलता है और जो स्पर्सली पापुलेटेड एरिया हैं जैसे लद्दाख रीजन या जम्मू रीजन है, वह ज्यादा बैकवर्ड हैं, पहाड़ी रीजन हैं, जब उनको पैसा बांटने की बात आती है तो पापुलेशन कम होने की वजह से वह काफी अंडर डेवलप्ड रह जातेहैं और रह रहे हैं। तो इस तरफ आप को देखने की जरूरत है। मेरा ख्याल है कि यही यार्डस्टिक अगर बाकी हिली एरियाज पर भी अप्लाई किया है और जाहिर है कि किया है तो उससे क्या होता है कि जो डिफिकल्ट एरियाज हैं उनके लिए जो आप सही मानों में सिंसियरली प्लान पेपर्स बनाते हैं उसका पैसा उन लोगों तक नहीं पहुंच सका है। वह जो डिफिकल्ट एरियाज हैं उनमें सबसे ज्यादा पैसा लगता है कम्यूनिकेशन पर, रोड्स पर, ब्रिजेज पर और टेली-कम्यूनिकेशन पर। नतीजा यह होता है कि वह एरिया बैकबर्ड का बैकबर्ड ही रह जाता है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि जिस भी स्टेट को आप जिस ढंग से पैसे देते हों उनको उस डिफिकल्ट एरिया के लिए वह पैसा ईयरमार्क कर देना चाहिए। जो भी डिफीकल्ट एरियाज हैं, पहाड़ी इलाके हैं, या बोर्डर एरियाज हैं जो सेंसिटिव एरियाज हैं उनको आपको ईयर-मार्क कर देना चाहिए और ईयर-मार्क करने के बाद भी उससे काम नहीं चलता। जैसे कि मेरी कांस्टीच्यूएंसी है, लद्दाख रीजन के लिए प्लानिंग कमीशन से ईयर मार्क करके भेज दिया जाता है लेकिन फिर भी जम्मू काश्मीर सरकार उसको काट लेती है। उस पर अमल नहीं करती है। तो मेरी यह गुजारिश है कि आपको उस पर नजर रखनी चाहिए। नजर रखने से उनको काटने का मौका नहीं मिलेगा।

प्वाइंट्स तो बहुत सारे हैं लेकिन समय की कमी है। कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्स और लैंड रिफार्म्स पर आप स्ट्रेस देते जा रहे हैं। पहले तो जमीन की सीलिंग के बारे में कोई स्टेट्स ने

बिल तो पास किए हैं लेकिन उन पर अमल नहीं हो रहा है और उसके बाद कंसालिडेशन का काम तो शुरू ही नहीं हुआ है। जब तक वह नहीं होगा तक आपके एग्रीकल्चरल सेक्टर में कोई काम आगे नहीं बढ़ने वाला है। दूसरी बात यह है कि सीलिंग आफ लैंड के लिए जो आपके लैंड रिफार्म्स ऐक्ट हैं उनमें अपर सीलिंग तो सब जगह लागू हैं लेकिन यह मेरी एक सजैश्चन है कि लोअर सीलिंग भी आपको लगानी चाहिए। एग्रीकल्चरल लैंड के लिए मिनिमम लोअर सीलिंग कुछ न कुछ होनी चाहिए क्योंकि किसी यूनिट के नीचे वह अनएकोनामिकल बन जाती है। तो ऐग्रीकल्चरल लैंड पर आप कोई न कोई लोअर सीलिंग लगाइए जिससे वह अनएकोनामिक न बने नहीं तो ऐसा होता है कि बहुत सारे एरियाज में खासकर जहां हमारे मुस्लिम ब्रदर्स लोग हैं वहां पर उनके इस्लामिक ऐक्ट के तहत जो फ्रेगमैंटेशन आफ होल्डिंग फार सेनचुरीज होता रहा है उसका नतीजा क्या होता है कि आधा कैनाल, एक कैनाल इस तरह से उनके पास जमीन रह जाती है जिससे उनका गुजारा नहीं होता है। तो कोई न कोई सिस्टम होना चाहिए कि लोअर सीलिंग भी लगाई जाए। मेरे ख्याल से लोअर सीलिंग कम से कम पांच एकड़ हो जिस पर एक आदमी गुजारा कर सकता है। इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। इस पर स्ट्रेस देने की जरूरत है।

अनएम्पलायमेंट के बारे में एन० आर० ई० पी० और आई० आर० डी० पी० वगैरह के तहत आप स्ट्रेस दे रहे हैं लेकिन उसके साथ बैंकिंग का सिस्टम आपका नहीं चल पा रहा है और खासकर जो पहाड़ी एरियाज हैं और जहां आबादी स्कैटर्ड है उस एरिया में बैंकिंग सिस्टम बिलकुल फैल हो गया है। आपने 15 किलोमीटर के दायरे में एक बैंक का लोन देने का जूरिस्डिक्शन रखा है। उससे क्या होता है कि वह उसको कवर नहीं कर सकते हैं। रूरल एरिया में पापुलेशन स्कैटर्ड के कारण वह उसके बाहर नहीं जाते हैं। तो मेरा सजेश्चन है कि आपके पास मोबाइल बैंकिंग सिस्टम होना चाहिए ताकि हर गांव में जाकर, जिनको लोन देना है, उनको लोन दिया जा सके। और जो अभी करप्शन चल रहा है उसको भी रोकने की बड़ी जरूरत है। यह करप्शन तो हर जगह है। मेरी दरख्वास्त है कि 15 किलोमीटर का एरिया जो रखा है उसको बढ़ाने की जरूरत है।

लास्ट में मैं यह कहना चाहूंगा कि टी० वी० वगैरह देखने से ऐसा लगा कि हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब कई जगह सरप्राइज विजिट्स कर रहे हैं और लोगों से यह पूछा जा रहा है कि उनको लोन्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, लोन्स पूरे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं तो यह बड़ा अच्छा स्टेप है। मैं कहना चाहूंगा कि जो हिल एरियाज हैं, डिफीकल्ट एरियाज हैं, ट्राइबल एरियाज हैं वहां पर आफिसर्स की जो पोस्टिंग होती है, चाहे कोई भी डिमार्टमेन्ट क्यों न हो, बैंक हो—सी० एन्ड टी हो, उनके लिए एलाउन्सेज बढ़ाने की बड़ी जरूरत है। अब तक आप इनको अच्छा इन्सेंटिव नहीं देंगे ये इन जगहों पर काम नहीं कर सकेंगे। चले तो जायेंगे चूंकि नौकरी का मामला है लेकिन वहां काम नहीं करेंगे। हमारे जैसे एरिया में आपको हाई क्वाल्टीट्यूड एलाउन्स देना चाहिए। स्टेट गवर्नमेन्ट अभी जो दे रही है वह बहुत ही कम है। जो सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के कर्मचारी हैं उनको सही माने में जितना मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। मैं सजेस्ट करूंगा कि कास्ट आफ लिविंग के साथ-साथ इसको बढ़ाना चाहिए। रूल्स बनाने वाले जो सेक्रेटरीज हैं वे एअरकण्डीशण्ड कमरों में बैठ कर रूल्स बना देते हैं, उनको पहाड़ी क्षेत्र और ट्राइबल एरियाज के बारे में कुछ पता नहीं रहता है कि वहां की क्या मुश्किलात हैं। इनसे कहा जाए कि आप लद्दाख, लाहौलस्पीति, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड जाइये तो उनको पता चल जायेगा कि वहां की क्या मुश्किलात हैं। तो जब तक आप वहां उनको इंसेंटिव नहीं देंगे तब तक डेवलपमेण्ड काम नहीं हो सकेंगे। आपने जो मुझे समय दिया उसके लिए आपको धन्यवाद।

[श्री पी- नामगियाल (लद्दाख)]: उपाध्यक्ष महोदय सातवीं पंच वर्षीय योजना के मसौदे पर पिछले दो दिनों से यहां डिस्कशन चल रहा है - मैं कुछ मुद्दों पर अपने विचार आप के सामने रखना चाहता हूं - इस पेपर में आप ने ज्यादा तरजीह फूड की तरफ दी है - इरिगेशन और पावर डेवलपमेंट पर आप ने १८० करोड़ रुपये पब्लिक सैक्टर आउटले के लिये प्रोपोज किया है और इस में से ८०६१८ करोड़ स्टेट्स के लिये रखा है - इसमें से भी १४०० करोड़ रुपये कश्मीर के लिये है - -

जिस जिस स्टेट को आप एलोकेशन देते हैं उन पर कई इंस्टीट्यूशन्स ठीक ढंग से काम नहीं किया जाता है - पैसा देने से ही खाली काम नहीं चलेगा, जब तक कि उस पर अमल न हो!

मैं अपनी स्टेट की मिसाल देना चाहता हूं - जम्मू कश्मीर को गाडगिल फार्मूले के बेसिस पर फंड एलोकेशन जो होता है - वहां गाडगिल फार्मूला एप्लीकेबिल नहीं है - उन के लिये कई स्पेशल रीजन्स हैं जिन के तहत डिफिकल्ट एरिया बेक वर्डनेस वगैरह कई चीजों को कंसीडरेशन में रखते हुये पैसा एलाट किया जाता है - लेकिन स्टेट में पैसा पहुंचने के बाद फिर गाडगिल फार्मूला एप्लाई किया जाता है - तो ये डबल स्टैंडर्ड वहां पर होता है - इस से वहां के जो लोकल डिफरेंट रीजन्स हैं उन में इनइक्विलिटीज पैदा हो गई हैं - ये उन से तो ठीक है गाडगिल फार्मूला नहीं लागू करते हैं, वहां जाकर कहते हैं कि गाडगिल फार्मूले में तो ६० पर सेंट वेटेज दिया गया है पापुलेशन को वहां जाकर फिर वे पापुलेशन की बेसिस पर डिस्ट्री ब्यूट करते हैं - नतीजा यह होता है कि जो डिफेंसली पापुलेटिड एरियाज हैं जैसे कश्मीर वैली है उन को ज्यादा पैसा मिलता है और जो इंपर सैली पापुलेटिड एरियाज हैं जैसे लद्दाख रीजन या जम्मू

ریجن ہے وہ زیادہ بیک ورڈ ہیں، پہاڑی ریجن ہیں جب اُن کو پیسہ بانٹنے کی بات آتی ہے تو پاپولیشن کم ہونے کی وجہ سے وہ کافی انڈر ڈویلپڈ رہ جاتے ہیں اور وہ رہے ہیں۔ تو اس طرف آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ جو بارڈر اسٹیٹس اگر باقی ہلی ایریاز پر بھی اپلائی کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ کیا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ڈیفیکلٹ ایریاز ہیں اُن کے لئے جو آپ صحیح معنوں میں سنسیرٹی پلان پیپرس بناتے ہیں اُن کا پیسہ اُن لوگوں تک نہیں پہنچ سکا ہے۔ وہ جو ڈیفیکلٹ ایریاز ہیں اُن میں سب سے زیادہ پیسہ لگتا ہے کمیونیکیشن پر، روڈس پر برجیز پر اور ٹیلی کمیونیکیشن پر۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایریا بیک ورڈ کا بیک ورڈ رہ جاتا ہے۔ اِسلئے میری آپ سے گزارش ہے کہ جس بھی اسٹیٹ کو آپ جس ڈھنگ سے پیسے دیتے ہوں اُنکو اس ڈیفیکلٹ ایریا کے لئے وہ پیسہ ایئر مارک کر دینا چاہیئے۔ جو بھی ڈیفیکلٹ ایریاز ہیں پہاڑی علاقہ ہیں یا بارڈر ایریاز ہیں جو سینسیٹیو ایریاز ہیں اُنکو آپ کو ایئر مارک کر دینا چاہیئے، اور ایئر مارک کرنے کے بعد بھی اس کام سے کام نہیں چلتا۔ جیسے کہ میری کانسٹی چوینسی ہے لداخ ریجن کے لئے پلاننگ کمیشن سے فنڈز ایئر مارک کر کے بھیج دیا جاتا ہے لیکن پھر بھی جموں کشمیر سرکار اس کو کاٹ لیتی ہے، اس پر عمل نہیں کرتی ہے۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ آپ کو اس پر نظر رکھنی چاہیئے۔ نظر رکھنے سے ان کو کاٹنے کا موقع نہیں ملے گا۔

پوائنٹس تو بہت سارے ہیں لیکن سمے کی کمی ہے۔ کنسالیڈیشن آف ہولڈنگس ——— اور لینڈ ریفارمس پر آپ اِسٹریس دیتے جا رہے ہیں۔ پہلے تو زمین کی سیلنگ کے بارے میں کئی اسٹیٹس نے بل تو پاس کئے ہیں لیکن اُن پر عمل نہیں ہو رہا ہے، اور اس کے بعد کنسالیڈیشن کا کام تو شروع ہی نہیں ہوا ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک آپ کے ایگریکلچرل سیکٹر میں کوئی کام آگے نہیں بڑھنے والا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیلنگ آف لینڈ کو لڈ سیلنگ

के लिए जो आप के लैंड रिफार्म्स ऐक्ट हैं, उनमें ईरीगेशन तो सब जगह लागू है, लेकिन यह मेरी ऐक्सटेंशन है कि लोड शेडिंग भी आप को लगानी चाहिए। ऐग्रीकल्चरल लैंड के लिए मिनिमम लोड शेडिंग कुछ न कुछ होनी चाहिए, क्योंकि किसी यूनिट के नीचे वह ऐकानामिकल बन जाती है। तो ऐग्रीकल्चरल लैंड पर आप कोई न कोई, लोड शेडिंग लगाइये जिस से वह ऐकानामिक बने, नहीं तो ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐरियाज में खास कर जहां हमारे मुस्लिम ब्रदरस लोग हैं वहां पर उन के इस्लामिक सैंक्शन के तहत जो इनहैरिटैंस आफ होल्डिंग्स फार सैंचरीज होता रहा है उस का नतीजा होता है कि आधा कैनाल इस तरह से उन के पास जमीन रह जाती है, जिस से उन का गुजारा नहीं होता है, तो कोई न कोई सिस्टम होना चाहिए कि लोड शेडिंग भी लगाई जाए। मेरे खयाल से लोड शेडिंग कम से कम ५ ऐकड़ हो जिस पर एक आदमी गुजारा कर सकता है। इस से नीचे नहीं जाना चाहिए। इस पर सब्सिडी देने की जरूरत है।

उन ऐम्पलीमैंटेशन के बारे में जो आर ए पी और आई आर डी पी वगैरह के तहत आप सब्सिडी दे रहे हैं लेकिन इस के तहत बैंकिंग का सिस्टम आप का नहीं चल पा रहा है। और खास कर जो पहाड़ी ऐरियाज हैं और जहां आबादी स्कैटर्ड है इस ऐरिया में बैंकिंग सिस्टम बिलकुल फेल हो गया है। आप ने १५ किलोमीटर के दायरे में एक बैंक का लोन देने का जो प्रोविजन रखा है। इस से क्या होता है कि वह इस को कवर नहीं कर सकते हैं। रूरल ऐरिया में वह पापुलेशन स्कैटर्ड होने के कारण वह उस से बाहर नहीं जाते हैं। तो मेरा सजैशन है कि आप के पास मोबाइल बैंकिंग सिस्टम होना चाहिए ताकि हर गांव में जा कर जिस को लोन देना है उस को लोन दिया जा सके और जो अभी करप्शन चल रहा है उस को भी रोकने की बड़ी जरूरत है। यह करप्शन तो हर जगह है। मेरी दरख्वास्त है कि १५ किलोमीटर का ऐरिया जो रखा है उस को बढ़ाने की जरूरत है।

लास्ट में मैं यह कहना चाहूंगा कि टी.वी. वगैरह देखने से ऐसा लगा कि हमारे फाई नेंस मिनिस्टर साहब कई जगह सरप्राइज विजिट कर रहे हैं और लोगों से यह पूछा जा रहा है कि उन को डोज मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। डोज पूरे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो यह बड़ा अच्छा इंस्टेप है। मैं कहना चाहूंगा कि जो हिल एरियाज हैं डिफिकल्ट एरियाज हैं ट्राइबल एरियाज हैं वहां पर जो आफिसर्स की पोस्टिंग होती है चाहे कोई भी डिपार्टमेंट क्यों न हो, बैंक हो, बी.एन.टी. हो, उन के लिए इलाउंसेज बढ़ाने की बड़ी जरूरत है। जब तक आप उनको अच्छा इंसेंटिव नहीं देंगे वे इन जगहों पर काम नहीं कर सकेंगे। चले तो जाएंगे जैसे कि नौकरी का मामला है, लेकिन वहां काम नहीं करेंगे। हमारे जैसे एरिया में आप को हाई आल्टीट्यूड इलाउंस देना चाहिये। इस्टेट गवर्नमेंट अभी जो दे रही है वह बहुत ही कम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं उन को सहीं मानों में जितना मिलना चाहिये वह नहीं मिल रहा है। मैं सजेस्ट करूंगा कि कास्ट आफ लिविंग के साथ साथ इस को बढ़ाना चाहिये। रूल्स बनाने वाले जो सेक्रेटरीज हैं वह एयर कंडीशंड कमरों में बैठ कर रूल्स बना देते हैं उन को पहाड़ी शिखर और ट्राइबल एरियाज के बारे में कुछ पता नहीं रहता है कि वहां की क्या मुश्किलात हैं। उन से कहा जाए कि आप लद्दाख लाहौल स्पीति अरुणाचल प्रदेश नागालैंड जाइये तो उन को पता चल जाएगा कि वहां की क्या मुश्किलात हैं। तो जब तक आप वहां उन की इंसेंटिव नहीं देंगे तब तक डिवेलपमेंट का काम नहीं हो सकेगा। आप ने जो मुझे समय दिया उस के लिए धन्यवाद।]

[हिन्दुवाद]

श्री अमर राय प्रधान (कुल्लू हिमाचल) : उपाध्यक्ष महोदय, यह माननीय सभा है जहां आप बैठासीन हैं। यह माननीय सभा देश का सबसे ऊंचा निकाय है, जहां राजनीतिक चर्चाएं होती हैं।

यह अत्यधिक खेद का विषय है कि संसद सदस्य जो इस योजना प्रलेख पर चर्चा कर रहे हैं, हम इस बारे में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हम कोई निर्णय नहीं ले सकते। हम केवल सातवीं पंचवर्षीय योजना की जांच ही कर रहे हैं ···(व्यवधान)। यह अलग बात है कि इसके संबंध में निर्णय लेने का हमें कोई हक नहीं है।

मैं समझता हूं कि इस योजना प्रलेख पर आपके भाषण के संक्षेप में कृषि संबंधी उत्पादन और अधिक रोजगार पर अधिक बल दिया गया है। मैं नहीं जानता कि इन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रलेख में आप देखेंगे कि योजना केन्द्रीयकृत योजना है। लेकिन आप कह सकते हैं कि यह सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम योजना है। केन्द्र की अपेक्षा राज्य के भाग से अतिरिक्त संसाधन जुटाना बहुत अधिक मात्रा में रखा गया है। यह हमारी बहुत पुरानी मांग है कि राज्यों को योजना के लिए कम से कम 75 प्रतिशत भाग मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं किया जाता है। सरकारिया आयोग बैठाया गया है। इसकी रिपोर्ट बहुत शीघ्र आने वाली है। आप इस पर चर्चा करने के लिए कुछ और समय तक प्रतीक्षा क्यों नहीं कर सकते? इसे कम से कम 50::0 किया जाए। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया है। (व्यवधान) एक अन्य पुरानी मांग समान वहन-शुल्क नीति के संबंध में है। आप पश्चिमी बंगाल से हैं।

महोदय, पश्चिम बंगाल और बिहार देश में कोयला और इस्पात उत्पादक राज्य हैं। ये 1956 से काफी प्रभावित हो रहे हैं। इस सभा में बार-बार यह आश्वासन दिया गया था कि इस पर विचार किया जायेगा। लेकिन इस योजना प्रलेख में ऐसा कुछ नहीं है, कोई गुंजाइश अथवा अवसर नहीं है। इस बारे में एक शब्द नहीं कहा गया है कि क्या स्थिति को सुधारने के लिए कुछ किया जाएगा अथवा नहीं।

एक अन्य बात भी है जिस पर मैं इस योजना प्रलेख में ध्यान दिलाना चाहूंगा। यह भी देश की चिरकालिक मांग है कि गैर-उद्योग जिलों को उद्योग-जिले बनाया जाना चाहिए, अर्थात उन जिलों में उद्योग लगाए जाएं और हमारे देश में, सरकारी आंकड़ों के अनुसार, यह 102 हैं, इन 102 में से 46 बिहार के उत्तरी भाग, उत्तरी बंगाल, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम में हैं। यह वह क्षेत्र हैं जहां कोई उद्योग नहीं हैं। क्या आपने वहां कोई उद्योग स्थापित करने के प्रयास किये हैं? आपके सरकारी क्षेत्र के अनेकों उपक्रम हैं। आप इनमें से किसी को गैर-औद्योगिक जिलों में क्यों नहीं लगाते? सातवीं पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के लिए आपकी यह योजना होनी चाहिए कि प्रत्येक गैर-औद्योगिक जिले में उसे औद्योगिक जिला बनाने के लिए, कम से कम एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित लोक उपक्रम होना चाहिए।

अब मैं कृषि पर आता हूं जिसके बारे में आपने प्रलेख के 496 पृष्ठों, दो खण्डों की पुस्तिका में बहुत कुछ कहा है। क्या इन लक्ष्यों को पूरा करना संभव है? पांचवीं पंचवर्षीय योजना और छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हमारे अनुभव क्या रहे हैं?

रिजर्व बैंक रिपोर्ट और विश्व बैंक रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सकल राष्ट्रीय उत्पादन निर्धारित लक्ष्य के बराबर नहीं था।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम भी बिल्कुल असफल रहा है। यदि हम भारतीय रिजर्व बैंक और विश्व बैंक रिपोर्ट को देखें तो पाएंगे कि कुछ कारणों से इन समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में, भ्रष्टाचार हुआ था। इसे गरीब जनता के लिए शुरू किया गया था लेकिन कुछ बिचौ-

लियों और कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने इसका लाभ उठाया। यह मेरी रिपोर्ट नहीं है। यह रिजर्व बैंक की रिपोर्ट है। यह विश्व बैंक की रिपोर्ट है। (व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : वे पश्चिम बंगाल में क्या कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री अमर राय प्रधान : कृपया यह नहीं भूलिए कि हम गरीबी की स्थिति में हैं। समस्या केवल उत्पादन की ही नहीं है बल्कि वितरक की भी है। महोदय, आपके आंकड़ों के अनुसार, छठी पंचवर्षीय योजना और पांचवीं पंचवर्षीय योजना के पश्चात् प्रति व्यक्ति खपत क्या रही है ? और रिजर्व बैंक के आंकड़े क्या हैं ? पांचवीं पंचवर्षीय योजना से पहले आप इसे 174.2 तक बढ़ाने में समर्थ थे और छठी पंचवर्षीय योजना के बाद, जो समाप्त होने जा रही है, यह केवल 178 है। आप कैसे कह रहे हैं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद यह 200 हो जाएगी। क्या यह संभव है ? आपके विचार अव्यवहारिक हैं। आप स्वप्न देख रहे हैं। यह नहीं भूलिए कि ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था अभी तक जमींदारों के हाथ में है। सामन्ती प्रथा अभी भी प्रचलित है। महालेनोविस समिति की रिपोर्ट के अनुसार 630 लाख हैक्टेयर भूमि फालतू पड़ी है। दूसरी योजना समिति ने 215 लाख हैक्टयर की गणना की है—अगर उच्चतम सीमा 20 एकड़ कर दी जाए। 1979-80 के आर्थिक सर्वेक्षण में 46 लाख हैक्टयर का हिसाब लगाया गया है। वर्ष 1980 को सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह 38 लाख हैक्टेयर थीं, 21 लाख हैक्टेयर सरकार के कब्जे में थी और 12.5 लाख हैक्टेयर भूमि बांटी गई थी। यह कितना हास्यापद है ? आप कैसे यह लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं ? रिपोर्ट से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि केवल केरल और पश्चिम बंगाल ने भूमि का बड़ा भाग बांटा है। यह स्थिति है। आप इसे अस्वीकार कर सकते हैं।

सिंचाई के संबंध में, यह मत भूलिए कि हमारे देश में सिंचित क्षेत्र लगभग 31 मि० हैक्टेयर है। जिसमें से केवल 20 मि० हैक्टेयर में सिंचाई की गई है। इसका अर्थ है, 84 प्रतिशत में सिंचाई की गई है और 16 प्रतिशत का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया है। यह रिपोर्ट से ज्ञात होता है। यह मेरी रिपोर्ट नहीं है। यह कृषि सम्बन्धी नीति अनुसंधान के लिए केन्द्र की 1985-2000 की रिपोर्ट है। इसमें कहा गया है :

> "जल उपयोग की इंजीनियरिंग धारणा केवल भूमि के उस क्षेत्र को बताती है जिसके लिए जल दिया गया है और सिंचाई की मात्रा और समय के सम्बन्ध में उगाई गई फसल की आवश्यकता का हिसाब नहीं बताती।"

यह सिंचाई व्यवस्था का निराशाजनक चित्र है। इसके अतिरिक्त, यह मत भूलिए कि कुल खेतिहर क्षेत्र में से केवल 30 प्रतिशत की सिंचाई की जाती है और यह 30 प्रतिशत सिंचित क्षेत्र, कुल कृषि उत्पादन का 56 प्रतिशत उत्पादन दे रहा है, और शेष 70 प्रतिशत गैर-सिंचित क्षेत्र, कुल कृषि उत्पादन का 44 प्रतिशत उत्पादन कर रहा है। यह अच्छी बात नहीं है। यह क्षेत्रीय असंतुलन पैदा करता है। यदि आप इसे समाप्त नहीं करते हैं तो प्रत्येक राज्य और प्रत्येक क्षेत्र में अत्यधिक असमानता की भावना बलवती होगी।

कृषि उत्पादों की मूल्य नीति के बारे में इस पक्ष के साथ ही दूसरे पक्ष के अनेक सदस्यों ने भी अपने भाषण दिए हैं। यह मत भूलिए कि कृषि लागत और मूल्य निर्धारण आयोग ने कभी भी मूल्य निर्धारण करते समय कृषकों के साथ न्याय नहीं किया है चाहे वह धान, जूट, कपास और गन्ना, आदि में से कुछ भी हो। किसान कृषि लागत और मूल्य निर्धारण आयोग (ए० सी० पी० सी०) से संतुष्ट नहीं है। वे अपने उत्पादनों के लिए कभी भी लाभ-कर मूल्य नहीं पाते। यह मत भूलिए कि 1980-81, 1981-82 और 1982-83 वर्षों के दौरान, जब कृषि आदानों के मूल्य 83 प्रतिशत से 151 प्रतिशत तक बढ़ाए गए थे कृषि उत्पादों के मूल्य औसतन 27 प्रतिशत से 38 प्रतिशत के बीच बढ़ाए गए थे। इसका अर्थ है कि कृषकों को 50 प्रतिशत की हानि हुई। यह पश्चिम बंगाल अथवा केरल का प्रश्न नहीं है। यह सम्पूर्ण भारत के कृषकों का प्रश्न है। उन्हें 56 प्रतिशत की हानि हो रही है।

एक माननीय सदस्य : आप हंस क्यों रहे हैं ?

श्री अमरराय प्रधान : आपने कहा कि मैं हंस रहा हूं। लेकिन जब मैं निर्धनता की दुःखद स्थिति देखता हूं, हो मैं आपकी तरह मगरमच्छ के आंसू नहीं बहा सकता। मुझे वास्तव में उनके लिए दुःख होता है।

हमेशा ऐसा देखा गया है कि कृषि और उद्योग के बीच में, कृषि की हानि होती है। यदि आप रिजर्व बैंक के आंकड़ों को देखें, तो आप पाएंगे कि 1980-81 से 1982-83 की अवधि के दौरान, दिसम्बर, 1983 के अनुसार किसानों द्वारा बेची गई अनिवार्य वस्तुओं के लिए सूचकांक आंकड़े 218 थे जबकि किसानों द्वारा खरीदी गई औद्योगिक मदों के लिए सूचकांक आंकड़े 267 थे। इसका अर्थ है कि कृषकों को उद्योग के लिए 49 प्रतिशत अधिक भुगतान करना पड़ा। अनाज उत्पादन के मामले में, उन्हें अनाज का वह मूल्य प्राप्त नहीं है जोकि कृषक अपने खून पसीना बहा कर उत्पादित करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन, अक्तूबर, 1984 के अनुसार, धान की साधारण किस्म का खरीद मूल्य 122 रुपये था और 1982-83 में जारी मूल्य 188 था तथा 1983-84 के लिए वह आंकड़े 132 रुपये 208 रुपये थे। अच्छी किस्म के लिए आंकड़े 126 और 200 तथा 136, 220 हैं। गेहूं के लिए खरीद मूल्य 142 रुपये और 151 रुपये थे तथा जारी मूल्य 185 रुपये और 208 रुपये थे।

हमारे देश में व्याप्त इन सभी परिस्थितियों में हम कैसे मान सकते हैं कि आर० एल० ई० जी० पी० अथवा एन० आर० ई० पी० गांवों से गरीबी दूर करने में सफल होंगे ? यह बिल्कुल संभव नहीं है क्योंकि यहां भ्रष्टाचार फैला हुआ है और यह मानी हुई बात है कि भ्रष्टाचार इस सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत किया गया है। मैं कहता हूं कि बेरोजगार लोगों की संख्या बढ़ी है। 1949 में यह केवल 1.49 करोड़ थे और अब वह 2.50 करोड़ हैं। हमारे देश में नवयुवक जीविका के लिए अपना खून बेच रहे हैं, नवयुवतियां अपनी जीविका के लिए अपना शरीर बेच रही हैं। यह बहुत दुःखद स्थिति है। इसलिए, यदि आप इन सब समस्याओं को हल नहीं कर सकते तो इस योजना को उचित ढंग से कार्यान्वित करना और कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाना संभव नहीं हो सकता। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री एस० एस० शिवरामन (सांडस) : महोदय, हमारी जो यह योजना है वह बहुत

महत्त्वपूर्ण है जो कि छठी योजना के आधार पर सन् 2000 की परिस्थिति एवं वातावरण को दृष्टिगत रखते हुए बनाई गई है। यह हमारे प्रधान मंत्री जी की दूरंदेशी, चिंतनशीलता एवं अग्रसोची होने का बहुत बड़ा प्रमाण है।

हमारे यहां योजनागत कार्य पिछले 40 साल से चल रहा है जो हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू का एक अनुपम उपहार है। हमारी छठवीं पंचवर्षीय योजना थी उससे यह कमजोर वर्गों की मदद करने के, मुद्रास्फीति को काबू करने में और कृषि उत्पादन को बढ़ाने में पूरी सफलता मिली है। इन्हीं आधारों पर सप्त पंचवर्षीय योजना बनाई गई है। छठी योजना की सफलता ही हमारे सप्तम पंचवर्षीय योजना की पृष्ठभूमि है।

इस योजना का उद्देश्य है अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, गरीबी को दूर करना और उनके लिए विशेष प्रयत्न करना। जिससे कि हमारे देश में गरीबी दूर होने के साथ-साथ हरिजनों और पिछड़े वर्गों को सामाजिक न्याय मिले। इन सबका इसमें ध्यान रखा गया है।

महोदय, इसकी सफलता के लिए मैं कहना चाहता हूं कि अनुशासन, दृढ़ आत्म विश्वास और सतत परिश्रम की आवश्यकता है। जो जनता, जन प्रतिनिधि एवं कर्मचारियों में होना चाहिए।

महोदय कुछ लोग कहते हैं कि हमारी जो पिछली योजनाएं चालू हुई हैं उनमें कुछ भी नहीं हुआ। मैं उनसे कहना चाहता हूं शहरों में बहुत कम हुए हैं जो दिख रहे हैं। आप शहर छोड़ कर जरा देहात में जाकर के देखिये कि देहात का 25-30 वर्ष पहले का क्या नक्शा था और आज क्या है। वहां सैंकड़ों लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है, वहां लोगों को घर बनाने के लिए जमीनें दी जा रही हैं, कर्जा दिया जा रहा है। वहां के लोगों को रोजगार दिलाने के लिए एन० आर० ई० और आई० आर० डी० पी० कार्यक्रम चल रहे हैं। यह सारा काम देहातों में हुआ है। पीने के पानी की, सड़कों की व्यवस्था लगभग 75 प्रतिशत से अधिक ग्रामों में की जा चुकी है। इसे नकारा नहीं जा सकता।

इस योजना में 18 हजार करोड़ रुपया खर्च होगा। उसमें से 10,973 करोड़ रुपया एग्रीकल्चर के लिए आवंटित हुआ है। इस योजना के कुल व्यय की 5.87 प्रतिशत राशि कृषि एवं उससे संबंधित कार्यों हेतु रखी गई है। इसके बारे में मेरा निवेदन है कि कृषि पर अभी तक जो अनुसंधान कार्य किया गया है वह केवल गेहूं आदि अच्छी फसल की किस्म के सुधार के लिए किया गया है। मैं चाहूंगा कि कृषि क्षेत्र में और दूसरी फसलें जो पहाड़ी क्षेत्र में उपजाई जाती हैं जैसे कोदी, कुटकी, समा पर भी अनुसंधान किया जाए ताकि उनका भी उत्पादन बढ़ सके।

8.33 म० प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

महोदय, इस योजना में ग्राम विकास के लिए कुल व्यय का 5.4 प्रतिशत राशि का व्यय

रखा गया है। इसके बारे मे मेरा निवेदन है कि भूमि सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाए और पहाड़ी क्षेत्रों में, जहां भूमि ऊंची-नीची होती है, वहां के विकास के लिए विशेष व्यवस्था की जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा अब स्थगित होती है।

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 1985/29 अग्रहायण, 1907 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

चौधरी मुद्रण केन्द्र, साउथ मोजपुर, दिल्ली-53